ईश माला, खंड 9, अंक 24

सोमवार, 25 अप्रैल, 2005
5 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettee & Debates Unit
Parliament Library Building
Acc No. 58
Dated 2/2/08

(खंड 9 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। इनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 24, सोमवार, 25 अप्रैल, 2005/5 वैशाख, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
बांडुंग में आयोजित एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ	1–2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 401 और 402	18–43
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 403 से 420	43–79
अतारांकित प्रश्न संख्या 4375 से 4604	79–407
सभा पटल पर रखे गए पत्र	407–411
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	411
प्राक्कलन समिति	411–412
छठा प्रतिवेदन	412
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	412
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
पांचवां और छठा प्रतिवेदन	412
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
139वें और 146वां प्रतिवेदन	413
कार्य मंत्रणा समिति	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	413–420
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति	
सातवां प्रतिवेदन	420–422
नियम 377 के अधीन मामले	424
(एक) भाखड़ा-व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा उत्पादित विद्युत में से हिमाचल प्रदेश को उचित हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती प्रतिभा सिंह	424–425

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(दो) स्थानीय व्यक्तियों के जीवन को सुरक्षित रखने की दृष्टि से जम्मू और कश्मीर सीमा से लगे क्षेत्रों से बारूदी सुरंग हटाए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री मदन लाल शर्मा	425
(तीन) गुजरात के बलसाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री किसन भाई वी. पटेल	426
(चार) महाराष्ट्र के मालेगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई और पीने के पानी की समस्या को दूर करने की दृष्टि से ''नद-पार'' नदियों पर एक बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिशचन्द्र चव्हाण	426–427
(पांच) अजमेर-बांदीकुई होते हुए अहमदाबाद और आगरा के बीच एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. रासा सिंह रावत	427
(छह) राजस्थान में सादुलपुर-बीकानेर और रतनगढ़-देगाना रेलवे खंडों को पूरा करने के लिए वर्तमान बजट में से वांछित निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम सिंह कस्वां	427–428
(सात) ''बिश्नोई'' जाति को राजस्थान की ''अन्य पिछड़ा वर्गों'' की सूची में किए जाने की आवश्यकता	
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	428
(आठ) देश में गुटका के निर्माण और विक्रय को प्रतिबंधित किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	428
(नौ) इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से एक मीडिया आयोग गठित किए जाने की आवश्यकता	
श्री स्वदेश चक्रवर्ती	429
(दस) उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में लहचूरा बांध परियोजना को जल्दी पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजनारायन बुधौलिया	429–430
(ग्यारह) बिहार के बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक एफ एम रेडियो स्टेशन शीघ्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री गिरिधारी यादव	430
(बारह) महाराष्ट्र के परभनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	430
(तेरह) उड़ीसा में एक ''सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम'' स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अर्जुन सेठी	431
(चौदह) महाराष्ट्र राज्य कोआपरेटिव बैंकों हेतु चिरकालिक गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियां (क्रानिक एन पी ए) की वसूली के लिए ''वन टाइम सेटलमेंट स्कीम'' पर विचार किए जाने की आवश्यकता	
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	431–432
(पन्द्रह) बिहार के सारण और सिवान जिलों में एक नया टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रभुनाथ सिंह	432–433

विषय	कॉलम
(सोलह) देश में "काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम" के लिए एक सेंट्रल मानीटरिंग एजेंसी स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
डा. के. धनराजू	433–434
(सत्रह) तमिलनाडु के शिवकाशी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय श्रम कल्याण संगठन के जरिए पटाखे की फैक्टरियों में कार्यरत मजदूरों के लाभ के लिए कल्याणकारी उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई	434
(अठारह) उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 को जोड़ने वाली सड़कों का उचित रखरखाव और मरम्मत किए जाने की आवश्यकता	
श्री मुंशी राम	434–435
सामान्य बजट, 2005-2006	
अनुदानों की मांगें	435–501
कृषि मंत्रालय	435
श्री रामजीलाल सुमन	435–438
श्री रामसेवक सिंह	438–440
श्री दुष्यंत सिंह	440–444
प्रो. चन्द्र कुमार	444–448
डा. रतन सिंह अजनाला	448–450
श्री ब्रह्मानंद पंडा	450–452
श्री प्रभुनाथ सिंह	453–458
श्री किन्जरपू येरननायडु	458–462
श्री सुरेश चंदेल	462–473
श्री बीर सिंह महतो	473–475
श्री शैलेन्द्र कुमार	475–477
श्री राजा राम पाल	477–479
श्री प्रसन्न आचार्य	479–480
श्री रघुनाथ झा	480–482
श्री खारबेल स्वाईं	482–483
श्री शरद पवार	483–501
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
पश्चिम रेलवे के वडोदरा डिवीजन में साबरमती एक्सप्रैस और मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर	511–514
श्री लालू प्रसाद	512–514
सामान्य बजट, 2005-2006	
अनुदानों की मांगें	
ग्रामीण विकास मंत्रालय	517
श्री निखिलानन्द सर	519–524
श्री एल. राजगोपाल	528–532

विषय		कॉलम
	श्री शैलेन्द्र कुमार	533–536
	श्री सीता राम सिंह	536–541
	श्री इलियास आजमी	541–545
	श्री अनंत गुढ़े	546–549
	श्री जय प्रकाश (हिसार)	550–554
	श्रीमती पी. सतीदेवी	554–557
	श्री एम. अप्पादुरई	557–559
	श्री बापू हरि चौरे	560–562
	श्री मित्रसेन यादव	562–564
	श्री एम. शिवन्ना	564–566
	श्री रामदास आठवले	566–568
	श्री रविन्दर नाइक धारावत	568–569
	श्री जोवाकिम बखला	569–570
	डा. अरुण कुमार शर्मा	570–572
	श्री मधु गौड़ यास्खी	572–574
	श्री शंखलाल माझी	575–576
	श्री निखिल कुमार	576–577
	श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल	577–578
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	579–593
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	595
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	596–602
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	603–604
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	603–604

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल
श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री अजय माकन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

सोमवार, 25 अप्रैल, 2005/5 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

बांडुंग में आयोजित एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, आज से 50 वर्ष पूर्व एशिया और अफ्रीका की पहली पीढ़ी के नेताओं की इंडोनेशिया में 18 अप्रैल से 24 अप्रैल, 1955 तक एक बैठक हुई है और इस बैठक में स्वतंत्रता न्याय और आर्थिक मुक्ति के लिए अपने-अपने देशों की जनता की उत्कंठा को स्वर प्रदान किया गया। यह वास्तव में उचित होगा कि हम उस अवसर की 50वीं वर्षगांठ मनाएं जब उन्मुक्त राष्ट्रों ने अपने हाथों से अपने भाग्य को संवारने की घोषणा की।

वर्ष 1955 में बांडुंग में एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन में भारत के जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्णो और अली सस्त्रोमिजोजो, चीन के चाऊ इन लाई, कम्बोडिया के राजकुमार सिंहानुक, इजिप्ट के नासिर, बर्मा के ऊ नू, थाईलैंड के राजकुमार वॉन और सिलोन के सर जॉन कोटलेवाला जैसे राजनेताओं की विशिष्ट मंडली ने भाग लिया था। उनकी उपस्थिति से सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व बढ़ा। बांडुंग सम्मेलन के स्मरण से हमें उस नैतृत्व का सम्मान करने का मौका मिलता है जिसने एक पूरी पीढ़ी को उपनिवेशवाद की जंजीरों से छुटकारा पाने और आजादी की नयी फिजा में घूमने के लिए प्रेरित किया।

बांडुंग सम्मेलन से ''दशशील'' अर्थात् दस सिद्धांत प्राप्त हुए जिनसे राज्यों के बीच सम्बन्ध कायम करने हेतु हमें एक संहिता प्राप्त हुई। ''दशशील'' शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित है और वह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से जीने हेतु विकासशील देशों के संकल्प को उजागर करता है।

बांडुंग सम्मेलन ने एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों में एकता की भावना को जन्म दिया और इस भावना के चलते इन राष्ट्रों ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध मिल-जुलकर लड़ाई शुरू की। बांडुंग सम्मेलन से ही दक्षिण-दक्षिण सहयोग और गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्त पनपे। बांडुंग से ही वर्ष 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रेरणा मिली और परिणामस्वरूप अफ्रीकी एकता संगठन का गठन हुआ। बांडुंग की भावना से उपनिवेशवाद की पराजय हुई और अंततः रंगभेद की विभीषिका का अंत हुआ।

बांडुंग की भावना अभी भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 50 वर्ष पहले थी और इसे पुनः सुदृढ़ किया जाना चाहिए। बांडुंग सम्मेलन की स्वर्ण जयन्ती से विकासशील देशों के बीच उस भागीदारी का नवीकरण होना चाहिए जो सम दृष्टिकोण, विचार, एकता, सामान्य स्वामित्व और पारस्परिक सम्मान पर आधारित है। इससे दक्षिण के देशों को शक्ति की असमानता की समस्या का प्रभावी समाधान करने में सहायता मिलेगी जो अभी भी व्याप्त है और इससे वैश्विक आर्थिक संबंधों के लाभों का बराबर बंटवारा सुनिश्चित हो जाएगा। मूल बांडुंग सम्मेलन के निर्णायक सूत्रधार के रूप में भारत को इसकी महान भावनाओं को पुनर्स्थापित करने में नेतृत्व प्रदान करना चाहिए ताकि हम एक अत्यंत बदली हुई और अत्यंत शीघ्रता से बदल रही दुनिया द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का मिल-जुलकर सामना कर सकें। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि बांडुंग में ऐतिहासिक एशिया-अफ्रीका सामरिक भागीदारी समझौते के हस्ताक्षर समारोह में पूरे एशिया की ओर से बोलने के लिए भारत के प्रधान मंत्री को चुना गया।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, लालू जी के ऊपर गुजरात में जानलेवा हमला हुआ। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं इस बारे में जानता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सुशील जी, मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मोदी जी, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें दोनों तरफ के सदस्य उठाना चाहते हैं। मैं एक-एक करके हर पार्टी को अवसर दूंगा ताकि हम सभा को चला सकें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): अध्यक्ष महोदय, लालू जी के ऊपर जो हमला हुआ, उसे लेकर गुजरात सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। *...(व्यवधान)* गुजरात सरकार द्वारा इस हमले की जांच के लिए जो समिति गठित की गई है, वह मामले को रफा-दफा करने के लिए की गई है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: रघुनाथ जी, मैं आपको अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभी से मेरी यह अपील है कि उचित तरीके से आपस में व्यवहार करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, रांची कोर्ट ने लालू प्रसाद जी के ऊपर जालसाजी, धोखाधड़ी के *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल के पश्चात।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: संवैधानिक तौर पर उनका मंत्री पद पर बने रहना बिल्कुल निरर्थक है। *...(व्यवधान)* उनको मंत्री बनाए रखने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इसे प्रश्न काल के पश्चात लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी भी सदस्य की भावनाओं को कम करके नहीं आंक रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इस मामले के महत्व को कम नहीं कर रहा हूं। कृपया, अपने-अपने स्थानों पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम आपको बोलने का मौका देंगे। आप अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप स्पीकर को बोलने नहीं देंगे, तो कैसे चलेगा। आप स्पीकर को बोलने दीजिए। अगर आप ही सब कुछ तय कर लेंगे तो चेयर को छोड़ दीजिए, चेयर को उठा दीजिए। आप सुनिए। हमें बोलने का मौका तो दीजिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, कृपया अपने स्थान पर जाइए। ऐसा न करें।

[हिन्दी]

हम उनको भी बोल रहे हैं। क्या आप सुनेंगे? यह क्या बात है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव मैंने अनुमति दे दी है। श्री लालू प्रसाद दोपहर में आ रहे हैं। जब वह बोलेंगे तो मैं देखूंगा कि वह क्या वक्तव्य देते हैं। मैं सरकार से भी वक्तव्य देने के लिए कह सकता हूं। लेकिन पहले इसे हम निपटाएं जब तक उनके द्वारा वक्तव्य नहीं आ जाता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, आप ऐसा प्रश्न काल के बाद कर सकते हैं। मैं आपको अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उन्हें तुरंत इस्तिफा दे देना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, स्टेटमेंट देने का सवाल नहीं है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 401

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हमने आलरेडी बोला है। प्रश्न काल के बाद देखेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आप सबका कृतज्ञ हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि *...(व्यवधान)* हम कैसे चलने देंगे *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं जानता कि किसके हित में यह किया जा रहा है। आपके विचार नहीं सुने जा रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपके विचार नहीं सुने जा रहे हैं क्योंकि कोई नहीं सुन सकता है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री हैं। हम अपील कर रहे हैं कि आप जो कुछ बोलेंगे और किसी को सुनने नहीं देंगे तो रिकार्ड भी नहीं होगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे कुछ इस तरह से बोलने का अनुरोध कर रहा हूं जिसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाएगा। आपको अन्य प्रत्येक का उचित उत्तर देना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको इसे नहीं उठाना चाहिए। मैंने कहा है कि मैं उसकी अनुमति दूंगा लेकिन उचित समय पर।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: सरकार का जवाब अभी तक नहीं आया और पूरी घटना की जानकारी भी नहीं है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सरकार आज ही जवाब देगी। यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, यह ठीक नहीं है कि किसी पर हमला करवा दीजिए ...*(व्यवधान)* ऐसी सरकार क्या काम करेगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात सही ढंग से नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सुशील कुमार मोदी, इसे मत दिखाएं। यह नियमों के विरुद्ध है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग एक मिनट मुझे बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, मैं जो बोल रहा हूं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। अभी कुछ मत कहें।

सभा के सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया यह देखें कि आप जो भी कह रहे हैं वह लोगों तक पहुंचता है। यहां तक कि इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। मैं रिपोर्टरों पर दोष नहीं मढ़ सकता हूं। वे कैसे कुछ रिपोर्ट कर सकते हैं? यहां तक कि मैं भी आपको नहीं सुन पा रहा हूं।

परसों मैं इन्दौर में था और एक सभा में एक वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी ने मुझसे कहा, ''जब मैं सभा में ऐसा कुछ होते देखता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्या हमने इसी दृश्य के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी?'' मैंने कहा, मैं इस बारे में सभा के माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा। एक बहुत ही वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी ने कहा ''इस स्थिति को देखकर मैं रो पड़ता हूं।''

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं आपसे तहेदिल से निवेदन करता हूं, यदि मैंने आपको बोलने से रोका था, तो आप उसको उठा सकते थे। मैंने कहा, मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया बारी-बारी से बोलें, अपनी बारी आने दें और उसके लिए उचित समय है। मैंने पहले ही कुछ चीजों का उल्लेख किया है। प्रश्न काल महत्वपूर्ण है। इसके बाद, यदि आपको मैं रोकूं तो आप कह सकते हैं कि हम सभा के बीचोबीच आ रहे हैं।

मैं सभा के सब लोगों से हार्दिक निवेदन करता हूं कि प्रश्न काल समाप्त होने दें। हमने पहले ही इसमें 15 मिनट का समय गंवा दिया है। कई मुद्दे हैं। मैं उनकी महत्ता को कम नहीं कर रहा हूं। आपके पास अपने विचार हैं और उनके अपने विचार हैं तथा मुझे यकीन है सरकार किसी समय इसका उपयुक्त जवाब देगी। इसलिए क्या मैं आपकी अनुमति से अब प्रश्न काल शुरू कर सकता हूं।

प्रश्न संख्या 401—श्री सुव्रत बोस।

श्री सुव्रत बोस (बारासाट): प्रश्न संख्या-401

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, फ्रीडम फाइटर्स ने टैंटड मिनिस्टर्स के लिए कुर्बानी नहीं दी थी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

देवेन्द्र प्रसाद जी, मैं आपकी भावना को कम करके नहीं आंक रहा हूं। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं आपको उचित समय पर बोलने की अनुमति दूंगा। धन्यवाद। मैं आप सबका कृतज्ञ हूं। यह आपकी सभा है।

माननीय इस्पात मंत्री जवाब देंगे।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष जी, हम लोगों के प्रश्न का जवाब कब होगा? हम लोगों ने उस दिन सदन में इस प्रश्न को पूछा था लेकिन सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप सरकार से इसका जवाब मांगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनसे पहले ही पूछा है। वे वक्तव्य देंगे लेकिन आपके अनुसार नहीं। उचित समय पर दिन में किसी समय वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्ण (बाढ़): सरकार कितने दिन तक जवाब देगी?

अध्यक्ष महोदय: सरकार आज ही जवाब देगी।

श्री राम कृपाल यादव: सरकार रैस्पौंड नहीं कर रही है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है, ठीक नहीं है। आप बैठिये। आप जानते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: शीघ्र प्रतिक्रिया नहीं हो सकती।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इनके बोलने से आपको क्या फर्क पड़ा है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप उनके वक्तव्य से बाध्य हैं? उन्हें कहने दीजिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: ये इतने बड़े * पर स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसे छोड़िये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया उसे हटा दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम उचित व्यवहार करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सुशील जी, आप बैठिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सभी जिम्मेदार सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष जी, जब 21 अप्रैल को रेल मंत्री जी पर गुजरात में जान लेवा हमला किया गया, उस समय सरकार ने रैस्पौंड किया था *...(व्यवधान)* सरकार ने सदन में कहा था कि इसका जवाब शाम को होगा लेकिन 21 अप्रैल के बाद आज तक सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया है *...(व्यवधान)* मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि इसका जवाब दिया जाये *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही घोषणा की है कि सरकार दिन में किसी समय अपना वक्तव्य देगी लेकिन आप इंतजार क्यों नहीं कर सकते हैं? आपके पास कोई सरल समाधान था बना-बनाया समाधान नहीं पा सकते है। दोनों मामले उठाना चाहते हैं। दोनों तरफ की अपनी-अपनी भावनाएं हैं। पत्रों से यह पता चलता है कि सभी पक्षों की अलग-अलग राय है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: उस दिन तो हाउस एडजर्न हो गया था।

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, चार-पांच दिन से यह मामला चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय: तीन दिन तो हाउस बंद रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट आ जायेगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। अब माननीय इस्पात मंत्री अपना भाषण देंगे।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, आप हम सबके संरक्षणकर्त्ता हैं। आप सभी मैम्बर्स का संरक्षण करने वाले हैं। ...*(व्यवधान)* हर मेम्बर आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि किसी मैम्बर के साथ ऐसा हो जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम आपका भी संरक्षण करेंगे, लालू जी का भी करेंगे और इन लोगों का भी करेंगे। यह हमारा दायित्व है।

श्री राम कृपाल यादव: हमारी सुरक्षा और रक्षा का दायित्व आपके ऊपर है। हाउस का कोई मैम्बर किसी स्टेट में जाए और वहां उस पर हमला हो जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप हमें मौका दीजिए। यह सही नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राम कृपाल जी, मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया संसद जैसी संस्था को बर्बाद न करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीटों पर जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस महान संस्था को बर्बाद न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया भारतीय संसद को बर्बाद न करें।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या हो रहा है। यहां शाउटिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप बैठिये। आप स्पीकर के लिए कोई मिनिमम कर्ट्सी नहीं दिखाते हैं। हम आपसे रिक्वैस्ट करते हैं। हमने बोला है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: छोड़िये, उनके कहने से क्या होगा। हम उन्हें बैठाने की कोशिश करते हैं तो आप लोग शुरू कर देते हैं और आपको बैठाने की कोशिश करते हैं तो वे लोग शुरू कर देते हैं।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): सर, सत्ता पक्ष के लोग क्या कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस संस्था को बर्बाद न करें। मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। कृपया ऐसा न करें। यदि मैंने किसी को रोका होता तो आप शिकायत कर सकते थे। मैंने कहा है कि मैं आपको माननीय रेल मंत्री के यहां आकर वक्तव्य देने के पश्चात् बोलने की अनुमति दूंगा। उन्होंने मुझे बताया है कि वह सुबह नहीं आ सकते। यदि वह नहीं आ सकते तो नहीं आ सकते। यदि वह दोपहर को आ जाते हैं तो मैं उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दे दूंगा और फिर आप चर्चा कर सकते हैं। मैं सरकार से इस पर प्रतिक्रिया देने का अनुरोध करूंगा। परन्तु जब तक ऐसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं किया जा सकता। कोई समाधान नहीं हो सकता। अंत में सदन के सभी ओर सभी दलों के माननीय नेताओं से सदन की मर्यादा भंग न करने का अनुरोध करता हूं। मेरी आप सभी से यह प्रार्थना है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, आपको उनके खिलाफ लगाया गया आरोपों के संबंध में सरकार को अपना वक्तव्य देने के लिए कहना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उनके खिलाफ जो चार्जेज हैं, उसके बारे में सरकार बयान दे। ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): ये सब गलत एफिडेविट देने वाले लोग हैं, इन्होंने गलत एफिडेविट दिया था ...*(व्यवधान)* ये वे लोग हैं, जिन्हें देश की परवाह नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये, नहीं तो अभी नोटिस मिल जायेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है माननीय इस्पात मंत्री अब प्रश्न 401 का उत्तर दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष जी, हमने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था, उसका कुछ भी उत्तर नहीं आया? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह तो स्थगित हो गया। स्थगित करा दिया। उसे छोड़िये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 401 सेल पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे पूरे सदन के सभी सदस्यों का ध्यान रखना होता है। यह प्रक्रिया नियम के अनुसार ही किया जाएगा। मुझे सदन का संचालन करने दें। मैं किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध नहीं हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: हम लोगों का उत्तर नहीं आया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अभी उत्तर कैसे मिलेगा। माननीय रेल मंत्री को यहां आने दें। उनकी बात सुनने के बाद ही हम यह करेंगे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: सरकार यहां बैठी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सरकार उनकी बात सुनने के बाद जवाब देगी। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: रेल मंत्री ने मुझसे दोपहर के भोजन के बाद समय मांगा है। मैं उनके आने का इन्तजार कर रहा हूं। अब माननीय इस्पात मंत्री प्रश्न 401 का उत्तर देंगे।

धन्यवाद। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ऐसी भावना होनी चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव फिर मैं आपसे इधर बैठने के लिए कहुंगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: एक मिनट हमारी बात सुनिये। 21 अप्रैल को सरकार की तरफ से सदन को आश्वस्त किया गया था कि सरकार जवाब देगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, आप छोड़िये। सुशील जी, आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: 21 अप्रैल को इसी सदन में यह सवाल उठा था जिस समय राहत कार्यों का जायजा लेने गए लालू जी पर हमला हुआ ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आप खड़े क्यों हो रहे हैं?

..*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: यह आपका स्थान भी नहीं है। कृपया अपने स्थान पर जाएं। मैंने कहा है कि मैं माननीय रेल मंत्री के आने और वक्तव्य देने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि सरकार उचित प्रतिक्रिया देगी। मैंने यह पहले ही कहा है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: जब कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या स्टेटमैंट देंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्यों बोले जा रहे हैं? हम आप लोगों को बुलाएंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हर कोई इसे अपनी तरह से सदन को चाहता है। नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। कार्यविधि का कोई महत्व नहीं है। आज संसद का किसी व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं है। आप इस प्रश्न का फैसला सभा में ही करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: पार्लियामैंट बंद हो जाएगी तो क्या संविधान ब्रेक हो जाएगा? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, पार्लियामैंट बंद कर दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अब मैं यह देखूंगा कि कौन व्यवधान डाल रहा है। मैं नोट करता रहूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप अपने स्थान पर जाएं। यदि आप अपने स्थान पर नहीं जाएंगे तो मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी। यह कोई गीदड़ भभकी नहीं है। मैं कार्यवाही करूंगा। मेरी हर तरफ नजर है।

केवल माननीय इस्पात मंत्री के वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किए जाएंगे।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री सुव्रत बोस, कृपया अपना पहला अनुपूरक प्रश्न पूछें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग प्लीज बैठ जाइए। आप छोड़िये। क्या हुआ है आपको? कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। आपकी बात और उनकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

*...(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जो आपका आदेश है, वह हमें स्वीकार्य है। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि 21 अप्रैल को सरकार ने कहा था कि वह सदन को सूचना देगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे आज अपनी बात कहेंगे, मैं कह चुका हूं। श्री सुव्रत बोस अपना पहला अनुपूरक पूछें।

श्री सुव्रत बोस: महोदय, माननीय मंत्री ने *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हर रोज बारी-बारी से मैं सभी नेताओं को पीठासीन करूंगा। आपको यहां हर पन्द्रह मिनट में बैठना होगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: हमने सदन का ध्यान आकृष्ट करवाया था। उसका कोई नतीजा नहीं निकला?

अध्यक्ष महोदय: सदन का ध्यान आकृष्ट हो गया।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, आपके रहते हमें जवाब नहीं मिला। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप चाहते नहीं कि सदन चले?

[अनुवाद]

क्या आप इस सदन को चलने देना नहीं चाहते? मैं जानना चाहता हूं कि आप अब सदन को चलने देना चाहते हैं या नहीं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: हम चाहते हैं कि यह सदन चले। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपने स्थान पर जाएं और बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हां, आप बैठ जाइए। आप यहां सबके परामर्शदाता नहीं हैं। आपको मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है। आप बैठ जाइए। यहां सभी स्व-नियुक्त अध्यक्ष हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, इसे हल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: इसे हल्के ढंग से नहीं लिया जा रहा है।

[अनुवाद]

यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप अध्यक्षपीठ के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मैंने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। माननीय मंत्री ने स्वयं मुझसे भोजनावकाश के बाद बोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया है क्योंकि वे यहां नहीं हैं। मैंने उन्हें अनुमति दे दी है। मैंने सरकार से कुछ उत्तर देने को कहा है। इससे अधिक अध्यक्षपीठ और क्या कर सकती है? तब भी आप सदन चलने देना नहीं चाहते हैं। माननीय मंत्री यहां नहीं हैं। अब जवाब क्या होगा? यह अलग बात है। किन्तु उन्हें वक्तव्य देने दीजिए। सरकार को उसका जवाब देने दीजिए। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? मैं केवल इतना कह रहा हूं कि आप ऐसे हालात बनाए जिसमें हम सारी चर्चाएं कर सकें। अतएव, कोई शंका मत रखिए, मैं किसी को बोलने से रोकने वाला नहीं हूं।

हां, माननीय मंत्री महोदय।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.26 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

"सेल" का वित्तीय निष्पादन

***401. श्री सुव्रत बोस:**
श्री राजेन गोहेन:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा देश में स्थापित किए गए संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन संयंत्रों ने संयंत्रवार कितना लाभ अर्जित किया और उन्हें कितनी हानि हुई;

(ग) क्या सरकार ने विगत में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को हुई भारी हानि की जांच करने के लिए किसी जांच आयोग का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा 'सेल' को एक लाभ कमाने वाला उद्योग बनाने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार ने कोई नीति बनाई है जिससे भविष्य में 'सेल' को ऐसी हानि न हो; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (छ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के नियंत्रणाधीन इस्पात संयंत्रों का राज्य-वार और स्थान-स्थिति-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	इस्पात संयंत्र का नाम	स्थान-स्थिति
1.	भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी)	भिलाई, छत्तीसगढ़
2.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी)	दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल
3.	राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी)	राउरकेला, उड़ीसा
4.	बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल)	बोकारो, झारखंड
5.	मिश्र इस्पात संयंत्र (एएसपी)	दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल
6.	सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी)	सेलम, तमिलनाडु
7.	विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसपी)	भद्रावती, कर्नाटक

उपर्युक्त के अलावा सेल की दो सहायक कंपनियां हैं:

क्र.सं.	इस्पात संयंत्र का नाम	स्थान-स्थिति
1.	इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को)	बर्नपुर, पश्चिम बंगाल
2.	महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मैल्ट लिमिटेड (एमईएल)	चंद्रपुर, महाराष्ट्र

(ख) 2000-01 से 2004-05 के 9 माह में कंपनी का संयंत्र-वार कर पूर्व लाभ/हानि निम्नानुसार है:

इस्पात संयंत्र का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (9 माह)
भिलाई इस्पात संयंत्र	342	477	735	9132	2366
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	(-)236	(-)262	(-)247	81	475
राउरकेला इस्पात संयंत्र	(-)445	(-)1036	(-)593	(-)109	554
बोकारो इस्पात संयंत्र	49	(-)459	311	1120	2251
मिश्र इस्पात संयंत्र	(-)184	(-)149	(-)180	(-)172	(-)51
सेलम इस्पात संयंत्र	(-)155	(-)153	(-)119	2	3
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट	(-)68	(-)103	(-)136	(-)82	(-)37
सेल	(-)729	(-)1707	(-)316	2629	5739
इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लि.	(-)187	(-)180	(-)182	27	111
महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मैल्ट लिमिटेड	(-)18	(-)8	1	6.50	55

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकार द्वारा कोई जांच आयोग गठित नहीं किया गया है क्योंकि सेल का कारोबार संबंधी निष्पादन इस्पात कारोबार की चक्रीय प्रकृति को दर्शाता है। सेल का समग्र लाभ 1995-96 में 1319 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर था। इसमें 1996-97 से गिरावट शुरू हो गई और अर्थव्यवस्था में मंदी के चलते इस्पात की खपत में ठहराव तथा इस्पात की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के रूख से घरेलू बाजार में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई निवल बिक्री प्राप्ति, घरेलू बाजार में आवश्यकता से अधिक आपूर्ति की स्थिति और जनशक्ति की अधिक लागत आदि के कारण 1998-99 के 2001-02 दौरान सेल को हानि हुई।

(ङ) सेल संयंत्रों/इकाइयों की लाभप्रदता में सुधार के लिए उठाए जा रहे प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं:

* गहन लागत नियंत्रण अभियान
* स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वीआरएस) का कार्यान्वयन
* बाजारोन्मुखी उत्पाद मिश्र
* नए निवेश प्रस्तावों पर प्रतिबंध
* सेल की लाभप्रदता में सुधार करने और संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने फरवरी, 2000 में सेल की वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना को मंजूर किया था।

(च) और (छ) लाभप्रदता अनेक प्रौद्योगिक-आर्थिक तथा बाजार घटकों पर निर्भर करती है। तथापि, सेल ने अपनी लाभप्रदता में सुधार करने के लिए जनशक्ति में कमी, श्रम और धमन भट्टी उत्पादकता में सुधार, ऊर्जा लागत और वित्तीय लागत में कमी जैसे अनेक उपाय किए हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन बार स्टेटमैंट दे दी है।

अध्यक्ष महोदय: मैं हर सदस्य को 15 मिनट का समय एलाव करूंगा।

[अनुवाद]

श्री सुव्रत बोस (बारासाट): महोदय, माननीय मंत्री ने सदन में तथा इसके बाहर भी आश्वासन दिया था कि सेल की दो अनुषंगी कंपनियों, जिनका नाम इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड, बर्नपुर, पश्चिम बंगाल है, का सेल में विलय कर दिया जाएगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अब तक उनके आश्वासन को क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया है। इस विलम्ब के क्या कारण हैं? हम कब तक इस विलय के होने की उम्मीद करें?

अध्यक्ष महोदय: आप वित्तीय कार्यनिष्पादन के बारे में पूछिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उस दिन भी कालिंग एटेंशन के जवाब में सदन के अंदर बताया था कि सेल के बोर्ड और इस्को के बोर्ड, दोनों ने निर्णय ले लिया है और कैबिनेट में पेपर सर्कुलेट कर दिया गया है। हमने निर्णय लिया है कि अगर 10 मई तक मंत्रालय की तरफ से जवाब नहीं आएगा तो हमें उसे सीधे कैबिनेट में ले जाएंगे और कैबिनेट में पास होने के बाद सारी फारमेलिटीज एक-दो दिन में पूरी कर ली जाएंगी।

[अनुवाद]

श्री सुव्रत बोस: महोदय प्रश्न के उत्तर में पैरा (50) के अंतर्गत माननीय मंत्री ने हमें बड़ी उदारता से बताया है कि सेल के लाभ को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मैं बिन्दु सं. 3 का उल्लेख कर रहा हूं जिसमें बाजारोन्मुखी उत्पादों का जिक्र है। सेल की लाभप्रदता मुख्यत: और बड़े पैमाने पर निर्यात पर निर्भर करती है। मुझे पता चला है कि अप्रैल 2004 से दिसम्बर, 2004 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष निर्यात में गिरावट आयी है। अत: मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें बताएं कि इस्पात की बिक्री के लिए विदेश में सक्रिय विपणन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं? इस मामले में वह क्या कदम उठा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, जहां तक निर्यात का सवाल है हमने पालिसी बनाई है कि हम निर्यात उन्हीं वस्तुओं का करेंगे जो हमारी घरेलू खपत को पूरा करने के बाद उपलब्ध हों। हमारी जो आंतरिक घरेलू खपत है, उसे हम पहले पूरा करेंगे। अगर हम वस्तुओं का निर्यात करते चले जाएं तो वह उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का विषय बन सकता है, इसलिए हमने हिदायत दी है कि हम पहले घरेलू खपत को पूरा करेंगे, उसके बाद वस्तुओं का एक्सपोर्ट करेंगे। इसी कारण से कुछ चीजों के निर्यात में कमी आई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, श्री राजेन गोहेन-उपस्थित नहीं हैं।

श्री ब्रह्मानंद पंडा: महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि चूंकि उड़ीसा लौह अयस्क के मामले में समृद्ध है और यह चीन तथा विश्व बाजार में लौह आयस्क का निर्यात कर रहा है, अत: सेल को राउरकेला में अनवरत लाभ हो रहा है। यह अत्यधिक लौह अयस्क का निर्यात कर रहा है। क्या लौह अयस्क के भारी भण्डार के मद्देनजर पारादीप या मेरे राज्य में किसी अन्य भाग में एक दूसरा इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी कहा कि जो हमारा स्टील का उत्पादन है, आप भी जानते हैं कि वह 38 मिलियन टन है और हमारा टारगेट वर्ष 2020 तक इसे 110 मिलियन टन करने का है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर दोनों ही काम कर रहे हैं। इस समय पब्लिक सैक्टर में 32 प्रतिशत और प्राइवेट सैक्टर में 68 प्रतिशत स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है। इसलिए सरकार नया प्लांट लगाने से पहले उसकी सारी वाएबिलिटीज को देखना चाहेगी। चूंकि हमारा स्टील उद्योग काफी क्राइसिस में चल रहा था, अभी दो-तीन साल से मुनाफा हुआ है और अच्छा मुनाफा हो रहा है, इसलिए हम मुनाफे को इस ढंग से लगाना चाहते हैं, जिससे भविष्य में कोई क्राइसिस उत्पन्न नहीं हो।

जहां तक प्राइवेट सैक्टर का सवाल है, उसे जितने भी असिस्टेंस की जरूरत है, हम हमेशा देते रहते हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। जिस संबंध में माननीय सदस्य ने कहा है, उस संबंध में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन फिर भी यदि कोई प्रपोजन आएगा, तो देखा जाएगा।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव: माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में यह देखने को मिलता है कि 'सेल' के कई संयंत्र वर्ष 2003-04 से घाटा उठा रहे हैं। देश में यह आशंका व्याप्त है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अकुशलता के कारण निजी क्षेत्र लाभ की स्थिति में हैं जिससे उनको बहुत लाभ हो रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपना सवाल पूछिए।

श्री के.एस. राव: हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि इस्पात विनिर्माण और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बीच एक चक्र है किन्तु फिर भी मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि निजी क्षेत्रों की तुलना में सेल द्वारा इस्पात उत्पादन लागत कम है अथवा अधिक।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, अभी हमने इस बारे में डिटेल्ड और प्लांट-वाइज अध्ययन नहीं किया है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पब्लिक सैक्टर इंडस्ट्री के सामने दो समस्याएं होती हैं—एक तो कंपनी को चलाना होता है और दूसरे पब्लिक वैलफेयर को भी देखना होता है। प्राइवेट सैक्टर के सामने एक ही काम होता है कि किसी भी तरह मुनाफा कमाए। इसलिए प्राइवेट सैक्टर में प्लांट-वाइज प्रोडक्शन कास्ट बहुत कम होती है।

हमारी पब्लिक सैक्टर इंडस्ट्रीज में मैन-पावर बहुत थी और हर साल वी.आर.एस. देकर के मैन-पावर को कम किया जा रहा था, लेकिन जब से मैंने इस मंत्रालय का भार संभाला है, मैंने वी.आर.एस. देना बन्द कर दिया है। स्वाभाविक है कि जितनी मैन-पावर घटती जाएगी, उतना प्राफिट बढ़ता जाएगा। यह कार्य ज्यादातर प्राइवेट सैक्टर में चलता है जिससे उनकी कास्ट आफ प्रोडक्शन कम होती है। इसलिए कास्ट आफ प्रोडक्शन का कम या ज्यादा होना, इन सब चीजों पर निर्भर होता है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, आप प्रश्न काल निलंबित कराना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि स्टील इंडस्ट्री में 1995-96 के बाद लगातार घाटा हो रहा था और उन्होंने 2000-01 तक का ब्यौरा दिया है। उसके बाद कोई ब्यौरा नहीं दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो घाटा हुआ, उसकी समीक्षा उन्होंने की होगी, उसके कारण भी उन्होंने बताए, लेकिन इस उद्योग के उत्थान के लिए उन्होंने जो पूंजी लगाई, उस पूंजी के अनुपात में कितना सुधार और कितने प्रतिशत मुनाफा हुआ और कितने प्रतिशत सुधार और मुनाफे का मंत्री जी अंदाजा लगा रहे थे?

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, जो स्टील इंडस्ट्री है, वह ओपन सैक्टर की इंडस्ट्री है। इसमें मुनाफा और घाटा इंटरनैशनल मार्केट के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे जितने भी स्टील प्लांट हैं, वे अपनी 100 प्रतिशत से ज्यादा कैपेसिटी को क्रास किए हुए हैं और हमारे सारे के सारे स्टील प्लांट मुनाफे में चल रहे हैं—सिर्फ एलाय और

एक-दो प्लांट्स को छोड़कर, जिनमें कुछ घाटा था। हमने इस मार्च तक उनका रिव्यू किया था। पिछले साल यानी मार्च 2004-05 में हमारा कोई भी ऐसा स्टील प्लांट नहीं है जिसमें घाटा हो, बल्कि सारे के सारे मुनाफे में हैं।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि सेल का लाभ चक्रवत् है; कभी यह बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है। चक्रवत् का यही अर्थ है। किन्तु उन्होंने जो वक्तव्य दिया है उसमें दर्शाया गया है कि गत दो वर्षों में लाभ बढ़ा है। मंत्री महोदय से मेरा सीधा सवाल यही होगा। आने वाले वर्षों में सेल की लाभप्रदता का अनुमान क्या है? क्या कोई अध्ययन किया गया है? क्या आप सोचते हैं कि सेल के लाभ को बनाया रखा जाएगा या और यह उच्च दर से बढ़ेगा जिससे इस्पात संयंत्रों को और आधुनिक बनाने तथा इस्को को सेल का अंग बना कर उसका पुनरुद्धार करने के आपके प्रस्ताव के लिए पर्याप्त संसाधन प्राप्त होंगे?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के तीन पाट्र्स हैं। इन्होंने एक पार्ट में कहा है कि हमारा जो प्रोफिट होता है, वह लगातार चलेगा या नहीं। जैसा मैंने कहा कि यह इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। हमारा प्रोडक्शन उतना ही रहता है, हमारे वर्कर्स उतनी ही मेहनत से काम करते हैं,लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट आती है तो हमारे यहां भी गिरावट आ जाती है और जब वहां अच्छा होता है तो यहां भी अच्छा होने लगता है। जहां तक माडर्नाइजेशन का सवाल है, हमारे पास इसका प्लान है। हमने निर्णय लिया है कि हम सन् 2011-12 तक सेल में 29 हजार करोड़ रुपया इनवेस्ट करेंगे। आरआईएनएल ने भी कहा है और हमारे दूसरे पब्लिक अंडरटैकिंग्स ने भी 9,000 करोड़ का प्लान बनाया है। जहां तक इस्को का मामला है, उसने 111 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, लेकिन अगर उनके पुराने खर्चों को देखा जाए, तो उनमें ज्यादा मुनाफा नहीं है। यदि इस्को का सेल के साथ मर्जर हो जाता है तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। जहां तक माडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन और न्यू टैक्नोलाजी का सवाल है, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: क्या विलय के संबंध में कोई अनिश्चितता है?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: जिस दिन मर्जर हो जाएगा, सेल और इस्को एक हो गया, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: क्या विलय का निर्णय अंतिम रूप से लिया गया है?

श्री राम विलास पासवान: हां, यह अन्तिम निर्णय है।

[हिन्दी]

हम आपको कितनी बार कहते हैं, घर में कहते हैं, बाहर कहते हैं और यहां भी अलग से कहते हैं। ...*(व्यवधान)* मैंने कहा कि अब सेल का प्रोफिट 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है और हमें उम्मीद है कि अगली बार इससे भी ज्यादा होगा।

श्री नारायण चन्द्र खरकटकी: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आज से 15 साल पहले असम में जब वीरेन्द्र वैश्य जी मंत्री थे तब वहां एक स्टील मिल की शुरूआत हुई थी। वह मिल अभी वहां वैसे ही पड़ी है या बंद हो गई है। अगर आप उसके बारे में हमें कोई जानकारी दे सकें, तो अच्छा होगा?

अध्यक्ष महोदय: यह सप्लीमैंटरी मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[अनुवाद]

यह वास्तव में मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: हमें मालूम नहीं है कि आप किस मिल के संबंध में कह रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप पता लगाइए और इन्हें बताइए।

श्री राम विलास पासवान: मैं पता लगाऊंगा।

श्री सुनील खां: यह कहा गया है कि सेलम इस्पात संयंत्र का पुनरुद्धार करने के लिए 'सेल' बैकवर्ड इंटीग्रेशन शुरू करने वाला है। सेलम इस्पात संयंत्र और एलाय इस्पात संयंत्र इन दोनों के बीच समझौता है। अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं

कि क्या एलाय इस्पात संयंत्र के मामले में सेल 'फारवर्ड इंटीग्रेशन' शुरू करने जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय: यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: हमने एलाय स्टील प्लांट के रिवाइवल के लिए पैसा दिया है और उसके कारण हमारे साउथ के साथियों को सेलम स्टील प्लांट को लेकर काफी दुख लगना स्वाभाविक है कि आप एलाय को क्यों दे रहे हैं, सेलम में क्यों नहीं कोई प्लांट लगा रहे हैं, क्योंकि अलाय भी घाटे में चल रहा था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब वह मुनाफे में आ गया है। हमारी दृष्टि यह है कि हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, उन सब को आगे बढ़ने का मौका मिले। अभी हर प्लांट प्रोफिट कर रहा है और उनमें जहां भी जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हम वहीं पैसा लगाना चाहते हैं, जहां पैसे का सदुपयोग हो सके। ऐसा न हो कि सिर्फ पैसा लगाने के लिए ही पैसा लगाया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुनील खां: महोदय, सेलम इस्पात संयंत्र और एलाय इस्पात संयंत्र दोनों के बीच समझौता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ब्यौरे की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि सभी प्लांट्स काफी नफा कमा रहे हैं। जिस तरह पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद इनफ्लेशन बढ़ जाता है, क्या इन्होंने लास और प्रोफिट के लिए कोई ब्रेक थ्रू की स्टडी कराई है या खाली दाम बढ़ने के कारण नफा हुआ है? जब दाम लगातार बढ़ते रहेंगे तो क्या उन्हें रोकने के लिए भी सरकार कोशिश कर रही है या नहीं? अगर हर रोज नाफ बढ़ेगा, तो इनफ्लेशन बढ़ रहा है, इसके लिए स्टील मिनिस्ट्री क्या कर रही है?

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, यह बात गलत है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं कि स्टील के दाम हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरे पास स्टील के दामों के हरेक वर्ष के अलग-अलग आंकड़े हैं। ...*(व्यवधान)* मेरे पास तीन साल के आंकड़े हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 11 महीने में, जब से मैं स्टील मंत्री बना हूं, तब से स्टील के दाम स्टेबल रहे हैं। मैंने एक बार कड़े कदम उठाने की भी घोषणा की थी, लेकिन आप जानते हैं कि कभी-कभी तो दाम बढ़ेंगे ही।

जैसे हमें दो रॉ मैटीरियल चाहिए, एक रॉ मैटीरियल आयरन ओर चाहिए और दूसरा रा मैटीरियल कोकिंग कोल चाहिए। कोकिंग कोल का दाम विगत समय में इण्टरनेशनल मार्केट में 125 परसेंट बढ़ गया और हमें 13 मिलियन टन कोकिंग कोल चाहिए। इस 13 मिलियन टन में से, हमें देश में केवल चार मिलियन टन कोकिंग कोल मिलता है, बाकी नौ मिलियन टन हम बाहर से मंगाते हैं। इसी तरीके से आयरन ओर का दाम भी 71 परसेंट बढ़ गया है। आयरन ओर का दाम 71 परसेंट बढ़ा है और कोकिंग कोल का दाम 125 परसेंट बढ़ गया है। अब हम इसे मोनीटर कर रहे हैं।

हमारे पास दाम बढ़ाने के लिए जब प्रस्ताव आया तो हमने उसमें केवल सात परसेंट की मंजूरी दी है और वह भी अभी अप्रैल के महीने में। बीच में तो हमने दाम घटाया भी था। प्राइवेट सैक्टर वालों के ऊपर हमारा कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि आप दाम घटाओ, नहीं तो हम रैगुलेटरी एथारिटी लाने का काम करेंगे। इससे दाम घटा। अब पहली अप्रैल से दाम सात परसेंट बढ़ा है और वह इसलिए बढ़ा है, क्योंकि रॉ मैटीरियल्स के दाम इण्टरनेशनल मार्केट में काफी बढ़ गये हैं।

[अनुवाद]

संदूषित भू-जल

***402. श्री अधीर चौधरी:**
श्री निखिल कुमार:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के भू-जल में काफी मात्रा में नाइट्रेट और आर्सेनिक का संदूषण है जिससे आमाश्य का कैंसर और अन्य रोग हो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यों और केन्द्रीय भू-जल बोर्ड की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी विशेषज्ञता की मदद से भू-जल को नाइट्रेट और आर्सेनिक-संदूषण से मुक्त करने हेतु कोई ठोस कार्य योजना शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्थलों में भूजल संसाधन में नाइट्रेट की मात्रा 45 एमजी/एल की वांछनीय मात्रा से अधिक और आर्सेनिक की मात्रा 0.05 एमजी/एल की वांछनीय मात्रा से अधिक होने की सूचना दी गई है। राज्य-वार ऐसे जिलों की सूची, जिनके हिस्से भूजल में अधिक नाइट्रेट और अधिक आर्सेनिक से प्रभावित है, संलग्न अनुबंध-1 में दी गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पेयजल गुणवत्ता के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों के अनुरूप ये उदाहरण मनुष्यों में नाइट्रेट के लक्षण और कैंसर के जोखिम के बीच किसी संबंध के होने से इंकार करते हैं। इन आयनों का कार्डियोवैस्क्युलर प्रणालियों पर हल्का सा संरक्षात्मक प्रभाव पड़ता है। पेयजल में नाइट्रेट के उच्च सांद्रण से शिशुओं में मेथामोग्लोबिनेमिया (ब्लू बेबी डिजीज) एक घातक लक्षण हो सकता है जिसमें रक्त के संचार में आक्सीजन के प्रवाह को नुकसान पहुंचता है। पीने के लिए दीर्घकाल तक आर्सेनिक संदूषित जल के प्रयोग से प्रारंभ में डर्मेटोसिस, केराटोसिस, कंजक्टिवाइटिस, ब्रोंकाइटिस और गेस्ट्रो-इनटेराइटिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। दीर्घकाल का आर्सेनिक संदूषित जल के उच्च सांद्रो का प्रयोग करने वाले रोगियों में पेरीफेरल न्यूरोपैथीज, हेपैटोपैथी, मेलानोसिस, डि-पिगमेंटेशन और हाइपर केराटोसिस सामने आती है। दीर्घकाल तक अत्यधिक आर्सेनिक संदूषित जल पीने वाले रोगियों में अंतिम अवस्था में अंगों में गैंगरीन और मेलिग्नेंट नीओप्लैज्म सामने आता है।

"जल" राज्य का विषय होने के कारण लोगों को संदूषण मुक्त जल उपलब्ध कराने के लिए स्कीमें तैयार करना मुख्यत: राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होता है। तथापि, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड भूजल में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने के लिए इसकी आवधिक रूप से निगरानी करता है और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए इसकी जानकारी राज्य सरकारों को देता है। संदूषण मुक्त जलभृत्त क्षेत्रों को प्रयोग में लाते हुए इसने अन्वेषणात्मक कुओं की भी खुदाई की है और उपयोग के लिए इन कुओं को नि:शुल्क राज्य सरकारों को सौंप दिया है।

भूजल में अधिक नाइट्रेट और अधिक आर्सेनिक की समस्याओं से निपटने में विदेशी विशेषज्ञ की सहायता लेने के लिए जल संसाधन मंत्रालय में कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत पेयजल आपूर्ति विभाग केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता समस्याओं से निपटने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता भी दे रहा है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की 15% निधि को विशेष तौर पर जल गुणवत्ता समस्याओं से निपटने के लिए उप-मिशन परियोजना के वास्ते निर्धारित किया गया है। 1.4.1998 से उप-मिशन परियोजनाओं को स्वीकृत करने की शक्ति राज्यों को सौंप दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एआरडब्ल्यूएसपी के तहत जारी की गई राज्य-वार राशियां संलग्न अनुबंध-2 में दी गयी हैं।

अनुबंध I

ऐसे जिलों का राज्यवार ब्यौरा जिनके हिस्सों में भूजल में अधिक नाइट्रेट और अधिक आर्सेनिक को स्वीकार किया गया है

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नाइट्रेट की अधिकता से प्रभावित जिलों का नाम (45 एमजी/एल से अधिक)	आर्सेनिक की अधिकता से प्रभावित जिलों का नाम (0.05 एमजी/एल से अधिक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम, खम्माम, नेल्लौर, नालगोंडा, निजामाबाद, गुन्टूर, करनूल, करीमनगर, महबूबनगर, विजयवाड़ा	–
2.	असम	लखीमपुर	–

1	2	3	4
3.	बिहार	गया, पटना, नालंदा, नवादा, भागलपुर, बांका	भोजपुर, पटना
4.	छत्तीसगढ़	रायपुर	राजनंदगांव
5.	दिल्ली	पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम	–
6.	गुजरात	अमरेली, बनासकांठा, भावनगर, गांधी नगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाना	–
7.	हरियाणा	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, जींद, कुरूक्षेत्र, करनाल, महेन्द्रगढ़, रोहतक, सोनीपत, सिरसा	–
8.	हिमाचल प्रदेश	ऊना	–
9.	जम्मू और कश्मीर	कथुआ	–
10.	झारखण्ड	पलामू, साहेबगंज	–
11.	कर्नाटक	बीजापुर, बंगलौर, बेलगांव, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, धारवाड़, गुलबर्गा, हासन, कोलार, मण्ड्या, रायचूर, सिमोगा	–
12.	केरल	इदुक्की, कोट्टायम, पालघाट, पाथनमथिट्टा, मल्लपुरम	–
13.	मध्य प्रदेश	भिण्ड, भोपाल, छिन्दवाड़ा, धार, देवास, ग्वालियर, इन्दौर, खण्डवा, मन्दसौर, मुरैना, शिवपुरी, शिहोर, उज्जैन	–
14.	महाराष्ट्र	अहमदनगर, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद, भण्डारा, बीड, बुल्ढाना, चन्द्रपुर, गढ़चिरौली, धुले, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नांदेड़, उस्मानाबाद, पुणे, सांगली, सतारा, शोलापुर, थाणे, वर्धा	–
15.	उड़ीसा	अंगुल, बारागढ़, बोलनगीर, बौध, कटक, गंजम, जगतसिंहपुर, कालाहांडी, क्योंझर, मलकानगिरी, नावापाड़ा, रायगदा, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़	–
16.	पंजाब	भटिण्डा, फरीदकोट, फिरोजपुर, पटियाला, संगरूर	–
17.	राजस्थान	अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, बून्दी, चुरू, धौलपुर, गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, सवाई माधोपुर, उदयपुर	–
18.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर, पेरियार, सलेम, एनए अम्बेडकरनगर, टी कोट्टाबोम्मन, डिण्डीगुल-अन्ना, वी.आर. पदायाची	–
19.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़, आगरा, बांदा, इटावा, गाजियाबाद, हमीरपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर, मैनपुरी, मथुरा, पीलीभीत	बलिया
20.	उत्तरांचल	नैनीताल	–
21.	पश्चिम बंगाल	उत्तर दीनाजपुर, मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, नदिया, बांकुड़ा, पुरूलिया, हावड़ा, मेदिनीपुर	बर्द्धमान, हावड़ा, हुगली, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना
22.	चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	चण्डीगढ़	–

अनुबंध II

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी), पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय (सामान्य-एआरडब्ल्यूएसपी, मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और प्राकृतिक आपदा सहित) के तहत राज्यवार जारी की गई राशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई राशि (रुपये लाख में)		
		2002-2003	2003-2004	2004-2005
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	17823.92	13112.00	16418.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	3650.00	4102.40	6825.00
3.	असम	5252.50	5772.62	9565.62
4.	बिहार	3703.00	3159.50	8941.03
5.	छत्तीसगढ़	2943.00	2574.00	2269.80
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	9997.75	8458.00	6696.35
8.	हरियाणा	3346.00	2662.00	2707.00
9.	हिमाचल प्रदेश	8229.00	5137.00	5438.20
10.	जम्मू और कश्मीर	11196.39	12850.63	12833.60
11.	झारखंड	1949.80	2060.00	2752.83
12.	कर्नाटक	14355.36	12062.00	12677.44
13.	केरल	1899.30	4268.71	4401.00
14.	मध्य प्रदेश	9586.08	7310.00	7945.00
15.	महाराष्ट्र	19336.24	15710.00	15971.00
16.	मणिपुर	947.00	1624.15	2103.00
17.	मेघालय	2935.50	1811.78	2613.87
18.	मिजोरम	2097.00	1386.00	1810.00
19.	नागालैंड	2181.00	1626.73	1702.00
20.	उड़ीसा	5829.80	4713.81	6934.00
21.	पंजाब	3081.00	2269.00	2815.00
22.	राजस्थान	23595.96	23368.51	30439.76
23.	सिक्किम	895.50	763.00	731.00

1	2	3	4	5
24.	तमिलनाडु	7558.00	6269.00	8494.13
25.	त्रिपुरा	2427.60	1903.00	1575.13
26.	उत्तर प्रदेश	11349.46	10457.00	13455.00
27.	उत्तरांचल	3683.00	2371.50	3265.47
28.	पश्चिम बंगाल	10115.00	6827.00	8270.21
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	2037.00
30.	दादरा व नागर हवेली	0.00	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
34.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
	कुल	189964.16	164629.34	201787.84

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी: जल को जीवन का अमृत समझा जाता है। यद्यपि, कई बार यह पाया जाता है कि जल हमारे जीवन का जहर भी है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है कि वर्ष 2010 तक सभी लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाकर सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। लेकिन विवरण से ज्ञात होता है कि भारत में 22 राज्य अतिरिक्त नाइट्रेट, अतिरिक्त आर्सेनिक तथा अतिरिक्त फ्लोराइड के कारण जल प्रदूषण से प्रभावित है। अधिकांश राज्य सरकारों को वित्तीय संकट है।

पश्चिम बंगाल में आठ जिले विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित .05 मिलीग्राम प्रति लीटर आर्सेनिक की अधिकतम सीमा से जल प्रदूषण से प्रभावित हैं। लम्बे समय से आर्सेनिक संदूषित जल का उपयोग करने से भारी संख्या में लोगों के मरने की सूचना है। आर्सेनिक से प्रभावित रोगियों के उपचार के लिए पश्चिम बंगाल में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। पश्चिम बंगाल राज्य वित्तीय रूप से दिवालिया हो गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप केन्द्र से संबंधित प्रश्न कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी: यहां यह कहा गया है कि जल चूंकि राज्य का विषय है क्या मैं सरकार से अनुरोध कर सकता हूं कि वह समस्या पर ध्यान दे? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी: यह समस्या पहले ही देशव्यापी बन गई है। इसलिए, इसे राज्य का विषय न मानते हुए क्या सरकार इस समस्या को एक राष्ट्रीय खतरे के रूप में मानेगी तथा चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक योजना बनाएगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं। मैं भी पश्चिम बंगाल से ही हूं। इसलिए मैं नदिया, मुर्शीदाबाद, माल्दा, 24 परगना (दक्षिण तथा उत्तर) आदि में प्रभावित लोगों की समस्या से वाकिफ हूं। वास्तव में यह एक गंभीर समस्या है।

बहुत पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने पेयजल आपूर्ति विभाग के माध्यम से नाइट्रेट संदूषण तथा आर्सेनिक संदूषण दोनों से निपटने के लिए इन प्रभावित राज्यों को कुछ सहायता प्रदान की थी। हमारा मंत्रालय केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के माध्यम से प्रौद्योगिकीय

तथा वैज्ञानिक सहयोग, मूल्यांकन, आंकलन तथा खोज कार्य में भी सहयोग प्रदान करता है। गत कुछ महीनों से मेरे मंत्रालय में दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद मैं बहुत संतुष्ट हूं कि समस्या के समाधान के लिए पूरा बोझ राज्यों पर न डालते हुए बल्कि अधिकांशत: केन्द्र के सहयोग से जो कि संप्रग सरकार की नीति भी है, जब तक युद्ध स्तर पर व्यापक योजना बनाकर उपाय नहीं किये जाते हैं तो यथार्थ में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

इसलिए, आपके माध्यम से मुझे सभा को सूचित करना है कि मेरे मंत्रालय के तत्वावधान में स्वास्थ्य मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के पेयजल आपूर्ति विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक व्यापक योजना बनाने के लिए जो वर्ष 2010 तक की रणनीति निर्धारित करेगी, के लिए द्वितीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा ताकि पूरी समस्या का दसवीं योजना के अंत तक ग्यारहवीं योजना के प्रारम्भ तक समाधान हो जाए।

मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि कोलकाता में अक्तूबर में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री की सहायता से हमने गुणवत्ता की समस्या पर ध्यान दिया था तथा एक व्यापक योजना के माध्यम से एक नई रणनीति अपनाई गई है।

योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकी क्योंकि इसे ए आर डब्ल्यू एस पी कार्यक्रम के जरिए राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। राज्य को धन की कमी आड़े आ रही है। इसलिए, हम अब ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहायता से इस कार्य को राज्यों से वापस केन्द्र के पास लेने पर विचार कर रहे हैं।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को उनकी संवेदनशीलता के लिए धन्यवाद देता हूं। पर्यावरणीय आपदा का प्रभाव पूर्व की तुलना में कहीं अधिक हो सकता है। यह 1984 की भोपाल त्रासदी तथा 1986 की चर्नोनबील, यूक्रेन से भी भयानक हो सकती है जैसा कि प्रसिद्ध जैव रसायन शास्त्री श्री स्टीवार्ड माहर्ड ने लिखा है। महोदय, भू-जल की अत्यधिक निकासी जल स्तर के गिरने का मुख्य कारण है। इतना ही नहीं, इससे पूरे देश में नाइट्रेट तथा फ्लोराइड संदूषण के साथ-साथ आर्सेनिक से जल संदूषण की समस्या को बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार भू-जल निकास के नियमन के लिए कोई योजना अपनाएगी?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, जहां तक भू-जल के निकास का संबंध है, माननीय सदस्य को संभवतया ज्ञात होगा तथा मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि भारत में, भू-जल का स्तर तीव्रता से गिर रहा है तथा यदि इसे नहीं रोका गया तो गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए हमने कई उपाय किये हैं। भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन उनमें से एक है। हम भू-जल रिचार्ज तथा भू-जल विनियम भी कर रहे हैं। इन तीनों उपायों के बावजूद भी, हमारे यहां कई अभावग्रस्त अंचल (डार्क जोन) हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि अभावग्रस्त अंचलों में भू-जल निकास के कारण आर्सेनिक या नाइट्रेट से संदूषित जल पाया जाता है, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय अपशिष्ट कम प्रतिरोध वाली ऊपरी भूमि पर रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग तथा उनकी सघनता के कारण अत्यधिक नाइट्रेट पाया जाता है आर्सेनिक एक प्राकृतिक घटना है। कुछ मामलों में, विशेषकर नादियों में भूतल से 20 से 50 मीटर नीचे तथा कुछ मामलों में 80 से 100 मीटर नीचे तक आर्सेनिक संदूषण से मुक्त एक्वेफर-जोन पाया गया है। तदनुसार, हमने कुछ ट्यूब-वेल खोदे हैं तथा राज्य सरकार को सौंपे हैं। वे अच्छे परिणाम दे रहे हैं तथा और भी अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन वस्तुत: इस का उत्तर क्षेत्र में भू-जल की आपूर्ति ही है—विश्व स्तर पर, बांग्लादेश में इसका प्रयोग किया गया है। इस बारे में, जैसाकि मैंने पहले कहा कि हम संबंधित मंत्रालय के सहयोग से ध्यान दे रहे हैं।

श्री निखिल कुमार: महोदय, माननीय जल संसाधन मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर बहुत आश्वस्त करने वाला है। यद्यपि, जो नोट हमें दिया गया है उसे देखा है, जिसमें इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि नाइट्रेट के जहर से बहुत अधिक खतरा नहीं है, लेकिन नोट में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि आर्सेनिक जहर से क्या खतरे होते हैं। आर्सेनिक जहर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी पहले सत्तर के दशक में बांग्लादेश में व्यापक स्तर पर आर्सेनिक जहर का मामला हुआ था जैसा कि हाल ही के समय में विश्व में हुआ है। पिछले लगभग दस वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग अढ़ाई लाख लोग मरते हैं तथा इस आशंका का 1995 में कोलकाता में हुए सम्मेलन से पूर्व आकलन नहीं किया गया था। उस सम्मेलन के बाद ही आर्सेनिक जहर की आशंका हमारे ध्यान में लायी गई।

अब माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि क्या वे आर्सेनिक जहर से हो रही आशंका की ओर विशेष ध्यान देना चाहेंगे विशेषकर उन राज्यों में जो उत्तर में संलग्नित सूची में उल्लिखित हैं। साथ ही बिहार के केवल पांच जिलों का उल्लेख किया गया है। यह बहुत ही विलक्षण है कि इन पांच जिलों में से चार जिले एक ही अंचल में है। इसलिए, क्या जल संसाधन मंत्रालय इस अंचल के शेष जिलों में विशेष अध्ययन करवायेगा। जिसमें दक्षिण बिहार और मेरा संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद शामिल होगा क्योंकि तभी हमें यह भरोसा होगा कि सही कार्य हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय: यह एक सुझाव है। आपने अपना प्रश्न प्रस्तुत कर दिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, सर्वप्रथम भारतीय मानक ब्यूरो और अन्य सम्बद्ध संस्थानों के अपने मानक हैं। इनके अनुसार प्रति लीटर 0.05 मिग्रा आर्सेनिक की अशुद्धता के स्तर का उल्लंघन अत्यधिक खतरनाक प्रकृति का होता है। प्रारम्भ में, हमें एक प्राथमिक प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया गया और यह पाया गया कि लोगों में पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता है। विशेषकर बुजुर्ग व्यक्तियों में—और वे कुछ निश्चित अवधि तक इसका प्रतिरोध कर सकते हैं। किन्तु नवजात शिशु और बच्चे सबसे पहले त्वचा संबंधी रोगों से बुरी तरह प्रभावित होते हैं और फिर कई मामलों में, यह जानलेवा भी हो जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न प्रकार के त्वचा संबंधी रोग संदूषित आर्सेनिक खपत की वजह से उत्पन्न गम्भीर रोगों के सर्वप्रथम लक्षण हैं।

जहां तक नाइट्रेट का संबंध है, यह बुजुग व्यक्तियों के लिए खतरा नहीं है और उन्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। यह भी सिद्ध नहीं हो पाया है कि इसकी वजह से केंसर उत्पन्न होता है। किन्तु मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि नाइट्रेट का सबसे दु:खद पक्ष यह है कि यह नवजात शिशुओं के लिए हौवा बनता जा रहा है क्योंकि इससे उनके हृदय धमनी तन्त्र पूर्णत: आक्सीजन की खपत करने में अक्षम हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, नवजात शिशुओं के हृदयों में छेद के मामले देखने में आ रहे हैं। अत: नाइट्रेट बच्चों के लिए भी उतना ही खतरनाक है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) मानक को विनिर्दिष्ट किया जा रहा है और ग्रामीण विकास मंत्रालय को भी निदेश दिया गया है। उन्होंने मुझे बताया है कि वे इस मानक का पालन कर रहे हैं।

जहां तक मेरे मंत्रालय का संबंध है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए काफी कुछ किया गया है और यह स्वीकार करने में मुझे कोई झिझक नहीं है। इसलिए, मुझे यू.पी.ए. सरकार से यह निदेश मिला कि इस मुद्दे के समाधान हेतु युद्ध-स्तर पर सभी मंत्रालयों को साथ लेकर एक निर्णय लिया जाए और कम से कम नवजात शिशुओं को तो नाइट्रेट रूपी जहर से और बूढ़े लोगों को आर्सेनिक जहर से बताया जाए।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मंत्री जी इन मुद्दों से भलीभांति परिचित हैं और उन्होंने इसका एक विस्तृत उत्तर दिया है। मैं इस मुद्दे से संबंधित कुछ बातें पूछना चाहती हूं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि वहां पर नाइट्रेट है क्योंकि हमने उनका अंधाधुंध प्रयोग किया है और उर्वरकों में उनका काफी अधिक प्रयोग किया है। जब तक कृषि मंत्रालय और अन्य मंत्रालय नाइट्रेट के प्रयोग पर कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेते हैं तब तक मंत्री जी नाइट्रेट रूपी जहर के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। हम विश्व आपूर्ति के 20 प्रतिशत का प्रयोग कर रहे हैं और नाइट्रेट के प्रयोग से महासागर में ब्लैक होल का निर्माण होता है। इनमें से लगभग 129 की अभी तक पहचान हो चुकी है और ऐसा इसलिए है क्योंकि नाइट्रेट को पानी में बहाया जा रहा है। इसलिए, यह केवल नवजात शिशुओं का ही प्रश्न नहीं है अपितु यह सारे महासागर क्षेत्र को खोने के साथ-साथ सभी समुद्री जीवों को मारने और उनके साथ मनुष्यों को भी मारने का प्रश्न है। क्या सरकार उर्वरकों में नाइट्रेट के प्रयोग पर कोई नीतिगत निर्णय लेने जा रही है?

जहां तक आर्सेनिक जहर की बात है, यह न केवल बिहार और बंगाल में है अपितु सभी नदी बेसिनों विशेषकर बलिया और उत्तर प्रदेश (यू.पी.) में इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी मात्रा में है! यू.पी. सरकार लगातार इस बात से इंकार कर रही है और शोधकर्त्ताओं को आतंकवादी कह रही है? क्या आप कृपया हमें यू.पी. में आर्सेनिक जहर संबंधी स्थिति के बारे में बताएंगे?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं सभा को एक बार पुन: सूचित करना चाहता हूं और मैंने पहले सभा में जो कहा था उसे दोहराता हूं। नाइट्रेट सहित समुद्री तट, समुद्री जीव और मानव जीवन से संबंधित मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया है। अत: मैं इस मुद्दे पर ध्यान देते हुए अपने संरक्षणाधीन सभी संबंधित मंत्रालयों से यह कह रहा हूं कि वे इस सत्र के बाद तत्काल युद्ध स्तर पर कदम उठायें। मैंने पूरे मामले का अध्ययन किया है और मुझे विश्वास है कि इस पर अभी तक बहुत ज्यादा काम नहीं किया गया है। अत: हमें भूमि पर अपेक्षित प्रतिशत में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने हेतु कृषि मंत्रालय को भी इस काम में शामिल करना होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भूमि का उपरी परत की प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है तो नाइट्रेट संदूषण मिट्टी में काफी अंदर तक चला जाता है।

जहां तक बलिया का संबंध है, यह सही है कि निस्संदेह और सी जी डब्ल्यू बी द्वारा किए गए सभी वैज्ञानिक निष्कर्षों से यह पता चलता है कि बलिया के कुछ क्षेत्र निश्चित रूप से आर्सेनिक संदूषण वाले क्षेत्र हैं। अत: मैंने एक नीतिगत निर्णय लिया है और इस संकट का हल निकालने हेतु बंगाल आगे आया है। उत्तर प्रदेश में बलिया, बिहार के क्षेत्रों अर्थात् भोजपुर और पटना तथा छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में इन बातों को जितनी गंभीरता से लिया जाना था उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया है।

अत: मैंने एक निर्णय लिया है कि मैं अपने दल के साथ इन क्षेत्रों का दौरा करूंगा और राज्य सरकारों को इस बात के लिए राजी करूंगा कि वे इस मामले को ठीक उसी प्रकार से लें जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे लिया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: अपने उत्तर में, आपने पलक्कड़ जिले को भू-जल में अत्यधिक नाइट्रेट और आर्सेनक तत्व से प्रमाणित जिले के रूप में शामिल किया है। स्थानीय लोगों और कोका-कोला बनाने वाली कंपनी के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है और अब यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है जो यह निर्णय करेगा कि क्या कंपनी को भू-जल का उपयोग करने की अनुमति है। यदि ऐसा है तो कोका-कोला द्वारा बनाया जा रहा साफ्ट-ड्रिंक भी संदूषित होगा क्योंकि वे पल्लीमाडा में भू-जल ले रहे हैं और इस पर काफी समय से विवाद है। स्थानीय पंचायत ने यह मामला उच्चतम न्यायालय में ले गई थी।

अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी और इस बात पर कड़ा रूख अपनाएगी कि वहां पर भू-जल बुरी तरह और प्रतिकूल रूप से प्रभावित है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि गर्मी के मौसम में कुएं सूख जाते हैं। ये सभी मुद्दे सुलझ सकते हैं यदि सरकार इस मामले की पूरी तरह से जांच करें। अंतत: जहां तक पलक्कड़ जिले में भू-जल का संबंध है, वहां की स्थिति क्या है?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसका विस्तार से उत्तर दे दिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि केरल में आर्सेनिक का कोई संदूषित क्षेत्र नहीं है। केवल इदुक्की, कोट्टायम, पालघाट, पथमिन्ता और मल्लापुरम जिलों में नाइट्रेट की मात्रा पाई गई है।

अध्यक्ष महोदय: वे पालघाट में मल्लीमाडा स्थित कोका-कोला के संयंत्र के बारे में कह रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जहां तक नाइट्रेट तत्व का संबंध है, मैं पहले ही यह बता चुका हूं। साफ्ट ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी द्वारा सीमा से अधिक उस प्रकार के पानी का प्रयोग करने के प्रश्न के बारे में विभिन्न समाचार पत्रों में पहले ही यह बताया जा चुका है और संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है। वास्तव में हमारी सरकार उसी लाइन पर काम कर रही है। मंत्रियों के समूह ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और सभा के समक्ष एक व्यापक खाद्य कानून लाया जाएगा। मुझे आशा है कि इसमें सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार, कृपया संक्षेप में कहिए क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पूरे देश में भू-जल के स्तर में गिरावट, उसमें नाइट्रेट और आर्सेनिक की जो मात्रा है, उसकी राज्यवार सूची दी है। इसमें खासकर उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के बहुत से जिले प्रभावित हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कौशाम्बी, फतेहपुर और इलाहाबाद उ.प्र. के जनपदों में आते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका क्या प्रश्न है?

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद में खारे पानी और नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा है। क्या सरकार विदेशी विशेषज्ञों की मदद से भू-जल स्तर का गिरना व नाइट्रेट और आर्सेनिक संदूषण से मुक्त करने की किसी ठोस कार्य योजना पर विचार कर रही है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: इस योजना का सर्वे कराकर क्या आप कुछ कार्य करेंगे? दूसरे, आपने उत्तर प्रदेश को 13.455 करोड़ रुपये दिये हैं, क्या आप इस राशि को बढ़ाकर 20 हजार करोड़ रुपये करेंगे?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, जहां तक राशि का सवाल है, उस संबंध में पहले से निर्णय हुआ है कि एआईडब्ल्यूएसपी स्कीम के तहत 15 परसेंट पैसा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार की इजाजत के बिना खुद खर्च कर सकती है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं पता लगाऊंगा कि वे उस राशि में से कितना खर्च कर पाये हैं। अगर उनको कोई जरूरत है तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं।

जहां तक जिले का सवाल है, वह लिस्ट मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं।

श्री नवीन जिन्दल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आर्सेनिक और नाइट्रेट के साथ हमारे ग्राउंड वाटर में जो कीटनाशक मिला हुआ है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननाथडु: महोदय, मैं केवल आधा-एक मिनट लूंगा।

अध्यक्ष महोदय: हमें नौजवान सदस्यों को अवसर देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नवीन जिन्दल: क्योंकि खेतों में कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे रोकने तथा लोगों को स्वच्छ पानी मुहैया करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि इस कदम के बारे में अलग-अलग राय है। पालूशन बोर्ड की नजर में एक किस्म का पालूशन है, हैल्थ मिनिस्ट्रो की नजर में ड्रिंकिंग वाटर का पालूशन है और क्वालिटी इम्प्रूव करने का स्टैंडर्ड, रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, जो राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन के अंतर्गत चल रहा है उसकी नजर में जो लक्ष्य है और हमारे सैंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के जो तकनीकी साधन हैं, ये चारों मिलकर योजनाबद्ध तरीके से इसे फाइट नहीं कर पाये। इसलिए मैं अगले महीने से पहला तरीका अपना रहा हूं। उसके अंतर्गत ठोस कदम और ठोस पालिसी मैं सदन के सामने रखूंगा कि कलैक्टिवली इस बारे में हम क्या कर रहे हैं। श्री शरद पवार जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उनके मंत्रालय के साथ भी हम इस वर्कशाप में शामिल होंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कम समय होने के कारण हम केवल दो प्रश्न ले सकते हैं। फिर भी मैं सभी माननीय सदस्यों का उनके सहयोग के लिए आभारी हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कर्मचारी पेंशन योजना में भारी घाटा

***403. श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री कीर्तिवर्धन सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ई.पी.एफ.ओ. द्वारा प्रबंधित कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कमी हेतु धनराशि उपलब्ध कराने या घाटे को एक आकस्मिक देयता मानने का है ताकि कामगारों के हितों की सुरक्षा हो सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कामगारों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को जारी रखना सुनिश्चित करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर, कर्मचारी पेंशन योजना की सातवीं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में 31.03.2003 की स्थिति के अनुसार, 19,291 करोड़ रुपये का अनुमानित घाटा दिखाया गया है। यह घाटा मुख्यत: जून, 2001 से मजदूरी की उच्चतम सीमा 5000/- रुपये से बढ़ाकर 6500/- रुपये किए जाने; निवेश पर ब्याज दर में कमी होने के कारण है।

(ग) से (ङ) अनुमानित घाटा मूल्यांकन रिपोर्ट में सुझाए गए कतिपय सुधारात्मक उपाय करके पूरा किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं: (क) सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ा कर 60 वर्ष की जा सकती है। (ख) इस योजना के तहत आहरण को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। (ग) 8.33 प्रतिशत की मौजूदा अंशदान दर में समुचित वृद्धि की जानी चाहिए अथवा इस योजना के अंतर्गत लाभों में समुचित कमी की जानी चाहिए। (घ) योजना लाभों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सदैव बीमांकन-निर्धारण तथा बीमांकक द्वारा की गयी सिफारिशों को साथ-साथ लागू करके किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, अनुमानित घाटा पूरा करने के लिए सरकार को निधियां प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

जीवनरक्षक औषधियों के मूल्य

***404. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पेटेंट अधिनियम में संशोधन करने और मूल्य वर्धित कर (वैट) लागू करने के कारण एड्स, कैंसर और कुछ अन्य बीमारियों हेतु जीवनरक्षक औषधियों के मूल्य में वृद्धि होने का अंदेशा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पेटेंट अधिनियम और "वेट" किस हद तक औषधियों के मूल्य में वृद्धि हेतु उत्तरदायी है तथा ये औषधियां कौन-कौन सी हैं;

(ग) जीवनरक्षक औषधियों के मूल्य को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार औषधियों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के आधार पर उत्पाद शुल्क वसूलने की नई प्रणाली की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ङ) देश में विद्यमान पेटेंट कानून में मजबूत और गहन सुरक्षा तंत्र है तथा अन्य बातों के साथ-साथ इसमें अनिवार्य लाइसेंसिंग के माध्यम से उचित मूल्य पर उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के समुचित प्रावधान हैं। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल औषध सहित, भारतीय बाजार में पहले से मौजूद बहुत सारे औषध पेटेंट रहित हैं तथा नए पेटेंट तंत्र से उनका मूल्य निर्धारण प्रभावित नहीं होगा। इसी प्रकार वैट तंत्र के तहत, जीवन रक्षक औषधों के विनिर्माताओं द्वारा कच्चे माल की अधिप्राप्ति पर चुकाए गए वैट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता के साथ उत्पादन लागत कम होने की संभावना है। अत: कुछ जीवन रक्षक औषधों की कीमतों में बहुत भारी वृद्धि नहीं होगी। वर्तमान में, औषधों के खुदरा मूल्य पर आधारित उत्पाद शुल्क वसूलने की प्रणाली की समीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

आस्ट्रेलिया से प्रजनक पशु का आयात

*405. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ राज्यों ने राष्ट्रीय पशु और भैंस प्रजनन परियोजना के अंतर्गत नस्ल सुधार हेतु आस्ट्रेलिया से प्रजनक पशुओं का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे अनेक पशुओं की मृत्यु हो गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे पर आस्ट्रेलियाई प्राधिकारियों के साथ बातचीत की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आस्ट्रेलियाई प्राधिकारियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (च) जी, नहीं। अप्रैल, 2002 के दौरान आंध्र प्रदेश (160) और पश्चिम बंगाल (41) द्वारा राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के तहत नस्ल सुधार के लिए आस्ट्रेलिया से 201 प्रजनन योग्य गोपशु आयात किए गए थे जिनमें से अब तक 151 पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। आयात के बाद के संगरोध के दौरान कुछ पशुओं को विदेशी रोगों के लिए पाजिटिव पाया गया था। आस्ट्रेलिया सरकार से उन पशुओं को वापस भेजेन के लिए कहा गया था। निर्यातक देश ने इन पशुओं को इस तर्क पर वापस लेने पर मना कर दिया कि आस्ट्रेलिया की संगरोध नीति के तहत पशु वापस आस्ट्रेलिया नहीं आ सकते हैं।

[हिन्दी]

सरसों की खरीद

*406. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने चालू सत्र के दौरान कितनी सरसों खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) कितनी सरसों पहले ही खरीदी जा चुकी है;

(ग) क्या खरीद की गति धीमी होने के कारण लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप किसान अपने उत्पाद को निजी व्यापारियों को अलाभकारी मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य हो रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों को खरीदने के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है और राज्यवार कितने केन्द्र खोले गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) मूल्य समर्थन स्कीम (पी.एस.एस.) के अंतर्गत खरीद की मात्रा की कोई सीमा नहीं होती और सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर मूल्य स्थिर होने तक खरीद जारी रहती है। इस

प्रकार मूल्य समर्थन स्कीम (पी.एस.एस.) के अंतर्गत खरीद के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता। रबी-2005 फसल मौसम के दौरान मूल्य समर्थन स्कीम (पी.एस.एस.) के तहत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) द्वारा दिनांक 17.4.2005 तक 10.08 लाख मी. टन सरसों बीज की खरीद की गई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित एजेन्सी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) ने सरसों बीज की खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। इनमें अन्य बातों के अलावा बोरियों की खरीद, भण्डारण स्थान की बुकिंग तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद ऋण सीमा स्वीकृत करावा शामिल है। वर्तमान में 525 खरीद केन्द्र प्रचालन में है। इनका राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य	खरीद केन्द्रों की संख्या
राजस्थान	264
गुजरात	44
हरियाणा	45
मध्य प्रदेश	150
उत्तर प्रदेश	14
दिल्ली	2
पंजाब	4
छत्तीसगढ़	2
कुल	525

आनुवंशिकी रूप से संवर्धित फसलों के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान

*407. **श्रीमती जयाप्रदा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा देश में आनुवंशिकी रूप से संवर्धित फसलों को उगाने के संबंध में किए गए अनुसंधान की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन फसलों को उगाने के संबंध में महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां।

(ख) अधिक उपज देने वाले प्रतिवेदित पराजीनी सरसों के संकर को प्रयोगात्मक रूप से विकसित किया गया है। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) द्वारा इस पराजीनी का मूल्यांकन किया जा रहा है तथा इसे जारी करने के लिए अभी अनुमोदित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, डी.बी.टी. द्वारा समर्थित एक बहु-संस्थागत परियोजना के अंतर्गत अन्य फसलों में प्रायोगिक पराजीनी विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सरसों की संकर किस्म के संबंध में उल्लिखित राज्यों से खेती करने से संबंधित ऐसे कोई वितरण नहीं मिले हैं, चूंकि पराजीनी संकर अभी जैव-सुरक्षा के अधीन है तथा डी.बी.टी. द्वारा खेत परीक्षणाधीन हैं।

[अनुवाद]

चिकित्सा पर्यटन

*408. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 मार्च, 2005 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ओटीज गेटिंग रेडी फार टूरिस्ट्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या पर्यटन मंत्रालय ने इस मुद्दे के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय से बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ एक त्रुटिहीन रणनीति को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। सम्पूर्ण विश्व में एक स्वास्थ्य पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करने के विचार से स्वास्थ्य एवं परिवारण कल्याण मंत्रालय ने पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर एक कार्यबल का गठन किया है ताकि देश में उपलब्ध हेल्थ केयर सुविज्ञता तथा अवसंरचना का उपयोग लाभ पूर्वक किया जा सके।

पर्यटन मंत्रालय ने "बाडी माइंड एंड सोल" नामक एक ब्रोशर तथा सीडी रोम प्रकाशित किया है जो प्राचीन एवं प्रमाणित स्वास्थ्य लाभ तकनीक पर जानकारी देते हैं और इनका वितरण भारत पर्यटन कार्यालयों द्वारा भारत एवं विदेश में किया जाता है।

(ग) से (ङ) जी, हां। इस उद्देश्य हेतु गठित कार्यबल में स्वास्थ्य संगठनों, यात्रा व्यवसाय के सदस्य, विभिन्न मंत्रालयों, जैसे स्वास्थ्य, पर्यटन, नागर विमानन, वित्त, विदेश, गृह मंत्रालय, राज्य सरकारों आदि के पदाधिकारी शामिल हैं।

[हिन्दी]

उर्वरकों की मांग और आपूर्ति

*409. **श्री काशीराम राणा:**
श्री वी.के. दुम्मर:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उर्वरकों की वर्तमान मांग और आपूर्ति कितनी है;

(ख) क्या देश में कतिपय उर्पवकों का उत्पादन उनकी मांग के अनुरूप नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इन उर्वरकों की मांग की पूर्ति किस प्रकार से की जा रही है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया गया है और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है;

(ङ) सरकार द्वारा उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) सरकार को इन कदमों के परिणामस्वरूप किस हद तक सफलता प्राप्त हुई है;

(छ) क्या सरकार ने उर्वरकों के उत्पादन के मामले में देश को आत्म-निर्भर बनाने हेतु कोई अल्पावधि और दीर्घावधि कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) वर्ष 2004-05 के दौरान देश में मुख्य उर्वरकों नामत: यूरिया, डीएपी और एमओपी की मांग और आपूर्ति निम्नानुसार थी:-

(लाख मी. टन)

विवरण	मांग	आपूर्ति/उपलब्धता
यूरिया	214.08	223.68
डीएपी	70.60	73.54
एमओपी	23.21	25.85

(ख) और (ग) देश यूरिया की मांग को पूरा करने में लगभग आत्मनिर्भर है। यूरिया की 205.12 लाख मी. टन वार्षिक स्थापित क्षमता तथा यूरिया की प्रतिवर्ष 16.52 लाख मी. टन की उत्पादन क्षमता वाली ओमान-भारत उर्वरक परियोजना मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। डीएपी के मामले में स्थापित क्षमता मांग से अधिक है। तथापि, आकलित मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच यदि कोई अंतर होता है तो उसे आयात के जरिए पूरा किया जा रहा है। देश में पोटाश (के) वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य स्रोत के अभाव में प्रत्यक्ष प्रयोग तथा मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन के लिए पोटाशयुक्त उर्वरकों की संपूर्ण मांग को आयात के जरिए पूरा किया जाता है।

(घ) यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो भारत सरकार के मूल्य और आंशिक वितरण नियंत्रण के अधीन है और सरकार द्वारा इसका आयात किया जाता है। उर्वरकों की अन्य सभी श्रेणियां नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के अंतर्गत आती हैं और इनका निजी तौर पर आयात किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान आयातित उर्वरकों की मात्रा तथा उन पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:-

वर्ष	यूरिया (लाख मी. टन)	व्यय की गई विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डालर)	डीएपी (लाख मी. टन)	एमओपी (लाख मी. टन)
2002-03	-	-	3.70	25.32
2003-04	-	-	7.34	25.79
2004-05	6.41	1,52,482,702.53	6.43	34.09

डीएपी और एमओपी पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा विभाग के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन उर्वरकों का आयात निजी तौर पर किया जाता है और मूल्य निजी आयातकों द्वारा सीधे तय किए जाते हैं।

(ङ) और (च) किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूरिया, जो एकमात्र नियंत्रित उर्वरक है, को सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर बेचा जाता है तथा डीएपी, एमओपी और एनपीके मिश्रित उर्वरकों जैसे नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों को निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्यों पर बेचा जाता है। सिंगल सुपर फास्फेट का अधिकतम खुदरा मूल्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया जाता है। चूंकि उर्वरकों के उत्पादन की लागत सामान्यत: अधिकतम खुदरा मूल्य/निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्यों से अधिक होती है अत: उर्वरकों पर दी जा रही राजसहायता/रियायत का लाभ किसानों को राजसहायता प्राप्त बिक्री मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराकर दिया जाता है।

(छ) और (ज) सरकार ऐसी नीतियों को बढ़ावा दे रही है जो उर्वरक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के अनुकूल हों ताकि मुख्य उर्वरकों की स्वदेशी आवश्यकता को पूरा करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। यूरिया के मामले में सरकार ने हाल ही में निवेश के लिए मूल्य-निर्धारण नीति की घोषणा की है जिसे (क) यूरिया की नई और विस्तार परियोजनाओं और (ख) मौजूदा गैर-गैस आधारित यूरिया इकाइयों की फीडस्टाक/ईंधन के लिए प्राकृतिक गैस/एलएनजी में परिवर्तित करने पर लागू किया जाएगा। यूरिया की स्वदेशी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इफको और कृभको, बहुराज्यीय सहकारी समितियां, ओमान आयल कंपनी के साथ मिलकर सुर, ओमान में संयुक्त उद्यम की स्थापना कर रही है तथा यूरिया का 16.52 लाख मी. टन का संपूर्ण वार्षिक उत्पादन सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। दूसरी ओर, फास्फेटयुक्त उर्वरकों की स्थापित क्षमता (पोषकतत्वों के रूप में 54.20 लाख मी. टन) आवश्यकता (विगत तीन वर्षों की 46-47 लाख मी. टन की औसत खपत) के मौजूदा स्तर को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। देश में पोटाश के वाणिज्यिक रूप से दोहनयोग्य स्रोतों के अभाव में पोटाशयुक्त उर्वरकों के प्रत्यक्ष प्रयोग तथा मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन की पूरी मांग को आयात के जरिए पूरा किया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों के विकास हेतु धनराशि

***410. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:**
श्री अनन्त नायक:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय दिल्ली सहित देश में मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों (एनजेडपी)/अभ्यारण्यों/आरक्षित वनों के राज्यवार नाम क्या है;

(ख) इनके रखरखाव पर सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की जा रही है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में केन्द्र सरकार को कतिपय राज्यों से विभिन्न योजनाओं तथा राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों का विकास, वनों में आग लगने की घटनाओं की रोकथाम, संरक्षा और वन विकास इत्यादि के लिए धनराशि के आबंटन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान योजनावार और राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई और उपयोग की गई;

(ङ) क्या विभिन्न प्रणाली उद्यानों में कतिपय जानवरों की असामयिक मृत्यु पर कोई अध्ययन कराया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्या हैं और इनके संदर्भ में इन क्षेत्रों में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों/बाघ रिजर्वों/हाथी रिजर्वों/राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों/मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों/गैर मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ख) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2004-2005 के लिए वार्षिक धनराशि जारी किए जाने के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण-3 में दिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों से हर वर्ष समेकित प्रस्ताव प्राप्त होते हैं जिनमें दावानल निवारण, सुरक्षा और वन विकास आदि घटक शामिल होते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जारी/उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-4, 5 और 6 में दिया गया है। वर्तमान वर्ष अर्थात् 2005-06 के दौरान अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

(ङ) भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि चिड़ियाघरों में किसी भी जानवर की मृत्यु के प्रत्येक मामले में पोस्ट-मार्टम किया जाता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) चिड़ियाघरों के वन्य प्राणियों की उपयुक्त देखभाल और स्वास्थ्य परिचर्या के संबंध में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं जिनका अनुपालन सभी राज्यों द्वारा किया जा रहा है।

विवरण I

क्र.सं.	श्रेणी	संख्या
1.	राष्ट्रीय उद्यान	92
2.	अभयारण्य	500
3.	बाघ रिजर्व	28
4.	हाथी रिजर्व	24
5.	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान	1
6.	मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर	163
7.	गैर-मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर	91

विवरण II

भारत में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय उद्यानों की सं.	अभयारण्यों की सं.	कुल सं.
1	2	3	4	5
1.	अंडमान	9	96	105
2.	आंध्र प्रदेश	4	21	25
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	11	13
4.	असम	5	15	21
5.	बिहार	1	11	12
6.	चंडीगढ़	0	2	2
7.	छत्तीसगढ	3	10	13
8.	दादरा और नागर हवेली	0	1	1
9.	दमन और दीव	0	1	1

1	2	3	4	5
10.	दिल्ली	0	1	1
11.	गोवा	1	6	7
12.	गुजरात	4	22	26
13.	हरियाणा	2	9	11
14.	हिमाचल प्रदेश	2	32	34
15.	जम्मू और कश्मीर	4	16	20
16.	झारखंड	1	10	11
17.	कर्नाटक	5	21	26
18.	केरल	3	12	15
19.	लक्षद्वीप	0	1	1
20.	मध्य प्रदेश	9	25	34
21.	महाराष्ट्र	5	36	41
22.	मणिपुर	1	5	6
23.	मेघालय	2	3	5
24.	मिजोरम	2	5	7
25.	नागालैंड	1	3	4
26.	उड़ीसा	2	18	20
27.	पंजाब	0	10	10
28.	राजस्थान	4	23	28
29.	सिक्किम	1	6	7
30.	तमिलनाडु	5	20	25
31.	त्रिपुरा	0	4	4
32.	उत्तर प्रदेश	1	23	24
33.	उत्तरांचल	6	6	12
34.	पश्चिम बंगाल	5	15	20
	कुल	92	500	592

विवरण III

वर्ष 2004-2005 के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए जारी की गई धनराशि

क्र.सं.	स्कीम का नाम	2004-05 में व्यय (करोड़ रु.)
1.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	47.80
2.	हाथी परियोजना	13.33
3.	बाघ परियोजना	28.24

विवरण IV

केन्द्रीय प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास" के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई धनराशि

(लाख रु में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20.75	–	69.40
2.	आंध्र प्रदेश	82.725	89.30856	71.70
3.	अरुणाचल प्रदेश	105.035	151.046	111.086
4.	असम	162.135	93.68	213.45
5.	बिहार	00	24.65	–
6.	चंडीगढ़	14.00	–	–
7.	छत्तीसगढ़	92.025	292.93469	227.29
8.	दादरा और नगर हवेली	15.25	–	29.00
9.	गोवा	शून्य	36.45607	37.50
10.	गुजरात	90.365	52.14	223.93
11.	हरियाणा	18.75	24.84	45.10
12.	हिमाचल प्रदेश	93.853	168.9605	343.52
13.	जम्मू और कश्मीर	99.90	138.82492	63.20
14.	झारखंड	29.89	54.6228	77.59
15.	कर्नाटक	599.017	693.9609	546.24
16.	केरल	198.978	344.35594	238.78879
17.	मध्य प्रदेश	196.332	344.35594	268.4755

1	2	3	4	5
18.	महाराष्ट्र	168.20	165.24596	108.05
19.	मणिपुर	64.50	57.80	110.588
20.	मेघालय	40.25	93.07	84.82
21.	मिजोरम	235.60	231.836	315.0412
22.	नागालैंड	107.84	42.70	32.32
23.	उड़ीसा	82.57	187.25	370.27
24.	पंजाब	शून्य	–	–
25.	राजस्थान	366.273	214.819	246.62
26.	सिक्किम	132.76	108.92	74.40
27.	तमिलनाडु	136.11	139.76	158.75
28.	त्रिपुरा	101.88	245.26484	49.125
29.	उत्तर प्रदेश	137.36	164.37	287.53
30.	उत्तरांचल	77.985	96.39	68.20
31.	पश्चिम बंगाल	223.67	214.165	317.24
	कुल	3694.00	4318.74218	4780.22449

विवरण V

हाथी परियोजना के अंतर्गत जारी की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2002-2003 जारी की गई राशि	2003-2004 जारी की गई राशि	2004-2005 जारी की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	50	55.00	48.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	52	61.00	59.00
3.	असम	116	134.100	130.00
4.	झारखंड	45.00	93.00	105.96
5.	कर्नाटक	93	149.660	186.22
6.	केरल	111.88	188.280	167.40

1	2	3	4	5
7.	मेघालय	41.00	64.00	70.00
8.	नागालैंड	49.00	42.00	29.00
9.	उड़ीसा	108.39	116.100	137.96
10.	तमिलनाडु	71.26	117.00	84.00
11.	उत्तरांचल	107	129.00	138.90
12.	पश्चिम बंगाल	86.47	119.950	148.54
13.	मणिपुर	–	–	शून्य
14.	त्रिपुरा	3.00	16.00	17.00
15.	मिजोरम	5.00	–	शून्य
	कुल	939.00	1285.09	1333.98

विवरण VI

2002-03 से 2004-05 के दौरान बाघ परियोजना स्कीम के अंतर्गत बाघ रिजर्वों को जारी की गई धनराशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	बाघ रिजर्व का नाम	2002-2003	2003-2004	2004-2005
1	2	3	4	5
1.	बांधवगढ़	170.87	90.12	85.00
2.	बांदीपुर	170.365	160.39	367.095
3.	भद्रा	119.195	108.93	119.197
4.	बक्सा	30.00	52.45	50.75
5.	कार्बेट	1680.00	200.91	200.12
6.	डंपा	98.32	67.56	119.69
7.	दुधवा	32.75	173.585	175.215
8.	इंदिरावती	32.48	80.25	27.75
9.	कलाकड मुंडनथुरई	125.00	35.00	80.00
10.	कान्हा	232.37	282.86	177.50
11.	मानस	50.70	50.00	–
12.	मेलघाट	71.462	60.00	93.183

1	2	3	4	5
13.	नागार्जुन सागर	21.10	22.89	15.00
14.	नाम्दफा	35.875	38.75	–
15.	नमेरी	15.00	25.00	–
16.	पक्के	–	30.00	35.00
17.	पलामू	18.00	35.99	72.5005
18.	पन्ना	287.50	563.53	60.00
19.	पेंच (मध्य प्रदेश)	47.80	68.97	89.93
20.	पेंच (महाराष्ट्र)	104.108	97.19	87.77
21.	पेरियार	63.75	120.68	105.75
22.	रणथमभौर	225.92	14.245	–
23.	सरिस्का	69.00	144.085	75.00
24.	सतपुड़ा	47.90	97.92	170.00
25.	सिमलीपाल	32.88	151.91	116.4395
26.	सुंदरवन	138.33	172.72	274.74
27.	तड़ोबा-अंधेरी	446.22	71.26	142.06
28.	वाल्मीकि	25.00	50.00	85.00
	कुल	2879.895	3067.2105	2824.69

राष्ट्रीय रोजगार सेवाओं संबंधी कार्य समूह

***411. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री रामदास आठवले:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय रोजगार सेवाएं (नेशनल इम्प्लायमेंट सर्विसेज) संबंधी कार्य समूह ने देश में निजी प्लेसमेंट एजेन्सियों द्वारा नौकरी चाहने वालों के शोषण की गंभीर शिकायतों को उजागर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बेईमान प्लेसमेंट एजेन्सियों की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश भर में तेजी से फैल रही इन एजेन्सियों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के मुख्य बिन्दु क्या हैं और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) चूंकि यह विषय राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, अत: रोजगार चाहने वालों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को, यदि वे आवश्यक समझें तो, इन एजेंसियों के कार्यकरण को विनियमित करने पर विचार करने हेतु, दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

श्रम सुधार

*412. श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा श्रम सुधारों का चर्चा करने के लिए 22 अप्रैल, 2005 को राज्यों के श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के श्रम मंत्रियों द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के बाद श्रम सुधारों के लिए एक मसौदा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा श्रम सुधारों हेतु मसौदा प्रस्ताव कब तक तैयार कर लिए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इस्पात का उत्पादन

*413. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
योगी आदित्यनाथ:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में देश में संयंत्रवार कितनी मात्रा में इस्पात का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या देश में इस्पात का उत्पादन इसकी मांग के बराबर नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वार्षिक मांग तथा आपूर्ति कितनी है;

(घ) मांग पूरी न होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या निकट भविष्य में इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) सरकार निजी क्षेत्र में इस्पात के उत्पादन पर निगरानी नहीं रखती है। तथापि, सरकारी क्षेत्र में प्रमुख इस्पात संयंत्रों तथा निजी क्षेत्र में एकीकृत इस्पात संयंत्र (टिस्को) में उत्पादन का ब्यौरा विवरण के रूप में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। देश में इस्पात का उत्पादन घरेलू मांग से अधिक है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) मांग और आपूर्ति स्थिति पर निर्भर करते हुए इस्पात उत्पादकों द्वारा सामान्यत: अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तथापि, एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में प्रस्तावित राष्ट्रीय इस्पात नीति (एन एस पी) में यह अनुमान लगाया गया है कि इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सार्वभौम रूप से प्रतिस्पर्धी बनने की दृष्टि से वर्ष 2020 तक देश में इस्पात के प्रतिवर्ष 100 मिलीयन टन से अधिक स्वदेशी उत्पादन की आवश्यता होगी। वर्ष 2019-20 तक इस्पात के 100 मिलीयन टन से अधिक उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से एन एस पी में इस उद्योग के विकास में आने वाली आपूर्ति संबंधी बाधाओं को एक खुले, सार्वभौम एकीकृत और प्रतिस्पर्धी वातावरण में दूर करने का प्रस्ताव किया गया है। एन एस पी में विस्तृत आधार वाली स्टेटमेंट्स के अलावा नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कार्रवाई बिन्दुओं की रूपरेखा भी दी गई है।

(छ) सरकार ने इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार तथा विभिन्न नीतिगत उपायों के अंगीकरण जैसे कुछेक कदम उठाए हैं ताकि निजी क्षेत्र में अतिरिक्त इस्पात उत्पादन क्षमता के सृजन को प्रोत्साहित किया जा सके। भारतीय इस्पात उत्पादकों ने भी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं तथा इस्पात की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन, उत्पादकता में सुधार, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और उपयुक्त उत्पाद मिश्र के अंगीकरण सहित विभिन्न उपाय किए हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में देश में विक्रेय इस्पात का वर्ष-वार और संयंत्र-वार उत्पादन

(इकाई: 000 टन)

संयंत्र	2002-03	2003-04	2004-05
भिलाई इस्पात संयंत्र	3616	4091	3935
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	1585	1612	1635
राउरकेला इस्पात संयंत्र	1527	1575	1556
बोकारो इस्पात संयंत्र	3358	3450	3524
मिश्र इस्पात संयंत्र	99	113	128
सेलम इस्पात संयंत्र	83	85	149
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट	84	100	102
इंडियन आयरन एंड स्टील कं. लि.	289	258	287
विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र	3056	3169	3173
टाटा आयरन एंड स्टील कं.	3980	4060	4110

फास्फेटिक उर्वरकों पर राज सहायता

***414. श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री नीतीश कुमार:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005-06 के दौरान फास्फेटिक उर्वरकों पर राज-सहायता उपलब्ध कराने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त वैकल्पिक व्यवस्था के न होने से उर्वरक उत्पादकों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चे माल की खरीद करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप उर्वरकों के उत्पादन में गिरावट आने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था करने संबंधी निर्णय नहीं लेने के क्या कारण हैं और इस निर्णय के कब तक लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) सरकार नियंत्रणमुक्त पी एवं के. उर्वरकों के लिए रियायत योजना के अंतर्गत फास्फेटयुक्त उर्वरकों पर रियायत प्रदान कर रही है। फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की रियायती दरें टैरिफ आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित की जा रही हैं। सरकार ने अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार 31 मार्च, 2006 तक इस योजना को जारी रखने का अनुमोदन पहले ही दे दिया था।

(ग) उर्वरकों की कच्ची सामग्री/मध्यवर्तियों का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है। फास्फेटयुक्त उर्वरक उत्पादक अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार इन वस्तुओं का आयात स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। सरकार कच्ची सामग्री और मध्यवर्तियों के मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित कार्यप्रणाली के अनुसार रियायत दरें निर्धारित करने के लिए फास्फेटयुक्त उर्वरकों के सुपुर्दगी मूल्य को तिमाही आधार पर अद्यतन कर रही है।

(घ) और (ङ) जी नहीं, वर्ष 2004-05 के दौरान रियायत योजना के अंतर्गत शामिल फास्फेटयुक्त उर्वरकों का कुल उत्पादन 120.05 लाख मी. टन था। फास्फेटयुक्त उर्वरकों के उत्पादकों द्वारा दर्शाई गई उत्पादन योजना के अनुसार वर्ष 2005-06 में लगभग 149 लाख मी. टन उत्पादन होने की संभावना है।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में चीन के साथ सहयोग

***415. श्री अर्जुन सेठी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में चीन के साथ सहयोग संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल में कृषि मंत्री के चीन दौरे के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा हाल ही में किए गए चीन के दौरे के अनुसरण में सरकार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भारत और चीन के बीच सहयोग के लिए औपचारिक फ्रेमवर्क बनाने पर विचार कर रही है। सामान्य राजनयिक सूत्रों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करने तथा बातचीत द्वारा चीनी पक्ष के परामर्श से और ब्यौरा तैयार किये जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

बंधुआ मजदूर

***416. श्री कैलाश मेघवाल: क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बन्धुआ मजदूरों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुक्त कराए गए बन्धुआ मजदूरों की संख्या कितनी है और उनके पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्यों तथा गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओज) को राज्य-वार कितनी राशि आबंटित की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए कोई ठोस तथा व्यापक नई योजनाएं शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (घ) बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पूरे देश में कानून के द्वारा बंधुआ श्रम प्रथा समाप्त कर दी गई है। तथापि, राज्य सरकारों से कभी-कभार बंधुआ श्रम के घटना की सूचना मिलती रहती है और उन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जैसे ही संभव होता है, मुक्त कराने और पुनर्वासित करने के प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार, देश में बंधुआ श्रमिक के रूप में लगे बंधुआ श्रमिकों की संख्या राज्यवार किसी समय नहीं रखी जा सकती है। बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अधिनियमित होने के पश्चात् से, 266,283 बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास किया गया है। सरकार मई, 1978 से, केन्द्र प्रायोजित एक योजना चला रही है जिसके अंतर्गत प्रत्येक मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिक को 20,000/- रुपये की राशि उसके पुनर्वास के लिए प्रदान की जाती है जिसे केन्द्र और संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50:50 आधार पर वहन किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 20,000/- रुपये की सम्पूर्ण राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा बंधुआ श्रमिकों का सर्वेक्षण करने के लिए, प्रति जिला 2.00 लाख रुपये (तीन वर्षों में एक बार), जागरूकता सृजन के लिए प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये और मूल्यांकन अध्ययनों के लिए प्रति वर्ष 5.00 लाख रुपये राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रदान किए जाते हैं। केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओज) को सीधे कोई अनुदान नहीं प्रदान किया जाता है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत मुक्त कराये गए और पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या और पुनर्वास, जागरूकता सृजन, सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन अध्ययनों के लिए राज्यों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस समय, बंधुआ श्रमिकों की पहचान और पुनर्वास के लिए पहले से ही मौजूद केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अलावा कोई नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या और पुनर्वास, जागरूकता सृजन तथा मूल्यांकन अध्ययनों के लिए राज्यवार प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता

(रुपये लाखों में)

वर्ष	राज्य	मुक्त कराए गए और पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों की संख्या	राज्य सरकारों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता (रुपये लाखों में)				
			पुनर्वास	जागरूकता सृजन	बंधुआ श्रमिकों का सर्वेक्षण	मूल्यांकन अध्ययन	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
2002-03	महाराष्ट्र	5	0.50	शून्य	शून्य	शून्य	0.50
	पंजाब	69	6.90	शून्य	शून्य	शून्य	6.90

1	2	3	4	5	6	7	8
	कर्नाटक	1854	185.40	शून्य	शून्य	शून्य	185.40
	छत्तीसगढ़	124	12.40	शून्य	32.00	शून्य	44.40
	हरियाणा	21	0.11	शून्य	शून्य	शून्य	0.11
	बिहार	125	12.50	7.00	शून्य	5.00	24.50
	मध्य प्रदेश	–	–	10.00	10.00	5.00	25.00
	झारखंड	–	–	10.00	शून्य	शून्य	10.00
	अरुणाचल प्रदेश	–	–	शून्य	8.00	शून्य	8.00
	उत्तरांचल	–	–	10.00	16.00	शून्य	26.00
2003-04	बिहार	314	31.40	शून्य	शून्य	शून्य	31.40
	उत्तरांचल	5	0.50	शून्य	शून्य	शून्य	0.05
	उत्तर प्रदेश	398	39.80	शून्य	शून्य	शून्य	39.80
	आंध्र प्रदेश	1699	169.90	शून्य	शून्य	शून्य	169.90
	उड़ीसा	39	3.31	शून्य	शून्य	शून्य	3.31
	राजस्थान	10	1.00	शून्य	शून्य	शून्य	1.00
	महाराष्ट्र	–	–	शून्य	24.00	शून्य	24.00
2004-05	मध्य प्रदेश	265	16.91	शून्य	शून्य	शून्य	16.91
	बिहार	281	28.10	शून्य	शून्य	शून्य	28.10
	उड़ीसा	19	1.90	शून्य	शून्य	शून्य	1.90
	उत्तर प्रदेश	41	4.05	शून्य	शून्य	शून्य	4.05
	कर्नाटक	64	6.40	शून्य	शून्य	शून्य	6.40
	दिल्ली	–	–	शून्य	18.00	शून्य	18.00
	मणिपुर	–	–	5.00	शून्य	शून्य	5.00

जल संरक्षण पर जागरूकता

***417. श्री पारसनाथ यादव:**
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो दशकों के दौरान भारत के 18 राज्यों के 286 जिलों में जल स्तर 4 मीटर घट गया है;

(ख) यदि हां, तो जल स्तर के घटने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या जल स्तर में कमी का एक कारण लोगों में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता की कमी है और जल संरक्षण में कुप्रबंध के कारण प्रतिदिन करोड़ों गैलन पानी व्यर्थ चला जाता है;

(घ) यदि हां, तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) जल स्तर में और कमी को रोकने तथा जल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ङ) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) द्वारा भूजल स्तरों के दीर्घकालीन विश्लेषण से पिछले दो दशकों (1985-2004) के दौरान 16 राज्यों में 274 जिलों के कुछ भागों में भूजल स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट का पता चलता है। भूजल स्तर में गिरावट के मुख्य कारण तेजी से शहरीकरण, कृषि, औद्योगिक और घरेलू प्रयोजनों के लिए बढ़ती मांग, फसल पद्धति में परिवर्तन, भूजल की अतिरिक्त निकासी, कम वर्षा आदि हैं। जल संरक्षण के लिए लोगों के बीच जागरूकता का अभाव भी जल स्तर में गिरावट के कारणों में से एक है।

जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संरक्षण के लिए लोगों के बीच जागरूकता लाने के उपाय करना तथा जल स्तर की और गिरावट को रोकने के उपाय करना तथा जल संरक्षण के लिए उपाय करना मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं:-

(1) युवा और बच्चों, महिलाओं, किसानों तथा ग्रामवासियों, नीति और विचारकर्त्ताओं जैसे विभिन्न लक्षित समूहों को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण अभियान चलाया गया है। इस प्रयोजन के लिए प्रिंट मीडिया द्वारा प्रचार, दूरदर्शन पर स्पाट का प्रसारण, रेडियो पर संदेशों का प्रचार-प्रसार, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि का आयोजन किया गया है।

(2) वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी जन-जागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन।

(3) जल संसाधन मंत्रालय तथा इसके संगठनों ने जल संरक्षण के लिए लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने तथा जल के परिरक्षण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन किया। जल संसाधन मंत्रालय ने कई मेलों, प्रदर्शनियों आदि जैसे दिल्ली में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2004, कोलकाता में कोलकाता समारोह-2004, दिल्ली में नगरपालिका-2005 तथा दिल्ली में टनेलिंग एशिया-2005 आदि में भाग लिया। सम्पूर्ण भारत के लोगों के बीच जन-जागरूकता सृजित करने के लिए स्वच्छ जल वर्ष के रूप में वर्ष 2003 मनाया गया था। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस/जल संसाधन दिवस भी मनाया जाता है जिसमें जल संरक्षण के लिए लोगों के बीच जन-जागरूकता पर बल दिया जाता है।

(4) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के लिए 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम का प्रस्ताव किया है।

(5) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल/दिशा निर्देशों का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट के रूख को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(6) केन्द्रीय मंत्रालयों/रेल, रक्षा, डाक, दूरसंचार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन भवनों में छत के वर्षा जल संचयन संबंधी संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(7) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले भवनों पर जल संचयन संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(8) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आने वाले स्थानीय निकायों को यह सलाह दें कि जो व्यक्ति अपने अहाते/परिसर में छत के वर्षा जल संचयन को अपना रहे हैं उन्हें संपत्ति कर में छूट दी जाए।

(9) सीजीडब्ल्यूबी ने राज्य सरकार अभिकरणों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी उद्यमों और व्यक्तियों सहित लगभग 1800 अभिकरणों को वर्षा जल संचयन के संबंध में तकनीकी दिशानिर्देश मुहैया कराये हैं।

(10) वर्षा जल संचयन की विभिन्न तकनीकों और भविष्य में उपयोग के लिए इसके भंडारण के संबंध में जनता को जागरूक और शिक्षित करने के लिए छत के वर्षा जल संचयन पर एक वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. सीजीडब्ल्यूबी.नेट) की शुरूआत करना।

(11) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिल्ली में 100 वर्गमीटर और उससे अधिक के भूखंडों पर सभी नये भवनों में वर्षा जल सहित

जल अपवाह के भंडारण के माध्यम से जल संचयन संबंधी प्रावधान करते हुए भवन उप-नियम, 1983 में संशोधन किया है। इसी प्रकार से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और केरल राज्य सरकारों ने विशेष मामलों में छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वन आयोग की रिपोर्ट

*418. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003 में गठित राष्ट्रीय वन आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय वन आयोग निर्धारित तिथि अर्थात् 06.02.2005 तक अपना कार्य पूर्ण नहीं कर सका है तथा इसके द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार केन्द्र सरकार ने इसकी अवधि छः माह अर्थात् 06.08.2005 तक बढ़ा दी है।

(घ) राष्ट्रीय वन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट 06.08.2005 तक प्रस्तुत किए जाने की आशा है। रिपोर्ट की जांच, सिफारिशों पर निर्णय तथा केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में आगे कार्रवाई इसके पश्चात् की जाएगी।

[हिन्दी]

पर्यटन के विकास हेतु राज्यों को सहायता

*419. **श्री अवतार सिंह भड़ाना:**
श्री जे.एम. आरून रशीद:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों में पर्यटन के विकास हेतु कोई विशेष पैकेज प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) से (घ) राज्यों में पर्यटन का विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटन परिपथों एवं गंतव्यों आदि के उत्पाद/अवसंरचना विकास की अपनी योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य सरकारों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दसवीं योजना (31.12.2004 को) के दौरान स्वीकृत की गई राज्यवार पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-03			2003-04			2004-05 (21.12.2004 तक)		
		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2	507.50	195.00	6	946.50	896.44	11	2750.81	2191.92
2.	असम	9	768.13	618.85	3	313.46	313.06	6	955.88	742.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	41.30	32.50	6	1044.60	700.00	6	1285.70	905.52
4.	बिहार	8	505.00	505.00	6	1019.42	913.89	7	1901.23	1527.55
5.	छत्तीसगढ़	9	308.00	98.50	6	1005.00	364.00	4	1086.26	869.01
6.	गोवा	1	0.50	0.50	2	36.76	34.76	2	10.00	8.00
7.	गुजरात	2	197.12	59.13	8	920.51	815.82	2	138.93	111.14
8.	हरियाणा	8	332.25	311.00	16	1215.38	879.23	5	678.55	501.64
9.	हिमाचल प्रदेश	30	779.32	760.38	4	182.32	85.00	5	2620.00	1736.00
10.	जम्मू और कश्मीर	3	94.38	89.47	5	895.00	895.00	2	805.00	644.00
11.	झारखंड	0	0	0	2	1109.00	774.60	1	474.97	379.97
12.	कर्नाटक	6	902.49	625.49	14	932.66	792.51	8	2432.76	1914.37
13.	केरल	11	861.36	829.86	6	608.50	764.15	5	2148.63	1718.88
14.	मध्य प्रदेश	18	711.18	574.79	10	621.90	394.51	8	1285.46	783.03
15.	महाराष्ट्र	8	623.46	546.25	10	931.83	914.58	6	1576.38	1260.10
16.	मणिपुर	2	5.24	2.62	1	82.44	24.73	0	0.00	0.00
17.	मेघालय	3	70.35	21.20	2	40.22	24.92	2	963.30	807.91
18.	मिजोरम	6	141.16	48.46	5	567.70	186.75	3	1081.28	927.09
19.	नागालैंड	5	360.50	323.43	4	711.00	220.80	5	2165.69	1731.40
20.	उड़ीसा	2	47.50	15.75	5	419.55	138.50	5	1316.48	999.69
21.	पंजाब	3	23.00	14.60	2	96.00	12.30	4	846.41	561.26
22.	राजस्थान	13	1098.70	1096.20	14	1644.81	1414.25	2	39.31	31.45
23.	सिक्किम	13	346.24	269.76	8	1151.09	681.49	6	1005.81	805.13
24.	तमिलनाडु	5	559.00	316.10	14	1339.82	850.53	6	876.92	702.72
25.	त्रिपुरा	5	216.13	67.78	6	450.17	135.16	0	0.00	0.00
26.	उत्तरांचल	3	548.00	418.00	4	230.44	203.94	3	1412.93	1125.56
27.	उत्तर प्रदेश	3	295.00	295.00	7	1115.80	916.26	7	1037.43	825.19
28.	पश्चिम बंगाल	5	201.10	60.00	10	717.44	384.34	5	480.04	384.03
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	3	7.75	6.63	2	10.00	8.00	1	457.09	365.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	दादरा एवं नागर हवेली	2	8.07	6.46	0	0	0	0	0.00	0.00
32.	दिल्ली	14	504.00	449.02	17	3316.28	3222.13	1	500.00	400.00
33.	दमन और दीव	3	49.50	16.90	1	265.07	238.56	0	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	2	7.87	6.30	1	245.17	73.55	2	451.00	360.00
	कुल	212	11121.10	8680.93	207	24185.84	18073.76	130	32784.16	25320.26

[अनुवाद]

तेल कम्पनियों द्वारा मैंगनीज आधारित "ओक्टेन एनहांसर" का प्रयोग

***420. श्री मधु गौड यास्खी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ तेल कंपनियां वाहनों की माइलेज बढ़ाने के उद्देश्य से मैंगनीज आधारित "ओक्टेन एनहांसर" का प्रयोग करने का प्रयास कर रही है जोकि मनुष्यों और वातावरण दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण संरक्षण नियंत्रण प्राधिकरण ने इस मुद्दे के संबंध में पेट्रोलियम कंपनियों के साथ बातचीत की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) इस रसायन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भोपाल गैस त्रासदी

4375. श्रीमती पी. सतीदेवी:
डा. रामचन्द्र डोम:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भोल में गैस प्रभावित लोगों के बारे में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) द्वारा महामारी संबंधी दीर्घकालिक अध्ययन करने हेतु गठित 5 करोड़ रुपए की कायिक निधि के उपयोग के लिए निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन निबंधन और शर्तों को पूरा किया गया है;

(ग) क्या बाद के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए गैस प्रभावित लोगों के उपचार हेतु प्रारंभिक मार्गनिर्देशों को बदले जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इन परिवर्तनों को कार्यान्वित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मूंगफली अनुसंधान केन्द्र

4376. श्री अतीक अहमद: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूंगफली अनुसंधान केन्द्र ने एक वर्ष में मूंगफली की दो फसलें प्राप्त करने हेतु कुछ अनुसंधान कराए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उत्तरी भारत, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को एक वर्ष में मूंगफली की उच्च उत्पादकता वाले बीज प्रदान करने और एक वर्ष में दो फसलों को उगाने हेतु तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) एक वर्ष में मूंगफली की दो फसलें उगाना एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के किसान अपनाते हैं, जहां मूंगफली की दूसरी फसल (रबी या ग्रीष्म) लेने के लिए सिंचाई की समुचित सुविधाएं उपलब्ध होती हैं।

(ग) पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में मूंगफली की दो फसलें उगाने की सम्भावना इस क्षेत्र की प्रतिकूल कृषि-जलवायवीय परिस्थितियों और उगाने की दशाओं को ध्यान में रखते हुए कम है।

सभी कामगारों का कल्याण

4377. **श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:**
श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कामगारों के कल्याण हेतु योजना शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत पंजाब और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के लिए राज्यवार कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों के कल्याण के लिए योजना शुरू करने हेतु कोई निर्णय नहीं लिया है। तथापि, असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए पंजाब और महाराष्ट्र सहित देश के 50 जिलों में प्रायोगिक आधार पर जनवरी, 2004 में असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। इस योजना में सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर और वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत कवरेज के लाभ की अभिकल्पना है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 3500 कामगारों का नामांकन किया गया है। यह योजना विधायी समर्थन न होने, स्वैच्छिक स्वरूप का होने और नियोजकों का अंशदान उपलब्ध न होने जैसी कुछ अन्तर्निहित कमियों की वजह से व्यवहार्य नहीं पायी गयी। इस समय, इस योजना में कोई नया नामांकन नहीं किया जा रहा है।

कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण

4378. **श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005 के लिए कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण के लिए कौन से अनंतिम लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कौन-सी योजनाओं पर विचार किया गया है;

(ग) उक्त योजनाओं को कार्यान्वित कर किसानों को ऋण कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार किसानों को संस्थागत ऋण प्रदान करने हेतु योजना में व्यापक सुधार करने के पक्ष में है; और

(ङ) यदि हां, तो किसानों के हित में उक्त सुधारों को किस तरह से और कब से कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2004-05 हेतु कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋणों के लिए अनंतिम लक्ष्य 1,04,500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था तथा फरवरी, 2005 के अंत तक कुल संवितरण 1,04,718.45 करोड़ रुपये बनता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने 28 फरवरी, 2005 को अपने बजट भाषण में घोषणा की कि वर्ष 2004-05 में कृषि ऋण का संवितरण 1,08,500 करोड़ रुपये होगा तथा वर्ष 2005-06 में कृषि ऋण का प्रवाह वर्ष 2004-05 हेतु संभावित उपलब्धियों से 30% अधिक होगा। तदनुसार वर्ष 2005-06 हेतु कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋणों का अनंतिम लक्ष्य 1,41,000 करोड़ रुपये है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2004-05 हेतु कृषि ऋण प्रवाह का लक्ष्य 1,04,500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था तथा फरवरी, 2005 के अंत तक कुल संवितरण 1,04,718.45 करोड़ रुपये बैठता है जो लक्ष्य का 100.21% है। बैंकों को कृषि ऋण में प्रवाह में पिछले वर्ष की उपलब्धि की तुलना में वर्ष 2005-06 में 30% की वृद्धि दर प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा 18 जून, 2004 को घोषित व्यापक नीति पैकेज क्रियान्वयनाधीन है जिसमें कृषि ऋण प्रवाह को सुधारने तथा किसानों को ऋण संबंधी राहत प्रदान करने के लिए उपाय शामिल हैं, सरकार किसानों को उचित ब्याज दर पर तथा निर्बाध ढंग से संस्थागत ऋण प्रदान करने हेतु सतत आधार पर सुधारात्मक उपाय कर रही है।

विवरण

क. वित्त मंत्री जी द्वारा 18 जून, 2004 को की गई घोषणा, जिसमें कृषि ऋण प्रवाह को सुधारने तथा किसानों को ऋण संबंधी राहत प्रदान करने के लिए उपाय शामिल हैं, के अनुसरण में बैंकों को निम्नलिखित परामर्श दिए गए हैं:

1. पिछले वर्ष के ऋण प्रवाह के मुकाबले 30 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करना।
2. वर्ष 2004-05 में कृषि ऋण के लिए बड़े लक्ष्य की तर्ज पर संस्थागत ऋण की कवरेज बढ़ाना जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड शामिल है।
3. काश्तकारों और मौखिक पट्टेदारों को ऋण प्रदान करने हेतु चालू वर्ष के दौरान काश्तकारों और मौखिक पट्टेदारों के स्व-सहायता दलों को सूचना देना तथा उनका वित्त पोषण करना।
4. किसानों की वास्तविक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त पोषण के पैमानों, विशेषकर पूंजी गहन कृषि कार्यों की समीक्षा करना।
5. वाणिज्यिक बैंक चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण शाखा पर औसतन कम से कम 100 नए किसानों को अपने दायरे में लाने के प्रयास करेंगे। इसका लक्ष्य नए किसानों का बैंकों से उधार की परिधि को लगभग 50 लाख बढ़ाना है।
6. वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण शाखा पौध रोपण तथा बागवानी, मात्स्यिकी, जैव कृषि, कृषि-प्रसंस्करण, पशुधन, सूक्ष्म-सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, पनधारा प्रबंधन, ग्राम तालाब विकास और अन्य कृषि कार्यकलापों के क्षेत्र में कम से कम दो से तीन नई निवेश परियोजनाएं शुरू करेंगी।
7. प्रत्येक जिले में चालू वर्ष के दौरान सभी वाणिज्यिक बैंक मिलकर 10 एग्रो-क्लिनिकों को वित्त पोषित करेंगे।
8. नाबार्ड द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ऋण का पुनर्संरचना।

*दबाव में किसान-राज्य सरकार द्वारा आपदा-प्रभावित घोषित जिलों में 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार किसानों के ऋणों को पुनर्निर्धारण/पुन: संचरित किया गया। पुनर्निधारित ऋण दो वर्ष के प्रारम्भिक स्थगन के साथ विद्यमान ब्याज दर पर 5 वर्षों की अवधि में अदा किये जायेंगे।

*बकाया वाले किसान-ऐसे किसानों जिनके पास बकाया ऋण है और वे नए ऋण के लिए अपात्र हो गए हैं क्योंकि उनके पहले के ऋणों को अव-सामान्य अथवा संदेहाप्रद के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है, के ऋणों का पुन: निर्धारण नाबार्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार करें ताकि ऐसे किसान नए ऋण के लिए पात्र बन सकें।

*छोटे और सीमान्त किसानों के लिए एक बारगी निपटान स्कीम (ओटीएस)-छोटे और सीमान्त किसानों, जो चूककर्त्ता घोषित कर दिए गए हैं और ऋणदाता संस्थानों से नए ऋण के लिए अपात्र हो गए हैं, के लिए एक बारगी निपटान (ओटीएस) स्वीकृत करने के लिए नाबार्ड द्वारा सहकारी समितियों को लचीलापन बढ़ाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए गए हैं। सहकारी बैंकों को ऐसे मामलों की समीक्षा करने की सलाह दी गयी है जिनमें इस आधार पर ऋण देने से मना कर दिया गया था इन ऋणों का निपटान समझौते पर बट्टे खाते के माध्यम से किया गया था।

*देश के कुछ भागों में, गैर-संस्थागत ऋणदाताओं (अर्थात् साहूकारों) से कर्ज के भारी दबाव के कारण किसान विकट परेशानी (दबाव) का सामना करते हैं। बैंकों को ऐसे किसानों को अग्रिम ऋणों की अनुमति दी गई है ताकि उन्हें उपयुक्त पारस्परिकता या सामूहिक सुरक्षा के प्रति ऋणग्रस्तता से राहत मुहैया कराई जा सके।

(ख) ग्रामीण सहकारी बैंकिंग संस्थानों के पुनर्जीवन हेतु सरकार द्वारा प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित कार्य बल की सिफारिशें कार्यान्वयन हेतु सिद्धान्त: स्वीकार कर ली गयी हैं।

राज्यों में जल स्तर को ऊपर उठाना

4379. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री इलियास आजमी:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्षा जल संचयन तकनीक का उपयोग कर राज्यों में भूजल स्तर को ऊपर उठाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने देश के विभिन्न भागों में किए गए जल भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के आधार पर विभिन्न चुनिंदा क्षेत्रों में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की आवश्यकता का मूल्यांकन किया है और विभिन्न राज्यों के लिए वर्षा जल संचयन तथा विभिन्न कृत्रिम पुनर्भरण तकनीकों के प्रयोग से "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना" नामक एक रिपोर्ट तैयार की है।

(ख) इस मास्टर प्लान में परिकल्पित व्यवहार्य कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इस मास्टर प्लान में देश के विभिन्न भागों में इन पुनर्भरण संरचनाओं की व्यवहार्यता संबंधी विस्तृत ढांचे की रूपरेखा दी गई है। यह एक संकल्पनात्मक दस्तावेज है। जल "राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों के संवर्धन के लिए योजनाओं को तैयार करने का उत्तरदायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का होता है। तथापि वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के लिए 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम का प्रस्ताव किया है।

(2) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल/दिशा निर्देशों का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट के रूख को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(3) केन्द्रीय मंत्रालयों/रेल, रक्षा, डाक, दूरसंचार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन भवनों में छत के वर्षा जल संचयन संबंधी संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(4) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले भवनों पर जल संचयन संरचनाएं उपलब्ध कराएं।

(5) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आने वाले स्थानीय निकायों को यह सलाह दें कि जो व्यक्ति अपने अहाते/परिसर में छत के वर्षा जल संचयन को अपना रहे हैं उन्हें संपत्ति कर में छूट दी जाए।

(6) सीजीडब्ल्यूबी ने राज्य सरकार अभिकरणों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी उद्यमों और व्यक्तियों सहित लगभग 1800 अभिकरणों को वर्षा जल संचयन के संबंध में तकनीकी दिशानिर्देश मुहैया कराये हैं।

(7) वर्षा जल संचयन की विभिन्न तकनीकों और भविष्य में उपयोग के लिए इसके भंडारण के संबंध में जनता को जागरूक और शिक्षित करने के लिए छत के वर्षा जल संचयन पर एक वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. सीजीडब्ल्यूबी.नेट) की शुरूआत करना।

(8) वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी जन-जागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन।

(9) युवा और बच्चों, महिलाओं, किसानों तथा ग्रामवासियों, नीति और विचारकर्त्ताओं जैसे विभिन्न लक्षित समूहों को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण अभियान चलाया गया है। इस प्रयोजन के लिए प्रिंट मीडिया द्वारा प्रचार, दूरदर्शन पर स्पाट का प्रसारण, रेडियो पर संदेशों का प्रचार-प्रसार, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि का आयोजन किया गया है।

(10) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने भवन उपनियम, 1983 में संशोधन कर दिल्ली में 100 वर्गमीटर और इससे अधिक के प्लाटों में सभी नए भवनों में वर्षा जल सहित अपवाह जल संचयन के माध्यम से जल संचयन का प्रावधान रखा है। उसी प्रकार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और केरल सरकारों ने विशेष मामलों में छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया है।

विवरण

सीजीडब्ल्यूबी द्वारा तैयार "भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना" में परिकल्पित व्यवहार्य कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कृत्रिम पुनर्भरण के लिए अभिज्ञात क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	पुनर्भरण के लिए सतही जल की मात्रा (एमसीएम) में	कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का प्रकार और संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	65333	1095	3800 परिस्रवण टैंक 11167 चेक बांध शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन

1	2	3	4	5
2.	बिहार और झारखंड	4082	1120	2695 परिश्रवण टैंक 9483 नाला बांध 1303 कन्टूर बांध 1630 पुनर्भरण शाफ्ट
3.	छत्तीसगढ़	11706	258	648 परिश्रवण टैंक 2151 नाला बांध/सीमेंट प्लग/चेक बांध 2582 ग्रेवेटी हेड/पुनर्भरण शाफ्ट 7740 गुल्ली प्लग, गेबियन संरचनाएं
4.	दिल्ली	693	444	23 प्रश्रिवण टैंक 23 मौजूदा डग वेल 10 नाला बंध 19216 पुनर्भरण कुओं सहित लेटरल ट्रेंच 2496 छत के वर्षा जल संचयन
5.	गोवा	3701	529	1410 चेक बांध/केटी वेयर 10,000 छत के वर्षा जल संरचनाएं
6.	गुजरात	64264	1408	4942 पुनर्भरण नलकूपों सहित परिश्रवण टैंक 13210 चेक बांध वर्षा जल संचयन (4.5 लाख घर)
7.	हरियाणा	16120	685	15928 पुनर्भरण शाफ्ट और पुनर्भरण टैंक छत के वर्षा जल संचयन (1.7 लाख घर)
8.	हिमाचल प्रदेश	–	149	1000 उप सतही डाईक 500 चेक बांध 300 तलाबों का पुनरुद्धार 500 झरनों का पुनरुद्धार 2000 छत पर संचयन संरचनाएं
9.	जम्मू और कश्मीर	–	161	1500 उप सतही डाईक 336 कांडी तालाब का पुनरुद्धार छत पर संचयन (1.5 लाख घर)
10.	कर्नाटक	36710	2065	1040 उप सतही बांध 5160 परिश्रवण टैंक/पुराने टैंकों से गाद हटाना 17182 चेक बांध फिल्टर बैड सहित 8.3 लाख छत के वर्षा जल संचयन
11.	केरल	4650	1078	4312 चेक बांध 7181 उप सतही डाईक 10780 गुल्ली प्लग 10780 नाला बन्ध छत के वर्षा जल संचयन (0.7 लाख घर) अपवाह जल संचयन (1200 संरचनाएं)

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	36335	2320	5302 परिग्रण टैंक 20198 नाला बंध/सीमेंट प्लग/चेक बांध 23181 ग्रेविटी हेड/डग वेल/नलकूप/पुनर्भरण शाफ्ट 69598 गुल्ली प्लग, गैबियन संरचनाएं
13.	महाराष्ट्र	65267	2318	8108 परिग्रवण टैंक 16598 सीमेंट प्लग 2300 पुनर्भरण शाफ्ट, छत के वर्षा जल संचयन संबंधी शहरी स्कीमें (8.78 लाख घर) 3500 अपवाह संचयन
14.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	500 चेक बांध 1000 वीयर 1000 गैबियन संरचनाएं 480 छत पर संचयन 300 झरनों का विकास
15.	असम	–	–	250 चेक बांध 500 वीयर 1000 गैबियन संरचनाएं 600 छत पर संचयन 250 झरनों का विकास
16.	मणिपुर	–	–	300 चेक बांध 500 वीयर 500 गैबियन संरचनाएं 300 छत पर संचयन 150 झरनों का विकास
17.	मेघालय	–	–	300 चेक बांध 600 वीयर 600 गैबियन संरचनाएं 300 छत पर संचयन 200 झरनों का विकास
18.	मिजोरम	–	–	500 चेक बांध 1000 वीयर 1000 गैबियन संरचनाएं 300 छत पर संचयन 200 झरनों का विकास

1	2	3	4	5
19.	नागालैंड	–	–	500 चेक बांध 1000 वीयर 1000 गैबियन संरचनाएं 300 छत पर संचयन 200 झरनों का विकास
20.	त्रिपुरा	–	–	300 चेक बांध 500 वीयर 1000 गैबियन संरचनाएं 240 छत पर संचयन 100 झरनों का विकास
21.	पंजाब	22750	1200	40030 पुनर्भरण शाफ्ट और पुनर्भरण ट्रेंच शहरी क्षेत्रों में 12800 छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाएं
22.	राजस्थान	39120	861	3228 परिश्रवण टैंक 1291 अनीकट 2871 पुनर्भरण शाफ्ट छत के वर्षा जल संचयन संरचनाएं (4 लाख घर)
23.	सिक्किम	–	44	2100 झरनों का विकास 2500 सीमेंट प्लग/नाला बंध 5300 गैबियन संरचनाएं 69597 छत के जल का संचयन
24.	तमिलनाडु	17292	3597	8612 परिश्रवण तालाब 18170 चेक बांध 5 लाख वर्षा जल संचयन संरचनाएं
25.	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	45180	14022	4410 परिश्रवण टैंक 12600 सीमेंट प्लग (चेक बांध) 2,12,700 पुनर्भरण शाफ्ट छत के वर्षा जल संचयन संरचनाएं (10 लाख)
26.	पश्चिम बंगाल	7500	2664	11200 शाफ्ट सहित परिश्रवण टेंक 3606 गैबियन संरचनाएं 1054 नाला बांध/सीमेंट प्लग 1680 टैंकों की दुबारा खुदाई 500 गांवों के तलाबों से गाद हटाना 1000 झरनों का विकास 70 उप सतही डाईक 1500 कलकत्ता और दार्जिलिंग में छत के जल का संचयन

1	2	3	4	5
27.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	–	3	145 झरनों का विकास 270 सीमेंट प्लग 38 परिश्रवण टैंक 150 उप सतही डाईक 2600 छत के जल का संचयन
28.	चंडीगढ़	33	26	597 पुनर्भरण शाफ्ट, पुनर्भरण ट्रैंच, चेक बांध और गैबियन संरचनाएं
29.	दादरा एवं नागर हवेली			50 चेक बांध/सीमेंट प्लग 58 उप सतही डाईक 1000 घरों के छत के वर्षा जल संचयन
30.	दमन और दीव	–	–	100 नाला बंध/चेक बांध 2000 छत के वर्षा जल संचयन संरचनाएं
31.	लक्षद्वीप	–	–	1000 छत के वर्षा जल संचयन संरचनाएं
32.	पांडिचेरी	–	–	5 परिश्रवण टैंक 14 पुनर्भरण पिट 20 चेक बांध 40 तलाबों से गाद हटाना 10 नाला बंध 20 गाद हटाना/पुनर्भरण कूप छत के वर्षा जल संचयन 10,000 घर

[अनुवाद]

गोदामों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी

4380. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोदामों के निर्माण और रखरखाव में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां तो आज की तिथि के अनुसार देश में निजी भागीदारी द्वारा राज्य-वार ऐसे कितने गोदाम निर्मित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने खरीद प्रक्रिया को विकेन्द्रीत कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम की सात वर्षीय गारंटी योजना के अधीन केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भांडागारण निगमों द्वारा देश में अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित की गई है। केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भांडागारण निगमों ने सात वर्षीय गारंटी योजना के अधीन कुछ स्थानों पर गोदामों के निर्माण में निजी भागीदारी को शामिल किया है।

(ख) आज की तारीख के अनुसार सात वर्षीय गारंटी योजना के अधीन निजी भागीदारी के जरिये राज्यवार निर्मित गोदामों की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

राज्य का नाम	निर्मित गोदामों की संख्या
आंध्र प्रदेश	70
हरियाणा	33
पंजाब	200
राजस्थान	1
जोड़	304

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार द्वारा 1997-98 में खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत वसूली योजना वसूली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुशलता में वृद्धि करने और स्थानीय वसूली को अधिकतम सीमा तक प्रोत्साहित करने की दृष्टि से शुरू की गई थी ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ स्थानीय किसानों को मिल सके और ढुलाई लागत में बचत की जा सके। इससे खाद्यान्नों की स्थानीय जरूरत के ज्यादा अनुकूल वसूली भी सुनिश्चित हो सकेगी।

तिब्बती ऐन्टिलोप के रक्षित प्रजनन संबंधी संयुक्त परियोजना

4381. **श्री छेवांग थुपस्तन:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू कश्मीर सरकार और लद्दाख एरिया हिल डेवलपमेंट काउंसिल (एल ए एच डी सी) लेह, तिब्बती एन्टिलोप (चिरू) के कृत्रिम/रक्षित प्रजनन शुरू करने हेतु संयुक्त परियोजना का वित्तपोषण करने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि तिब्बत में चीन सरकार द्वारा भी इसी तरह की परियोजना शुरू की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या चीन के साथ सूचना और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उर्वरकों की खपत में कमी

4382. **श्री सुशील कुमार मोदी:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में उर्वरकों की खपत में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उर्वरकों की खपत का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार सरकार द्वारा बिक्री प्रमाण-पत्र जारी न किए जाने के कारण राजसहायता शीर्ष के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध उर्वरक कम्पनियों का 800 करोड़ रुपए बकाया है;

(घ) यदि हां, तो क्या कई उर्वरक कम्पनियों ने बिहार में अपने विक्रय कारोबार को बन्द कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बिहार के किसानों को रियायती दर पर आसानी से उर्वरक प्रदान करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) बिहार में वर्ष 2002-03 के दौरान उर्वरकों की खपत वर्ष 2001-02 की तुलना में थोड़ी अधिक थी। वर्ष 2003-04 में खपत गत वर्ष की तुलना में मामूली सी कम थी।

(ख) वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान बिहार राज्य में खपत का उर्वरक-वार विवरण निम्नानुसार है:-

(मात्रा, 000 टन में)

उर्वरक	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4
यूरिया	1201.40	1256.10	1309.29
अमोनियम सल्फेट	13.30	13.50	10.38

1	2	3	4
कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट	0.00	4.00	11.38
डाई अमोनियम फॉस्फेट	189.50	186.60	60.46
सिंगल सुपर फॉस्फेट	57.50	74.60	25.21
20:20:0	19.00	4.90	0.98
12:32:16	35.60	41.50	37.68
15:15:15	1.40	0.90	1.94
म्यूरिएट आफ पोटाश	72.60	33.30	31.86
कुल योग	1590.3	1615.4	1489.18

(ग) उर्वरकों के उत्पादकों/आयातकों को नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की बिक्री पर रियायत के शेष भुगतान के रूप में 34.09 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि का समायोजन बिहार सरकार से वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक की बिक्री का बिक्री प्रमाणन प्राप्त न होने के कारण नहीं किया गया है। तथापि, देय वास्तविक राशि बिक्री प्रमाणन की मात्र पर निर्भर करेगी। इसके अलावा, अक्तूबर, 2002 से अगस्त, 2003 के दौरान बिक्री किए गए पी और के उर्वरकों के संबंध में रियायत का पूरा अनुमान राज्य से बिक्री प्रमाणन प्राप्त हो जाने पर ही किया जाना है।

(घ) जहां तक यूरिया का संबंध है, इसका संचलन ई.सी. आवंटनों के तहत किया जा रहा है अत: आपूर्ति में कोई रूकावट नहीं है। तथापि, अन्य नियंत्रणमुक्त उर्वरकों विशेषरूप से सिंगल सुपर फास्फेट और डाई अमोनियम फास्फेट की आपूर्तियां प्रभावित हुई हैं क्योंकि बिहार सरकार द्वारा 1998 से बिक्री प्रमाणन की प्रक्रिया समाप्त कर दिए जाने के कारण कुछ कम्पनियों ने बिहार को आपूर्ति रोक दी थी। बिक्री प्रमाणन वर्ष 2003-04 से फिर से शुरू किया जा चुका है।

(ङ) बिहार सरकार के साथ इस मामले को उठाए जाने के बाद अक्तूबर, 1998 में की गई बिक्री का बिक्री प्रमाणन शुरू किया जा चुका है। विभाग ने सितम्बर, 2003 के बाद की गई बिक्री पर रियायत के ''लेखागत'' भुगतान की सुविधा को बहाल कर दिया है जिसे बिक्री प्रमाणन बन्द किए जाने के कारण अक्तूबर, 2002 से अगस्त, 2003 तक की गई बिक्री के लिए बन्द कर दिया गया था।

शीतागारों का निर्माण

4383. श्री संतोष गंगवार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शीतागारों की बढ़ती मांग के मद्देनजर निजी और सरकारी क्षेत्र द्वारा शीतागारों के निर्माण हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या सरकार शीतागारों के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ग) यदि हां, तो राज सहायता और ऋण राशि प्रदान करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग अपने एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) के जरिए एक स्कीम नामत: ''बागवानी उत्पादों हेतु शीतागारों और भण्डारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम'' क्रियान्वित कर रहा है।

इस स्कीम के अंतर्गत ऋण वाली परियोजनाओं के मामले में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के जरिए प्रति परियोजना 50 लाख रुपये की सीमा तक परियोजना लागत की 25% तथा पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 60.00 लाख रुपये प्रति परियोजना की सीमा तक परियोजना लागत के 33.33% की दर से पार्श्वांत पूंजी निवेश राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उद्यमियों द्वारा अपने संसाधनों द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित परियोजनाओं के मामले में राज सहायता एनएचबी द्वारा सीधे निर्मुक्त की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत पात्र संगठनों में गैर-सरकारी संगठनों, उत्पादकों की संस्था, पार्टनरशीप/प्रोपाइट्री फर्में, कम्पनियां, निगम,

सहकारी समितियां, कृषि उत्पाद विपणन समितियां, विपणन बोर्ड/ समितियां तथा कृषि उद्योग निगम शामिल है।

बिहार की बरनार जलाशय योजना

4384. डा. मो. शहाबुद्दीन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बरनार जलाशय योजना को पूरा करने हेतु बिहार सरकार को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (घ) संघ सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत ऐसी अनुमोदित वृहद और मध्यम निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) मुहैया कराती है जो पूरी होने के अंतिम चरण में है। बरनार जलाशय स्कीम 308.00 करोड़ रुपये की नवीनतम अनुमानित लागत से एक अनुमोदित स्कीम है। राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस कार्यक्रम के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान इस स्कीम पर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान के लिए विचार किया जा सकता है।

जल की बर्बादी पर रोक

4385. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल की बर्बादी रोकने और बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत नहर प्रणाली को सीमेंट के प्रयोग से पक्का कर सुदूर क्षेत्रों में अतिरिक्त सिंचाई के लिए इस जल का उपयोग करने हेतु कोई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान में नहर सिंचाई प्रणाली के सुधार के लिए कौन-सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार को कितनी धनराशि प्रदान की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने तथा किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए वृहद तौर पर अवसंरचना के विकास तथा कुशल खेती जल प्रबंधन के जरिए सृजित सिंचाई क्षमता और उपयोग की गई क्षमता के बीच की खाई को भरने के उद्देश्य से वर्ष 1974 में एक केन्द्र प्रायोजित "कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम" प्रारंभ किया गया था।

इस कार्यक्रम को पुनर्गठित करते हुए 1.4.2004 से इसका नाम "कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबन्धन कार्यक्रम" रखा गया है। अन्य परिवर्तनों के अतिरिक्त, इस पुनर्गठित कार्यक्रम के अंतर्गत दो नए घटक नामत: "निर्दिष्ट सिंचाई कमान के भीतर मौजूदा टैंकों का नवीकरण और गाद हटाना" और "4.25 क्यूसेक की वितरिकाओं के ऊपर प्रणाली दोष में सुधार" को भी इस पुनर्गठित कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

(ग) उपरोक्त स्कीम को राजस्थान में भी लागू किया जा रहा है और राज्यों की चार परियोजनाओं नामत: इंदिरा गाधी नहर परियोजना, चंबल, सिद्धमुख नहर तथा "अमरसिंह उपशाखा और भाखड़ा नहर प्रणाली की जस्साना वितरिका" को इस स्कीम में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य को जारी की गई सहायता निम्नानुसार है:-

वर्ष	राशि (रुपये लाख में)
2002-03	2939.27
2003-04	2038.30
2004-05	3476.85

[अनुवाद]

सूखे पत्तों को जलाया जाना

4386. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शीत ऋतु के दौरान शहरों में सूखे पत्तों को जलाए जाने के कारण वायु प्रदूषण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रदूषण को रोकने हेतु कोई मार्ग-निर्देश बनाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खाद और अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु देश में सूखे पत्तों का अधिकतम उपयोग करने के लिए कोई प्रौद्योगिकी अपनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या रणनीति बनाई गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सूखे पत्तों को जलाने से धुआं एवं अन्य हानिकारक गैसें निकलती हैं जिनसे शहरों की परिवेशी वायु गुणवता प्रभावित होती है। का.आ. सं. 908 (अ) दिनांक 25 सितम्बर, 2000 के तहत अधिसूचित नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 की अनुसूची 2 के अंतर्गत सूखे पत्तों और कूड़ा-करकट अपशिष्टों को जलाना निषिद्ध है।

(घ) और (ङ) देश में कई राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों ने कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग अथवा एनेरोबिक डाइजेशन प्रौद्योगिकी के आधार पर अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए कार्रवाई की है। नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्टों का उचित निपटान सुनिश्चित करने के प्रयोजन के नगर प्राधिकारियों के लिए सूखे पत्तों सहित जैव अवक्रमणीय अपशिष्टों के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना करना अपेक्षित है।

फास्फोरिक अम्ल की कमी

4387. **श्री सुबोध मोहितेः** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फास्फोरिक अम्ल और अन्य कच्चे माल की कमी ने उर्वरक इकाइयों को उत्पादन में कटौती करने को बाध्य कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन इकाइयों को पर्याप्त मात्रा में फास्फेरिक अम्ल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) जी नहीं, रियायत योजना में शामिल फास्फेट युक्त उर्वरकों का उत्पादन वर्ष 2004-2005 के दौरान 120.05 लाख मी. टन था जबकि वर्ष 2003-04 के दौरान इन उर्वरकों का कुल उत्पादन 117.23 लाख मी. टन था।

(ग) फास्फोरिक एसिड का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है। फास्फेटयुक्त उर्वरकों के उत्पादक अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ तय किए गए मूल्य और शर्तों पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से फास्फोरिक एसिड खरीद रहे हैं।

सांड वीर्य उत्पादन केन्द्रों की स्थापना

4388. **श्री कुलदीप बिश्नोईः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में सांड वीर्य उत्पादन केन्द्रों की स्थापना का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी) के अंतर्गत किए जाने वाले महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में से एक वीर्य केन्द्रों को सुदृढ़ करना है एनपीसीबीबी के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना के तहत जारी राज्यवार निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-2003	2003-2004	2004-2005	कुल जारी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	934.57	718.18	858.36	2511.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	151.30	151.3
3.	असम	–	–	129.50	129.50

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	–	–	–	0
5.	छत्तीसगढ़	–	98.00	100.00	198
6.	गुजरात	–	40.00	279.70	319.7
7.	गोवा	–	58.71	97.29	156
8.	हरियाणा	–	–	454.00	454
9.	हिमाचल प्रदेश	220.00	100.00	270.20	590.2
10.	जम्मू और कश्मीर	–	–	135.91	135.91
11.	कर्नाटक	–	465.00	394.29	859.29
12.	केरल	230.00	220.00	801.95	1252
13.	मध्य प्रदेश	300.00	360.00	661.54	1321.5
14.	महाराष्ट्र	–	860.00	–	860
15.	मणिपुर	–	17.36	–	71.36
16.	मेघालय	–	65.64	–	65.64
17.	मिजोरम	17.97	40.00	71.00	128.97
18.	नागालैण्ड	96.00	182.00	159.67	437.67
19.	उड़ीसा	551.60	–	485.00	1036.6
20.	पंजाब	120.83	–	111.27	232.1
21.	तमिलनाडु	570.00	–	204.82	774.82
22.	त्रिपुरा	–	95.00	96.67	191.67
23.	उत्तर प्रदेश	1063.00	–	841.151	1904.2
24.	उत्तरांचल	–	275.00	84.80	359.8
25.	पश्चिम बंगाल	–	–	353.10	353.1
26.	दादरा और नागर हवेली	–	–	27.7600	27.76
27.	पाण्डिचेरी	–	–	18.15	18.15
	कुल	4103.97	3594.89	6787.431	14486.29

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सुनामी पश्चात् योजनाएं

4389. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सुनामी पश्चात् अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को विश्व में सबसे बड़े जैविक कृषि द्वीप (आर्गेनिक फार्मिंग आइलैण्ड) के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई रणनीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जैव कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में 'जेनेटीकली मोडिफाइड आर्गेनीज्म' पर प्रतिबंध लगा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो देश में जैव कृषि को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) इस समय देश में सबसे बड़े जैविक कृषि द्वीप के रूप में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने हाल ही में देश में जैविक कृषि के उत्पादन, संवर्धन, प्रमाणीकरण और मण्डी विकास के लिए दसवीं योजना के दौरान 57.05 करोड़ रुपये के परिव्यय से "राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना" नामक एक नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के मुख्य घटक इस प्रकार हैं:-

(1) जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण तंत्र की स्थापना करना।

(2) सेवा प्रदाताओं के माध्यम से क्षमता निर्माण।

(3) उत्पादन अथवा जैविक आदानों जैसे फल तथा सब्जियों के कूड़े करकट से बना कम्पोस्ट, जैव उर्वरक के उत्पादन और वर्मीकल्चर के लिए हैचरियों हेतु वाणिज्यिक उत्पादन इकाइयों को वित्तीय सहायता।

(4) प्रशिक्षण, फील्ड प्रदर्शन, उत्पादन और मण्डी विकास।

इसके अलावा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) ने कृषि उत्पाद के निर्यात में वृद्धि करने हेतु निरीक्षण और प्रमाणीकरण एजेंसियों का प्रत्यायन, जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, जैविक कृषि से संबंधित निर्देशिका तैयार करना, निरीक्षण और प्रमाणीकरण इत्यादि में प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे कई कार्यक्रम शुरू किये हैं।

[हिन्दी]

खाद्य और चारा विकास योजना

4390. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में खाद्य और चारा विकास के लिए सहायता के नाम से कोई योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना को बंद कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, हां। यह आहार और चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता नामक योजना थी। यह योजना शून्य आधारित बजट के तहत योजना की प्रगति की समीक्षा करते समय योजना आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में अप्रैल, 2002 से बंद कर दी गई थी। तथापि, योजना के दो घटकों अर्थात् स्ट्रा/सेल्यूलोसिक अपशिष्ट का संवृद्धिकरण तथा चारा बैंकों की स्थापना को देश के कई भागों में सूखे और कम वर्षा की स्थिति को देखते हुए जारी रखने के लिए पुनर्जीवित किया गया था। इस योजना को बंद करने का मुख्य कारण यह था कि राज्यों द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित धनराशि के राज्य के हिस्से को पूरा करने में कठिनाई महसूस की जा रही थी।

औषधीय पादप उद्यान

4391. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में पिछले एक वर्ष के दौरान कुल कितनी मात्रा में औषधीय जड़ी-बूटियों का उत्पादन किया गया; और

(ख) देश में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने हेतु राज्य-वार कितनी राशि आवंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल

भूरिया): (क) पिछले एक वर्ष के दौरान देश में औषधीय जड़ी-बूटियों के उत्पादन हेतु कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) तथा राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) के कार्यक्रमों के अंतर्गत देश में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड और कृषि एवं सहकारिता विभाग की बृहत प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत देश में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए आवंटित राज्य-वार निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	कृषि एवं सहकारिता विभाग आवंटित धनराशि	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा आवंटित स्वीकृत निधियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	51.30	55.24
2.	बिहार	55.22	–
3.	छत्तीसगढ़	4.50	13.80
4.	गोवा	1.80	–
5.	गुजरात	3.42	58.07
6.	हरियाणा	28.35	191.11
7.	हिमाचल प्रदेश	–	12.82
8.	जम्मू और कश्मीर	–	11.07
9.	कर्नाटक	45.00	322.50
10.	केरल	90.00	30.07
11.	मध्य प्रदेश	67.50	593.98
12.	महाराष्ट्र	90.00	81.36
13.	मणिपुर	–	463.31
14.	नागालैण्ड	–	22.11
15.	उड़ीसा	–	52.64
16.	पंजाब	–	159.68
17.	राजस्थान	25.43	1161.58
18.	सिक्किम	–	37.39
19.	तमिलनाडु	47.25	28.25
20.	त्रिपुरा	–	11.84
21.	उत्तर प्रदेश	6.98	13.38
22.	उत्तरांचल	–	119.21
23.	पश्चिम बंगाल	8.55	43.98
24.	दिल्ली	3.60	01.95
25.	अरुणाचल प्रदेश	–	100.43
26.	पांडिचेरी	18.00	–
	कुल	546.90	3585.77

[अनुवाद]

पर्यटन क्षेत्र में निवेश

4392. श्री रनेन बर्मन: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन क्षेत्र में किए गए निवेश का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में पर्यटन के विकास हेतु दसवीं योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) योजना-वार अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) पर्यटन मंत्रालय को, पर्यटन के विकास तथा संवर्धन के लिए निम्नलिखित योजना आवंटन प्रदान किया गया था:

	योजना	आबंटन
(क)	सातवीं पंचवर्षीय योजना	72.00 करोड़ रुपए
(ख)	आठवीं पंचवर्षीय योजना	138.68 करोड़ रुपए
(ग)	नौवीं पंचवर्षीय योजना	485.75 करोड़ रुपए

(ख) योजना आयोग ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, देश में पर्यटन के विकास तथा संवर्धन के लिए, पर्यटन मंत्रालय को 2900 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की है।

(ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आबंटन तथा वर्ष-वार व्यय निम्न प्रकार है:-

वर्ष	योजना आबंटन	वास्तविक व्यय
2002-03	225.00 करोड़ रुपए	252.05 करोड़ रुपए
2003-04	325.00 करोड़ रुपए	357.40 करोड़ रुपए
2004-05	500.00 करोड़ रुपए	465.00 करोड़ रुपए (अनुमानित)

[हिन्दी]

एन सी एल पी के अंतर्गत बाल श्रम

4393. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन सी एल पी) और बाल श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने बाल श्रमिकों को शामिल किया गया है;

(ख) देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में परिचालित की जा रही उक्त योजना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान कितने बाल श्रमिक लाभान्वित हुए और संगठन-वार कितना अनुदान स्वीकृत किया गया और कितनी राशि जारी की गई?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) बाल श्रम के उन्मूलन के संबंध में एक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम वर्ष 1988 में शुरू की गई जिसका विस्तार 9वीं योजना के दौरान करते हुए 100 जिलों को शामिल किया गया तथा 10वीं योजना के दौरान और आगे बढ़ाकर उसमें 250 जिलों को शामिल किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत जोखिमकारी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं से हटाए गए बच्चों को एक विशेष स्कूल में रखा गया है जिससे कि उन्हें औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रदान करते हुए मुख्य धारा में शामिल करने योग्य बनाया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत विशेष स्कूल में नामांकित बाल श्रमिकों को वजीफे के तौर पर 100/- रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चे दिया जाता है। साथ ही, उन्हें शिक्षा एवं व्यावसायिक सामग्री साथ-साथ पोषण सामग्री भी मुफ्त उपलब्ध करायी जाती है। यह स्कीम मध्य प्रदेश के 17 जिलों नामत: मंदसौर, ग्वालियर, उज्जैन, बड़वानी, रीवा, धार, पूर्वी निमाड़, राजगढ़, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सिधी, गुना, बैतूल, शाजापुर, रतलाम, पश्चिमी निमाड़ एवं झाबुआ में चल रही है। बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए इण्डस नामक एक ऐसी ही स्कीम मध्य प्रदेश के पांच अन्य जिलों में कार्यान्वित की जा रही है, नामत: दमोह, सागर, सतना, जबलपुर एवं कटनी। इस स्कीम का वित्तपोषण संयुक्त रूप से भारत सरकार एवं श्रम विभाग, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना वाले राज्य का नाम	बच्चों की संस्वीकृत संख्या	2003-04 के दौरान संस्वीकृत किए गए सहायता अनुदान (लाख रु. में)	2004-05 के दौरान संस्वीकृत किए गए सहायता अनुदान (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	57900	1693.16	2322.21
2.	बिहार	6500	205.36	282.06

1	2	3	4	5
3.	छत्तीसगढ़	9900	168.47	230.81
4.	झारखंड	6500	182.87	192.86
5.	कर्नाटक	10850	320.57	331.01
6.	मध्य प्रदेश	21200	134.99	445.21
7.	महाराष्ट्र	8500	102.24	168.48
8.	उड़ीसा	38400	1132.67	1312.64
9.	पंजाब	5350	239.37	184.05
10.	राजस्थान	9000	352.07	443.04
11.	तमिलनाडु	24650	746.58	724.63
12.	उत्तर प्रदेश	38100	759.12	754.15
13.	पश्चिम बंगाल	17350	456.21	742.36
	कुल	254200	6493.68	8133.51

[अनुवाद]

बफर स्टाक नीति

4394. श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री एम. अप्पादुरई:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्यान्नों के बफर स्टाकिंग के लिए वर्तमान मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नई बफर स्टाकिंग नीति अपनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बफर स्टाकिंग मानदंड में कितनी वृद्धि हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) नवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए बफर स्टाक रखने के मानदंड इस प्रकार थे:-

(आंकड़े लाख टन में)

	चावल	गेहूं	जोड़
पहली अप्रैल	118	40	158
पहली जुलाई	100	143	243
पहली अक्तूबर	65	116	181
पहली जनवरी	84	84	168

उपर्युक्त मानदंडों का नवीं योजना अवधि के समाप्त हो जाने के बाद नए मानदंडों को अंतिम रूप दिए जाने तक वैधीकरण किया गया था।

सरकार द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए संशोधित बफर मानदंडों को मौजूदा तथा नई योजनाओं के तहत खाद्यान्नों की यथार्थपरक आवश्यकता के आधार पर अंतिम रूप दिया गया है। सरकार द्वारा नए मानदंडों को अप्रैल, 2005 से अपनाया गया है और उन्हें नीचे दर्शाया गया है:-

(आंकड़े लाख टन में)

	चावल	गेहूं	जोड़
पहली अप्रैल	122	40	162
पहली जुलाई	98	171	269
पहली अक्तूबर	52	110	162
पहली जनवरी	118	82	200

लाल शैवाल की खेती

4395. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कप्पाफाइकस अल्वरेजील, एक समुद्री पौधा जो लाल शैवाल के नाम से जाना जाता है, का रस, चाकलेट, आइसक्रीम और जेल टूथपेस्टों में उपयोग किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में प्रकाशम जिले में लाल शैवाल की खेती को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में झीलों और नदियों संबंधी अध्ययन

4396. श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में रिवाल्सर झील की पारिस्थितिकी को पुन: बहाल करने, और क्षेत्र जांच प्रयोगशाला और व्यास, सतलुज तथा यमुना नदी के स्वच्छता सर्वेक्षण हेतु विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुल कितने अध्ययन किए गए हैं;

(ख) केन्द्र सरकार के पास उक्त कार्य के लिए धनराशि आवंटन करने का प्रस्ताव कब से लंबित है और ऐसे प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ग) अब तक धनराशि स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रयोजन हेतु धनराशि कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश के मडी जिले की रिवाल्सर नमभूमि मंत्रालय के राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम में अभिनिर्धारित 66 नमभूमियों में से एक है। राज्य सरकार ने 9.20 लाख रुपए की लागत से एक प्रबंध कार्य योजना एक वर्ष की अवधि के लिए प्रस्तुत की है। प्रस्ताव को उपयुक्त नहीं पाया गया था और हिमाचल प्रदेश सरकार को पांच वर्षों की अवधि के लिए एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार से 1994 में सतलुज नदी में प्रदूषण भार के मूल्यांकन और वर्ष 2000 में व्यास नदी के किनारों के 11 शहरों में प्रदूषण उपशमन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। सतलुज नदी के प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की गयी क्योंकि हिमाचल प्रदेश वाले भाग में नदी की जल गुणता निर्धारित मानकों के भीतर था। व्यास नदी के संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार से केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच 70:30 लागत हिस्सेदारी के साथ एकीकृत एप्रोच का अनुकरण करते हुए निश्चित लागत के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत पहले से अनुमोदित स्कीमों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण जल निकायों को शामिल करने हेतु आई आई टी, रूड़की द्वारा योजना तैयार करने के संबंध में यमुना नदी के किनारे स्थित पोंटा साहिब को शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत दसवीं योजना में निधियों की अत्यधिक कमी के कारण इसे कार्यान्वयन के लिए शामिल करना संभव नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

असम की बाढ़ नियंत्रण योजना

4397. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास पगलडिया, ननोई और मालानदी नदियों के संबंध में असम सरकार द्वारा तटबंध के मरम्मत, निर्माण और बाढ़/क्षरण नियंत्रण हेतु कोई योजना प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना को कब तक स्वीकृत दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) असम सरकार ने निम्नलिखित स्कीमें केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की हैं।

1. 4.9873 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मोरा-पगलादिया नदी के एनएच से टिहु-अकारा तक विभिन्न खण्डों में (दरारों को बंद करने संबंधी कार्यों सहित) तट कटाव से संबंधित कटाव रोधी उपाय;

2. 3.1337 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शार्ट रिटायरमेंट के निर्माण के संबंध में पगलादिया नदी पर चेनेज 12100 मी. से चेनेज 12950 मी. धनटोला गांव में दायां तट तक तट कटाव से संबंधित कटाव रोधी उपाय;

3. 9.3241 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एमपी के रोड से एनटी रोड तक नानोई डाईक को ऊंचा उठाना और उसे सुदृढ़ करना; और

4. 3.7382 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से रेलवे लाईन से एमपी के रोड तक नानोई डाईक को ऊंचा उठाना और उसे सुदृढ़ करना।

क्रम संख्या 1 पर दी गई स्कीम को योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है, क्रम संख्या 3 पर दी गई स्कीम के संबंध में सीडब्ल्यूसी की टिप्पणियों को असम सरकार को भेजा गया है। क्रम संख्या 2 और 4 पर दी गई स्कीमें राज्य सरकार के अधिकार में हैं अत: इन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी जानी है।

[हिन्दी]

गेहूं खरीद केन्द्र

4398. श्री रामसेवक सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रबी के आगामी मौसम के दौरान गेहूं की खरीद हेतु देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में अतिरिक्त केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार गेहूं की खरीद करने वाली एजेंसियों द्वारा वजन से अधिक तौलने/गड़बड़ी करने के मामलों को रोकने हेतु एक कृतिक बल गठित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने कि खरीद करने वाली एजेंसियां ईमानदारी बरतें और किसानों का समय पर भुगतान करें, क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल जैसे अनेक राज्यों में अतिरिक्त केन्द्र खोले गए हैं। आगामी रबी विपणन मौसम 2005-06 के दौरान खोले गए खरीद केन्द्रों की संख्या दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वसूली प्रक्रिया में तेल/अनुचित डीलिंग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं।

(च) इसके लिए पहले से ही स्थायी अनुदेश मौजूद हैं कि वसूली एजेंसियों द्वारा खरीदारी के तुरन्त बाद किसानों को भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

विवरण

रबी विपणन मौसम 2005-06 के दौरान चलाए जा रहे खरीद केन्द्रों की संख्या

राज्य	चलाए जा रहे खरीद केन्द्रों की संख्या			
	भारतीय खाद्य निगम द्वारा	राज्य एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से	राज्य एजेंसियों द्वारा	जोड़
1	2	3	4	5
पंजाब	229	86	1475	1790
हरियाणा	50	45	255	350
उत्तर प्रदेश	182	–	4653	4835

1	2	3	4	5
राजस्थान	34	–	39	73
मध्य प्रदेश	120	–	941	1061
दिल्ली	2	–	–	2
बिहार	105	–	323	428
हिमाचल प्रदेश	4	–	–	4
उत्तरांचल	28	–	199	227
जोड़	754	131	7885	8770

[अनुवाद]

प्रमुख फसलों की उत्पादकता में रैंकिंग

4399. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु विभिन्न बाधाओं के बावजूद प्रमुख फसलों की उत्पादकता में भारत में प्रथम स्थान बरकरार रखने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आपके मंत्रालय ने वर्ष 2004-05 की तुलना में वर्ष 2005-06 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कृषि हेतु बजटीय आबंटन में भारी कमी की गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) तमिलनाडु में (1998-99 से 2002-03 तक पांच वर्षों का औसत) खाद्यान्न फसलों में औसत उत्पादकता चावल के संबंध में (3.44 टन प्रति हेक्टेयर), ज्वार (0.95 टन प्रति हेक्टेयर), बाजरा (1.35 टन प्रति हेक्टेयर), रागी (1.98 टन प्रति हेक्टेयर) सबसे अधिक रही। तिलहन के मामले में तमिलनाडु में मूंगफली की औसत उत्पादकता 1.82 टन प्रति हेक्टेयर है जो भारत में सबसे अधिक है। अन्य वाणिज्यिक फसलों के संबंध में गन्ने की औसत उत्पादकता तमिलनाडु में 106.41 टन प्रति हेक्टेयर है जो भारत में सबसे अधिक है।

(ग) से (ङ) कृषि एवं सहकारिता विभाग के बजट आबंटन में वर्ष 2004-05 की तुलना में वर्ष 2005-06 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जैसे कि वार्षिक योजना वर्ष 2004-05 के लिए बजट अनुमान 2650.00 करोड़ रुपये की तुलना में वार्षिक योजना 2005-06 के लिए योजना परिव्यय 4179.32 करोड़ रुपये है कृषि एवं सहकारिता विभाग की वार्षिक योजना 2005-06 के लिए प्रभाग-वार प्रस्तावित परिव्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वार्षिक योजना 2005-06 के लिए प्रभाग-वार प्रस्तावित परिव्यय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	कृषि एवं सहकारिता विभाग में प्रभाग का नाम	बजट अनुमान 2004-05	2005-06
1	2	3	4
1.	फसल	100.00	275.00
2.	तिलहन दलहन प्रौद्योगिकी मिशन	193.00	257.00
3.	बागवानी	542.00	1405.00
4.	उर्वरक	36.73	29.50
5.	बीज	50.51	88.81
6.	पौध संरक्षण	52.34	40.00

1	2	3	4
7.	कृषि उपकरण तथा मशीनरी	8.00	10.00
8.	वर्षा सिंचित प्रणाली	2.00	1.25
9.	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	9.40	8.00
10.	ऋण	413.00	615.00
11.	सहकारिता	74.17	110.00
12.	कृषि विस्तार	187.45	148.10
13.	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय	57.35	60.79
14.	कृषि संगणना	13.83	14.00
15.	कृषि विपणन	155.52	165.50
16.	सूचना प्रौद्योगिकी	27.00	27.50
17.	व्यापार	0.00	1.00
18.	सुखा प्रबंध	1.00	1.00
19.	सचिवालय आर्थिक सेवा	4.26	8.00
20.	वृहद प्रबंध	719.94	912.62
21.	नीति एवं योजना	2.50	1.24
	कुल	2650.00	4179.32

टिप्पणी: पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास से संबंधित राज्य योजना स्कीम के लिए आवंटन वर्ष 2005-06 में 30.00 करोड़ रुपये हैं और जिसमें वर्ष 2004-05 में 20 करोड़ रुपये शामिल नहीं है।

अतिथि गृहों का श्रेणीकरण

4400. **श्री सुग्रीव सिंह:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अतिथि गृहों के श्रेणीकरण के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में कौन-कौन से मानदंड निर्धारित किए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड

4401. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने औषधीय और सुगंधित पादपों की कृषि को प्रोत्साहन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए एक राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इनके कर्त्तव्य, उत्तरदायित्व और कार्यकाल संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड का गठन किया है।

(ख) इस बोर्ड के शीर्ष निकाय में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी को उपाध्यक्ष एवं अन्य संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों तथा राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के अधिकारियों को पदेन सदस्य बनाया गया है और औषधि पौधों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों को गैर-सरकारी सदस्य मनोनीत किया गया है। इस बोर्ड का कोई कार्यकाल विनिर्दिष्ट नहीं है अत: यह बोर्ड अगले आदेश तक अस्तित्व में रहेगा। तथापि गैर-सरकारी सदस्यों एवं राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, अनुसंधान परिषदों एवं भेषज प्रयोगशालाओं द्वारा नामित अन्य सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष है। इस क्षेत्र की संरक्षण, सततता और विकास को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान और संरक्षण, उपयुक्त कटाई, लागत प्रभावी खेती, समुचित कटाई, उनके संरक्षण नीतियों और कार्यनीतियों को तैयार करने सहित औषधि पौधों से संबंधित मामले बोर्ड के कार्यों और ड्यूटियों के अंतर्गत समन्वित रूप से आते हैं।

[हिन्दी]

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्तरी राज्यों के साथ समझौता

4402. **श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज):** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी राज्यों ने इन राज्यों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक-दूसरे के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों को घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया पैकेज देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्यों में पर्यटन का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। पर्यटन मंत्रालय, अपनी पर्यटन परिपथों तथा गंतव्यों, आदि की उत्पाद/अवसंरचना विकास की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य सरकार को दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

विवरण

दसवीं योजना (31.12.2004 को) के दौरान स्वीकृत की गई राज्यवार पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-03			2003-04			2004-05 (31.12.2004 तक)		
		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2	507.50	195.00	6	946.50	896.44	11	2750.81	2191.92
2.	असम	9	768.13	618.85	3	313.46	313.06	6	955.88	742.10
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	41.30	32.50	6	1044.60	700.00	6	1285.70	905.52
4.	बिहार	8	505.00	505.00	6	1019.42	913.89	7	1901.23	1527.55
5.	छत्तीसगढ़	9	308.00	98.50	6	1005.00	364.00	4	1086.26	869.01
6.	गोवा	1	0.50	0.50	2	36.76	34.76	2	10.00	8.00
7.	गुजरात	2	197.12	59.13	8	920.51	815.82	2	138.93	111.14
8.	हरियाणा	8	332.25	311.00	16	1215.38	879.23	5	678.55	501.64
9.	हिमाचल प्रदेश	30	779.32	760.38	4	182.32	85.00	5	2620.00	1736.00
10.	जम्मू और कश्मीर	3	94.38	89.47	5	895.00	895.00	2	805.00	644.00
11.	झारखंड	0	0	0	2	1109.00	774.60	1	474.97	379.97
12.	कर्नाटक	6	902.49	625.49	14	932.66	792.51	8	2432.76	1914.37
13.	केरल	11	861.36	829.86	6	608.50	764.15	5	2148.63	1718.88
14.	मध्य प्रदेश	18	711.18	574.79	10	621.90	394.51	8	1285.46	783.03
15.	महाराष्ट्र	8	623.46	546.25	10	931.83	914.58	6	1576.38	1260.10
16.	मणिपुर	2	5.24	2.62	1	82.44	24.73	0	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	मेघालय	3	70.35	21.20	2	40.22	24.92	2	963.30	807.91
18.	मिजोरम	6	141.16	48.46	5	567.70	186.75	3	1081.28	927.09
19.	नागालैंड	5	360.50	323.43	4	711.00	220.80	5	2165.69	1731.40
20.	उड़ीसा	2	47.50	15.75	5	419.55	138.50	5	1316.48	999.69
21.	पंजाब	3	23.00	14.60	2	96.00	12.30	4	846.41	561.26
22.	राजस्थान	13	1098.70	1096.20	14	1644.81	1414.25	2	39.31	31.45
23.	सिक्किम	13	346.24	269.76	6	1151.09	681.49	6	1005.81	805.13
24	तमिलनाडु	5	559.00	316.10	14	1339.82	850.53	6	876.92	702.72
25.	त्रिपुरा	5	216.13	67.78	6	450.17	135.16	0	0.00	0.00
26.	उत्तरांचल	3	548.00	418.00	4	230.44	203.94	3	1412.93	1125.56
27.	उत्तर प्रदेश	3	295.00	295.00	7	1115.80	916.26	7	1037.43	825.19
28.	पश्चिम बंगाल	5	201.10	60.00	10	717.44	384.34	5	480.04	384.03
29.	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	3	7.75	6.63	2	10.00	8.00	1	457.00	365.60
31.	दादरा और नागर हवेली	2	8.07	6.46	0	0	0	0	0.00	0.00
32.	दिल्ली	14	504.00	449.02	17	3316.28	3222.13	1	500.00	400.00
33.	दमन और दीव	3	49.50	16.90	1	265.07	238.56	0	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	2	7.87	6.30	1	245.17	73.55	2	451.00	360.00
	कुल	212	11121.10	8680.93	207	24185.84	18073.76	130	32784.16	25320.26

[अनुवाद]

कुशल जनशक्ति की कमी

4403. श्री ए.एफ.जी. ओसमानी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रौद्योगिकी के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए भेषज उद्योग के लिए आवश्यक प्रशिक्षित और कुशल प्रौद्योगिकीय कार्मिकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) भेषज उद्योग में प्रौद्योगिकी का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। विभिन्न संस्थान एवं महाविद्यालय इस उद्योग की कुशल तकनीकी कार्मिकों संबंधी आवश्यकता को पूरा करते हैं। बायोतकनीकी विभाग सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर) द्वारा औषध विनिर्माण की विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

निर्माणाधीन जल परियोजनाएं

4404. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में निर्माणाधीन जल परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, तैयारी, निष्पादन और वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से और उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। एक योजना से दूसरी योजना में कई वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजाएं स्पिलओवर की जाती रही है। दसवीं पंचवर्षीय योजना की स्पिलओवर परियोजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विभिन्न योजना अवधियों से कई वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के स्पिलओवर की समस्या से चिंतित होकर सरकार ने इस प्रकार की अनुमोदित निर्माणाधीन वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जो कि निर्माण की अंतिम अवस्था में हैं तथा जो राज्य सरकार की संस्थागत क्षमता से परे हैं, को पूरा करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) मुहैया कराने के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान के रूप में राज्यों को 17,537.57 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीएलए प्राप्त कर रही 184 परियोजनाओं में से जिन 37 वृहद/मध्यम एआईबीपी के दिशानिर्देशों के अनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को चार वित्तीय वर्ष के भीतर पूरा किया जाना है।

विवरण

देश में निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का सार (01.04.2004 के अनुसार)

(राशि रुपये करोड़ में)
(क्षमता हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्माणाधीन परियोजनाएं			नवीनतम अनुमानित लागत	मार्च 2004 तक संभावित व्यय	1.4.2004 को शेष लागत (प्रत्याशित)	चरम क्षमता	मार्च 2004 तक संभावित सृजित क्षमता	1.4.2004 को शेष क्षमता (प्रत्याशित)
		वृहद	मध्यम	कुल						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	15	9	24	18075.03	9496.03	8579.00	2353.48	1647.40	706.08
2.	असम	6	5	10	1840.88	496.13	1344.75	268.17	131.22	136.95
3.	बिहार	9	3	12	4624.82	2320.66	2304.16	811.19	131.86	679.33
4.	छत्तीसगढ़	3	5	8	1932.33	1582.30	350.03	744.62	586.39	158.23
5.	गोवा	1	0	1	966.56	501.61	464.95	26.89	13.21	13.68
6.	गुजरात	3	18	21	31961.79	17255.66	14706.13	1908.00	269.48	1638.52
7.	हरियाणा	4	0	4	962.13	770.82	191.31	254.00	168.0	86.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1	2	3	288.57	93.02	195.55	33.15	1.11	32.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0	7	7	226.30	143.07	83.23	34.55	10.34	24.21
10.	झारखंड	5	19	24	5747.99	1844.91	3903.18	513.57	11.46	502.11
11.	कर्नाटक	16	18	34	20538.85	12976.67	7562.18	1872.72	1068.03	804.69
12.	केरल	4	4	8	2608.80	1520.25	1088.55	220.73	86.09	134.64
13.	मध्य प्रदेश	16	5	21	17996.63	6149.63	11847.00	1827.61	203.15	1624.46
14.	महाराष्ट्र	56	95	151	39695.56	18807.73	20887.83	3703.24	1382.44	2320.80
15.	मणिपुर	2	1	3	702.32	434.74	267.58	55.94	4.00	51.94
16.	मेघालय	0	1	1	57.07	22.59	34.48	5.15	0.00	5.15
17.	उड़ीसा	10	10	20	7178.52	3553.90	3624.62	793.78	291.92	501.86
18.	पंजाब	1	0	1	1324.18	128.09	1196.09	0.00	0.00	0.00
19.	राजस्थान	4	4	8	6863.95	4497.23	2366.72	1217.35	818.69	398.66
20.	तमिलनाडु	0	2	2	105.36	86.12	19.24	7.19	0.00	7.19
21.	त्रिपुरा	0	3	3	178.00	137.61	40.39	26.72	3.30	23.42
22.	उत्तरांचल	3	0	3	5334.11	253.08	5081.03	311.60	21.00	290.60
23.	उत्तर प्रदेश	9	0	9	7534.32	4247.39	3286.93	2152.27	711.99	1440.28
24.	पश्चिम बंगाल	2	8	10	2728.42	1038.95	1689.47	660.58	139.79	520.79
	कुल	169	219	388	179472.49	88358.09	91114.40	19802.50	7700.87	12101.63

कुशल कार्यबल

4405. **श्री तथागत सत्पथी:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में जनशक्ति लागत विश्व के विकसित देशों की तुलना में सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो भारत में विकसित देशों की तुलना में कुशल कामगारों की औसत मजदूरी दर कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) श्रमिकों को दत्त मजदूरी, जनशक्ति लागत का प्राथमिक निर्धारक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की श्रम सांख्यिकी, 2004 वार्षिक पुस्तिका में उपलब्ध सूचनानुसार, 2001 के दौरान कुछ विकसित देशों और भारत में विनिर्माण क्षेत्र में श्रमिकों की मजदूरी निम्नवत् थी:

देश	मुद्रा	इकाई	मजदूरी
अमरीका	डालर	घंटा	14.76
ब्रिटेन	पाउंड	घंटा	10.49
जापान	येन	माह	297500
फ्रांस	यूरो	माह	1507
भारत	रुपया	माह	1893.2

मुद्राओं और उनकी क्रय शक्ति में भिन्नता के कारण कार्यावधि, अलग-अलग कार्यदशाएं और मजदूरी संबंधी आंकड़े पूरी तरह तुलनीय नहीं हैं।

बीज बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

4406. श्री महबूब जाहेदी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की वजह से बीज बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पेटेन्ट अधिनियम में संशोधन और नए बीज अधिनियम से इस रूझान को बढ़ावा मिलेगा;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या देश में बिना परीक्षण किए गए आनुवांशिक संवर्धित बीजों से फसलों की आनुवंशिक विविधता प्रभावित हो रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इसकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) किसानों के हितों की रक्षा के लिए बीज अधिनियम, 1966 तथा पादप किस्म एवं कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के अधीन पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं। किसान पंजीकरण के बिना बीजों सहित (ब्राण्डेड बीजों को छोड़कर) अपने उत्पाद बचाने, उपयोग करने, बोने, दुबारा बोने, आदान-प्रदान करने, शेयर करने अथवा बेचने के हकदार हैं।

(घ) से (च) आनुवंशिक इंजिनियरिंग अनुमोदन समिति द्वारा छह राज्यों अर्थात् गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में चार बी टी कपास संकर किस्में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित और जारी की गई हैं। कुछ राज्यों में नकली बी टी कपास बीजों के उत्पादन और सप्लाई के लिए जाने की रिपोर्टें हैं जहां राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के तहत खतरनाक सूक्ष्म आर्गेनिज्म्स/जैनटिकली इंजिनियर्ड आर्गेनिज्म्स अथवा सेल्स, 1999 के विनिर्माण उपयोग/अथवा/आयात निर्यात एवं भण्डारण नियमावली के अधीन नकली बी टी कपास बीजों के उत्पादकों और वेण्डरों के विरुद्ध कार्रवाई करें।

आनुवांशिक इंजिनियरिंग अनुमोदन समिति द्वारा हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में वाणिज्यिक खेती के लिए छह बी टी कपास संकर किस्में भी अनुमोदित की गई हैं।

कपास संकर बीजों में बी टी जीन की उपस्थिति/अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर को परामर्श प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया है।

राज्य सभा में पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके नए बीज विधेयक में किस्मों के अनिवार्य पंजीकरण तथा बड़े व छोटे उल्लंघनों के लिए दण्ड को बढ़ाने जैसे उपायों का प्रस्ताव है।

वेजिटेटिव तटीय शेल्टरों की स्थापना

4407. श्री जुएल ओराम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मृदा वैज्ञानिकों ने देश में ज्वारीय तरंगों से सुरक्षा के लिए वेजिटेटिव तटीय शेल्टरों की स्थापना का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने तटीय रेखा पर सुरक्षात्मक दीवार के निर्माण का भी विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) तटीय रेखा को टिकाऊ सुरक्षा प्रदान करने के लिए वनस्पति को उपयोगी पाया गया है।

(ख) और (ग) तटीय क्षेत्र समुद्र के ज्वारीय प्रभाव क्षेत्र में होते हैं जो कि ज्वारीय जल द्वारा प्लावित रहता है। इस क्षेत्र को मानव जीवन, पशुधन, भूमि और पर्यावरण के लिए सुरक्षा की जरूरत होती है। यद्यपि सुनामी की ज्वारीय तरंगों के विरुद्ध तटीय रेखा की सुरक्षा के लिए कंक्रीट की दीवार को प्रभावशाली सुरक्षात्मक उपाय माना गया है किंतु यह पारिस्थितिकी अनुकूल उपाय नहीं है। सुनामी द्वारा क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रों के लिए जहां कच्छ वनस्पति, शेल्टरबैल्ट, वृक्षारोपण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है वहां दीर्घावधि पुनर्वास के लिए वनस्पति अवरोधकों को सुदृढ़ करने की जरूरत है। इसमें तट के साथ-साथ जैव परिरक्षक के निर्माण के साथ-साथ कच्छ वनस्पति वन, कसूरीना, सैलीकोरनिया, ल्यूसीना, ताड़, बांस और अन्य वृक्षों/झाड़ियों की प्रजातियों में वृद्धि करना शामिल

है। ये तटवर्ती तूफान की तरंगों को रोकने का करने के साथ-साथ कार्बन सोखने का काम भी करेंगे और तटीय जनसंख्या में जीविका की सुरक्षा में सुधार होगा।

[हिन्दी]

औषधियों का मूल्य

4408. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मो. ताहिर:
श्री मुन्शी राम:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषधियों के मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए जिम्मेदार औषधि नियंत्रक विभाग और राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के बीच समन्वय का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले एक दशक से औषधियों का मूल्य निर्धारण नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप औषधि कंपनियां अत्यधिक मूल्य वसूल कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस अनुचित चलन को रोकने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में शिरडी के लिए पैकेज

4409. **श्री देविदास पिंगले:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में शिरडी के लिए विशेष पैकेज देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में इस संबंध में मंत्रिपरिषद की संबंधित समिति की बैठक हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श से, प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता प्रदान परियोजना प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ)प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दांडी यात्रा मार्ग

4410. **श्री गुरूदास कामत:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गुजरात में ऐतिहासिक दांडी यात्रा के मार्ग जिस पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई थी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्यार्थ राज्य सरकार को कितनी सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) नए पर्यटक स्थानों/स्थलों का अभिनिर्धारण एक अनवरत प्रक्रिया है। पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों के सहयोग से पर्यटक रुचि वाले ऐसे स्थानों का अभिनिर्धारण करता है और राज्यों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, उनके अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता देता है।

(ख) गुजरात राज्य सरकार से इस संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

संगठित/असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा

4411. **श्री डी. विट्टल राव:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में महिला कर्मकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए अलग से विधान बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार को संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में महिला कामगारों के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए एक पृथक विधान बनाने हेतु न तो कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और न ही इस संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

तथापि, महिला कामगारों के लिए समुचित कार्यदशाएं सुनिश्चित करने और उनका शोषण रोकने के लिए अनेक कानून पहले ही अधिनियमित किए गए हैं। इनमें कारखाना अधिनियम, 1948, बागान श्रम अधिनियम, 1951, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, अंतर्राज्यिक, प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 आदि शामिल हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ महिला कामगारों के लाभार्थ क्रेच सुविधाएं, कार्य के घंटों के दौरान बच्चों को दूध पिलाने के लिए छुट्टी, प्रसूति सुविधा और कार्यस्थल के निकट महिला तथा पुरुष कामगारों के लिए अलग से टायलट तथा धुलाई की व्यवस्था का प्रावधान है। विभिन्न राज्य सरकारें इन कानूनों को लागू करने के लिए समुचित एजेंसियां हैं।

महाराष्ट्र में फसल विविधीकरण परियोजना का लम्बित होना

4412. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय परिव्यय की स्वीकृति हासिल करने के लिए मंत्रालय के पास महाराष्ट्र सरकार हेतु फसल विविधीकरण परियोजना लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति मिलने की सम्भावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य के लिए फस विविधीकरण परियोजना हेतु एक अतिरिक्त कार्य योजना प्रस्ताव वृहत प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत प्राप्त हुआ था। चूंकि यह स्कीम का अनुमोदित घटक नहीं है, अत: इसे केवल वर्ष 2004-05 हेतु कुल कार्य योजना के आकार के 10% तक नए हस्तक्षेप के रूप में वित्तपोषित किया जा सकता था। चूंकि राज्य सरकार ने वर्ष 2004-05 हेतु अपनी कुल कार्य योजना के आकार के 10% तक के नए हस्तक्षेपों के लिए पहले ही व्यवस्था कर दी थी, अत: इस परियोजना पर विचार नहीं किया जा सका।

हिमाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन

4413. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश में विशेषकर शिमला में साहसिक पर्यटन के योग्य कई स्थल हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे पर्यटन के विकास के लिए चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को आवंटित धनराशि/जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान अभी तक राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

एच एफ सी एल की सम्पत्ति की बिक्री

4414. श्री सुनील खां: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दुर्गापुर स्थित हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड के टाउनशिप और शोधन संयंत्र की बिक्री के संबंध में आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण और उर्वरक विभाग के बीच एक संयुक्त बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या परिणाम निकले?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी हां, एक संयुक्त बैठक हुई थी।

(ख) उक्त बैठक में बिक्री के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया।

पर्यटन के क्षेत्र में जापान से सहायता

4415. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान द्वारा भारत के सतत आर्थिक विकास की सहायता के लिए विशेषकर पर्यटन के संबंध में ऋण प्रदान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितना ऋण प्रदान किया गया है और उस पर प्रतिवर्ष कितना ब्याज लिया जाता है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए यह ऋण प्रदान किया गया है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) से (ग) जी, हां। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध परिपथ के विकास के लिए 9244 मिलियन जापानी येन तथा अजंता-एलोरा (चरण-1) के विकास के लिए 3745 मिलियन जापानी येन ओवरसीज इकानामिक कापरेशन फण्ड आफ जापान (अब जापान बैंक आफ इंटरनेशनल कापरेशन के रूप में परिचित है) से ऋण सहायता प्राप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त 7331 मिलियन जापानी येन की राशि अजंता एलोरा चरण-2 के विकास के लिए पूर्ण परियोजना ऋण भी स्वीकृत की गई है और यह परियोजना अब कार्यान्वयनाधीन है। 9495 मिलियन जापानी येन की जेबीआईसी ऋण सहायता के लिए उत्तर प्रदेश बौद्ध परिपथ विकास परियोजना (चरण-2) पर कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त उपर्युक्त सभी परियोजनाओं के लिए ऋण पर ब्याज दर मूल राशि पर प्रतिवर्ष 0.75 प्रतिशत से प्रति वर्ष 2.6 प्रतिशत के बीच है।

उद्योगों में पारे के प्रयोग के कारण स्वास्थ्य को खतरा

4416. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारे को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करने वाले और उसका विसर्जन करने वाले उद्योगों के कारण पर्यावरण को होने वाले खतरों की पहचान और उनका आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) उद्योगों से पारे के उत्सर्जन से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है। उद्योगों से होने वाले पारे के उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) पारा सैल प्रक्रिया आधारित कास्टिक सोडा उद्योगों से पारा उत्सर्जन के मानकों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

(2) नए संयंत्र लगाने और विद्यमान पारा सैल आधारित कास्टिक सोडा संयंत्रों के विस्तार की अनुमति नहीं है।

(3) पारे निहित स्लज से निपटने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली को अधिसूचित किया गया है जिसके अंतर्गत अपशिष्ट जननकर्त्ता को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति लेना अपेक्षित है।

(4) "खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए मानदण्ड" पर मार्गनिर्देश तैयार किए गए हैं जिसमें सुरक्षित भूमि भरण निपटान करने से पहले पारा युक्त नमकीन स्लज को एक निर्धारित मानदण्ड तक शोधन करना शामिल है।

(5) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पारा युक्त अपशिष्टों के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध है।

(6) फैक्टरी अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कार्य क्षेत्र पर्यावरण के लिए पारा उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया गया है जिसमें कामगारों के स्वास्थ्य की जांच भी शामिल है।

(7) क्लोर-अल्कली उद्योगों से पारे के उत्सर्जन/बहिस्राव को सीमित करने और पारा सैल प्रक्रिया आधारित संयंत्रों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करके मैम्ब्रेन सैल प्रौद्योगिकी में परिवर्तित करने के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु निगम दायित्वों (सी आर ई पी) के तहत कार्रवाई बिन्दु तैयार किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मत्स्य आयात

4417. डा. के. धनराजू:
श्री देविदास पिंगले:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी मात्रा में मछलियों का आयात किया जा रहा है जिससे विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा है और तटीय क्षेत्रों के मछुआरों के बीच असंतोष फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मछलियों के आयात को रोकने का है ताकि मछुआरों के हितों की रक्षा की जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) देश में आयातित मछली की मात्रा बहुत कम है, अत: यह नहीं कहा जा सकता है कि इससे विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है अथवा इससे घरेलू मत्स्य उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

(ख) और (ग) मछली एवं मात्स्यिकी उत्पादों पर लगने वाला मूल सीमा शुल्क बहुत अधिक है तथा इससे मछली के घरेलू उत्पादकों को अत्यधिक सुरक्षा मिलती है। प्रभावी सफाई तथा फीटो-सफाई उपाय मछली एवं मत्स्य उत्पादों के आयात को विनियमित करने में मदद करते हैं। आयातित मछलियों का कुछ हिस्सा मूल्यवर्धन के साथ पुन: निर्यात के लिए प्रसंस्कृत किया जाता है।

[हिन्दी]

पशुबलि के संबंध में कानून

4418. श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन मंदिरों के नाम क्या हैं जहां पर अभी भी पशुबलि की प्रथा प्रचलित है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई कानून बनाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे मंदिरों के रिकार्ड का रखरखाव नहीं किया जाता है जहां पर पशुबलि की प्रथा प्रचलित है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने पशुओं को होने वाली अनावश्यक पीड़ा अथवा कष्ट की वेदना को रोकने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 अधिनियमित किया है। तथापि, इस अधिनियम में ऐसी कोई बात समाविष्ट नहीं है जिससे कि किसी समुदाय के धर्म द्वारा अपेक्षित रूप में किसी पशु को मारना उसे अपराध के रूप में व्यक्त करे। तथापि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, पाण्डिचेरी, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों ने पशुबलि की प्रथा को रोकने के लिए अधिनियम अधिनियमित किए हैं।

[अनुवाद]

बंद मिलों के कामगारों को ग्रेच्युटी

4419. श्री के. सुब्बारायण: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में बंद मिलों के कारण उनके सभी कामगारों की ग्रेच्युटी तथा अन्य वित्तीय लाभों की कितनी लंबित देय राशि का भुगतान नहीं हुआ है;

(ख) इन कामगारों के इस प्रकार के लाभों के भुगतान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उन्हें इस प्रकार का पूरा भुगतान कब कर दिया जाएगा?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यटन परियोजनाएं

4420. श्री अनंत कुमार:
श्री रमेश चर्मन:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को आबंटित/जारी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां रहीं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) से (ग) राज्यों में पर्यटन का विकास एवं संवर्धन एक अनवरत प्रक्रिया है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटन परिपथों एवं गंतव्यों आदि के उत्पाद/अवसंरचना विकास की अपनी योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दसवीं योजना (31.12.2004 को) के दौरान स्वीकृत की गई राज्यवार पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2000-03			2003-04			2004-05 (21.12.2004 तक)		
		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2	507.50	195.00	6	948.50	896.44	11	2750.81	2191.92
2.	असम	9	768.13	618.85	3	313.46	313.06	6	955.88	742.10
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	41.30	32.50	6	1044.60	700.00	6	1285.70	905.52
4.	बिहार	8	505.00	505.00	6	1019.42	913.89	7	1901.23	1527.55
5.	छत्तीसगढ़	9	308.00	98.50	6	1005.00	364.00	4	1086.26	869.01
6.	गोवा	1	0.50	0.50	2	36.76	34.76	2	10.00	8.00
7.	गुजरात	2	197.12	59.13	8	920.51	815.82	2	138.93	111.14
8.	हरियाणा	8	332.25	311.00	16	1215.38	879.23	5	678.55	501.64
9.	हिमाचल प्रदेश	30	779.32	760.38	4	182.32	85.00	5	2620.00	1736.00
10.	जम्मू और कश्मीर	3	94.38	89.47	5	895.00	895.00	2	805.00	644.00
11.	झारखंड	0	0	0	2	1109.00	774.60	1	474.97	379.97
12.	कर्नाटक	6	902.49	625.49	14	932.66	792.51	8	2432.76	1914.37
13.	केरल	11	861.36	829.86	6	608.50	564.15	5	2148.63	1718.88
14.	मध्य प्रदेश	18	711.18	574.79	10	621.90	394.51	8	1285.46	783.03
15.	महाराष्ट्र	8	623.46	546.25	10	931.83	914.58	6	1576.38	1260.10
16.	मणिपुर	2	5.24	2.62	1	82.44	24.73	0	0.00	0.00
17.	मेघालय	3	70.35	21.20	2	40.22	24.92	2	963.30	807.91
18.	मिजोरम	6	141.16	48.46	5	567.70	186.75	3	1081.28	927.09
19.	नागालैंड	5	360.50	323.43	4	711.00	220.80	5	2165.69	1731.40
20.	उड़ीसा	2	47.50	15.75	5	419.55	138.50	5	1316.48	999.69
21.	पंजाब	3	23.00	14.60	2	96.00	12.30	4	846.41	561.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	राजस्थान	13	1098.70	1096.20	14	1644.81	1414.25	2	39.31	31.45
23.	सिक्किम	13	346.24	269.76	8	1151.09	681.49	6	1005.81	805.13
24.	तमिलनाडु	5	559.00	316.10	14	1339.82	850.53	6	876.92	702.72
25.	त्रिपुरा	5	216.13	67.78	6	450.17	135.16	0	0.00	0.00
26.	उत्तरांचल	3	548.00	418.00	4	230.44	203.94	3	1412.93	1125.56
27.	उत्तर प्रदेश	3	295.00	295.00	7	1115.80	916.26	7	1037.43	825.19
28.	पश्चिम बंगाल	5	201.10	60.00	10	717.44	384.34	5	480.04	384.03
29.	अंडमान निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	3	7.75	6.63	2	10.00	8.00	1	457.00	365.60
31.	दादरा और नागर हवेली	2	8.07	6.46	0	0	0	0	0.00	0.00
32.	दिल्ली	14	504.00	449.02	17	3316.28	3222.13	1	500.00	400.00
33.	दमन एवं दीव	3	49.50	16.90	1	265.07	238.56	0	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	2	7.87	6.30	1	245.17	73.55	2	451.00	360.00
	कुल	212	11121.10	8680.93	207	24185.84	18073.76	130	32784.16	25320.26

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र के कामगारों में जागरूकता

4421. श्री बीर सिंह महतो:
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रम कानूनों के अंतर्गत प्रावधानों के बारे में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, हां। भारत सरकार, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से वर्ष 1979 से असंगठित/ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 आदि जैसे विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत उनके अधिकारों, हकदारियों और कल्याण प्रावधानों के बारे में उनके बीच जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से 2/5 दिनों का जागरूकता कैम्प आयोजित करती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए 15641 कैम्पों के माध्यम से 6,11,386 असंगठित/ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक लाभान्वित हुए।

(ग) इन कार्यक्रमों से पुरुष और महिला दोनों कामगारों के बीच बोधपरक प्रभाव सृजित हुआ है और अब वे श्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 जैसे श्रम कानूनों से अधिक वाकिफ हैं और अपनी उन्नति के लिए महिला मंडल/स्व-सहायता समूह बनाए हैं तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध लाभ उठा रहे हैं। इससे नशे का आदी होने, धूम्रपान करने, जुआ खेलने, बाल विवाद आदि जैसी सामाजिक बुराइयों में कमी आई है।

[अनुवाद]

जैविक कृषि हेतु राष्ट्रीय संस्थान

4422. श्री लोनाप्पन नम्बाडन:
श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जैविक कृषि हेतु राष्ट्रीय संस्थान (एन आई ओ एफ) की स्थापना के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एन आई ओ एफ की भूमिका तथा उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को केरल सरकार की ओर से केरल में एन आई ओ एफ के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) देश में आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पायलट परियोजना के रूप में एक नई स्कीम "आर्गेनिक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना" शुरू की है। इस परियोजना के अधीन राष्ट्रीय जैव-उर्वरक विकास केन्द्र (एनबीडीसी), गाजियाबाद तथा हिसार, जबलपुर, नागपुर, भुवनेश्वर, बंगलौर तथा इम्फाल में इसके छह केन्द्रीय (आरबीडीसी) को राष्ट्रीय आर्गेनिक खेती केन्द्र (एनसीओएफ) तथा क्षेत्रीय आर्गेनिक खेती केन्द्र (आरसीओएफ) के रूप में पुन: नामकरण किया गया है। क्षेत्रीय आर्गेनिक खेती केन्द्रों (एनसीओएफ) के मुख्य उद्देश्य हैं:-

(1) देश में आर्गेनिक कृषि के विकास को सरल व कारगर बनाना, प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना।

(2) अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों में कृषि में पुन: चक्रण हेतु उपलब्ध सम्पत्ति सूची अथवा आर्गेनिक संसाधन तैयार करना।

(3) आर्गेनिक खेती के लिए प्रमाणित आदानों के रूप में जैव-उर्वरकों, आर्गेनिक खाद, कम्पोस्ट आदि तथा जैव-कीटनाशकों, जैव नियंत्रण एजेन्टों आदि जैसे पोषक तत्वों के आर्गेनिक स्रोतों के उत्पादन को बढ़ावा देना।

(4) प्रत्यायन, जांच, नियमन, गुणवत्ता नियंत्रण और मानिटरिंग के मानक और तंत्र प्रतिपादन के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना।

(5) आर्गेनिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान शुरू करना और इसे प्रोत्साहन देना तथा विस्तार के माध्यम से प्रौद्योगिकी का प्रसार।

(ग) और (घ) एन आई ओ एफ की स्थापना के लिए पलक्कड जिले में थिरूविझमकुन्नु में केरल कृषि विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध भूमि में से केरल सरकार ने 200 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया।

बहरहाल, यह निर्णय लिया गया है कि एन डी बी सी गाजियाबाद और इसके छह क्षेत्रीय केन्द्रों को एन सी ओ एफ तथा आर सी ओ एफ में परिवर्तित किया जाएगा। अत: केरल सरकार राज्य में एन आई ओ एफ स्थापित करने हेतु केरल सरकार के अनुरोध पर विचार किया जाना संभव नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

किसानों को प्रशिक्षण देने की नीति

4423. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:
श्रीमती करूणा शुक्ला:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि किसानों तथा कृषि श्रमिकों हेतु चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और कृषि से संबंधित अन्य पहलुओं के बारे में स्थायी नीति का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खाद्यान्न की खरीद

4424. श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में खाद्यान्न तथा तिलहन खरीदने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वे कौन-कौन से राज्य हैं, जिनसे खरीद की जा रही है;

(ग) इस योजना में अन्न राज्यों को शामिल न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ राज्यों ने अपने बलबूते पर धान सहित खाद्यान्न खरीदने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा राजस्थान में सरसों की खरीद हेतु उचित व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें विपणन योग्य अधिशेष है, में भारतीय सरकार की ओर से खाद्यान्नों की वसूली करती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. तिलहनों की वसूली के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसी है। जिन राज्यों में खाद्यान्नों और तिलहनों की वसूली की जाती है उनके ब्यौरे संलग्न विवरण-1 और 2 में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के अधीन 10 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी राज्य एजेंसियों के माध्यम से वसूली करते हैं। केन्द्र सरकार इन प्रचालनों पर समस्त व्यय की प्रतिपूर्ति करती है।

(च) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. सरसों की वसूली के लिए नामित केन्द्रीय नोडल एजेंसी है और इसने रबी विपणन मौसम 2005-06 (18.4.05 तक) के दौरान राजस्थान राज्य में 6.83 लाख टन सरसों की वसूली की है।

विवरण I

जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों द्वारा गेहूं/चावल/मोटे अनाजों की वसूली की जाती है, उनके नाम:

क. गेहूं

1. बिहार
2. छत्तीसगढ़
3. जम्मू और कश्मीर
4. हरियाणा
5. हिमाचल प्रदेश
6. मध्य प्रदेश
7. पंजाब
8. राजस्थान
9. उत्तरांचल
10. उत्तर प्रदेश
11. चण्डीगढ़
12. दिल्ली

ख. चावल

1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
2. आंध्र प्रदेश
3. असम
4. बिहार
5. चण्डीगढ़
6. छत्तीसगढ़
7. दिल्ली
8. गुजरात
9. हरियाणा
10. हिमाचल प्रदेश
11. झारखण्ड
12. कर्नाटक
13. मध्य प्रदेश
14. महाराष्ट्र
15. नागालैंड
16. उड़ीसा
17. पांडिचेरी
18. पंजाब

19. राजस्थान
20. तमिलनाडु
21. उत्तर प्रदेश
22. उत्तरांचल
23. पश्चिम बंगाल

ग. मोटे अनाज

1. आंध्र प्रदेश
2. छत्तीसगढ़
3. हरियाणा
4. कर्नाटक
5. मध्य प्रदेश
6. महाराष्ट्र
7. पंजाब

विवरण II

जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नेफेड द्वारा तिलहनों की वसूली की जाती है, उनके नाम:

क. सरसों

1. राजस्थान
2. उत्तर प्रदेश
3. गुजरात
4. मध्य प्रदेश
5. छत्तीसगढ़
6. हरियाणा
7. दिल्ली
8. पंजाब

ख. कुसुम

1. महाराष्ट्र

ग. सूरजमुखी

1. कर्नाटक

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा

4425. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफ पी आई) के संबंध में देशव्यापी उपलब्धियां क्या रहीं;

(ख) उपर्युक्त अवधि में निर्यातोन्मुख एफ पी आई में कितना निवेश हुआ;

(ग) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने की सरकार की मंशा जताने के लिए कोई कार्यक्रम सक्रिय रूप से आरंभ किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) एक अनुमान के अनुसार, पिछले कुछ सालों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वृद्धि दर 7.1% थी। अनुमान है कि 10वीं योजना अवधि के दौरान 6% सकल घरेलू उत्पाद दर पर वृद्धि दर 7.3% होगी। रिपोर्ट किया गया है कि वर्ष 2003 में मार्च के अंतिम प्रतिवेदित शुक्रवार को खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण यूनिटों, जिसमें निर्यातोन्मुखी खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें शामिल हैं, को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बकाया अग्रिम की राशि 4726 करोड़ रु. थी। इसके अलावा देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन हेतु गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अपनी प्रमुख स्कीमों के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु 213.51 करोड़ रु. जारी किए गए।

(ग) और(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य संवर्धनात्मक उपायों के अलावा, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी सुविधाओं के सृजन, अनुसंधान और विकास हेतु समर्थन, मानव संसाधन विकास के लिए वित्तीय सहायता देने के वास्ते योजना स्कीमें बनाई जा चुकी हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं। खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना लागत के 33.33% जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, की दर से सहायता दी जाती है। खाद्य पार्कों संबंधी एक अन्य प्रमुख स्कीम के अंतर्गत विशिष्ट बुनियादी सुविधाओं के लिए सामान्य और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना लागत के क्रमश: 25% और 33.33%की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 4.00 करोड़ रुपये है, सहायता दी जाती है। अब तक 49 खाद्य पार्कों की स्थापना के

लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है जिनमें से 20 खाद्य पार्क पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित किए गए हैं।

[हिन्दी]

पशुधन गणना

4426. **श्री निखिल कुमार चौधरी:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर पर पशुधन गणना कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) पशुधन गणना पांच वर्ष में एक बार की जाती है। 17वीं पशुधन गणना 2003 में की गई थी और अगली पशुधन गणना 2007 में करने का प्रस्ताव है।

(ख) पशुधन गणनाएं प्रत्येक घर से घरेलू पशुओं/कुक्कुट पक्षियों की संख्या के संबंध में आंकड़े इकट्ठा करके केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पशुपालन विभागों के माध्यम से की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि निम्नीकरण

4427. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री तथागत सत्पथी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ऐसा कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण उपलब्ध है, जिसमें भूमि निम्नीकरण की सीमा तथा प्रकृति की सही तथा आवधिक पहचान की गई हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा पूरे देश में मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि निम्नीकरण का मान चित्र बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या निम्न कोटि तथा कम प्रयोग हुई भूमि के उपयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आरंभ करने के वास्ते राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, हां। देश में विभिन्न सरकारी एजेंसियां हैं जो मृदा/भूमि अवक्रमण सर्वेक्षण में लगी हुई हैं। कुछ संगठनों के नाम और स्वरूप तथा उनके द्वारा किए गए सर्वेक्षण कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

(1) अखिल भारतीय मृदा तथा भू-उपयोग (ए.आई.एम.एल.यू.एस.) ने अभी तक बहुत अधिक तथा अधिक अवक्रमित भूमि को अभिज्ञात करने और प्राथमिकता के आधार पर उसका उपचार करने के लिए 1:50,000 पैमाने पर लगभग 190 मिलियन हेक्टेयर भूमि का द्रुत टोही सर्वेक्षण (आर.आर.एस.) किया है।

अखिल भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण ने द्रुत टोही सर्वेक्षण के दौरान अभिज्ञात करने और प्राथमिकता के आधार पर उसका उपचार करने के लिए 1:15,000 पैमाने पर 13 मिलियन हेक्टेयर भूमि का विस्तृत मृदा सर्वेक्षण आयोजित किया है। इसके अलावा अखिल भारतीय मृदा तथा भू-उपयोग सर्वेक्षण (ए.आई.एस.एल.यू.एस.) ने जिला तथा तालुका स्तर पर विकास के लिए अवक्रमित भूमि के आधार पर व्यवहार्य तथा वैज्ञानिक जानकारी के सृजन करने के लिए 1:50,000 पैमाने पर 64 जिलों के भूमि अवक्रमण मानचित्रण का भी आयोजन किया है।

(2) राष्ट्रीय दूर संवेदन एजेन्सी अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, हैदराबाद ने मई, 2000 में भारत के बंजर भूमि एटलस में 13 विभिन्न वर्गों के देश में बंजर भूमि 63,85 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र अभिज्ञात किया है। इस रिपोर्ट में 1:50,000 पैमाने पर 25 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 584 जिलों को कवर किया गया है।

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो (एनबीएसएस) और भू-उपयोग योजना एलयूपी)

ने देश में 1:250,000 पैमाने पर मृदा के सर्वेक्षण आयोजित किए हैं और अवक्रमित भूमि के 150 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को अभिज्ञात किया है।

(घ) से (च) भारत सरकार देश में राज्य सरकारों के माध्यम से बंजर भूमि सहित अवक्रमित भूमि के विकास/उपयोग के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है:-

कृषि और सहकारिता विभाग

(1) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

(2) नदी घाटी परियोजना तथा बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा सर्वेक्षण

(3) क्षारीय मृदा सुधार

(4) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना

भूमि संसाधन विकास

(5) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम

(6) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

(7) मरूस्थल विकास कार्यक्रम

दसवीं योजना के दौरान भी उक्त कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जारी रखा जाएगा।

ठेका कृषि को बढ़ावा

4428. **श्री बी. विनोद कुमार:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री पी. करूणाकरन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार फसल योजना तथा ठेका कृषि को अपनाकर कृषि नीति में कोई बदलाव करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में ठेका कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) कितने राज्यों में ठेका कृषि पहले से ही चल रही है;

(घ) ठेका कृषि के अंतर्गत किसानों को क्या कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में ठेका कृषि के विनियमन के लिए एक विधान तैयार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और किसानों की आय में वृद्धि के लिए फसल विविधिकरण अधिक लागत और कम जल की खपत वाली फसलों जैसे तिलहन, दलहन, बागवानी, पुष्प कृषि, औषधीय और सुगंधित पौधों का सुझाव देता है।

अनुबंधित कृषि प्रौद्योगिकी, विस्तार और ऋण के स्रोत और सुनिश्चित तथा लाभकारी मंडियों से छोटे किसानों को जोड़ने के लिए एक प्रबंध के रूप में मंडियों के साथ समेकित कृषि उत्पादन के सुझाव देती है।

(ख) आर्थिक उदारीकरण के चलते अनुबंधित कृषि ने हाल ही में बहुत महत्व हासिल किया है। अनुबंधित कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी है कि कृषि मंडियों से संबंधित कानून (एपीएमसी अधिनियम) में अनुबंधित खेती को अनुमति देने के अपेक्षित प्रावधान शामिल किए जाए, क्योंकि इन उत्पादों को सरलीकरण लाइसेंस धारी व्यापारियों एवं विनिर्दिष्ट मंडियों के माध्यम से किया जाता है। तदनुसार राज्य सरकारों को एपीएमसी अधिनियम में संशोधन करने की सलाह दी जाती है। एपीएमसी अधिनियम जिसमें अन्य बातों के अलावा उक्त आशय से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए जाने के लिए उन्हें परिचालित कर दिया गया है।

(ग) अनुबंधित कृषि कुछ राज्यों जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में प्रचालन में है।

(घ) इस माडल कानून के अंतर्गत, अविश्वसनीय और नकली कम्पनियों से बचने के लिए किसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रायोजित कम्पनियों के पंजीकरण और अनुबंधित कृषि के समझौतों की रिकार्डिंग करने का सुझाव दिया गया है। एक विवाद निवारण तंत्र की स्थापना करने का सुझाव दिया गया है ताकि किसान उस विवाद को शीघ्रता से समाप्त कर सके, यदि यह विवाद किसी अन्य प्रायोजित कम्पनी के साथ हो जाता है। अनुबंधित फसल की खेती करते समय किसानों को उनके द्वारा लिए गए कर्ज का और फसल चौपट होने पर भूमि से बेदखल कर दिए जाने की जोखिम होती है। आदर्श कानून में ऐसी बेदखली से किसानों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

(ङ) और (च) चूंकि कृषि मंडी राज्य का विषय है अपनी उपयुक्तता के अनुसार इस आदर्श कानून को अपनाना राज्य सरकारों का दायित्व है।

वित्तीय बाजारों का विनियमन

4429. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, वित्तीय तथा वस्तु बाजारों को एक प्राधिकरण के अंतर्गत लाने के लिए किसी कानून के लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नया प्राधिकरण वस्तु बाजार सहित व्यापार श्रृंखला के सभी तत्वों को जोड़ेगा तथा उन्हें मजबूत करेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्रालय के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो वित्त मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा वित्तीय प्रतिभूतियों और वस्तु भावी सौदा बाजारों के कनवर्जेंस संबंधी पहलुओं पर विचार करने हेतु वित्त मंत्रालय की सलाह पर एक अंतर्मंत्रालयी कार्यबल गठित किया गया था। उपभोक्ता मामले विभाग ने जहां कार्यबल की अधिकांश सिफारिशों पर सहमति जताई, वहीं वित्त मंत्रालय को यह सूचित किया कि दोनों बाजारों में आधारभूत भिन्नता को देखते हुए इनके विनियमन की एकीकृत प्रणाली शुरू करने का अभी उचित समय नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि क्षेत्र में निजी/सरकारी भागीदारी

4430. श्री जी.वी. हर्ष कुमार:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, कृषि क्षेत्र में निजी तथा सरकारी भागीदारी पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में दूसरी हरित क्रान्ति के लिए नई नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कृषि क्षेत्रों में नए तरीकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी हां।

(ख) कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए हैं:

* राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एनएटीपी) के प्रौद्योगिकी प्रचार-प्रसार घटक के नवीनीकरण के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी पर सफलतापूर्वक पायलट कार्य शुरू किए गए हैं।

* नई दसवीं योजना स्कीम 'विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता' में विस्तार गतिविधियों में निजी विस्तार सेवा प्रदाताओं को शामिल करने का प्रावधान है।

* दिनांक 9-10 अप्रैल, 2005 को कृषि मंत्रालय और एफआईसीसीआई द्वारा संयुक्त रूप से ''कृषि आय में वृद्धि हेतु सुधार'' विषय पर ''कृषि सम्मेलन 2005'' आयोजित किया गया।

* देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकृत 451 कृषि विज्ञान केन्द्रों में से 83 कृषि विज्ञान केन्द्र गैर-सरकारी संगठनों के हैं।

* सभी राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम और कुछ सीमा तक भारतीय राज्य फार्म निगम पारस्परिक नियम और शर्तों की सहमति के आधार किसानों के खेतों पर बीज उत्पादन कार्य कर रहे हैं।

* 'तिलहन, दलहन, आयल पाम तथा मक्का (आइसोपोम) की समेकित स्कीम' नामक स्कीम कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी निकायों की भागीदारी के लिए एक विशेष घटक के लिए 15% का आवंटन करती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार कृषि विस्तार के क्षेत्र में निम्नलिखित नई स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है।

* किसान काल सैन्टर
* कृषि विस्तार को मास कीडिया समर्थन
* राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकी प्रचार-प्रसार नवीनीकरण और
* विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता।

[हिन्दी]

पर्यावरण एवं वनों की सुरक्षा के लिए अभियान

4431. श्री मुनव्वर हसन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिल्ली और उसके आसपास पर्यावरण और वनों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियानों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): सरकार ने दिल्ली और उसके आसपास पर्यावरण और वनों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं:-

* सामान्य और स्रोत विशिष्ट उत्सर्जन मानदंडों की अधिसूचना
* निर्माण अवस्था पर नए वाहनों के लिए आटो एग्जास्ट उत्सर्जन मानदंडों का प्रवर्तन
* इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों के लिए नियंत्रणाधीन प्रदूषण (पी यू सी) प्रमाणन।
* उन्नत ईंधन गुणवत्ता।
* ताप विद्युत स्टेशनों में लाभकारी कोयले का प्रयोग।
* वन क्षेत्रों में बाड़ लगाना और खाली क्षेत्रों में रोपण कार्य।
* दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू किया जाना।
* अवैध रूप से पेड़ काटे जाने की शिकायतों को निपटाने के लिए ट्री हेल्प लाईन चलाना।
* वनों और वृक्षों की सुरक्षा के लिए भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त करना।

दसवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा

4432. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा में बागवानी, फलों के निर्यात, मुर्गी पालन तथा पुष्प कृषि को वरीयता दी गई है जिससे कि भारत उपर्युक्त नए क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त कर विश्व बाजार में प्रमुख देश बन सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वर्ष 2004-05 में इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या हैं जिनकी भूमि को देश में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत किसानों की भूमि को किस उद्देश्य से चिन्हित किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) से (ङ) वार्षिक योजना 2004-05 में, देश में बागवानी के विकास के लिए 542.00 करोड़ रुपये का बजट अनुमानित परिव्यय आवंटित किया गया था। इसमें से 200.00 करोड़ रुपये "सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तरांचल सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन" स्कीम के लिए निर्धारित किए गए थे।

[अनुवाद]

उद्योगों के बंद होने के कारण बेरोजगारी

4433. श्री गिरिधारी यादव:
श्री सुनील कुमार महतो:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरों/राज्यों में उद्योगों के बंद होने के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर उद्योगों के बंद होने के कारण प्रभावित व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2004 में केवल 9759 के लगभग थी, अत: श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास ऐसे प्रभावित कामगारों हेतु कोई विशेष रोजगार योजना विचाराधीन नहीं है।

गिद्धों की संख्या में कमी

4434. **श्री राजेन्द्र कुमार:**
श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री पंकज चौधरी:
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:
श्री बालेश्वर यादव:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को भारतीय उप-महाद्वीप में गिद्धों की संख्या में कमी संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अनुसधानकर्त्ताओं द्वारा कराए गए अध्ययन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या अध्ययन में की गयी सिफारिशों पर कार्रवाई करने में कोई विलम्ब हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000 में एक विशेष परियोजना के तहत प्रायोजित बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि देश के कई भागों में गिद्धों की तीन प्रजातियों अर्थात् व्हाइट बैक्ड, लोंग बिल्ड, तथा स्लेंडर बिल्ड की संख्या में 90% की गिरावट आई है। तदनुसार, शव परीक्षण तथा निदान जांचों से पता चला है कि यह अत्यधिक गिरावट गिद्धों द्वारा वेटेरीनेरी डाइक्लोफेनाक के उपयोग से आई है जो पशुओं के मृत शरीर का भोजन करते हैं। वेटेरीनेरी डाइक्लोफेनाक से आंतों में यूरिक एसिड जमा हो जाता है जो अचानक मौत का कारण बनता है।

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं-

1. व्हाइट बैक्ड, लोंग बिल्ड तथा स्लेंडर बिल्ड गिद्धों की सुरक्षा स्थिति में सुधार करते हुए इन्हें वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 4 में से अनुसूची 1 में रखा गया है।

2. गिद्धों के संरक्षण हेतु व्यापक कार्यनीति तैयार करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में सितम्बर, 2000 तथा अप्रैल, 2004 में 2 कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।

3. राज्य सरकारों को गिद्धों के प्रभावी संरक्षण के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए कहा गया है।

4. बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी ने हरियाणा राज्य वन विभाग के सहयोग से गिद्धों के संरक्षण पर एक परियोजना शुरू की है। पंचकुला में एक "वल्चर कैप्टिव केयर फैसिलिटी" स्थापित की गई है।

5. स्वास्थ्य मत्रालय से डिक्लोफेनाक दवाई के प्रयोग की जगह किसी उचित वैकल्पिक दवाई का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हाथी गलियारों की दुर्दशा

4435. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा':** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय उद्यानों तथा आसपास के वनों में विशेषकर जिम कारबेट राष्ट्रीय उद्यान तथा इसके आसपास के वनों में हाथी गलियारों की दुर्दशा के बारे में कोई अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा हाथी गलियारों की मरम्मत/जीर्णोद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) हाथी गलियारों की स्थिति के बारे में भारतीय वन्यजीव संस्थान, सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान केन्द्र, केरल वन अनुसंधान संस्थान और कुछ राज्यों के वन विभागों द्वारा कुछ अध्ययन किए गए हैं। भारतीय वन्यजीवन संस्थान ने कार्बेट-राजाजी लैंडस्केप में हाथी गलियारों के संबंध में विशेष अध्ययन किए हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा "हाथी परियोजना" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत गलियारों के सीमांकन, उनकी सुरक्षा और विकास के लिए देश के उन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनमें हाथी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कुछ ज्ञात हाथी गलियारों की सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण के लिए निजी और सामुदायिक भूमि के अधिग्रहण के लिए कुछ राज्यों को भी निधियां दी गई हैं। हाथी गलियारों पर जीवीय भार को कम करने हेतु विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत पारि-विकास कार्यकलापों के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। विभिन्न हाथी रिजर्वों की परिप्रेक्ष्य योजनाओं में हाथी गलियारों की सुरक्षा और मानीटरी को शामिल किया जाता है।

[हिन्दी]

फसल बीमा योजना के अंतर्गत पान की फसल

4436. श्री प्रदीप गांधी:
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पान के लिए फसल बीमा योजना (सीआईएस) के अभाव के कारण पान की खेती में लगे किसानों के सामने आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पान की फसल को सी आई एस के अंतर्गत लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां।

(ख) और (ग) पान की बेल एक बारहमासी फसल है जिसके पत्तों को बार-बार तोड़ा जाता है। इस समय इसे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। मौजूदा फसल बीमा स्कीम में अपेक्षित सुधारों के अध्ययन के लिए गठित संयुक्त दल ने बारहमासी बागवानी फसलों के लिए बीमा कवर करने सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया है। संयुक्त दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार, इस समय दल की सिफारिशों पर विभिन्न पनधारियों से बातचीत कर रही है।

[अनुवाद]

क्योटो प्रोटोकोल

4437. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1997 की क्योटो प्रोटोकोल प्रभाव में आ गई है तथा अमरीका और आस्ट्रेलिया अब भी संधि का अंग बनने से इंकार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को न्यूनतम करके तथा विकासशील देशों के साथ प्रौद्योगिकी की भागीदारी करके विकसित देश, किस सीमा तक संधि का अनुपालन कर रहे हैं; और

(घ) संधि में शामिल होने से अमरीका और आस्ट्रेलिया के इंकार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। क्योटो प्रोटोकोल 16 फरवरी, 2005 को लागू हुआ है। अब तक भारत सहित 148 पक्षकारों ने क्योटो प्रोटोकोल का अनुसमर्थन किया है। अमेरिका और आस्ट्रेलिया ने अभी तक क्योटो प्रोटोकाल का अनुसमर्थन नहीं किया है।

(ग) क्योटो प्रोटोकाल में प्रोटोकाल के अनुबंध-1 (विकसित देश) पक्षकारों के लिए परिमाणीय उत्सर्जन सीमा/कमी करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ऐसे विकसित देश-पक्षकारों ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को अपनी पहली वचनबद्धता अवधि 2008-12 तक प्राप्त करने के प्रयास आरम्भ कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त, कई विकसित देश-पक्षकार क्योटो प्रोटोकाल के स्वच्छ विकास तंत्र (सी डी एस) के माध्यम से भी उत्सर्जन में कमी की व्यवस्था कर रहे हैं और विकासशील देशों में परियोजना प्रायोजकों के साथ प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान कर रहे हैं।

(घ) भारत का मत है कि विकसित देश-पक्षकार जिन्होंने उत्सर्जन सीमा या इसमें कमी करने की वचनबद्धता को मान लिया है उन्हें क्योटो प्रोटोकाल और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यू एन एफ सी सी सी) के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करना चाहिए। क्योटो प्रोटोकाल वचनबद्धता का किसी विकसित देश-पक्षकार द्वारा अनुपालन न करने/नकारने से जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

तुंगभद्रा बांध की भंडारण क्षमता

4438. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध की इसके निर्माण से आज की तारीख तक भंडारण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या बाध में गाद जमी होने के कारण किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा गाद हटाने तथा बांध की भंडारण क्षमता को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) वर्ष 1953 के दौरान किए गए प्रथम सर्वेक्षण के अनुसार तुंगभद्रा जलाशय की सक्रिय भण्डारण क्षमता 3718.34 घन मीटर (131.312 हजार मिलियन घन फीट) थी। वर्ष 1993 के सर्वेक्षण के अनुसार इसकी वर्तमान सक्रिय भंडारण क्षमता 3157.53 मिलियन घन मीटर (111.507 हजार मिलियन घन फीट) है। इस प्रकार इस जलाशय में गाद जमा होने के कारण 560.81 मिलियन घन मीटर (19.805 हजार मिलियन घन फीट) सक्रिय भंडारण क्षमता का नुकसान हुआ है, और इस जलाशय से जल के उपयोग में कमी आई है। तुंगभद्रा जलाशय से गाद हटाने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह लागत प्रभावी प्रस्ताव नहीं है।

पाकिस्तान को गेहूं का निर्यात

4439. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान को गेहूं के निर्यात के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) पाकिस्तान के व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जुलाई, 2003 में अपनी यात्रा के दौरान भारत से गेहूं के आयात में रुचि दिखाई थी। तथापि, पाकिस्तान सरकार अभी तक व्यापार के लिए अटारी-वाघा सीमा को खोलने के लिए सहमत नहीं हुई है।

आर.आई.एन.एल. द्वारा लौह अयस्क का खनन

4440. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में लौह अयस्क भण्डारों की संख्या कितनी है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान खोजे गए ऐसे भण्डारों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) ने देश में कच्चे माल की कमी को पूरा करने हेतु लौह अयस्क की विदेशी खानें पट्टे पर लेने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के सूरजगढ़ समेत देश के विभिन्न भागों में उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क की खानों का दोहन करने में समर्थ नहीं रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) इस समय, देश में लौह अयस्क भण्डारों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है:

(हजार टन)

राज्य	हैमेटाइट				मैग्नेटाइट			
	प्रमाणित	संभाव्य	संभावित	योग	प्रमाणित	संभाव्य	संभावित	योग
आंध्र प्रदेश	10050.03	15159.76	64092.33	89302.12	43034	1266666	0	1309700
असम	0	0	0	0	4240	0	0	4240
बिहार	0	0	55.00	55.00	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	993159.75	537553.61	747508.00	2278221.36	0	0	0	0
गोवा	461013.90	149372.41	119460.79	729847.10	67358	5416	115218	187992
झारखण्ड	2560232.67	334830.30	386019.29	3281082.26	1343	3846	2358	7547
कर्नाटक	795721.78	208747.25	311194.30	1315663.33	1653457	503872	1686610	3843939
केरल	0	0	0	0	0	26882	12304	39186
मध्य प्रदेश	47098.40	23520.99	81636.92	152256.31	0	0	0	0
महाराष्ट्र	106942.42	76939.35	89282.49	273164.26	530	108	0	638
उड़ीसा	1824172.68	762910.37	1590270.65	4177353.70	0	0	0	0
राजस्थान	2070.94	12682.11	5577.22	20330.27	15	60	464	539
तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	1433	1433
सम्पूर्ण भारत	6800462.57	2121716.15	3395096.99	12317275.71	1769977	1806850	1818987	5395214

पिछले तीन वर्षों के दौरान खोजे गए भण्डारों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:

राज्य	लौह अयस्क भण्डार का नाम
उड़ीसा	सुन्दरगढ़, क्योंझर, बरसुआ और बोलानी
छत्तीसगढ़	दुर्ग और बैलाडिला
कर्नाटक	चिकमैंगलूर
गोवा	बिचम
महाराष्ट्र	सिन्धु दुर्ग

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) सरकार देश में लौह अयस्क के भण्डारों का दोहन करने में स्वयं नहीं लगी हुई है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जैसे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड आदि लौह अयस्क के खनन में लगे हुए हैं।

[अनुवाद]

नीति परिवर्तन

4441. श्री सीता राम यादव:
श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने व्यापक नीति परिवर्तन करने का निर्णय लिया है जो किसानों की बाजार तक पहुंच बन पाने में आने वाले प्रतिबन्धों और बाधाओं को दूर करेगा जिससे वे अपने उत्पादों का सही मूल्य ले पाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। कृषि विपणन संबंधी वर्तमान कानून (ए.पी.एमसी. अधिनियम) के अधीन, किसान को किसी विनिर्माता या खुदरा विक्रेता के साथ सीधे सम्पर्क में आने से रोका जाता है क्योंकि उत्पाद को विनियमित मण्डियों के माध्यम से सरणीबद्ध किया जाना अपेक्षित होता है। यह प्रतिबद्ध किसानों, खुदरा व्यापार और उद्योगों के लिए हतोत्साहक के रूप में कार्य कर रहा है। अत: राज्य सरकारों को सलाह दी गई है वे सीधे विपणन और ठेका कृषि को अनुमति देने तथा प्रतिस्पर्धात्मक मण्डियां स्थापित करने की अनुमति देने के लिए ए.पी.एम.सी. अधिनियम में परिवर्तन करें। सुधार का लक्ष्य किसानों को उनके उत्पादों को बेचने में स्वतंत्रता प्रदान करना है जिससे उन्हें बेहतर मूल्य/सेवाएं मिल सकें।

खाद्यान्न का निर्यात

4442. **श्री रूपचन्द मुर्मू**: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या यह लक्ष्य खाद्यान्नों के अतिरिक्त भंडार को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। सरकार ने केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बाढ़ के कारण राज्यों को हानि

4443. **श्री हेमलाल मुर्मू**: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजमहल के निकट गंगा नदी के तटों पर 2.30 करोड़ रुपये की केन्द्रीय भागीदारी से क्रियान्वित की जाने वाली भू-अपरदन रोधी योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना को निर्धारित समय में क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार को कोई निदेश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी हां, झारखंड सरकार से 3.07 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से "साहिबगंज जिले में राजमहल के नारायणपुर अनुप्रवाह के पास मझार टोला से फेलू टोला तक गंगा नदी के दायें किनारे पर कटावरोधी कार्य" नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में प्राप्त हुई है। इस स्कीम के लिए केन्द्र का हिस्सा 2.30 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने उपरोक्त स्कीम की जांच की है और मोटे तौर पर इसे उचित पाया है।

कृषि वानिकी और बागवानी को बढ़ावा

4444. **श्री ब्रजेश पाठक**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर उत्तर प्रदेश में कृषि वानिकी और बागवानी को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भूमि संसाधन विभाग गैर-वन बंजर भूमि के विकास हेतु प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत देश के विभिन्न कृषि-जलवायुवीय क्षेत्रों में कृषि वानिकी माडलों के परीक्षण हेतु विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों के लिए पायलट परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र के जरिए देश में कृषि वानिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना क्रियान्वित कर रहा है। वृहत कृषि प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत वर्षा सिंचित क्षेत्रों के साथ-साथ नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के श्रवण क्षेत्रों में अभिज्ञात पनधाराओं में वर्षा सिंचित अकृष्य भूमि में अभिज्ञात पनधाराओं, कृष्य और अकृष्य भूमि में विविधीकृत कृषि प्रणालियों

को शुरू करने हेतु सभी राज्य सरकारों को कार्य योजना सहायता के जरिए राज्य सरकार के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत देश में बागवानी फसलों के विकास हेतु भी सहायता दी जा रही है।

(ग) बृहत प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत देश में बागवानी विकास हेतु प्रदान की जाने वाली सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वृहद कृषि प्रबन्धन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन बागवानी के लिए निधियों का राज्यवार आवंटन/निर्मुक्ति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1370.57	1323.35	1168.90
2.	बिहार	0.00	747.39	500.00
3.	झारखंड	00.00	95.00	103.00
4.	गोवा	447.00	106.00	101.25
5.	गुजरात	621.61	383.33	591.00
6.	हरियाणा	131.00	277.00	300.00
7.	हिमाचल प्रदेश	537.22	483.53	0.00
8.	जम्मू और कश्मीर	277.77	505.83	91.81
9.	कर्नाटक	537.23	1500.55	1555.55
10.	केरल	674.32	1059.75	2046.95
11.	मध्य प्रदेश	2000.00	444.44	600.00
12.	छत्तीसगढ़	1315.00	425.00	384.00
13.	महाराष्ट्र	550.00	3890.00	2265.00
14.	उड़ीसा	497.00	805.55	890.00
15.	पंजाब	3810.00	180.00	180.00
16.	राजस्थान	0.00	775.00	684.41
17.	तमिलनाडु	0.00	1890.00	916.00
18.	उत्तर प्रदेश	0.00	500.00	675.00
19.	उत्तरांचल	0.00	250.00	24.00
20.	पश्चिम बंगाल	583.33	511.00	450.00
21.	अरुणाचल प्रदेश	216.10	0.00	0.00

1	2	3	4	5
22.	असम	575.00	0.00	0.00
23.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
24.	मिजोरम	1802.08	0.00	0.00
25.	मेघालय	50.00	2.50	0.00
26.	नागालैण्ड	340.00	0.00	0.00
27.	सिक्किम	227.00	0.00	0.00
28.	त्रिपुरा	440.00	0.00	0.00
29.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00
30.	दादरा और नागर हवेली	26.15	11.75	0.00
31.	दिल्ली	79.00	37.70	30.00
32.	लक्षद्वीप	72.50	49.00	0.00
33.	पाण्डिचेरी	0.00	35.00	35.00
34.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
35.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	55.12	124.27	9.50
	कुल	17235.00	16412.94	13601.37

कृषि अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

4445. मोहम्मद शाहिद:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसानों को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए कृषि अनुसंधान केन्द्रों (ए.आर.सी.) की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कृषि पर हमारी निर्भरता तथा कृषि कवरेज प्रतिशतता के मामले में निर्भरता अत्यधिक होने के बावजूद कृषि अनुसंधान केन्द्रों को पर्याप्त निधियों का आवंटन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान कृषि अनुसंधान कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(घ) किसानों को बाजार में लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि उत्पादों की मात्रा एवं उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनुसंधान कार्य के तहत क्या कार्य किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि, वित्तीय वर्ष 2004-05 हाल ही में समाप्त हुआ है, व्यय की खाता बही अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। तथापि, वर्ष 2004-05 के दौरान संशोधित आकलन योजना के अंतर्गत 900 करोड़ रुपये तथा गैर-योजना के अंतर्गत 775 करोड़ रुपये के थे।

(घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

* खाद्य और पोषण सुरक्षा के टिकाऊपन और उसमें आगामी वृद्धि के लिए वर्ष 2004-05 में विभिन्न फसलों की 81 सुधरी किस्में और संकर किस्में जारी की गई।

* पादपों, पशुओं, मत्स्य और सूक्ष्म आर्गेनिज्म में आनुवंशिक संसाधनों के संग्रहण, संरक्षण, मूल्यांकन और टिकाऊ उपयोग पर ज्यादा जोर दिया गया है। राष्ट्रीय पादप जीन बैंक में 2,80,000 से ज्यादा प्रविष्टियों को रखा गया है।

* उच्च पैदावार वाली किस्मों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करके बागवानी फसलों की उत्पादकता वृद्धि पर ज्यादा जोर दिया गया।

* आर्गेनिक रूप से उत्पादित आहार हेतु प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए दस अनुसंधान केंद्रों में कार्बनिक कृषि पर एक नैटवर्क कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

* मौसम परिवर्तन के अध्ययन, इसका कृषि पर प्रभाव और मौसम पूर्वानुमान के प्रभाव को खंडित करने के लिए आविष्कारक रणनीतियों के लिए 15 अनुसंधान केन्द्रों में एक नैटवर्क कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

* पशु रोग के नियंत्रण के लिए और चयन के माध्यम से विभिन्न पशुधन और मुर्गी पालन प्रजातियों में दुग्ध, मांस, ड्राफ्ट, फाइबर और अंडों के लिए नस्ल सुधार हेतु रणनीतियों का विकास आरम्भ किया गया है।

* समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के लिए डाटाबेस के रखरखाव के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली का विकास।

* भारतीय प्रमुख कार्प मछलियों के प्रायोमोरडियल जनन कोशिका का हिम-परिरक्षण।

* सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश के सभी ग्रामीण जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

शिक्षण, अनुसंधान परामर्श और अन्य सेवाओं में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता के केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

वन्यजीव कानूनों को सुदृढ़ बनाना

4446. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:**
डा. एम. जगन्नाथ:
श्री महेश कनोडीया:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वन्यजीव संबंधी कानूनों को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वन्यजीव अपराधों को रोकने हेतु एक नोडल एजेन्सी स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्य क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वन्यजीवों तथा उनके व्युत्पन्नों से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत एक बहु-आयामी ब्यूरो स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(1) संगठित वन्यजीव अपराधों के संबंध में आसूचना का एकत्रण तथा विश्लेषण तथा अपराधियों को पकड़ने के उद्देश्य से त्वरित कार्रवाई किए जाने के लिए राज्यों तथा क्षेत्रीय प्रवर्तन एजेंसियों को इसका प्रसारण करना।

(2) पुलिस, सीमा-शुल्क तथा वन जैसे विभिन्न संगठनों के लिए पूर्णकालिक अधिकारियों के साथ एक बहु-एजेंसी इकाई के रूप में कार्य करना।

(3) वनस्पतिजात तथा प्राणिजात की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (साइट्स), इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन आदि जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों, जिसमें भारत एक पक्षकार है, के तहत लिए गए संकल्पों तथा निर्णयों का क्रियान्वयन करना।

(4) इंटरपोल, वन्यजीव अपराध कार्य समूहों, विश्व सीमा-शुल्क संगठनों, साइट्स बाघ प्रवर्तन कार्य बल तथा देश के भीतर विभिन्न अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करना।

(5) एक व्यवसायिक ढंग से प्रवर्तन तथा अन्वेषण कार्य के उद्देश्य से राज्य वन विभागों के व्यापार प्रवर्तन तथा क्षमता निर्माण को बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की नीति विकसित करना।

(6) राज्य वन विभागों तथा गैर-सरकारी संगठनों आदि के साथ घनिष्ठता से कार्य करके अग्रिम सूचना के उद्देश्य से पूरे देश में एक आसूचना नेटवर्क स्थापित करना।

(7) व्यापार की मानीटरी करना तथा नीति एवं विधान में अपेक्षित परिवर्तनों के बारे में समय-समय पर सरकार को सलाह देना।

[अनुवाद]

नारियल के पेड़ों का रोगग्रस्त होना

4447. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री एम. शिवन्ना:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में नारियल पेड़ नुसी, रूट विल्ट आदि जैसे विभिन्न रोगों तथा ब्लैकहेड वर्म और ह्वाइट वर्म आदि जैसे कीड़ों से ग्रसित हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में नारियल के पेड़ों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक में नारियल बागान विभिन्न कृमियों और रोगों से प्रभावित हुए हैं। राज्यों में नारियल बागानों को क्षति पहुंचाने वाली मुख्य कृमि पत्ती भक्षक सुन्डी (ब्लैक वोर्म), इरियोफाइड माइट (नूसी) और रेड पाम वीविल हैं।

कृषि मंत्रालय नारियल विकास बोर्ड के कार्यक्रमों के जरिए कर्नाटक सरकार का कृमियों और रोगों के नियंत्रण हेतु प्रबंधन पद्धतियां अपनाने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत इरियोफाइड माइट के नियंत्रण हेतु कर्नाटक सरकार को 13.50 करोड़ रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई थी जिसमें से 4.60 करोड़ रु. की धनराशि राज्य के गंभीर रूप से कृमि से प्रभावित नारियल उत्पादक 22 जिलों में पारिस्थितिकी अनुकूल समेकित कृमि प्रबंधन पद्धतियों के प्रदर्शन हेतु प्रदान की गई थी।

नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत प्रौद्योगिकियों के विकास, प्रदर्शन और अपनाने हेतु परियोजना के अलावा कर्नाटक में पत्ती भक्षक सुन्डी के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं:-

1. 27.8 लाख रुपये की कुल वित्तीय सहायता के साथ प्रदर्शन-सह-बीज उत्पादन (डी.एस.पी.) फार्म, मान्ड्या में परजीवी प्रजनन प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण तथा 42 लाख रु. की कुल वित्तीय सहायता के साथ क्षेत्रीय कार्यालय, नारियल विकास बोर्ड, बंगलौर में जैव नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना। इन परियोजनाओं के अंतर्गत कृमियों के जैव नियंत्रण हेतु किसान सहभागिता प्रदर्शन के रूप में स्थानिक इन्डेमिक क्षेत्रों में पैरासिटोयड्स का बड़े पैमाने पर बहुलीकरण और निर्मुक्ति की जा रही है।
2. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर के लिए 29.67 लाख रुपये की कुल वित्तीय सहायता के साथ नारियल के काले सिर वाली (ब्लेक-हैडिड) सुन्डी के प्रबंधन हेतु समेकित कृमि प्रबंधन प्रौद्योगिकी के विकास, क्रियान्वयन, प्रशिक्षण और लोकप्रियकरण के लिए एक परियोजना स्वीकृत की गई थी।
3. बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार के लिए 20.00 लाख रुपये की कुल वित्तीय सहायता के साथ स्थानिक इन्डेमिक क्षेत्रों में पैरासिटोयड्स के बहुलीकरण और निर्मुक्ति द्वारा पत्ती भक्षक सुन्डी के जैव नियंत्रण हेतु एक परियोजना स्वीकृत की गई थी।

बागवानी के विकास हेतु निधियां

4448. श्री अनंत गुढ़े:
श्री मदन लाल शर्मा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में बागवानी के विकास हेतु आवंटित और उपयोग की गयी केन्द्रीय निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त निधियों के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले राज्यों द्वारा क्या उपलब्धियां हासिल की गयी हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बागवानी का और विकास करते हुए राज्यों को निधियों का आवंटन बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत (1) कार्य योजना के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण-कृषि में वृहद प्रबंध (2) सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल (टी.एम.एन.ई.), पूर्वोत्तर

राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिया गया है।

(ख) वृहद प्रबन्ध स्कीम के अंतर्गत इस अवधि के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की गई हैं:

(1) बागवानी फसलों के अंतर्गत 22096 हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।

(2) ड्रिप सिंचाई/छिड़काव सिंचाई के अंतर्गत 5950 हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया।

(3) फलों और काजू के लिए 2751 हैक्टेयर क्षेत्र का पुनरुद्धार किया गया।

(4) समेकित कीट प्रबन्ध के लिए 7882 हैक्टेयर क्षेत्र प्रदर्शन के लिए कवर किया गया।

इसी प्रकार टी.एम.एन.ई. के अंतर्गत वर्ष 2001-02 से बागवानी फसलों के अंतर्गत 62300 हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।

(ग) और (घ) देश में बागवानी विकास हेतु निधि आवंटन वर्ष 2004-05 में 540 करोड़ रुपये से बढ़ा कर वर्ष 2005-06 में 1405 करोड़ रुपये कर दिया है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

कृषि में वृहद प्रबन्ध से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत बागवानी के लिए राज्य वार आबंटन/निर्गत धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1370.57	1323.35	1168.90
2.	बिहार	0.00	747.39	500.00
3.	झारखंड	00.00	95.00	103.00
4.	गोवा	447.00	106.00	101.25
5.	गुजरात	621.61	383.33	591.00
6.	हरियाणा	131.00	277.00	300.00
7.	हिमाचल प्रदेश	537.22	483.53	0.00
8.	जम्मू और कश्मीर	277.77	505.83	91.81
9.	कर्नाटक	537.23	1500.55	1555.55
10.	केरल	674.32	1059.75	2046.95
11.	मध्य प्रदेश	2000.00	444.44	600.00
12.	छत्तीसगढ़	1315.00	425.00	384.00
13.	महाराष्ट्र	550.00	3890.00	2265.00
14.	उड़ीसा	497.00	805.55	890.00
15.	पंजाब	3810.00	180.00	180.00
16.	राजस्थान	0.00	775.00	684.41

1	2	3	4	5
17.	तमिलनाडु	0.00	1890.00	916.00
18.	उत्तर प्रदेश	0.00	500.00	675.00
19.	उत्तरांचल	0.00	250.00	24.00
20.	पश्चिम बंगाल	583.33	511.00	450.00
21.	अरुणाचल प्रदेश	216.10	0.00	0.00
22.	असम	575.00	0.00	0.00
23.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
24.	मिजोरम	1802.08	0.00	0.00
25.	मेघालय	50.00	2.50	0.00
26.	नागालैण्ड	340.00	0.00	0.00
27.	सिक्किम	227.00	0.00	0.00
28.	त्रिपुरा	440.00	0.00	0.00
29.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00
30.	दादरा और नागर हवेली	26.15	11.75	0.00
31.	दिल्ली	79.00	37.70	30.00
32.	लक्षद्वीप	72.50	49.00	0.00
33.	पाण्डिचेरी	0.00	35.00	35.00
34.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
35.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	55.12	124.27	9.50
	कुल	17235.00	16412.94	13601.37

विवरण II

''सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल, पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन'' संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यवार आवंटित/निर्गत धनराशि

प्रश्न का पैरा (क)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
क.	**मिनि मिशन-1**			
1.	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य	175.00	100.00	700.00

1	2	3	4	5
2.	जम्मू और कश्मीर	–	100.00	100.00
3.	हिमाचल प्रदेश	–	100.00	100.00
4.	उत्तरांचल	–	100.00	154.00
ख.	**मिनि मिशन-2**			
1.	अरुणाचल प्रदेश	1099.00	1220.00	1645.55
2.	असम	1092.15	1400.00	871.00
3.	मणिपुर	685.00	638.00	1286.25
4.	मेघालय	775.60	850.00	1395.99
5.	मिजोरम	1099.73	1089.00	1801.10
6.	नागालैण्ड	979.00	1256.00	1467.30
7.	सिक्किम	855.00	1000.00	1150.00
8.	त्रिपुरा	785.00	900.00	1111.30
9.	जम्मू और कश्मीर	–	650.00	1233.00
10.	हिमाचल प्रदेश	–	650.00	1300.00
11.	उत्तरांचल	–	564.72	975.00
12.	तकनीकी सहायता/एन.एफ.ए.सी. सेवा प्रभार तथा अन्य परियोजना आधारित प्रस्ताव	129.52	101.28	89.29
ग.	**मिनि मिशन-3**			
1.	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य	1350.00	700.00	1480.49
2.	ज. और क., हि. प्रदेश और उत्तरांचल	–	320.00	192.00
3.	जम्मू और कश्मीर (पुनर्निर्माण प्लान)	–	–	178.50
घ.	**मिनि मिशन-4**			
1.	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य	75.00	–	–
2.	ज. और क., हि. प्रदेश और उत्तरांचल	–	100.00	120.00
3.	जम्मू और कश्मीर (पुनर्निर्माण प्लान)	–	–	321.50
	कुल योग	9100.00	11839.00	17672.27

भारत पर्यटन विकास निगम को हानि

4449. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) पिछले अनेक वर्षों से घाटे में चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा आई.टी.डी.सी. को घाटे से बचाने तथा इसे लाभकारी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) ने अपने आरम्भ 1966 से 1998-99 तक लाभ अर्जित किया लेकिन इसे 1999-2000 से 2002-03 के दौरान घाटा हुआ। तथापि, वर्ष 2003-04 में यह पीछे मुड़ा और पुन: लाभ अर्जित करने लगा। निगम के पिछले पांच वर्षों के लाभ/घाटे (कर पूर्व) की स्थिति निम्न प्रकार है:

	लाभ/घाटे (करोड़ रुपयों में)
2000-2001	(-)35.45
2001-2002	(-)90.26*
2002-2003	(-)9.10
2003-2004	2.86**
2004-2005 (अनुमानित)	4.16**

*विनिवेश एककों के हस्तांतरण पर हुए 53.02 करोड़ रुपए शामिल।

**ये आंकड़े घाटे में बदल जाएंगे, यदि एएआई के लम्बित देयों को हिसाब में लिया जाये।

निगम के वित्तीय निष्पादन में सुधार के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

* जोरदार मार्केटिंग प्रयास जिनमें संवर्धनात्मक योजनाएं, विशेष पैकेज आदि शामिल हैं।
* आई टी डी सी की वर्तमान सुविधाओं/सेवाओं में समेकन।
* 18 आई टी डी सी होटलों के विनिवेश के पश्चात्, आई टी डी सी ने अपना फैलाव कर मुद्रा परिवर्तन तथा वेस्टर्न यूनिटन मनी ट्रांसफर्स, पर्यटन तथा इंजीनियरिंग परियोजनाओं का परामर्श तथा निष्पादन, आतिथ्य क्षेत्र में प्रशिक्षण परामर्श, समारोह प्रबंधन, ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी लागने जैसे नए व्यापारिक कार्यकलापों में प्रवेश किया है।
* निश्चित आय सृजन करने के लिए कुछ आई टी डी सी होटलों के कुछ व्यापार क्षेत्रों को निजी भागीदारों को पट्टे पर देना।
* जनशक्ति को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तथा पुन: तैनाती के माध्यम से जनशक्ति तो तर्कसंगत बनाना।
* सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से पुन: 58 वर्ष करके वेज बिल में कटौती करना।
* खर्च में कम करके लागत को नियंत्रित करना।
* हैदराबाद, बंगलौर, कालीकट तथा अहमदाबाद कस्टम एयरपोर्टस पर शुल्क मुक्त नई दुकानें खोलना।

राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

4450. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) दसवीं योजना के दौरान इस परियोजना हेतु निर्धारित लक्ष्य, प्राप्त उपलब्धियां, होने वाले व्यय, निर्धारित और अब तक व्यय की गयी धनराशि का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में इस परियोजना के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ किन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, वर्ष 2004-05 के दौरान इस परियोजना के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है तथा वर्ष 2005-06 हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.) एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी है। यह देश के 28 राज्यों और दो संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही है।

एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. का मुख्य उद्देश्य वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना तथा परियोजना क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संतुलन बहाल करना है। इस स्कीम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के मुख्य

घटक इस प्रकार हैं: प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक और सामाजिक संसाधनों का समेकित विकास, स्व-स्थाने आर्द्रता संरक्षण, सततता कृषि प्रणाली, पहाड़ी से घाटी (रिज टू वैली) दृष्टिकोण को अपनाना, भू-स्वामियों हेतु उत्पादन बढ़ाने के कार्यकलापों और भूमिहीन परिवारों हेतु आजीविका समर्थन पर पर्याप्त जोर, निर्णय लेने में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, कार्य निष्पादन में पारदर्शिता, ग्राम स्तर पर समुदाय को कार्यप्रवृत्त करना, समुदाय को प्रत्यक्ष वित्तपोषण ''समुदाय'' की योजनाओं में ''सरकार'' की भागीदारी पर बल, समुदाय को सशक्त करने के लिए सहयोगी दृष्टिकोण, स्वदेशी नवाचार निर्माण, पहलें और विचार, संसाधन विहीन परिवारों के लिए समदृष्टि और महिलाओं का सशक्तीकरण।

(ख) दसवीं योजना के दौरान एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान आंध्र प्रदेश में एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. स्कीम 19 जिलों में स्थित 143 पनधाराओं में क्रियान्वनयाधीन है। वर्ष 2004-05 के दौरान 15964 हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने हेतु 718.37 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई है और वर्ष 2005-06 के दौरान इन 19 जिलों में 15264 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार करने के लिए 686.88 लाख रुपये के परिव्यय से कार्यक्रम को क्रियान्वित करना प्रस्तावित है।

विवरण

दसवीं योजना के दौरान एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां

(31.1.2004 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-03			2003-04			2004-05		
		निर्मुक्त निधियां (अव्ययित क्षेत्र सहित)	वहन किया गया खर्च	विकसित क्षेत्र	निर्मुक्त निधियां (अव्ययित क्षेत्र सहित)	वहन किया गया खर्च	विकसित क्षेत्र	निर्मुक्त निधियां (अव्ययित क्षेत्र सहित)	वहन किया गया खर्च	विकसित क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	118.950	88.682	1970	444.828	402.719	8949	718.37	718.370	15964
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.000	0.000	0	135.000	134.804	2250	0.00	0.000	0
3.	असम	288.000	188.000	4060	145.000	100.000	2075	0.00	0.000	0
4.	बिहार	112.500	2.280	0	0.000	0.000	0	0.00	44.030	348
5.	झारखण्ड	586.260	586.260	4280	977.640	975.910	9870	630.65	490.960	8500
6.	गोवा	15.520	14.340	0	104.000	74.316	670	101.47	96.310	1402
7.	गुजरात	900.000	41.810	0	1315.250	1255.610	25369	809.55	572.020	8380
8.	हरियाणा	65.000	57.630	726	100.000	88.720	1455	100.00	37.400	617
9.	हिमाचल प्रदेश	48.970	45.130	44	143.000	137.620	1914	239.00	117.060	1700
10.	जम्मू और कश्मीर	3.600	2.521	0	6.800	3.599	0	145.61	5.710	81
11.	कर्नाटक	891.090	776.540	4200	1608.330	1743.820	15467	1273.77	828.520	13922
12.	केरल	200.00	6.610	0	400.00	139.000	0	148.00	510.030	7562
13.	मध्य प्रदेश	1200.000	1097.98	32817	726.020	721.280	22932	237.00	191.980	7690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	छत्तीसगढ़	459.990	455.099	10113	705.678	705.665	15681	457.30	386.318	8585
15.	महाराष्ट्र	1950.000	686.000	7833	850.000	850.000	16190	1100.00	502.700	12697
16.	मणिपुर	47.500	47.500	60	190.000	190.000	3462	110.85	174.170	0
17.	मिजोरम	360.000	360.000	3000	410.000	410.000	7082	360.00	354.700	6530
18.	मेघालय	415.000	415.000	7025	361.550	361.550	6025	369.95	346.000	6642
19.	नागालैंड	250.000	250.000	1100	480.000	480.000	7700	225.000	225.000	4563
20.	उड़ीसा	555.560	373.040	10390	724.060	617.800	13644	281.05	263.090	5832
21.	पंजाब	100.000	0.000	0	150.190	68.380	1056	0.00	0.000	0
22.	राजस्थान	3122.392	2555.202	38960	3474.990	3869.460	84424	2446.00	2196.000	44946
23.	सिक्किम	90.000	90.000	942	191.120	191.120	2784	143.63	197.770	3296
24.	तमिलनाडु	1535.210	1408.330	31296	1525.000	1525.000	33888	1729.06	728.510	5587
25.	त्रिपुरा	177.000	177.000	2415	353.100	307.512	4358	115.02	0.000	0
26.	उत्तर प्रदेश	1121.800	1121.800	9423	950.000	948.720	24272	838.00	784.520	23518
27.	उत्तरांचल	456.500	446.000	7433	975.440	975.440	13182	971.73	954.780	12787
28.	पश्चिम बंगाल	45.054	42.921	557	64.590	0.000	16	119.50	34.8000	0
29.	दादरा और नागर हवेली	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0
30.	अ. और नि. द्वीपसमूह	25.000	24.105	400	47.000	45.510	800	0.00	17.509	0
	कुल	15140.896	11359.780	179044	17558.586	17323.555	325516	13670.52	10778.26	201149

नोट: निधियों की निर्मुक्ति में पिछले वर्ष का पुनर्वीधीकृत अव्ययित शेष भी शामिल है।
*वर्ष 2004-05 हेतु आंध्र प्रदेश राज्य के लिए आंकड़े मार्च, 2005 तक हैं।

मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत बीज

4451. डा. एम. जगन्नाथ: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बीजों को मूल्य वर्धित कर (वैट) के क्षेत्राधिकार में लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कदम के कृषक समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्यों ने केन्द्र सरकार से बीजों को वैट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) केवल आंध्र प्रदेश सरकार ने बीजों को मूल्य वर्धित कर (वैट) के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया है।

(ङ) इस मामले को राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार सम्पन्न समिति के साथ उठाया गया था और राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार सम्पन्न समिति ने 7 मार्च, 2005 को हुई अपनी बैठक में बीजों को मूल्य वर्धित कर (वैट) के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने के निर्णय किया है।

लिंग और वानिकी कृतिक बल की स्थापना

4452. श्री पी.सी. थामस: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय और राज्य वन सेवाओं में अधिकारी और रेंजर स्तर पर महिलाओं की संख्या और अनुपात क्या है;

(ख) क्या सरकार को लिंग और वानिकी कृतिक बल की स्थापना हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) केन्द्र में भारतीय वन सेवा में महिलाओं की संख्या, कुल संख्या 2763 की तुलना में 114 है और इनका अनुपात 1:23 है। राज्य वन सेवा और रेंजर स्तर पर महिलाओं की संख्या और उनके अनुपात संबंधी सूचना राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से एकत्र की जा रही और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी के उद्ग्रहण में संशोधन

4453. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चीनी संबंधी उद्ग्रहण की समीक्षा करने व उसे संशोधित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) फिलहाल लेवी दायित्व, जो वर्तमान में किसी चीनी मिल के चीनी उत्पादन का 10% है, में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

पर्यटन स्थलों का विकास

4454. श्री मंजुनाथ कुन्नुर:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:
श्री सुशील कुमार मोदी:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार ने देश में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु राज्य सरकारों को कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा उक्त धनराशि का पूरी तरह से उपयोग किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध करायी गयी निधियों के बावजूद पर्यटन परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गयी और व्यय की गयी निधियों का परियोजनावार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार देश में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देता है। 10वीं योजना के दौरान राज्यों को स्वीकृत की गई और अवमुक्त की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ग) से (च) राज्य सरकारों को प्रारंभ में उनको अवमुक्त की गई राशि का उनके द्वारा पूरी तरह उपयोग किया जाना है और उपयोग करने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर शेष राशि (20%) राज्य सरकारों को अवमुक्त की जाती है। पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों और कार्यकारी एजेंसियों की सलाह पर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा की अनुमति देता है और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से नियमित समीक्षा बैठकों का आयोजन भी करता है।

विवरण

दसवीं योजना (31.12.2004 को) के दौरान स्वीकृत की गई राज्यवार पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-03			2003-04			2004-05 (21.12.2004 तक)		
		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2	507.50	195.00	6	946.50	896.44	11	2750.81	2191.92
2.	असम	9	768.13	618.85	3	313.46	313.06	6	955.88	742.10
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	41.30	32.50	6	1044.60	700.00	6	1285.70	905.52
4.	बिहार	8	505.00	505.00	6	1019.42	913.89	7	1901.23	1527.55
5.	छत्तीसगढ़	9	308.00	98.50	6	1005.00	364.00	4	1086.26	869.01
6.	गोवा	1	0.50	0.50	2	36.76	34.76	2	10.00	8.00
7.	गुजरात	2	197.12	59.13	8	920.51	815.82	2	138.93	111.14
8.	हरियाणा	8	332.25	311.00	16	1215.38	879.23	5	678.55	501.64
9.	हिमाचल प्रदेश	30	779.32	760.38	4	182.32	85.00	5	2620.00	1736.00
10.	जम्मू और कश्मीर	3	94.38	89.47	5	895.00	895.00	2	805.00	644.00
11.	झारखंड	0	0	0	2	1109.00	774.60	1	474.97	379.97
12.	कर्नाटक	6	902.49	625.49	14	932.66	792.51	8	2432.76	1914.37
13.	केरल	11	861.36	829.86	6	608.50	764.15	5	2148.63	1718.88
14.	मध्य प्रदेश	18	711.18	574.79	10	621.90	394.51	8	1285.46	783.03
15.	महाराष्ट्र	8	623.46	546.25	10	931.83	914.58	6	1576.38	1260.10
16.	मणिपुर	2	5.24	2.62	1	82.44	24.73	0	0.00	0.00
17.	मेघालय	3	70.35	21.20	2	40.22	24.92	2	963.30	807.91
18.	मिजोरम	6	141.16	48.46	5	567.70	186.75	3	1081.28	927.09
19.	नागालैंड	5	360.50	323.43	4	711.00	220.80	5	2165.69	1731.40
20.	उड़ीसा	2	47.50	15.75	5	419.55	138.50	5	1316.48	999.69
21.	पंजाब	3	23.00	14.60	2	96.00	12.30	4	846.41	561.26
22.	राजस्थान	13	1098.70	1098.20	14	1644.81	1414.25	2	39.31	31.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	सिक्किम	13	346.24	269.76	8	1151.09	681.49	6	1005.81	805.13
24.	तमिलनाडु	5	559.00	316.10	14	1339.82	850.53	6	876.92	702.72
25.	त्रिपुरा	5	216.13	67.78	6	450.17	135.16	0	0.00	0.00
26.	उत्तरांचल	3	548.00	418.00	4	230.44	203.94	3	1412.93	1125.56
27.	उत्तर प्रदेश	3	295.00	295.00	7	1115.80	916.26	7	1037.43	825.19
28.	पश्चिम बंगाल	5	201.10	60.00	10	717.44	384.34	5	480.04	384.03
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	3	7.75	6.63	2	10.00	8.00	1	457.00	365.60
31.	दादर एवं नागर हवेली	2	8.07	6.46	0	0	0	0	0.00	0.00
32.	दिल्ली	14	504.00	449.02	17	3316.28	3222.13	1	500.00	400.00
33.	दमन एवं दीव	3	49.50	16.90	1	265.07	238.56	0	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	2	7.87	6.30	1	245.17	73.55	2	451.00	360.00
	कुल	212	11121.10	8680.93	207	24185.84	18073.76	130	32784.16	25320.26

वन्यजीव संबंधी राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक

4455. श्री पी. करूणाकरन:
श्री डी. विट्टल राव:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन्यजीव संबंधी राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक हाल ही में मार्च, 2005 में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बैठक में चर्चा किए गए मुख्य मुद्दे क्या हैं तथा उन पर क्या सुझाव दिए गए हैं/सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) इन सुझावों/सिफारिशों में से प्रत्येक के संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की दूसरी बैठक माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 17 मार्च, 2005 को आयोजित की गई थी। बैठक में चर्चा किए गए मुख्य मुद्दे तथा सुझाव/सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) मंत्रालय बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए वचनबद्ध है।

विवरण

क्र.सं.	विचार-विमर्श किया गया मुद्दा	बोर्ड का सुझाव/सिफारिश
1	2	3
1.	सीमा पारीय सुरक्षित क्षेत्रों के लिए कार्य बल का गठन	सीमा पारीय सुरक्षित क्षेत्रों के लिए एक कार्य बल का गठन किया जाना

1	2	3
2.	जिप्स गिद्दों को समाप्त होने से रोकना	पहचान किए गए मुख्य कारक पशु चिकित्सा दवाई डिक्लोफेनाक को छः महीने के भीतर हटाना
3.	विदेशी प्रजातियों के बंदी प्रजनन पक्षियों का निर्यात	बंदी प्रजनन विदेशी प्रजातियों के पक्षियों के निर्यात पर प्रतिबंध को निरंतर बनाए रखना
4.	राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास पारि-नाजुक/पारि-संवेदनशील जोन	पारि संवेदनशील क्षेत्रों के स्थल विशिष्ट सीमांकन के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करना
5.	वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में प्रजातियों में संशोधन	आई.यू.सी.एन. दिशानिर्देशों/मानदंडों के आधार पर समितियां गठित करना
6.	सुरक्षित क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुमति हेतु दिशानिर्देश	एन.बी.डब्ल्यू.एल. के विशेषज्ञ सदस्यों के साथ परामर्श से दिशानिर्देश तैयार करना
7.	राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों की सीमाओं का युक्तीकरण	राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों की सीमाओं के युक्तीकरण संबंधी मानदंडों का निर्धारण राज्य सरकार के साथ परामर्श से करना
8.	राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थाई समिति के सदस्यों का नामांकन रोटेशनल आधार पर करना	मुद्दे को लंबित रखा जाए तथा यथास्थिति बनाए रखी जाए
9.	मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए अनुसार भारत में बाघों की संख्या में कमी होना	एक कार्य बल का गठन किया जाए जो तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे
10.	वन्यजीवों की नमभूमियों के सूखने संबंधी समस्या	बोर्ड ने मुद्दे पर कोई विचार-विमर्श नहीं किया क्योंकि मामला न्यायाधीन था
11.	सरकार के अध्यक्ष/राज्य के अध्यक्ष द्वारा जानवर उपहार में दिए जाने की प्रथा समाप्त करना	सरकार के अध्यक्ष/राज्य के अध्यक्ष द्वारा जानवर उपहार में दिए जाने की प्रथा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाए
12.	साइटस द्वारा कार्यवाही को देखते हुए राष्ट्रीय वन्यजीव अपराध ब्यूरो के गठन की स्थापना को गति प्रदान करना	बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई
13.	वनों तथा वन्यजीवों के लिए अलग-अलग विभागों का सृजन	कई सदस्यों द्वारा व्यक्त मतों को नोट किया गया तथा उचित निर्णय किसी उचित फोरा पर किया जाएगा

किसानों हेतु पैकेज

4456. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में दावणगेरे और चित्रदुर्ग जिले सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने कर्नाटक के दावणगेरे और चित्रदुर्ग जिलों के किसानों के लिए कुछ विशेष पैकेज की घोषणा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पैकेज को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) वर्ष 2004-05 के दौरान कर्नाटक सरकार ने राज्य के कई जिलों के भागों को सूखा प्रभावित घोषित किया था जिसमें दावणगेरे और चित्रदुर्ग जिले भी शामिल थे। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूखा राहत के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग वाले ज्ञापन के प्रत्युत्तर में एक अंतर्मंत्रालयी केन्द्रीय दल ने स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य में सूखा प्रभावित जिलों का दौरा किया। इस पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन हेतु विचार किया गया था। इस अनुमोदन के आधार पर राज्य को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से 49.14 करोड़ रु. और राहत रोजगार हेतु सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अंतर्गत 1.14 लाख मी. टन खाद्यान्न नि:शुल्क निर्मुक्त किए गए थे। वर्ष 2004-05 हेतु आपदा राहत कोष का समग्र केन्द्रीय अंश 67.98 करोड़ रुपये भी राज्य को निर्मुक्त किया गया है।

[हिन्दी]

भंडारित खाद्यान्नों के आधार पर ऋण

4457. श्री पंकज चौधरी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोदामों में भंडारित किसानों के खाद्यान्नों के संबंध में जारी रसीदों के आधार पर उनको ऋण देने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचारार्थ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई विधेयक पुर: स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस विधेयक को कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) सरकार का नकदी में वृद्धि करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग क्षेत्र के जरिए भांडागार रसीद को एक पूर्ण भुनाए जाने योग्य दस्तावेज बनाने के लिए एक कानून बनाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

[अनुवाद]

कृषि अनुसंधान केन्द्रों का आधुनिकीकरण

4458. श्रीमती अनुराधा चौधरी:
श्री मुन्शी राम:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि अनुसंधान केन्द्रों के आधुनिकीकरण हेतु कोई धनराशि खर्च नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सकल कृषि उत्पाद का कुछ प्रतिशत अंश कृषि अनुसंधान पर खर्च किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि उत्पादों के बढ़ते आयात और घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के मद्देनजर सरकार द्वारा कृषि अनुसंधान केन्द्रों का आधुनिकीकरण करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) योजना आयोग ने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के तहत बुनियादी ढांचे के नवीकरण/आधुनिकीकरण के लिए पृथक बजट प्रदान नहीं किया है यद्यपि, विभाग के दसवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय इस प्रयोजन हेतु एक मुश्त कैच-अप अनुदान के रूप में रु. 1000 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया था। इस मद पर अलग से कोई राशि न मिलने के कारण विभाग ने बुनियादी ढांचे का व्यापक स्तर पर नवीकरण/आधुनिकीकरण नहीं किया। तथापि, इस आवश्यकता पर सीमित स्तर पर विभिन्न योजना स्कीमों की दसवीं पंचवर्षीय योजना व्यय वित्त समिति/स्थायी समिति समिति ने विचार-विमर्श किया है।

(ख) कुल सकल घरेलू उत्पाद का 0.3 प्रतिशत विभाग के योजना और गैर-योजना कुल बजट के रूप में खर्च किया जा रहा है।

(ग) वर्तमान मूल्यों पर कृषि सकल घरेलू उत्पाद पर आधारित पिछले पांच वर्षों अर्थात् 1999-2000 से 2003-2004 तक का विभाग का कुल बजट आवंटन (योजना-गैर-योजना) का प्रतिशत अंशदान क्रमश: 0.29 प्रतिशत, 0.33 प्रतिशत, 0.29 प्रतिशत, 0.33 प्रतिशत तथा 0.30 प्रतिशत है।

(घ) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के पुराने बुनियादी ढांचे के व्यापक स्तर पर नवीकरण/आधुनिकीकरण हेतु पृथक बजट प्रदान करने के लिए योजना आयोग से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है।

[अनुवाद]

विदेशी वन्य प्राणियों के मांस की बिक्री

4459. श्रीमती मेनका गांधी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी वन्य प्राणियों का मांस गोवा समुद्र तट क्षेत्र के स्थानीय रेस्तराओं में बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करवाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अपराधियों/दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) गोवा में विदेशी वन्य प्राणियों के मांस की बिक्री की कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सिंगापुर द्वारा दुग्ध उत्पादों हेतु बृहत परियोजना की स्थापना

4460. श्री एम. शिवन्ना: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंगापुर सरकार ने भारत में दुग्ध उत्पादों हेतु एक बृहत परियोजना स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना को कर्नाटक में एक संयुक्त उद्यम योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों को मुआवजा

4461. डा. राजेश मिश्रा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय औसत से अधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों को वन क्षेत्र के रख-रखाव पर व्यय करने हेतु मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ चयनित राज्य कौन-कौन से है तथा प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि का मुआवजा दिए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) राज्यों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के प्रत्युत्तर में 12वें वित्त आयोग ने वनों के रखरखाव के लिए राज्यों को 1000 करोड़ रु. के अनुदान की सिफारिश की है। यह धनराशि राज्यों को उनके वन क्षेत्र के आधार पर वितरित की गई है तथा इसे वन सम्पदा के परिरक्षण के लिए खर्च किया जाना अपेक्षित है। इस अनुदान का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वनों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2005-2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	65.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
3.	असम	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	40.00
4.	बिहार	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
5.	छत्तीसगढ़	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	85.00

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गोवा	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	3.00
7.	गुजरात	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
8.	हरियाणा	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	2.00
9.	हिमाचल प्रदेश	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
10.	जम्मू और कश्मीर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
11.	झारखंड	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
12.	कर्नाटक	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	55.00
13.	केरल	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
14.	मध्य प्रदेश	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	115.0
15.	महाराष्ट्र	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	70.00
16.	मणिपुर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
17.	मेघालय	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
18.	मिजोरम	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
19.	नागालैंड	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
20.	उड़ीसा	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	75.00
21.	पंजाब	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	2.00
22.	राजस्थान	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
23.	सिक्किम	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	8.00
24.	तमिलनाडु	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
25.	त्रिपुरा	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00
26.	उत्तर प्रदेश	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
27.	उत्तरांचल	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	35.00
28.	पश्चिम बंगाल	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00
	कुल	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1000.00

[अनुवाद]

सुपारी अनुसंधान केन्द्र

4462. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में सुपारी के पेड़ों को घातक रोग लग गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुपारी अनुसंधान केन्द्र ने उक्त रोग की रोकथाम हेतु उपाय और दवाएं जुटाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सुपारी के पेड़ों का उक्त रोग से बचाने के लिए उक्त संस्थान की विशेषज्ञता का उपयोग करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कर्नाटक में सुपारी के पेड़ पीली पत्ती रोग (यैलो लीफ डिसीज) से प्रभावित हैं जिसके कारण उनकी स्थिति और पैदावार में गिरावट आई है।

(ग) और (घ) इस रोग को किसी रासायनिक तरीके से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तथापि, अच्छी हालत में सुपारी के बागानों के रख-रखाव के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं:-

(1) बागानों के रोग से प्रभावित हो जाने पर लापरवाही न की जाए।

(2) विशेषकर वर्षा के मौसम में अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त विकास व्यवस्था मुहैया कराना। ऐसा करने से रूट रूटिंग की घटनाएं कम होंगी।

(3) जड़ प्रणाली के बेहतर विकास के लिए मृदा संरचना (बनावट) तथा वातन में सुधार करने के वास्ते आर्गेनिक खाद का अनुप्रयोग।

(4) खेती कार्य, खाद संबंधी अनुप्रयोग उचित तरीके से और उचित समय पर किए जाने चाहिए।

(5) गर्मी के मौसम में बागानों की सिंचाई की जानी चाहिए।

सरकार ने किसानों को उपर्युक्त उपाय अपनाने की सलाह दी है।

इफको और कृभको के उर्वरक बिक्री केन्द्र तथा किसान सेवा केन्द्र

4463. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कापरेटिव लिमिटेड और कृषक भारती कापरेटिव लिमिटेड के कितने उर्वरक बिक्री केन्द्र और किसान सेवा केन्द्र हैं;

(ख) क्या देश में ऐसे और केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) आज की तारीख में देश में 37381 सहकारी समितियां इफको उर्वरक की बिक्री कर रही हैं जिनमें से 1699 समितियां महाराष्ट्र राज्य में हैं। इफको अपने उर्वरकों का देश में अपने 159 किसान सेवा केन्द्रों के माध्यम से भी वितरण करती हैं। महाराष्ट्र में कोई किसान सेवा केन्द्र काम नहीं कर रहा है। इसी प्रकार कृभको इस समय देश में 61 कृषक भारती सेवा केन्द्रों (के बी एस के) का प्रचालन कर रही है। वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में कोई कृषक भारतीय सेवा केन्द्र प्रचालन में नहीं है।

(ख) वर्ष 2004-05 के दौरान इफको ने देश में कोई नया विक्रय केन्द्र नहीं खोला है और कृभको ने भी कोई कृषक भारती सेवा केन्द्र नहीं खोला है। आज की तारीख में इफको अथवा कृभको के पास इस तरह का नया केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

थांगसेरी मत्स्ययन बंदरगाह का विकास

4464. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने थांगसेरी मत्स्यन बंदरगाह के विकास हेतु कोई संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने कोल्लम जिले में थांगसेरी स्थित मत्स्यन बंगरगाह के विकास के लिए प्रस्ताव को दो चरणों में मंजूरी दी थी। अक्तूबर, 1988 में 1411.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से चरण-1 मत्सयन बंदरगाह को मंजूरी तथा मार्च, 1994 में 569.50 लाख रुपये की लागत से चरण-2 मत्सयन बंदरगाह को मंजूरी दी गई थी तथा 1980.50 लाख रुपए की कुल लागत से एक एकीकृत मत्स्यन बंदरगाह के रूप में इस परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है। स्वीकृत लागत के 50% की समूची केन्द्रीय हिस्सेदारी, जो 990.25 लाख रुपए है, राज्य को मार्च, 2002 तक जारी कर दी गई है। लागत 1980.50 लाख रुपए से बढ़कर 4385.50 लाख रुपए हो गई, अत: इस लागत वृद्धि के साथ संशोधित लागत अनुमान रिपोर्ट की जांच करने के बाद केरल सरकार से दिसम्बर, 2002 में अनुरोध किया गया है कि वे 1994

में हुई अत्यधिक समुद्री ह्रास तथा कोर्ट केस के निपटान में हुई देरी को देखते हुए मदवार लागत वृद्धि की मात्रा बताएं।

गुजरात में आम अनुसंधान केन्द्र

4465. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार गुजरात में एक आम अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गुजरात में आम अनुसंधान की जरूरत पारिया, जिला-वलसाड (गुजरात) स्थित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के केन्द्र के माध्यम से पूरी की जाती है। इसके अलावा, आम अनुसंधान से संबंधित मुद्दों को राज्य कृषि विश्वविद्यालय भी उजागर कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बागवानी फसलों का विकास

4466. श्री कृष्ण मुरारी मोघे:
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य में बागवानी के विकास हेतु धनराशि आवंटित करने के लिए कोई संशोधित प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत राज्य में बागवानी के विकास हेतु एक प्रस्ताव पेश किया है।

(ख) राज्य सरकार को यह सूचित किया गया था कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) को अभी अनुमोदित किया जाना है तथा विस्तृत परिचालनात्मक दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जाएगा और यथा समय राज्य सरकार को सूचना दी जाएगी।

(ग) इस प्रस्ताव का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद किये जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

आलू का उत्पादन

4467. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रमुख आलू उत्पादक राज्य कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या वर्ष 2004-05 के दौरान कुछ राज्यों में आलू के उत्पादन में तीव्र गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में उत्पादन में गिरावट आई है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक मुख्य आलू उत्पादक राज्य हैं।

(ख) से (घ) आलू के उत्पादन अनुमान पिछले वर्ष के उत्पादन के मुकाबले कोई बड़ी गिरावट नहीं दर्शाते हैं। तथापि कुल उत्पादन में 244.69 लाख मीटरी टन (2003-04) से 256.76 लाख मीटरी टन (2004-05) की वृद्धि हुई है।

यमुना कार्य योजना

4468. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान यमुना कार्य योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) प्रत्येक कार्यान्वयनकारी एजेंसी द्वारा राज्यवार और वर्षवार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप यमुना नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार की निगरानी कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितना सुधार देखा गया है;

(ङ) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार को राजधानी से बहने वाली यमुना के 22 किलोमीटर के स्ट्रेच की सफाई करने के संबंध में असफलता पर कड़ी टिप्पणी की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यमुना की सफाई में असफलता के क्या कारण हैं; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा यमुना कार्य-योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों को वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 के दौरान उपलब्ध करवाई गई राशि और उसके साथ-साथ इन राज्यों द्वारा प्रयोग की गई निधि संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ग) और (घ) यमुना कार्य योजना के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यमुना नदी की जल गुणवत्ता की मासिक आधार पर निगरानी की जाती है। घुलित आक्सीजन और जैव-रसायन आक्सीजन मांग के संदर्भ में यमुना नदी के लिए वर्तमान जल गुणता (ग्रीष्म औसत) 1996 की तुलना संलग्न विवरण-2 में देखी जा सकती है। यह भी देखा जा सकता है कि नदी जल गुणवत्ता से यह पता चलता है कि 1996 में सोनीपत (हरियाणा) से इटावा (उ.प्र.) के पूरे क्षेत्र में बी ओ डी 3.0 मिलीग्राम प्रति लीटर के स्नान गुणवत्ता मानक की तुलना में उच्च स्तर की है। उस वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में बी ओ डी 2.50 मिलीग्राम प्रति लीटर से 26.50 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच रही है इसकी तुलना में वर्ष 2004 में इस क्षेत्र में बी ओ डी 2.3-26.50 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच है। जबकि यह मान हरियाणा शहरों में निर्दिष्ट सीमा में हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थिति को सुधारने की संभावना नहीं है क्योंकि इन राज्यों के अंतर्गत शहरों में इन वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि और जनित सीवेज के बढ़ने के कारण प्रदूषण भार में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

(ङ) से (छ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकासित एक समाचार "एण्ड क्वाइट फ्लोज दी मैली यमुना" के मामले में 1994 की रिट याचिका (सी) सं. 725 के अंतर्गत हाल में 12.4.2005 को हुई सुनवाई में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय को माननीय न्यायालय के पूर्व में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त न करने के कारण बताते हुए मामले की जांच करने और यमुना नदी में "सी" वर्ग की स्वच्छ जल श्रेणी सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समय निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में यमुना नदी के निरंतर प्रदूषण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

(1) इस समय सीवरेज शोधन संयंत्रों की पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि कुल 131 किलोमीटर लम्बे ट्रंक सीवर में से लगभग 91 किलोमीटर में गाद/जमाव के कारण लगभग 2330 एम एल डी की कुल संस्थापित क्षमता में से केवल लगभग 1545 एम एल डी क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है।

(2) लगभग 2910 एम एल डी सीवेज उत्पादन की तुलना में इस समय सीवेज शोधन संयंत्र की संस्थापित क्षमता केवल 2330 एम एल डी है और सीवेज उत्पादन और सीवेज शोधन क्षमता में लगभग 580 एम एल डी का अंतर है।

यमुना के दिल्ली क्षेत्र में नदी जल गुणता को अपेक्षित स्तर तक लाने के लिए निम्नलिखित मुख्य कार्यों के कार्यान्वयन की आवश्यकता है:—

(क) लगभग 580 मिलियन लीटर प्रतिदिन अतिरिक्त मलजल शोधन क्षमता का पुनर्निर्माण/स्थापना

(ख) लगभग 91 कि. मीटर की पूरी लम्बाई की ट्रंक सीवर की पुनर्स्थापना

(ग) सभी अनधिकृत और पुनर्वास कालोनियों और शहरी ग्रामों में सीवरेज सुविधा का प्रावधान

(घ) छोटे आकार के सभी सीवरों को 250 मिली मीटर डायमीटर सीवरों में परिवर्तित करना

(ङ) शोधित मलजल का बागवानी/कृषि के लिए प्रयोग

(च) दिल्ली में सभी 15 सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्रों को चालू करना

(छ) मुख्य नालों और नदी के किनारे स्थित सभी झोपड़ पट्टियों का स्थानांतरण

(ज) नदी में न्यूनतम बहाव बनाए रखने के लिए 05 तटवर्ती राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश द्वारा यमुना नदी में 10 क्युमैक्स जल का निस्तारण।

जापान बैंक आफ इन्टरनैशनल को-आपरेशन के वित्तपोषण से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा यमुना कार्य योजना-2 परियोजना के अंतर्गत कार्यान्वयन में मुख्यतया निम्नलिखित शामिल है:—

(1) मलजल शोधन संयंत्र की 135 मिलीयन लीटर प्रतिदिन क्षमता की स्थापना

(2) लगभग 30 किलोमीटर ट्रंक सीवर का पुनरुद्धार

दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण उपशमन के लिए किए जाने वाले शेष कार्य और जापान बैंक आफ इंटरनैशनल को-आपरेशन के वित्तपोषण के साथ प्रस्तावित यमुना कार्य योजना-3 परियोजना जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार दिल्ली में यमुना नदी की सफाई के लिए एक एकीकृत कार्य योजना तैयार करने के लिए केन्द्रीय सचिव, शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी। कार्यान्वयन के लिए एकीकृत कार्य योजना तैयार की गई और नवम्बर, 2004 में उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत कर दी।

विवरण I

यमुना कार्य योजना के अंतर्गत जारी एवं उपयोग की गई राशियों का ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र.सं.	कार्य योजना/राज्य	2002-03		2003-04		2004-05	
		जारी राशियां	उपयोग की गई राशियां	जारी राशियां	उपयोग की गई राशियां	जारी राशियां	उपयोग की गई राशियां
1	2	3	4	5	6	7	8
यमुना कार्य योजना							
1.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	उत्तर प्रदेश	50.00	159.28	0.00	14.48	0.00	0.00
3.	हरियाणा	237.00	391.77	0.00	155.47	190.00	13.32
	कुल	287.00	551.05	0.00	169.95	190.00	13.32
विस्तारित चरण (यमुना कार्य योजना)							
1.	दिल्ली	9185.00	8509.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	उत्तर प्रदेश	604.00	816.17	0.00	42.26	0.00	0.00
3.	हरियाणा	0.00	152.01	0.00	0.16	0.00	0.00
	कुल	9789.00	9477.92	0.00	42.42	0.00	0.00
यमुना कार्य योजना चरण-2							
1.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (यमुना कार्य योजना)	10076.00	10028.97	50.00	212.37	190.00	13.32

[1]राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई राशि में पिछले वर्ष की शेष राशि भी शामिल है।

विवरण II

ग्रीष्म औसत (मार्च-जून) 1996-2004 यमुना कार्य योजना

क्र.सं.	स्थल	1996		2004	
		डी ओ मि.ग्रा./लि.	बी ओ डी मि.ग्रा./लि.	डी ओ मि.ग्रा./लि.	बी ओ डी मि.ग्रा./लि.
क.	**हरियाणा**				
1.	ताजेवाला	11.70	1.20	9.12	1.00
2.	कलानौर	10.40	1.05	8.80	2.30
3.	सोनीपत	9.75	3.00	7.62	3.00
4.	पल्ला	13.95	6.00	8.25	2.30
ख.	**दिल्ली**				
5.	निजामुद्दीन सेतु	0.30	25.00	0.00	26.50
ग.	**उत्तर प्रदेश**				
6.	आगरा नहर	0.35	26.50	0.35	21.80
7.	माझावाली	0.50	22.00	5.75	21.30
8.	मथुरा	8.10	4.00	5.75	8.30
9.	मथुरा डी/एस	8.50	2.50	7.40	9.80
10.	आगरा यू/एस	10.65	4.50	12.35	14.50
11.	आगरा डी/एस	1.65	9.00	7.15	20.00
12.	चटटेश्वर	13.90	11.00	8.08	12.50
13.	इटावा	11.16	7.00	11.75	6.50
14.	यू डी आई	9.71	2.00	9.50	1.30
15.	ओरियाजुहीका	8.14	5.00	9.35	5.50

[1]ग्रीष्म औसत (मार्च+अप्रैल+जून)

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी

4469. **श्री एम. अंजनकुमार यादव:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों से देश में श्रम निरीक्षकों की लापरवाही और भ्रष्टाचार होने के कारण श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना नियोजक की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस अधिनियम का प्रवर्त्तन केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अपने संबंधित प्रवर्त्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र का संबंध है, श्रम निरीक्षकों/अधिकारियों की उपेक्षा के कारण न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने से संबंधित कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

वृद्ध किसानों को कृषि पेंशन देने हेतु राष्ट्रीय नीति

4470. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वृद्धावस्था पेंशन योजना की तर्ज पर वृद्ध किसानों को कृषि पेंशन प्रदान करने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नीति के कब तक बनाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

जल संसाधनों का दुरुपयोग

4471. **श्री प्रहलाद जोशी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए देश में फसल पैटर्न संबंधी मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जल संरक्षण हेतु राज्यों के समन्वित प्रयासों के लिए फसल पैटर्न के उचित अनुपालन हेतु कोई व्यापक सांविधिक उपायों पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार जल संसाधों के प्रबंधन में जल प्रयोक्ता संस्थाओं और स्थानीय निकायों आदि को शामिल करके सहभागी (भागीदारी) दृष्टिकोण को प्रोत्साहन दे रही है। राज्य सरकारों को राज्यों में जल संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के परामर्श से उपयुक्त फसल प्रतिमान विकसित करने की सलाह दी जाती है।

राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण

4472. **श्री सी.एच. विजयशंकर:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत एक खतरनाक बात जो घटित हो रही है, की जानकारी है जिसमें कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों द्वारा बबूल और सफेदों जैसी बेकार प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव ऐसी गतिविधियों को रोकने और पीपल, आमला, नीम, आम, शीशम और इमली आदि जैसी उपयोगी पौधों को लगाए जाने को बढ़ावा देने हेतु कठोर निदेश जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रस्तावित राष्ट्रीय वन नीति में ये सभी पहलू शामिल हैं और वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ लकड़ी प्राप्त करने हेतु क्या विकल्प दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय समुदाय के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद और ग्रामीण वन समिति के सदस्यों की पसन्द और मांग के अनुसार रोपाई किए जाने हेतु प्रजातियों का चुनाव किया जाता है। यूकेलिप्टस और अकेशिया की रोपाई के बारे में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने यह सूचित किया है कि ये प्रजातियां अपरदित और अनावृत्त मृदाओं में रोपित किए जाने हेतु उपयुक्त हैं। स्थानीय समुदाय की जरूरतों और विशिष्ट पारिस्थितिक कारकों को ध्यान में रखते हुए यूकेलिप्टस ओर अकेशिया वृक्षों की रोपाई का विशेष रूप से निषेद्ध किए बिना स्थानीय तौर पर पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियां उगाने हेतु प्रोत्साहित करना उपयुक्त माना जाता है।

(घ) और (ङ) वैकल्पिक कच्ची समग्री के उपयोग के संबंध में, राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में काष्ठ के अधिकाधिक प्रतिस्थापन हेतु प्रोत्साहित किया गया है।

भारतीय खाद्य निगम के क्रियाकलाप

4473. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम के कुछ कार्यों को अन्य एजेंसियों को देने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई विशेषज्ञ समिति ऐसा करने के लिए गठित की गई है अथवा ऐसा करने के लिए किसी परामर्शदात्री फर्म की सेवाएं ली गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते। तथापि, सरकार ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक अध्ययन कराने के लिए मैसर्स मैकिंजे एण्ड कंपनी की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इस अध्ययन का उद्देश्य भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में प्रमुख सुधार लाना है ताकि खाद्य राजसहायता के बोझ में वृद्धि करने वाली अकुशलताओं को नियंत्रित किया जा सके।

नमक वर्करों का उत्थान

4474. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा गुजरात में नमक वर्करों के उत्थान हेतु आरम्भ की गई योजनाओं और उक्त अवधि के दौरान आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन योजनाओं की शुरूआत करने के लिए कतिपय निर्धारित मानदंड होते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गुजरात में नमक वर्करों के उत्थान हेतु कार्यान्वित योजनाओं की प्रगति पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) गुजरात सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरे के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नांकित योजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं:—

(1) नमक कामगार कल्याण केन्द्र योजना (45 केन्द्र और 59 बालवाड़ियां)

(2) असंगठित नमक कामगारों के लिए दुर्घटनाजनित मृत्यु समूह बीमा योजना (राज्य के सभी असंगठित क्षेत्र श्रमिकों पर अनुप्रयोज्य जिसमें नमक कामगार भी शामिल हैं)

(3) राज्य के नमक और असंगठित श्रमिकों के लिए गंभीर बीमारियों के लिए वित्तीय सहायता।

(4) राज्य के नमक कामगारों के लिए पक्के क्वार्टरों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता। पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित निधियां निम्नवत् हैं:—

2002-03	:	34,41,000/-
2003-04	:	21,00,000/-
2004-05	:	93,92,000/-

इसके अलावा, भारत सरकार ने भी वर्ष 2003 से नमक मजदूर आवास योजना शुरू की है। चालू पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान गुजरात में 3000 आवासों के निर्माण का प्रस्ताव है। प्रत्येक आवास की लागत 50,000/- रु. है जिसका 90% अंशदान भारत सरकार से किया जाना है। आवासों के आबंटन हेतु 2420 नमक कामगारों की पहचान की गई है और 1864 आवासों के मामले में प्रशासनिक संस्वीकृति जारी की गई है तथा प्रथम किस्त के तौर पर गुजरात सरकार को लगभग 294 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

साथ ही, भारत सरकार नमक कामगारों के लिए पेयजलापूर्ति, विश्राम-शेडों के निर्माण, मनोरंजनात्मक सुविधाओं आदि के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार के मामले में योजना की शुरूआत के लिए योजनावार मानदंड निम्नवत् हैं:—

(1) – नमक कामगार कल्याण केन्द्र (संख्या 45)।

– राज्य के प्रत्येक नमक उत्पादक तालुका में एक केन्द्र।

– प्राथमिक-पूर्व शिक्षा तथा पोषक नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए बालवाड़ी में (0 से 6 वर्ष तक) के नमक कामगारों के बच्चे का नामांकन। गुजरात राज्य सरकार नमक कामगारों के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रैच चलाती है।

(2) – दुर्घटना के कारण मृत्यु या आंशिक/स्थायी अपंगता के लिए 14 से 70 वर्ष के सभी असंगठित नमक कामगारों का बीमा कराया जाता है।

– प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार करेगी।

– 26.1.2005 से प्रभावी बीमा कवरेज निम्नवित हैं:

दुर्घटनाजनित मृत्यु और स्थायी अपंगता के लिए 1,00,000/- रु., आंशिक अपंगता के लिए 50,000/- रु.

(3) – गंभीर बीमारियों की अनुमानित लागत की 100% वित्तीय सहायता।

(4) – पक्का क्वार्टरों के लिए निर्माण लागत का 75% और अधिकतम सीमा 30,000/- रु. है (यह योजना 1.1.2005 से छोड़ दी गई है)

भारत सरकार की नमक मजदूर आवास योजना के मामले में, 5 वर्षों की अवधि के लिए नमक उद्योग में काम करना अनिवार्य है।

कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का विकास

4475. प्रो. एम. रामदास: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि के समग्र विकास के उपायों के रूप में जैव प्रौद्योगिकी के विकास हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या जैव प्रौद्योगिकी के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में व्यक्त आशंका सही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन्टरनेशनल राइस जिनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इस परियोजना में वैश्विक साझीदार के रूप में भारत ने क्या लाभ प्राप्त किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) समग्र कृषि विकास के लिए जैव-प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए किए गए उपायों में जैव प्रौद्योगिकी संबंधित अनुसंधान गतिविधियां विशेषकर जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) द्वारा पराजीनी विकास, नैदानिकी, प्रतिबलों के प्रतिरोधिता उत्पादों की गुणवत्ता, एडीवल वैक्सीन्स और आणविक प्रजनन के क्षेत्रों में की गई गतिविधियां सम्मिलित हैं। पर्यावरणीय और जैवसुरक्षा मूल्यांकन और खेती तथा प्रयोग के लिए जीएम फसलों को जारी करने की विधि/मैकेनिज्म, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अतंर्गत तैयार किया गया है।

(ख) और (ग) जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों को जारी करने से पहले उनके स्वास्थ्य तथा पर्यावरण जोखिम मूल्यांकन के लिए एक विस्तृत नियामक मैकेनिज्म विकसित किया है। विमोचित जैव प्रौद्योगिकी फसलों के नकारात्मक प्रभावों के बारे में कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय चावल जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना (आई आर जी एस पी) जापान, यूएसए, चीन, ताईवान, कोरिया, भारत, थाईलैंड, फ्रांस, ब्राजील और इंग्लैण्ड सहित दस देशों से सार्वजनिक रूप से प्रदत्त धन वाली प्रयोगशालाओं का एक संघ है। आई आर जी एस पी का पूर्ण चावल जीनोम सीक्वेंस सार्वजनिक क्षेत्र में है और जीनों की तीव्र खोज के लिए मुख्य वैश्विक संसाधन के रूप में और वैज्ञानिकों द्वारा विश्व भर में फसल सुधार के लिए मार्कर के रूप में सेवा कर रहा है।

(ङ) आई आर जी एस पी में प्रतिभागिता के जरिए निम्नलिखित लाभ भारत द्वारा अभी तक लिए गए हैं:—

1. विश्व स्तरीय जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधाएं
2. जीनोमिक्स के अग्रणी क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन
3. चावल जीनों का एक डैटाबेस (बांशनू धन) चावल शोधकर्त्ताओं के लिए विकसित किया गया है।
4. अनेक डी एन ए मार्कर गुणवत्ता विशेषताओं और क्षारीय रोधिता सुधारने के लिए पहचाने गए हैं।
5. प्रथम रोगरोधी जीन चावल फूटन रोग के लिए पृथक किया गया है।

[हिन्दी]

परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पेड़ों का काटा जाना

4476. **श्री चन्द्रशेखर दूबे:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत एल्युमिनियम कम्पनी के निजीकरण के पश्चात् 675 मेगावाट उत्पादन की क्षमता वाला एक विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था और स्टरलाइट कम्पनी द्वारा उस भूमि पर से जहां विद्युत संयंत्र स्थापित था हजारों पेड़ काटे गये थे;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस संबंध में प्राप्त शिकायतों और की गयी जांच का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) कोरबा जिला, छत्तीसगढ़ में "बालको" के भागीदार मैसर्स स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज द्वारा वनभूमि पर 675 मेगावाट पावर प्लांट के निर्माण के संबंध में मंत्रालय में एक शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत में इस बात का उल्लेख है कि उक्त पावर प्लांट का निर्माण सात हजार हरे वृक्षों को काटकर और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मंजूरी लिए बिना वनभूमि पर किया गया। राज्य सरकार से मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार संबंधित भूमि राजस्व भूमि है और 422 वृक्ष बिना अनुमति के काटे गए और राज्य राजस्व विभाग द्वारा राजस्व भूमि संहिता के अनुसार कार्रवाई की गई है।

नेफेड द्वारा राई की खरीद

4477. **श्री हरिसिंह जावड़ा:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोदामों की कमी के कारण नेफेड राई नहीं खरीद पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या विचार है;

(ग) नेफेड द्वारा अब तक किसानों से कौन-कौन से उत्पाद खरीदे गये हैं, और गत तीन वर्षों के दौरान इन उत्पादों की कितनी खरीद की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा किसानों से राई खरीदने हेतु और क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) ने एक केन्द्रीय एजेंसी के रूप में मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत 17.4.2005 तक 10.08 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की है।

(ग) वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक नेफेड द्वारा किसानों से खरीदे गए उत्पादों के नाम और उनकी मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) नेफेड ने मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत सरसों की खरीद के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ गनी बैग खरीद, खरीद केन्द्र खोलना, भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नकद ऋण सीमा की मंजूरी और भण्डारण स्थान की बुकिंग शामिल है।

विवरण

वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक मूल्य स्कीम के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ द्वारा तिलहन और दलहन की खरीद

क्र.सं.	वर्ष	मद	फसल मौसम	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु. प्रति क्विं.)	खरीदी गई मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (लाख रु. में)
1.	2002-2003	सरसों बीज	रबी-2002	1300	467629	65192.23
2.	2002-2003	कुसुम बीज	रबी-2002	1300	2020	293.46
3.	2002-2003	खोपरा	2002 मौसम	3300 (मिलिंग) 3550 (बाल)	7468	2518.50
4.	2002-2003	सूरजमुखी बीज	रबी-2002	1185	28	3.81
5.	2002-2003	उड़द	खरीफ-2002	1330+5*	17148	2462.11
6.	2002-2003	तुर/अरहर	खरीफ-2002	1320+5*	50	6.68
7.	2003-2004	मिलिंग खोपरा	2003 मौसम	2840 (अ.नि. द्वीप मसूह)	824	234.02
8.	2003-2004 और 2004-2005	उड़द	खरीफ-2003	1370	151,142	23306.10
9.	2003-2004	मूंग	खरीफ-2003	1370	2488	383.65
10.	2003-2004 और 2004-2005	चना	रबी 2004	1400	279077	43536.01
11.	2004-2005	सरसों बीज	रबी-2004	1600	18577	2972.36
12.	2004-2005	सूरजमुखी बीज	रबी-2004	1250	2330	291.25
13.	2004-2005	कुसुम बीज	रबी-2004	1500	71	10.65
14.	2004-2005	मूंगफली	खरीफ-2004	1500	247	37.35
15.	2004-2005	उड़द	खरीफ-2004	1410	280	39.48
16.	2004-2005	सरसों बीज	रबी-2005	1700	10,08,556 (17.04.2005)	181537.00
17.	2004-2005	कुसुम बीज	रबी-2005	1550	14943 (18.4.2005)	2008.62
18.	2004-2005	सूरजमुखी बीज	रबी-2005	1340	28	3.75
19.	2004-2005	चना	रबी-2005	1425	57641 (17.04.2005)	9320.55
20.	2004-2005	मसूर	रबी-2005	1525	4755 (17.04.2005)	821.19

*विशेष सुखा राहत

[अनुवाद]

दोहरी मूल्य सीमा

4478. मो. मुकीम: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूल अवस्था में अथवा किसी और से अधिसंख्य संपाकों की बल्क औषधों के आधार पर दो मूल्य सीमाएं होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी पी सी ओ, 95) के पैरा 9 के अनुसार सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सूचीबद्ध सूत्रयोग की अधिकतम कीमत ऐसे सूत्रयोगों के प्रमुख विनिर्माताओं की लागत या क्षमता अथवा दोनों के मद्देनजर डी पी सी ओ, 95 के पैरा 7 में निर्धारित फार्मूला के अनुसार निर्धारित करती है और ऐसी कीमत ऐसे सभी पैकों के लिए जिसमें वे भी शामिल हैं जो जेनरिक नाम के अंतर्गत बेचे जाते हैं और ऐसे सूत्रयोगों के सभी विनिर्माताओं के लिए अधिकतम बिक्री कीमत के रूप में लागू होगी।

शीतल पेयों के विकल्प के रूप में नारियल पानी

4479. श्री पी. मोहन:
श्री ए.वी. बेल्लारमिन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शीतल पेयों के विकल्प के रूप में नारियल पानी और पाम सीरिप को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। कृषि मंत्रालय नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से पिछले एक दशक से नारियल पानी को एक स्वास्थ्यवर्धक और पोषक पेय के रूप में बढ़ावा दे रहा है।

देश में नारियल पानी को बढ़ावा देने के लिए उठाये गए कदम निम्न प्रकार से हैं:—

* केरल, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नारियल पानी की बिक्री के लिए रेड़ियां वितरित की गई हैं।

* रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला के माध्यम से नारियल पानी के पैकिंग और परिरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गई है और इसे निजी उद्यमियों को अंतरित किया गया है। इस समय देश में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में एक-एक नारियल पानी की पैकिंग हेतु तीन यूनिटें वाणिज्यिक रूप से कार्य कर रही हैं।

* स्वास्थ्यवर्धक पेय के रूप में इस उत्पाद के बारे में जागरूकता के लिए गुजरात भूकंप पीड़ितों को नारियल पानी के एक लाख पैकेट वितरित किए गए।

* नारियल पानी के स्वास्थ्यवर्धक पहलू के विषय में जागरूकता लाने हेतु कई सेमिनार आयोजित किये गये। नारियल पानी के संबंध में लोगों में जागरूकता लाने के लिए देश के विभिन्न भागों में नारियल पानी पेय प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

* नारियल पानी की पैकिंग में लगे उद्यमियों को अवसर प्रदान करने के लिए पैक्ड नारियल पानी सहित नारियल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।

* इलेक्ट्रानिक प्रचार-प्रसार के माध्यम से विज्ञापन फिल्म (दूरदर्शन-वाणिज्यिक) स्वास्थ्य लाभों की जानकारी देते हुए संदेश देने के लिए विभिन्न भाषाओं में राष्ट्रीय नेटवर्क और स्थानीय चैनल से प्रसारित की गई।

* प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यावक विज्ञापन जैसे समाचार पत्र, मैगजीन/दैनिक/स्वास्थ्य मैगजीन इत्यादि नियमित रूप से जारी किए जा रहे हैं।

* नारियल पानी के पैकिंग और परीक्षण की विकसित अवसंरचना के लिए औद्योगिक इकाइयों को 25% तक सीमित अथवा 50.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है।

* इसके अतिरिक्त, पैक्ड नारियल पानी सहित विभिन्न मंडी संवर्धन गतिविधियों के लिए 10.00 लाख रुपये की सीमा तक लागत का 50% ही उपलब्ध कराया जा रहा है।

* खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/विकास हेतु आम क्षेत्रों में संयंत्र मशीनरी की लागत के 25% की सीमा तक कठिनाई वाले क्षेत्रों को 33.33%, 75 लाख रुपये तक अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जा रही है इसमें नारियल और पाल्म वृक्ष के खाद्य उत्पादों का प्रसंस्करण भी शामिल है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों के भंडार

4480. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्यान्नों का वर्तमान भंडार कितना है;

(ख) क्या अन्न भंडार चालू वर्ष के दौरान देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उचित दर की दुकानों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को पर्याप्त खाद्यान्न प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 1.3.2005 की स्थिति के अनुसार खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का स्टॉक 194.08 लाख टन है।

(ख) जी, हां।

(ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अंत्योदय अन्न योजना सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों और योजना आयोग के 1993-94 के लिए राज्यवार निर्धनता अनुमानों, जो भी कम हों, के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पहचान किए गए परिवारों और उनको जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या के आधार पर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। इस आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे खाद्यान्नों का उठान करें और उनका उचित दर दुकानों के जरिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को वितरण करें।

[अनुवाद]

सटीक कृषि तकनीकें

4481. श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश के दक्षिणी राज्यों में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सटीक कृषि तकनीकियों को शुरू करने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे तकनीकियों को कब तक शुरू किया जाएगा और इस संबंध में क्या कार्यविधि तैयार की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सरकार ने सुव्यवस्थित कृषि तकनीकों को विकसित करने तथा प्रशिक्षण और प्रदर्शनों के जरिए इनके प्रसार के लिए दक्षिणी राज्यों सहित देश के विभिन्न भागों में सुव्यवस्थित कृषि विकास केन्द्रों (पी.एफ.डी.सी.) की स्थापना की है। पी.एफ.डी.सी. दक्षिणी राज्यों में निम्नलिखित स्थानों पर स्थित है:—

1. आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।
2. केरल कृषि विश्वविद्यालय, तवानूर, केरल।
3. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर।
4. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर।

पश्चिम बंगाल में चीनी मिलें

4482. श्री हितेन बर्मन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार पश्चिम बंगाल में चल रही चीनी मिलों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनके वार्षिक व्यापारावर्त का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलें स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इन सहकारी चीनी मिलों को किन स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) पश्चिम बंगाल में स्थापित दो चीनी मिलों में से निजी क्षेत्र में एक चीनी मिल ने चीनी मौसम 2004-2005 के दौरान 4.2.2.005 तक कार्य किया।

(ख) केन्द्रीय सरकार देश में चीनी मिलों के वार्षिक कारोबार से संबंधित सूचना नहीं रखती है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार देश के किसी भी भाग में चीनी मिलें स्थापित नहीं करती है। चीनी उद्योग को 31.8.1998 से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। अब उद्यमी मौजूदा चीनी मिलों से 15 किलोमीटर की दूरी बनाए रखते हुए अपनी परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार चीनी मिलें स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

वानिकी पौधरोपण

4483. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में, विशेषकर पेरियाकुलम निर्वाचन क्षेत्र में घने वन हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शुष्क भूमि पर चंदन, साल और टीक वृक्षों जैसा वानिकी पौधरोपण शुरू करने का है जिससे भूमि की उर्वरता और पर्यावरण का बचाव होगा तथा कीमती लकड़ियों की अवैध तस्करी भी रुकेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) तमिलनाडु वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार यह क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध है। विगत में चंदन की लकड़ी के बागानों के आशाप्रद परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं क्योंकि विकसित की गई अन्त: काष्ठ (हर्टवुड) की किस्म अच्छी नहीं है। इस क्षेत्र में 'साल' प्राकृतिक तौर पर नहीं पाई जाती। उक्त कारणों से चंदन और साल का वानिकी पौधरोपण नहीं किया जा रहा है। मोनोकल्चर को बढ़ावा देने के लिए सागौन को उगाने के बारे में विचार नहीं किया गया है। जैव-विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय लोगों को शामिल करके स्वदेशी तौर पर पाए जाने वाली प्राकृतिक वृक्ष प्रजातियों और औषधीय पादपों का पुनरुद्भव किया जाता है। तथापि, तमिलनाडु वन विभाग द्वारा पट्टेवाली भूमियों और अन्य गैर-वन भूमियों पर सागौन और अन्य प्रजातियां उगाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कुछ स्थानों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की नीति

4484. श्री राकेश सिंह: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कुछ स्थानों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने हेतु क्या नीति तैयार की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार जबलपुर को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) से (ग) पर्यटन परिपथों तथा गतंव्यों का उत्पाद/अवसंरचना विकास की योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सहयोग से विकास हेतु पर्यटन स्थलों की पहचान करता है। राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की शर्त पर सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2004-05 के दौरान, जबलपुर के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

औषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ावा

4485. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जैविक उत्पादन के माध्यम से औषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु फूड एंड एग्रीकल्चरल आर्गनाइजेशन आफ यूनाइटेड नेशन्स के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी निबंधन एवं शर्तें क्या हैं; और

(ग) इसके कब तक लागू होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) भारत सरकार और खाद्य एवं कृषि संगठन के बीच इस विषय पर द्विपक्षीय समझौते पर कोई बातचीत नहीं चल रही है। तथापि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने न केवल इस देश में बल्कि नेपाल, भूटान और श्रीलंका में जैविक उत्पादन, विपणन, प्रमाणन और औषधीय, सुगन्धित तथा रंग (डाई) पादप प्रसंस्करण हेतु खाद्य एवं कृषि संगठन को ''तकनीकी सहायता अनुदान'' प्रदान किया है। खाद्य एवं कृषि संगठन ने अब तक इस बहु-पक्षीय पहल की शुरूआत के लिए संभावित तिथि का संकेत नहीं दिया है।

शहरी क्षेत्रों हेतु 'एम्पलायमेंट गारंटी प्रोग्राम'

4486. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों हेतु 'एम्पलायमेंट गारंटी प्रोग्राम' आरंभ किया है जैसाकि दिनांक 16 फरवरी, 2005 के ''दि इकानामिक टाइम्स'' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर आरंभ में विचार किया गया तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल को पहले ही संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है।

कृषि उत्पादकता में वृद्धि

4487. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्यन का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन में योगदान की वृद्धि दर और प्रतिशतता कितनी है और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक क्षेत्र हेतु नियत कुल परिव्यय कितना है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कृषि क्षेत्र हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितनी उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) नौवीं योजना के दौरान कृषि और इसके संवर्गी क्षेत्रों अर्थात् वानिकी एवं जल भराव तथा मात्स्यिकी की वृद्धि दर और प्रतिशतता योगदान और सकल घरेलू उत्पाद को संवर्गी क्षेत्रों सहित कृषि का योगदान संलग्न विवरण में दिया गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और संवर्गी कार्यकलापों जिनमें मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी विकास, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षण, वानिकी तथा वन्य जीवन, पौध रोपण, कृषि विपणन, खाद्य भण्डारण स्टोरेज एवं वेयर हाऊसिंग, मृदा एवं जल संरक्षण, कृषि वित्तीय संस्थान, अन्य कृषि कार्यक्रम और सहयोग शामिल हैं, के लिए कुल निर्धारित किया गया कुल परिव्यय 58933 करोड़ रुपये है।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना में सतत् आधार पर भूमि और जल संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में कृषि में वृद्धित फसल गहतता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ध्यान केन्द्रित किए जाने और प्राथमिकता पर ध्यान दिए जाने हेतु पहचान किए गए अभिवृद्धि क्षेत्रों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को शामिल करते हुए सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी, कृषि ऋण, अग्र एवं पश्च सम्पर्कों पर ध्यान देकर बागवानी कृषि विपणन अवसंरचना का विकास/सुदृढ़ीकरण, ग्रेडिंग और मानकीकरण तथा कृषि अनुसंधान शामिल हैं।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर लक्ष्य 3.9% निर्धारित किया गया था। तथापि, राज्यों के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। 9वीं योजना (1997-2002) में संवर्गी क्षेत्रों सहित कृषि की वार्षिक वृद्धि दर 2.1% थी।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान वानिकी एवं मात्स्यिकी सहित कृषि की वृद्धि दर और प्रतिशतता योगदान

	कृषि*		वानिकी एवं जल भराव		मात्स्यिकी		कृषि एवं संवर्गी क्षेत्र	
	वृद्धि दर (%)	जी.डी.पी. में % योगदान	वृद्धि दर (%)	जी.डी.पी. में % योगदान	वृद्धि दर (%)	जी.डी.पी. में % योगदान	वृद्धि दर (%)	जी.डी.पी. में % योगदान
1997-98	-2.8	24.3	2.1	1.2	1.9	1.0	-2.4	26.5
1998-99	6.9	24.3	1.5	1.1	-3.9	0.9	6.2	26.4
1999-00	-0.1	22.9	3.7	1.1	7.0	1.0	0.3	25.0
2000-01	-0.4	21.9	2.4	1.1	4.0	1.0	-0.1	23.9
2001-02	6.5	22.0	1.5	1.0	7.7	1.0	6.3	24.0

*वानिकी तथा जल भराव एवं मात्स्यिकी के संवर्गी क्षेत्रों को छोड़कर

यूएनईपी के सहयोग से प्रदूषण नियंत्रण

4488. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में यूनाइटेड नेशन्स एन्वायरनमेंट प्रोग्राम के सहयोग से पर्यावरण और वन क्षेत्र में किए गए विकास का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश के महानगरों में वायु प्रदूषण की रोकथाम करने और इसके नियंत्रण में यू एन ई पी का सहयोग कितना सहायक रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू एन ई पी) ने ग्लोबल एन्वायरनमेंट फेसिलिटी के अंतर्गत भारत को स्वच्छतर उत्पादन, मृदा जैव कार्बन स्टाकों का निर्धारण, सतत् भूमि उपयोग के लिए एग्रो-जैव विविधता का प्रबंधन और प्रौद्योगिकी स्थानांतरण नेटवर्कों तथा चुने गए एशियाई देशों में सतत् शहरी यातायात प्रणालियों की संकल्पना विकास हेतु तकनीकी सहायता प्रदान की है।

(ख) इस समय देश में महानगरों में वायु-प्रदूषण की रोकथाम करने और इसके नियंत्रण में यू एन ई पी के साथ कोई गतिविधि नहीं चल रही है।

[हिन्दी]

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

4489. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग के अंतर्गत पांच बहुउद्देश्यीय बड़ी परियोजनाएं, 3 मध्यम और 32 लघु सिंचाई परियोजनाएं सरकार के पास मंजूरी हेतु लंबित पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों पर कब तक विचार करने की संभावना है और कार्य के कब तक आरंभ होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) भारत-जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत विचार-विमर्श किए जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अभिज्ञात परियोजनाओं की एक सूची भेजी है जिसमें 1 वृहद, 3 मध्यम और 32 लघु सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। बाह्य वित्तपोषण मांगने संबंधी मामले पर कार्रवाई करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। बाह्य सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के वास्ते आवश्यक रूप से वांछित पूर्ण ब्यौरे और स्वीकृतियां मध्य प्रदेश सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

[अनुवाद]

जड़ी-बूटियों, औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा

4490. श्री किरिप चालिहा:
प्रो. एम. रामदास:
डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर उत्तर-पूर्वी राज्यों में जड़ी-बूटियों, औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने हेतु क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त की गई है; और

(घ) अनेक मूल्यवान औषधीय पादपों को विलुप्त होने से रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि एवं सहकाहिता विभाग द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मी-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तरांचल में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती के लिए किसानों को सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एन.एम.पी.बी.) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भी पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सहायता दी जा रही है।

(ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में औषधीय एवं सुगंधित पौधों के विकास के लिए वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान प्रदत्त सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। राष्ट्रीय औषधीय पादप

बोर्ड द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों को प्रदत्त सहायता का राज्यवार संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर राज्यों हेतु बागवानी मिशन के अंतर्गत औषदीय पौधों के तहत 1125 हैक्टेयर तथा सुगंधित पौधों के तहत 1683 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र कवर किया गया है।

औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए एक एहतियाती उपाय के रूप में तथा बहुमूल्य औषधीय पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए सरकार पौध शालाओं व संतति उद्यानों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान कर रही है औषधीय पौधों की स्थान बाह्य (एक्स-सीटू) एवं स्वस्थाने (इन-सीटू) खेती एवं संरक्षण को भी प्रोत्साहन दे रही है।

विवरण I

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान औषधीय एवं सुगंधित पौधों के विकास के लिए प्रदत्त सहायता

(लाख रुपये)

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
अरुणाचल प्रदेश	21.00	39.95	77.00
असम	4.80	31.50	13.50
मणपुर	8.00	10.50	–
मेघालय	14.25	1.95	12.20
मिजोरम	10.55	2.50	13.00
नागालैण्ड	28.96	18.50	18.10
सिक्किम	23.30	–	5.30

विवरण II

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा औषधीय पौधों के विकास के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त राज्यवार (पूर्वोत्तर राज्य) सहायता

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
1.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	36.51	100.43
2.	मणिपुर	–	36.23	463.31
3.	नागालैण्ड	–	8.10	22.11
4.	सिक्किम	–	1.95	23.39
5.	त्रिपुरा	–	–	11.84
	कुल	20.00	82.79	635.08

[हिन्दी]

अस्थिर मूल्यों से कृषकों का बचाव

4491. श्री अजीत जोगी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कृषकों के लिए कृषि उत्पादों के अस्थिर मूल्यों के प्रति सुरक्षोपाय उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या कृषक इन उपायों से पूर्णत: सुरक्षित हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई ठोस उपाय करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (च) कृषि उत्पादों से संबंधित मूल्य नीति का उद्देश्य उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों को भी उनके उत्पादनों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिये सरकार हर मौसम में प्रमुख कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है और जिन जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है उनकी सार्वजनिक और क्षेत्रीय एजेंसियों के माध्यम से खरीद करती है। जब भी और जहां भी बाजार मूल्य समर्थन मूल्य से नीचे आ जाते हैं, ये एजेंसियां खरीद कार्य करती है।

सरकार ऐसे बागवानी जिंसों के लिये मण्डी हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस.) चलाती है जिनको एम.एस.पी. स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं किया गया होता है। आत्यधिक फसल के पैदा होने पर बागवानी जिंसों के उत्पादकों को अपने उत्पादों का मजबूरी तथा सस्ते में बिक्री करने से बचाने के लिये ऐसे राज्य सरकार से अनुरोध पर किसी विशेष जिंस के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम चलायी जाती है जो मण्डी हस्तक्षेप प्रचालन में होने वाले घाटे का, यदि कोई होता है, 50% (उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 25%) भाग सहने के लिए तैयार होते हैं। चूंकि खराब विपणन अवसंरचनायें मुख्य अड़चने हैं जिनसे किसानों को उस मूल्य का वाजिब हिस्सा नहीं मिल पाता है जो अंतिम उपभोक्ता द्वारा अदा किया जाता है, अत: सरकार ने विपणन को ऐसे अभिवृद्ध क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात

किया है जिस पर ध्यान केन्द्रित करने और उसको प्राथमिकता दिये जाने की जरूरत है। 2005-06 के संघीय बजट में विपणन के महत्व को रेखांकित किया गया है अत: इसके लिए ''कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण'' नामक एक नई स्कीम का प्रावधान किया गया है?

विल्ट रोग से अमरूद की फसल का प्रभावित होना

4492. **श्री अतीक अहमद:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में, विशेषकर इलाहाबाद क्षेत्र में ''विल्ट रोग'' के कारण अमरूद के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस रोग का सामना करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है तथा इस क्षेत्र के किसानों को उपलब्ध करायी जाने वाली नई तकनीक से क्या लाभ मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में अमरूद विल्ट एक प्रमुख समस्या है। केन्द्रीय उप उष्ण कटिबन्धीय बागवानी संस्थान (सी.आई.एस.एच.), लखनऊ ने इस समस्या से निपटने के लिए सिफारिशों के एक पैकेज को तैयार किया है जिसे प्रदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के अमरूद उत्पादकों तक पहुंचाया जा रहा है। अभी तक सी.आई.एस.एच., लखनऊ द्वारा किसानों के खेतों पर 22 ऐसे प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने नई प्रौद्योगिकियों को शुरू करने के लिए इस उद्देश्य हेतु सी.आई.एस.एच., लखनऊ को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

[अनुवाद]

उड़ीसा की बिरूपा-गेंगुटी परियोजना

4493. **श्री अनन्त नायक:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब तक उड़ीसा स्थित बिरूपा-गेंगुटी परियोजना को पूरा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त परियोजना के लिए अब तक तथा वर्ष 2005-06 हेतु प्रस्तावित कितना बजटीय आबंटन किया गया है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) उड़ीसा में बिरूपा-गेंगुटी द्वीर सिंचाई परियोजना में 3062 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने के लिए दो सिंचाई नहरें अर्थात् 13.84 कि.मी. की जेपुर माइनर और अपनी उप माइनर सहित 11.54 कि.मी. की मूलबसंत माइनर शामिल हैं। मूलबसंत माइनर 10.30 कि.मी. तक पूरी कर ली गई है और 2500 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। भूमि अधिग्रहण में विलंब होने के कारण जेपुर माइनर की लगभग 3.54 कि.मी. लंबाई के शेष कार्य को पूरा नहीं किया जा सका।

(ग) इस परियोजना के लिए अब तक आबंटन/व्यय 1434.03 लाख रुपये है जिसमें राज्य योजना से 936.03 लाख रुपये और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से 498 लाख रुपये शामिल हैं। राज्य के गैर-योजना बजट में वर्ष 2005-06 के लिए प्रस्तावित आबंटन 34 लाख रुपये है।

(घ) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस परियोजना को पूरा करने का निर्धारित वर्ष 2008-09 है।

आवश्यक दवाओं का मूल्य

4494. **श्री अधीर चौधरी:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लघु इकाइयां आवश्यक दवाओं के मूल्यों में कमी लाने में सहायक रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या जनवरी, 2005 में संयंत्र और मशीनरी में भारी निवेश से संबंधित अनुसूची-एम के प्रावधानों को अनिवार्य कर दिया है जिससे लघु औषधीय इकाइयों की संवृद्धि रुक गई है; और

(ग) यदि हां, तो इन लघु इकाइयों के विकास को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) बेहतर विनिर्माण परिपाटियों और भेषज उत्पादों के लिए उपकरण, संयंत्र और परिसरों की आवश्यकताओं से संबंधित औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली, 1945 की अनुसूची-एम को सा.का.नि. 894(अ) दिनांक 11.12.2002 के द्वारा औषधों के उत्पादन में गुणवत्ता नियंत्रण के रखरखाव हेतु

संशोधित किया गया था। विनिर्माताओं द्वारा अभिव्यक्त की गई कठिनाइयों की, विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र के अतिरिक्त स्थान आदि से संबंधित कुछ प्रावधानों के मामले में, आगे और जांच की गई तथा समुचित छूट देते हुए प्रारूप नियमावली वाली एक राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 738(अ) दिनांक 8.11.2004 को प्रकाशित की गई।

क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत भेषज एककों और लघु उद्योग औषध को प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध है। राजपत्र अधिसूचना सा.आ.सं. 134(अ.) दिनांक 2 मार्च, 1995 के अनुसार सरकार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के तहत जिन सूत्रयोगों के मूल्य निर्धारित करती है, उनकी कीमतों को लागू करने से लघु उद्योग इकाइयों को छूट मिली हुई है।

कुक्कुट पालन क्षेत्र

4495. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुक्कुट पालन के माध्यम से रोजगार सृजित करने की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने लोगों को वर्षवार रोजगार दिया गया/रोजगार सृजित किए गए;

(घ) क्या सरकार देश में कुक्कुट पालन को कुछ प्रोत्साहन दे रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सरकार पौषणिक कमी को पूरा करने तथा समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं की सहायक आय के लिए ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास को प्रमुख रूप से बढ़ावा दे रही है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग वर्ष 1999-2000 से ''राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है जिसके तहत पालन के लिए लाभार्थियों को कम आदान वाले प्रौद्योगिकी पक्षी (उन्नत स्वदेशी पक्षी) उपलब्ध कराए जाते हैं। लाभार्थी अंडा/मीट जैसे कुछ उत्पादों का उपभोग कर सकते हैं तथा शेष को बेच सकते हैं। लाभार्थियों द्वारा रखे जाने वाले पक्षियों की संख्या अलग-अलग होती है परन्तु सामान्यतया यह संख्या 15-20 पक्षियों के बीच होती है। पूरे परिवार के शामिल होने के कारण सृजित रोजगार की मात्रा का मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है।

तथापि, इस समय ऐसा अनुमान है कि लगभग 2 मिलियन लोग कुक्कुट पालन तथा सहायक गतिविधियों में लगे हुए हैं, जो अधिकतर संगठित, वाणिज्यिक क्षेत्र में हैं। इसमें घरेलू कुक्कुट पालन में लगे किसान शामिल नहीं हैं।

(घ) और (ङ) ''राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अलावा, यह विभाग ग्रामीण कुक्कुट पालन का क्षेत्रीय विकास करने के लिए ''केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन'' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना भी क्रियान्वित कर रहा है। नई योजना ''डेयरी/कुक्कुट उद्योग पूंजी कोष'' वर्ष 2004-05 के दौरान शुरू की गई है, जिसमें ब्याज भुगतान पर राजसहायता देने का प्रावधान है।

केन्द्रीय कुक्कुट विकास सलाहकार परिषद का अभी हाल में पुनर्गठन किया गया है तथा इसकी दिनांक 2 फरवरी, 2005 को बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई थी।

मूल्य स्थिरीकरण कोष

4496. श्री सुबोध मोहिते: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''मूल्य स्थिरीकरण कोष''आरंभ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार 'कपास और नारंगी' उत्पादकों को इस कोष के क्षेत्राधिकार में लाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां। मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना 500/- करोड़ रु. के संग्रह से की गई है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा 482.88 करोड़ रुपये का एक मुश्त योगदान और सहभागी उत्पादकों द्वारा 500/- रु. प्रति उत्पादक की दर से 17.12 करोड़ रु. का एक गैर-वापसी आरम्भिक योगदान शामिल है। चाय, काफी, रबर और तम्बाकू उत्पादकों को उस समय राहत पहुंचाना

इस स्कीम का उद्देश्य है, जब इन जिन्सों के मूल्य निर्धारित स्तर से नीचे गिर जाते हैं। अभी तक 30,605/- उत्पादकों ने इस स्कीम के तहत अपना नामांकन कराया है। जिन्सवार उत्पादकों का नामांकन है—रबर-18,307, काफी-9,521 और चाय-2,777। स्कीम के तहत कोई भी तम्बाकू उत्पादक अभी तक नामांकित नहीं है। चाय, काफी और रबर के संबंध में वर्ष 2003 हेतु मूल्य स्प्रेक्ट्रम बैन्ड की घोषणा की गई थी जिसके आधार पर 31 मार्च, 2004 तक के नामांकित सदस्यों के संबंध में भुगतान योग्य और भुगतान मुक्त देयता निर्धारित की गई थी। वर्ष 2004 हेतु इन जिन्सों के लिए मूल्य स्प्रेक्ट्रम बैन्ड हाल ही में घोषित किए गये हैं।

(ग) से (ङ) पी.एस.एफ. स्कीम के तहत कपास और नारंगी जैसी अतिरिक्त फसलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कपास जैसी फसलें मूल्य समर्थन स्कीम के तहत कवर की जाती हैं। जहां कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) के तहत कवर किया जाता है वहीं नारंगी को मंडी हस्तक्षेप स्कीम (एम.आई.एस.) के तहत कवर किया जाता है।

बकरी और भैंसों की प्रजाति का संरक्षण

4497. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यमुना-चंबल बेसिन में ''चक्रनगरी'' प्रजाति की बकरी और ''भदवारी भैंसों'' की संख्या में कमी आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य

4498. श्री रामदास आठवले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विचार करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस वर्ष सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मूल्य के अनुसार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) 'मूल्य नीति' पर अपनी सिफारिशों को तैयार करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों के विचारों पर भी, जिसमें महाराष्ट्र की सरकार भी शामिल है, ध्यान देता है।

(ख) से (घ) सरकार सोयाबीन सहित विभिन्न प्रकार के कृषि जिंसों के समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है और ऐसा करने में वह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों और अन्य सुसंगत कारकों, जो सरकार की दृष्टि में मूल्य समर्थन के निर्धारण मे महत्व रखते हैं, पर भी ध्यान देती है।

[अनुवाद]

आनुवंशिक रूप से संवर्धित फसलें

4499. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा सूरजमुखी पीला, विटामिनयुक्त चावल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म का विकास भारत जैसे देशों में इसका हस्तांतरण करने के लिए किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि विशेषज्ञों और विज्ञानियों ने इस नई किस्म के प्रति संदेह व्यक्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने बीटा-कैरोटीन के उच्च स्तरों का उत्पादन करने के लिए जीनों की पहचान करके सूरजमुखी-पीला, विटामिनयुक्त चावल के आनुवंशिक रूप से संवर्धित एक नये प्रभेद (स्ट्रेन) का विकास करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। भारत में इसके हस्तांतरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) यह एक नई रिपोर्ट है। इसका परीक्षण/मूल्यांकन अभी किया जाना है।

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के खाद्यान्न कोटे में वृद्धि

4500. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के खाद्यान्न आबंटन को 35 किलोग्राम से बढ़ाकर 50 किलोग्राम प्रति परिवार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसको कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु योजना

4501. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु आरंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों हेतु पुनश्चर्या पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना चलाई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के विभिन्न विभागों में इनके समुचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु इन श्रेणियों के लोगों को विशेष प्रशिक्षण सुविधाएं भी दी जा रही हैं; और

(घ) दसवीं योजना के दौरान इन जातियों के भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा शिक्षण और मार्ग-दर्शन हेतु अन्य क्रियाकलापों पर खर्च की गई धनराशि का वर्षवार, राज्यवार और जातिवार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षित रोजगार चाहने वालों की रोजगारपरकता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इसमें वृत्तिका परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करने, टंकण/आशुलिपि के कौशल स्तर में विकास तथा कम्प्यूटर संचालन में अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाली योजनाएं भी शामिल हैं।

(ग) विशेष अध्यापन योजना के माध्यम से रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को 11 माह का अध्यापन प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न भर्ती अभिकरणों/समूह-ग पदों हेतु चयन बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा सके।

(घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर कोई राशि व्यय नहीं करता। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिष्ठानों की तरफ से आयोजित किए जाते हैं तथा उस पर आने वाली लागत उनके द्वारा ही वहन की जाती है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

4502. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा योजना के अंतर्गत सम्मिलित किसानों, फसलों और कृषि भूमि क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त बीमा योजना हेतु प्रीमियम की दर निर्धारित करने की फसल-वार क्रियाविधि क्या है;

(ग) किसानों, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा भुगतेय प्रीमियम के प्रतिशत हिस्से का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में उक्त योजना हेतु एकत्रित प्रीमियम की कुल राशि वर्षवार कितनी है;

(ङ) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्थान में बर्बाद हुई फसल और उक्त योजना के अंतर्गत बीमाकृत कृषि फसलों हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(च) वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्थान में बर्बाद हुई बीमाकृत फसलों और इस हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(छ) वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्थान में बीमाकृत फसलों हेतु क्षतिपूर्ति धनराशि की फसलवार दर क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन.ए.आई.एस.) खरीफ 2003 मौसम से कार्यान्वित है। कवर की गई फसलें हैं:—बाजरा, ग्वार, अरहर, सोयाबीन, तिल, मोठ, मक्का, ज्वार, मूंगफली, मूंग, एरण्ड, उड़द, धान और लोबिया। गत तीन फसल मौसमों (खरीफ 2003 से खरीफ 2004 तक) के दौरान 73.42 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के 25.44 लाख किसान कवर किए गये हैं।

(ख) खाद्य और तिलहनी फसलों के लिए 1.5% से 3.5% के बीच के प्रीमियम की एक समान दर लगाई जाती है। वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम की बीमांकिक दरें लगाई जाती हैं। प्रीमियम की बीमांकिक दरें सामान्य वितरण प्रणाली के आधार पर तैयार की जाती हैं।

(ग) छोटे और सीमांत किसानों द्वारा देय प्रीमियम 90% है जबकि अन्य किसानों को 100% प्रीमियम देना पड़ता है। वर्तमान में छोटे और सीमान्त किसानों को 10% प्रीमियम राजसहायता देय है, जिसको केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारें बराबर-बराबर वहन करती हैं।

(घ) से (च) गत तीन फसल मौसमों के दौरान कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा राजस्थान में एकत्रित प्रीमियम की कुल धनराशि 4174.34 लाख रु. है। चालू वर्ष (अर्थात् खरीफ 2004) में बाजरा, ग्वार, अरहर, सोयाबीन, तिल, मोठ, मक्का, ज्वार, मूंगफली, मूंग, एरण्ड, उड़द, धान और लोबिया की बीमित फसलें घाटे में रही हैं। फसल मौसम-वार एकत्रित प्रीमियम और भुगतान किये गये/किए जाने योग्य दावे नीचे दिए गये हैं:—

(लाख रु. में)

फसल मौसम	एकत्रित प्रीमियम	भुगतान किए गए दावे	भुगतान योग्य दावे
खरीफ 2003	94.75	2.47	-
रबी 2003-04	26.27	11.72	-
खरीफ 2004	4053.32	97.66	11064.71
कुल	4174.34	111.85	11064.71

(छ) इकाई क्षेत्र में प्रत्येक फसल हेतु भुगतान योग्य दावे उपज में कमी के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जो क्षेत्र-दर-क्षेत्र और फसल-दर-फसल भिन्न-भिन्न होते हैं। खरीफ 2004 हेतु फसल-वार भुगतान योग्य दावे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

राजस्थान में खरीफ 2004 के दौरान भुगतान योग्य फसलवार दावे

क्र.सं.	फसल	दावे (रु.)
1.	बाजरा	450482545.36
2.	ग्वार	280414158.30
3.	अरहर	0.00
4.	सोयाबीन	9700035.76
5.	तिल	38566659.58
6.	मोठ	58206058.62
7.	मक्का	62467676.68
8.	ज्वार	56428575.91
9.	मूंगफली	73708079.66
10.	मूंग	83826960.18
11.	एरण्ड	लागू नहीं
12.	उड़द	2154429.71
13.	धान	0.00
14.	लोबिया	282228.33
	कुल	1116237408.09

पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश आगमन

4503. श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटकों के हिमाचल प्रदेश आगमन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और 2002 से आज तक कितने पर्यटकों ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया है;

(ख) हिमाचल प्रदेश में पर्यटन परियोजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए कितनी परियोजनाएं चलायी जा रही हैं और चालू योजना के दौरान केन्द्र के हिस्से के रूप में राज्य सरकार को कितनी राशि जारी की गयी है; और

(ग) गंतव्य पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन हेतु कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी है और हिमाचल प्रदेश में केन्द्र

के हिस्से के रूप में कौन-सी परियोजनाएं अधिक राजस्व अर्जित कर रही हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में पर्यटक आगमनों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में पर्यटक आगमन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष	स्वदेशी	विदेशी
2002	4958917	144383
2003	5543414	167902
2004	6345069	203344

(ख) और (ग) दसवीं योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं:—

वर्ष	परियोजना का नाम	योजना	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
2002-03	हिमालयन परिपथ (चण्डीगढ़-कुल्लु-मनाली-लाहौल/स्पीति-लेह)	पर्यटक परिपथ	793.38
2002-03	दादासिबा में प्राचीन मंदिर का नवीकरण (जिला कांगड़ा)	गंतव्य विकास	7.81
2003-04	परागपुर (जिला कांगड़ा) में ग्रामीण पर्यटन	ग्रामीण पर्यटन	50.00
2003-04	नागर विलेज (जिला कुल्लु) का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
2004-05	हैरिटेज होटल कैसल नागर (जिला कुल्लु) और पैलेस होटल चहल (जिला सोलन) का नवीकरण और पुनरुद्धार	गंतव्य विकास	500.00
2004-05	पर्यटक परिपथ शिमला का एकीकृत विकास	पर्यटक परिपथ	800.00
2004-05	पर्यटक परिपथ कांगड़ा का एकीकृत विकास	पर्यटक परिपथ	800.00
2004-05	सिरमोर का विकास	गंतव्य विकास	500.00
2004-05	विलेज नागर (जिला कुल्लु) में जी ओ आई-यू एन डीपी अंतर्जात पर्यटन परियोजना	यूएनडीपी अंतर्जात	20.00

[अनुवाद]

वैकल्पिक फसल अपनाना

4504. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा वैकल्पिक फसल अपनाना, शुष्क भूमि विकास, विभिन्न बंजर भूमि पर खेती, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रौद्योगिकियों का त्वरित हस्तांतरण, ठेका कृषि प्रणाली शुरू करना और किसानों को उत्तम बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आम का विपणन

4505. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष आम की भारी फसल होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस फसल का कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान आम के फसल के विपणन और निर्यात हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सरकार ने इस वर्ष के दौरान आम के उत्पादन का कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

(घ) सरकार मंडी अवसंरचना का सृजन करके और मंडी आसूचना प्रदान करके बागवानी उत्पाद के विपणन हेतु सहायता प्रदान कर रही है। कृषि एवं खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) भी मंडी विकास, अवसंरचना, गुणवत्ता विकास और आमों के निर्यात हेतु परिवहन सहायता के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को धनराशि का आबंटन

4506. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशु कल्याण हेतु बनी सभी योजनाओं की जांच भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (ए.डब्ल्यू.बी.आई.) द्वारा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ए.डब्ल्यू.बी.आई. को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान ए.डब्ल्यू.बी.आई. द्वारा पंजीकृत तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) पशु कल्याण के लिए चलाई जा रही निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है:-

(1) पशुओं की देखभाल करने के लिए आश्रय घर प्रदान करने की योजना।

(2) संकट में फंसे पशुओं को एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना।

(3) आवारा कुत्तों के जन्म नियंत्रण और बंध्याकरण की योजना।

(4) प्राकृतिक आपदाओं और अनापेक्षित परिस्थितियों के दौरान पशुओं को राहत पहुंचाने के लिए योजना।

(5) जीव जन्तु कल्याण बोर्ड।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को आबंटित निधियों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:—

योजना निधियां (लाख रुपए)

क्र.सं.	वर्ष	2004-05	2003-04	2002-03
	स्कीम			
1.	पशुओं की देखभाल के लिए आश्रय घर प्रदान करने की योजना	228.24	शून्य*	शून्य*
2.	संकट में फंसे पशुओं को एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने की योजना	28.65	शून्य*	शून्य*
3.	आवारा कुत्तों का जन्म नियंत्रण और बंध्याकरण की योजना	151.75	शून्य*	शून्य*
4.	प्राकृतिक आपदाओं और अनापेक्षित परिस्थितियों के दौरान पशुओं को राहत पहुंचाने के लिए योजना	30.00	शून्य*	शून्य*
5.	जीव जन्तु कल्याण बोर्ड	495.00	495.00	465.00

*वर्ष 2004-05 के दौरान क्र.सं. 1 से 4 तक की योजनाएं भारत सरकार के पशु कल्याण बोर्ड को कार्यान्वयन के लिए सौंप दी गई थीं।

(घ) भारत सरकार भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों को उक्त अवधि के दौरान उपलब्ध कराए गए अनुदान की स्थिति निम्न प्रकार है:—

वर्ष	वर्ष के दौरान पंजीकृत पशु कल्याण संगठनों की संख्या	वर्ष के अंत में पशु कल्याण संगठनों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान अनुदानित किए गए कुल पशु कल्याण संगठनों की संख्या
2002-03	222	1895	974
2003-04	200	2095	809
2004-05	79	2174	1053

[हिन्दी]

मातृत्व अधिनियम, 1961 में संशोधन

4507. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
मो. शाहिद:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:
श्री मुन्शी राम:
श्री बृजकिशोर त्रिपाठी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों को मातृत्व लाभ देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में योजना आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने का है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक गर्भवती महिला विशेषत: असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं को कितनी सहायता राशि दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या मातृत्व अधिनियम, 1961 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(च) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन का ब्यौरा क्या है;

(छ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(ज) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत खर्च की जाने वाली राशि का राज्य-वार आकलन किया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (घ) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 प्रथमत: 10 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले खानों, कारखानों, सर्कस उद्योग, बागानों तथा दुकानों या प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिनमें ऐसा प्रतिष्ठन भी शामिल है जो सरकार से संबंधित है सिवाय उन कर्मचारियों के जो अधिनियम, 1948 के दायरे में आते हैं। बीड़ी, कतिपय गैर-कोयला खानों और सिने उद्योग में कार्यरत महिला श्रमिकों के लिए कल्याण निधियों के तहत प्रसूति प्रसुविधाएं उपलब्ध हैं जिनका कार्यान्वयम श्रम और रोजगार मंत्रालय कर रहा है। सरकार असंगठित क्षेत्र श्रमिक विधेयक, 2004 के अधिनियम पर भी विचार कर रही है। मसौदा विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों के लिए प्रसूति प्रसुविधा की व्यवस्था भी है।

(ङ) से (झ) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के तहत देय चिकित्सा बोनस को 250/- रुपये करने तथा चिकित्सा बोनस को समय-समय पर संशोधित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के तहत चिकित्सा बोनस का भुगतान नियोक्ता की जिम्मेदारी है, इसलिए निधियों की राज्यवार राशि तैयार नहीं की जा सकती।

कर्मचारी पेंशन योजना का लाभार्थी

4508. श्री धावरचन्द गेहलोत: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू के दौरान वर्तमान कर्मचारी पेंशन योजना (ई पी एस), 1995 से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा वर्ष-वार कितनी राशि संवितरित की गयी है

(ग) उन संस्थाओं और वर्गीकृत संस्थाओं की संख्या कितनी है जहां उक्त कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 क्रियान्वित की गयी है;

(घ) क्या उक्त कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ और अंशदान दर का वार्षिक मूल्यांकन और समीक्षा की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दी गयी राशि का विवरण निम्नवत् है:—

2001-2002	1635.22
2002-2003	1998.58
2003-2004	2354.94

(ग) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 उन प्रतिष्ठानों के संबंध में लागू की जाती है जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 लागू होता है (प्रतिष्ठानों की 180 श्रेणियां)। 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार 3,70,386 प्रतिष्ठानों पर कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 लागू थी।

(घ) और (ङ) मूल्यांकक द्वारा वर्ष 2002-2003 तक का वार्षिक मूल्यांकन किया जा चुका है। मूल्यांकक और सलाहकार बीमांकक द्वारा की गयी सिफारिश पर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) द्वारा विचार किया जाना है।

विवरण

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत क्षेत्रवार पेंशन भोगी

क्र.सं.	क्षेत्र	पेंशनभोगियों की संख्या			
		2001-2002	2002-2003	2003-2004	30.09.2004 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	127823	147868	185475	206915
2.	बिहार	33924	43638	54340	55146
3.	छत्तीसगढ़	10314	13128	15558	15558
4.	दिल्ली	21404	26810	32496	33790
5.	गोवा	4847	5892	6815	7472
6.	गुजरात	67996	91211	110523	121377
7.	हरियाणा	5820	5727	8699	9127
8.	हिमाचल प्रदेश	26532	32981	37604	40478
9.	झारखण्ड	24953	33538	41804	46275
10.	कर्नाटक	109613	135394	161345	174439
11.	केरल	88955	105932	125494	136270
12.	मध्य प्रदेश	48536	58695	68496	73798

1	2	3	4	5	6
13.	महाराष्ट्र	171978	223150	278222	304361
14.	पूर्वोत्तर	9299	11575	13741	14857
15.	उड़ीसा	28054	33832	38932	41873
16.	पंजाब	27772	34023	39881	42916
17.	राजस्थान	32052	40518	47355	51327
18.	तमिलनाडु	168051	204631	243887	261220
19.	उत्तरांचल	10426	12155	15431	16521
20.	उत्तर प्रदेश	78512	100215	129463	139361
21.	पश्चिम बंगाल	71918	80757	103280	115221
	कुल	1168779	1441670	1758841	1908302

[अनुवाद]

ईपीएफ के बिना दावे वाले/निष्क्रिय खाते

4509. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि (ई पी एफ) के निष्क्रिय खातों अर्थात् ऐसे खाते जिनमें 31 मार्च, 2004 से कोई अंशदान प्राप्त नहीं हुए हैं, में कितनी राशि पड़ी है और इनमें कितने कामगार शामिल हैं;

(ख) 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार ईपीएफ के बिना दावे वाले खातों में राज्य-वार कितनी राशि पड़ी है;

(ग) क्या सरकार ने ईपीएफ राशि के दावा न करने के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार की बिना दावे वाले खातों और निष्क्रिय खातों की वृद्धि को रोकने और हजारों करोड़ रुपए की राशि को गरीब कामगारों को लौटाने, इसका दुर्विनियोजन नहीं किए जाने संबंधी कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत जमा खातों में पड़ी राशि के बारे में अंतिम लेखाओं के संकलन अर्थात् 30.6.2005 के पश्चात् ही जानकारी मिलेगी। तथापि, 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार, यह आंकड़ा 942.95 करोड़ रुपये (गैर-लेखा परीक्षित) है।

(ग) अदावाकृत जमा राशियों के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं:—

* कर्मचारियों के नवीनतम पते का उपलब्ध न होना।
* भविष्य निधि संचित राशियों पर अधिक आय अर्जित करने की इच्छा।
* एक सदस्य के कई खाते होना।
* अन्तरण/अंतिम निपटान के लिए दावों का प्रस्तुत न किया जाना।

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने "रि-इन्वेंटिंग ई पी एफ इंडिया" परियोजना के अंतर्गत सदस्यों को राष्ट्रीय विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा संख्या का आबंटन शुरू किया है। इससे ऐसे

सदस्य अपने खाते आमेलित करके एक जगह रखने में सक्षम होंगे जिनके कई स्थानों पर खाते हैं और इस प्रकार अदावाकृत जमाराशि खातों में जबर्दस्त कमी आयेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा लाभभोगियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापनों, श्रमिक संघों और नियोजकों के माध्यम से लगातार प्रयास किए जाते हैं। अदावाकृत खातों को निपटाने के लिए तथा एक ही सदस्य के कई खातों को कम करने के लिए उसकी शेष राशि को उसके चालू खाते में अन्तरित करके सर्वोच्च प्राथमिकता पर निपटाने का एक विशेष अभियान चलाया गया।

(ङ) और (च) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में सन्निहित उपबंध के अनुसार, अदावाकृत खातों में पड़ी राशि का उपयोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संबंधित सदस्यों को अथवा उसकी मृत्यु के पश्चात् अन्य पात्र व्यक्तियों को भुगतान के अलावा अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। सरकार अदावाकृत जमा खातों में पड़ी राशि का उपयोग नहीं कर सकती है क्योंकि यह एक दायित्व है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कानूनी तौर पर देय ब्याज सहित इसका भुगतान करने के लिए बाध्य है जब भी कभी किसी दावे के निपटान को तरजीह दी जाती है। तथापि, दावे का निपटान होने के लिए संबंधित व्यक्ति अथवा अन्य पात्र व्यक्ति को निपटान के लिए दावा दायर करना/तरजीह देना होता है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को चीनी की आपूर्ति

4510. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष राशन कार्डधारी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को चीनी की आपूर्ति हेतु व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी चीनी आबंटित तथा संवितरित की गयी है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने 1999 से ही बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विक्रय केन्द्रों को चीनी की आपूर्ति बंद कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी की आपूर्ति विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान चीनी वर्ष (अक्तूबर, 2004-सितम्बर, 2005) के दौरान मई, 2005 तक राज्यवार आबंटित की गई लेवी चीनी की मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तत्पश्चात्, इस लेवी चीनी का वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ग) से (ङ) बिहार 1.1.2000 से सीधा आबंटी राज्य है। केन्द्रीय सरकार बिहार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उठान और वितरण करने के लिए लेवी चीनी का सीधे आबंटन करती है।

विवरण

अक्तूबर, 2004 से मई, 2005 तक के दौरान लेवी चीनी का मासिक आबंटन

('000 टन में')

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अक्तूबर, 04	नवम्बर, 04	दिसम्बर, 04	जनवरी, 05	फरवरी, 05	मार्च, 05	अप्रैल, 05	मई, 05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	13.53	9.72	9.72	9.72	9.72	9.72	9.72	9.72
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.89	0.84	0.85	0.84	0.84	0.87	0.84	0.84
3.	असम	19.14	19.14	18.42	19.14	18.42	18.44	19.14	18.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	22.45	22.45	20.56	22.79	20.56	20.56	21.30	21.30
5.	छत्तीसगढ़	5.52	4.52	4.41	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51
6.	दिल्ली	3.91	2.76	2.76	2.74	2.74	2.76	2.75	2.76
7.	गोवा	0.12	0.12	0.19	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
8.	गुजरात	8.31	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87
9.	हरियाणा	3.49	3.49	2.53	2.50	2.50	2.53	2.50	2.50
10.	हिमाचल प्रदेश	5.07	5.07	4.37	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70
11.	जम्मू और कश्मीर	7.68	7.25	7.21	7.13	7.57	7.15	7.13	7.13
12.	झारखंड	7.60	7.60	6.96	7.72	6.96	6.96	7.21	7.21
13.	कर्नाटक	11.37	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69
14.	केरल	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11
15.	मध्य प्रदेश	15.27	12.50	12.53	12.50	12.50	12.53	12.50	12.50
16.	महाराष्ट्र	13.97	18.48	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94
17.	मणिपुर	1.93	1.89	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81
18.	मेघालय	1.84	1.84	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74
19.	मिजोरम	0.71	0.69	0.74	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
20.	नागालैंड	1.24	1.19	1.24	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
21.	उड़ीसा	8.73	8.73	8.73	8.73	9.73	8.73	8.73	8.73
22.	पंजाब	2.74	1.54	1.55	1.53	1.53	1.55	1.53	1.53
23.	राजस्थान	10.00	10.00	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46
24.	सिक्किम	0.42	0.42	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
25.	तमिलनाडु	14.22	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83
26.	त्रिपुरा	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69
27.	उत्तर प्रदेश	40.62	33.04	33.04	40.62	33.04	31.77	33.04	33.04
28.	उत्तरांचल	6.54	6.15	6.13	6.42	6.03	6.05	6.03	6.03
29.	पश्चिम बंगाल	22.02	14.22	14.22	14.22	14.22	14.23	14.23	14.23
30.	अंड. निको. द्वीप समूह	0.42	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
31.	चंडीगढ़	0.18	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	दादरा और नगर हवेली	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
33.	दमन और दीव	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
34.	लक्षद्वीप	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
35.	पांडिचेरी	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.08
36.	भूटान	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
	कुल जोड़	257.39	226.95	214.81	226.07	215.83	213.72	216.51	215.7

रोगों के कारण संदूषित फल

4511. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोगों के कारण भारी मात्रा में फलों के नष्ट होने से सरकार को भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन रोगों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई अनुसंधान कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां, घाटे का विस्तार फसल-दर-फसल, रोग-दर-रोग और मौसम-दर-मौसम भिन्न-भिन्न रहता है। आम में एन्थ्रेकनोज फ्रूट राट, स्टेम-इन्ड राट और एसपरजीलस, पपीता में एन्थ्रेकनोज फ्रूट राट, अनार में फ्रूट स्पाट, फोमोसिस फ्रूट राट, अंगूर में एसपरजीलस, ईस्ट, पाउडरी मिलडिउ, डाउनी मिलडिउ और एन्थ्रेकनोज, केले में एन्थ्रेकनोज फ्रूट राट और सिट्रस में एसपरजीलस फ्रूट राट और केले में सिगार इन्ड राट, एन्थ्रेकनोज, काउट राट और चार वाइरल रोग अर्थात् बन्ची टाप, ब्रैक्ट मोजाइक, स्ट्रीक और मोजाइक के कारण भारी घाटा हुआ।

(ग) से (ङ) जी हां, विभिन्न आई.सी.ए.आर. संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान किए जाते हैं। फसल कटाई पश्चात् होने वाले घाटे को कम करने के उद्देश्य से फसल कटाई के पहले फल वाली फसलों में समेकित कीट प्रबन्धन (आई.पी.एम.) पर अनुसंधान आयोजित किए गये हैं। विभिन्न रोगों के लिए फफूंदनाशी छिड़काव की समय-सारणी का मानकीकरण किया गया है। नागपुर में सिट्रस के मामले में फसल कटाई से पहले और बाद में होने वाले घाटे के मूल्यांकन में एक वृहद् अध्ययन आयोजित किया गया है और सिट्रस फलों में कटाई पश्चात् घाटे को कम करने के लिए सिफारिश/प्रौद्योगिकी का एक पूरा पैकेज तैयार किया गया है। विकसित प्रौद्योगिकियों ने कटाई पश्चात् घाटे को कम करने में मदद की है और फलों के शेल्फ लाइफ की भी मदद की है। महत्वपूर्ण रोगों, उनके अनियमित संघटकों और उनके नियंत्रण उपायों की पहचान करने के लिए शुष्क फलीय फसलों के संबंध में अनुसंधान प्रगति पर है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र ने पाउडरी मिलमिउ, डाउनी मिलमिउ और एन्थ्रेकनोज के लिए रोग पूर्वानुमान माडल विकसित किया है। अंगूरों में रोगों के प्रबंधन के लिए कई नए/सुरक्षित फफूंदी नाशकों का परीक्षण भी किया गया। इसके अलावा, कई पर्यावरण के अनुकूल जैव, जैव नियंत्रण कारकों और वानस्पतिक कारकों की सिफारिश समेकित कीट प्रबन्धन (आई.पी.एम) अनुसूची में की गई है।

कृषि पैदावार हेतु अनुमान

4512. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2004-05 के लिए कृषि पैदावार हेतु कई बार अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक अनुमान का ब्यौरा क्या है और कितनी बार अनुमान लगाए गए हैं;

(ग) प्रत्येक बार किए गए अनुमान के अनुसार कृषि पैदावार की मात्रा कितनी है;

(घ) प्रथम और अंतिम अनुमानों के बीच पैदावार की मात्रा में अन्तर के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अंतिम अनुमान लगाते समय उत्तर भारत में मार्च महीने में ओला वृष्टि और अतिवृष्टि के कारण होने वाले घाटे को ध्यान में रखा गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जैसी कि परम्परा है, प्रतिवर्ष सितम्बर/ अक्तूबर से शुरू करके जून/जुलाई तक तीन माह के अन्तराल में मोटे अनाज, दलहन, तिलहन तथा अन्य वाणिज्यिक फसलों अर्थात् कपास, पटसन, मेस्ता तथा गन्ने सहित अनाज उत्पादन के चार अग्रिम अनुमान जारी किए जाते हैं। वर्ष 2004-05 के लिए उत्पादन से संबंधित तीन अग्रिम अनुमान अब तक जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से नवीनतम तीसरा अग्रिम अनुमान है जिसे 23 मार्च, 2005 को जारी किया गया। तथापि अग्रिम अनुमान के भाग के रूप में उपज संबंधी अनुमान नहीं दिए जाते, क्योंकि ये अनुमान फसल कटाई परीक्षणों से व्युत्पन्न उपज संबंधी पूर्ण आंकड़ों पर आधारित नहीं होते। पहले से लगए गए तीन अग्रिम अनुमानों के अनुसार उत्पादन से संबंधित आंकड़े संलग्न विवरण-1 तथा 2 में दिये गए हैं।

(घ) वर्ष 2004-05 के लिए उत्पादन व उपज से संबंधित अंतिम अनुमान कृषि वर्ष की समाप्ति के छः माह बाद जारी किए जाएंगे। इस प्रकार वर्ष 2004-05 के अंतिम अनुमान दिसम्बर 2005 में देय (ड्यू) होंगे। बहरहाल, उल्लेख किया जाता है कि प्रथम अग्रिम अनुमानों की तुलना अन्य अनुमानों से नहीं की जा सकती, क्योंकि इनके आंकड़े केवल खरीफ फसलों से संबंधित हैं।

(ङ) और (च) संबंधित राज्यों के राज्य कृषि सांख्यिकीय प्राधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले अंतिम अनुमानों में मौसम से संबधित कारकों का प्रभाव प्रदर्शित किया जाएगा।

विवरण I

वर्ष 2004-05 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के अग्रिम अनुमान

(मिलियन टन)

फसल	मौसम	प्रथम अग्रिम अनुमान*	द्वितीय अग्रिम अनुमान**	तृतीय अग्रिम अनुमान***
1	2	3	4	5
चावल	खरीफ	71.1	73.29	72.43
	रबी		14.51	14.69
	कुल		87.80	87.12
गेहूं	खरीफ		73.03	74.05
	रबी	3.58	3.94	3.98
	कुल		3.59	3.68
ज्वार	खरीफ		7.53	7.66
	रबी	5.76	6.46	6.93
	कुल	12.07	11.35	12.27

1	2	3	4	5
बाजरा	खरीफ		2.23	2.60
	रबी		14.58	14.87
	कुल	2.52	2.45	2.54
मक्का	खरीफ	0.57	0.40	0.46
	रबी		1.46	1.80
	कुल	24.50	24.60	26.18
रागी	खरीफ		7.28	8.08
	रबी		31.88	34.26
	कुल	95.60	97.89	98.61
छोटे कदन्न	खरीफ		94.82	96.82
	रबी		192.71	195.43
	कुल	2.32	2.26	2.56
जौ	खरीफ	2.37	2.78	2.91
	रबी		5.78	6.30
	कुल		2.85	3.24
मोटा अनाज	खरीफ	4.69	5.04	5.47
	रबी		8.63	9.54
	कुल		13.67	15.01
तुअर	खरीफ	100.29	102.94	104.08
	रबी		103.45	106.36
	कुल		206.39	210.44
अन्य खरीफ दलहन	खरीफ			
	रबी			
	कुल			
चना	खरीफ			
	रबी			
	कुल			

1	2	3	4	5
अन्य रबी दलहन	खरीफ			
	रबी			
	कुल			
कुल दलहन	खरीफ			
	रबी			
	कुल			
कुल खाद्यान्न	खरीफ			
	रबी			
	कुल			

*दिनांक 18.09.2004 को जारी
**दिनांक 19.01.2005 को जारी
***दिनांक 23.03.2005 को जारी

विवरण II

वर्ष 2004-05 के लिए तिलहन एवं अन्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के अग्रिम अनुमान

(लाख टन)

फसल	मौसम	प्रथम अग्रिम अनुमान*	द्वितीय अग्रिम अनुमान**	तृतीय अग्रिम अनुमान***
1	2	3	4	5
मूंगफली	खरीफ	92.96	49.48	52.10
	रबी		15.28	17.35
	कुल		64.76	69.45
अरण्ड	खरीफ	6.56	7.64	6.21
	रबी	5.01	6.48	5.01
	कुल	0.86	0.69	1.10
तिल	खरीफ		75.89	76.40
	रबी		1.49	1.58
	कुल		1.54	1.62

1	2	3	4	5
रामतिल	खरीफ	3.52	5.80	6.50
	रबी		6.61	7.65
	कुल		12.41	14.15
रेपसीड एवं सरसों	खरीफ	75.56	77.52	75.93
	रबी	154.47	147.61	146.85
	कुल		100.81	104.60
अलसी	खरीफ		248.42	251.45
	रबी	138.51	170.68	160.66
	कुल	98.47	88.76	91.34
कुसुम	खरीफ	9.17	8.34	8.26
	रबी	107.64	97.10	99.60
	कुल	2354.54	2341.53	2346.73
सोयाबीन	खरीफ			
	रबी			
	कुल			
कुल नौ तिलहन	खरीफ			
	रबी			
	कुल			
कपास#	कुल			
पटसन##	कुल			
मेस्ता##	कुल			
पटन एवं मेस्ता##	कुल			
गन्ना	कुल			

#170 किलोग्राम प्रत्येक की लाख गाठें

##180 किलोग्राम प्रत्येक की लाख गाठें

*दिनांक 18.09.2004 को जारी

**दिनांक 19.01.2005 को जारी

***दिनांक 23.03.2005 को जारी

[अनुवाद]

चावल-गेहूं की खेती वाले क्षेत्रों में दलहन की खेती से विविधीकरण

4513. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्टरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रापिक्स (आई सी आर आई एस ए टी) ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ सहयोग से देश में चावल-गेहूं की खेती वाले क्षेत्र में दलहन की खेती से विविधीकरण हेतु कुछ प्रस्ताव किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

4514. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरंभ से ही राज्या की कुछ सिंचाई परियोजनाएं केन्द्र सरकार की स्वीकृति की अभी भी प्रतीक्षा कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं और इन सभी परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) कावेरी बेसिन में कर्नाटक की काबिनी परियोजना को छोड़कर निवेश स्वीकृति प्राप्त करने के वास्ते दूसरी पंचवर्षीय योजना की कोई परियोजना नहीं है। 101 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं और निवेश स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजना अवधियों में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई कुछ टिप्पणियों के अध्यधीन जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा 82 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं स्वीकार कर ली गई हैं। परियोजनाओं की स्वीकृति में विलंब के सामान्य कारण, तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं अन्वेषण, जलवैज्ञानिक अध्ययन, सिंचाई आयोजना, प्राक्कलन एवं आर्थिक विश्लेषण आदि, अंतर्राष्ट्रीय और अन्तर्राज्यीय पहलुओं पर कम ध्यान देना, सतही एवं भूजल का संयुक्त उपयोग, राज्य वित्त की सहमति आदि पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति का अभाव, पुनर्स्थापना और पुनर्वास योजनाओं की स्वीकृतियां आदि हैं। परियोजना की स्वीकृति केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों पर राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले अनुपालन की तत्परता पर निर्भर करेगी।

राष्ट्रीय तट सुरक्षा परियोजना

4515. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री सुरेश कलमाडी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय तट सुरक्षा परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी चरण-वार ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी;

(ग) क्या वित्त पोषण विदेशी एजेन्सियों के माध्यम से होगा; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों तथा तटवर्ती राज्यों सहित वित्त पोषण करने वाली एजेन्सियों के हिस्से का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी नहीं, राष्ट्रीय तट सुरक्षा परियोजना (एन सी पी पी) को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों हेतु गोदाम

4516. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल:
श्री वी.के. दुग्मर:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री मुनव्वर हसन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्यान्नों के भंडारण हेतु गोदामों की संख्या और उनकी राज्य-वार भंडारण क्षमता क्या है;

(ख) क्या इनमें से कई गोदाम जीण-शीर्ण अवस्था में हैं तथा खाद्यान्नों के भंडारण हेतु अनुपयुक्त हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पुराने गोदामों की मरम्मत और नए गोदामों के निर्माण हेतु राज्य-वार कितनी राशि जारी की गई है;

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ङ) कितने राज्यों ने अब तक उपयोग रिपोर्ट प्रस्तुत की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भांडागारण निगमों के पास राज्यवार गोदामों की संख्या तथा भण्डारण क्षमता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदामों का नियमित रूप से रखरखाव किया जा रहा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा गोदामों के वार्षिक रखरखाव और मरम्मत तथा नये गोदामों के निर्माण के लिए जारी की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-2, 3, 4 और 5 में दिये गए हैं।

(घ) लेह, बडगांव, कुपवाड़ा, सेलम, तुमकुर, केलांग, लुंगलेई और लवांगतालोई में चल रहा गोदामों के निर्माण कार्य के मौजूदा वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम को सरकार गोदामों के निर्माण हेतु सीधे निधियां जारी करती है जबकि केन्द्रीय भण्डारण निगम अपनी स्वयं की निधियों से आई.ई.बी.आर. योजनाओं के अधीन नए गोदामों का निर्माण करता है। अत: राज्यों को उपयोग रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करनी पड़ती है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भांडागारण निगमों के पास गोदामों की संख्या और भंडारण क्षमता को राज्यवार दर्शाने वाला विवरण

(1 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भारतीय खाद्य निगम		केन्द्रीय भंडारण निगम		राज्य भांडागारण निगम	
	गोदामों (अपने और किराये के/ढके हुए और कैप) की संख्या	भंडारण क्षमता (लाख टन में)	गोदामों (अपने और किराये के/ढके हुए और कैप) की संख्या	भंडारण क्षमता (लाख टन में)	गोदामों (अपने और किराये के/ढके हुए और कैप) की संख्या	भंडारण क्षमता (लाख टन में)
1	2	3	4	5	6	7
बिहार	41	4.92	13	0.97	46	2.10
झारखंड	15	1.11	3	0.36	–	–
उड़ीसा	67	6.10	11	1.88	60	4.05
पश्चिम बंगाल	43	10.69	40	6.68	33	2.50
सिक्किम	2	0.11	–	–	–	–
असम	33	2.52	6	0.66	43	2.48
अरुणाचल प्रदेश	4	0.18	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
मेघालय	5	0.19	–	–	5	0.11
मिजोरम	5	0.18	–	–	–	–
त्रिपुरा	5	0.31	2	0.24	–	–
मणिपुर	3	0.18	–	–	–	–
नागालैंड	5	0.27	1	0.13	–	–
दिल्ली	10	3.70	11	1.81	–	–
हरियाणा	137	23.02	24	4.36	106	16.27
हिमाचल प्रदेश	16	0.26	3	0.07	–	–
जम्मू और कश्मीर	15	1.03	1	0.21	–	–
पंजाब	498	79.26	30	7.85	118	59.98
चंडीगढ़	14	1.09	1	0.14	–	–
राजस्थान	63	9.31	27	3.61	87	6.91
उत्तर प्रदेश	129	25.71	50	11.40	158	28.71
उत्तरांचल	28	2.00	7	0.76	–	–
आंध्र प्रदेश	133	33.75	50	13.96	143	22.76
केरल	29	5.36	9	1.29	62	1.92
कर्नाटक	56	6.23	32	4.52	113	6.36
तमिलनाडु	32	7.78	26	7.73	65	6.33
पांडिचेरी	3	0.42	1	0.09	–	–
गुजरात	31	5.70	29	6.67	51	1.94
महाराष्ट्र	61	15.65	59	14.93	164	12.12
गोवा	1	0.15	2	0.61	–	–
मध्य प्रदेश	61	5.42	31	6.72	230	11.30
छत्तीसगढ़	54	8.61	10	2.37	102	6.06
सकल जोड़	1599	261.21	479	100.02	1586	191.80

विवरण II

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03 से 2004-05 के दौरान राज्यवार वार्षिक मरम्मत और रखरखाव प्रचालन तथा विशेष मरम्मत के कार्यों पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए खर्च को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्षेत्र	वर्ष		
	2002-03 भारतीय खाद्य निगम	2003-04 भारतीय खाद्य निगम	2004-05 भारतीय खाद्य निगम
जम्मू और कश्मीर	89.38	85.52	92.34
पंजाब	198.10	228.19	229.93
हरियाणा	60.58	84.57	89.26
उत्तर प्रदेश	318.85	320.68	292.00
दिल्ली	92.00	69.60	163.15
राजस्थान	87.32	76.00	61.75
हिमाचल प्रदेश	2.71	0.00	3.89
आंध्र प्रदेश	331.90	335.81	352.86
तमिलनाडु	106.18	111.57	147.30
कर्नाटक	145.09	103.64	82.86
केरल	217.47	150.12	205.32
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	179.42	172.44	369.43
महाराष्ट्र	337.73	377.64	348.36
गुजरात	122.58	139.85	162.31
असम	138.92	264.78	228.30
बिहार और झारखंड	97.35	125.76	183.54
उड़ीसा	118.02	116.30	136.93
उत्तर पूर्व सीमांत शिलांग	70.51	73.06	60.91
पश्चिम बंगाल	284.59	431.40	401.29
जोड़	2998.70	3266.93	3611.73

विवरण III

पिछले तीन वर्षों के दौरान गोदामों की वार्षिक मरम्मत के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा राज्यवार दी गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	वर्ष		
	2002-03	2003-04	2004-05
गुजरात	84.55	15.00	60.55
कर्नाटक और केरल	36.32	8.88	47.80
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	60.36	10.57	20.00
उड़ीसा	4.67	2.59	2.23
पश्चिम बंगाल	38.01	15.32	42.38
तमिलनाडु	21.93	10.97	51.16
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान	193.52	116.82	233.37
आंध्र प्रदेश	132.99	64.53	138.00
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	96.41	13.19	54.01
महाराष्ट्र और गोवा	154.01	74.50	187.71
बिहार	14.54	2.15	15.72
असम	6.54	10.22	11.60
जोड़	843.85	344.74	864.53

विवरण IV

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03 से 2004-05 के दौरान राज्यवार नए गोदामों के निर्माण पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए खर्च को दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	वर्ष		
	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4
पंजाब	36.72	180.95	27.82
राजस्थान	182.75	5.31	12.07

1	2	3	4
हरियाणा	49.54	99.43	55.45
उत्तर प्रदेश	77.54	172.67	53.05
जम्मू और कश्मीर	222.66	99.67	428.25
हिमाचल प्रदेश	34.96	–	–
आंध्र प्रदेश	493.12	147.97	289.69
तमिलनाडु	80.71	32.98	12.94
कर्नाटक	160.27	205.55	184.43
उड़ीसा	58.37	137.05	30.30
महाराष्ट्र	27.10	62.77	52.87
गुजरात	9.00	124.23	5.86
छत्तीसगढ़	20.60	39.43	45.72
सिक्किम	44.89	3.66	–
मणिपुर	25.04	–	78.43
त्रिपुरा	28.94	20.58	102.12
नागालैंड	22.07	14.83	29.92
असम	–	–	28.14
मिजोरम	–	–	173.43
सकल जोड़	1574.28	1347.08	1610.49

विवरण V

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03 से 2004-05 के दौरान राज्यवार नए गोदामों के निर्माण पर केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा किए गए खर्च को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4
गुजरात	703.86	1512.27	524.83
कर्नाटक और केरल	833.82	309.64	208.14
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	247.88	225.75	107.85

1	2	3	4
उड़ीसा	495.21	128.92	0.44
पश्चिम बंगाल	507.08	660.03	496.62
तमिलनाडु	246.04	154.36	109.85
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान	1760.66	837.91	842.98
आंध्र प्रदेश	1335.00	300.13	108.79
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	848.85	446.44	266.56
महाराष्ट्र और गोवा	1179.28	1269.04	1778.73
बिहार	0.00	42.43	71.75
असम	203.77	132.25	0.00
जोड़	8361.45	6019.17	4516.54

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संख्या

4517. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने अंशदाताओं को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संख्या देने की अपनी योजना को छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संख्या शुरू करने के लिए कुल कितनी राशि खर्च की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संख्या जारी करने संबंधी मामले में अब तक 6.7 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

[हिन्दी]

जल संचयन योजना

4518. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कोई जल संचयन योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कितनी राशि आबंटित और खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना के कब तक शुरू होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों में कार्यान्वयन के लिए 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से "भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन" नामक एक स्कीम का प्रस्ताव किया है। राज्यवार ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अधिसूचना जारी करने में विलंब

4519. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री अवतार सिंह भड़ाना:
श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिसूचना जारी करने में विफल रहने के कारण इस संबंध में निर्णय लिए जाने के बावजूद कर्मचारी भविष्य निधि के संदर्भ में 9.5 प्रतिशत ब्याज दर अब तक लागू नहीं हो पाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और अधिसूचना कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अधिसूचना जारी करने में हुए विलंब के कारण हो रहे वित्तीय नुकसान का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) सरकार द्वारा वर्ष 2004-2005 के लिए ब्याज की दर की घोषणा अभी की जानी है।

(ग) और (घ) ब्याज दर की घोषणा में विलंब होने के कारण कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों को कोई सीधा वित्तीय नुकसान नहीं हो रहा है।

कृषि पैदावार के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर संबंधी कृषि अनुसंधान

4520. श्री वी.के. ठुम्मर:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में कृषि पैदावार के स्तर को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष लाने संबंधी कोई अनुसंधान किया गया है अथवा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) कृषि की पैदावार अक्षांशों के आधार पर उनकी बोने की अवधि, संबंधित जलवायु मानदण्डों, किस्मों के आनुवंशिक आधार, सस्य-वैज्ञानिक प्रबंधन इत्यादि पर निर्भर करती है। देश में कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने (1) आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्मों सहित खेत, फसलों और बागवानी फसलों की संकर और सुधरी फसलों (2) स्थलपरक समेकित पोषण प्रबन्ध, (3) समेकित जल प्रबन्ध, (4) समेकित नाशी जीव प्रबन्ध, (5) संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों, (6) खेती प्रणाली माडलों, और (7) पशु, मछली तथा श्रिम्प प्रजनन और प्रबन्ध के विकास के लिए अनुसंधान कार्य किए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यटन पर मंत्रियों का सेमिनार

4521. श्री अर्जुन सेठी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में पर्यटन पर केन्द्र तथा राज्य पर्यटन मंत्रियों का कोई सेमिनार हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हाल ही में एक अखिल भारतीय राज्य पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान पारित संकल्प की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 4 और 5 मार्च, 2005 को आयोजित 'अखिल भारतीय राज्य पर्यटन मंत्रियों' के सम्मेलन का संकल्प

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती रेनुका चौधरी की अध्यक्षता में 4 और 5 मार्च, 2005 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय राज्य पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से निम्नलिखित संकल्प पारित किए गए:—

1. पर्यटन, आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन का एक प्रमुख संचालक है। राज्य बढ़े हुए वित्तीय परिव्यय के साथ राज्य की योजना प्रक्रिया में इसे प्राथमिकता क्षेत्र बनाने की दिशा में कार्य करेंगे।

2. राज्य गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति के विकास के लिए प्रयत्न करेंगे तथा राज्य सरकारों के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति विकास के लिए "अतिथि देवो भव" अभियान को आगे ले जाया जाएगा।

3. राज्य, पर्यटन स्थलों पर विश्व स्तरीय अवसंरचना के विकास के लिए प्रयास करेंगे, जिसमें शहरी अवसंरचना का सुधार तथा प्रमुख पर्यटक गंतव्यों से बेहतर सम्पर्क सुनिश्चित करना शामिल है।

4. राज्य, महानगरों तथा पर्यटन स्थलों में पर्याप्त होटल कमरों के विकास को सुगम बनाने के लिए, भूमि उपयोग के लिए अपनी भू-नीति की री-जोनिंग तथा पुनर्परिभाषित करके अपनी भू-नीति को सरल व कारगर बनाने की दिशा में कार्य करेंगे।

5. प्रत्येक राज्य, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित और सुसज्जित एक या अधिक हवाई अड्डों को रखने का प्रयास करेंगे, जहां अनुसूचित विदेशी एयरलाइनों को उतरने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

6. राज्यों ने करों की संगतता तथा एकरूपता की दिशा में कार्य करने की सहमति प्रकट की, ताकि उनके गंतव्यों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके। इस पर सब सहमत थे कि इससे पर्यटक आगमन में वृद्धि होगी तथा उच्चतर राजस्व सृजित होगा। प्रत्येक जोन में एकरूप कराधान शासन प्रणाली के मॉडल की राज्यों द्वारा भी जांच की जाएगी।

7. राज्य घरेलू पर्यटन को बढ़ाने के लिए घरेलू वायु किरायों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर राज्य बिक्री कर में कटौती करने/हटाने की दिशा में कार्य करेंगे। एटीएफ को ''डिक्लेयर्ड गुड'' के रूप में घोषित करने को भी कार्यान्वयन हेतु लिया जाएगा, जिस पर 4 प्रतिशत का एकरूप सीएसटी लगता है। संबंधित गंतव्यों के लिए एक मूल किराए और एटीएफ पर एक अलग सरचार्ज के प्रस्ताव की नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जांच की जाएगी।

8. राज्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से पर्यटक अवसंरचना के प्रचालन और रख-रखाव का मामला उठाएंगे।

9. राज्यों ने सभी पर्यटक स्थलों को ''प्लास्टिक फ्री'' बनाने और महत्वपूर्ण स्मारकों में और उसके आस-पास के क्षेत्र को ''फ्री फ्रॉम व्हीकुलर ट्रैफिक'' के रूप में विकसित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने और पर्यावरण की निरंतरता को उचित महत्व देने का संकल्प लिया। पर्यटक गंतव्यों के बेहतर रख-रखाव तथा इन स्थलों में सूवनियर दुकानों एवं सार्वजनिक सुविधाओं की स्थापना के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।

10. राज्यों को मान्यताप्राप्त पर्यटक परिवहन प्रचालकों के पर्यटक वाहनों के लिए एक अलग और सुस्पष्ट ''टीवी'' सीरीज देनी होगी।

धान, तिलहन, कपास और दलहन का प्रति हेक्टेयर उत्पादन

4522. श्री भर्तृहरि महताब: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में धान, तिलहन, कपास और दलहन का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है;

(ख) क्या राज्य में कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में उन्नत बीज विकसित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) चूंकि कृषि वर्ष 2004-05 (जुलाई-जून) अभी तक समाप्त नहीं हुआ है इसलिए इस वर्ष के क्षेत्र, उत्पादन और उपज से संबंधित कोई पुख्ता प्राक्कलन मौजूद नहीं है। तथापि, उड़ीसा के धान, तिलहन, कपास और दलहन के संबंध में वर्ष 2003-04 के उत्पादकता आंकड़े और वर्ष 1998-99 से वर्ष 2002-03 तक की पांच वर्ष की औसत उत्पादकता के आंकड़े नीचे तालिका में दर्शाये गये हैं:—

(टन/हे. में उत्पादन)

फसल	उत्पादकता	
	औसत (वर्ष 1998-99 से वर्ष 2002-03)	2003-04
धान	1.73	2.27
कुल तिलहन	0.43	0.52
कपास	0.24	0.41
कुल दलहन	0.37	0.38

(ख) और (ग) जी हां, उड़ीसा के लिए विकसित बीजों की उन्नत किस्मों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

फसल		उन्नत किस्में
धान		
		स्नेहा, अन्नादा, नीला, कान्दागिरी, तुलसी, वंदन, धमतेस्वरी, अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी, सीमा, सालीवहाना, समेली, उत्कलप्रभा, सीआर 1002, सीआर 1014, समाल्था, मानिका, उर्वसी, मनीला, लूनीश्री, सीएसआर 10, नरेन्द्र धान 97, नरेन्द्र धान 359, महामाया, जवाहर राईस, पूजा।
तिलहन		
	तिल	प्राची (ओआरएम-17)
	रामतिल	जेएनसी-6, पूजा, एनआरएस-96-1
	सूरजमुखी	एमएलएसएफएच-47 (एच), एमएलएसएफएच-82 (एएच-11-21), पीआरओ-009 (प्रोसून0-)
	अलसी	एलएमएच-009 (पदमनी)
	मूंगफली	डीएच-86
	तोरिया एवं सरसो	जेबी-6
	सोयाबीन	एमएयूएस-71, आरएयूएस-5 (प्रताप सोया)
कपास		सविता, बन्नी
दलहन		
	चना	विहार (फूले जी 95311)
	मूंगबीन	कामदेवा (ओयूएन-11-5)
	मटर	एचयूडीपी 15 (मालवीया मटर 15), डीडीआर 23

मूंगफली का उत्पादन

4523. डा. के. धनराजू: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में मूंगफली हेतु वर्तमान अनुसंधान फार्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में मूंगफली बीज अनुसंधान फार्म बन्द कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त जिले में तिलहन अनुसंधान फार्म विशेषत: मूंगफली हेतु स्थापित करने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त फार्म को पुन: खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित अखिल भारतीय समन्वित

अनुसंधान परियोजना—मूंगफली के अन्तर्गत तीन नियमित केन्द्रों नामत: वृद्धाचलम (जिला कुड्डालोर), अलियारनगर (जिला पोल्लाची) तथा भवानीसागर (जिला शक्ति) तथा कोयम्बटूर स्थित एक स्वैच्छिक केन्द्र जो तमिलनाडु राज्य में मूंगफली सुधार, प्रबन्ध और सुरक्षा पहलुओं पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में टिंडीवनम में तिलहन प्रशिक्षण केन्द्र है जो कि तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर के अन्तर्गत अभी भी कार्यशील है और इसमें मूंगफली सहित अन्य महत्वपूर्ण बारानी तिलहन फसलों जैसे अलसी, तिल पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ए आई सी आर पी-मूंगफली कार्यक्रम के किस्म मूल्यांकन सहित प्रौद्योगिकियों को वैधता देने में टिंडीवनम को परीक्षण केन्द्र के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-मूंगफली के अन्तर्गत क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, वृद्धाचलम में मूंगफली अनुसंधान पर बहुविषयी कार्य किया जा रहा है जिसकी कृषि पारिस्थितिकीय अवस्थाएं टिंडीवनम के जैसी हैं।

(घ) से (च) चूंकि, तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के टिंडीवनम में तिलहन प्रशिक्षण केन्द्र अभी भी कार्यशील हैं अत: उसे दोबारा खोलने अथवा नया अनुसंधान फार्म स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में ओलावृष्टि के कारण नुकसान

4524. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:**
मोहम्मद शाहिद:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मुन्शी राम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान सहित देश के पश्चिमी भाग में भारी वर्षा और ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस आपदा के कारण प्रभावित हुई फसलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन राज्यों के लिए मुआवजा पैकेज का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त पैकेज को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) गृह मंत्रालय ओलावृष्टि सहित सभी प्राकृतिक आपदाओं (सूखे को छोड़कर) के प्रबन्धन से संबंधित मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है और आवश्यक सूचना उस मंत्रालय से एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

ई.एस.आई. चिकित्सा सेवाओं का विस्तार

4525. **श्री के. सुब्बारायण:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को ईएसआई चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) कर्मचारी बीमा अधिनियम के अंतर्गत बीमा योग्य नियोजन में काम करने वाले कामगार अपने परिवार के आश्रितों सहित चिकित्सा हितलाभों को प्राप्त करने के हकदार हैं। अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर बीमा योग्य नियोजन को छोड़ने वाले कामगार अपने पति या पत्नी के साथ चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने के भी हकदार हैं।

[हिन्दी]

जंगलों में आग

4626. **श्री बीर सिंह महतो:**
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:
डा. विट्टल राव:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार जंगलों में आग लगने की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबध में सरकार द्वारा राज्यवार कितने नुकसान का अनुमान लगाया गया है;

(घ) क्या सरकार देश में जंगलों में आग लगने की घटनाओं को कम करने के लिए विदेशी फर्मों से कोई सहायता ले रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) जंगलों को आग से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दावानल का राज्यवार आंकड़े सलंग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) लगभग सभी दावानल मानव-कृत्य हैं (गैर-इरादतन और इरादतन) वनों में इरादतन आग विभिन्न कारणों से लगाई जाती है जैसे लघु वन उत्पाद के एकत्रम, ताजा रसीली घास प्राप्त करने अथवा स्थानीय देवता को शान्त करने के लिए आदि।

(ग) राज्यवार मौद्रिक नुकसान का ब्यौरा भी संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, इन नुकसानों में अप्रत्यक्ष नुकसान जैसे जैव-विविधता का नुकसान, मृदा उर्वरकता का नुकसान, पुनरुद्भव का नुकसान, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव आदि शामिल नहीं है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) दावानल के निवारण एवं नियंत्रण के लिए एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को 2004-05 तक केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है। अग्नि लाइनों के सृजन एवं रखरखाव, फायर वाचरों, वाच टावर्स के निर्माण, वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं, स्थल वाहनों, ग्राम वन समितियों को सहायता, प्रशिक्षण, जागरूकता एवं प्रचार के लिए निधियां प्रदान की गई थीं।

विवरण

जंगल की आग की घटनाएं (राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष 2001-2002		वर्ष 2002-2003		वर्ष 2003-2004	
	घटनाओं की संख्या	नुकसान (लाख रु. में)	घटनाओं की संख्या	नुकसान (लाख रु. में)	घटनाओं की संख्या	नुकसान (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
अन्य राज्य						
आंध्र प्रदेश	185	0.28	154	*	274	2.02
अरुणाचल प्रदेश	3	17.23	शून्य	शून्य	1	12.29
बिहार	*	*	134	*	80	*
छत्तीसगढ़	113	–	223	2.09	365	0.10
गुजरात	559	17.87	695	8.31	885	13.68
गोवा	*	*	2	*	*	*
हरियाणा	52	*	36	*	25	*
हिमाचल प्रदेश	282	40.26	550	74.30	769	86.41
जम्मू और कश्मीर	175	*	413	*	23	*
झारखंड	*	*	*	*	*	*
कर्नाटक	104	शून्य	51	0.26	40	0.25

1	2	3	4	5	6	7
केरल	580	3.31	258	0.63	1019	4.06
मध्य प्रदेश	451	0.01	481	0.47	*	*
महाराष्ट्र	2023	23.00	1723	15.00	1969	11.00
उड़ीसा	29	4.58	15	2.85	157	0.25
पंजाब	133	24.34	455	27.71	254	17.08
राजस्थान	36	*	11	0.15	15	0.04
तमिलनाडु	231	*	339	*	2	*
उत्तर प्रदेश	226	2.70	75	1.17	84	1.19
उत्तरांचल	367	1.17	498	5.19	1025	10.12
पश्चिम बंगाल	55	3.04	82	*	202	*
पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम						
असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मणिपुर	*	*	*	*	*	*
मेघालय	*	*	*	*	*	*
मिजोरम	7	1.65	13	0.10	13	1.27
नागालैंड	*	*	*	*	*	*
सिक्किम	9	*	14	*	18	*
त्रिपुरा	201	0.10	*	*	*	*
संघ शासित प्रदेश						
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	*	*	शून्य	शून्य	4	9.90
चंडीगढ़	*	*	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दादरा व नगर हवेली	11	*	25	*	8	*
दमन व दीव	*	*	*	*	*	*
लक्षद्वीप	*	*	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एन सी टी दिल्ली	*	*	*	*	*	*
पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

*उपलब्ध नहीं।

[अनुवाद]

कृषि अनुसंधान संस्थान

4527. **श्री लोनाप्पन नम्बाडन:**
श्री पी.सी. थामस:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार कार्यों के परस्पर व्यापन तथा द्विरावृत्ति को न्यूनतम करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत संस्थानों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को पुन: परिभाषित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है और उक्त उपायों के संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के कृषि अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कार्यक्षेत्र में आते हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, निजी कृषि अनुसंधान संस्थाएं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यक्षेत्र में नहीं आती।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों को पुन: परिभाषित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जीरो आधारित बजटिंग के तहत पुनरावृत्ति को न्यूनतम करने के लिए हर प्रयत्न किए गये हैं। तदनुसार योजना आयोग के निदेश पर सभी भा.कृ.अ.प. के संस्थानों को 71 प्रमुख योजना स्कीमों में समाकलित किया गया है जिसे उपरोक्त विवरण में संलग्न किया गया है।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की योजना स्कीमों की सूची

1. फसल विज्ञान

1. **राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली**
   1. अ.भा.स.अ.प.–अल्पदोहित फसलें
   2. एन आर सी–डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग, नई दिल्ली

2. **भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली**
   1. अ.भा.स.अ.प.–कीटनाशी अवशिष्ट
   2. अ.भा.स.अ.प.–नेमाटोड
   3. एन आर सी–पादप जैव प्रौद्योगिकी
   4. मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली
   5. अ.भा.स.अ.प.–मक्का
   6. राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंध
   7. अ.भा.स.अ.प.–पुष्प कृषि

   कीट जैव प्रणालीबद्ध नेटवर्क कार्यक्रम; भा.कृ.अ.सं. का हिस्सा

   पराजीनी पर नेटवर्क परियोजना–एन आर सी पादप जैव प्रौद्योगिकी का हिस्सा

3. **केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक**
   1. चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद
   2. अ.भा.स.अ.प.–चावल, हैदराबाद

4. **विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा**

5. **भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर**
   1. अ.भा.स.अ.प.–चना
   2. अ.भा.स.अ.प.–मुलार्प
   3. अ.भा.स.अ.प.–अरहर
   4. अ.भा.स.अ.प.–शुष्क फलियां

6. **गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल**
   1. अ.भा.स.अ.प.–गेहूं एवं जौ सुधार परियोजना, करनाल

7. **राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद**
   1. अ.भा.स.अ.प.–ज्वार, हैदराबाद
   2. अ.भा.स.अ.प.–बाजरा, जोधपुर
   3. अ.भा.स.अ.प.–गौण अनाज, बंगलौर

8. **भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी**
   1. अ.भा.स.अ.प.–चारा फसलें

2. अ.भा.स.अ.प.–कृषि वानिकी

3. एन आर सी–कृषि वानिकी

9. **केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री**

1. नेटवर्क परियोजना–तम्बाकू

10. **भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ**

भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

1. गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर

2. अ.भा.स.अ.प.–गन्ना, लखनऊ

11. **केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर**

1. अ.भा.स.अ.प.–कपास, कोयम्बटूर

2. केन्द्रीय जूट एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर

3. अ.भा.स.अ.प.–जूट एवं संबद्ध रेशा

4. प्रौद्योगिकी मिशन–कपास (टी एम सी)

प्रौद्योगिकी मिशन–जूट (टी एम जे)

12. **तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद**

1. एन आर सी–मूंगफली, जूनागढ़

2. अ.भा.स.अ.प.–मूंगफली, जूनागढ़

3. एन आर सी–सोयाबीन, इंदौर

4. अ.भा.स.अ.प.–सोयाबीन, इंदौर

5. एन आर सी–तोरिया एवं सरसों, भरतपुर

6. अ.भा.स.अ.प.–तोरिया एवं सरसों, भरतपुर

7. अ.भा.स.अ.प.–सूरजमुखी, कुसुम, अरण्डी, हैदराबाद

8. अ.भा.स.अ.प.–अलसी, कानपुर

9. अ.भा.स.अ.प.–तिल एवं रामतिल, जबलपुर

13. **जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय, बंगलौर**

1. अ.भा.स.अ.प.–जैविक नियंत्रण, बंगलौर

2. अ.भा.स.अ.प.–मधुमक्खी पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, हिसार

3. सफेद सूंडी एवं अन्य मृदा आर्थोपोड्स पर नेटवर्क, जयपुर

4. नेटवर्क कृषि एकोलोजी, बंगलौर

5. नेटवर्क आर्थिकी आर्निथोलोजी, हैदराबाद

14. **बीज अनुसंधान निदेशालय, माउ**

1. अ.भा.स.अ.प.–एन एस पी फसल का घटक

15. **राष्ट्रीय कृषि महत्व के माइक्रोआर्गेनिज्म से संबंधित ब्यूरो, (एन बी ए आई एम) नई दिल्ली**

2. **बागवानी**

16. **भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर**

1. अ.भा.स.अ.प.–उष्णकटिबंधीय फल, लखनऊ

2. केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

3. अ.भा.स.अ.प.–उपोष्ण फल, बंगलौर

4. एन आर सी–लीची, मुजफ्फरपुर

5. एन आर सी–नीबूवर्गीय फल, नागपुर

6. एन आर सी–अंगूर, पुणे

7. एन आर सी–केला, त्रिच्चि

17. **केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर**

18. **केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर**

1. अ.भा.स.अ.प.–शुष्क फल

19. **भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी**

1. एन आर सी–खुम्बी, सोलन

2. अ.भा.स.अ.प.–खुम्बी, सोलन

3. अ.भा.स.अ.प.–सब्जी, वाराणसी

4. राष्ट्रीय सब्जी बीज परियोजना, वाराणसी

5. एन आर सी–प्याज एवं लहसुन, पुणे

20. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला

1. अ.भा.स.अ.प.–आलू
2. केन्द्रीय कन्दीय फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम
3. अ.भा.स.अ.प.–कन्दीय फसलें

21. केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड़

1. अ.भा.स.अ.प.–ताड़
2. एन आर सी–काजू, पुत्तुर
3. अ.भा.स.अ.प.–काजू
4. एन आर सी–तेलताड़, पेडावेगी, आन्ध्र प्रदेश

22. केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्टब्लेयर

23. भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट

1. अ.भा.स.अ.प.–मसाले, कालीकट
2. एन आर सी–बीज प्रजाति, अजमेर

24. एन आर सी–औषधीय एवं सगंधीय पादप, आनन्द

1. नेटवर्क-औषधीय एवं सगंधीय पादप
2. नेटवर्क--पान

3. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

25. राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर

26. केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून

27. भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल

1. अ.भा.स.अ.प.–मृदा एवं पादपों में माइक्रो सेकेण्डरी एवं प्रदूषक तत्व
2. नेटवर्क–जैव उर्वरक
3. अ.भा.स.अ.प.–फसल अनुक्रिया के साथ मृदा परीक्षण
4. अ.भा.स.अ.प.–दीर्घावधि उर्वरक परीक्षण

28. केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल

1. अ.भा.स.अ.प.–लवण प्रभावित मृदा और लवणीय जल का कृषि में उपयोग

29. पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, पटना

1. एन आर सी–मखाना, दरभंगा

30. पूर्वी क्षेत्र के लिए जल प्रौद्योगिकी केन्द्र, भुवनेश्वर

1. अ.भा.स.अ.प.–जल प्रबंध अनुसंधान, भुवनेश्वर
2. अ.भा.स.अ.प.–भूजल उपयोग, भुवनेश्वर

31. केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

1. अ.भा.स.अ.प.–बारानी कृषि हैदराबाद
2. अ.भा.स.अ.प.–कृषि मौसम विज्ञान, हैदराबाद
3. नेटवर्क–भारतीय कृषि पर मौसम परिवर्तन का प्रभाव, अंगीककण और महत्व

32. केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

1. नेटवर्क परियोजना–रोडेन्ट नियंत्रण

33. फसलीय प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय, मोदीपुरम

1. अ.भा.स.अ.प.–फसलीय प्रणाली अनुसंधान

   नेटवर्क–जैविक कृषि

34. एन आर सी–खरपतवार विज्ञान, जबलपुर

1. अ.भा.स.अ.प.–खरपतवार नियंत्रण, जबलपुर

35. भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, गोवा

36. उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के लिए अ.भा.स.अ.प. अनुसंधान परिसर, बारापानी

1. एन आर सी–याक
2. एन आर सी–मिथुन मेदजीफेमा, नागालैण्ड
3. एन आर सी–आर्किड, पैकयोंग, सिक्किम

4. **कृषि अभियांत्रिकी**

37. **केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल**

1. आर एन ए ई एम, भोपाल पर नेटवर्क योजना, भोपाल
2. एफ आई एम पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, भोपाल
3. कृषि में मानव अभियांत्रिकी एवं सुरक्षा पर अ.भा.स.अनु. परियोजना, (एच ई एस ए) भोपाल
4. कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों के लिए ऊर्जा के पुनर्नवीकरण संसाधनों पर अ.भा.स.अनु. परियोजना
5. पशु ऊर्जा के उपयोग पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (यू ए ई), भोपाल

38. **केन्द्रीय फसल कटाई के उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना**

1. फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी पर अ.भा.स.अनु. परियोजना
2. कृषि में प्लास्टिक के उपयोग पर अ.भा.स.अनु. परियोजना
3. गुड़ एवं खांडसारी के संसाधन पर रख-रखाव एवं भंडारण पर अ.भा.स.अनु. परियोजना

39. **भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची**

40. **केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मुंबई**

41. **राष्ट्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, कलकत्ता**

5. **पशु विज्ञान**

42. **राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, करनाल**

1. पशु आनुवंशिकी संसाधन पर नेटवर्क, करनाल

43. **राष्ट्रीय पशु जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र सहित राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल**

1. औद्योगिक कार्यों के लिए देशी दुग्ध उत्पाद की उन्नयन प्रक्रिया के लिए आर एंड डी सहायता पर नई योजना
2. डेयरी उद्योग पर आधारित समेकित ग्रामीण विकास की पायलट परियोजना

44. **केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र, अविकानगर, राजस्थान**

1. भेड़ सुधार पर नेटवर्क कार्यक्रम

45. **केन्द्रीय बकरी अनुसंधान केन्द्र, मखदूम**

1. बकरी सुधार पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना

46. **केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार**

1. भैंस सुधार पर नेटवर्क परियोजना

47. **राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान**

1. पशु उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद्य संसाधन एवं पोषण उपयोग के सुधार पर अ.भा.स.अनु. परियोजना

48. **राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर**

49. **राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार**

राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार (इसमें पशु चिकित्सा टाइप कल्चर भी शामिल है)

50. **पशु परियोजना निदेशालय**

1. पशु अनुसंधान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना

51. **खुरपका एवं मुंहपका रोग पर परियोजना निदेशालय**

52. **केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर**

1. मुर्गी पालन परियोजना निदेशालय, हैदराबाद
2. मुर्गी पालन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना निदेशालय

53. **भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर**

1. गैट्रो इंटेस्टाइनल पैरोसिटिज्म (जी आई पी) पर नेटवर्क
2. हैमेंजिक सेप्टसेमिया पर नेटवर्क

3. नीली जीभ रोग पर नेटवर्क कार्यक्रम

4. पशु रोग मानीटरिंग और सर्वेक्षण पर परियोजना निदेशालय

उच्च सुरक्षा पशु रोग

54. राष्ट्रीय मांस एवं मांस उत्पाद प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद

55. राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केन्द्र

1. सूअर पर अखिल भारतीय समन्वित अुसंधान परियोजना

6. मात्स्यिकी

56. केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन

केन्द्रीय खारा जल जन्तु पालन संस्थान, चेन्नई

57. केन्द्रीय अन्तर्स्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर

1. राष्ट्रीय शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र, नैनीताल

58. केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचीन

59. केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुंबई

60. केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान, भुवनेश्वर

61. राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ

7. कृषि सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र

62. भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

1. राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

8. कृषि विस्तार

63. कृषि विज्ञान केन्द्र (नए एवं पुराने)

64. कृषि में महिलाओं पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर

65. कृषि सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय (दीपा)

9. कृषि शिक्षा

66. कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण

गृह विज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना

राज्य कृषि विश्वविद्यालय का विकास एवं सुदृढ़ीकरण

मानद विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा का विकास एवं सुदृढ़ीकरण

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा का विकास एवं सुदृढ़ीकरण

ग्रामीण जागरूकता कार्यानुभव (आर ए डब्ल्यू ई)

सर्वश्रेष्ठ अध्यापक पुरस्कार

प्रत्यायन बोर्ड

विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य-पुस्तकें तैयार करना

इमेरिट्स विज्ञान योजना

एडवांस अध्ययन केन्द्र

जम्मू विश्वविद्यालय की स्थापना

उत्कृष्टता केन्द्र

67. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंध अकादमी (नार्म), हैदराबाद

68. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल

10. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय

69. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण

कार्यालय स्थान और सुविधाओं का आधुनिकीकरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुस्तकालय

प्रचार एवं जनसम्पर्क

बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आई पी आर)

कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड

एन ए एस सी पर सुविधाओं सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय

11. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

70. राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (विश्व बैंक)

71. इण्डो-फ्रेंच प्रस्ताव पर सीबास प्रजनन और पालन, चेन्नई

राष्ट्रीय रणनीति अनुसंधान बोर्ड (कार्यान्वित किया जाना बाकी है।

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की सूची

1.	आचार्य एन. जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
2.	आनन्द कृषि विश्वविद्यालय, आनन्द	गुजरात
3.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	असम
4.	बिधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, नादिया	पश्चिम बंगाल
5.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची	झारखण्ड
6.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	मणिपुर
7.	चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	हिमाचल प्रदेश
8.	चन्द्र शेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	उत्तर प्रदेश
9.	चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	हरियाणा
10.	डा. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली, रत्नागिरी	महाराष्ट्र
11.	डा. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, कृषिनगर	महाराष्ट्र
12.	डा. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन, नौनी	हिमाचल प्रदेश
13.	गोविंद बल्लभ पंत कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	उत्तरांचल
14.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	छत्तीसगढ़
15.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	मध्य प्रदेश
16.	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़	गुजरात
17.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लानिकारा, त्रिचुर	केरल
18.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	राजस्थान
19.	महाराष्ट्र पशु विज्ञान एवं मात्स्यिकी विश्वविद्यालय, नागपुर	महाराष्ट्र
20.	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहूरी	महाराष्ट्र
21.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभनी	महाराष्ट्र
22.	नरेन्द्रदेव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद	उत्तर प्रदेश
23.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी	गुजरात
24.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	उड़ीसा
25.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	पंजाब

26.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	राजस्थान
27.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	बिहार
28.	सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम	मेरठ
29.	सरदार कुषी नगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कुषीनगर, बनासकंठा	गुजरात
30.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर
31.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर
32.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	तमिलनाडु
33.	तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई	तमिलनाडु
34.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	कर्नाटक
35.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	कर्नाटक
36.	उ.प्र. पं. दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा	उत्तर प्रदेश
37.	उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, जिला-कूच बिहार	पश्चिम बंगाल
38.	पश्चिम बंगाल पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल

बेरोजगारी की स्थिति

4528. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति से संबंधित सूचना संग्रहित करने के लिए किसी सरकारी एजेंसी द्वारा कोई नया अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में बेरोजगारी की वृद्धि की निगरानी करने की कोई प्रणाली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी के विस्तृत अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण वर्ष 1999-2000 के दौरान किया गया। अगला सर्वेक्षण वर्ष 2004-05 के दौरान किया जा रहा है।

(ग) और (घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय देश के विभिन्न भागों में स्थापित रोजगार कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति का प्रबोधन करता है। योजना आयोग, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं की तैयारी के एक अंग के रूप में यह कार्य करता है।

यूरिया का बिक्री मूल्य

4529. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरिया और उर्वरकों का वर्तमान बिक्री मूल्य इनकी उत्पादन लागत से कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त उर्वरकों को उर्वरक संयंत्रों में एनजी इनपुट्स से कम मूल्य पर आयात किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इन उर्वरकों की उत्पादन लागत कम करने के लिए सरकार द्वारा किन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी हां, उर्वरकों की उत्पादन लागत यूरिया और नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरक के बिक्री मूल्य की तुलना में अधिक होती है।

(ख) और (ग) यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है जिसका आयात सारणीबद्ध और राज्य व्यापार उद्यमों के माध्यम से किया जाता है। अन्य सभी उर्वरकों का आयात स्वतन्त्र रूप से किया जा सकता है। उर्वरकों का आयात प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर किया जाता है।

[हिन्दी]

गन्ना उद्योग में किसानों की भागीदारी

4530. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को गन्ना आधारित उद्योगों में साझेदारों के रूप में सम्मिलित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) सरकार इस बात को मानती है कि किसान, चीनी उद्योग और सिविल सोसायटी, सभी अपने साझा लाभ के लिए देश में गन्ना आधारित उद्योग में भागीदार हैं।

[अनुवाद]

नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी मुद्दे पर बैठक

4531. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में सहमति बनाने हेतु राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मुद्दे पर संबंधित राज्यों की आशंकाओं को समझने और उनका निवारण करने के लिए उनके साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) नदियों को आपस में जोड़ने के सम्बन्ध में सहमति बनाने हेतु राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) सचिव (जल संसाधन) ने दो मुख्य प्राथमिकता संपर्कों अर्थात् केन-बेतवा एवं पारबती-कालीसिंध-चम्बल के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ 11.1.2005 को बैठक की। बैठक के बाद केन-बेतवा संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च, 2005 में अपनी सशर्त सहमति दे दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस सम्पर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपनी सहमति पहले ही दे दी है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने पारबती-कालीसिंध-चम्बल संपर्क के संबध में इस सम्पर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपनी सहमति पहले ही दे दी है, फिर भी राजस्थान सरकार ने अपने निर्णय से अवगत नहीं कराया है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा उत्पादों की बिक्री

4532 श्री राजेन गोहेन: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) की प्रत्येक सहायक कंपनी द्वारा कितने प्रकार के स्क्रैप और मुख्य उत्पाद बेचे गए?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): पिछले तीन वर्षों के दौरान सेल की सहायक कंपनियों अर्थात् इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को), बर्नपुर तथा महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड (एम ई एल) द्वारा बेचे गए उत्कृष्ट और स्क्रैप उत्पादों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(क) इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को):

(मात्रा: हजार टन)

उत्पाद	2002-03	2003-04	2004-05
उत्कृष्ट उत्पाद			
विक्रेय इस्पात*	260.73	229.41	270.50
कच्चा लोहा	228.81	185.66	115.50
स्क्रैप**	0.90	0.54	0.48

*स्टील स्ट्रक्चरल और विशेष सेक्शनों की रेंज।

**टुटी इंगट माल्ड बोटम प्लेट, मैल्टिंग स्क्रैप, सी आई स्कल आदि।

(ख) महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड (एमईएल):

(मात्रा: हजार टन)

उत्पाद	2002-03	2003-04	2004-05
उत्कृष्ट उत्पाद			
उच्च कार्बन फैरो मैंगनीज	58.26	23.29	62.12
सिलिका मैंगनीज	35.47	34.72	25.66
मध्यम कार्बन फैरो मैंगनीज	1.88	1.45	1.83
स्क्रैप	0.01	0.31	0.27

वर्तमान वर्ष अर्थात 2005-06 अभी शुरू ही हुआ है।

कृषि खाद्य उत्पादों का निर्यात

4533. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि-खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की पहचान प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल वृद्धि एवं रोजगार सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात बाजार में कृषि-आधारित उद्योगों की बढ़ती मांग का भी आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि-आधारित उत्पादों के निर्यात हेतु मार्ग प्रशस्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) जी हां।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के लिए सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम कार्यान्वित की है। खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण में दक्षता के उन्नयन हेतु उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के आयोजन हेतु भी सहायता दी जाती है। खाद्य पार्क संबंधी एक अन्य प्रमुख स्कीम के अंतर्गत सामान्य और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना लागत के क्रमश: 25% और 33.33% की दर से विनिर्दिष्ट सामान्य सुविधाओं हेतु 4 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जाती है। अब तक देश के विभिन्न भागों में 49 खाद्य पार्कों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है।

(ग) से (ङ) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने, उपज की पहचान करने, कृषि और प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात हेतु, उत्पादों के बाजार का विकास करने आदि की दृष्टि से देश में 60 कृषि निर्यात अंचलों को अनुमोदित किया है। कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण क्रेता/विक्रेता बैठकों के आयोजन के लिए सहायता देता है, महत्वपूर्ण व्यापार मेलों में भाग लेने, गुणवत्ता परीक्षण, कीटनाशक अवशेष अनुसंधान एवं विकास, ढुलाई आदि संबंधी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सहायता दी जाती है।

बंधुआ मजदूर

4534. श्री तथागत सत्पथी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मांग की तुलना में श्रम की आपूर्ति काफी अधिक होने के परिणामस्वरूप मजदूरों का कार्य में अत्यधिक शोषण किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो बंधुआ मजदूरी और बालश्रम पर रोक लगाने और प्रवासी मजदूरों की स्थिति की निगरानी करने से

संबंधित विद्यमान विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1999-2000 के दौरान कराए गए रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार, 406 मिलियन के कुल श्रमबल में से सामान्य आधार पर लगभग 9 मिलियन खुले तौर पर बेरोजगार हैं.

(ख) सरकार ने कामगारों के शोषण को रोकने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976; बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986; अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979; भवन और अन्य निर्माण कामगार अधिनियम, 1996; ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 इत्यादि जैसे भिन्न-भिन्न श्रम कानून बनाते हुए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार ने परिसम्पत्ति सृजन लोक निर्माण कार्यक्रमों पर एक वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिनों का रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक भी पेश किया है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि

4535. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समीक्षा आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि के 4 प्रतिशत के लक्ष्य के स्थान पर 1 से 1.5 प्रतिशत तक वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) योजना आयोग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सम्बद्ध क्षेत्रों सहित कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की वृद्धि दर 4% निर्धारित की गई थी।

(ख) दसवीं योजना के लिए वृद्धि से संबंधित लक्ष्य का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वानिकी, काष्ठ एवं मात्स्यिकी के सम्बद्ध क्षेत्रों सहित कृषि की वृद्धि दर वर्ष 2002-03 में ऋणात्मक (-7%) थी, जबकि वर्ष 2003-04 में यह 9.6% थी। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2004-05 में सम्बद्ध क्षेत्रों सहित कृषि की वृद्धि दर 1.1% थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.2% आंकी गई है।

(घ) कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से प्राथमिकता के आधार पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सरकार ने अभिबल क्षेत्र अभिज्ञात किए हैं, जिसमें कृषि ऋण, सिंचाई, बागवानी, फसल विविधिकरण तथा विपणन सुधार शामिल हैं। वर्ष 2005-06 के बजट में भी कृषक परिवारों को खास तौर से उत्पादन ऋण प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों द्वारा अपना ध्यान उन पर केन्द्रित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। बजट में बताए गए अन्य क्षेत्रों में ड्रिप एवं छिड़काव सिंचाई युक्त छोटी सिंचाई प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जिसमें बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेजों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा कृषि विपणन के आधारभूत ढांचे, ग्रेडिंग तथा मानकीकरण का सुदृढ़ीकरण/विकास शामिल है।

विवरण

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के लिए वृद्धि संबंधी राज्यवार लक्ष्य

(वार्षिक औसत % में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कृषि
1	2
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.00
आन्ध्र प्रदेश	3.05
अरुणाचल प्रदेश	4.00
असम	3.82
बिहार	3.75
चण्डीगढ़	-2.00
छत्तीसगढ़	3.00

1	2
दिल्ली	-12.21
गोवा	-0.90
गुजरात	4.03
हरियाणा	4.07
हिमाचल प्रदेश	4.55
जम्मू और कश्मीर	4.20
झारखण्ड	3.00
कर्नाटक	4.99
केरल	3.05
मध्य प्रदेश	4.00
महाराष्ट्र	3.56
मणिपुर	3.59
मेघालय	4.00
मिजोरम	2.00
नागालैण्ड	4.00
उड़ीसा	4.07
पांडिचेरी	1.10
पंजाब	4.07
राजस्थान	4.50
सिक्किम	5.00
तमिलनाडु	3.54
त्रिपुरा	3.90
उत्तरांचल	3.50
उत्तर प्रदेश	4.67
पश्चिम बंगाल	5.09
अखिल भारत	4.00

खाद्य तेल उद्योग हेतु सहायता

4536. श्री संतोष गंगवार: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वनस्पति तेल उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में केन्द्रीय तेल उद्योग एवं व्यापार संगठन (सी ओ आई टी) से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार वनस्पति तेल क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई समिति गठित करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति के कब तक गठित किए जाने की संभावना है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) वनस्पति तेल उद्योग में संकट जैसी कोई स्थिति नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जल आवाह क्षेत्रों को हुई क्षति संबंधी अध्ययन

4537. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय उद्यानों, विशेषकर उत्तरांचल में जिमकार्बेट नेशनल पार्क में रामगंगा और कोसी नदियों में जल आवाह वनों की क्षति, अवक्रमण और क्षरण की सीमा, कारणों और प्रभावों की जांच-पड़ताल करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जल आवाह वनों की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय केन्द्र प्रायोजित स्कीम "राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारणों का विकास राज्य द्वारा अपेक्षित वृक्षों और चारा प्रजातियों का वृक्षारोपण, अग्नि सुरक्षा, कटाव और आच्छादन में रोक, मृदा नमी संरक्षण, पेड़-पौधे और जीव जन्तुओं की अवांछित प्रजातियों की समाप्ति, बाढ़ सुरक्षा के साथ-साथ हैबीटेट मेनुपुलेशन और बायो-टोप के बेहतर परिरक्षण सहित विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

गोवा समुद्र तट पर टक्कर

4538. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**
श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोवा समुद्र तट पर एक नौका के एक पोत से टकराने के कारण एक बड़ा पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न हो गया है जैसा कि दिनांक 24 मार्च, 2005 के "द पायनियर" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारी मात्रा में तेल रिसने के कारण बड़ा पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न हो गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) गोवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एक नौका, एम/वी प्राप्ति एक विदेशी जहाज एम/वी मेरिटाइम विसडम से टकरा गई थी जिसके परिणामस्वरूप जहाज के फ्यूल टैंक में छेद हो गया और 87.4 मीट्रिक टन तेल बह गया। तेल रिसाव को कम करने और बड़े पर्यावरणीय खतरे को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा तटरक्षकों, जिनके पास ऐसी दुर्घटनाओं से निपटने के लिए सुविधाएं हैं, की सहायता से तुरंत कार्रवाई की गई।

क्या जल संचयन परिषद्

4539. **श्री रूपचन्द मुर्मू:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने किसी वर्षा जल संचयन परिषद् का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परिषद् की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को बीमा राशि का भुगतान

4540. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा या बीमा राशि प्रदान करने के लिए कोई केन्द्र प्रायोजित योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्तमान में कृषि मंत्रालय के पास इस संबंध में कोई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अनाज नीति

4541. **श्री अनंत गुढ़े:**
श्री मदन लाल शर्मा:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के लिए दीर्घकालिक अनाज नीति बनाने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) देश के लिए एक दीर्घकालिक अनाज नीति तैयार करने हेतु प्रो. अभिजीत सेन की अध्यक्षता में 16.11.2000 को एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। उच्च स्तरीय समिति ने 22 जुलाई, 2002 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों और उन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मुख्य सिफारिशें और सरकार द्वारा उन पर की गई कार्रवाई निम्नानुसार हैं। 13 मुख्य सिफारिशों में से भारत सरकार द्वारा 10 स्वीकार कर ली गई हैं और 3 अस्वीकार कर दी गई हैं:—

क्रम सं.	दीर्घकालिक अनाज नीति संबंधी उच्च स्तरीय समिति की मुख्य सिफारिशें	की गई कार्रवाई की स्थिति	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिक सक्षम क्षेत्रों में उत्पादन की सी-2 लागत (अर्थात् पारिवारिक श्रम की लागत, स्वामित्व की पूंजी और भूमि किराये सहित सभी लागत) के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।	अस्वीकृत	सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहनी चाहिए।
2.	केन्द्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीददारियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकतम 4% पर कर और लेवियों का भुगतान करना चाहिए।	सिद्धांत रूप में स्वीकृत	इसके लिए राज्य सरकारों से परामर्श की आवश्यकता होगी जहां कर तथा लेवी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 4% से अधिक है।
3.	भारतीय खाद्य निगम को पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में वसूली बंद कर देनी चाहिए और अपनी जनशक्ति को पूर्व तथा मध्य भारत में तैनात करना चाहिए।	स्वीकृत	प्रस्ताव है कि भारतीय खाद्य निगम पंजाब और हरियाणा में प्रगामी रूप से अपनी जनशक्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर को कम करेगा तथा इसे पूर्व और मध्य भारत में फिर से तैनात करेगा।
4.	विकेंद्रीकृत वसूली योजना का सुधार किया जाना चाहिए और इसे राज्य सरकारों के लिए अधिकाधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए।	स्वीकृत	विभाग ने विकेंद्रीकृत वसूली योजना को आकर्षक बनाने के लिए पहले ही कार्रवाई कर दी है। खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत वसूली योजना 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।
5.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाजों की सभी खरीदारियों में उचित औसत किस्म के मानदंडों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए।	स्वीकृत	वसूली एजेंसियों को केवल उचित औसत किस्म के खाद्यान्नों की खरीदारी करने के निदेश दिए गए हैं।

1	2	3	4
6.	चावल मिल मालिकों के संबंध में सभी लेवी आदेश समाप्त कर दिए जाने चाहिएं।	अस्वीकृत	इस विभाग का विचार है कि धान की वसूली और लेवी चावल की सुपुर्दगी की दोहरी प्रणाली जारी रहनी चाहिए।
7.	न्यूनतम समर्थन मूल्य को सी-2 के स्तर तक लाने सहित राज्य सरकारों को एक क्षतिपूर्ति पैकेज दिया जाना चाहिए जिसका इस्तेमाल वह अन्य बातों के साथ-साथ फसल के विविधीकरण के लिए कर सके।	सिद्धांत रूप में स्वीकृत	उच्च स्तरीय समिति द्वारा यथासंस्तुत, प्रस्ताव है कि फसल विविधीकरण पर एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना पंजाब और हरियाणा पर विशेष ध्यान देते हुए कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा तैयार और क्रियान्वित की जाए।
8.	अधिग्रहण लागत के आधार पर केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारित करके एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली तत्काल लागू करनी चाहिए।	अस्वीकृत	सरकार द्वारा यह महसूस किया गया है कि समाज के कमजोर वर्गों को लक्षित करने के लिए जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई थी क्योंकि पूर्व सर्वसुलभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भूखग्रस्त व्यक्तियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था और उसका झुकाव शहरों की ओर था। सर्वसुलभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ध्यान गरीबों की जरूरतें पूरी करने के लक्ष्य से हट सकता है।
9.	भारतीय खाद्य निगम के लिए उस तरीके में बदलाव लाने की जरूरत है जिससे यह अपना कारोबार करता है। ताकि वाणिज्योन्मुख निर्णय लेने में शीघ्रता आ सके।	स्वीकृत	भारतीय खाद्य निगम को उपयुक्त रूप से परामर्श दिया गया है।
10.	भारत सरकार को प्रमुख खाद्यान्न आधारित रोजगार कार्यक्रम लागू करने चाहिएं।	स्वीकृत	ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदलने अनाज कार्यक्रम के लिए खाद्यान्नों के आवंटन में वृद्धि कर दी गई है।
11.	खुला बाजार बिक्री के बारे में एक स्थिर और पूर्वानुमानित नीति होनी चाहिए।	स्वीकृत	खुला बाजार बिक्री योजना पहले से ही क्रियान्वित की जा रही है।
12.	खाद्यान्नों का निर्यात केवल प्राइवेट खाते पर होना चाहिए। सभी प्रकार की राजसहायता सरकारी स्टाक से बिक्री करने के केन्द्र की बजाय निर्यात केन्द्र पर दी जानी चाहिए।	सिद्धांत रूप में स्वीकृत	फिलहाल वाणिज्य मंत्रालय एक उपयुक्त स्कीम को अंतिम रूप दे रहा है।

1	2	3	4
13.	ढील दी गई विनिर्दिष्टयों के अधीन रखा गया 3 वर्ष से अधिक पुराने सभी स्टाक को वाणिज्यिक शर्तों पर तत्काल बेच दिया चाहिए।	स्वीकृत	ऐसे स्टाक का निपटान करने के लिए किए गए उपायों को अपनाने के बाद अब 95% से अधिक वर्तमान स्टाक 2 वर्ष से कम पुराना है।

कृषि योग्य भूमि

4542. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004-2005 के दौरान देश के अनेक भागों में कृषि योग्य भूमि के अधिकांश भाग पर खेती नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा भविष्य में उक्त भूमि और बंजर भूमि पर कृषि करने के लिए कोई कदम उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) ''निवल बुआई क्षेत्र'', 'वर्तमान परती भूमि' ''वर्तमान परती भूमि के अलावा अन्य परती भूमि'' जमीन के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी गणना कृषि योग्य क्षेत्र में की जाती है। 'निवल बुआई क्षेत्र' का मतलब उस कुल क्षेत्र से जिसमें फसलों की बुआई की जाती है या बाग लगाये गये होते हैं और एक ही वर्ष में जिस क्षेत्र में कई बार बुआई की जाती है उसकी गणना सिर्फ एक बार ही की जाती है। ''वर्तमान परती भूमि का मतलब ऐसी फसली क्षेत्र से होता है जिसे चालू वर्ष के दौरान परती रखा गया होता है। ''वर्तमान परती भूमि के अलावा अन्य परती भूमि'' से तात्पर्य उस सभी प्रकार की भूमि से है जिस पर पहले तो खेती की गई है लेकिन अभी अस्थायी तौर पर 1 वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से कम अवधि तक के लिए परती रखा गया है। पिछले 10 वर्षों से लेकर वर्ष 2001-02 तक ''निवल बुआई क्षेत्र'', (''वर्तमान परती भूमि'' और ''वर्तमान परती भूमि के अलावा अन्य परती भूमि'') का वार्षिक आंकड़ा 142.10 मिलियन हैक्टेयर, 14.16 मिलियन हैक्टेयर और 9.95 मिलियन हैक्टेयर है।

फसली क्षेत्र को विभिन्न कृषि-जलवायुवीय तथा सामाजिक और आर्थिक कारणों से परती रखा जाता है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रम चला रही है यथा (1) राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.), (2) नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों (आर.वी.पी. एवं एफ.वी.आर.) के ह्रासवण क्षेत्रों में अपरदित भूमि की उत्पादकता में वृद्धि के लिए मृदा संरक्षण, (3) क्षारीय मृदा का पुनरुद्धार (आर.ए.एस.), (4) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास (डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.), (5) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), (6) मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.), (7) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) आदि। इनका उद्देश्य इन जमीनों को कृषि उपयोग के लिए बेहतर बनाना है।

कृषि जलवायु वाले जोन

4543. श्री जुएल ओराम: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) ने देश में विभिन्न कृषि जलवायु वाले जोनों हेतु कृषि एवं संबंधित क्रियाकलापों के लिए एक नई प्रौद्योगिकी ईजाद की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोनवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। भा.कृ.अ.प. प्रणाली में स्थानपरक प्रौद्योगिकी विकास और बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में इसका सावधिक अद्यतन एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) भा.कृ.अ.प. ने कृषि अनुसंधान और नियोजन के लिए देश को 20 कृषि जलवायु क्षेत्रों और 60 उपक्षेत्रों में विभाजित

किया है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए लाभप्रद, टिकाऊ तथा पर्यावरण अनुकूल फसल किस्में, फसल प्रणालियां, फल किस्में, पशु नस्लें, फार्म उपकरण तथा खेती प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं। नई प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विकसित की गई स्थानपरक प्रौद्योगिकियों का खेती पर भागीदारी अनुसंधान, अग्रश्रेणी के प्रदर्शनों, संस्थान ग्राम सम्पर्क कार्यक्रमों और कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के द्वारा प्रसार किया जाता है। कुछ प्रौद्योगिकियां उद्योगों के सहयोग से व्यावसायिकृत की गई हैं।

विवरण

क्षेत्रवार/राज्यवार विकसित की गई प्रौद्योगिकियां

क्र.सं.	प्रौद्योगिकी का नाम	राज्य जिले/कृषि जलवायु क्षेत्र जहां यह लागू होता है
1	2	3
बारानी चावल आधारित उत्पादन प्रणाली		
1.	राइस फैलो में सब्जियों, दलहनों तथा तिलहनों का क्रमबद्ध फसलीकरण	छत्तीसगढ़, म.प्र. तथा उड़ीसा
2.	उपराऊं चावल + अरहर का अन्त: फसलीकरण (5:2)	छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा
3.	अरहर + मूंगफली अन्त: फसलीकरण प्रणाली (2:6)	झारखण्ड तथा उड़ीसा
4.	वर्षा के पानी संग्रह तथा मलवे के जरिए पुनर्श्चक्रण	छत्तीसगढ़ उड़ीसा तथा झारखंड
5.	दूसरी फसल तथा मछली पालन के लिए मध्यम तथा निचली भूमि में वर्षा जल की अधिकता का उपयोग	उड़ीसा के धेनकानेल तथा मयूरभंज जिले
6.	आम + उपराऊं चावल कृषि बागवानी प्रणाली	कोरापुट तथा जगतलपुर जिले और झारखंड के रांची और पलामू
7.	आम + अदरक/हल्दी कृषि बागवानी प्रणाली	उड़ीसा का कोरापुट तथा फुलबणी जिला
8.	चावल-मछली-बत्तख/सूअर पालन प्रणाली	झारखंड का रांची जिला तथा पश्चिम बंगाल का मिदनापुर जिला
9.	असामान्य मौसम के लिए उन्नत उपराऊं चावल किस्में	उपराऊं भूमि के लिए वन्दना जैसी अधिक अनुकूलीय किस्मों को उड़ीसा में सूखा के दौरान स्थिरता देने वाली उपज
10.	बारानी चावल में फली वाली अन्त: फसल के सहयोग से समेकित पोषण प्रबन्ध	उड़ीसा तथा झारखंड
11.	भैंसों में पैरासीटिक रोगों (सूत्रकृमि तथा गोलकृमि) का प्रबन्ध	उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़
12.	निचली भूमियों में बारानी चावल की उन्नत पैदावार के लिए बैलगाड़ी से खींचे जाने वाले पडलर 99 का उपयोग	उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़
13.	उपराऊं भूमि के चावल में समेकित खरपतवार प्रबन्ध	झारखंड तथा उ.प्र.

1	2	3
14.	बारानी चावल में समेकित कीट प्रबन्ध	असम, मणिपुर, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल
15.	खेती की उन्नत बियासी प्रणाली	छत्तीसगढ़ तथा झारखंड
16.	आर सी सी रिंग बिन में धान का भण्डारण	असम, मणिपुर तथा उड़ीसा
17.	चावल तथा हरी खाद की फसल के लिए अन्त: कतार फसल बीजक	उड़ीसा तथा असम
18.	अंकुरित चावल बीजक	उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़
19.	कुसुम की गैर स्पाइनी किस्मों की खेती	महाराष्ट्र एवं कर्नाटक
20.	कुसुम (बहुफसल) हार्वेस्टर का इस्तेमाल	कर्नाटक और महाराष्ट्र
21.	व्यवहार्यता में वृद्धि के लिए सोयाबीन बीजों के भंडारण के लिए सुधरी प्रौद्योगिकी	मध्य प्रदेश
22.	ऐरीसिल्कवर्म के उत्पादन के लिए सुधरी प्रौद्योगिकी	असम और मणिपुर
23.	सूरजमुखी शीर्ष आधारित सम्पूर्ण आहार के साथ पशुधन का आहार	समस्त सूरजमुखी उगाने वाले राज्य
24.	सूरजमुखी, कुसुम, सरसों और मूंगफली के लिए आई पी एम माड्यूल	सूरजमुखी, कुसुम, सरसों और सूरजमुखी उगाने वाले राज्य
25.	तिलहन आधारित फसलीय प्रणाली में आी एन एम	तिलहन उगाने वाले समस्त राज्य
26.	अरण्ड और मूंगफली में स्वास्थाने नमी संरक्षण प्रौद्योगिकी	भारत के सूखा संभावित जिले
27.	लवणीय और क्षारीय मृदा के लिए अरण्ड, मूंगफली, कुसुम और अलसी के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकी	आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश
28.	मूंगफली स्टेम नैक्रोसिस का समेकित प्रबन्ध	आंध्र प्रदेश
दलहन आधारित प्रणाली		
29.	दलहन के लिए तरल राइजोबियम संचारण	भारत के दलहन उगाने वाले राज्य
30.	मृदा नेमाटोड का गैर पैस्टीसीडल नियंत्रण	उत्तर प्रदेश
31.	मूंग और उड़द में एम वाई एम वी का प्रबंध	उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु
32.	सुधरी छोटी दाल मिल का उपयोग	अरहर उगाने वाले राज्य
33.	दलहन भृंग की निगरानी और नियंत्रण के लिए पिटफाल ट्रैप	दलहन उगाने वाले राज्य
34.	अरहर आधारित फसलीय प्रणाली के लिए समेकित फसल प्रबन्ध प्रौद्योगिकी	अरहर उगाने वाले राज्य
35.	अरहन और चने के लिए जैव सघन साई पी एम माड्यूल	अरहन और चना उगाने वाले राज्य

1	2	3
	कपास आधारित उत्पादन प्रणाली	
36.	जल संभर में टोपो-सीक्वेंसिंग पर कपास में वर्षाजल प्रबन्ध	महाराष्ट्र कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश
37.	कपास की सुधरी ऐरबोरियम किस्में	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, और महाराष्ट्र
	पोषक अनाज आधारित उत्पादन प्रणाली	
38.	खेतों के चारों ओर सजीव बाढ़ की स्थापना और प्रबंध	समस्त राज्यों में अंगीकृत किया जा सकता है।
39.	मंडुआ में ब्लास्ट रोग का समेकित प्रबंध	कर्नाटक
40.	आय वृद्धि के लिए फलियों सहित अन्त: फसल प्रणालियों पर आधारित मंडुआ	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु
41.	दोहरे उद्देश्य वाली ज्वार किस्म सी एस वी 15 की खेती	ज्वार उगाने वाले राज्यों में लागू
42.	रबी ज्वार के लिए उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी	महाराष्ट्र तथा कर्नाटक
43.	मक्का आधारित फसल प्रणाली में वर्षा जल प्रबन्ध प्रौद्योगिकी	हि.प्र., राजस्थान तथा गुजरात
44.	छोटे जुगाली करने वाले पशुओं के लिए उन्नत वन चरागाह प्रणाली स्थापित करना	शुष्क क्षेत्र
45.	बाजरा के लिए नमी संरक्षण तथा पोषण प्रबन्ध	अर्ध शुष्क तथा बाजरा उगाने वाले जिले
46.	उत्पादन की लागत कम करने के लिए विकल्प राशन सहित मुर्गी पालन में आहार	सभी राज्यों में लागू
47.	खरीफ ज्वार में कायिकी संबंधी कटाई तथा दाना सुखाने की प्रौद्योगिकी	आ.प्र., कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु
48.	मीठी ज्वार जिनोटाइप अधिक उपज वाली फसल की खेती	आ.प्र., कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु
49.	मीठी ज्वार से सिरप, गुड तथा केक जैसी गुणवर्धन उत्पाद तैयार करना	सभी संबद्ध राज्य

खाद्यान्नों का अधिशेष स्टाक

4544. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में खाद्यान्नों के अधिशेष स्टॉक का खाद्यान्नवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2001 में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने खाद्यान्नों के अधिशेष स्टॉक के बेहतर उपयोग के संबंध में सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है;

(ङ) यदि हां, तो अब तक कार्यान्वित सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) शेष सिफारिशों के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) विहित बफर स्टाकिंग मानदंडों की तुलना में 1.1.2005 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों (चावल तथा गेहूं) का स्टॉक नीचे दर्शाया गया है:

(लाख टन में)

खाद्यान्न		बफर मानदंड	
चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
127.63	89.31	84.00	84.00

(ख) और (ग) भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने 2001 में यह सिफारिश की कि खाद्य अधिशेषों का प्रभावकारी रूप से (1) गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को वितरण करने; (2) अपेक्षित ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने; और (3) ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार सृजन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(घ) से (च) अधिक स्टाक का निपटान करने के लिए सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए आबंटन को 1.4.2002 से 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह से बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया है। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने और ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार का सृजन करने हेतु लक्षित दो प्रमुख योजनाओं अर्थात् संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम जिनमें खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है, को क्रियान्वित किया जा रहा है।

भूमि के इष्टतम उपयोग हेतु कार्यक्रम

4545. डा. एम. जगन्नाथ: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेजी से बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए भूमि के इष्टतम उपयोग हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कुल ऐसी भूमि कितनी है जहां भू-क्षरण तथा भूमि का अवक्रमण होता है;

(घ) क्या सरकार ने इसके फलस्वरूप अगले 15 सालों के दौरान भूमि की क्षति के बारे में कोई आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु योजना आयोग द्वारा गठित पनधारा विकास, वर्षा सिंचित खेती और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर कार्यकारी समूह ने पनधारा विकास कार्यक्रमों के जरिए 20 वर्षों में 88.5 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को प्रयोग में लाने/सुधार के लिए एक संदर्शी योजना तैयार की है।

(ग) से (ङ) यह आकलन किया गया है कि कुल रिपोर्ट किए गये लगभग 306 मिलियन हैक्टे. क्षेत्र में से लगभग 173.6 मिलियन हैक्टे. क्षेत्र विभिन्न प्रकार के भू अवक्रमण से संबंधित है और लगभग 5334 मिलियन टन मृदा की ऊपरी सतह प्रत्येक वर्ष जल अपरदन के माध्यम से नष्ट हो रही है।

(च) भारत सरकार देश में अवक्रमित/वर्षा सिंचित भूमि के विकास और प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित पनधारा विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है:

(1) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास ररियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.), (2) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी के ग्रवण क्षेत्र में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण (आर.वी.पी. एवं एफ.पी.आर.), (3) क्षारीय मृदा का सुधार (आर.ए.एस.), (4) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.)।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इन कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 27.5 मिलियन हैक्टे. क्षेत्र को प्रयोग में लाया गया है।

विभिन्न सेवा क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्ति

4546. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि, औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों की प्रतिशतता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में उक्त प्रत्येक क्षेत्र में औसत वार्षिक आय कितनी है; और

(घ) देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आय को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर नियोजित व्यक्तियों का राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार प्रतिशत का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान 15-59 आयु के नियमित मजदूरी/वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की जाने वाली उद्योग-वार औसतन मजदूरी/वेतन आय संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(घ) सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इनमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक जिसे पहले ही संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक निर्धन परिवार को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करता है। देश के चुनिंदा पिछड़े जिलों में पहले से ही कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम आरंभ किया जा चुका है।

विवरण I

1999-2000 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का उद्योग-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	ग्रामीण (%)			शहरी (%)		
		कृषि	उद्योग	सेवाएं	कृषि	उद्योग	सेवाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	78.8	8.7	12.5	9.5	32.2	58.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	83.4	7.5	9.0	8.7	13.4	77.9
3.	असम	67.7	6.2	26.2	6.0	13.5	80.5
4.	बिहार	80.6	8.9	10.5	10.9	28.4	60.8
5.	दिल्ली	7.5	36.4	56.0	1.7	30.1	68.3
6.	गोवा	28.7	30.0	41.3	1.8	37.1	61.2
7.	गुजरात	79.8	10.2	10.0	9.4	33.6	56.9
8.	हरियाणा	68.5	15.1	16.3	9.1	29.0	61.9
9.	हिमाचल प्रदेश	73.6	14.3	12.1	11.0	21.5	67.5
10.	जम्मू व कश्मीर	76.3	11.2	12.4	13.2	22.4	64.5
11.	कर्नाटक	82.1	7.7	10.2	10.8	34.5	54.6
12.	केरल	48.3	23.9	28.0	9.5	31.7	58.8
13.	मध्य प्रदेश	87.1	6.3	6.6	15.4	28.3	56.3
14.	महाराष्ट्र	82.6	7.5	9.8	5.7	32.3	62.1

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मणिपुर	75.3	8.9	15.8	28.3	15.6	55.9
16.	मेघालय	86.5	3.0	10.5	1.3	14.6	84.1
17.	मिजोरम	85.5	2.4	12.2	30.3	14.7	55.0
18.	नागालैंड	79.7	2.2	18.1	8.4	12.1	79.5
19.	उड़ीसा	78.2	11.9	9.9	13.0	32.0	55.0
20.	पंजाब	72.6	12.0	15.4	8.7	30.1	61.3
21.	राजस्थान	77.7	13.8	8.5	12.9	34.7	52.4
22.	सिक्किम	60.8	9.9	29.3	2.1	16.1	81.8
23.	तमिलनाडु	67.9	18.6	13.5	8.9	36.6	54.5
24.	त्रिपुरा	45.7	12.0	42.3	2.7	8.0	89.3
25.	उत्तर प्रदेश	76.2	11.3	12.4	9.0	32.1	59.0
26.	पचिम बंगाल	63.6	19.2	17.2	3.0	34.1	62.8
	(ख) संघ शासित प्रदेश						
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	65.0	15.7	19.4	15.3	22.0	62.6
28.	चंडीगढ़	66.1	18.2	15.8	1.6	25.5	72.8
29.	दादरा व नगर हवेली	55.2	26.0	18.8	8.1	59.0	32.9
30.	दमन व दीव	34.2	43.1	22.7	11.9	18.7	69.4
31.	लक्षद्वीप	53.6	12.5	33.9	24.5	15.3	60.1
32.	पांडिचेरी	59.9	20.7	19.5	5.4	47.3	47.3
	योग	76.3	11.4	12.4	8.8	32.2	59.2

विवरण II

15-59 आयु के नियमित मजदूरी/वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की जाने वाली औसतन मजदूरी/वेतन आय (0.00 रुपये)।

क्र.सं.	उद्योग प्रभाग/समूह	ग्रामीण (रु.)	शहरी (रु.)
1	2	3	4
1.	कृषि	65.88	137.90
2.	खनन एवं उत्खनन	140.16	257.16

1	2	3	4
3.	विनिर्माण[1]	77.66	96.58
4.	विनिर्माण[2]	96.41	165.40
5.	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	197.54	246.86
6.	निर्माण	104.66	133.59
7.	व्यापार	64.90	100.27
8.	परिवहन एवं भण्डारण इत्यादि	112.29	162.04
9.	सेवाएं[3]	155.69	263.87
10.	सेवाएं[4]	177.18	206.43
11.	समस्त	125.31	165.05

1. उद्योग समूह (15-27)
2. उद्योग समूह (23-37)
3. उद्योग समूह (65-74)
4. उद्योग समूह (75-93)

पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र

4547. श्री पी. करुणाकरन: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील कई क्षेत्र या तो अवैध कब्जे में हैं या निजी स्वामित्व में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनकी सुरक्षा हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने केरल फॉरेस्ट (वेस्टिंग एण्ड मेनेजमैंट आफ इकोलाजीकली फ्रेजाइल लैण्ड्स) बिल, 2002 को अपनी सहमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) कई राज्यों में पारिस्थितिक तौर पर नाजुक क्षेत्र निजी स्वामित्व में हैं। तथापि, पारिस्थितिक तौर पर नाजुक क्षेत्रों के विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए कानून ढांचा विद्यमान है। पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को विभिन्न क्षेत्रों को पारिस्थतिक तौर पर नाजुक/संवेदनशील घोषित करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) केरल फॉरेस्ट (वेस्टिंग एण्ड मेनेजमैंट आफ इकोलाजीकली फ्रेजाइल लैंड्स) बिल, 2002 में पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने और जैव-विविधता संरक्षण के उद्देश्य से केरल राज्य में पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमियों को संपन्न बनाने और ऐसी भूमियों के प्रबंधन हेतु सरकार को शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में नेत्रवाई जल परियोजना

4548. श्री जी.एम. सिद्धीश्वर: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कर्नाटक की नेत्रवाई जल परियोजना के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के कब तक पूर्ण होने की संभावना है तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को कितनी सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के अंतर्गत नेत्रावती-हेमावती अन्तर-बेसिन हस्तांतरण संपर्क के संबंध में व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्ट तैयार की है। एनडब्ल्यूडीए ने नदी बेसिन से संबंधित जल संतुलन अध्ययन पूरे कर लिये हैं। कर्नाटक सरकार से प्रस्तावित संपर्क की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए आगे का अध्ययन करने अथवा अपना अनुमोदन देने का अनुरोध किया गया है ताकि एनडब्ल्यूडीए द्वारा इस संपर्क प्रस्ताव से संबंधित व्यवहार्यता रिपोर्ट पर कार्य किया जा सके। एनडब्ल्यूडीए को अब तक कर्नाटक सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। बेसिन राज्यों की सहमति प्राप्त होने के बाद व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात् ही नेत्रावती-हेमावती संपर्क प्रस्ताव पर कार्य आरंभ किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

औषधियों के मूल्य

4549. श्री पंकज चौधरी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषधियों पर उत्पाद शुल्क में कटौती के संबंध में अधिसूचना जारी किए जाने के बावजूद औषध विनिर्माण कंपनियों ने औषधियों के मूल्यों में कमी नहीं की है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दोषी औषध विनिर्माण कंपनियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी पी सी ओ, 1995) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 प्रपुंज औषधों और उन पर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं और उनके मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा डीपीसीओ, 95 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित/संसोधित किए जाते हैं। डीपीसीओ, 1995 के पैरा 7 के अंतर्गत सूत्रयोगों के खुदरा मूल्य की गणना में उत्पाद शुल्क कारक का भी ध्यान रखा जाता है।

गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण, विनिर्माताओं द्वारा स्वयं उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान एवं विकास व्यय, व्यापारिक कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्धा, उत्पादन सुधार, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सार्वजनिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में सरकार द्वारा उपचारी उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

गंगा को साफ करने के लिए जापानी सहायता

4550. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
मो. मुकीम:
श्री मुनव्वर हसन:
श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा नदी को साफ करने के लिए जापान ने भारत को सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में नियम और शर्तें क्या हैं;

(ग) उक्त परियोजना में कितनी धनराशि शामिल है; और

(घ) यह कार्य कब तक शुरू होने और पूरा होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) जी हां। जापान इन्टरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी, जापान सरकार ने गंगा बेसिन में चार शहरों नामत: कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और वाराणसी पर ध्यान केन्द्रित करते हुए गंगा नदी के लिए जल गुणता प्रबंध योजना से संबंधित विकास-अध्ययन के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई है। अध्ययन के अंतर्गत इन चार शहरों में सीवरेज और गैर-सीवरेज घटकों के लिए मास्टर योजना तैयार करने और सम्भाव्यता अध्ययन करने की परिकल्पना की गई। कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ शहरों के लिए मास्टर योजना और सम्भाव्यता अध्ययन को अभी जे आई सी ए अध्ययन दल द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है। वाराणसी के लिए संभाव्यता अध्ययन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे निधि के लिए जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोआरपेशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर भारत सरकार ने वाराणसी में गंगी नदी के प्रदूषण निवारण की परियोजना के लिए 11,184 मिलियन जापान येन की राशि के लिए हाल ही में जे बी आई सी के साथ एक ऋण-समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना के लिए जे बी आई सी से प्राप्त की जाने वाली निधि सस्ती दर ऋण है जिसको 30 वर्षों के बाद 10 वर्ष की रियायत अवधि में 0.75% के ब्याज दर के साथ लौटाया जाना है। परियोजना का कार्य चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाना है और इसके मार्च 2012 में पूरा होने की आशा है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में किकवी नदी पर बांध

4551. श्री देविदास पिंगले: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य के नासिक जिले में किकवी नदी पर बांध के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बांध के निर्माण हेतु सरकार द्वारा विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जल संसाधन मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फार्मा कंपनी

4552. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक संयुक्त क्षेत्र की फार्मा कंपनी स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पारि-पर्यटन

4553. श्री डी. विट्टल राव: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पारि-पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शहरों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से सुझाव आमंत्रित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) पारि-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक शहर को कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को, पर्यटन के विकास के लिए जिनमें पारि-पर्यटन भी शामिल हैं, उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निधि की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकता के अनुसार केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दसवीं योजना (31.12.2004 को) के दौरान स्वीकृत की गई राज्य-वार पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2000-03			2003-04			2004-05 (21.12.2004 तक)		
		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2	507.50	195.00	6	946.50	896.44	11	2750.81	2191.92
2.	असम	9	768.13	618.85	3	313.46	313.06	6	955.88	742.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	41.30	32.50	6	1044.60	700.00	6	1285.70	905.52
4.	बिहार	8	505.00	505.00	6	1019.42	913.89	7	1901.23	1527.55
5.	छत्तीसगढ़	9	308.00	98.50	6	1005.00	364.00	4	1086.26	869.01
6.	गोवा	1	0.50	0.50	2	36.76	34.76	2	10.00	8.00
7.	गुजरात	2	197.12	59.13	8	920.51	815.82	2	138.93	111.14
8.	हरियाणा	8	332.25	311.00	16	1215.38	879.23	5	678.55	501.64
9.	हिमाचल प्रदेश	30	779.32	760.38	4	182.32	85.00	5	2620.00	1736.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	3	94.38	89.47	5	895.00	895.00	2	805.00	644.00
11.	झारखंड	0	0	0	2	1109.00	774.60	1	474.97	379.97
12.	कर्नाटक	6	902.49	625.49	14	932.66	792.51	8	2432.76	1914.37
13.	केरल	11	861.36	829.86	6	608.50	764.15	5	2148.63	1718.88
14.	मध्य प्रदेश	18	711.18	574.79	10	621.90	394.51	8	1285.46	783.03
15.	महाराष्ट्र	8	623.46	546.25	10	931.83	914.58	6	1576.38	1260.10
16.	मणिपुर	2	5.24	2.62	1	82.44	24.73	0	0.00	0.00
17.	मेघालय	3	70.35	21.20	2	40.22	24.92	2	963.30	807.91
18.	मिजोरम	6	141.16	48.46	5	567.70	186.75	3	1081.28	927.09
19.	नागालैंड	5	360.50	323.43	4	711.00	220.80	5	2165.89	1731.40
20.	उड़ीसा	2	47.50	15.75	5	419.55	138.50	5	1316.48	999.69
21.	पंजाब	3	23.00	14.60	2	96.00	12.30	4	846.41	561.26
22.	राजस्थान	13	1098.70	1096.20	14	1644.81	1414.25	2	39.31	31.45
23.	सिक्किम	13	346.24	269.76	8	1151.09	681.49	6	1005.81	805.13
24.	तमिलनाडु	5	559.00	316.10	14	1339.82	850.53	6	876.92	702.72
25.	त्रिपुरा	5	216.13	67.78	6	450.17	135.16	0	0.00	0.00
26.	उत्तरांचल	3	548.00	418.00	4	230.44	203.94	3	1412.93	1125.56
27.	उत्तर प्रदेश	3	295.00	295.00	7	1115.80	916.26	7	1037.43	825.19
28.	पश्चिम बंगाल	5	201.10	60.00	10	717.44	384.34	5	480.04	384.03
29.	अंडमान निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	3	7.75	6.63	2	10.00	8	1	457.00	365.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	दादरा एवं नगर हवेली	2	8.07	6.46	0	0	0	0	0.00	0.00
32.	दिल्ली	14	504.00	449.02	17	3316.28	3222.13	1	500.00	400.00
33.	दमन एवं दीव	3	49.50	16.90	1	265.07	238.56	0	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	2	7.87	6.30	1	245.17	73.55	2	451.00	360.00
	कुल	212	11121.10	8680.93	207	24185.84	18073.76	130	32784.16	25320.26

बीज उत्पादन सुविधाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण

4554. श्री निखिल कुमार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सरकारी क्षेत्र में बीज उत्पादन सुविधाओं के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों को अच्छी किस्म के बीज नहीं मिल रहे, जिसके परिणामस्वरूप देश में कम कृषि विकास हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो बीज उत्पादन सुविधाओं के विस्तार तथा आधुनिकीकरण से किसानों को किस प्रकार भारी लाभ होगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां।

(ख) बीज उत्पादन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के उद्देश्य से गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास और सुदृढ़ीकरण पर एक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम दसवीं योजना अवधि हेतु इस वर्ष 159 करोड़ रु. के परिव्यय से शुरू की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र में बीज प्रसंस्करण अवसंरचना और भण्डारण सुविधाओं के सृजन हेतु सहायता इस स्कीम के तहत एक घटक है और दसवीं योजना के शेष वर्षों हेतु 12.70 करोड़ रु. का प्रावधान है।

(ग) और (घ) सामान्यत: किसान अच्छी गुणवत्ता के बीज प्राप्त कर रहे हैं और इस स्कीम से देश में गुणवत्ता बीजों की उपलब्धता और वितरण को बढ़ावा मिलेगा।

दुग्ध उत्पादन

4555. श्री दुष्यंत सिंह:
श्री सुरेश चन्देल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में निजी तथा सरकारी क्षेत्र में कुल दुग्ध उत्पादन के निर्धारण हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यवार और वर्षवार दुग्ध की कुल दैनिक आवश्यकता कितनी है;

(ग) क्या वर्ष 2004-05 के दौरान डेयरी उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मिलावटी दूध की आपूर्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) घरों को शामिल करके देशव्यापी नमूना सर्वेक्षण के आधार पर दुग्ध उत्पादन को वार्षिक रूप से आंका जाता है। सर्वेक्षण में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के दुग्ध उत्पादन का कोई पृथक लेखा-जोखा नहीं है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान दुग्ध उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान (भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद), हैदराबाद द्वारा जारी "डायटरी गाइडलाइन्स फार इंडियन्स" के

अनुसार, सभी वयस्कों (पुरुष एवं महिलाओं दोनों) को प्रतिदिन 300 मिली लीटर दूध लेना चाहिए जबकि बच्चों एवं किशोरों को प्रतिदिन 500 मिली लीटर दूध लेना चाहिए।

(ग) और (घ) अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, डेयरी उत्पादों का निर्यात 2002-03 के 127.22 करोड़ रुपए से घटकर 2003-04 में 93.4 करोड़ रुपए तक हो गया है।

(ङ) दुग्ध नमूनों की जांच खाद्य एवं अपमिश्रण अधिनियम रोकथाम के तहत की जाती है।

विवरण

सारणी: दुग्ध उत्पादन का अनुमान-2001-02 से 2003-04 तक

राज्यवार (000 टन)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5814	6584	6959
2.	अरुणाचल प्रदेश	42	46	46
3.	असम	682	705	727
4.	बिहार	2664	2869	3180
5.	गोवा	45	46	48
6.	गुजरात	5862	6089	6421
7.	हरियाणा	4978	5124	5221
8.	हिमाचल प्रदेश	756	773	786
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1360	1389	1414
10.	कर्नाटक	4797	4539	3857
11.	केरल	2718	2419	2111
12.	मध्य प्रदेश	5283	5343	5388
13.	महाराष्ट्र	6094	6238	6379
14.	मणिपुर	68	69	71
15.	मेघालय	66	68	69
16.	मिजोरम	14	15	15
17.	नागालैंड	57	58	63
18.	उड़ीसा	929	941	997
19.	पंजाब	7932	8173	8391
20.	राजस्थान	7758	7789	8054

1	2	3	4	5
21.	सिक्किम	37	45	48
22.	तमिलनाडु	4988	4622	4752
23.	त्रिपुरा	90	79	84
24.	उत्तर प्रदेश	14648	15288	15943
25.	पश्चिम बंगाल	3515	3600	3686
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	23	26	25
27.	चण्डीगढ़	43	43	44
28.	दादरा व नगर हवेली	8	8	8
29.	दमन व दीव	1	1	1
30.	दिल्ली	294	296	299
31.	लक्षद्वीप	2	2	1
32.	पांडिचेरी	37	37	40
33.	छत्तीसगढ़	795	804	812
34.	उत्तरांचल	1066	1079	1188
35.	झारखंड	940	952	954
	अखिल भारत	84406	86159	88082

स्रोत: राज्य/संघ शासित प्रदेशों के पशुपालन विभाग।

श्रमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार

4556. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्करों का कार्य कौशल श्रम उत्पादकता के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य विकासशील देशों की तुलना में 20-40 के आयु वर्ग में व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की प्रतिशतता बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या श्रम शक्ति में वृद्धि के अनुमानों के अनुसार प्रति वर्ष 8-10 मिलियन श्रमिकों को प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या व्यावसायिक/तकनीकी/पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु मौजूदा अवसंरचना के पास 2-2.3 मिलियन श्रमिकों को प्रशिक्षित करने की क्षमता है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए संसाधनों के सृजन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ताकि बहुत से नये प्रवेशार्थियों को आमेलित किया जा सके?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 20-24 वर्ष की आयु वर्ग के कामगारों का लगभग 5% भारत में औपचारिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करता है। अनेक विकासशील देशों की तुलना में यह बहुत कम है। फिर भी,

देश में अधिकांश कामगार किसी विशेष कार्य को ग्रहण करने के पश्चात् अनौपचारिक माध्यमों से कौशल प्राप्त करते हैं।

(घ) श्रम बल में प्रतिवर्ष 6 से 8 मिलियन वृद्धि प्रक्षेपित की गई है।

(ङ) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के अनेक संस्थान श्रम बल में नए प्रवेशार्थियों को कौशल प्रशिक्षण तथा कार्य में पहले से ही नियोजित कामगारों को पुन: प्रशिक्षण प्रदान करने में लगे हुए हैं। व्यक्तियों की वास्तविक संख्या नहीं रखी जाती। तथापि, प्रमुख प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से सरकार में वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता लगभग 30 लाख है।

(च) देश में कौशल सृजन क्षमता में विस्तार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए:—

(1) निजी क्षेत्र को प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

(2) मूलभूत सुविधाओं का इष्टतम उपयोग करने के लिए विद्यमान प्रशिक्षण संस्थानों में दूसरी एवं तीसरी पाली आरंभ की जा रही है।

(3) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू व कश्मीर में भी प्रशिक्षण सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है।

(4) आंतरिक निधिकरण से 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उन्नयन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उद्योगों का स्थानांतरण

4557. श्री मुनव्वर हसन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** 6 दिसम्बर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 831 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक एकत्रित किए जाने तथा सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) दिल्ली में उद्योगों को शिफ्ट करने के संबंध में 6 दिसम्बर, 2004 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 831 के लिए दिए गए आश्वासन के संदर्भ में उद्योग आयुक्त, दिल्ली, सरकार सदस्य, सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी पी सी सी) और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) को पत्र भेजे गए हैं। इस मामले में सूचना अभी प्रतीक्षित है और इसके प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

पोषण संबंधी सुरक्षा

4558. प्रो. एम. रामदास: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घरेलू खाद्य सुरक्षा से पोषण संबंधी सुरक्षा तक प्रतिमान परिवर्तन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या अनाज, दालों तथा मौसमी सब्जियों का वर्तमान उत्पादन पोषण संबंधी सुरक्षा के मानदंडों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार पोषण संबंधी सुरक्षा के बारे में जानकारी का प्रचार करने के लिए शैक्षिक तथा अनुसंधान प्रयास करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जल संचयन योजना

4559. श्री रामसेवक सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सूखा-प्रवण क्षेत्रों के लिए कोई जल संचयन योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना में सिंचाई तथा जल संचयन हेतु ग्राम पंचायतों के पुराने तालाबों का पुनरुद्धार करना तथा सूखा

प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में घटते जल स्तर को रोकना शामिल है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन तालाबों में वर्षा जल संचयन द्वारा भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्ष के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्रों सहित देश में कार्यान्वयन के लिए 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन" संबंधी एक स्कीम का प्रस्ताव किया है। जल संसाधन मंत्रालय में सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए जल संचयन के वास्ते किसी अन्य विशेष स्कीम तैयार करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। तथापि, केन्द्र सरकार ने "कृषि से सीधे रूप से जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" विषयक एक प्रायोगिक स्कीम को दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए 300 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ जनवरी, 2005 में अनुमोदित किया है। इस परियोजना के लक्ष्य और उद्देश्यों में जल निकायों की भंडारण क्षमता का पुनर्स्थापन तथा संवर्द्धन करना और उनकी खोई सिंचाई क्षमता को पुन: प्राप्त करना तथा विस्तार करना शामिल है।

[अनुवाद]

एफ.सी.आई. तथा एन.सी.डी.ई.एक्स. के बीच समझौता

4560. श्री हरिभाई राठौड़: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) ने हाल ही में नेशनल कमोडिटी एण्ड डिराइवेटिव्ज एक्सचेंज (एन.सी.डी.ई.एक्स.) तथा नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समझौता ज्ञापन की निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस समझौते के फलस्वरूप किसानों को कितना लाभ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समझौता ज्ञापन के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और नेशनल कमोडिटी डिराइवेटिव्ज एक्सचेंज/नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज परस्पर सहमत शर्तों के आधार पर खाद्यान्नों की वसूली, फ्यूचर्स व्यापार के क्षेत्र तथा संबंधित क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। यह आन-लाइन स्क्रीन आधारित फ्यूचर्स व्यापार और विभिन्न कृषि तथा अन्य जिंसों के संबंध में किसानों के लिए मूल्य खोज हेतु एक मंच प्रदान करेगा।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खरीद

4561. श्रीमती अनुराधा चौधरी:
मो. ताहिर:
श्री मुन्शी राम:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003 के दौरान तथा आज तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सरकार द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न की मात्रा कितनी है;

(ख) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुल सकल खरीद पिछले वर्ष की तुलना में कम रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) वर्ष 2003-04 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्नों की मात्रा निम्नानुसार है:—

(लाख टन में)

चावल

खरीफ विपणन मौसम 2003-04	: 228.28
खरीफ विपणन मौसम 2004-05	: 206.17 (20.4.2005 की स्थिति के अनुसार)

गेहूं

रबी विपणन मौसम 2003-04	:	158.01
रबी विपणन मौसम 2004-05	:	167.96
रबी विपणन मौसम 2005-06	:	91.60 (20.4.2005 की स्थिति के अनुसार)

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निरीक्षकों द्वारा फैक्टरी नियोक्ताओं का उत्पीड़न

4562. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कामगारों/मजदूर संघों से लिखित शिकायतें मिले बिना ही निरीक्षकों द्वारा लघु तथा मध्यम कारखानों के अनियंत्रित दौरों को रोकने के लिए कोई नीति विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रम मंत्रालय, ई पी एफ/ई एस आई निरीक्षकों को बिना किसी पर्याप्त दर्ज की गई शिकायतों के स्वयं ही इन फैक्ट्रियों का दौरा करने की छूट दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विभिन्न उद्योग संघों/ चैम्बर्स आफ इंडस्ट्री से नियोक्ताओं के उत्पीड़न के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निरीक्षण के नाम पर ई पी एफ/ई एस आई निरीक्षकों के हाथों नियोक्ताओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) निगम में प्रचलित निरीक्षण नीति के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चूककर्ता नियोजकों, शिकायतें प्राप्त होने वाले मामलों और 250 या उससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले नियोजकों के मामलों में निरीक्षण किए जाते हैं। इन मामलों के संबंध में निरीक्षण क्षेत्रीय प्रमुखों के अनुमोदन से किए जाते हैं। यह नीति 01.04.2001 से संचालित है। गंभीर शिकायतों वाले मामलों को छोड़कर, जहां आकस्मिक निरीक्षण अपेक्षित हो, अन्य मामलों में नियोजक को पूर्व सूचना दी जाती है। इसी प्रकार से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों का पूरी तरह अनुपालन करने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा कोई नियमित निरीक्षण नहीं किए जाते हैं। तथापि, अनुपालन न करने वाले प्रतिष्ठानों या जिन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विशेष रूप से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, निर्धारण अधिकारियों द्वारा प्राधिकृत करने पर प्रवर्तन अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है।

(ग) से (ङ) कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि के निरीक्षण मात्र आवश्यकता के आधार पर किए जाते हैं, जो कि प्रतिष्ठानों द्वारा अनुपालन के स्तर पर निर्भर करता है। अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु किए जाने वाले इस प्रकार के निरीक्षणों को नियोजकों का उत्पीड़न नहीं समझा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

जैविक खाद का उपयोग

4563. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री पी. मोहन:
श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैविक खाद का उपयोग रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की तुलना में अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को क्या सहायता प्रदान कर रही है; और

(ग) देश में जैविक खाद की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) रासायनिक उर्वरकों के योग से जैव उर्वरक का प्रयोग (समेकित पोषक तत्व प्रबंधन) केवल रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से अधिक लाभकारी सिद्ध हुआ है।

(ख) सरकार कृषकों को जैविक फार्मों के संबंध में प्रशिक्षण देने, जैविक आदानों और कृषक मेलों के संबंध में क्षेत्रीय प्रदर्शन और समृद्ध बायो-गैस मसाला (स्लरी) के उपयोग पर क्षेत्रीय प्रदर्शनों के आयोजन के लिए "राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना"

के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी कृषकों को समेकित पोषक तत्व प्रबंधन संबंधी नियमित प्रशिक्षण दे रही है और कृषक क्षेत्रों के संबंध में इसकी उपयोगिता का भी प्रदर्शन कर रही है।

(ग) देश में जैविक खाद की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ''राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना'' के अंतर्गत फल/सब्जी की छीजन से कम्पोस्ट बनाने वाली इकाइयों और वर्मीकल्चर हैचरीज की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कृषि बृहत प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत शहर के कूड़े से जैविक खाद का उत्पादन करने के लिए कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना के लिए भी सहायता दी जा रही है।

[अनुवाद]

यूरिया उत्पादक एककों हेतु नई मूल्य निर्धारण योजना

4564. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूरिया उत्पादक एककों हेतु नई मूल्य निर्धारण योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने नई मूल्य निर्धारण योजना का कोई कार्यनिष्पादन मूल्यांकन कराया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा और परिणाम क्या है;

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) नई मूल्य निर्धारण योजना के पूर्व की अनवरत मूल्य सह-राजसहायता योजना से किस तरह से भिन्न होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ङ) तत्कालीन प्रतिधारण मूल्य योजना के स्थान पर यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना 1.4.2003 से अस्तित्व में आई और इसका कार्यान्वयन चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। चरण-1 01.4.2003 से 31.3.2004 तक एक वर्ष की अवधि के लिए था। चरण-2 1.4.2004 से प्रारंभ हुआ है और यह 1.4.2004 से 31.3.2006 तक दो वर्ष की अवधि का होगा। नई मूल्य निर्धारण योजना के तहत पुरानेपन और फीडस्टाक के आधार पर विद्यमान यूरिया इकाइयों को 6 समूहों में विभाजित किया गया है। ये हैं: 1992 से पूर्व की गैस आधारित इकाइयां, 1992 के बाद की गैस आधारित इकाइयां, 1992 से पूर्व की नेफ्था आधारित इकाइयां, 1992 के बाद की नेफ्था आधारित इकाइयां, ईंधन तेल/लो सल्फर हेवी स्टाक आधारित इकाइयां और मिश्रित ऊर्जा आधारित इकाइयां। दिनांक 1.4.2004 से शुरू और चरण-2 से लागू यूरिया इकाइयों के लिए पूर्व निर्धारित ऊर्जा मानक और पूंजी से जुड़े प्रभारों में कमी किए जाने के कारण रियायत दर में हुई कमी को अधिसूचित और प्रभावी किया गया है।

चरण-1 और चरण-2 में कार्यान्वयन की समीक्षा के बाद उर्वरक विभाग द्वारा चरण-3 की रूपात्मकताओं के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। यूरिया के लिए नई मूल्य निर्धारण नीति के चरण-1 और चरण-2 की प्रभावकारिता की समीक्षा करने तथा 1.4.2006 से प्रारंभ होने वाली यूरिया इकाइयों के चरण-3 के संबंध में नीति तैयार करने के लिए डा. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया है।

ईकाई विशिष्ट प्रतिधारण मूल्य योजना की तुलना में नई मूल्य निर्धारण नीति एक समूह आधारित योजना है जिसका उद्देश्य यूरिया इकाइयों को राजसहायता वितरण में अधिक पारदर्शिता, एकरूपता और कार्यदक्षता लाना तथा यूरिया उत्पादक इकाइयों को लागत में कमी लाने वाले उपाय अपनाने और प्रतिस्पर्धी बनने के लिए प्रेरित करना है।

फूड पार्क कांप्रेंस

4565. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 2004 में खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्रियों का कोई सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक फूड पार्क खोलने का सुझाव दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सिफारिश को लागू करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जिसमें खाद्य पार्कों की स्थापना शामिल है, के समग्र विकास के लिए वित्तीय सहायता देता है। यह मंत्रालय स्वयं खाद्य पार्कों की स्थापना नहीं करता। मंत्रालय किसी क्षेत्र की जरूरत के के आधार पर प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण यूनिट अथवा एक खाद्य पार्क की स्थापना को प्रोत्साहित कर रहा है। मंत्रालय की योजना स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए परियोजना प्रस्ताव मंगाए गए हैं। अब तक मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में सहायता हेतु 49 खाद्य पार्क अनुमोदित किए हैं।

कर्नाटक में जर्सी बछड़ों हेतु सहायता

4566. श्री एम. शिवन्ना: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने जर्सी बछड़ों के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कर्नाटक दुग्ध परिसंघ से मूल रूप में प्राप्त प्रस्ताव को राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना के तहत सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से माइक्रोप्लान में शामिल करने के लिए राज्य को भेज दिया गया है।

बिना बीजों वाले फलों की खेती

4567. श्री पी. मोहन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कतिपय बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एम एन सी) द्वारा प्रोत्साहित बिना बीजों वाले फलों की खेती करने पर विचार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अन्य फसलों पर इसके प्रभावों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है जैसा कि बीटी काटन के मामले में महसूस किया गया था?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार कृषि में वृहद् प्रबंधन-कार्य योजना के जरिए राज्य के प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत फलों की खेती, जिसमें अंगूर जैसे बीज रहित फल शामिल हैं, के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

(ग) चूंकि इसमें कोई ट्रांसजेनिक शामिल नहीं होती है, इसलिए अंगूर जैसे बीज रहित फलों की खेती पर कोई विपरीत प्रभाव की जानकारी नहीं मिली है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों की कमी

4568. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों को उक्त योजना में छोड़ दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित किए जाने वाले गोदामों की संख्या का निर्धारण करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। ग्रामीण गोदामों के निर्माण/जीर्णोद्धार संबंधी केन्द्र क्षेत्रीय स्कीम के अंतर्गत सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए परिकल्पित कुल 140 लाख टन की भण्डारण क्षमता में से दिसंबर, 2004 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 127 लाख टन की भण्डारण क्षमता के निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी है।

(ख) और (ग) यह स्कीम देश के सभी राज्यों में लागू है।

(घ) ग्रामीण गोदामों के निर्माण/जीर्णोद्धार संबंधी इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, निगम या राज्य की अन्य अनुमति प्राप्त एजेंसियां आर्थिक व्यवहार्यता और मांग तथा आपूर्ति तंत्र के आधार पर इस परियोजना को चला सकते हैं/सकती हैं। हालांकि, सभी राज्यों को पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी

राज्य में परियोजना की स्वीकृत अधिकतम 28 लाख टन तक सीमित रखी गई है। (जोकि 10वीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित कुल 140 लाख टन का 20% है)।

[अनुवाद]

मिशन मोड परियोजना का क्रियान्वयन

4569. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को कृषि क्षेत्र के अंतर्गत पहचान किए गए मिशन मोड परियोजना (एग्रीसनेट) के क्रियान्वयन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) गुजरात सरकार ने ई-विस्तार की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किसानों के द्वारा बैंक के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। भारत सरकार ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा मिशन मोड परियोजना एग्रीसनेट के औपचारिक अनुमोदन के पहले यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

(ख) गुजरात सरकार के प्रस्ताव में हार्डवेयर, साफ्टवेयर, आंकड़ा प्रविष्टि, प्रशिक्षण और कनेक्टिविटी के लिए 502.75 रु. की सहायता की मांग की गई है।

(ग) कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। एग्रीसनेट परियोजना को संबंधित केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम के तहत कार्यान्वयन हेतु (मार्च, 2005 में) अनुमोदित किया गया है और राज्यों को एग्रीसनेट दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे।

उर्वरकों का प्रयोग

4570. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री सदाशिवसव दादोबा मंडलिक:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषकों को शिक्षित करने के लिए कोई प्रणाली तंत्र इजाद किया है जिससे कि वे उर्वरकों का कम प्रयोग कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में विशेषत: महाराष्ट्र में उर्वरक की औसतन कितना खपत रही; और

(घ) देश में उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार "समेकित पोषक प्रबंधन" (आई एन एम) को बढ़ावा दे रही है जिसमें रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए फार्म यार्ड खाद, हरी खाद, फासको कम्पोस्ट, वर्मीकम्पोस्ट जैव-उर्वरकों इत्यादि जैसे जैविक उर्वरकों के योग से रासायनिक उर्वरकों के संतुलित एवं उचित प्रयोग के आधार पर मृदा परीक्षण करना शामिल है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) अजैविक (इनआर्गेनिक) रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल (ईको-फ्रैंडली) जैव उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग का भी परामर्श दे रही है।

(ग) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान औसतन उर्वरक खपत क्रमश: 92.83, 86.06 और 89.82 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर है और उसी अवधि में महाराष्ट्र की क्रमश: 75.6, 75.3 और 65.7 कि.ग्रा./ हैक्टेयर है।

(घ) देश में उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार संतुलित एवं समेकित उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। इसके अतिरिक्त भा.कृ.अ.प. निम्नलिखित कार्यकलाप भी कर रही है:—

* वांछित उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उर्वरक सिफारिशों पर अधिक मृदा परीक्षण के लिए रैडी रैकनर विकसित किया गया है।

* राष्ट्रीय (द्वितीय एवं सूक्ष्म पोषक) और राज्य (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम) स्तर पर मृदा उर्वरता नक्शों को तैयार किया गया है।

* देश के विभिन्न कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न फसलों के लिए आई एन एम पैकेज विकसित किए गए हैं।

* अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं और सूक्ष्म एवं द्वितीय पोषकों के अंतर्गत मृदा पौध प्रणाली में सूक्ष्म एवं द्वितीय पोषक से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने के लिए सूचना तैयार की गई।

* विभिन्न क्षेत्रों में समेकित पौध पोषण आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रत्यक्ष प्रदर्शनों (एफ एल डी) को आयोजित किया गया।

कृषि क्षेत्र में सुधार

4571. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बागवानी मिशन और एक नई मौसम बीमा योजना शुरू करना इस क्षेत्र के लिए अधिक लाभकारी होगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए वर्ष 2005-06 की वार्षिक योजना में चालू स्कीमों के साथ-साथ कई बड़े नये प्रयासों को भी शामिल किया गया है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं-(1) राष्ट्रीय बागवानी मिशन जिसमें उत्तरपूर्वी क्षेत्र, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और उत्तरांचल में चल रहा बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन भी शामिल है, (2) माइक्रो इरिगेशन, (3) राष्ट्रीय बांस मिशन, (4) बारानी/वर्षा आधारित कृषि प्रणाली की सततता में वृद्धि, (5) कृषि संबंधी वृहद् प्रबंधन स्कीम, (6) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन ए आई एस), और (7) समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का स्कीम (आईसोपाम)।

(ख) और (ग) जी हां। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत अनुसंधान से लेकर उत्पादन तक के विभिन्न चरणों में समुचित हस्तक्षेप करके, फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन के माध्यम से 2011-12 तक बागवानी उत्पादन को दुगुना करके 300 मिलियन टन तक लाने की संकल्पना की गई है।

मौसम बीमा स्कीम से किसानों को समय से भुगतान हो जाता है। इसका क्रियान्वयन भी सरल है और इसके दुरुपयोग की भी बहुत कम संभावना होती है।

कृषि क्षेत्र में वृद्धि

4572. श्री हितेन बर्मन:
श्री जोवाकिम बखला:
श्री सुव्रत बोस:
श्री मोहन सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि क्षेत्र में अधिक वृद्धि दर के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ख) वांछनीय वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए कितना निवेश किए जाने की आवश्यकता है;

(ग) देश में विशेषत: उत्तरी बंगाल में कृषि वृद्धि हेतु आरंभ की गई विशेष योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र में विशेषत: उत्तरी बंगाल में लक्ष्य की प्राप्ति और रोजगार में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से प्राथमिकता के आधार पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सरकार ने अभिबल क्षेत्र अभिज्ञात किए हैं, जिनमें कृषि ऋण, सिंचाई, बागवानी, फसल विविधीकरण तथा विपणन सुधार शामिल हैं। वर्ष 2005-06 के बजट में भी कृषक परिवारों को खास तौर से उत्पादन ऋण प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों द्वारा अपना ध्यान उन पर केन्द्रित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। बजट में बताए गए अन्य क्षेत्रों में ड्रिप एवं छिड़काव सिंचाई युक्त छोटी सिंचाई प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जिसमें बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेजों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा कृषि विपणन के आधारभूत ढांचे, ग्रेडिंग तथा मानकीकरण का सुदृढ़ीकरण/विकास शामिल है।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सम्बद्ध क्षेत्रों सहित कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) की वृद्धि दर 4% निर्धारित की गई है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 219.6 हजार करोड़ रु. (वर्ष 2001-02 के मूल्यों पर) का अपेक्षित निवेश प्रक्षेपित किया गया है।

(ग) और (घ) कृषि क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नयी विशेष स्कीमों में (1) मण्डी के आधारभूत ढाचे, ग्रेडिंग एवं मानकीकरण का विकास, (2) ग्रामीण भण्डारण योजना, (3) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, (4) राष्ट्रीय बागवानी मिशन, (5) ड्रिप एवं छिड़काव सिंचाई प्रौद्योगिकी सहित छोटी सिंचाई, फसल विविधीकरण को पुनर्जीवित करने एवं प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत कृषि अनुसंधान हेतु एक राष्ट्रीय कोष की स्थापना आदि शामिल है।

जहां तक पूर्वी बंगाल का प्रश्न है, दार्जिलिंग के जलपाईगुड़ी, कूचबिहार तथा सिलिगुड़ी उप प्रभाग के जिलों वाले तराई क्षेत्र में नीदरलैण्ड सरकार की वित्तीय सहायता से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अलावा उत्तरी बंगाल के जिलों के व्यापक विकास के लिए स्कीमों के निरूपण एवं कार्यान्वयन हेतु

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर बंग उन्नयन परिषद नामक एक निकाय का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

दलहनों का उत्पादन

4573. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पंद्रह वर्षों के दौरान देश में दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद 2.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि से केवल 1.2 करोड़ टन दलहनों की पैदावार ही प्राप्त हो पायी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दलहनों का उत्पादन और इस संबंध में औसतन उत्पादकता दर में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। वर्ष 1989-90 से 2003-04 की अवधि में दलहन का कुल उत्पादन 1.11 करोड़ टन से 1.49 करोड़ टन के बीच रहा और दलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र 2.04 करोड़ हेक्टेयर से 2.47 करोड़ हेक्टेयर रहा।

(ख) दलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता में कमी का प्रमुख कारण अपर्याप्त सिंचाई है क्योंकि दलहन की खेती मुख्यत: वर्षा सिंचित क्षेत्रों में की जाती है और इसके अन्य कारण अधिक पैदावार देने वाले बीजों की अनुपलब्धता है क्योंकि दलहन उत्पादन प्रौद्योगिकी में अब तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) दलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए "तिलहन, दलहन, आयल पाम एवं मक्का से संबंधित समेकित स्कीम" (आईसोपाम) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन दिनांक 1.4.2004 से किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रजनक बीजों के उत्पादन, आधारी बीजों के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के उत्पादन, गुणवत्ता बीजों के उत्पादन हेतु संक्षिप्त कार्यक्रम, प्रमाणित बीजों के वितरण, मिनिकिटों के तवरिण, आधारभूत ढांचे के विकास, समेकित कीट प्रबंध आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दलहन की अधिक उपज क्षमता वाली तथा चने (चिक पी) एवं अरहर (पीजन पी) में मुरझान तथा मूंग की फली में पीली मोजाईक वाइरस संबंधी रोग का सामना करने में सक्षम उन्नत किस्मों के विकास हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। चने एवं अरहर में कीटों के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंध प्रौद्योगिकी का भी विकास किया गया है।

[अनुवाद]

एफसीआई को घाटे

4574. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों के भंडारण में लापरवाही बरतने की वजह से भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) को वित्तीय घाटे उठाने पड़े थे;

(ख) यदि हां, तो क्या जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई जांच की गई थी;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान जांच किए गए मामलों की संख्या कितनी है और उन अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई; और

(घ) भविष्य में ऐसे घाटों को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 2000-01 से 2002-03 की अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों में हुई भंडारण तथा मार्गस्थ हानियां नीचे दी गई हैं:—

मात्रा लाख टन में
मूल्य करोड़ रुपये में

वर्ष	भंडारण हानि		मार्गस्थ हानि	
	हानि की मात्रा	मूल्य	हानि की मात्रा	मूल्य
2000-2001	1.56	145.31	1.55	134.76
2001-2002	1.44	143.02	1.42	123.12
2002-2003	3.17	309.39	1.70	148.52

(ख) और (ग) वर्ष 2002, 2003 और 2004 के दौरान खाद्यान्नों (भंडारण और मार्गस्थ) के भंडारण में लापरवाही से संबंधित जिन मामलों की जांच की गई है उनकी संख्या नीचे दी गई है:—

वर्ष	जांच किए गए मामलों की संख्या
2002	858
2003	866
2004	583

(घ) वर्ष 2002, 2003 और 2004 के दौरान अन्य अनियमितताओं सहित खाद्यान्नों (भंडारण और मार्गस्थ) के भंडारण में लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

हानियां कम करने के लिए जिन डिपुओं से अधिक हानि की सूचना आती है उनकी औचक तथा नियमित जांच की जाती है। इसके अलावा रिकवरी की जाती है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

वर्ष 2002, 2003 और 2004 के दौरान अन्य अनियमितताओं सहित खाद्यान्नों (भंडारण और मार्गस्थ) के भंडारण में लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

लगाए गए दंड का स्वरूप	2020	2003	2004
बर्खास्तगी/हटाना/अनिवार्य सेवानिवृत्ति	55	56	37
रैंक में कमी	87	66	39
टाइम स्केल वेतन में कमी	435	420	361
वेतनवृद्धि रोकना	262	146	168
भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि की वेतन से वसूली	1149	964	1346
पदोन्नति रोकना	12	12	6
निन्दा करना	425	427	489
जोड़	2425	2091	2446

[हिन्दी]

विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं

4575. श्री जयप्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित चालू परियोजनाओं और वर्तमान में लंबित परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए विश्व बैंक से कोई चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) इस समय विभिन्न राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से पांच परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तीन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को संस्तुत किया गया है जो बैंक द्वारा मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में है।

(ख) से (घ) उपरोक्त पांच परियोजनाओं में से केवल एक परियोजना अर्थात् 'आन्ध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (सिंचाई घटक)' जो 31.3.2004 तक पूरी की जानी थी, में कार्यक्रम के अनुसार नियोजित कार्यों के पूरा न हो पाने के कारण देरी हुई, इसका कारण अनिश्चित मानसून और प्राकृतिक आपदाओं की पुनरावृत्ति है जिससे परियोजना की प्रगति धीमी रही। इस परियोजना को पूरा करने का समय 30.9.2005 तक बढ़ा दिया गया है।

[अनुवाद]

चीनी आबंटन

4576. श्री मधु गौड़ यास्खी:
श्री के.एस. राव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से राज्यों हेतु चीनी आबंटन बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन राज्यों द्वारा राज्य-वार कितनी चीनी की मांग की गई है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की राज्य-वार क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां। लेवी चीनी के आबंटन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने मौजूदा प्रति व्यक्ति प्रति मास पात्रता 500 ग्राम से बढ़ाकर एक किलोग्राम करने और तदनुसार आंध्र प्रदेश राज्य का मासिक कोटा 9690.0 मीट्रिक टन प्रति मास से बढ़ाकर 19380.0 मीट्रिक टन प्रति मास करने का अनुरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी के वितरण के लिए गरीबी की रेखा से ऊपर के परिवारों को भी शामिल करने का अनुरोध किया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए निर्धारित 13945.9 मीट्रिक टन मात्रा के अलावा, महाराष्ट्र राज्य में गरीबी की रेखा से ऊपर के 1.48 करोड़ परिवारों के लिए अतिरिक्त 37000 मीट्रिक टन लेवी चीनी प्रति मास रिलीज की जाए।

(ग) बेहतर लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए 1.2.2001 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी की आपूर्ति उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपीय प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों तक सीमित कर दी गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आबंटित लेवी चीनी की प्रति व्यक्ति प्रति मास न्यूनतम मात्रा 1.2.2001 से 425 ग्राम से बढ़ाकर 500 ग्राम कर दी गई थी। इस व्यवस्था में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल

4577. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ई एस आई सी के अंतर्गत चार प्रमुख शहरों में चार सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से बीड़ी कामगारों हेतु झाल्दा, पुरुलिया में बीड़ी अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) देश के विभिन्न भागों में स्थित अतिविशिष्ट सेवा प्रदान करने वाले अस्पतालों की स्थापना करने के लिए विस्तृत संभाव्यता अध्ययन करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 1.2.2005 को आयोजित अपनी बैठक में एक परामर्शदाता की नियुक्ति का अनुमोदन किया है।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने बीड़ी कामगारों के लिए झाल्दा और पुरुलिया में अस्पतालों के निर्माण हेतु अपनी सिफारिश किए जाने की सूचना दी है। तथापि, पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक परियोजना के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं।

[हिन्दी]

उर्वरकों हेतु द्वितीयक माल-भाड़ा दर

4578. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों हेतु द्वितीयक माल-भाड़ा दर निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय के कब तक लिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार यूरिया हेतु मौजूदा द्वितीयक माल-भाड़ा दर की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यूरिया को नियंत्रण मुक्त उर्वरकों की श्रेणी में लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) यूरिया का द्वितीयक भाड़ा समीकृत भाड़े के भाग रूप में दिया जाता है। नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त एवं पौटाशयुक्त उर्वरकों के मामले में, द्वितीयक भाड़ा इन उर्वरकों पर दी जाने वाली रियायत की दरों में सन्निहित रहता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी नहीं, वर्तमान में, यूरिया आंशिक वितरण नियन्त्रण के अधीन है।

कीटनाशकों का बढ़ता प्रयोग

4579. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग से खाद्य चक्र को बचाने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): सरकार ने समेकित कीट प्रबंध (आई पी एम) को पौध संरक्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में अपनाया है, जिसमें संवर्द्धनात्मक, यांत्रिक तथा जैविकीय विधियां एवं रासायनिक उर्वरकों का आवश्यकता आधारित उपयोग शामिल है। समेकित कीट प्रबंध दृष्टिकोण में पर्यावरण के अनुकूल जैव नियंत्रण एजेंटों एवं जैव कीटनाशियों के उपयोग पर बल दिया जाता है। समेकित कीट प्रबंध दृष्टिकोण का प्रचार-प्रसार केन्द्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंध केन्द्रों (सी आई पी एम सी) द्वारा आयोजित फार्मर्स फील्ड स्कूल्स में किसानों के प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाता है। सरकार जैव नियंत्रण एजेंटों के उत्पादन के लिए जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु सहायता अनुदान देती है, ताकि कीट नियंत्रण के लिए रासायनिक कीटनाशियों के विकल्प के रूप में उनके उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा सके।

[अनुवाद]

नारियल उत्पादन

4580. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों में नारियल का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में नारियल उत्पादन में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में नारियल उत्पादकों की सहायता के लिए कोई प्रभावी उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नारियल के पौधों से बीमारियों को जड़ से समाप्त करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में नारियल के कुल उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है:—

वर्ष	उत्पादन (मिलियन नट्स)
2000-01	12678.4
2001-02	12963.2
2002-03	12141.2

वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान, नारियल के उत्पादन में पिछले वर्षों के मुकाबले क्रमश: 4.53 प्रतिशत और 2.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2002-03 के दौरान उत्पादन 6.34 प्रतिशत कम रहा है।

(ग) और (घ) किसानों के लाभ के लिए "समेकित नारियल उद्योग विकास" और "नारियल प्रौद्योगिकी मिशन" के अंतर्गत नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इस स्कीम के प्रमुख घटक हैं-उत्पादकता में सुधार हेतु नारियल बागानों में समेकित फार्मिंग, गुणवत्ताप्रद पादप रोपण सामग्रियों का उत्पादन और संवितरण मण्डी आसूचना और विपणन संवर्द्धन। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कुल 150 करोड़ रु. का और चालू वर्ष में 20 करोड़ रु. का परिव्यय रखा गया है।

भारत सरकार प्रत्येक वर्ष मिलिंग कोपरा और खाद्य कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है जिससे कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 2005 मौसम में मिलिंग कोपरा का समर्थन मूल्य 3570 रु. प्रति क्विंटल और खाद्य कोपरा का समर्थन मूल्य 3820 रु. प्रति क्विंटल घोषित किया गया है।

(ङ) रोगों के प्रबंधन के लिए 2004-05 में निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं:—

(1) उत्पादकता में सुधार हेतु नारियल बागानों में समेकित फार्मिंग

इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक समेकित दृष्टिकोण को अपनाकर नारियल बागानों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाना है और उसके द्वारा निम्नलिखित घटकों के तहत ईकाई बागान की निवल आय में वृद्धि करना है यथा—

(क) रोग प्रभावित पामों का प्रबंधन

केरल, तंजौर में जड़ मुरझान रोग (रूट विल्ट) और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में विल्ट (मुरझान) रोग को फैलने से रोकने के लिए रोग ग्रस्त पामों को काट कर हटाना तथा तत्पश्चात् रोगग्रस्त बागानों का प्रबंधन करना। इन बागानों का प्रबंधन उत्पादकता और उत्पादन संबंधी एक अलग कार्यक्रम के तहत किया जाता है। रोग ग्रस्त पामों को हटाने के लिए प्रति पाम 250 रु. की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। 2003-04 तक बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत केरल में जड़ में मुरझान रोग से काफी हद तक प्रभावित 25.93 लाख पामों को उखाड़ फेंका गया है जिसके लिए 47.24 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, 7.159 लाख रोगग्रस्त पामों को उखाड़ फेकने का प्रस्ताव किया गया है जिसके लिए 1788.40 लाख रु. का वित्तीय परिव्यय रखा गया है।

(ख) प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना

रोग ग्रस्त बागानों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए समेकित प्रबंधन विधियों को अपनाने के लिए 35,000/-रु. प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता दो वार्षिक किश्तों में ही जा रही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कुल 1448.690 लाख रु. का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है जिससे 4330 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जा सकेगा।

(ग) जैविक खाद इकाइयों को सहायता

कम्पोस्टिंग के माध्यम से जैविक कचरों का पुनश्चक्रण भी एक प्रकार का रोग प्रबंधन ही है। नारियल बागानों में जैविक खादों जैसे कि वर्मी कम्पोस्ट, क्वायर पिथ कम्पोस्ट के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 20,000/-रु. प्रति इकाई की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 298.80 लाख रु. की वित्तीय सहायता से 1500 इकाइयों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है।

(2) नारियल प्रौद्योगिकी मिशन

इस कार्यक्रम का उद्देश्य नारियल बागानों के कीटों एवं रोगों का प्रबंधन करके इसकी उत्पादकता में सुधार लाना है। इस मिशन के अंतर्गत प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए सरकारी संस्थानों को परियोजना लागत की 100% की दर से लेकिन अधिकतम 50.00 लाख रु. तथा गैर-सरकारी संगठनों और अन्य निजी संगठनों को परियोजना लागत की 50% लेकिन अधिकतम 25.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, सरकारी संस्थापनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए परियोजना लागत की 100% लेकिन अधिकतम 25.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और प्रौद्योगिकी को अपनाये जाने के मामले में यह सहायता परियोजना लागत की 50% लेकिन अधिकतम 10.00 लाख रु. की दर से दी जाती है और परियोजना लागत की 25% वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है। अब तक 24 परियोजनाओं के लिए 16.98 करोड़ रु की सहायता प्रदान की जा चुकी है।

रोजगार के अवसरों में कमी

4581. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्थव्यवस्था में वृद्धि के बावजूद देश में रोजगार के अवसरों में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो अर्थव्यवस्था के कौन-कौन से क्षेत्रों पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान किए गए रोजगार एवं बेरोजगारी के सर्वेक्षण के अनुसार सामान्य स्थिति आधार पर रोजगार जोकि 1993-94 में 374 मिलियन था वह 1999-2000 में बढ़कर 397 मिलियन हो गया। तथापि, राज्यवार निष्पादन भिन्न-भिन्न रहा। विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, भंडारण एवं संचार तथा वित्तीय सेवा क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि हुई जबकि कृषि, खनन एवं उत्खनन, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवा क्षेत्रों में रोजगार में गिरावट आई।

कीड़ा लगे (माइट वाले) नारियल के पेड़

4582. श्रीमती पी. सतीदेवी:
श्री पी.पी. कोया:
श्री एस. मल्लिकार्जुनैया:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उस मंडरी वायरस डिसीज (नारियल माइट) पर काबू पाने में सफल हो गई है जो लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगे बहुत से नारियल के पेड़ों पर लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस बीमारी के उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को उक्त राज्य सरकारों से माइट प्रभावित (कीड़ा लगे) नारियल के पेड़ों के विनाश हेतु वित्तीय सहायता के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, हां। दीमक (माइट) पर भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय संचालन समिति की सिफारिशों के अनुसार समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन और समेकित जल प्रबंधन के पैकेजों को अपनाने से किसानों को नारियल की दीमक (कोकोनट माइट) पर नियंत्रण रखने में काफी हद तक सफलता मिली है। दीमक (माइट) के प्रकोप को रोकने के लिए किसानों को संवेदनशील बनाने और अनुशंसित रणनीतियों का प्रचार-प्रसार करने के लिए इन पैकेजों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान (सी पी सी आर आई), कैसरगोड, केरल द्वारा 2004 में किए सर्वेक्षण से पता चलता है कि अत्यधिक रूप से क्षतिग्रस्त नट्स की प्रतिशतता पिछले वर्ष के 29.33% से घट कर इस वर्ष 10% से भी कम हो गई है।

(घ) से (च) जी हां। नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की राज्य सरकारों को 5413.82 लाख रु. की धनराशि जारी की गई है, जिससे दीमक (माइट) की समस्या को रोकने के लिए नियंत्रणकारी उपायों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जा सके।

(लाख रु. में)

राज्य	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	कुल
केरल	96.00	488.00	2425.00	–	3009.00
तमिलनाडु	25.00	79.42	950.00	–	1054.42
कर्नाटक	50.40	100.00	740.00	460.00	1350.40
कुल	171.40	667.42	4115.00	460.00	5413.82

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा अर्जित लाभ

4583. श्री अजीत जोगी: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा राज्य-वार अर्जित लाभ का खनिज-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस निगम का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन के खनिज-वार, राज्यवार और परियोजनावार अर्जित लाभ का ब्यौरा नीचे दिया गया है। पयियोजनावार निवल लाभ कर-पूर्व लाभ के अनुपात में परियोजनाओं के आयकर का विनियोजन करने के बाद है

(करोड़ रुपए)

वर्ष	लौह अयस्क				हीरा	अन्य	योग
	छत्तीसगढ़		कर्नाटक		मध्य प्रदेश		
	बैलाडिला निक्षेप-14	बैलाडिला निक्षेप-5	दौणिमलै	योग	पन्ना		
2001-02	105.43	131.89	15.28	252.60	4.71	-0.78	256.54
2002-03	132.07	162.43	14.77	309.27	4.84	-1.90	312.21
2003-04	151.99	210.13	72.99	435.12	2.21	-4.70	432.63

[अनुवाद]

भविष्य निधि सुधारों के संबंध में परामर्श देने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शी फर्में

4584. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ऐसे आर्थिक वातावरण जिसमें ब्याज दर घट रही हो और कर्मचारी भविष्य निधि (ई पी एफ) अपेक्षित प्राप्तियों के सृजन के लिए केवल गारन्टीशुदा सरकारी प्रतिभूतियों पर निर्भर नहीं रह सकता हो, में यह महसूस करती है कि इसमें पर्याप्त लाभ के कोई अवसर नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के समक्ष भविष्य निधि सुधारों के संबंध में परामर्श देने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शी फर्म को नियुक्त करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधियों के निवेश प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का एकबारगी अध्ययन करने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से खुली बोलियां आमंत्रित की थीं। कर्मचारी भविष्य निधि केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने विभिन्न प्रतिभागियों का वस्तुनिष्ठ तुलनात्मक विश्लेषण के बाद कार्य के लिए मैसर्स/मर्सर ह्यूमन रिसोर्स कन्सलटिंग को नियुक्त करने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया था।

ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम

4585. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आरंभ करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शुरू किए गए मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे उपभोक्ताओं को शिक्षित करने का प्रयास किया गया है। दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगों में उपभोक्ता से संबंधित सूचना फैलाने के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन, किसान चैनल आदि के जरिए दृश्य और श्रव्य कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। व्यापक कवरेज के लिए विज्ञापनों को हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रमुख समाचार पत्रों में जारी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा राज्य सरकारों को दृश्य/श्रव्य कार्यक्रमों, मुद्रित साहित्य, उपभोक्ता से संबंधित मसलों आदि पर

पोस्टरों/बैनरों को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना का प्रसार करने के लिए इन्हें पंचायत स्तर पर वितरित किया जा सके।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

4586. श्री कैलाश मेघवाल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999 के खरीफ मौसम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि किसानों और उनकी फसलों को अधिकाधिक जोखिम से सुरक्षा प्रदान की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां यूनिट एरिया बीमा योजना पंचायत स्तर तक लागू हो चुकी है, जैसा कि इस योजना के तहत अनिवार्य भी था?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को रबी 1999-2000 से चलाया जा रहा है जिससे कि किसानों, फसलों और जोखिम संबंधी वचनबद्धता के कवरेज को बढ़ाया जा सके।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एक क्षेत्र आधारित योजना है। इसको क्रियान्वित करने वाले राज्य अपनी आवश्यक संख्या में फसल कटाई प्रयोग (सी सी ई) करने की क्षमता को देखते हुए किसी को भी जैसे कि ब्लाक, तहसील, मंडल, ग्राम पंचायत आदि को ईकाई क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर सकते है।

जिन राज्यों ने ग्राम पंचायत को बीमा के लिए ईकाई क्षेत्र घोषित किया है वे हैं—अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। पांडिचेरी ने कम्यून पंचायत को बीमा का ईकाई क्षेत्र घोषित किया है।

[अनुवाद]

डेयरी उद्योग और पशुपालन के विकास और विस्तार की नई तकनीकें

4587. श्री अधीर चौधरी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पशुपालन और डेयरी उद्योग के विकास और विस्तार के संदर्भ में नई तकनीकों का विकास करने के लिए क्या प्रयास किए गए;

(ख) संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों को इन तकनीकों के बारे में जानकारी देने के लिए और उन्हें इसका उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) डेयरी उद्योग से संबंधित विभिन्न पशुओं की संख्या में लगातार गिरावट को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में सरकार की नीति का मुख्य जोर वैज्ञानिक प्रबंधन और पशुधन के आनुवंशिक संसाधनों के उन्नयन के जरिए पशुओं की उत्पादकता में सुधार करने, पशु रोग नियंत्रण, पोषक आहार और चारे की उपलब्धता बढ़ाने तथा पशुधन उत्पादों के लिए डेयरी प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं की स्थापना पर है। सरकार पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों के विकास के लिए नई तकनीकियां विकसित और प्रदान करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है।

(ग) "पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता", "खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम", और "पशु स्वास्थ्य निदेशालय" जैसी अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ताकि दुधारू पशुओं को अनेक रोगों के विरुद्ध नैदानिक और अन्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इसके अलावा, राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना नामक एक अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजना भी क्रियान्वित की जा रही है जिसका मुख्य जोर अच्छी प्रकार से अपनाई गई स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और राष्ट्रीय दुग्ध यूथ की स्थापना पर है।

ई.एस.आई.सी. सुविधाओं के कारण लंबित धनराशि

4588. श्री बृजकिशोर त्रिपाठी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों को ई.एस.आई.सी. सुविधाओं के अंतर्गत प्रदान की गई सुविधाओं के कारण उन पर अत्यधिक धनराशि लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक वसूल की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न राज्यों के विरुद्ध लंबित देनदारियों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) संबंधित राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के हितलाभाधिकारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और एक समझौता सूत्र के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम राज्य सरकारों को भुगतान करता है। तथापि, दिल्ली सरकार के अनुरोध पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिल्ली में चिकित्सा सुविधाएं सीधे प्रदान की जा रही हैं। 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में दिल्ली सरकार से 295.82 करोड़ रुपये की राशि देय है।

(ग) दिल्ली सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई भुगतान नहीं किया है।

(घ) मामले को दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी सरकार के साथ उठाया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि में भ्रष्टाचार रोकने हेतु बाह्य लेखापरीक्षा

4589. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बाहर से लेखापरीक्षा कराना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनियमितताओं की कितनी घटनाएं प्रकाश में आईं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) जी, हां। कुछ चुनिंदा कार्यालयों की लेखा परीक्षा के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्मों को नियुक्त किया जा रहा है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने पैनलबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्मों की एक सूची उपलब्ध कराई जिन्हें शुरूआत में, दिल्ली स्थित पांच कार्यालयों की लेखापरीक्षा हेतु नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है।

(ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में पाई गई धोखाधड़ी/वित्तीय अनियमितताओं की कुल संख्या निम्नवत् है:

वर्ष	मामलों की संख्या
2002-03	03
2002-04	07
2002-05	07

अब तक, 33 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। 22 अधिकारियों के विरुद्ध बड़ी दंडात्मक कार्यवाहियां और 16 अधिकारियों के विरुद्ध साधारण दंडात्मक कार्रवाइयां शुरू की गईं। 13 मामलों के विस्तृत जांच का कार्य सीबीआई/राज्य पुलिस अधिकारियों/सतर्कता ब्यूरो को सौंपा गया है।

[हिन्दी]

कुशल श्रमिकों का अभाव

4590. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री खारबेल स्वाईं:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि वाणिज्यिक पायलटों, अत्याधुनिक उपकरणों को चलाने वाले प्रशिक्षित जनशक्ति और गैर-सरकारी बैंकिंग में कुशल श्रमिकों का बहुत अभाव है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें ऐसे श्रमिकों का अभाव है;

(ग) देश में कुशल श्रमिकों के सृजन के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति प्रशिक्षित किये जा रहे हैं और कुशल श्रमिकों की संख्या वास्तविक आवश्यकता से कितनी कम है; और

(घ) सरकार द्वारा देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय कुशल व्यक्तियों की किसी प्रकार की कमी से अवगत नहीं है। तथापि, वैश्वीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में कामगारों के कौशल स्तर में उन्नयन की आवश्यकता है।

(ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के अनेक संस्थान श्रम बल में नए प्रवेशार्थियों को कौशल प्रशिक्षण तथा कार्य में पहले से ही नियोजित कामगारों को पुन: प्रशिक्षण प्रदान करने में लगे हुए हैं। व्यक्तियों की वास्तविक संख्या नहीं रखी जाती। तथापि, प्रमुख प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से सरकार में वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता लगभग 30 लाख है।

(घ) सरकार 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के माध्यम से 10वीं योजना के प्रत्येक वर्ष में 1 करोड़ रोजगार सृजित करते हुए 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन का प्रयास कर रही है। इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

अंत्योदय अन्न योजना

4591. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:
श्री प्रदीप गांधी:
श्री जी. करुणाकर रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत राज्यवार कुल कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के दौरान राज्यवार कितना खाद्यान्न उठाया गया;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत वितरित किए जाने वाला राज सहायता प्राप्त खाद्यान्न लक्षित लोगों तक नहीं पहुंच पाता;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है/कराया जाना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस योजना को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) अंत्योदय अन्न योजना के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन पहचान किये गये अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या के अनुसार किया जाता है। पिछल 3 वर्षों के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के अधीन पहचान किए गए अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और जारी किए गए राशन कार्डों की कुल संख्या तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए खाद्यान्नों की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलायी जाती है जिसमें खाद्यान्नों की वसूली, भंडारण और भारतीय खाद्य निगम के मुख्य वितरण केन्द्रों तक उनकी ढुलाई की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है और लाभभोगियों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और देशभर में फैली 4.77 लाख उचित दर दुकानों के विस्तृत नेटवर्क के जरिए खाद्यान्नों को वितरित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजना के अधीन खाद्यान्नों का उठान काफी उत्साहवर्धक है। वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान क्रमश: 85.62% 85.73% और 91% उठान हुआ था। वर्ष 2004-05 (फरवरी, 2005 तक) के दौरान यह लगभग 87% है।

(घ) से (च) ओ.आर.जी. सेन्टर फार सोशल रिसर्च, नई दिल्ली के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना पर एक मूल्यांकन अध्ययन कराया गया है। सरकार को 22.3.2005 को प्राप्त हुई अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(छ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सक्षमता, जवाबदेही और प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए इसमें सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 अधिसूचित करने, लाभभोगियों की पहचान कने तथा उचित दर दुकानों के कार्यकरण में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने, नागरिक अधिकार पत्र जारी करने और अनियमितताओं को रोकने तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अंत्योदय अन्न योजना का निरीक्षण और मानीटरिंग करने के लिए कार्यबल दल तैनात करने के अलावा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में राज्य खाद्य सचिवों, राज्य खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन और सभी संसद सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई थी।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्न तारीख को राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान और जारी किए गए राशन कार्ड (लाख में)			निम्न वर्षों के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के अधीन खाद्यान्नों का उठान (हजार टन में)		
		1.4.2003	1.4.2004	1.4.2005	2002-03	2003-04	2004-05 (फरवरी, 2005 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	6.23	6.23	12.34	234.646	330.659	417.895
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.15	0.15	0.30	5.708	6.231	7.521
3.	असम	2.81	2.81	4.12	104.931	112.266	124.178
4.	बिहार	10.00	10.00	10.00	333.909	380.872	343.519
5.	छत्तीसगढ़	2.86	4.31	5.69	4.654	147.141	126.689
6.	दिल्ली	0.31	0.32	0.56	11.594	12.989	12.034
7.	गोवा	0.06	0.07	0.11	2.254	2.408	5.040
8.	गुजरात	3.04	11.36	5.15	115.539	55.286	98.541
9.	हरियाणा	1.13	1.18	1.82	42.899	45.804	58.957
10.	हिमाचल प्रदेश	0.79	0.81	1.18	32.633	33.099	37.625
11.	जम्मू व कश्मीर	1.13	1.13	1.69	32.232	47.368	39.548
12.	झारखंड	3.86	3.66	72.7	109.701	139.541	143.766
13.	कर्नाटक	4.80	7.20	9.50	179.943	196.471	269.402
14.	केरल	2.74	3.06	4.72	99.528	117.405	141.484
15.	मध्य प्रदेश	6.31	6.31	11.71	251.621	318.297	348.399
16.	महाराष्ट्र	10.02	10.02	19.84	363.687	391.325	535.430
17.	मणिपुर	0.25	0.25	0.26	10.963	11.094	6.731
18.	मेघालय	0.28	0.28	0.42	10.876	12.567	14.699
19.	मिजोरम	0.10	0.10	0.21	4.416	4.953	6.378
20.	नागालैण्ड	0.19	0.19	0.38	7.953	9.304	10.532
21.	उड़ीसा	5.05	5.05	9.97	181.697	209.274	190.555
22.	पंजाब	0.72	0.72	0.72	15.211	16.824	21.006
23.	राजस्थान	3.73	4.15	7.17	149.144	170.297	207.891

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	सिक्किम	0.07	0.10	0.10	2.878	3.490	3.828
25.	तमिलनाडु	7.16	7.16	14.52	287.553	311.361	408.211
26.	त्रिपुरा	0.45	0.45	0.68	18.845	18.922	18.996
27.	उत्तरांचल	0.76	0.76	0.76	19.244	27.175	34.440
28.	उत्तर प्रदेश	16.37	16.37	32.42	695.807	806.835	836.981
29.	पश्चिम बंगाल	5.88	5.84	12.39	203.575	218.558	230.993
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.04	0.04	0.04	उपलब्ध नहीं	2.306	उपलब्ध नहीं
31.	चण्डीगढ़	0.03	0.01	0.04	0.888	0.733	0.191
32.	दादरा और नगर हवेली	0.03	0.03	0.03	0.860	0.830	उपलब्ध नहीं
33.	दमन व दीव	0.01	0.01	0.006	0.181	0.149	उपलब्ध नहीं
34.	लक्षद्वीप	0.004	0.004	0.004	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
35.	पांडिचेरी	0.09	0.10	0.22	3.143	3.413	1.235
	जोड़	97.25	110.23	176.31	3538.713	4165.247	4702.695

भूजल के पुनर्भरण की योजना

4592. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं योजना के दौरान "भूजल के पुनर्भरण के लिए अध्ययन" किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के दौरान देश के पूर्वी तट में मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन" संबंधी एक स्कीम का प्रस्ताव रखा है।

(ख) उपर्युक्त स्कीम के अन्तर्गत अब तक किसी परियोजना को अनुमोदित नहीं किया गया है।

ढके हुए पक्षी उद्यान

4593. डा. के. धनराजू: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कई देशों जैसे मलेशिया में "ढके हुए पक्षी उद्यानों" की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्यानों की उपयोगिता का पता लगाने के लिए कभी कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे "ढके हुए पक्षी उद्यान" आरंभ करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) सिंगापुर में एक "ढका हुआ पक्षी उद्यान" है जिसका नाम जूरोंग पक्षी उद्यान है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लहसुन और प्याज का उत्पादन

4594. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने राज्यों में लहसुन और प्याज की अच्छी फसलें हो रही हैं;

(ख) क्या सरकार को राजस्थान के जोधपुर जिले में किसानों द्वारा लहसुन की फसलों को जलाये जाने की घटनाओं की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) राज्य नामत: गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने गत वर्ष से लहसुन और प्याज के उत्पादन में सतत् वृद्धि दिखाई है।

(ख) जी हां, राज्य सरकार को राजस्थान के जोधपुर जिले में किसानों द्वारा लहसुन की फसल को जलाए जाने की घटना की जानकारी है।

(ग) और (घ) भारत सरकार फसल के अधिप्रापण के माध्यम से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'मंडी हस्तक्षेप' नामक स्कीम कार्यान्वित कर रही है। राजस्थान सरकार ने 'मंडी हस्तक्षेप' नामक इस केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम के माध्यम से लहसुन के अधिप्रापण के लिए प्रयास किए हैं।

उद्वह सिंचाई केन्द्र

4595. श्री रामदास आठवले: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में स्थानवार कुल कितने उद्वह सिंचाई केन्द्र चालू हालत में हैं;

(ख) क्या पचास प्रतिशत से अधिक उद्वह सिंचाई केन्द्र ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने असिंचित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति और गुजरात में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) कार्य कर रही लिफ्ट सिंचाई स्कीमों (लघु सिचाई में सतही लिफ्ट) की कुल संख्या का संकलन लघु सिंचाई गणना के तहत किया जाता है। दूसरी लघु सिंचाई गणना के अनुसार 1993-94 में देश में 3.7 लाख लिफ्ट सिंचाई स्कीमें थीं (गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़कर जहां गणना पूरी नहीं की जा सकी)। जनजातीय क्षेत्रों में स्कीमों की संख्या संबंधी सूचना को इस गणना के तहत एकत्र नहीं किया जाता है।

(ख) 3.7 लाख स्कीमों में से 1.6 लाख स्कीमें (44%) कम उपयोग की अवस्था में थीं।

(ग) कम जल की उपलब्धता/निस्सरण, अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति, यांत्रिक खराबी तथा विभिन्न अन्य कारण स्कीमों के कम उपयोग के कारण हैं।

(घ) सूखे की स्थिति का समाधान करने के लिए उपाय शुरू करने का दायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार का है। केन्द्र सरकार वित्तीय और प्रचालनात्मक सहायता के माध्यम से इन प्रयासों में मदद करती है। सूखे से निपटने के लिए प्रारंभिक चेतावनी लक्षण के विकास संबंधी सतत् निगरानी और जहां आवश्यक हो चेतावनी भेजने के लिए कृषि मंत्रालय में एक तंत्र है। गुजरात राज्य में जल की कमी से निपटने के लिए केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड उनके द्वारा खोदे गए सफल अन्वेषणात्मक कुओं को राज्य सरकार को सौंप रहा है। भारत सरकार वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को भी बढ़ावा दे रही है जिसके लिए केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा तकनीकी सहायता दी जाती है। जल संसाधन मंत्रालय राज्यों को उनके जलाशयों में उपलब्ध जल के उचित उपयोग की सलाह दे रहा है।

[अनुवाद]

वन भूमि का अन्य उपयोग और वितरण

4596. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कतिपय तीर्थस्थानों के विकास के लिए वन भूमि जारी करने और वन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों में इसके वितरण से संबंधित कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये ऐसे अनुरोधों का ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रत्येक अनुरोध पर राज्यवार क्या कार्यवाही की गई?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत तीर्थ स्थान केन्द्रों के विकास और आदिवासियों के बीच वन भूमि के वितरण के लिए वन भूमि के वनेतर प्रयोग से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तीर्थस्थान केन्द्र के विकास के बारे में प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वानिकी मंजूरी की स्थिति

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्र (हैक्टेयर)	टिप्पणियां
1	2	3	4
	1. आन्ध्र प्रदेश		
1.	अन्नतपुर जिले में कोना (रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर) से करनूल जिले में गट्टापल्ली तक सम्पर्क मार्ग बिछाने के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	1.92	14.06.2004 को अनुमोदित
2.	तिरूपति से तिरूमाला पहाड़ियों तक (भगवान वेंकटेश्वर मंदिर) यात्री रोपवे निर्माण	1.44	18.10.2004 को अनुमोदित
3.	नंदयाल-गिद्धलौर मार्ग से सर्व नरसिम्हा स्वामी मन्दिर तक एप्रोच पुल के निर्माण के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	0.05	14.12.2004 को अनुमोदित
4.	कपिलेश्वरम से संगमेश्वरम मन्दिर तक सड़क के निर्माण और 11 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	3.30	ब्यौरों के अभाव में 30.12.2004 को प्रताव बंद कर दिया गया।
	2. हिमाचल प्रदेश		
1.	ऊना जिले में राधा स्वामी सतसंग व्यास डेरा जयमल सिंह सोसायटी के पक्ष में वन भूमि का वनेतर प्रयोग	0.2959	02.12.2003 को अनुमोदित

1	2	3	4
2.	कुल्लु जिले में वैष्णों माता मन्दिर समिति के पक्ष में वन भूमि का वनेतर प्रयोग	0.452	राज्य सरकार से 17.6.2004 को मांगे ब्यौरे अपेक्षित हैं।
3.	सोलन जिले में श्री कृष्णा मन्दिर चेरिटेबल ट्रस्ट के निर्माण के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	0.12	27.07.2004 को अनुमोदित
	3. कर्नाटक		
1.	मदीना जामा मस्जिद के मुस्लिम निवासियों के उपयोग के लिए ईदगाह के निर्माण के लिए पट्टे के नवीकरण के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	0.6	राज्य सरकार से 2.4.04 को मांगे ब्यौरे अपेक्षित हैं।
2.	कावेरी नदी से श्री मलाई महादेश्वरा मन्दिर तक पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनटेक वैल, जैक वैल, इन्टर मीडिएट पम्पिंग स्टेशन और पाइप लाइन बिछाना	0.65	15.07.2004 को अस्वीकृत
3.	सोडी वेदराज मठ के विश्वात्मा तीर्थ स्वामी जी के पक्ष में उत्तर कन्नड़ जिले में सोडी तपोवन पर संत श्री वेदराज स्वामी जी की स्मृति में स्मारक मनतपा के निर्माण के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	0.02	ब्यौरों के अभाव में प्रस्ताव 08.07.2004 को बंद कर दिया गया।
	4. केरल		
1.	पम्पा और काकी नदियों में सिंचाई घटकों के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	1.4425	27.12.2004 को अनुमोदन प्रदान किया गया।
2.	त्रावणकोर देवासोम बोर्ड के पक्ष में बेसकैम्प/सेटेलाइट टाऊनशिप के विकास के लिए नीलाक्कल पर वन भूमि का वनेतर प्रयोग	20.00	07.01.2005 को अनुमोदन प्रदान किया गया।
3.	केरल के पत्तामशिट्टा जिले में त्रावणकोर देवसोम बोर्ड के पक्ष में साबरीमाला तीर्थयात्रियों के लिए नीलाक्कल बेस कैम्प के विकास के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	90.524	प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गठित वन सलाहकार समिति में 28.3.05 को चर्चा की गई।

1	2	3	4
4.	साबरीमाला तीर्थयात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए त्रावणकोर देवसोम बोर्ड तक वन भूमि का वनेतर प्रयोग	12.675	चूंकि क्षेत्र पेरियार बाघ रिजर्व में आता है इसलिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विचार करने से पहले राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्व अनुमति अपेक्षित होगी। प्रस्ताव पर राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड की स्थायी समिति की 6 अप्रैल, 2005 को हुई बैठक में विचार किया गया।
	5. पंजाब		
1.	रोपड़ जिले में राधास्वामी सतसंग (व्यास) के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	1.092	राज्य सरकार से 31.01.2005 को मांगे गए ब्यौरे अपेक्षित हैं।
	6. सिक्किम		
1.	टेनडोंग हिल तीर्थयात्री केन्द्र विकास समिति के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	0.4213	चूंकि कोई मंजूरी अथवा वन भूमि का ब्यौरा और कोई स्थायी निर्माण शामिल नहीं है इसलिए प्रस्ताव राज्य सरकार को लौटा दिया गया ताकि इसे राज्य वन अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य प्रक्रिया के अनुसार नियमित किया जा सके।
	7. तमिलनाडु		
1.	पालामलाई स्वामी मन्दिर के वैद्युतीकरण के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	0.1392	30.10.2002 को अनुमोदित
	8. महाराष्ट्र		
1.	नासिक जिले में श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला प्रसादालय शौचालय ब्लाक के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	1.2	अधूरी सूचना/प्रक्रिया के कारण 28.07.2003 को राज्य सरकार को वापिस।
2.	थाणे जिले में श्री बालयोगी सदानन्द आश्रम के निर्माण के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	0.69	अधूरी सूचना/प्रक्रिया के कारण 26.04.2004 को राज्य सरकार को वापिस।

1	2	3	4
3.	जलगांव जिला में मनुदेवी मन्दिर ट्रस्ट के विकास के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	0.24	2.11.2004 को अनुमोदित
	9. गुजरात		
1.	भावनगर जिले में शत्रुंजय हिल पर विसामा के निर्माण के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	0.0042	22.01.2003 को अनुमोदित
2.	भावनगर जिले में शत्रुंजय हिल पर विसामा के निर्माण के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	0.96	08.07.2004 को अनुमोदित
	10. मध्य प्रदेश		
1.	सतना जिले में परमहंस आश्रम के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	3.609	07.3.2003 को अनुमोदित
	11. राजस्थान		
1.	श्री सावित्री मात्रा मन्दिर पर यात्री रोपवे को लगाने के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	0.874	अनुमोदित
2.	सुगंधामाता मन्दिर तक रोपवे लगाने के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	0.7652	अनुमोदित
	12. उत्तरांचल		
1.	सतीमाता मन्दिर और आश्रम निर्माण के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	0.1	अनुमोदित
2.	बाबा काली कमली वाला के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	0.392	अनुमोदित
3.	हनुमान मन्दिर और आश्रम के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	0.56	अनुमोदित
4.	तोसरी बाबा हदाखान मन्दिर ट्रस्ट, चिल्लियानौला धर्मार्थ अनुसंधान अस्पताल के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	0.2	अनुमोदित
5.	श्री श्री जगद्गुरू शंकराचार्य संस्कृत कालेज और हॉस्पिटल ट्रस्ट के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	0.10	गुण-दोष के आधार पर अस्वीकृत

1	2	3	4
6.	ऋषिकेश रेन्ज के अन्तर्गत नीम करोली के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	0.4	अनुमोदित

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आदिवासियों के बीच वनभूमि के वितरण के बारे में प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वानिकी मंजूरी की स्थिति

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर)	टिप्पणियां
	1. केरल		
1.	भूमिहीन आदिवासियों के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	7693.2257	06.02.2004 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

[हिन्दी]

सोनिया विहार संयंत्र को जलापूर्ति

4597. श्री बालेश्वर यादव:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार से सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अशोधित जल की आपूर्ति न करने के कारण उत्पन्न विवाद को हल करने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और इसके क्या परिणाम निकले?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) मार्च, 2005 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्थित सोनिया विहार जल उपचार संयंत्र के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा 200 क्यूसेक अपरिष्कृत जल छोड़ने के बारे में हस्तक्षेप तथा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है।

(ख) इस मामले का समाधान करने के लिए केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर अनेक बैठकें आयोजित करती रही है। उत्तर प्रदेश ने 29.12.04 से ढाई माह की अवधि के लिए सोनिया विहार संयंत्र के लिए 80 क्यूसेक अपरिष्कृत जल छोड़ा था। मार्च, 2005 में दिल्ली सरकार द्वारा हल ही में किए गए अनुरोध के आधार पर आयोजित की गई बैठक में संयंत्र को चलाने के लिए जल की आवश्यकता तथा जल छोड़ने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामना की जा रही कठिनाई की पुष्टि की गई। दिल्ली सरकार की इच्छा थी कि उत्तर प्रदेश इस संयंत्र के लिए अधिकतम 80 क्यूसेक जल छोड़ना जारी रखे। यह भी नोट किया गया कि दिल्ली सरकार द्वारा अनुमानित जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश को थोड़ा त्याग करना होगा।

[अनुवाद]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

4598. श्री राजेन गोहेन:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री पंकज चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का है ताकि इसे उक्त अधिनियम के अंतर्गत लिये गए निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिक कठोर बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उपभोक्ता अदालतों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन):

(क) और (ख) मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को अधिक प्रभावी और प्रयोजनमूलक बनाने हेतु उसमें संशोधन करने का सुझाव देने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है।

(ग) राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता मंचों की स्थापना करना तथा उनके प्रभावी कार्यकरण हेतु सभी आवश्यक आधार ढांचा मुहैया कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केंद्र सरकार ने उपभोक्ता मंचों के आधार ढांचे को मजबूत बनाने हेतु वर्तमान में कतिपय राज्यों को शामिल करते हुए राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन देने हेतु वर्ष 2004-05 के दौरान 10.20 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इससे पहले 1995-99 की अवधि के दौरान इसी प्रयोजन हेतु 61.80 करोड़ रुपए की राशि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई थी। मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी) के माध्यम से "देश में उपभोक्ता मंचों के कम्प्यूटरीकरण और कम्प्यूटर नेटवर्किंग" की 'टर्न की' आधार पर एक स्कीम भी शुरू की है ताकि उनकी कार्यक्षमता और क्रियाशीलता में सुधार लाया जा सके।

कृषि क्षेत्र का कार्यनिष्पादन

4599. श्री तथागत सत्पथी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र का कार्यनिष्पादन लक्षित विकास से बहुत कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यनिष्पादन को ध्यान में रखते हुए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थिति की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या उत्पादनशीलता की धीमी गति और ठहराव और अधिकांश परिवारों की कम क्रय क्षमता के कारण भुखमरी और कुपोषण की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठो हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान सम्बद्ध क्षेत्रों सहित कृषि की औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.9% के लक्ष्य की तुलना में 2.1% थी।

(ख) चूंकि निवल बुआई क्षेत्र का लगभग 60% वर्षा सिंचित है, अत: कृषि उत्पादन वर्षा से बहुत अधिक प्रभावित होता है। नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1997-2002) के दो वर्षों अर्थात् 1997-98 (-2.4%) तथा 2000-01 (-0.1%) में वृद्धि दर ऋणात्मक थी। वर्ष 1997-98 में ऋणात्मक वृद्धि का प्रमुख कारण खाद्यान्न व तिलहन उत्पादन में तेजी से गिरावट आना था। वर्ष 2000-01 में भी खाद्यान्न व तिलहन के रबी उत्पादन में गिरावट बहुत अधिक थी। वृद्धि में गिरावट के लिए अभिज्ञात किए गए प्रमुख कारणों में सार्वजनिक निवेश में कमी, आधारभूत ढांचा कमजोर होना, उर्वरकों के उपयोग में असंतुलन, ऋण की अपर्याप्त उपलब्धता और कमजोर विपणन सुविधाएं शामिल हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना में भूमि व जल संसाधनों की उत्पादकता में सतत् आधार पर वृद्धि करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कृषि में फसल गहनता बढ़ाने पर बल दिया गया है। प्राथमिकता के आधार पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए अभिज्ञात अभिबल वाले क्षेत्रों में ड्रिप एवं छिड़काव सिंचाई सहित छोटी सिंचाई प्रौद्योगिकी, कृषि ऋण, बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज पर ध्यान देने सहित बागवानी, मण्डी के आधारभूत ढांचे, ग्रेडिंग एवं मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण एवं कृषि अनुसंधान शामिल हैं।

(ङ) से (छ) यद्यपि वृद्धि में गिरावट आई है, तथापि केन्द्रीय पूल में चावल व गेहूं का भण्डार बफर मानदण्ड से कहीं अधिक हैं। जहां तक परिवारों की क्रयशक्ति में कमी का प्रश्न है, सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी पी डी एस) जैसी स्कीमों तथा रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य वाली कल्याणकारी स्कीमों के माध्यम से अनाज का वितरण कर रही है। वर्ष 2003-04 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी पी डी एस) के अंतर्गत केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न (गेहूं व चावल) की कुल खरीद (आफ टेक) 24.19 मिलियन मी. टन रही, जबकि वर्ष 2002-03 तथा 2001-02 में यह क्रमश: 20.13 मिलियन मी. टन तथा 13.84 मिलियन मी. टन थी। कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत अनाज की कुल खरीद (आफ टेक) वर्ष 2003-04 में 13.5 मिलियन मी. टन रही, जबकि वर्ष 2002-03 एवं 2001-02 में क्रमश: 11.38 मिलियन मी. टन एवं 7.18 मिलियन मी. टन थी। ये स्कीमें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) से सम्पूरित हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी के रूप में अतिरिक्त

रोजगार तथा खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत अनाज राज्यों को नि:शुल्क प्रदान किया जाता है। बच्चों में कुपोषण की समस्या का निराकरण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रचालित समेकित बाल विकास सेवा (आई सी डी एस) स्कीम के माध्यम से किया जाता है।

[हिन्दी]

खरीद पर व्यय

4600. श्री संतोष गंगवार: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 2004-05 में रबी मौसम के दौरान खरीदे गए गेहूं के लिए संबंधित प्रासंगिक व्यय के अंतर्गत खरीद मूल्य के प्रासंगिक व्यय को मंजूरी प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) वसूली की आर्थिक लागत अनंतिम रूप से खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा राज्यों द्वारा अनुमानित अन्य प्रासंगिक खर्चों और सरकार द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित की जा रही है। अंतिम दरें राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण के आधार पर नियत की जाती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को आवंटन

4601. श्री अनन्त नायक:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जुएल ओराम:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत राज्यों को राज्यवार कुल कितनी धनराशि का बजटीय आवंटन किया गया है;

(ख) क्या वर्ष 2005-06 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई आवंटन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अन्तर्गत राज्यों को कोई बजटीय आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, एआईबीपी के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) राज्यों की वार्षिक योजना के दौरान किए गए विचार-विमर्श पर योजना आयोग द्वारा समग्र रूप से राज्यों के लिए निर्धारित वार्षिक सीमा के आधार पर राज्यों को मुहैया करायी जाती है। पिछले तीन वर्षों के लिए एआईबीपी के तहत सीएलए की राज्यवार सीमा दर्शाता हुआ विवरण संलग्न किया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2005-06 के लिए आईबीपी के लिए 4800 करोड़ रुपये का बजट आवंटन है। चूंकि राज्यों की वार्षिक योजना सम्बन्धी विचार-विमर्श अभी समाप्त नहीं हुआ है इसलिए योजना आयोग ने सीएलए की राज्यवार सीमा को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिए आईबीपी के तहत सीएलए की राज्यवार सीमा

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	सीएलए की सीमा		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	275.00	275.00	275.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.00	20.00	20.00

1	2	3	4	5
3.	असम	35.00	35.00	35.00
4.	बिहार	150.00	100.00	75.00
5.	छत्तीसगढ़	104.00	100.00	75.00
6.	गोवा	40.00	8.00	5.00
7.	गुजरात	600.00	850.00	1000.00
8.	हरियाणा	18.00	25.00	25.00
9.	हिमाचल प्रदेश	18.00	15.00	15.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	35.00	60.00	40.00
11.	झारखंड	35.00	31.00	31.00
12.	कर्नाटक	737.00	450.00	567.00
13.	केरल	17.00	31.00	50.00
14.	मध्य प्रदेश	220.00	740.00	850.00
15.	महाराष्ट्र	175.00	414.00	707.00
16.	मणिपुर	28.00	22.00	18.00
17.	मेघालय	4.00	4.00	4.00
18.	मिजोरम	1.50	9.50	10.00
19.	नागालैंड	5.0	8.00	8.00
20.	उड़ीसा	250.00	250.00	280.00
21.	पंजाब	150.00	100.00	100.00
22.	राजस्थान	200.00	560.00	400.00
23.	सिक्किम	1.50	1.50	1.50
24.	तमिलनाडु	4.00	20.00	5.00
25.	त्रिपुरा	28.00	22.00	20.00
26.	उत्तर प्रदेश	365.00	306.00	400.00
27.	उत्तरांचल	35.00	35.00	30.50
28.	पश्चिम बंगाल	45.00	40.00	40.00
	कुल	3585.00	4532.00	5087.00

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में इल्लियों द्वारा नष्ट की गई सोयाबीन की फसलें

4602. श्री अतीक अहमद: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इल्लियों ने मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसलें नष्ट कर दी हैं और अब वे मानवों पर हमला कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मध्य प्रदेश में फसलों को इल्लियों के खतरे से बचाने के लिए क्या उपाय किए हैं; और

(ग) सरकार ने नकली कीटनाशकों को बेचने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने और अपनी फसल गवां चुके किसानों को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि खरीफ 2004 के दौरान 9,81,167 हेक्टेयर अनुमानित क्षेत्र में सोयाबीन की फसल सुण्डियों से प्रभावित हुई जिसमें से 1,37,228 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल को 50% से अधिक नुकसान हुआ। मनुष्य पर सुण्डियों के हमले की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) राज्य सरकार को सुण्डियों के प्रकोप से फसलों को बचाने के लिए संस्तुत समेकित कीट प्रबंध (आई पी एम) पैकेज में निहित उपाय अपनाने और इस कीट के नियंत्रण के लिए तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का संबंधी समेकित स्कीम (आइसोपाम) व वृहद प्रबंध स्कीम के अंतर्गत आवंटित धनराशि व्यय करने का परामर्श दिया गया है।

(ग) जिन किसानों की फसलें सुण्डियों के प्रकोप से प्रभावित हुई हैं, वे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। राज्य सरकार को नकली कीटनाशियों के विनिर्माण/बिक्री में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करने का परामर्श दिया गया।

[अनुवाद]

निजी कृषि उत्पाद बाजारों का प्रवेश

4603. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसान का उपभोक्ता से सीधे संपर्क हेतु निजी उत्पाद बाजारों के प्रवेश की सुविधार्थ योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि मंडियों की स्थापना राज्य का विषय है। कृषि मंडियों से संबंधित वर्तमान कानून (एपीएमसी अधिनियम) के तहत केवल राज्य सरकार को ही अधिसूचित क्षेत्रों में कृषि जिन्सों हेतु मंडियों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। प्रसंस्करण उद्योग किसान से सीधे खरीद नहीं कर सकते। चूंकि उत्पाद को विनियमित मंडियों के माध्यम से चैनलबद्ध किया जाना होता है इसलिए किसान किसी भी विनिर्माता से सीधे अनुबंध स्थापित करने के लिए प्रतिबंधित है। इन प्रतिबंधों के कारण किसान, व्यापारी और उद्योग हतोत्साहित होते हैं। इसलिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे प्रत्यक्ष विपणन और अनुबंधित खेती को मंजूरी देकर और प्रतिस्पर्द्धात्मक मंडियों की स्थापना को मंजूरी देकर एपीएमसी अधिनियम में सुधार लाएं। निजी और सहकारी क्षेत्रों में वैकल्पिक प्रतिस्पर्धात्मक मंडियों के विकास से किसानों को स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे वे बेहतर मूल्यों/सेवाओं की सुविधा देने वाली मंडियों में अपने उत्पाद को बेच सकेंगे।

(ग) इस मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक माडल एपीएमसी अधिनियम परिचालित किया है, ताकि किसानों द्वारा प्रत्यक्ष विपणन से संबंधित सभी प्रतिबंधों को दूर करने के लिए उनके संबंधित ए पी एम सी अधिनियम में परिवर्तन लाने में उनका मार्गदर्शन किया जा सके। मंडी अवसंरचना के विकास/सुदृढ़ीकरण, ग्रेडिंग और मानकीकरण हेतु सुधार से जुड़ी एक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम को अनुमोदित किया गया है, ताकि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, जिन्होंने माडल कानून में सुझाव दिए गए निर्देशों पर एपीएमसी अधिनियम में संशोधन किए हैं, में कृषि मंडी अवसंरचना के विकास को सहायता दी जा सके।

बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता

4604. श्री सनत कुमार मंडल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि के लिए विशेषकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों/राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गऐ है; और

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने लाभार्थियों को पुनर्वासित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) बाढ़ समेत सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं (केवल सूखे को छोड़कर) के मामले में गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय का काम करता है। अत: आवश्यक जानकारी उक्त मंत्रालय से एकत्र की जा रही है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत बाट और माप मानक (पैक की हुई वस्तुएं) चौथा संशोधन नियम, 2004, जो 14 जुलाई, 2004 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 450 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-1928/2005]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-1929/2005]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रासायनी के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रासायनी का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-1930/2005]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.-1931/2005]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 477 (अ) जो 1 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें खरीफ, 2005 के दौरान यूरिया के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को की जाने वाली यूरिया की आपूर्ति को दर्शाने वाला आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1932/2005]

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1933/2005]

(ख) (एक) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1934/2005]

(ग) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी का वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1935/2005]

(घ) (एक) डोनयी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डोनयी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1936/2005]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): अध्यक्ष महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सामुद्रिक मत्स्ययन विनियम, 2003 की धारा 24 के अंतर्गत जारी अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सामुद्रिक मत्स्ययन नियम, 2004, जो 1 जून, 2004 के 1 अंडमान और निकोबार राजपत्र में अधिसूचना संख्या 103/2004/एफ सं. 5-1 (276)/2002-डेव. में प्रकाशित हुए थे, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1937/2005]

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) सीपीआर एन्वायरमेंटल एजुकेशन सेन्टर, चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सीपीआर एन्वायरमेंटल एजुकेशन सेन्टर, चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1938/2005]

(3) (एक) सेन्टर फार एन्वायरमेंट एजुकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार एन्वायरमेंट एजुकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1939/2005]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3

की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सा.का.नि. 803 (अ)/आव. वस्तु/गन्ना जो 10 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 2004-2005 चीनी मौसम के लिए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य को अधिसूचित करने वाला आदेश दिया हुआ है।

(2) चीनी (2004-2005 उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 2005 जो 12 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 17 (अ)आव. वस्तु/चीनी में प्रकाशित हुआ था।

(3) सा.का.नि. 92 (अ)/आव. वस्तु/गन्ना जो 24 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 2004-2005 चीनी मौसम के लिए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य को अधिसूचित करने वाला आदेश दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1940/2005]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 20 अप्रैल, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित अवक्रय (निरसन) विधेयक, 2005 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं 20 अप्रैल 2005 को राज्य सभा द्वारा यथापारित अवक्रय (निरसन) विधेयक 2005 को सभा-पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.01/4 बजे

प्राक्कलन समिति

छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): मै वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग-बैंकिंग प्रभाग)-सरकारी क्षेत्र के बैंक-गैर-निष्पादक आस्तियों के बारे में प्राक्कलन समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.2$^{1}/_{2}$ बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2005-2006 के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.2$^{3}/_{4}$ बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

पांचवां और छठा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): महोदय, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (2) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का छठा प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 12-मोहम्मद सलीम-उपस्थित नहीं

श्री श्रीपाद येसो-उपस्थित नहीं

'नाईक

यह दुर्भाग्य की बात है।

अपराह्न 12.03 बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

139वें से 146वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर): मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में समिति के 131वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 139वां प्रतिवेदन;

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में 140वां प्रतिवेदन;

(तीन) जैव प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में 141वां प्रतिवेदन;

(चार) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में 142वां प्रतिवेदन;

(पांच) महासागर विकास विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में 143वां प्रतिवेदन;

(छह) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में 144वां प्रतिवेदन;

(सात) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में 145वां प्रतिवेदन; और

(आठ) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में 146वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): मैं कार्य मंत्रणा समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, फेडरेशन आफ आल इंडिया पैट्रोलियम की एक बैठक उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद में हुई थी। इधर आपने गौर किया होगा कि 18-19 अप्रैल, 2005 को पूरे भारत के पैट्रोल पंप बंद रहे हैं और पैट्रोल पंप मालिकों और संचालकों की डिमांड यह रही है कि सन् 2001 से अब तक उनका कमीशन नहीं बढ़ाया गया है जबकि 4 वर्षों से आपने देखा होगा कि पैट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूने लगे हैं। लेकिन पैट्रोल पंप मालिकों और संचालकों का कमीशन नहीं बढ़ाया गया है। मैं आपके माध्यम से पैट्रोलियम मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस मामले पर बहुत ही गंभीरता से गौर करते हुए पैट्रोल पंप मालिकों और संचालकों के कमीशन को बढ़ाया जाए ताकि इससे चोरी बाजारी और जमाखोरी व घटतौली पर रोक लग सके। मैं आपसे मांग करता हूं कि सरकार इसे गंभीरता से ले और पैट्रोल पंप मालिकों और संचालकों का कमीशन बढ़ाया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा मैं श्री सुशील कुमार मोदी को बुलाऊंगा। अगला नाम श्री मोदी का है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, मैंने श्री सुशील कुमार मोदी को पहले ही सूचित कर दिया है। मुझे विश्वास है कि श्री मोदी को यह सूचना मिल चुकी है कि उन्हें बोलने के लिए बुलाया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब श्री मोदी। यह अधीरता क्यों? यहां तक कि एक सेकेण्ड भी नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: अध्यक्ष महोदय, देश के रेलमंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं जिनके सम्बन्ध में आज रांची की एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल होना है। श्री लालू प्रसाद यादव जी 37 करोड़ रुपए के इस चारा घोटाले में मुख्य अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ आज सुबह 9 बजे आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारी मांग है कि श्री लालू प्रसाद जी को रेलमंत्री पद से अविलम्ब बर्खास्त किया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं श्री आठवले को बोलने का मौका दूंगा। उन्होंने नोटिस दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: महोदय, हम लोगों की फैक्ट फाइण्डिंग कमेटी घटना के बाद साबरमती गयी थी जिसमें राज्य सभा के भी सदस्य थे। हम लोगों ने घटनास्थल पर जाकर देखा कि श्री लालू प्रसाद जी पर किसी प्रकार का हमला नहीं किया गया था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मात्र श्री मोदी का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: यह बिल्कुल गलत बयानबाजी की जा रही है और लोगों ने स्वयं ही एक ड्रामा खड़ा किया है। गुजरात की नरेन्द्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए स्वयं लालू प्रसाद जी के लोगों ने ही गाड़ी के शीशे तोड़कर यह नाटक रचा है। यह गुजरात सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मोदी, अपने अपनी बात कह दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, एक मिनट रूकिए। मैं आपसे अपील करता हूं। मैंने आपके माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी है। मैंने उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने अपनी बात रखी है। अब उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले ने एक नोटिस दिया है। प्रो. मल्होत्रा, जिस प्रकार से आपके माननीय सदस्य ने नोटिस दिया है, उसी प्रकार श्री आठवले ने भी नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

आप लोग बैठ जाइए। मैंने श्री आठवले को बोलने के लिए बुलाया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, श्री लालू प्रसाद यादव जी पर यह जो हमला हुआ है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले ने नोटिस दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, आप अपना वक्तव्य लिखित रूप में दीजिए और इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)* जब 21 तारीख को श्री लालू प्रसाद यादव जी रेलमंत्री की हैसियत से गोधरा और वड़ोदरा के बीच घटित हुए ट्रेन एक्सीडेंट का भ्रमण करने के लिए गए थे, उनकी हत्या करवाने की योजना बनाई गई थी। इसका कारण यह है कि श्री लालू प्रसाद यादव जी का धर्मनिरपेक्ष नेता हैं और उन्होंने *...(व्यवधान)* गुजरात में हत्याकांड का भारी विरोध किया था। लोगों की यह योजना थी कि जब रेलमंत्री जी रेल दुर्घटना को देखने के लिए गुजरात आएं, उसी समय उनकी हत्या कर दी जाए ताकि उन पर किसी तरह का आरोप न आए। इसी योजना के तहत इन लोगों ने यह काम किया। *...(व्यवधान)* जब रेलमंत्री जी वड़ोदरा के अस्पताल में गए थे, वहां अस्पताल की दूसरी विल्डिंग पर कुछ लोग खड़े थे और उनकी योजना थी कि लालू प्रसाद जी पर बड़ा पत्थर गिराकर उनको खत्म कर दिया जाए और अस्पताल के दरवाजों को बन्द करके आग लगा दी जाए। *...(व्यवधान)*

इस पूरे घटनाक्रम में गुजरात पुलिस का काम निराशाजनक रहा। ...*(व्यवधान)*

इसलिए हमारा आरोप है कि रेलमंत्री पर हमला करने और हत्या करवाने की साजिश रची गयी और इसके लिए कार्रवाई की जाए। यह एक बहुत गंभीर घटना है, इसलिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि गुजरात सरकार को बर्खास्त किया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से अपील करता रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? यह क्या हो रहा है? इस सभा के संचालन का क्या यही तरीका है? प्रो. मल्होत्रा, मैंने आपके माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दिया है और अब आप अन्य लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। क्या आप इसी प्रकार से संसद को चलाना चाहते है। मुझे काफी खेद है कि आपने अपने वचन का पालन नहीं किया।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आप लोगों को बोलने के लिए मौका दिया था और आपने अपनी बात कह दी, फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जैसा कि आपको पता है, मैंने इस सभा को स्थगित नहीं करूंगा। आप जब तक शोर मचाना चाहते है तब तक शोर मचाइए। मैं इस सभा को स्थगित नहीं करूंगा। मैंने आपको बोलने की अनुमति दी थी और उन्हें आपकी बात सुनने के लिए कहा था। जब वे बोल रहे हैं तो आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसा नहीं चल सकता। यह दोहरा मानदंड नहीं चल सकता है। आपको जब तक इच्छा हो चिल्लाइए। मैं इस सभा को स्थगित नहीं करूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग अपनी सीट्स पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप लोगों का व्यवहार लज्जाजनक है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने बोलने के लिए श्री आठवले को बुलाया है, फिर भी आप व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या हासिल करना चाहते हैं? कृपया मुझे बताएं कि आप ऐसा करके क्या हासिल करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए लोग बैठ जाएं।

[अनुवाद]

आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप आइने में अपना चेहरा देखें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे कह रहा हूं आप लोग अपनी सीट्स पर जाएं।

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले इस पर बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा के बीचोबीच आने वाले किसी भी सदस्य को आज इसके परिणाम का सामना करना होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं बता रहा हूं। सभा के बीचोबीच आने वाले किसी भी सदस्य को इसके परिणाम का सामना करना होगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने सभी के लिए यह बात कही है।

[अनुवाद]

यह बात सभी पर लागू होती है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक सेकेण्ड के लिए शांत रहें। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है और आप सभा को चलने नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृषि मंत्रालय के बजटीय अनुदानों पर चर्चा हो रही है। क्या आप इसमें भाग नहीं लेंगे? आप यहां क्या कर रहे हैं? यह लज्जाजनक बर्ताव है। इस सभा में चिल्लाना लज्जाजनक व्यवहार है। ऐसा कहते हुए मुझे खेद हो रहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग अपनी सीट पर जाकर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप लोग क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक शर्मनाक हरकत है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: गोयल जी, एक दिन आप कठिनाई में फंस जाएंगे। मैं आपको सही रास्ते पर लाऊंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं यह जानना चाहता हूं कि आप सड़कों पर क्या करेंगे। मेरे विचार से आपका व्यवहार यहां से बेहतर सड़कों पर रहा होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप शोर करते रहें। मैं यह देखना चाहता हूं कि आप कितनी देर शोर मचा सकतें हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब आप थक रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप सभी थक जाएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छे। मैं देखूंगा कि बैठक में माननीय नेतागण किस प्रकार प्रतिक्रिया करेंगे। मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूं।

सभा अपराह्न 12.43 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.23 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 12.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.47 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.47 पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 12-मोहम्मद सलीम।

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

सातवां प्रतिवेदन

मोहम्मद सलीम (कोलकाता-उत्तर पूर्व): महोदय मैं शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2005-2006 के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2004-2005) का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री जसवंत सिंह बिश्नोई जी।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश में बिश्नोई जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में लिया जा चुका है, मध्य प्रदेश में भी बिश्नोई जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में लिया जा चुका है लेकिन केन्द्र सरकार ने बिश्नोई जाति को अभी तक अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि बिश्नोई जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन जी, आप इसे लिखित रूप से दें।

श्री पी. मोहन (मदुरै): मिर्च उत्पादन करने वाले कृषक आजकल संकट से जूझ रहे हैं। तमिलनाडु में, 27 जिलों में लगभग 1,75,000 कृषक मिर्च का उत्पादन कर रहे हैं। विशेषकर–, रामानाथपुरम और तूतीकोरिन जिलों में 50,000 एकड़ भूमि पर मिर्च का उत्पादन किया जा रहा है और लगभग एक लाख परिवार मिर्च उत्पादन पर निर्भर हैं। यह महीना मिर्च की खेती का महीना है। सामान्यत: इस महीने में, मिर्च का मूल्य 20 रुपए प्रति किलो होना चाहिए। परन्तु, इस वर्ष, संकट की वजह से मिर्च के मूल्यों में गिरावट आई है। अब तक, केन्द्र सरकार ने इसके समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की। न तो नेशनल कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशनल और न ही किसी अन्य संगठन ने किसानों द्वारा उत्पादित मिर्च की खरीद करने हेतु कोई कदम उठाया है।

मिर्च की उत्पादन लागत 10,000 रुपए प्रति एकड़ होती है। ऐसी स्थिति में, मिर्च के मूल्यों में गिरावट से किसान बुरी तरह प्रभावित होते हैं। अब, मिर्च का मूल्य 2 रुपया प्रति किलोग्राम तक गिर गया है। इसलिए, केन्द्र सरकार को तमिलनाडु के मिर्च उत्पादक किसानों के संरक्षण हेतु आगे आना चाहिए और समर्थन मूल्य की घोषणा कर मिर्च की खरीद हेतु आवश्यक कदम उठाना चाहिए तथा वर्षा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण बुरी तरह प्रभावित किसानों को राष्ट्रीय आपदा से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): सभा में इतना शोर होने पर मैं कैसे बल सकता हूं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आपके पास कुछ लिखित में है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप इसे लिखित रूप में दें।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, नेपाल को सैन्य सहायता फिर से देने के भारत सरकार के निर्णय से संबंधित है। सरकार की बर्खास्तगी और सभी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने के बाद, यह निर्णय एक गंभीर मामला है। माओवादी उग्रवाद का सैन्य सहायता समाधान नहीं है। यह तो राजनीतिक प्रक्रिया है और इससे लोगों द्वारा चुनी गई सरकार द्वारा निपटा जाना होगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा ...उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आसन के समीप नहीं आएं।

...(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, भारत में विशेषकर बंगाल, बिहार, असम में बालिकाओं की अनैतिक बिक्री चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। ज्यादातर मामलों में, यह पाया गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वर्गों कमजोर वर्गों की बालिकाएं चरित्रहीन तत्वों द्वारा शुरू किए गए अवैध व्यापार की शिकार हो रहीं हैं। यह भी पाया गया है कि पारांपरिक विवाह में, दलाल और बिचौलिए वर के भेष में अब निरश्रित बालिकाओं को भगा ले जा रहे हैं। यहां तक कि उनके माता-पिता भी अभाव और गरीबी के कारण विवाह करने के लिए मजबूर होते हैं। इन निराश्रित बालिकाओं को भारत के विभिन्न वेश्यालयों में भेज दिया जाता है।

अतएव, क्या मैं सरकार से एक कानून बनाने के लिए अनुरोध कर सकता हूं कि सभी पुलिस स्टेशनों में, विशेषकर दूर-दराज के क्षेत्रों में, सभी तरह के विवाहों के लिए पूर्वानुमति को अनिवार्य बनाया जा सके। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चूंकि, विशेष उल्लेख के रूप में कोई अन्य मामला नहीं उठाया जाना है। सभा अपराह्न 2 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.52 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष-महोदय *पीठासीन* हुए]

उपाध्यक्ष महोदयः अब हम मद संख्या 14 पर विचार करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं। उस दिन 21 तारीख को आप आसन पर थे। उस दिन जिस तरह से माननीय रेल मंत्री लालू जी पर जानलेवा हमला हुआ था, उसके संबंध में हमने सरकार से जानकारी मांगी थी। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप बैठिये।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः मैं सरकार से सूचना ग्रहण करना चाहता हूं। माननीय सदस्यों को क्या आपत्ति है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष-महोदयः माननीय मंत्री जी अपराह्न 4.00 बजे एक वक्तव्य देंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन सरकार से जानकारी मांगी गई थी और सरकार ने आश्वस्त किया था कि सूचना ग्रहण करके सदन में बयान देंगे। *...(व्यवधान)* हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से उन पर जान-बूझकर जानलेवा हमला हुआ, मैं जानना चाहता हूं कि उसका जवाब कब आएगा? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः श्री यादव, कृपया मेरी बात सुनें।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदीः उपाध्यक्ष महोदय, लालू जी को इस्तीफा देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री मोदी कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है।

..(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः अब कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.06 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदयः अब सभा मद संख्या 14 अर्थात् नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेगी।

श्री सचिन पायलट–अनुपस्थित

श्री फुरकान अंसारी–अनुपस्थित

(एक) भाखड़ा-व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा उत्पादित विद्युत में से हिमाचल प्रदेश को उचित हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): महोदय, मैं आपके माध्यम से भात सरकार और ऊर्जा मंत्री महोदय, के ध्यान में लाना चाहती

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हूं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में विद्युत की अबाध आपूर्ति हेतु केंद्र सरकार के धन से कई परियोजनाओं का निर्माण हिमाचल की भूमि पर किया गया, जिनमें हिमाचल के जल से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली चहुंमुखी विकास के पथ पर अग्रसर हैं जबकि हिमाचल के लोगों की भूमि, घर, रोजगार के साधन परियोजनाओं के निर्माण के कारण पानी में डूब गए और वे अभी तक विस्थापितों का जीवन जी रहे हैं इसलिए मेरी मांग है कि 1996 में राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार हि.प्र. में पंजाब का जो क्षेत्र शामिल हुआ, उसके अनुसार भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के अधीन जलविद्युत परियोजना में 7.19 प्रतिशत हिस्सा पूर्वव्यापी (रिट्रौस्पैक्टिव) प्रभाव से दिया जाए एवं हि.प्र. में पूर्व में निर्मित जलविद्युत परियोजनाओं में 25 प्रतिशत मुफ्त विद्युत को पूर्वव्यापी प्रभाव से, जब से उनमें विद्युत उत्पादन प्रारभ हुआ है तब से दिए जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यदि सभा सहमत हो तो नियम 377 के अधीन शेष मामलों को सभा पटल पर रखा हुआ माना जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

(दो) स्थानीय व्यक्तियों के जीवन को सुरक्षित रखने की दृष्टि से जम्मू और कश्मीर सीमा से लगे क्षेत्रों में बारूदी सुरंग हटाए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): *महोदय, वर्ष 1999 के युद्ध के दौरान, इस क्षेत्र के ग्रामीण लोगों को कैम्पों में स्थानान्तरित किया गया था। युद्ध के दौरान, सेना ने कई स्थानों पर बारूदी सुरंगों को बिछा दिया। अब इन ग्रामीण लोगों ने अपने गावों में लौटना आरम्भ कर दिया है और सरकार उनके पुनर्वास के लिए कदम उठा रही है और उन्हें अपनी बंजर कृषि योग्य भूमि पर ट्रैक्टर चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है जिससे कि वे अपने परिवारों के लिए रोजी-रोटी कमा सकें। तथापि, इन बारूदी सुरंगों की वजह से उन्हें सुरंगों में विस्फोटों की आशंका है क्योंकि कई स्थानों पर सुरंगे अभी भी मौजूद हैं और कृषि भूमि पर ट्रैक्टर चलाने और खेती करने से ये फट सकती हैं। यद्यपि सरकार उन्हें अपने गांवों में शान्तिपूर्वक बसने में सहायता प्रदान कर रही है, किन्तु जब तक इन क्षेत्रों से बारूदी सुरंगे नहीं हटा दी जाती हैं वे अपने परिवारों के लिए रोजी-रोटी नहीं कमा सकेंगे।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन सुरंगों को हटाने से सम्बन्धित कार्य को तत्काल पूरा करे।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

(तीन) गुजरात के बलसाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी. पटेल (बलसाड़): *महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बलसाड़ एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अभाव में इस क्षेत्र के आदिवासी छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं या फिर देश के अन्य भागों में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस क्षेत्र की आदिवासी जनता गरीब है। वह अपने बच्चों की उच्च शिक्षा बाहर से करवाने में आर्थिक रूप से असमर्थ हैं, जिसके फलस्वरूप इन छात्र छात्राओं की प्रतिभा आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में ठीक से नहीं उभर पा रही है।

महोदय, आज देश बहुत तेजी से विकास के रास्ते पर अग्रसर है। इस तेजी में हमें समाज के पिछड़े क्षेत्रों के आदिवासी लोगों को साथ लेकर चलना है। यदि हमें उन्हें इस युग में पीछे छोड़ देंगे तो फिर एक बार आदिवासी समाज की देश की मुख्य धारा में पीछे रह जाएगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि गुजरात के आदिवासी क्षेत्र बलसाड़ में केन्द्रीय विश्वविद्यालय शीघ्र बनाया जाये।

[अनुवाद]

(चार) महाराष्ट्र के मालेगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई और पीने के पानी की समस्या को दूर करने की दृष्टि से ''नद-पार'' नदियों पर एक बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण (मालेगांव): *अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मालेगांव, महाराष्ट्र के अंतर्गत नार-पार नदियां हैं, लेकिन ये नदियां काफी गहराई में हैं, जिसके कारण इन नदियों के पानी का उपयोग न तो सिंचाई के काम आता है और न पेयजल हेतु इन नदियों का पानी बिना उपयोग में आये सीधे समुद्र में चला जाता है। यदि सरकार इन नदियों पर बांध बना दे और पम्प लगा कर बांध के पानी को घाटी से ऊपर खेती की भूमि में पहुंचाया जाये तो नाशिक, धुलिया और अहमदनगर जिले की सिंचाई की समस्या का समाधान हो सकता है और साथ ही नागरिकों की पेयजल की समस्या भी हल हो सकती है।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

अत: मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री महोदय, से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बहने वाली नार-पार नदियों पर बांध बनवाकर पम्प के द्वारा पानी घाटी से ऊपर पहुंचा कर उस क्षेत्र की सिंचाई एवं पेयजल की समस्या के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(पांच) अजमेर-बांदीकुई होते हुए अहमदाबाद और आगरा के बीच एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): *अध्यक्ष महोदय, कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राजस्थान के बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक की रेललाइन के आमान परिवर्तन का कार्य अब पूरा हो गया है। आगरा फोर्ट बांदीकुई-भरतपुर-जयपुर-अजमेर-अहमदाबाद लाइन बनकर तैयार हो गयी है। ब्राडगेज बनने से पूर्व मीटर गेज पर अहमदाबाद-अजमेर-जयपुर-बांदीकुई-आगरा फोर्ट एक लोकल गाड़ी चलती थी, जो अत्यंत लोकप्रिय और जनोपयोगी थी। आगरा, मथुरा आदि ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के स्थलों को अजमेर, जयपुर आदि ऐतिहासिक स्थानों का संबंध जोड़ने वाली यही एकमात्र गाड़ी थी। आमान परिवर्तन का कार्य शुरू होने के बाद यह गाड़ी बंद हो गयी, जिससे अहमदाबाद, महेसाणा आबूरोड, अजमेर, जयपुर आदि स्थानों से आगरा जाने के लिए बहुत चक्कर काटकर जाना पड़ता था, जिससे बहुत असुविधा होती थी। हजारों आने-जाने वाले लोगों को इंतजार था कि कब आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण हो और आगरा फोर्ट गाड़ी चालू हो।

आमान परिवर्तन का कार्य पूरा होने के पश्चात् भी इस साल के बजट में अहमदाबाद-अजमेर-जयपुर-आगरा फोर्ट गाड़ी चलाने का ऐलान नहीं किया गया है, केवल जयपुर से आगरा फोर्ट एक गाड़ी चलाना प्रस्तावित है।

मैं भारत सरकार से आग्रहपूर्वक अनुरोध करता हूं कि पर्यटन तथा तीर्थाटन को बढ़ावा देने, व्यापार एवं सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने तथा हजारों यात्रियों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए ब्राडगेज पर अहमदाबाद से आगरा फोर्ट वाया मारवाड़, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, बांदीकुई होकर अविलम्ब एक्सप्रेस गाड़ी चलायी जाये।

(छह) राजस्थान में सादुलपुर-बीकानेर और रतनगढ़-देगाना रेलवे खंडों को पूरा करने के लिए चालू बजट में से वांछित निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): *अध्यक्ष महोदय, उत्तर पश्चिम रेलवे के रेवाड़ी-बीकानेर, सादुलपुर-हिसार, रतनगढ़-डेगाना रेल लाइन को मीटर गेज से ब्राडगेज में परिवर्तन की मांग वर्षों से की जा रही है। रेवाड़ी-सादुलपुर व सादुलपुर-हिसार रेल लाइन के गेज परिवर्तन की स्वीकृति भी जारी हो चुकी है, लेकिन पिछले तीन सालों से इसके लिए नाममात्र का बजटीय प्रावधान किया गया है। बीकानेर डिपड्रेंस व व्यापारिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर है। अत: मेरा माननीय रेल मंत्री महोदय से नम्र निवेदन है कि स्वीकृति शुदा भाग के लिए वित्तीय वर्ष में पूरा बजट आबंटित करते हुए शेष भाग सादुलपुर-बीकानेर व रतनगढ़-डेगाना मार्ग की स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

(सात) "बिश्नोई" जाति को राजस्थान की "अन्य पिछड़ा वर्गों" की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): *अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा बिश्नोई जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है, लेकिन अभी तक केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने बिश्नोई जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं किया है। महोदय, बिश्नोई जाति जाटों में से निकली है। जब जाट जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में आ गयी तो बिश्नोई जाति स्वत: ही अन्य पिछड़ा वर्ग में आ जानी चाहिए। महोदय, अभी तक बिश्नोई जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने से बिश्नोई जाति के लोग अपने आपको अपेक्षित महसूस कर रहे हैं।

अत: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि बिश्नोई जाति को भी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करके अनुगृहीत करें।

(आठ) देश में गुटका के निर्माण और विक्रय को प्रतिबंधित किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा): *अध्यक्ष महोदय कई राज्य सरकारों ने अपने प्रदेश में युवा वर्ग, विशेषकर छात्रों में बढ़ रही गुटखा सेवन से उनके स्वास्थ्य में पड़ रहे बुरे असर एवं मुख कैंसर जैसी प्राण घातक बीमारियों की बढ़ोत्तरी से गुटखा की बिक्री में रोक लगा दिया है।

आज सस्ते गुटखें के सेवन से आधी से अधिक आबादी प्रभावित है। एतदर्थ में भारत सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि लाखों युवकों के स्वास्थ्य और जीवन को नष्ट करने वाले हानिकारक गुटखों पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाया जाए और इस गुटखे उत्पादन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाकर इसे बनाने वालों और इसकी बिक्री करने वालों पर कोठरतम कार्यवाही की जाये।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

(नौ) इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से एक मीडिया आयोग गठित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री स्वदेश चक्रवर्ती (हावड़ा): *महोदय, पिछले एक दशक में इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया ने देश में बहुत प्रगति की है। परन्तु, प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया, दोनों में मीडिया कर्मियों के कार्य तथा सेवा वातावरण का स्तर गिरता जा रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता को अब राजनीतिक प्रशासन तथा बाहुबल से अधिक खतरा नियोक्ताओं तथा प्रबंधकों से है। समाचार-पत्रों तथा समाचार चैनलों द्वारा बड़े पैमाने पर अपनाई जा रही अनुबंध प्रणाली से मीडिया कर्मियों की रोजगार सुरक्षा को गंभीर खतरा है। इस प्रकार समाचार-पत्रों के मामले में, श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) अधिनियम, का मजाक बना दिया गया है तथा वेतन बोर्ड के पंचाट की महता कम कर दी गई है। कुछ अपवादों के साथ लगभग सभी समाचार-पत्र अधिनियम का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हिन्दुस्तान टाइम्स प्रबंधन ने एकतरफा फैसला करते हुए 326 निर्यातित कर्मचारियों को निकाल दिया। इलेक्ट्रानिक मीडिया की कहानी भी इससे अलग नहीं है।

इसलिए, मैं सरकार से मामले की गंभीरता तथा अत्यावश्यकता को समझने तथा समूचे सूचना तंत्र पर निगरानी रखने के लिए एक पूर्ण अधिकार प्राप्त मीडिया आयोग का गठन करने तथा संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

(दस) उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में लहचूरा बांध परियोजना को जल्दी पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): *अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र का बहुत बड़ा भू-भाग असिंचित है। क्षेत्र की सम्मानित जनता धरने प्रदर्शनों द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करती रहती है। किसानों को सिंचाई का पानी न मिलने के कारण आत्महत्याओं तक के प्रयास गरीब किसानों द्वारा किये गये हैं।

पुनरीक्षित लहचूरा बांध परियोजना की तकनीकी स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग,नयी दिल्ली द्वारा की जा चुकी है। व्यय वित्त समिति से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा प्रस्तावित इनवेस्टमेंट क्लीयरेंस हेतु प्रकरण उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से योजना आयोग, नयी दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2004-2005 में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दिये जाने हेतु शासन स्तर से संदर्भित किया जाना है। वित्तीय पोषण हेतु परियोजना आर.आइ.डी.एफ. के अंतर्गत केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार, नयी दिल्ली को प्रेषित की जा चुकी है। वन भूमि का प्रकरण शासन को प्रेषित किया जा चुका है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के सम्मानित किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके, इसके लिए लहचूरा बांध पयिोजना, जनपद महोबा, उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2005-2006 में अवश्यक पूरा कराये जाने हेतु अविलम्ब कदम उठाने का कष्ट करें।

(ग्यारह) बिहार के बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक एफ एम रेडियों स्टेशन शीघ्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी यादव (बांका): *अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बांका में एक साल पूर्व एफ.एम. रेडियो स्टेशन का शिलान्यास हुआ था, परन्तु अभी इस एफ.एम. स्टेशन के लिए न तो भूमि उपलब्ध हो पायी है और न ही कोई निर्माण कार्य हुआ है। बांका एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और मनोरंजन के साधन यहां के लोगों के पास नहीं हैं। अगर इस एफ.एम. स्टेशन के लिए भूमि लेकर शीघ्र निर्माण कर दिया जाये तो यहां के गरीब और किसान लोगों को मनोरंजन को मनोरंजन का साधन मिल सकेगा।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बांका में स्वीकृत एफ.एम. रेडियो स्टेशन शीघ्र बनाकर चालू किया जाये।

(बारह) महाराष्ट्र के परभनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी): *अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र परभनी में केन्द्र सरकार का एक भी स्कूल नहीं है, जिसके कारण केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास कार्य किया जा रहा है, उसका फायदा मेरे संसदीय क्षेत्र परभनी को नहीं मिल पा रहा है। यहां पर केन्द्रीय विद्यालय नहीं है जबकि यहां पर रेलवे एवं केन्द्र सरकार के कई कर्मचारी कार्यरत हैं और उनको अपने बच्चों के पठन-पाठन के कार्य में दिक्कत हो रही है क्योंकि उनका स्थानांतरण अन्य राज्यों में होता रहता है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के पठन-पाठन के लिए परभनी में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करना अति आवश्यक है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र परभनी में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना शीघ्र की जाये।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

(तेरह) उड़ीसा में एक "सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम" स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): *महोदय, 26 दिसंबर 2004 को हमारे देश के कुछ भागों में सुनामी की आपदा से भयानक तबाही आई। उड़ीसा एक चक्रवात प्रवण राज्य है, जोकि अक्तूबर 1999 के दौरान यहा चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। यहां अक्सर भयंकर बाढ़ चक्रवात के साथ-साथ तेज हवाओं से तबाही होती है। उड़ीसा की 480 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। गृह मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा हाल ही में कराए गए एक अध्ययन में कतिपय अधिक जोखिम वाले कई खतरों वाले क्षेत्रों तथा 39 भूकम्प-प्रवण शहरों की पहचान की है, जिसमें भुवनेश्वर तथा कटक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सी आई एस के प्रख्यात वैज्ञानिकों ने भविष्य में विशेषकर उड़ीसा और मुम्बई में सुनामी के खतरे की भविष्यवाणी भी की है।

पता चला है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, देश में सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना करने की प्रक्रिया में है। यह प्रणाली सुनामी की गति तथा यह किस तट पर कब पहुंचेगी तथा किन-किन क्षेत्रों को नुकसान पहुंच सकता है इसके बारे में पहले ही जानकारी दे देगी। यह बताना प्रासंगिक होगा कि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने उड़ीसा के बालसोर जिले के चांदीपुर में एक मिसाइल टेस्ट रेंज (एम टी आर) की स्थापना की है। यह स्थान आपदा की दृष्टि से सबसे उचित व उपयुक्त है। भारत सरकार उड़ीसा में विशेषकर चांदीपुर अथवा किसी अन्य उचित स्थान पर सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना करने पर विचार कर सकती है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से उड़ीसा सरकार के भुवनेश्वर में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एडवांस मैटेरियल और इसके अनुप्रयोग तथा उड़ीसा में अधिमानता: चांदीपुर अथवा अन्य किसी उचित स्थान पर सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना करने का अनुरोध करता हूं।

(चौदह) महाराष्ट्र राज्य कोआपरेटिव बैंकों हेतु चिरकालिक गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियां (क्रानिक एन पी ए) की वसूली के लिए "वन टाइम सेटलमेंट स्कीम" पर विचार किए जाने की आवश्यकता।

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर): *महोदय, मैं सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र राज्य में आजकल सहकारी समितियों की स्थिति खराब है। अधिकतर सहकारी समितियां, सहकारी बैंकों से लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान की स्थिति में नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ऋण विलम्बित हो गए हैं। इससे पहले ब्याज दर भी अधिक थी। चूंकि सहकारी समितियां, ऋणों का पुनर्भुगतान नहीं कर पा रही हैं, ब्याज की दर बनी हुई है तथा ब्याज का भार बढ़ता जा रहा है जबकि मूलराशि का भी भुगतान नहीं हो पाया है।

सहकारी क्षेत्र में हाल के वर्षों में अधिकतर बैंकों में बढ़ते बकाए के कारण ढांचा बुरी तरह चरमरा गया है। बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पर नियंत्रण पाये जाने की सभी सीमाओं को पार कर चुका है। इससे ऋण देने की बैंकों की क्षमता को सीमित करने तथा उनके व्यवहार्य इकाइयों के रूप में कार्य करने सहित असंख्य वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।

अनुप्रयोज्य आस्तियों की वसूली को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने एक समय निपटारा योजना तैयार की है, जोकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई ओ टी एस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार है। इसे जनवरी 2003 के दौरान सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को परिचालित किया गया था।

मेरा पूरी तरह यह मानना है कि यदि इस प्रकार की योजना को स्वीकृति मिल जाती है तथा इसे क्रियान्वित किया जाता है तो सहकारी क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने में इससे बहुत सहायता मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक तथा बेहतर कृषि प्रणाली अपनाने हेतु किसानों को अधिक धन मिल पाना सुनिश्चित हो जाएगा।

(पन्द्रह) बिहार के सारण और सिवान जिलों में एक नया टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): *अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रांत का सारण और सीवान जिला तकनीकी रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। वहां की जनता वर्षों से दूरभाष कनैक्शन हेतु पैसा जमा करने के बावजूद केबल और एक्सचेंज क्षमता के अभाव के कारण प्रतीक्षारत है। जिन-जिन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को दूरभाष कनैक्शन उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा है वहां के उपभोक्ता सालों से सरकार से नया एक्सचेंज खोलने की मांग करते रहे हैं तथा उपभोक्ताओं द्वारा पैसा भी जमा किया जा चुका है।

उपभोक्ताओं की अत्यधिक संख्या और मांग को देखते हुए सारण जिले के रिविलगंज प्रखंड अंतर्गत सिताब दियारा में, पानापुर प्रखंड अंतर्गत कोनभगवानपुर एवं सतजोडा में, एकमा प्रखंड अंतर्गत जमनपुरा बाजार में एक मशरक प्रखंड अंतर्गत सोनौली में तथा सीवान जिले के दुर्रौदा प्रखंड अंतर्गत बुर्जवा जलालपुर या रजनपुरा

*सभा पटल पर रखा माना गया।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

में, महाराजगंज प्रखंड अंतर्गत पिनर्थू बाजार में, लकड़ी नवीगंज प्रखंड अंतर्गत डुमरा बाजार में एवं भगवानपुर हाट प्रखंड अंतर्गत माधर में, बन्यिापुर प्रखंड अंतर्गत मानोपाली मोड में, सिवान जिला एवं सारण जिला के सीमा पर चनचौरा बाजार में नया दूरभाष एक्सचेंज खुल जाने से इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं को परेशानी दूर हो जायेगी। उपरोक्त सभी स्थान नया एक्सचेंज खोलने के शर्तों को पूरा करता है।

मैं आपके माध्यम से उपरोक्त स्थानों में नया दूरभाष एक्सचेंज खोलने की मांग करता हूं।

(सोलह) देश में "काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम" के लिए सेंट्रल मानीटरिंग एजेंसी स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डा. के. धनराजू (टिंडिवनाम): *काम के बदले अनाज कार्यक्रम' दीर्घ काल तक चलने वाले रोजगार गारंटी कार्यक्रम की ओर पहला कदम है। इसे नवम्बर 2004 में शुरू किया गया था और यह देश के चुने हुए 150 अत्यंत पिछड़े जिलों के सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए खुला है।

वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए 2020 करोड़ रुपए और 20 लाख टन खाद्यान्न का आबंटन किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए 5400 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। भारी धनराशि के आबंटन के मद्देनजर यह कार्यक्रम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए शत प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम की कड़ी निगरानी की जानी चाहिए।

काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए तमिलनाडु में जिन चार जिलों को चुना गया है उसमें मेरा संसदीय क्षेत्र विलुपुरम भी एक जिला है। यह देखा गया है कि इसे चालू करने संबंधी मानकों का पालन किए बिना इस कार्यक्रम को जल्दबाजी से चलाया जा रहा है जिसके कारण खाद्य सुरक्षा के साथ अतिरिक्त दिहाड़ी रोजगार के सृजन का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो रहा है। विशेषकर, विल्लुपुरम जिले में काम को मौखिक ठेका मजदूरों से कराया जा रहा है।

महोदय, मैंने केन्द्र सरकार के तंत्र से विशेषकर ग्रामीण विकास मंत्रालय और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि वह नियमानुसार काम के 100 प्रतिशत सत्यापन और काम के गुणवत्ता की नमूना जांच के लिए एजेंसी नियुक्त करें।

यद्यपि इस कार्यक्रम को नवम्बर, 2004 में शुरू किया गया था लेकिन वास्तव में यह कार्यक्रम आरंभिक आबंटन प्राप्त होने के बाद फरवरी 2005 में ही शुरू हो पाया। इसलिए कम से कम 100 दिन के कार्य की आवश्यकता के कारण वर्ष 2005-06 में पहली बार अर्हता प्राप्त करने के लिए 60 प्रतिशत व्यय का निष्पादन दिखाए जाने संबंधी शर्त में छूट दी जाए।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

(सत्रह) तमिलनाडु के शिवकाशी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय श्रम कल्याण संगठन के जरिए पटाखे की फैक्टरियों में कार्यरत मजदूरों के लाभ के लिए कल्याणकारी उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी)* महोदय, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम कल्याण संगठनों के माध्यम से चूना पत्थर कर्मकार, बीड़ी और फिल्म उद्योग के कर्मकार आवास ऋण और अपने बच्चों के विद्यालय खर्च तथा चिकित्सा खर्च के लिए राजसहायता प्राप्त कर रहे हैं। ये उद्योग सरकार को उपकर का संदाय कर रहे हैं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शिवकाशी में 500 पटाखों की फैक्टरियों और 3000 माचिस की फैक्टरियों में लगभग 2 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि केन्द्रीय श्रम कल्याण संगठन के माध्यम से उपर्युक्त कर्मकार को भी ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएं इन कर्मकारों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन फैक्टरियों से उपकर का संग्रह किया जा सकता है।

(अठारह) उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 को जोड़ने वाली सड़कों का उचित रख-रखाव और मरम्मत किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मुन्शी राम (बिजनौर): *अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क योजना तथा प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण विकास सड़क योजना पर करोड़ों निधि खर्च की जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के अंतर्गत आने वाले प्रमुख सड़कें जो कि दूसरे राज्य को जोड़ती हैं, आज भी इन सड़क मार्गों की हालत देश की आजादी के 57वें वर्ष होने के बाद भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। जिन सड़कों को 10 साल पहले बनाया जा चुका है, उन पर दुबारा अभी तक मरम्मत तथा सुधारात्मक कार्य नहीं किया गया है। जिन सड़कों की हालत खराब है, उनमें मुख्य रूप से नेशनल हाइवे-119 और एन.एच.-74 को जोड़ने वाले मार्ग कीरतपुर-नगीना, बिजनौर-कोतवाली मार्ग, उत्तरांचल की सीमा को जोड़ने वाला मार्ग नगीना-रायपुर, कोटकादर टाडामाईदास-कोटद्वार एवं नगीना-बढ़ापुर कोटद्वार मार्ग आदि सभी मार्गों की हालत जर्जर बन चुकी है, जिसके कारण वाहनों की दुर्घटनाएं और नुकसान अधिक होते हैं, इन्हीं मार्गों के साथ नेशनल

*सभा पटल पर रखा माना गया।

हाइवे-74 को राजमार्ग से जोड़ने वाला मार्ग नगीना-नहटौर एवं नगीना हरेवली-अफजलगढ़ मार्ग पर प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं सी.आर.एफ. के माध्यम से चौड़ीकरण एवं सुधार शीघ्र किया जाये।

अपराह्न 2.09 बजे

सामान्य, बजट 2005-2006

अनुदानों की मांगे

कृषि मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अनिल बसु-उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे कृषि मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर बोलने का समय दिया है। महोदय, कहा जाता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में कृषि की निरंतर उपेक्षा हो रही है।

उपाध्यक्ष जी, वर्तमान में देश में संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की सरकार है। उसका जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम था, उसमें भी यह प्रतिबद्धता दर्शाई गई थी कि हम कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, लेकिन इसके बावजूद, इस साल का जो बजट आया है, उसमें कृषि के लिए जितना प्रावधान होना चाहिए था, उतना प्रावधान नहीं किया गया है। जब हम बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बेरोजगारी दूर करने का अगर कोई क्षेत्र हो सकता है, तो वह कृषि के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए कृषि के संरक्षण और संवर्धन का काम जितनी मजबूती के साथ हमारे देश में होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है।

महोदय, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन की जो रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि हिन्दुस्तान के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन इस क्षेत्र को जो सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए, वे मुहैया नहीं हो रही हैं। परिणाम यह हो रहा है कि लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव बुरी तरह बर्बाद हो रहे हैं, उजड़ रहे हैं, उत्पादन लागत निरन्तर बढ़ रही है, किसानों को उनके उत्पाद का जो भाव मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। सबसे दुखद बात यह है कि इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी हम सिंचाई के नाम पर पूरी तरह इन्द्र के भरोसे, भगवान के भरोसे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत की कृषि के लिए जहां चुनौतियां वहां ऐसा नहीं है कि हमारे पास साधन नहीं हैं। हमारे देश में कृषि के 35 विश्वविद्यालय हैं और इनके साथ-साथ कृषि अनुसंधान परिषद् है जिसकी तकनीकी शोध ताकतें हैं। यदि कृषि बीजों और फसलों की नई प्रजातियां हम विकसित करें और वे आम जनता तक पहुंचे, तो इस क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त की जा सकती है। कृषि के नाम पर जो शोध हो रहे हैं, दुख की बात यह है कि वे मात्र प्रयोगशालाओं तक ही सीमित हैं। जब तक वे शोध किसानों तक नहीं पहुंचेंगे तब तक किसानों का किसी भी तरह भला नहीं हो सकता है।

महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि इस बार का जो बजट प्रस्तुत हुआ, उसमें केवल 50 करोड़ रुपए शोध के लिए रखे गए हैं, जो विश्व के देशों की तुलना में नहीं के बराबर हैं। हम कृषि का विकास करना चाहते हैं, हम किसानों को नई जानकारी देना चाहते हैं, नई तकनीक देना चाहते हैं, नए तरीके से फसलें उगाना चाहते हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में जो शोध हो रहे हैं, उनका कोई फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1950-51 में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का 58 प्रतिशत योगदान था, जो अब घटकर कुल 20.5 प्रतिशत रह गया है।

यदि कृषि को विकसित करना है, तो उसकी जो उपज दर है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। उसकी क्षमता हमारे देश में है, लेकिन कुप्रबंध और कुशासन के कारण हम अपनी क्षमता का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की जो खोज है, उसके मुताबिक जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, उनमें कहा गया है कि गंगा और यमुना का जो बेसिन है, उसमें 5.7 से लेकर 6.6 टन प्रति हैक्टेयर के हिसाब से गेहूं और 8.3 से लेकर 10.4 टन प्रति हैक्टेयर के हिसाब से चावल पैदा किया जा सकता है और यह जो उत्पादन होगा, वह वर्तमान उत्पादन से 100 से 300 प्रतिशत तक ज्यादा होगा। उसकी ओर हमारा कोई ध्यान नहीं है। पिछले सालों में हमारे यहां जो कृषि के उत्पादन की मात्रा थी, वह प्रतिवर्ष औसतन 1.5 टन के हिसाब से बढ़ी है जबकि देश की जनसंख्या 1.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि पिछले दशक में प्रतिव्यक्ति, विशेषकर मोटे अनाज की उपलब्धता 20 प्रतिशत कम हो गई है। दालों की जो उपलब्धता 36 ग्राम प्रतिव्यक्ति थी, वह घटकर

28 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गई है। इस देश में 19 बिलियन हैक्टेयर जमीन बंजर है, जिसे कृषि योग्य बनाने हेतु एक लाख से ज्यादा मजदूर नियोजित हो सकते हैं, लेकिन इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से कहना चाहूंगा कि हमने हिन्दुस्तान की तरक्की का जो मूलभूत ढांचा तैयार किया है, जिसमें सीमेंट, सड़क, बिजली, पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनमें सिंचाई का कहीं कोई नामोनिशान नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर दसवीं पंचवर्षीय योजना तक सिंचाई की तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं, जो स्व. पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के जमाने में शुरू हुईं, लेकिन वे आज तक पूरी नहीं हो सकी हैं। देश में वर्तमान दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं में सात खरब और 20 अरब की अनुमानित लागत वाली बड़ी और मध्यम दर्जे की 400 सिंचाई की परियोजनाएं लम्बित हैं। इन परियोजनाओं में विलम्ब होने के कारण उनकी लागत राशि पांच गुना से लेकर 20 गुना तक बढ़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई की जिन परियोजनाओं से किसान लाभान्वित हो सकते थे, वे पूरी नहीं हुई। हम नयी परियोजनाओं की घोषणा करते जाते हैं और पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने का काम नहीं करते। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब तक देश में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हम किसी भी कीमत पर कृषि क्षेत्र का कल्याण नहीं कर सकते। मैं सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि यह सरकार सिंचाई के क्षेत्र की निरंतर उपेक्षा कर रही है। हम कृषि और खेती की बात करते हैं तथा उसे उपजाऊ बनाने की बात करते हैं, लेकिन जब तक हम सिंचाई को प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक देश का भला नहीं हो सकता।

हमारी उत्पादन दर बढ़ नहीं पा रही है, पिछले पांच सालों में लगभग एक जैसी है। गेहूं की पैदावार सन 1999-2000 में 2.78 टन प्रति हैक्टेयर थी, 2003-04 में 2.71 टन प्रति हैक्टेयर हुई। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि हम कुछ भी कहें, लेकिन पिछले पांच वर्षों में गेहूं की पैदावार में प्रति हैक्टेयर कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। सन् 1999-2000 में दालों की पैदावार 0.74 टन प्रति हैक्टेयर थी, 2003-04 में 0.62 टन प्रति हैक्टेयर हो गई। सन 1999-2000 में अनाज की उत्पादन दर 1.70 टन थी, 2003-04 में वह 1.71 टन प्रति हैक्टेयर हुई। इसका सीधा मतलब यह है कि हम कृषि को किसी भी कीमत पर लाभकारी नहीं बना पाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से कहना चाहूंगा कि आज हमने किसान को वहां खड़ा कर दिया है। हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की खुली स्पर्धा में खड़े हैं, हमें सहूलियतें नहीं मिल रही हैं। हमने दुनिया का बाजार खोल दिया है, लेकिन दुनिया के तमाम देश अपने किसानों को जो संरक्षण और सब्सिडी दे रहे हैं, उनकी तुलना में हम कहीं नहीं खड़े हैं और यही कारण है कि इस हाउस में वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम किसानों को ऋण देंगे। कल-परसों अखबारों में यह छपा कि उनकी ब्याज कम होगी। मैंने पहले भी कहा और फिर मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि आप कितना रुपया, कितना ब्याज, कितना ऋण देंगे, यह कोई अहम् मुद्दा नहीं है। किसानों की खुदकुशी के मामले अखबारों में आते हैं। किसानों ने विभिन्न प्रांतों में दम तोड़ा है, आत्महत्याएं की हैं, उसका भी सीधा कारण यह है कि खेती अलाभकारी हो गई है। किसान जो ऋण लेते हैं, उसे अदा करने की क्षमता किसान में नहीं है। हम बहुत गम्भीर सवाल पर चर्चा कर रहे हैं और मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि अगर इस देश को तरक्की करनी है, इस देश को बेरोजगारी से बचाना है, इस देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है तो कृषि को संरक्षण देने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कृषि के बाद जो सबसे बड़ा किसान के पास आय का जरिया है, वह पशुधन है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा कि सात रुपये लीटर दूध बिक रहा है और 12 रुपये लीटर पानी बिक रहा है। इससे ज्यादा नाइंसाफी और किसान के साथ क्या हो सकती है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय की सीमा को जानता हूं और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। शरद पवार जी का काफी अनुभव है। ये कृषि मंत्री हैं, इनका किसानों से बहुत सम्बन्ध रहा है। मेरा शरद पवार जी से विनम्र आग्रह है कि जब तक सरकार सकारात्मक दिशा में नहीं सोचेगी, बुनियादी तौर पर हम कुछ भी कहें, लेकिन जब तक हिन्दुस्तान का बजट कृषि आधारित नहीं होगा और इस देश में श्रम प्रधान उपयोग नहीं लगेंगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत इस देश का भला नहीं कर सकती। इसलिए मेरा आपके मार्फत इस सरकार से विनम्र आग्रह है कि कृषि को बचाने का काम करिये, किसान को बचाने का काम करिये। उत्पादन लागत बढ़ रही है, उत्पाद का मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान लुट रहे हैं, खेती आज अलाभप्रद हो गई है और मेरा आपके मार्फत इस सरकार से यही विनम्र आग्रह है कि आपके चुनाव घोषणा-पत्र में क्या लिखा है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम में क्या लिखा है, मैं नहीं जानता, लेकिन वह लिखा हुआ आम जनता को आचरण में दिखाई देना चाहिए। इसी से सरकार की दिशा तय होगी और इसी से सरकार के काम के बारे में लोग अनुमान लगाएंगे। इस दिशा में अगर यह सरकार कुछ पहल करेगी तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जिस गम्भीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी सार्थकता होगी।

***श्री राम सेवक सिंह** (ग्वालियर): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005-06 कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में मुझे

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री राम सेवक सिंह]

अपनी बात कहने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष तथा सम्मानीय सदन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं तथा अपेक्षाओं का दंश झेलने वाले किसानों की दशा को देखते हुए व्यथित मन से अपने विचार सदन के सामने रख रहा हूं।

महोदय, हमारे कृषि प्रधान देश में किसानों की दयनीय स्थिति से आप सभी परिचित हैं। पिछले कुछ वर्षों में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्यायें इसका ज्वलन्त उदाहरण है। महोदय, दिन-रात अपने को जोखिम में डालकर देश के लिए खाद्यान्न पैदा करने वाले किसान को अपनी जीविका चलाना दुर्भर हो गया है। महंगाई की चौतरफा वृद्धि से सिंचाई, उर्वरक, उत्तम बीज, जुताई-गुड़ाई आदि सभी महंगा हो जाने के कारण किसान परिवार कर्ज के बोझ से दबा जा रहा है तथा प्राकृतिक आपदाएं भी इसका मुख्य कारण है।

महोदय, मेरा अपनी सरकार तथा सम्मानीय सदन से आग्रह है कि एक ऐसी ठोस योजना बनायी जाए, जिसमें प्राकृतिक आपदा, सूखे से बचाव व खलिहान दुर्घटनाओं की अविलम्ब क्षतिपूर्ति हो सके तथा कृषि मंत्रालय में प्राकृतिक आपदा राहत कोष का गठन किया जाये, जिसमें पर्याप्त धन की व्यवस्था हो तथा कृषि मंत्रालय द्वारा सीधे तौर पर केन्द्र सरकार-किसान के द्वार की नीति के तहत क्रियान्वित की जाये, जिससे पीड़ित परिवार अपनी सरकार को अपना हमदर्द मान सके।

महोदय, अभी पीछे मध्य प्रदेश विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र ग्वालियर में ओलावृष्टि से एक बहुत बड़े क्षेत्र में रबी की फसल पूर्णतया: नष्ट हो गयी। आगामी फसल हेतु बीज भी नहीं बचा। प्रदेश सरकार द्वारा कुछ तात्कालिक सहायता दी गयी, जो काफी नहीं है। महोदय, इस तरफ की आपदाओं से सामाजिक गतिविधियां भी रूक जाती हैं। जो परिवार अपनी बेटी की शादी इस फसल के आसरे पर तय करता है, वो टूट जाती है। ऐसी एक घटना से ही किसान परिवार विकास की राह से दस साल पीछे चले जाते हैं।

महोदय, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना-कृषि विकास में सरकार की बहुत बड़ी पहल है। इस योजना को अधिक से अधिक सरल बनाया जाये तथा कम से कम प्रीमियम पर फसल का बीमा किया जाये, जिससे इस योजना का प्रत्येक छोटे-मझले किसान लाभ उठा सकें। इस योजना के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिससे मुआवजे की वस्तुस्थिति पूर्णतया: स्पष्ट एवं निष्पक्ष रहे।

महोदय, सिंचाई एवं पेयजल हेतु भूजल के बढ़ते दोहन से भूजल स्तर बहुत अधिक गिर गया है। पूर्व में स्थापित नलकूपों से पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पा रही है। कृषि भूमि के ऊसर होने के आसार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे किसानों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, भूजल स्तर तथा कृषि भूमि को ऊसर बनने से रोकने हेतु कृषि विभाग को जल संसाधन मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों में सूखे पड़े तालाबों की पुनर्स्थापना तथा जीर्णोद्धार हेतु एक विशेष कार्य योजना बनानी चाहिए, जिससे वर्षा के पानी का सदुपयोग गिरते भूजल स्तर को रोकने में किया जा सके। महोदय, सरकार को वर्षा के सम्पूर्ण जल के सदुपयोग हेतु नदियों पर बड़े-बड़े बांधों का निर्माण करना चाहिए, जिसका इस्तेमाल सिंचाई एवं पेयजल के रूप में किया जा सके।

महोदय, प्रत्येक राज्य के बड़े शहरों में कषि विश्वविद्यालय तथा कृषि अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जाये, जिससे युवा वर्ग को कृषि की शिक्षा तथा किसानों को उन्नत बीज मिल सके। कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से भूमि की उर्वरता को बढ़ाया जा सके और कम लागत में पैदावार बढ़ायी जा सके। महोदय, ये दोनों कारक कृषि के विकास में सहायक होंगे, ऐसा मेरा मत है।

महोदय, कृषि के विविधिकरण की कार्य योजना से किसानों को लाभ मिलेगा। यदि सरकार किसानों को लघु-उद्योग हेतु रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराये तो इनके आय के अन्य स्रोत भी खुलेंगे और किसान समृद्ध होगा। महोदय, किसान होगा तो देश समृद्ध होगा।

महोदय, मैंने अपने कुछ प्रस्ताव रखे। मुझे आशा है कि सम्माननीय सदन तथा सरकार इस पर विचार करेंगे तथा किसान हित में ठोस कदम उठाये जायेंगे।

अंत में महोदय मैं आपका तथा सम्माननीय सदन का हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कृषि से संबंधित मांग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों के संबंध कुछ आपत्तियां सामने लाना चाहता हूं। अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है। वे कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए है।

महोदय, वास्तव में कृषि क्षेत्र के अन्दर हम उन्हें बागवानी, डेयरी, मत्स्यन और मुर्गी पालन जैसे क्षेत्रों में बांट सकते हैं। हमारे

सकल घरेलू उत्पाद में भारतीय कृषि का योगदान 25 प्रतिशत रहता है। कृषि क्षेत्र के अन्दर 60 प्रतिशत वर्क-फोर्स (कार्य बल) कार्य करता है। इसलिए हम कृषि क्षेत्र पर बहुत निर्भय है। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह उल्लेख किया था कि वह कृषि क्षेत्र पर पूरा ध्यान देंगे। हमारे कृषि मंत्री एक किसान होने के नाते लोगों की भावनाओं को समझ सकते है। हमें खुशी है कि हमारे पास उनके जैसे मंत्री है। मुझे कहना चाहिए कि वर्ष 2004-05 में खाद्यान्नों का भारी मात्रा में उत्पादन हुआ है। यह अतिरिक्त उत्पादन है।

लेकिन इस समय मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में ग्वाट, मोठ धनिया और ईसबगोल जैसे कृषि उत्पादों के लिए कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है। आपको किसानों के लिए इसे देना चाहिए ताकि अपने उत्पाद का बराबर मूल्य मिल सके। इस स्थिति में हमें विपणन और विपणन बोर्डों को आपस में जोड़ देने की आवश्यकता है इससे विपणन बोर्ड, भारतीय खाद्य निगम से जुड़ें होंगे और उनके उत्पाद मंडी में समय पर पहुंच सकेंगे। यदि वे समय पर पहुंचा देते हैं। उनके उत्पाद की गुणवत्ता बढ़िया है। हमारे किसान कड़ी मेहनत करते हैं और वे विभिन्न स्थितियों में काम करते हैं विशेषकर तब जब अलग-अलग मौसमी स्थितियां होती हैं।

राजस्थान में अभी-अभी ओलावृष्टि हुई है इसके कारण फसल बर्बाद हुई है। राष्ट्रीय कृषि बीमा के अंतर्गत फसल बर्बाद होने के संबंध में हम तहसील को एक ईकाई मानते है। हमें गांव को एक ईकाई माननी चाहिए ताकि हम किसानों को उनके उत्पाद का बराबर मूल्य दे सकें। भूमि के सिंचित भाग के लिए आप प्रति हेक्टेयर 2500 रु. देते हैं और सिंचित भूमि के लिए आप प्रति हेक्टेयर 1500 रुपए देते हैं। आपको इस पक्ष पर विचार करना पड़ेगा। आपको इस मुद्दे पर शीघ्र विचार करना पड़ेगा। आपको किसानों की इस तरह की समस्याओं पर ध्यान देना होगा।

मैं यह अवश्य कहूंगा कि राजग सरकार ने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया। अब आप सत्ता में हैं। इसे और सुदृढ़ करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि कोई बिचौलिया न रहे। वित्तीय संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीधे किसानों को पैसा मिले ताकि उन्हें लाभ हो।

इस समय, राजस्थान कृषि फसल के उत्पादन के लिए प्राथमिक रूप से वर्षा पर निर्भर है। राजस्थान में, हम विशेष रूप से बाजरे का उत्पादन करते हैं। इस समय, बाजरे के उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 515 रु. है। सरकार को इसे बढ़ाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पादन लागत बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, हमारे यहां आवश्यकता के अनुरूप बिजली उपलब्ध नहीं है। इसलिए किसान डीजल का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं। डीजल का उपयोग करने से उत्पादन लागत बढ़ जाती है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ऐसे मदों के उत्पादन के लिए मूल्य बढ़ गया है।

'धनिया' और 'ईसबगोल' औषधीय महत्व के हैं। हम अन्य कई तरह के औषधीय पौधे उगाते हैं। सरसों और तिलहन के लिए दी जाने वाली राजसहायता को 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। मैं सरकार से इसे 50 प्रतिशत करने का अनुरोध करूंगा। इसी तरह से, कपास के लिए, राजसहायता को 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। विशेषरूप से हमारे राज्य राजस्थान में भीलवाड़ा में कई मिले हैं। वे उद्योगपतियों और किसानों को मदद करती हैं, इसलिए, अपने राज्य में अच्छे उद्यमी के लिए इस क्षेत्र को और अधिक मदद करनी पड़ेगी।

सूखे के दौरान राजस्थान के लोगों की सहायता करने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि 'हार्टिकल्चर मिशन' गठित किया जाएगा। मैं उनसे इस संबंध में मदद करने का अनुरोध करूंगा। फलों और सब्जियों के मामले में भारत दूसरा सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राष्ट्र है। यूरोप में इनका बहुत बड़ा बाजार है। इसके साथ-साथ भविष्य में व्यापारिक अड़चने बढ़ने वाली हैं। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यूरोपीय संघ हमारे उत्पादों को बेचने के लिए बहुत अच्छा बाजार हो सकता है।

कृषि के अलावा, हम भेड़पालन, बकरी पालन का कार्य भी करते हैं और हमारे यहां अच्छी गुणवत्ता वाली दूध का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में एक दुग्ध प्रशीतन संयंत्र है जो दिल्ली के निकट है। यह एक उपयुक्त संयोग है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से इस संबंध में सहयोग करने का अनुरोध करूंगा। वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में सहकारी ढांचे को व्यवहार्य बना दिया है। मैं उनसे हमें मदद करने, निर्देशित करने का अनुरोध करूंगा और वे हमें बताएं कि हमारे राज्य में दुग्ध सहकारिता का सुधार कैसे हो सकता है हमें हर उस आदमी की मदद करनी है जो भेड़ और पशु पालता है।

मैं अपनी बात संक्षेप में कहते हुए यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने कुछ मांगे रखी हैं। हमें विशेषरूप से जयपुर में या राजस्थान राज्य में रेशिड्यूअल टेस्टिंग लैबोरेट्री की आवश्यकता है ताकि हम अपने उत्पादों की गुणवत्ता को सुधार सकें। यदि ऐसा होता है तो हम इन वस्तुओं की आपूर्ति यूरोपीय संघ को कर

[श्री दुष्यंत सिंह]

सकते हैं। हमें सुक्ष्म उपकरणों की आवश्यकता है। इसकी लागत करीब 3 करोड़ रुपए है। इसलिए, सरकार को मदद करनी चाहिए।

दूसरी बात यह कि, बजट में प.ब.पी. और सीमेंट पाइपों के लिए राजसहायता की बात नहीं की गयी है। हमें किसानों की मदद के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। इसलिए, आपको इस संबंध में राजसहायता देनी चाहिए। अभी आप केवल एन.टी.पी.ई. के 75 एम.एम.डी.आई. पाइपों पर ही राजसहायता दे रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से पी.वी.सी. पाइपों और सीमेंट पाइपों पर पूरी राजसहायता प्रदान किए जाने के मुद्दे पर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा ताकि किसान अपनी भूमि के सम्पर्क की व्यवस्था कर सकें। हमारे क्षेत्र के लिए लघु सिंचाई और स्पिंकलर सिंचाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे उत्पादन अधिकतम स्तर तक बढ़ेगा।

इस स्थिति में, हमें केन्द्र और राज्य के बीच सम्पर्क बढ़ाने की आवश्यकता है। इस संबंध में पर्याप्त प्रावधान किए जाने की आवश्यता है। केन्द्र और राज्य को कृषि में अच्छा परिणाम प्राप्त करने हेतु एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। शुष्क भूमि कृषि को बढ़ाने हेतु आपने 130 करोड़ रुपए दिए हैं। इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह केवल 32 ब्लाकों तक ही सीमित है। हमारे यहां शुष्क भूमि खेती के 237 ब्लाक हैं हमें इसे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि आपंटन और ज्यादा हो सके। किसान अपना उत्पादन बढ़ाने हेतु मुख्य रूप से उर्वरकों पर निर्भर रहते हैं। हमें जैव-उर्वरकों के माध्यम से जैविक कृषि जैसे अन्य तरीकों पर ध्यान देने की जरूरत है। आपने हिसार, जबलपुर, बंगलौर और नागपुर में चार क्षेत्रीय केन्द्र गठित किये हैं। राजस्थान में भी एक केन्द्र की जरूरत है। मशीनरी के लिए इस्पात के मूल्य काफी बढ़ गए हैं। आपको उत्पादन बढ़ाना है। हमें पूरे देश में किसानों के लिए राजसहायता की जरूरत है ताकि किसान उचित उत्पादन पा सकें और उनका उपयोग कृषि उत्पादन के लिए एक औजार के रूप में कर सकें। अंत में, किसी भी अच्छे उत्पाद के लिए बीज एक महत्वपूर्ण घटक है। वाराणसी में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है। मुझे उस बारे में बहुत खुशी है। हमें प्रत्येक राज्य में ऐसे एक केन्द्र की जरूरत है। आपको हमें सहायता करनी पड़ेगी। नए "हार्टिकल्चर मिशन" के माध्यम से आप हमारे राज्य में एक केन्द्र और अन्य राज्यों में केन्द्रों की स्थापना का अवसर दे सकते हैं।

आपने किसान चैनलों की सुविधा प्रदान कर किसानों की मदद की है लेकिन हमें उन्हें काल सेंटर से सहायता उपलब्ध कराने की जरूरत है जिसकी उन्हें काल सेंटर से सहायता उपलब्ध कराने की जरूरत है जिसकी व्यवस्था आपने उनके लिए की है। हमें स्थानीय क्षेत्रों के लिए उचित प्रशिक्षण और प्रत्येक राज्य में काल सेंटरों की आवश्यकता है। ऐसी अवस्था में, हम आपको यह बताना चाहेंगे कि हमारे यहां अतिरिक्त उत्पादन है। आपने उत्पाद के निर्यात के लिए "विदेश कृषि उपज योजना" के रूप में नया मुकाम स्थापित किया था। मुझे उस बारे में खुशी है हमें निर्यात बाजार के लिए अवश्य उत्पादन करना चाहिए। हम अपने उत्पादों को अपने बाजारों की तुलना में बेहतर होगा कि विदेश में बेचें। हमारे यहां देश में दलहन, डेयरी उत्पादों, सब्जियों और गन्ने का अच्छा उत्पादन हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण को नया मुकाम हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है को बहुमूल्य बनाने और नई जागरूकता पैदा करने हेतु मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, हम कल्पना करें, नारंगी के उत्पादन में नागपुर के बाद दूसरा स्थान है। हम राजस्थान राज्य में या झालावाड़ में नारंगी प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना कर सकते हैं।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि आप विदेश गए, एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान आप कई विदेशी हस्तियों से मिले, कई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं जैसे पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम; नमक संरक्षण कार्यक्रम जो हमारे देश के लोगों के लिए है। आपको हमारा मार्गदर्शन करना है। मुझे आशा है कि आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमारे राज्य राजस्थान को किसानों के लिए स्थानीय लोगों के लिए और 'आम आदमी' के लिए अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहायता कहेंगे तथा राष्ट्रीय न्यूनतम कार्यक्रम पर जोर देंगे। जिससे लोगों को मदद मिलेगी। इससे "भारत निर्माण" नाम के नए राष्ट्र का सृजन होगा जिसके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया है। रोजगार गारंटी कार्य प्रणाली को कृषि से जोड़ने के लिए आप रोजगार गारंटी को सिर्फ 150 जिलों तक ही नहीं सीमित रख सकते बल्कि 'आप पूरे देश में यह योजना लागू कर सकते हैं और उत्पादन को महत्ता प्रदान कर सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो कृषि की अनुदान मांगें रखी गई हैं, मैं उनके बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान के 70 प्रतिशत लोग खेती-बाड़ी से अपनी जीविका कमाते हैं। यह सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब भाखड़ा डैम का उद्घाटन किया था, तब कहा था कि ये हिन्दुस्तान के माडर्न टैम्पल हैं जहां की सिंचाई की बड़ी-बड़ी परियोजनाएं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को जाएंगी और हिन्दुस्तान में ग्रीन रैवोल्यूशन लाएंगी। आज हिन्दुस्तान में वहीं परियोजनाएं सबसे बड़ी ग्रीन रैवोल्यूशन लाईं। इसके साथ-साथ हिन्दुस्तान में व्हाइट रेवोल्यूशन लाईं। आज युनाइटेड प्रोग्रैसिव ऐलायंस का सबसे ज्यादा ध्यान कृषि की तरफ है।

पुरानी कहावत में कहा गया है कि उच्च खेती को हमेशा ऊंचे दर्जे का माना गया है। उसमें कहा गया है-'उत्तम खेती

मध्यम व्यापार, नीच चाकरी करे गवार'। आज हमारे नौजवान खेती की तरफ न जाकर छोटे-मोट धंधे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे वह वक्त याद है जब पंजाब के मुख्य मंत्री श्री प्रकाश सिंह कैरों थे। उस समय बहुत सी ऐग्रीकल्चर यूनीवर्सिटीज का निर्माण हुआ। बहुत से खेती-बाड़ी करने वाली फैमिलीज के लड़कों ने उन ऐग्रीकल्चर यूनीवर्सिटीज में दाखिला लिया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. चन्द्र कुमार: जब वे पढ़-लिख गए तो कुछ लोगों ने कैरो से कहा कि आपने इतनी ऐग्रीकल्चर यूनीवर्सिटीज बना दी हैं, लेकिन जब यहां का पढ़ा-लिखा नौजवान बेरोजगार होगा तो आप उन्हें रोजगार कहां से देंगे। उन्होंने एक शब्द कहा कि मैं ऐग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी सिर्फ इम्प्लायमैंट के लिए नहीं बना रहा हूं। अगर देहात का पढ़ा-लिखा नौजवान खेती-बाड़ी करके अपनी खेती के रंग-रूप को बदलेगा तो हम हिन्दुस्तान के पूरे कृषि ढांचे में परिवर्तन कर सकते हैं। आज हमें खुशी है कि उस वक्त लुधियाना की ऐग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी ने वह कीर्तिमान दिखाए जो विश्व की दूसरी यूनीवर्सिटीज जो बड़े पैमाने पर थीं, ने नहीं दिखाए। उस वक्त ऐग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रैवोल्यूशन आया।

आज टोटल जीडीपपी का 21 प्रतिशत हिस्सा ऐग्रीकल्चर सैक्टर से आता है। हमारी सरकार की प्राथमिकता ऐग्रीकल्चर सैक्टर के लिए होनी चाहिए। आज सैक्टोरल प्लानिंग में बहुत से विभाग अपने-अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री जी उच्च कोटि के कृषक भी हैं और एक अच्छे पार्लियामैंटेरियन भी हैं। आप सैक्टोरल प्लानिंग के लिए राज्यों को जो पैसा देते हैं, जैसे ऐग्रीकल्चर, हार्टीकल्चर, इरीगेशन, सायल कन्जर्वेशन आदि वे मेल-जोल से कार्य करते हैं। मैंने देखा है कि ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट कुछ और काम कर रहा है तो इरीगेशन विभाग कुछ और काम कर रहा है। इसी तरह सायल कन्जर्वेशन विभाग कुछ और काम कर रहा है। इसलिए हमारा जो ऐग्रीकल्चर डायवर्सीफिकेशन रोड मैप है, जिसे अब हिन्दुस्तान की सरकार बना रही है, जिसमें डायवर्सीफिकेशन हो रहा है, उसमें सबसे पहले हिन्दुस्तान की ग्रीन लैंड का यूज होता। हमारी विडंबना है कि पूरे देश में भूमि प्रयोग की कोई योजना नहीं है। अभी भी लैंड यूज प्लानिंग को सारे देश में अमल में नहीं लाया गया। कोई सायल फर्टीलिटी और सायल कैपेबिलिटी मैप नहीं बनाया गया। आज किसान परम्परागत तरीके से खेती करके या फर्टीलाइजर डालकर जो उत्पादन करता है, उसे साइंटिफिक लाइन पर नहीं लाया गया। मेरा कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि हमारे पास बहुत यूनीवर्सिटीज जैसे इंडियन काउंसिल आफ ऐग्रीकल्चरल रिसर्च है। अभी तक हिन्दुस्तान में पैडोलाजिकल सर्वे नहीं किया गया। स्काल्सकी रशियन पैडोलाजिस्ट थी, वे विश्व की प्रथम मृदा वैज्ञानिक थी। उसने सारे विश्व के सायल मैप तैयार किए और इंडियन काउंसिल आफ ऐग्रीकल्चरल रिसर्च ने भी बड़े मृदा के मैप तैयार किए हैं। वह माइक्रो और मिनी माइक्रो के साथ नहीं किए। इसलिए अब ऐग्रीकल्चर की डायवर्सिफिकेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक प्रापर लैंड यूज प्लानिंग नहीं होगी, प्रापर लैड फर्टीलिटी सर्वे और लैंड कैपेबिलिटी सर्वे नहीं होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारी इंडियन काउंसिल आफ ऐग्रीकल्चरल रिसर्च यूनीवर्सिटी का ब्लाक स्तर पर लैंड यूज सर्वे किया जाए। ब्लाक स्तर के लैंड यूज सर्वे कर उस माडल को जगह-जगह रैप्लीकेट करके देखा जाए कि कृषि के संदर्भ में कौन सी जमीन कैसे फिट हो। इसके लिए यह करना बहुत अनिवार्य है। इसी के साथ यूपीए सरकार ने यह टारगैट रखा है कि हम सन् 2009 तक एक करोड़ हैक्टेयर एरिया को सिंचाई की व्यवस्था के अधीन लाना चाहते हैं। इसके लिए भी मीडियम और लार्ज स्केल योजना के बारे में देखना होगा। मैंने देखा है कि बहुत से हाइडल प्रोजैक्ट्स भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में आ रहे हैं। लेकिन उसका सिर्फ एक ही काम हाइडल जनरेशन करना है। होना तो यह चाहिए ता कि मल्टी-पर्पज प्रोजेक्ट्स, जैसे कि भांखड़ा नांगल प्रोजेक्ट बनाया गया, दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनाया गया, आज भी हम माइक्रो और मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। वे मल्टी-पर्पज प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिसमें इरीगेशन के साथ हाइडल जनरेशन और दूसरी बातें होनी चाहिए।

हिन्दुस्तान में सबसे पहले लैंड-रिफार्म्स श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शुरु किये। बहुत से राज्यों में भूमि सुधार शुरू हुए और बहुत से राज्यों में अभी तक नहीं हुए हैं। जब तक भूमि सुधार नहीं होगा, तब तक हम एग्रेरियन सुधार नहीं कर सकते हैं। जब तक हम छोटे से छोटा जो गरीब आदमी उसको जमीन देकर एग्रीकल्चर को बढ़ावा नहीं दे सकते, तब तक हम एग्रेरियन रिर्फाम्स की तरफ नहीं जा सकते हैं। आज यह बड़ी विडम्बना की बात है और मैं बताना चाहूंगा कि मुझे एस्टीमेट्स कमेटी में काम करने का मौका मिला और मैं आन्ध्र प्रदेश गया। उस राज्य के 42 प्रतिशत लोग अभी भी बन्धुआ मजदूर हैं। उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के पास 2 हेक्टेयर भूमि से भी कम भूमि है। आज सभी राज्यों में जब तक भूमि सुधार नहीं होंगे तब तक एग्रीकल्चर सुधार हम किसी प्रकार से पूरा नहीं कर सकते। इसलिए यदि हम डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए भूमि सुधार होना

[प्रो. चन्द्र कुमार]

जरूरी है। अगर हम हार्टिकल्चर, पोल्ट्री-फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो कम से कम एक गांव में रहने वाला जो गरीब आदमी है, उसके लिए हमें यह एनश्योर करना चाहिए कि उसे 10-15 कनाल जमीन मुहैया कराएं। हमारा जो स्टेट हिमाचल प्रदेश है, उसमें डा. वाई.एस. परमार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्होंने काम्प्रीहेंसिव लैंड-रिफार्म्स किये और हरेक आदमी की जमीन मुहैया कराई। कहने के लिए मैं छोटे से राज्य से आता हूं लेकिन बात जब डाइवर्सिफिकेशन आफ एग्रीकल्चर की होती है और आज जितने फ्लोरिक्लचरिस्ट्स और एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं, एग्रीकल्चर में जब वे एग्रीकल्चरल रिफार्म्स लाए, तभी उससे एग्रीकल्चर का सारा रूट प्लान बदला है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से विनती है कि जिन स्टेट्स में अभी तक एग्रीकल्चरल रिफार्म्स नहीं हुए हैं, वहां व्यापक स्तर पर टाइम बाउंड करके एग्रीकल्चर रिफार्म्स किये जाएं। उसके बाद एग्रेरियन रिफार्म्स किये जाएं। इसी तरह से बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत चीजें दी जाती हैं। इसलिए आज सफलता का युग है और हमें बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इन चीजों को हमें रेक्टिफाइ करना चाहिए और जो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं अगर कोई सीरियल क्राप पैदा करता है और वहां पर एग्रो क्लाइमेट किसी हार्टिकल्चर के लिए उपयुक्त रहता है तो हमें व्यापक स्तर पर हार्टिकल्चर को देना चाहिए और सीरियल्स को पीछे छोड़ देना चाहिए।

डेनमार्क जैसे छोटे-छोटे देश जिन्होंने डेयरी फार्मिंग में विश्व में अपना नाम कमाया है और अगर हम यह कहें कि वे सीरियल उगाकर या व्हीट उगाकर अपना नाम कमा सकते थे तो यह कभी नहीं हो सकता। हिन्दुस्तान की जितनी स्टेट्स हैं, उन्हें पहले आइडेंटिफाइ किया जाए कि किस क्लाइमेट में कौन सी हार्टिकल्चर एक्टिविटीज किस एग्रो क्लाइमेट में सीरियल क्राप पैदा कर सकते हैं ताकि हरेक राज्य में सब एक ही तरफ न चले कि सीरियल उगाने की तरफ चले और एक स्टेट हार्चिकल्चर से वंचित रह जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रोपर लैंड-यूज प्लानिंग करके सारे राज्यों को आक्यूपेशनल स्ट्रक्चर करके एग्रीकल्चर बेस दिया जाए ताकि लोग आगे से आगे काम कर सकें।

इसी तरह से मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो गरीब आदमी को लोन दिया जाता है, जो लोनिंग की प्रोसैस है, एग्रीकल्चर सैक्टर में लोनिंग दी जाती है, उसके रेट आफ इंटररेस्ट इतने ज्यादा हैं कि ज्यादातर कोआपरेटिव बैंक्स, लैंड-मार्टगेज बैंक्स उनकी लोनिंग करते हैं और रेट आफ इंटरेस्ट 12 से 15 प्रतिशत तक होता है और बेचारा किसान अगर किसी कैलेमिटीज या सूखे की वजह से लोनिंग नहीं दे सकता तो उससे हायर रेट्स पर जमीन को गिरवी रखना पड़ता है। इसलिए लोनिंग की प्रोसैस आसान होनी चाहिए और रेट आफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए तथा एग्रीकल्चरिस्ट को जिस उद्देश्य के लिए लोन दिया जाता है, उसकी मार्केट एनश्योर करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

***डा. रतन सिंह अजनाला** (तरनतारन): मुझे बोलने का अवसर देने के लिए महोदय, आपका धन्यवाद।

भारत में दो 'भारत' है। एक 'व्यवहारतः भारत' तथा दूसरा 'वास्तविक भारत' है, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, संचार सेवाओं का प्रयोग करता है तथा नियंत्रित करता है। जबकि 'वास्तविक भारत' अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए 'व्यवहारतः भारत' पर निर्भर है। यद्यपि, हमने देखा है कि 'वास्तविक भारत' ने किस प्रकार से सरकारों को बदला है। हमारे देश की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 'वास्तविक भारत' में निवास करती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की 75 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है और ये लोग कृषि पर निर्भर हैं। यह दुर्भाग्यशाली है कि इस देश में गरीबों में सबसे गरीब काश्तकार तथा किसान हैं। महोदय, पंजाब की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का $1^1/_2$% से 2% ही है। स्वतंत्रता के बाद भारत की जनता ने भूखमरी का सामना किया। लेकिन पंजाब के किसान ने चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। तथा अपने-कठिन परिश्रम के बल पर ही उन्होंने भारी-मात्रा में खाद्यान्न का उत्पाद किया। यद्यपि हमारी जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का केवल 2% ही है तथा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के कुल क्षेत्रफल का हमारे पास $1^1/_2$% ही है लेकिन केन्द्रीय खाद्यान्न पूल में 50 प्रतिशत से अधिक अंशदान पंजाब के किसानों द्वारा ही किया जाता है। लेकिन पंजाब के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में मात्र 10 रुपये की वृद्धि की गई है। धान के मामले में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य में मात्र 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। किन्तु कपास के मामले में न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। माननीय कृषि मंत्री यहां उपस्थित हैं। गत वर्ष हमने उनसे एक अनुरोध किया था। पंजाब के लोग बी टी काटन चाहते हैं और उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। किन्तु बी टी काटन की पंजाब में कालाबाजारी हो रही है। हम किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं। जब तक बाजार में बीजों की उपलब्धत सस्ती दरों पर नहीं होगी तो किसान का विकास कैसे होगा? कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता है। किन्तु जहां तक सिंचाई के लिए जल का सम्बन्ध है, पंजाब के लोगों के साथ अन्याय किया गया है। देश की स्वतंत्रता के बाद, सभी नदियों के जल के बारे में हुई सन्धि पंजाब के हितों के

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

प्रतिकूल थी। एक के बाद एक आई सरकारों ने पंजाब के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया। उपाध्यक्ष महोदय, जलस्तर में गिरावट आ रही है। किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फसल विविधीकरण की आवश्यकता है। पंजाब में कांग्रेस शासन का यह चौथा वर्ष है लेकिन सरकार अब तक कुछ ठोस परिणाम नहीं दिखा सकती है तथा पंजाब में फसल विविधीकरण कभी सच न होने वाला सपना बन गया है। महोदय कृषि पर ब्याज दर 14 से 16 प्रतिशत है किन्तु गृह ऋण अथवा कार ऋण पर यह मात्र 7 से 8 प्रतिशत है। ऋण वसूली-बर्बरतापूर्वक की जाती है। कृषि ऋण में चूककर्ता 16% से 17% है जबकि अन्य श्रेणी के ऋणों में चूककर्ता 20% हैं। करोड़ों रुपयों का गबन कर लिया जाता है जबकि किसानों को कृषि ऋण लेने के लिए बैंक अधिकारियों को घूस देनी पड़ती है। ऋण लेते समय किसानों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा ऋण लौटाते समय उनकी समस्याएं और विकट हो जाता हैं। ब्याज की दर आसमान छूने वाली हैं तथा ऋण वापस करना बहुत मुश्किल है। महोदय, किसान जब अपने उत्पादन को बाजार में ले जाते हैं तो बिचौलिये लाभ निगल जाते हैं। ये बिचौलिये 25% से 30% की आसमान छूती ब्याज दरों पर ऋण देते हैं। इन बिचौलियों पर कोई नियंत्रण नहीं है और किसानों को इनके जाल से बचाने का कोई तरीका नहीं है। बाजारों में खाद्यान्नों को तौलने की कोई उचित सुविधा नहीं है। कई बाजारों में इन बिचौलियों द्वारा सब्जियां किलोग्राम या क्विंटल में नहीं खरीदी जाती हैं बल्कि ढेरों में खरीदी जाती हैं। किन्तु कुछ ही घंटों बाद जब ये सब्जियां छोटी दुकानों पर बेची जाती हैं तो किलोग्राम में उच्च दरों पर बेची जाती हैं। इसलिए लाभ किसानों तक नहीं पहुंचता है। इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि किसानों के लिए इस लाभ का हिस्सा सुनिश्चित कर उनके हितों को सुरक्षित करें। बिक्री तथा खरीद के बीच के लाभ का कुछ प्रतिशत गरीब किसानों को मिलना चाहिए। महोदय किसानों के लिए नीतियां तथा कार्यक्रम बनाए जाते हैं किन्तु इन गरीब किसानों के पास टेलीविजन नहीं है। वे समाचार-पत्र नहीं पढ़ते हैं। इसलिए इन कार्यक्रमों के बारे में इन गरीब किसानों को जानकारी तथा सूचना देने के प्रयास किये जाने चाहिए। प्रत्येक गांव में ऐसा कोई स्रोत होना चाहिए जहां से ये गरीब किसान कार्यक्रमों नीतियों और कृषि की नई तकनीकों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इसलिए गरीब किसानों को संकट से उबारने के लिए सरकार को अपने प्रयास दुगुने कर देने चाहिएं। उपाध्यक्ष महोदय, गरीब किसानों के बच्चों की शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गांवों में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिएं ताकि गरीब किसानों की आने वाली पीढ़ियां शिक्षित की जा सकें। केवल शिक्षित किसान ही कार्यक्रमों तथा नीतियों के बारे में जान सकेगा जिनसे वह लाभान्वित होगा। ऋण कैसे लेना है? ऋण कहां से मिलता है? केवल शिक्षित किसान ही इन सब के बारे में जान सकेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य सूचकांक से सम्बन्ध होना चाहिए। सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। किन्तु मूल्य सूचकांक के अनुसार खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया जाता है। इसलिए यह समय की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य स्थाई रूप से मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध किया जाना चाहिए। केवल तभी, गरीब किसान को उसका हक मिल सकेगा।

*श्री ब्रह्मानन्द पंडा (जगतसिंहपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कृषि संबंधी अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर दिया है इसलिए मैं आपका आभारी हूं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत का सांस्कृतिक इतिहास कृषि के ढांचे पर आधारित है। भारतीय सभ्यता, पमरपराएं और सांस्कृतिक रीतियां कृषि पर आधारित हैं। करोड़ों भारतीयों के लिए कृषि ही जीवन यापन का मुख्य साधन है। कृषि के बिना भारत कभी भी प्रगतिशील राष्ट्र नहीं बन सकता है। भारत में कृषि उत्पादन पूर्णत: मानसून पर निर्भर है। अब समय आ गया है जब सिंचाई सुविधाओं पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने हमें एक अच्छी खबर दी है कि इस वर्ष मानसून सामान्य रहेगा। इसके बावजूद हमें सिंचाई के महत्व को कम करके नहीं आंकना चाहिए क्योंकि इसके बिना किसानों की दशा नहीं सुधार सकती है।

24 दिसम्बर 2004 को अपने हिमाचल प्रदेश के दौरे क दौरान माननीय राष्ट्रपति ने भारत में दूसरी हरित क्रान्ति की बात कही थी। इस स्वप्न को अमली जामा पहनाने के लिए कृषि विभाग को अवश्य ही एक यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिसका सम्यक् विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता है। यह अच्छी बात है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2004 को अन्तर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया है। किन्तु अभी भी भारत में लाखों किसान गरीबी से जूझ रहे हैं। वर्ष 2004 में आंध्र प्रदेश में हुए चुनाव ने स्पष्टत: सिद्ध कर दिया है कि कृषि में अनुपयुक्त विज्ञान से लोग प्रभावित हो सकते हैं किंतु इसे गांवों को उन मजबूर किसानों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जिनकी समस्याएं सुलझायी नहीं गयी थीं। इसके परिणामत: श्री चन्द्र बाबू नायडू की सरकार को चुनावी हार का सामना करना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान नोबेल पुरस्कार विजेता श्री अमर्त्य सेन द्वारा की गयी एक टिप्पणी की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जब तक हम कुछ मौलिक मुद्दों को सुलझा नहीं लेते तब तक हम कृषि और कृषक की स्थिति बेहतर नहीं बना सकते हैं। वह कहते हैं—'भारत की कृषि को अत्यधिक प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि श्रम की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है। उन्होंने चार मूलभूत कारकों की बात की है। वे हैं:—

*मूलत: उड़ीसा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री ब्रह्मानन्द पंडा]

(1) स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली की उपलब्धता

(2) भूमि सुधार और उनका संकलन

(3) बुनियादी शिक्षा

(4) लघु ऋणों की उपलब्धता।

जहां तक भूमि सधारों की बात है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल इत्यादि जैसे राज्यों ने कुछ क्रांतिकारी कदम उठाये हैं जिससे कृषक समुदाय को कुछ लाभ पहुंचा है। हमें अवश्य ही उन्हें बधाई देनी चाहिए। किन्तु मैं आपको यहां स्मरण कराना चाहूंगा कि उड़ीसा वह पहला राज्य था जिसने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती नंदिनी सत्पथी के नेतृत्व में भूमि सुधार शुरू किया था। उन्होंने इस सिद्धांत पर बल दिया था कि जो भी फसल उगाता है भूमि उसी की होगी। किसानों की स्थिति बेहतर बनाने की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं बीजू जनता दल के एक सदस्य के रूप में उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। हमारे स्वर्गीय नेता श्री बीजू पटनायक कर्मठता और स्वाभिमान की एक मिसाल थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक किसानों की दशा में सुधार नहीं होता, भारत की प्रगति असम्भव है। महोदय, इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान कतिपय विशेष बातों की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा। सर्वप्रथम, उड़ीसा के किसानों को कृषि ऋण नहीं मिलता है। उसे कृषि से जुड़े औजार कभी नहीं मिलते हैं। राज सहायता प्राप्त उर्वरक और बीज तक उनकी पहुंच नहीं हैं। उसके लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और परिणामत: उसे अनिश्चिततापूर्ण मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। वह महाचक्रवात, बाढ़ और सूखे के रूप में प्रकृति के कोप का भोजन बनता है। कई बार उसके धान के खेत बाढ़ के पानी से नष्ट हो जाते हैं और उसके बच्चे भूखे रहते हैं। अतएव मैं माननीय कृषि मंत्री के समक्ष यह कहना चाहता हूं कि यदि किसान रहता है तभी भारत रहेगा। किसानों को वहनीय मूल्य पर उर्वरक, बीज, कृषि ऋण और उपकरण उपलबध कराए जाने चाहिएं। जो छोटे किसान पटसन और कपास की खेती में लगे हुए हैं उनका शोषण होने नहीं देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं केवल 2 मिनट का समय लूंगा। हमारी सरकार फसल बीमा योजना पर ध्यान नहीं दे रही है। आज भारत में जो किसान अपना ऋण नहीं लौटा पा रहे हैं वे आत्महत्या कर रहे हैं। मेरे राज्य में यदि किसान अपना ऋण लौटाने में विफल रहते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाती है। उसकी स्थिति दयनीय है और यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय कृषि मंत्री मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर गए थे। मेरा निर्वाचन क्षेत्र पारादीप से शुरू होकर कोणार्क में खत्म होता है। कोणार्क एक विश्व विरासत स्थल है और आधुनिक विश्व का एक चमत्कार है। यह समुद्र तट पर स्थित है। इसके आसपास के इलाकों में समुद्र पानी भर जाता है जिससे जमीन अनुर्वर हो जाती है। इन क्षेत्रों के किसान बहुत कष्ट उठाते हैं न तो राज्य सरकार ने और ना ही केन्द्र सरकार ने इस मामले पर कभी ध्यान दिया है। महोदय, मेरे राज्य में बोलांगीर, फूलबनी, कंढामाल इत्यादि जैसे कई जिले हैं जहां सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। चूंकि कृषि से जीवनयापन नहीं हो रहा है अत: बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। इससे नक्सलवाद की समस्या भी गंभीर हो गयी है। अतएव मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि कृषि ही वह पेशा है जो कई समस्याओं को सुलझा सकता है।

अपराह्न 3.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

चार बजे श्री लालू प्रसाद यादव जी को स्टेटमेंट देनी है, उससे पहले डिमांड्स फार ग्रान्ट्स ऑन एग्रीकल्चर की डिस्कशन को खत्म करना है।

[अनुवाद]

श्री ब्रह्मानन्द पंडा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक कविता के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं जो किसानों की समस्याओं को उजागर करती है।

वन हू एज ए फार्मर
हेज बीन बेस्टोड विद ऑल दि सफरिंगस
ही हैज नो फूड फॉर हिज बैली
ही लेबर्स हार्ड थ्रोआउट दि इयर
वियर्स टैटर्ड क्लोथ्स
हिज हाउस हैज नो प्रॉपर रूफ
ही मिंगल्स इन मड्डी वॉटर
ही डज नौट केयर फॉर दि हॉट सन ऑर कोल्ड विंटर
ही ग्रोज राइज, ब्लैक ग्राम्स, ग्रीन ग्राम, सियरियल
फ्रूट्स, वैजीटेबल्स एण्ड फ्लार्स
हिज प्रोफैशन हैज नो एक्सट्रा इनकम
हिज हैड रील्स इन वरी
एज टू हाऊ विल ही सरवाइव?

महोदय, मुझे आशा है कि माननीय कृषि मंत्री उड़ीसा पर विशेष ध्यान देंगे। मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। जय जगन्नाथ।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कृषि की मांगों पर चर्चा हो रही है। मैं भी आपके माध्यम से इस चर्चा में भाग लेकर माननीय कृषि मंत्री जी का आंकड़ों पर नहीं बल्कि दो चार बिंदुओं और किसान की स्वाभाविक कठिनाइयों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं।

महोदय, मैं इसलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि जिस समय यह सरकार बन रही थी उस समय हम लोग सुन रहे थे कि आप कृषि मंत्रालय लेने के इच्छुक हैं क्योंकि आपके दिल में किसानों के प्रति दर्द है और आप चाहते हैं कि आप किसानों के लिए कुछ करें। किसानों की परेशानियां कागजी आंकड़ों से समाप्त नहीं की जा सकती हैं।

अपराह्न 3.05 बजे

(श्री अर्जुन सेठी *पीठासीन* हुए)

जब भी सदन चलता है, वह देश के किसानों के प्रति चिन्ता व्यक्त करता है। जब बाढ़ या सुखाड़ होता है, उस समय किसानों की परेशानी के प्रति यह सदन और देश चिन्ता करता है। जब किसान आत्महत्या करता है, उस समय भी सदन चिन्ता व्यक्त करता है। लेकिन गांव के किसानों की व्यावहारिक कठिनाइयों के प्रति हमें गौर करना चाहिए। आज कृषि पर आधारित तीन तरह के लोग हैं—एक, जो खेती का उत्पादन करके बाजार में अपना सामान बेचते हैं और अपनी खुशहाली अपने पास रखते हैं। दो, लघु किसान जो कृषि पर अपने परिवार की परवरिश करते हैं। तीन, कृषि पर आधारित कृषि मजदूर हैं जो खेती से अपनी दो जून की रोटी नहीं कमा पाते हैं। ये सब कृषि पर अपनी आजीविका चलाते हैं। देश और सदन इस सब की चिन्ता करता है और सरकार भी चिन्ता करती है लेकिन फिर भी गांव के किसानों की परेशानियों का समाधान नहीं हो पाता है। हम यह नहीं कहते कि कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ा है। हां, यह बढ़ा है लेकिन इसमें सरकार की कितनी उपलब्धि है, किसानों के परिश्रम की कितनी उपलब्धि है, मैं इन बिन्दुओं पर चर्चा करना चाहता हूं। अलग-अलग राज्यों में किसानों की समस्याएं अलग-अलग हैं। इसका एक कारण तो अलग अलग मिट्टी का होना है, अलग-अलग फसल का होना है। ऐसी परिस्थिति में मैं बिहार के किसानों की समस्याओं की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बिहार एक ऐसा प्रान्त है जहां की मिट्टी में उर्वरा शक्ति ज्यादा है लेकिन किसानों को हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका सहनी पड़ती है। मैं यह भी मानता हूं कि बाढ़ और सुखाड़ से निजात पाना इतना आसान नहीं है लेकिन वहां तो जल-जमाव की समस्या ज्यादा है। यदि बिहार के जल जमाव की समस्या हल हो जाये तो अकेला बिहार भारतवर्ष के लिए 6 महीने का भोजन उपलब्ध करा सकता है। लेकिन जब जमाव के कारण किसान अपनी खेती से लागत मूल्य भी वापस नहीं ले सकता है। इससे किसानों को काफी परेशानी होती है।

सभापति महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि किसानों की पीड़ा और दर्द को देखते हुए उत्पादित सामान-खाद, केरोसिन ऑयल, डीजल और गैस पर सब्सिडी देने का काम किया था ताकि किसानों को राहत मिल सके लेकिन इस सब्सिडी का लाभ किसानों को कितना मिलता है, वह आप जानते हैं। यह सब्सिडी सीधे किसानों को नहीं जाती है लेकिन खाद का उत्पादन करने वाले ले जाते हैं। ...*(व्यवधान)* अभी तो मैंने शुरू किया है।

सभापति महोदय: क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको बताया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैंने पहले ही कहा था कि मुझे 10 मिनट तक बोलने दिया जाये।

सभापति महोदय: अन्य माननीय सदस्यों ने भी बोलना है, लेकिन समय बहुत कम है। इसलिए आपसे रिक्वैस्ट करता हूं कि

[अनुवाद]

आप पांच मिनट में समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैं आपको धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं।

सभापति महोदय: नहीं, नहीं, आप बोलिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैं अपनी पार्टी की तरफ से पहला वक्ता हूं।

सभापति महोदय: आप बोलिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैं समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय: आप बोलिये। मैं यह आप पर छोड़ देता हूं।

[अनुवाद]

मुझे खेद है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैंने पहले ही कहा था कि मैं 10 मिनट ही बोलूंगा लेकिन आपने पहले ही घंटी बजा दी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने इसलिए कहा क्योंकि 3.30 बजे कृषि मंत्री जी ने बोलना है और मेरे पास लम्बी लिस्ट थी, इसलिए मैं आप से कह रहा था।

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। माननीय मंत्री जी कुछ कम बोल लेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या कोई भी पार्टी हो, हर सम्मानित सदस्य इस पर अपनी चिंता व्यक्त करता है। इसलिए इसका समय बढ़ाया जाए और सबको बोलने का मौका दिया जाए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहते हैं कि खाद पर जो सब्सिडी होती है, वह सीधे किसानों को नहीं जाती है। जो खाद का उत्पादन करने वाले कारखाने के मालिक होते हैं, वह उनके यहां जाती हैं और जितनी खाद का उत्पादन वे कागजों में दिखाते हैं, उतनी खाद गांवों के किसानों को नहीं मिलती है। कभी-कभी खाद की स्केयरसिटी हो जाती है और जब खाद की स्केयरसिटी होती है तो वे खाद में नमक मिला देते हैं, जिसके कारण खेतों की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। हम एक आग्रह करना चाहते हैं कि रासायनिक खादों के उत्पादन के बाद नफा-नुकसान की समीक्षा पता नहीं इस सरकार ने कराई है या नहीं कराई है। यदि कृषि मंत्रालय ने इसके नफे-नुकसान की समीक्षा कराई हो कि रासायनिक खादों के उत्पादन के बाद, इन खादों के इस्तेमाल के बाद उत्पादित वस्तुओं का भोजन करने से देश में बीमारियों का प्रतिशत कितना बढ़ा है, कौन-कौन से नये रोगों का सृजन इन रासायनिक खादों के इस्तेमाल के बाद हुआ है। यदि देश में इसका सर्वेक्षण हुआ तो कृषि मंत्री जी अपने जवाब के क्रम में बतायें। यदि नहीं हुआ है तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि रासायनिक खादों के उत्पादन के बाद देश में कितने प्रकार की बीमारियां कितने प्रतिशत बढ़ी हैं, इसकी समीक्षा करके आप सदन और देश को बतायें।

इसी के साथ हम कहना चाहते हैं कि आप जैविक खादों के उत्पादन को प्रोत्साहन दीजिए। खास तौर से गांवों के किसान कल भी बहुत ज्यादा मवेशी पालते थे और मवेशीपालन से उन्हें दो तरह का लाभ होता था। मवेशियों का जो गोबर होता है, उसके ईंधन से गांवों के लोग खाना बनाने का काम करते हैं। आप उन्हें मवेशी पालने का प्रोत्साहन देते हैं और उन्हें सब्सिडी देते हैं तो इससे भी किसानों को दो-तीन तरह से लाभ होता है। पहला लाभ यह होता है कि मवेशी के गोबर से उत्पन्न खाद से खेतों में जो अन्न उत्पादित होगा वह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। देश में इससे बीमारियों का प्रतिशत घटेगा। दूसरा जब आप मवेशी पालेंगे तो उनसे जो दूध-दही का उत्पादन होगा, उससे भी कृषक परिवार को कुछ आमदनी होगी और साथ ही किसानों के परिवारों में खुशहाली लौटेगी।

सभापति महोदय, सरकार गैस पर सब्सिडी देती है। लेकिन आप देखें कितने प्रतिशत किसान गैस का उपयोग करते हैं। किसानों के द्वारा गैस का उपयोग नहीं होता है। हमारे हिसाब से पूरे देश में साढ़े चार प्रतिशत लोग आज गैस का उपयोग करते हैं। साढ़े चार प्रतिशत गैस का उपयोग भी फाइव स्टार होटलों तथा बड़े-बड़े लोगों के घरों में होता है तथा देहाती इलाकों में जिन लोगों के पास साधन हैं, जो लोग नौकरियां करते हैं, रोजगार करते हैं, जिला मुख्यालयों और प्रकंड मुख्यालयों में रहते हैं, उन लोगों को गैस पर सब्सिडी का लाभ मिलता है। अगर गांव में किसी किसान ने गैस का कनेक्शन लिया हुआ है तो वह छः महीने में एक या दो सिलेन्डर लेता है और यदि कोई अतिथि या रिश्तेदार उसके घर आयेगा तो वह उसे गैस पर चाय बनाकर पिलाता है। ऐसी स्थिति में आज भी गांवों के किसान जलावन की लकड़ी पर अपने घर का खाना पकाने का काम करते हैं। हम कृषि मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि गांवों के किसान आज भी लकड़ी पर खाना बनाने का काम करते हैं। यदि किसानों के प्रति आपके मन में भी दर्द है तो आप गैस पर सब्सिडी खत्म कर दीजिए। इसके साथ ही गांवों में जो किसान पौधे लगाते हैं, उन्हें आप प्रोत्साहित कीजिए। प्रखंड स्तर पर सर्वेक्षण कराकर पौधे लगाने वाले किसानों को सब्सिडी दी जाए। इससे किसानों के घरों में खुशहाली लौटेगी तथा देश में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके कारण गांवों में पौधे लगाने से जो हरियाली आयेगी, उसके कारण क्लाइमेट में बदलाव भी समाप्त हो जायेगा तथा देश में ओरिजिनल क्लाइमेट बना रहेगा। केरोसिन तेल पर आपने सब्सिडी दी है, इससे गरीबों को कुछ अंश में लाभ होता है। लेकिन जितना लाभ उन्हें होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है। सारा तेल कालाबाजार में बिकता है। रघुवंश बाबू का राज रहा है, उसी राज में हम भी रहते हैं। आप भी कितना प्रयास करते रहे हैं। कभी-कभी रघुवंश बाबू खुद भी सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं। लेकिन इनके बोलने पर कोई सुनता नहीं था। कालाबाजारी बढ़ती जा रही है। आज डीजल का दाम बढ़ने की वजह से गांवों में किसान पंपिंग सैट कैरोसीन तेल से चला रहे हैं। इससे किसान पर दोहरी मार होती है। एक नुकसान यह होता है कि उसका इंजन खराब होता है और बार-बार उसको मरम्मत के लिए गैरेज में ले जाना पड़ता है। एक

अलग आर्थिक परेशानी का सामना उसको करना पड़ता है। डीजल का दाम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कृषि मंत्री जब कैबिनेट में बैठते हैं तो किसानों की तरफ से उसमें एक सवाल खड़ा कीजिए कि किसानों के खेत के अनुसार उनके कार्ड बनवाए जाएं और उनको जो डीजल देते हैं, उसमें सब्सिडी दी जाए। उनको कैरोसीन तेल के रेट पर डीजल दिलवाने का काम करें, तो उससे किसानों के घर में खुशहाली लौटेगी। आप किसानों को प्रोत्साहन दीजिए, यही हमारा आपसे निवेदन है।

किसानों का तीसरा कष्ट मैं आपको बताना चाहता हूं चूंकि आर्थिक अभाव में जब किसान अपनी खेती करता है तो बैंक से ऋण लेने के चक्कर में पड़ता है और ऋण लेने की क्या व्यवस्था है? प्रखंड स्तर से उसका रिकार्ड बनता है कि यह सीमांत किसान है, यह लघु किसान है। जिस समय वह सूची बनने लगती है, सच पूछिये तो ब्लाक के चक्कर लगाते-लगाते किसान के पैर फट जाते हैं। जब तक वह कुछ नकद-नारायण खर्च नहीं करता, तब तक उसका नाम सूची में नहीं जाता। उधर नकद-नारायण खर्च करने के बाद सूची में नाम चला गया तो कृषि के समय जब ऋण लेगा तो फिर उसको बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। प्रखंड और बैंक के चक्कर लगाने में किसान को जितना समय खेती के लिए देना चाहिए, वह नहीं दे पाता है। बिना पैसे लिए हुए बैंक वाले ऋण नहीं देते हैं। आप धरती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सब कुछ जानते हैं। आप कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए कि किसानों को जो ऋण मिले उस पर कमीशन न लगे।

सभापति महोदय: आप समाप्त कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम समाप्त कर रहे हैं। हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं। एक अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। बिहार में जो किसान सूद पर ऋण लेते हैं और किसी कारण समय पर ऋण नहीं चुका पाते हैं तो उनके नाम वारंट इश्यू होते हैं। वे गिरफ्तार होते हैं और जेल जाते हैं। जब एक अपराधी जेल में जाता है तो उसके सोने का, भोजन का, रहने का, पाखाना करने का खर्च बिहार की सरकार देती है और जब एक किसान कर्ज नहीं चुकाने के कारण जेल में जाता है तो उनके सोने का, भोजन का खर्च मूलधन और सूदधन के साथ जोड़कर बिहार की सरकार किसान से वसूल करने का काम करती है। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है! एक बार हमने इसी सदन में सवाल उठाया था। पी. चिदंबरम जी अभी बैठे नहीं हैं। वित्त मंत्री जी ने उस समय कहा था कि हम बिहार की सरकार से स्थिति की जानकारी लेकर इसमें सुधार करने का काम करेंगे लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई। लोक सभा में जब मंत्री कोई बात कहते हैं, आश्वासन देते हैं तो देश की जनता और सदन में बैठे हुए लोग यह महसूस करते हैं कि अब इस पर कोई अमल होगा लेकिन वित्त मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद बिहार के किसानों को अभी तक राहत नहीं दी गई और बिहार के किसान जब जेल जाते हैं तो उनके रहने और खाने का पैसा भी उनसे से वसूला जाता है। हम आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि इन तीन-चार सवालों को जो हमने उठाया है, इन्हें गंभीरता सो देखते हुए अपने जवाब में देश के किसानों को संतुष्ट करने का काम करें। देश के किसान आप पर भरोसा किये हुये हैं, उम्मीद लगाये हुये हैं कि आप देश के किसानों के लिए कुछ करने का काम करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय के नियंत्रण के अंतर्गत अनुदान मांगों से संबंधित चर्चा में भाग लेने का मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

कृषि हमारी ग्रामीण आजीविका सुरक्षा प्रणाली का मेरूदण्ड है। हमारी जनसंख्या का दो-तिहाई भाग कृषि पर निर्भर है। कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 25 प्रतिशत का योगदान करती है, कुल निर्यात का 15 प्रतिशत हिस्सा कृषि का है और लगभग 65 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार प्रदान करती है। ये सभी तथ्यपरक आंकड़े हैं।

माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2005-06 के अपने बजट भाषण में कृषि को प्राथमिकता देने की आवश्यकता की बात स्वीकार की है। हमारी दो-तिहाई जनसंख्या कृषि समुदाय की है।

अब मैं नौवीं योजना के आबंटन पर आता है। मैं इस सरकार की निंदा नहीं कर रहा हूं लेकिन अन्य सरकारें कृषि के बारे में बातें बहुत बनाती हैं लेकिन इस संबंध में बहुत कम काम करती हैं।

उदाहरण के लिए, नौवीं योजना में, कृषि के लिए प्रस्तावित परिव्यय 18,253.81 करोड़ रुपये था लेकिन कुल आबंटन मात्र 9,323 करोड़ रुपये का था जिसमें से केवल 7,673 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। दसवीं योजना के लिए, प्रस्तावित परिव्यय 25,000 करोड़ रुपये है लेकिन योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये आवंटन की राशि 13,300 करोड़ रुपये है।

केन्द्रीय योजना परिव्यय में अत्यधिक वृद्धि हो रही है जैसाकि आंकड़ों से स्पष्ट है। वर्ष 2002-2003 में केन्द्रीय योजना परिव्यय

[श्री किन्जरपु येरननायडु]

1,44,037 करोड़ रुपये था, 2003-2004 में यह 1,47,000 करोड़ रुपये था; 2004-2005 में यह 1,67,000 करोड़ रुपये था; और इस वर्ष के बजट में यह परिव्यय 2,11,253 करोड़ रुपये है। लेकिन वास्तव में हुआ क्या? कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग का आवंटन वर्ष 2004-2005 में 0.61 से घटकर 0.54 प्रतिशत रह गया है। गत वर्ष की तुलना में इसमें 0.5 प्रतिशत की कमी आयी है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 22 प्रतिशत है। लेकिन कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के लिए बहुत कम-कुल ए.जी.डी.बी. का 0.29 और 0.33 प्रतिशत के बीच रहा है।

माननीय वित्त मंत्री के वक्तव्य और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के घोषणापत्र के अनुसार, आवंटन बहुत कम है। इन आवंटनों को सम्मिलित करके, दसवीं योजना के लिए सोचे गये चार प्रतिशत के अपने लक्ष्य को हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? अब मैं सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के विषय पर आता हूं। गत वर्ष कृषि की संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर केवल 1.1 प्रतिशत थी और सकल घरेलू उत्पाद की समग्र वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत थी। वर्ष 2003-2004 में अनुकूल वर्षा और अच्छी जलवायु के कारण, कृषि को 9.6 प्रतिशत की एक अच्छी वृद्धि दर प्राप्त हुई और इसी कारण हमें सकल घरेलू उत्पाद की 8.5 प्रतिशत समग्र वृद्धि दर प्राप्त हुई। सकल घरेलू उत्पाद और कृषि वृद्धि दर के बीच सीधा संबंध है। लेकिन इस प्रकार से धनराशि आवंटित करके हम कैसे दसवीं योजना में चार प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे?

कृषि मंत्रालय धनराशि के आवंटन के लिए योजना आयोग के लिए प्रस्ताव करता है। योजना आयोग वित्त मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है। वित्त मंत्रालय ने यह माना है कि कृषि को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों है कि कृषि मंत्रालय के प्रस्तावों को योजना आयोग अथवा वित्त मंत्रालय क्यों स्वीकार नहीं करता? हम किस प्रकार कृषि में चार प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त कर सकते हैं।

महोदय, दो-तीन मुद्दे और हैं। एक है-न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह एक भयावह मुद्दा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का कोई आधार नहीं है। प्रतिवर्ष हम इसमें दस रुपये की दर से वृद्धि कर रहे हैं। यह एक नित्यकर्म बन गया है। दिये जा रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य में किसानों को कोई विश्वास नहीं है। इस वर्ष, आंध्र प्रदेश सरकार ने धान की 'क' श्रेणी की किस्म के लिए 680 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की है। गत वर्ष यह 590 रुपये था। लेकिन इस वर्ष उन्होंने इसे बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया है। यह वृद्धि दस रुपये की है। यह क्रम गत पांच वर्षों से चला आ रहा है—प्रति वर्ष 10 रुपये की वृद्धि। इसमें वैज्ञानिक पद्धति कहां है? मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रालय से यह प्रश्न पूछ रहा हूं। मूल्य निर्धारण तंत्र से किसान कोई भी आशा नहीं रखता। न्यूनतम समर्थन मूल्य को विकसित करने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है।

यहां तक कि आंध्र प्रदेश में किसान को कपास के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। इस वर्ष सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में एक रुपये की भी वृद्धि नहीं की है। गत वर्ष कपास की सामान्य किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य 760 रुपये था और इस वर्ष भी यह 760 रुपये है। कपास की अच्छी किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य गत वर्ष 1,960 रुपये था और इस वर्ष इसे बढ़ाकर 1,980 रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार 20 रुपये की वृद्धि की गयी है। आंध्र प्रदेश में अब भी किसानों को कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आंध्र प्रदेश में स्थिति भयावह है। मिर्च के लिए भी कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है। मिर्च के लिए भी कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है।

गत वर्ष, पिछली सरकार ने हस्तक्षेप किया था और मिर्च को प्रति क्विंटल 2,700 रुपये के मूल्य पर खरीदा था। इस वर्ष उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। इसी कारण, भारत सरकार के लिए यह अनिवार्य बाध्यता है कि वह हर हालत में उनकी उपज को खरीदे। अन्यथा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई अर्थ नहीं है। कृषि मंत्री को एक व्यापक तंत्र विकसित करना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए एक पृथक कोष बनाना चाहिए। यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता तो भारत सरकार को तत्काल बाजार में हस्तक्षेप करना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी उपज खरीद लेनी चाहिए।

किसान अच्छे बीज चाहता हू। यहां तक कि हम मौजूदा बीज अधिनियम, 1966 में तीन वर्षों से संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकारों से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें धन शामिल नहीं है। इसलिए, राजनैतिक दल भी इस अधिनियम के संशोधन में सहायता कर रहे हैं। सरकार अभी तक बीज अधिनियम में संशोधन करने वाला को विधान लेकर नहीं आयी है। अब व्यापारी घटिया किस्म के बीजों की आपूर्ति कर रहे हैं। लेकिन घटिया किस्म के बीजों को नियंत्रित करने वाला कोई तंत्र नहीं है। हमने कोई अर्थदंड नहीं लगाया है। इसीलिए, किसानों को अच्छे बीज नहीं मिल पा रहे हैं।

अगला मुद्दा सहकारी प्रणाली का है। हमें सहकारी प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन लाना है। भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। उन्होंने सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और यहां तक कि यूटीआई को भी अपना तुलन-पत्र सटीक रखने हेतु धन दिया है। ऐसा सहकारी संस्थाओं के मामले में भी क्यों नहीं किया जा सकता है? चालीस प्रतिशत किसान सहकारी

क्षेत्र से ऋण ले रहे हैं परन्तु सहकारी क्षेत्र रुग्ण है। अनेक समितियां गठित की गयीं तथा उन्होंने अपने प्रतिवेदन भी दे दिये हैं। अब वे मुख्य मंत्रियों से परामर्श कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है?

सभापति महोदय: आप सिर्फ अपने मुद्दों का उल्लेख करें।

श्री किन्जरपु येरननायडु: परंतु अंतत: किसान सहकारी बैंकों से सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। सरकार को सहकारी प्रणाली के इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए।

राष्ट्रीय फसल बीमा योजना चालू है परन्तु इसके वर्तमान स्वरूप में हम बड़े क्षेत्रों को शामिल कर रहे हैं और किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए हमें इसे पंचायत स्तर पर लागू करना चाहिए। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। अन्यथा, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यहां तक कि वर्तमान फसल बीमा योजना के मामले में दावों को त्वरित गति से नहीं निपटाया जा रहा है और इसी बीच किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यहां तक कि यदि वह फसल बीमा योजना के अंतर्गत धनराशि प्राप्त करने का हकदार हो तो भी दावों को निपटाने में छह महीने, एक वर्ष और दो वर्ष तक का समय लग जाता है। यदि को वाहन क्षतिग्रस्त होता है, मोटर वाहन निरीक्षक वहां जाएगा, बीमा अधिकारी वहां जाएगा तथा संबंधित दावा शीघ्र निपटाएगा; परन्तु यदि किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो संबंधित दावे को निपटाने में छह महीने अथवा एक वर्ष लग जाएंगे। इस समयांतराल में किसान आत्महत्या कर लेगा। यह ख़तरे की स्थिति है। इसलिए फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन क्षेत्र को घटाकर पंचायत स्तर पर लाया जाना चाहिए और उनके दावों का शीघ्र निपटान किया जाना चाहिए।

हम उन लघु और सीमांत किसानों के लिए फसल बीमा मुहैय्या करा रहे हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों और अन्य संस्थाओं से ऋण ले रहे हैं। इस बीमा योजना के अंतर्गत सभी लघु और सीमांत किसानों को शामिल किया जाना चाहिए तथा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 50:50 आधार पर प्रीमियम का भुगतान किया जाना चहिए तभी फसल बीमा को देश के सभी लघु और सीमांत किसानों के लिए लागू किया जा सकता है।

आंध्र प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यह ख़तरे की स्थिति है।

सभापति महोदय: आप पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: हमारे कृषि मंत्री एक प्रतिभाशाली मंत्री हैं। पूरा देश व प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है। यहां तक कि सूखा प्रवण क्षेत्रों में भी लघु और सीमांत किसान अपना ऋण चुकाने में बिल्कुल समर्थ नहीं होंगे। सरकार क्या कर रही है? वे ऋणों को पुन: नियत कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष, उन्हें फसलों से हाथ धोना पड़ रहा है। वे अपनी पहले की बकाया राशि का भुगतान कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैं सं.प्र.ग. सरकार से सूखा प्रवण क्षेत्रों के सभी लघु और सीमांत किसानों के समूचे ऋण को माफ करने की मांग करता हूं। तभी लघु और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। ऐसा करने से ही किसानों को प्रसन्नता हासिल हो सकेगी।

भारतीय किसान 100 करोड़ जनता को खाद्यान्न मुहैय्या करा रहे हैं। उनकी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है। कोई विकास नहीं है। भारतीय किसानों को यही स्थिति है। इसलिए हमें उन्हें सुखी बनाना है। जैसा कि इस सं.प्र.ग. सरकार से अन्य क्षेत्र लाभान्वित हो रहे हैं, उसी प्रकार भारतीय किसानों को भी लाभ मिलना चाहिए। रक्षा मामलों की तरह कृषि क्षेत्र के लिए भी बजट बढ़ाया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा अत्यंत महत्व की चीज है, ठीक इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा भी समान महत्व की चीज है। हम रक्षा क्षेत्र के लिए 80,000 करोड़ रुपये किस प्रकार से मुहैय्या करा रहे हैं? हमें भारतीय कृषि क्षेत्र हेतु 40,000 करोड़ रुपये का बजट मुहैय्या कराने की जरूरत है ताकि इसे विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया जा सके। मेरा इस सरकार से यही विनम्र निवेदन है। मंत्री महोदय को इन सभी मुद्दों पर उत्तर देना चाहिए।

[हिन्दी]

***श्री सुरेश चन्देल** (हमीरपुर, हि.प्र.): महोदय, मैं कृषि मंत्रालय के वर्ष 2005-06 के बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर्वप्रथम आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको कोटिश: धन्यवाद देता हूं।

कृषि प्रधान देश

महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या आज भी खेती से सीधी जुड़ी हुई है। हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में विगत 50 वर्षों में जो प्रगति हुई, वह संतोषजनक नहीं कही जा सकती। देश में कृषि जिन्सों का उत्पादन बढ़ाने हेतु जिस गति से सिंचाई के साधन बढ़ने चाहिए थे, जिस गति से खेती की नई तकनीक का प्रयोग करना चाहिए था, उन्नत

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सुरेश चन्देल]

किस्म के बीजों का प्रयोग कर, खेती की पैदावार बढ़नी चाहिए थी, उसें अपेक्षित सफलता नहीं मिली है।

भारतीय किसानों की दुर्दशा

महोदय, आजादी के बाद से ही कृषि आवश्यकताओं की सुनियोजित, ठोस और ढांचागत उपेक्षा के कारण आज भारतीय किसानों की दुर्दशा है। एन.डी.ए. सरकार ने इस स्थिति को बदलने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनके कुछ परिणाम निकले। हालांकि पांच दशकों की उपेक्षा और एक के बाद एक कांग्रेस सरकारों द्वारा इसे प्राथमिकता न देने से उत्पन्न असमर्थता जनित समस्याओं को छः वर्ष के एन.डी.ए. शासन के दौरान पूरी तरह से समाप्त करा भी संभव नहीं था। नतीजा यह हुआ कि अनेक समस्याएं अनसुलझी रह गई।

वैश्वीकरण में भारतीय कृषकों का खड़े हो पाना असंभव

महोदय, कृषि अर्थव्यवस्था के वाणिज्यीकरण, उदारीकरण, बाजारीकरण, सार्वभौमीकरण और वैश्वीकरण के कारण अनेक नई समस्याएं खड़ी हो गई हैं जिनके कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर असमान और असंतुलित वैश्विक बाजार व्यवस्था की प्रतियोगिता में खड़े हो पाना उसके लिए असंभव है।

भारतीय किसानों की दयनीय आर्थिक स्थिति

महोदय, अधिकांश भारतीय किसानों की दयनीय आर्थिक स्थिति का प्रमुख कारण अत्यधिक जनसंख्या का अभी भी कृषि पर निर्भर रहना और देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी निरन्तर घटने के बीच तारतम्य न बैठना है। हमारी जनसंख्या का 69 प्रतिशत भाग अभी भी कृषि पर निर्भर है और 70 प्रतिशत कृषक गांवों में रहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का 69 प्रतिशत हिस्सा था, जो सन् 2001 में घटकर 24 प्रतिशत रह गया। आधारभूत सुविधाओं का अभाव, साथ ही रोजगार के अवसरों और आय वृद्धि के अवसरों में वर्षों से चली आ रही कमी के चलते ग्रामीणों और कृषि पर निर्भर लोगों को गांवों से शहरी क्षेत्रों में पलायन को बाध्य होना पड़ता है। इससे शहरी भारत में जीवन स्तर की स्थिति में तेजी से गिरावट आई है इसे प्रत्येक भारतीय शहर और कस्बे में स्लम क्षेत्रों में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है।

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना आवश्यक

महोदय, भारत के त्वरित, सर्वांगीण विकास और पर्यावरणीय टिकाऊ सामाजिक-आर्थिक विकास की नीति तभी सफल हो सकती है जब कृषि और कृषि-केन्द्रित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त, किसानों, खेतिहर मजदूरों और हमारी ग्रामीण जनसंख्या के अन्य वर्गों की क्रय शक्ति को ठोस रूप में बढ़ाने, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण भारत में रहने योग्य स्थितियों में सुधार लाया जाए।

कृषि के संकट से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु दीर्घकालिक उपाय करना आवश्यक

महोदय, भारतीय कृषि के संकट से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु दीर्घकालिक और अल्पकालिक कदम उठाने की जरूरत है। बिजली, सड़क, पानी के प्रावधानों के अतिरिक्त ठोस आधारों पर कृषि का पुनर्जीवन मुख्य रूप से पांच जरूरतों पर टिका है-(1) सस्ता ऋण, (2) समुचित एवं सक्षम बाजार व्यवस्था, (3) विज्ञान व तकनीकी निवेश, (4) आसपास के गांवों में मूल्य प्रभावी उद्यमों का होना तथा (5) मानव संसाधन विकास।

एन.डी.ए. सरकार द्वारा किसान हित में उठाये गये कदम

(1) देश की नदियों को जोड़ना—महोदय, देश के अनेक हिस्सों में बाढ़ और सूखे की बार-बार पैदा होने वाली समस्या से निपटने के उद्देश्य से नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना एन.डी.ए. सरकार ने शुरू करने का निश्चत किया और इस उद्देश्य से गठित टास्क फोर्स ने प्रारम्भ में कुछ योजनाओं को शुरू करने का ब्ल्यू प्रिंट भी तैयार किाय था। यह अत्यंत खेद की बात है कि लोगों को विश्वास में लिये बगैर यू.पी.ए. सरकार ने इस योजना को समाप्त प्राय कर दिया है।

(2) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-50 वर्ष के कांग्रेस के शासन के बावजूद देश के लगभग 1 लाख 86 हजार गांव जोकि देश के कुल गांवों का करीब एक-तिहाई बनते हैं-बारहमासी तथा अच्छी सड़कों से वंचित थे। एक नई और क्रांतिकारी पहल करते हुए रा.ज.ग. सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपये वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारम्भ की जिसके तहत सन् 2007 तक सार्वजनिक ग्रामीण सड़क सम्पर्क स्थापित किया जाना है। तीन वर्ष से कम समय के भीतर ही प्रदेशों को 13 हजार करोड़ रुपये दिये गये तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 30 हजार गांवों को जोड़ा गया, लेकिन चिन्ता की बात है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार ने कमोबेश इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

(3) फसल बीमा योजना-एन.डी.ए. सरकार ने फसल बीमा योजना का दायरा और विस्तृत किया। इसके साथ ही एन.डी.ए. सरकार ने अंतिम वर्षों में एक और नई पहल शुरू की और वह थी कृषि आमदनी बीमा योजना। कृषि आमदनी बीमा योजना का उद्देश्य किसान को उसके खेत की एक निश्चित आमदनी की

गारंटी सुनिश्चित करना था जो उसकी पिछले सात वर्षों की औसत आय पर आधारित होगी। छोटे और मंझोले किसानों के लिए इसे और आकर्षक बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने इसके प्रीमियम का 75 प्रतिशत योगदान देने का फैसला किया था। इस अभिनव योजना के लागू हो जाने के बाद 70 प्रतिशत किसानों की क्रय क्षमता बढ़ना सुनिश्चित था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस योजना के शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वयन की मांग करती है। इस योजना के क्रियान्वयन में पहले ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधा न हो तथा प्राय: अकाल और बाढ़ के संकट से किसानों की दुर्दशा होती हो, लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस शासन काल में यह योजना दम तोड़ती नजर आ रही है।

किसानों द्वारा आत्महत्या किया जाना

महोदय, कांग्रेस शासन के गत वर्ष के अंतिम छ: महीनों में किसानों द्वारा आत्महत्याएं करने के आंध्र प्रदेश में 1860, केरल में 419, करन्टाक में 467 और महाराष्ट्र में 350 मामले प्रकाश में आए। अन्नदाता किसान को अपनी मुसीबतों से छुटकारे के लिए सिर्फ आत्महत्या का ही रास्ता नजर आए, तो इससे बढ़कर राष्ट्रीय शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। केन्द्र और राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारों के अंतर्गत किसानों की बदतर स्थिति से मुझे बहुत वेदना है। मैं मांग करता हूं कि मृतकों के परिवारों के लिए एक सामाजिक-आर्थिक राहत पैकेज जिसमें रोजगार और शिक्षा लाभों का प्रावधान हो तुरन्त घोषित किया जाए।

कृषि में काम आने वाले सामान की ऊंची कीमतें

महोदय, डीजल, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य सभी कृषि लागत दामों में लगातार हो रही वृद्धि से भारतीय किसानों को सीधी चोट पहुंच रही है। उधर अनेक कृषि उत्पादों के मूल्य सरकार की गलत नीतियों से या तो पहले वाले ही हैं या फिर मुद्रास्फीति में वृद्धि के चलते वास्तविक रूप से कम हो गए हैं। उदाहरण के लिए हमारे यहां पैदा होने वाले सोया के दाम आयात शुल्क में कमी से गिर गए।

दूसरी हरित क्रांति का समय

महोदय, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से दूसरी हरित क्रांति शुरू करने का समय आ गया है। यह किसानों की आय को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। इसका दायरा 1960 के दशक में हुई पहली क्रांति से कहीं ज्यादा व्यापक होगा। पहला, इसका उद्देश्य प्रति एकड़ उपज बढ़ाने पर अवश्य होना चाहिए जो कि अनेक अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। यह विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे यहां जोत की भूमि का आधार घट रहा है और अधिकांश किसानों के लिए कृषि अलाभप्रद बन रही है। कृषि सेवाओं का विस्तार और बायो-तकनीक के उपयोग के साथ-साथ प्रयोगशाला से भूमि के बीच के अन्तर को कम करना-कृषि उत्पादकता बढ़ाने के मुख्य लक्ष्य होने चाहिए। फसलों का बहुत-फसलीकरण, खाद्यान्न से दालों, खाद्य तेल (जिसकी कमी के कारण भारत को दूसरे देशों से 12500 करोड़ मूल्य का खाद्य तेल आयात करना पड़ा) हार्टीकल्चर, फ्लोरीकल्चर और औषधीय वनस्पति को प्राथमिकता देनी चाहिए।

कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता

महोदय, मेरा सुझाव है कि कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाते हुए कृषि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरी हरित क्रांति का एक वृहद् उद्देश्य प्रत्येक किसान परिवार को कृषि के अलावा दूसरे स्रोत से आय की सुनिश्चितता होनी चाहिए जो कि स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हों। यह लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ अनुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन तता खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने से भी हासिल हो सकता है जो परम्परागत रूप से भारतीय कृषि का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। इसमें लाखों नए रोजगार के अवसर और छोटे किसानों की आय में वृद्धि के अवसरों को बढ़ावा देने की क्षमता है।

गोवध पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य

महोदय, मैं मांग करता हूं कि गोवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून अविलम्ब पारित किया जाए। एन.डी.ए. सरकार के समय कृषि मंत्रालय ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक तैयार किया था, परन्तु कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्टों और कुछ अन्य दलों के विरोध के चलते वह पारित नहीं हो सका।

विश्व व्यापार संगठन और सं.प्र.ग. सरकार किसानों के हितों को बेच रही है

महोदय, डब्ल्यू.टी.ओ. तथा यू.पी.ए. भारतीय किसानों के हितों को बेच रही है। विश्व व्यापार संगठन के तहत कृषि में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसने एक साथ चुनौतियों और अवसरों के द्वारा खोल दिये हैं। भारत को अपने विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की जरूरत है क्योंकि विश्व व्यापारक संगठन के अंतर्गत व्यापार उपबंधों से कृषि व्यापार उदारीकरण के असर को अनिश्चितकाल के लिए टालना अत्यन्त मुश्किल होगा। भारत के लिए प्रमुख चिन्ता राष्ट्रीय खाद्य

[श्री सुरेश चन्देल]

सुरक्षा और साढ़े 12 करोड़ किसानों की जीविका की रक्षा करना है। वाजपेयी सरकार ने विश्व व्यापार किसानों के साथ-साथ अन्य विकासशील देशों के किसानों के हितों की भी रक्षा की थी। हमारी सरकार ने यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा प्रस्तावित भारी सब्सिडी से उत्पन्न वैश्विक कृषि उत्पाद व्यापार के असंतुलन के विरुद्ध सशक्त आवाज उठाई। भारत ने उदार तथा पूर्णतया न्यायोचित कृषि सब्सिडी को समाप्त करने के बलात प्रयासों का मुखर विरोध किया। उपर्युक्त के ठीक उल्टे, यू.पी.ए. सरकार ने कृषि व्यापार उदारीकरण पर विश्व व्यापार में वार्ताओं में घुटने टेकने और समझौता करने का रास्ता अपनाया है। मैं गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा को किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते की एक अविभाज्य शर्त मानता हूं।

हिमाचल प्रदेश में कृषि की दुर्दशा

महोदय, हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी, पिछड़ा, सीमावर्ती एवं दूरदराज का प्रदेश है। इस प्रदेश का एक भाग (जिला ऊना) जहां मई एवं जून की गर्मी में लू एवं तेज धूप से तपता है, वहीं दूसरा भाग (जिला लाहौल-स्पीति) बर्फ से ढका रहता है। प्रदेश की भौगोलिक एवं मौसम संबंधी परिस्थितियों में विशाल अन्तर है। यहां उद्योग नहीं के बराबर हैं। प्रदेश में केवल एक रेल लाइन है जो अंग्रेजों ने बनाई। उसके बाद से रेलां का विकास नगण्य रहा है। प्रदेश में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां शून्य हैं। उपभोग का जितना भी सामान है, वह मैदानी भागों से ही आता है।

महोदय, हिमाचल प्रदेश के उत्तर में जम्मू-कश्मीर है। उत्तर-पूर्व में तिब्बत है। पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा तथा दक्षिण मे पंजाब की सीमाएं लगती हैं। हिमाचल प्रदेश का अधिकांश बाग पहाड़ी होने के कारण कृषि छोटी-छोटी जोतों में बंटी है तथा खेत सीढ़ीनुमा होते हैं। वहां सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण खाद्यान्न की आपूर्ति मैदानी भागों से मंगाकर की जाती है। यदि हिमाचल प्रदेश में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो जाए और स्वां नदी का चैनेलाइजेशन कर दिया जाए, तो हिमाचल प्रदेश अन्न के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हो सकता है, अपितु पड़ौसी राज्यों की भी अन्न की मांग को पूर्ण कर सकता है।

हि.प्र. में अपेक्षाकृत ठंडा वातावरण होने के कारण वहां उत्तम क्वालिटी के देशी और विदेशी फूलों की खेती, आयुर्वेदिक दवाओं की खेती, उच्च कोटि के फलों की खेती बड़े पैमाने पर की जा सकती है, लेकिन केन्द्र एवं प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकारें होने के कारण फ्लोरीकल्चर, हॉर्टीकल्चर, एग्रीकल्चर एवं हर्बल उत्पादन में बहुत पीछे रह गया है।

महोदय, मैं मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में उन्नत किस्म के बीजों और नई विकसित तकनीक से खेती कराने की नितान्त आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश के मेरे जिले बिलासपुर में मत्स्य पालन को यदि बढ़ावा दिया जाए, तो बहुत उच्च कोटि की मछलियां का उत्पादन व्यापारिक स्तर पर किया जा सकता है, लेकिन इस दिशा में भी कोई विशेष प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पशुपालन का बहुत स्कोप है, लेकिन पशुपालन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में भी भारत सरकार और प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण कोई प्रगति नहीं हो पा रही है।

हिमाचल प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु उन्नत कोटि के सीमन के बैंक जगह-जगह खोले जाएं जहां कृत्रिम गर्भाधान की भी व्यवस्था हो, ग्राम पंचायत स्तर पर पशु औषधालय तथा खंड स्तर पर पशु चिकित्सालयों का जाल बिछाया जाए। जिला बिलासपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जाए और वहां किये जाने अनुसंधानों की जानकारी स्थानीय कृषकों को सुलभ कराई जाए।

प्रमुख मांगें

महोदय, चूंकि समय कम है इसलिए मैं विस्तार में न जाते हुए भारत सरकार के कृषि मंत्री महोदय को निम्नलिखित सुझाव देते हुए मांग करता हूं कि:

1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा समय-समय पर विकसित नई तकनीकों और विधाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए एक्सटेंशन सेवाओं को प्रभावी बनाया जाए, ताकि इसका अधिकतम लाभ किसानों को मिल सके।

2. भारत खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) का पूरी तरह से पुनर्गठन इस ढंग से करना चाहिए कि सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम हो, मगर खाद्य सुरक्षा पर इसका कोई असर न पड़े।

3. एन.डी.ए. सरकार द्वारा कृषि भूमि की लीजिंग को वैधानिकता प्रदान करने संबंधी जो मॉडल एक्ट बनाया गया था, उसे शीघ्रता से लागू किया जाए, ताकि किसान अपनी ही भूमि से बेदखल होने से बच सकें।

4. सरकार द्वारा संचालित संबंधित विस्तारण सेवाएं अधिकांश राज्यों में समाप्त हो गई हैं, इसलिए कुशल, आधुनिक और किसानों के अनुकूल सेवाएं प्रदान करने हेतु सरकारी और निजी क्षेत्र की कम्पनियों को प्रोत्साहित किया जाए।

5. जैविक खेती को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित करना चाहिए। जिला स्तर पर जैविक खाद्य के मानकीकरण और मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

6. एन.डी.ए. सरकार द्वारा स्थापित नेशनल मिशन फॉर डैवलपमेंट ऑफ बैम्बू और नेशनल मैडीशनल प्लांट्स बोर्ड को मजबूत समर्थन देकर व्यापक स्तर पर निजी निवेश को आकर्षित करने पर ध्यान देना चाहिए।

7. समुद्र में और देश के भीतर मत्स्य पालन के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक फिशरीज और एक्वाकल्चर संबधी राष्ट्रीय आयोग बनाया जाना चाहिए।

8. देश के मछुआरों को उनकी नौकाओं के आधुनिकीकरण, प्रशीतन गृहों तथा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए सहकारी समितियां होनी चाहिएं तथा घरेलू एवं विदेशी बाजारों में सीधा सम्पर्क हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए।

9. देश में एक राष्ट्रीय फिशरीज विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए।

10. केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को पर्याप्त बजटीय सहायता से एक राष्ट्रीय पशु पालन विकास बोर्ड गठित करना चाहिए।

11. डेयरी और मुर्गीपालन उद्योग जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की भांति रोजगार प्रदान करने वाला है, उन्हें भी ऋण तथा अन्य लाभों के संदर्भ में कृषि के बराबर माना जाना चाहिए।

12. सरकार फॉसिल ईंधन और कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता घटाए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक संसाधन लगाए, जिससे किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हो सके। इस उद्देश्य से एक समग्र, ठोस एवं स्थायी राष्ट्रीय बायो-एनर्जी नीति की घोषणा की जाए।

13. पेट्रोल में इथानॉल का अनिवार्य प्रयोग वर्तमान के पांच प्रतिशत से बढ़ाकर अगले दो-तीन वर्षों में 10 प्रतिशत किया जाए क्योंकि इथानॉल के मूल्य आयातित कच्चे मूल्य के समान हैं। जट्रोफा, करंजा और बायो-डीजल उत्पादित करने वाले अन्य वानस्पतिक फसलों को, निकटवर्ती ग्रामीण केन्द्रों में बिक्री के पर्याप्त प्रबंधों और प्रोसैसिंग के साथ, व्यापक स्तर पर लोकप्रिय बनाना चाहिए।

14. पिछले कुछ वर्षों में बीज के दामों में भारी बढ़ोत्तरी हुई है जो किसानों के कर्जार बनने का एक प्रमुख कारण भी है। बीजों के दाम घटाने हेतु बीज उत्पादन के लिए सरकार के स्वामित्व वाली परती भूमि को कृषक सरकारी संस्थाओं तथा किसान उद्यमियों को दिए जाने पर विचार किया जाए और उन्हें इस पर बीज फार्म स्थापित करने हेतु अन्य प्रोत्साहन दिए जाएं। एन.डी.ए. सरकार द्वारा बनाए गए सीड्स एक्ट को तेजी से लागू किया जाना चाहिए। नकली बीज, खाद और कीटनाशक दवाएं बेचने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

15. देश में विभिन्न स्थानों पर खाद्यान्न बैंक, गोदाम, शीतभंडार और चारा बैंक गठित किये जाएं ताकि किसान उनमें अपने उत्पाद रखें तथा उन्हें वेयर हाउस रसीद की योजना के साथ-साथ बैंक ऋण लेने की सुविधा मुहैया कराई जाए।

16. कृषि उपकरण ट्रैक्टर आदि खरीदने संबंधी ऋण पर अचल सम्पत्ति को गिरवी नहीं रखना चाहिए। सरकार को कम लागत और उच्च श्रेणी के कृषि सामान के उत्पादन पर आकर्षक कर राहत घोषित करनी चाहिए।

17. वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया उतनी ही सरल और आसान बनाई जाए जितनी कि जिनी बैंकों द्वारा वाहन और घर खरीदने पर ऋण देने को रहती है।

18. सहकारी बैंकों की बिगड़ी हुई हालत को सुधारने के लिए तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा करते समय उनकी स्वायत्तता की आश्वस्ति देना जरूरी है। इस संबंध में एन.डी.ए. सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों जैसे कि 15 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को शीघ्र लागू किया जाए। इसके अलावा उनका शीघ्र पुनर्विनिवेशन करने के साथ, पुनर्वित्त के नियमों, उत्तरदायित्वों और पूंजी पर्याप्तता को वाणिज्यिक बैंकों के समान लाया जाए।

19. राज्य सरकारों को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कोआपरेटिव एक्ट में संशोधन करने और मंडी टैक्स पर एक वर्ष के भीतर प्रतिबंध लगाने हेतु न केवल तैयार किया जाए अपितु प्रोत्साहित भी किया जाए, ताकि प्रतियोगी और सक्षम कृषि बाजारों के उभार को बढ़ावा दिया जा सके।

20. महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के काम में तेजी लाई जाए। राज्य सरकारों को दिए जाने वाले

[श्री सुरेश चन्देल]

केन्द्रीय कोष में न तो कोई विलम्ब हो और न ही कोई भेदभाव किया जाए।

21. एन.डी.ए. सरकार द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 75 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए जय प्रकाश नारायण कोष को तुरन्त शुरू किया जाए।

22. आगामी 10 वर्षों में सिंचित भूमि का प्रतिशत 50 प्रतिशत तक विस्तारित करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए।

23. नदियों को जोड़ने की परियोजना के क्रियान्वयन को पर्याप्त महत्व के साथ शुरू करना चाहिए।

24. काफी समय से लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को एक निश्चित समय सीमा में पूरा करना चाहिए।

25. छोटी सिंचाई योजनाओं को तेजी से फैलाने के लिए वित्तीय और अन्य प्रोत्साहन दिये जाने चाहिए और कम लागत वाली माइक्रो सिंचाई प्रणाली को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

26. प्रत्येक बूंद से ज्यादा फसल के दर्शन से निर्देशित होकर जल के कुशल उपयोग हेतु जल उपयोगकर्ता एसोसिएशन बनाना अनिवार्य किया जाए।

27. कृषि ऋण पर ब्याज दर 6 प्रतिशत करनी चाहिए जो कि नाबार्ड द्वारा राज्यों के सरकारी बैंकों को दिये जाने वाले ऋण के प्राय: समान है।

28. कृषि में सरकारी-निजी निवेश अभी सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत है जो अगले पांच वर्षों में दोगुना होना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि, सिंचाई, कृषि, अनुसंधान एवं विकास और ग्रामीण संरचना विकास में निजी निवेश पर लगी सभी पाबंदियां समाप्त करनी चाहिए। सरकारी निजी भागीदारी को भरपूर प्रोत्साहित करना चाहिए।

29. सरकार कृषि के मामले में अपना लापरवाह रुख त्यागे और उच्चाधिकार प्राप्त राष्ट्रीय अध्ययन दल गठित करे जो किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की दुर्भाग्यपूर्ण तथा दुखद प्रवृत्ति का समग्र परीक्षण करे तथा उसकी सिफारिशों को समयबद्ध ढंग से लागू किया जाए।

30. आन्तरिक व्यापार में सुधार, विशेषरूप से कृषि वस्तुओं में तेजी से अवश्य लागू होना चाहिए। भारतीय किसान सभी तरह के पुरातन और अनावश्यक नियंत्रओं तथा प्रतिबंधों से मुक्त होने चाहिए। साथ ही कृषि और उद्योग के बीच की वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय आवाजाही पर शेष बचे सभी प्रतिबंध दूर किये जाने चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम में एक आपातकालीन प्रावधान भी जोड़ा जाना चाहिए जिसके तहत विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य सरकार किसी विशिष्ट वस्तु के अभाव से निजात पाने के लिए सीमित समयावधि हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति से उसका प्रयोग कर सके।

महोदय, अन्त में, मैं कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों और बजट का विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: धन्यवाद। मुझे बताया गया है कि एक निर्णय लिया गया था कि माननीय कृषि मंत्री अपराह्न 3.30 पर इस वाद-विवाद का उत्तर देंगे और अब अपराह्न 3.30 बज चुके हैं। इसलिए अब मैं माननीय कृषि मंत्री को वाद-विवाद का उत्तर देने हेतु बुलाता हूं।

...(व्यवधान)

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, आपको हम लोगों को भी बोलने की अनुमति देनी चाहिए। *...(व्यवधान)* माननीय मंत्री महोदय द्वारा वाद-विवाद का उत्तर दिये जाने से पूर्व, मैं उनसे कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि माननीय सदस्य अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक निर्णय लिया गया था कि माननीय कृषि मंत्री अपराह्न 3.30 पर वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

श्री विक्रम केशरी देव: महोदय, मैं कुछेक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं और इसे सभा की कार्यवाही का भाग माना जाएगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं शेष बचे प्रत्येक वक्ता को पांच मिनट का समय दे सकता हूं बशर्ते कि माननीय कृषि मंत्री इस सुझाव को स्वीकार करते हैं।

...(व्यवधान)

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता।

सभापति महोदय: श्री सुरेश चन्देल, क्या आपने अपना भाषण सभा पटल पर रख दिया है।

श्री सुरेश चन्देल: हां, महोदय। मैंने अभी इसे सभा पटल पर रखा है।

सभापति महोदय: बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। श्री बीर सिंह महतो।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद): सभापति महोदय, एक-एक पार्टी से दस-दस माननीय सदस्य बोले हैं। राजाराम पाल जी का नाम लिस्ट में है, इसलिए इन्हें भी इनकी पार्टी की तरफ से बुलाइए।

सभापति महोदय: अगर इनका नाम लिस्ट में है तो जब इनकी टर्न आएगी, इन्हें जरूर टाइम मिलेगा।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदय, जो बोलना चाहते हैं, उनका भाषण ले लीजिए और उसे प्रोसीडिंग में शामिल कर लीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं सभा में इस बात की पहले ही घोषणा कर चुका हूं।

...(व्यवधान)

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया): सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों को ग्राम्योन्मुखी और किसानों के अनुकूल होना अपेक्षित होता है। अतएव, मैं अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। *...(व्यवधान)*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, माननीय रेल मंत्री वक्तव्य देने वाले हैं, परन्तु उन्हें माननीय कृषि मंत्री के जवाब देने तक इस बार करना होगा। *...(व्यवधान)* माननीय रेल मंत्री माननीय कृषि मंत्री के जवाब के समाप्त होने के पश्चात् अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

सभापति महोदय: यदि यह सभा सहमत होती है तो माननीय रेल मंत्री माननीय कृषि मंत्री के जवाब के बाद अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री विजय हान्डिक: मैं यह इसलिए सुझाव दे रहा हूं क्योंकि इससे चर्चा में बाधा नहीं आएगी।

सभापति महोदय: माननीय रेल मंत्री माननीय कृषि मंत्री के जवाब देने के पश्चात् सभा में अपना वक्तव्य देंगे।

...(व्यवधान)

श्री विजय हान्डिक: इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। उन्हें भी जवाब देना है।

सभापति महोदय: ठीक है।

श्री बीर सिंह महतो: महोदय, वर्ष 2005-06 हेतु प्रस्तावित अनुदान मांगों में कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों हेतु केन्द्रीय योजना परिव्यय में 1,625 करोड़ रुपये की अधिक वृद्धि हुई है। अनुदान मांगें ऋण-प्रवाह में वृद्धि और लघु सिंचाई और कृषि क्षेत्र में विभिन्नता सहित सिंचाई सुविधाओं पर केन्द्रित होता है।

चीनी उद्योग के पुनर्वास हेतु कर छूट के विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई है। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि इस तरह के विशेष पैकेजों को जूट उद्योग और चाय उद्योग को भी उपलब्ध कराना चाहिए।

शोध कार्यों और संबंधित क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देने के लिए 50 करोड़ के प्रारंभिक प्रावधान वाले नेशनल फंड फॉर स्ट्रेटेजिक एग्रीकल्चरल रीसर्च के सृजन की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जिसकी घोषणा गत वर्ष के बजट में की गई थी और जिसे गत वर्ष अप्रैल, 2005 से आरंभ किया गया है। इस दिशा में उठाया गया एक स्वागत योग्य कदम है।

बजट में 'भारत निर्माण' योजना के अंतर्गत 10 मिलियन हेक्टेयर में सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और बजट में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई इत्यादि जैसी लघु सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत 3 मिलियन हेक्टेयर भूमि को शामिल करने का भी प्रावधान है। यह किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी उपाय है। देश भर में सैकड़ों कृषि विज्ञान केन्द्रों को आईसीएआर द्वारा धन दिया जा रहा है और इन्हें कृषि विकास हेतु विश्व बैंक से भी समर्थन मिल रहा है। यद्यपि इन कृषि विज्ञान केन्द्रों को आधुनिक अवसंरचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को

[श्री बीर सिंह महतो]

स्थापित कर ग्रामीण निर्धन जनता की आवश्यकता के बेहतर देखभाल हेतु इनकी पुनर्संरचना करनी चाहिए क्योंकि यह किसानों के लिए बहुत सहायक होगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे 2005-06 की कृषि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया और मात्र दो मिनट का समय दिया, उतना समय तो केवल सम्बोधन में ही लग जायेगा, उतने समय में हम क्या बोल पाएंगे?

कुछ मुख्य बातें मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि भारत वर्ष कृषि प्रधान देश है और पूरे भारत में 70 प्रतिशत जनता आज भी कृषि पर निर्भर है। आज सदन में बैठे हुए सभी सम्मानित सदस्यों को यह सोचना पड़ेगा कि किसानों की हालत को हम कैसे सुधारें। जहां एक ओर हम देख रहे हैं कि देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, उससे पूरा देश और सभी पार्टी के लोग कह रहे हैं। सभी सदस्य कहीं न कहीं अपने वक्तव्य देते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। आज मैं कहना चाहूंगा कि किसानों को अगर सुविधाएं दी जायें तो मेरे ख्याल से बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी और रोजगार भी बढ़ेगी। इससे रोजगार को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। जहां तक किसानों की समस्या है, आज किसान कभी सूखे और कभी बाढ़ की स्थिति से जूझता है। समय-समय पर आपने देखा होगा कि सूखा पड़ता है। आज जल स्तर इतना नीचा हुआ है कि नहरों में पानी नहीं है, लिफ्ट योजनाएं बिल्कुल बन्द पड़ी हुई हैं, नदियों में भी पानी नहीं है। इस ओर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा कि जहां अनुपलब्धता अधिक है, वहां पर किसी प्रकार से हम सिंचाई के साधन मुहैया करायें और साथ ही साथ जगह-जगह पर किस प्रकार से पानी को रोककर हम किसानों को दें।

दूसरी बात, जहां तक बिजली की बात है, बिजली का उत्पादन करके भी हमें किसानों को देना पड़ेगा। आज हमारी सरकार किसानों के हित की सरकार है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह जी यादव ने किसानों के हित की तमाम योजनाएं लागू की हैं। केन्द्र सरकार में बहुत सी योजनाएं आपके कृषि विभाग से संबंधित विभाग में लम्बित पड़ी हुई हैं। मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन योजनाओं को प्राथमिकता देकर उन योजनाओं को लागू करें ताकि उत्तर प्रदेश में जो किसान बाहुल्य क्षेत्र है, जहां आज किसान समस्याओं से जूझ रहा है, जिसे अपने उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, वहां किसानों की माली हालत ठीक हो। अगर उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो मेरे ख्याल से पूरे देश का विकास होगा।

इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, माननीय कृषि मंत्री जी मैं अपने क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरा क्षेत्र गंगा यमुना के बीच में बसा हुआ दोआबा क्षेत्र है, आज भी वह सिंचाई से बहुत ही महरूम है। हम वंचित हैं, चाहे पेयजल हो, चाहे सिंचाई हो। अगर वहां पर सिंचाई के साधन मुहैया हो जायें तो मेरे ख्याल से किसान की बहुत बड़ी समस्या दूर होगी और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।

जहां तक किसानों के ऋण की बात है, ऋण की अदायगी न कर पाने के कारण आज हम देखते हैं ...*(व्यवधान)* संग्रह अमीन व तहसीलदार जाता है, वह किसानों का बहुत उत्पीड़न करता है। उसे कम से कम थोड़ी सी तो आपको छूट देनी चाहिए और समय भी बढ़ाना चाहिए कि अगर किसान एकमुश्त या एकबारगी ऋण की अदायगी नहीं कर रहा है तो उसे कुछ न कुछ छूट देनी चाहिए और समय भी देना चाहिए ताकि वह ऋण की अदायगी आसानी से कर सकें और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। यही कारण है कि किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। इस ओर भी हमें बड़ी गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण का एक विभाग है, जहां पर ऊसर भूमि है या ऊबड़-खाबड़ भूमि है, उसके सुधार के लिए भूमि संरक्षण विभाग है। इस विभाग का कुछ पता नहीं है, जबकि करोड़ों रुपया इसमें जाता है। आज तमाम ऐसी ऊसर जमीन और ऊबड़-खाबड़ जमीन पड़ी है, जिसका सुधार नहीं हो पा रहा है। इस ओर भी हमें गम्भीरता से देखना पड़ेगा। मैं तो चाहूंगा कि जिले में जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी बना दी जाये ताकि उस माध्यम से देखे कि कहां पर बहुत सी ऐसी जमीनें फालतू पड़ी हैं, जिसे हम कृषि योग्य बना सकते हैं। उस भूमि को हम कृषि योग्य बना कर किसानों में वितरित कर दें ताकि किसानों की समस्या हल हो सके। आज चिंता का विषय यह है कि गांव का किसान शहरों की ओर भाग रहा है। इसका कारण यह है कि किसान को सही उत्पादन मूल्य नहीं मिल रहा है, इसलिए उसका शहरों की ओर पलायन हो रहा है। इस ओर भी हमें गंभीरता से सोचना होगा कि इसे कैसे रोका जाए। कैसे किसानों को गावों में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए? जिससे हमारे किसान मजबूत हो सकें। देश का बजट किसान आधारित हो तभी हमारा देश तरक्की कर सकेगा, हमारा किसान खुशहाल होगा। अगर किसान खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा।

इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। किंतु आपने मुझे कम समय दिया, लेकिन फिर भी मैंने कुछ मूलभूत बातें रखी हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय: यदि आपकी स्पीच तैयार है तो

[अनुवाद]

आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित माना जाएगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, यह प्वायंट-वाइज थी। यदि विस्तार से लिखा होता तभी इसे दे सकता था।

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर): महोदय, आपने मुझे कृषि मांगों पर चर्चा करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी 80 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर करती है। आज पूरे देश के किसानों के चेहरों पर झुर्रियां पड़ रही हैं। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के, जब वे चुनाव के समय क्षेत्रों में जाते हैं तब गरीबों और किसानों की बातें करते हैं लेकिन उनकी बेहतरी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं, जिससे आज किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यदि उपलब्धि के नाम पर इन 57 वर्षों का आकलन किया जाए तो हम केवल खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुए हैं लेकिन यह किसी सरकार की वजह से नहीं बल्कि हमारे गरीब किसान की वजह से है। जिसने धरती का सीना चीर कर खाद्यान्न उत्पादन किया। आज उसी किसान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आज देश का किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि कभी ओलावृष्टि और कभी आग की वजह से किसानों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां के किसानों की हालत बहुत ही दयनीय है। किसान का प्राण पानी है। आज उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन पूरी तरह से सूख गए हैं। वहां का जल-स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। आज बिजली के दामों को किसान देने में असमर्थ है। जिसके कारण किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मान्यवर, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने किसानों की बेहतरी के लिए जो घोषणाएं की थीं, उनमें उतना प्रावधान नहीं किया गया है, जितनी आवश्यकता थी। आज किसान को बीज और खाद के लिए, कृषि यंत्रों के लिए ऋण नहीं मिलता है उसको दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। क्रेडिट कार्ड से जितना ऋण मिलना चाहिए उससे ज्यादा बिचौलिए उसको खाने का काम कर रहे हैं। आज उर्वरकों और बीज में जो सब्सिडी दी जाती है उसको बिचौलिए खा जाते हैं। उस सब्सिडी का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान और ऊसर सुधार योजना का 90 फीसदी पैसा अधिकारी और कर्मचारी खा जाते हैं। इन योजनाओं का भौतिक रूप से जमीन पर कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। ऊसर सुधार योजना केन्द्र सरकार की योजना है। यह एक अच्छी योजना है। इससे कम से कम सांसदों को निगरानी के लिए लगाया जाए, ताकि बिना उनकी संस्तुति के पैसा रिलीज न किया जा सके। इस योजना के तहत जो पैसा केन्द्र सरकार दे रही है, उसका लाभ किसानों तक पहुंच सके।

मैं आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाहता हूं। किसानों की सुविधा के लिए मंडी में आने-जाने के लिए जो सड़क योजना बनाई जाती है, आज वह योजना खटाई में है। हमारे अधिकारी उस पैसे का उपयोग मंडी तक पहुंचने के लिए मार्ग न बनाकर दूसरे मुद्दों पर खर्च करने का काम कर रहे हैं। किसान को उसका वास्तविक मूल्य नहीं मिल रहा है। आज कृषि उत्पादन मूल्य बिक्री मूल्य से बहुत कम है जिससे किसान बेहद परेशान है। वह गांव से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री राजाराम पाल: कहा जाता है कि किसी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो यदि उसे लागू करने वाले लोगों की मंशा ठीक नहीं होगी तो वह संविधान बेकार साबित होगा। बहुजन सुखाए बहुजन हिताए का नारा तो दिया जाता है लेकिन बहुजन हिताए तब होगा जब गांव में रहने वाले 80 फीसदी लोग खुशहाल होंगे, उनके चेहरों में खुशहाली होगी और उनकी बेरोजगारी दूर होगी। जब गांव का किसान, मजदूर खुशहाल होगा, तब देश खुशहाल होगा।

आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में उत्पादन दर घटने के जो संकेत दिये गये हैं, उनके गंभीर परिणाम आने वाले हैं। आज बड़े पैमाने पर उत्पादन घट रहा है। घटते हुए उत्पादन और बढ़ती हुई जनसंख्या का जो प्रतिशत है, अगर किसान की बेहतरी के लिए सदन में बैठे हुए लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में किसान गांव से पलायन करेगा, खेती बर्बाद होगी जिससे पूरे देश की आत्मनिर्भरता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के सवाइदपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र बनाने की बात की गई थी, परन्तु राज्य सरकार के दबाव में ऊसर भूमि का प्रस्ताव भिजवाया गया जहां कोई प्रयोग नहीं हो सकता। सवाइदपुर अत्यन्त फर्टाइल है और वहां हर प्रकार के प्रयोग, अनुसंधान हो सकते हैं। मेरी कृषि मंत्री जी से मांग है कि हरदोई जिले का कृषि विज्ञान केन्द्र सवाइदपुर में बनाया जाए।

मैं कानपुर के संसदीय क्षेत्र बिल्हौर से चुनकर आता हूं। वहां 33 प्रतिशत ऊसर भूमि है और 50 प्रतिशत असिंचित भूमि है।

[श्री राजाराम पाल]

कृषि मंत्री जो से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बिल्हौर के लिए ऊसर भूमि के सुधार के लिए विशेष पैकेज देने का काम करें और नहरों में खुदाई के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करवाने का काम करें ताकि गांव के किसान खुशहाल हो सके।

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): महोदय, मैं समय की कमी के कारण कुछ ठोस मुद्दे उठाऊंगा।

जैसाकि आप अवगत हैं, भारतीय कृषि न केवल बहुसंख्य भारतीयों का पेशा है बल्कि यह इस देश का जीवन पथ है। जैसाकि आप जानते हैं, कृषि इस देश के लगभग 70 प्रतिशत श्रमबल को रोजगार देता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में एक तिहाई का योगदान करता है। कृषि का प्रमुख कारक सिंचाई है। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि उत्तरवर्ती सरकारें विभिन्न योजनाओं की घोषणा करती रही हैं परन्तु आज तक, स्वतंत्रता के 55 वर्षों के बाद भी इस देश की लगभग 70 प्रतिशत कृष्ण भूमि में सिंचाई की सुविधा नहीं है। इस देश में कई सिंचाई परियोजनाएं और योजनाएं इसलिए दशकों से अधर में लटकी हुई है पूरी नहीं की गई हैं।

मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे राज्य में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, जैसाकि माननीय मंत्री जी इससे भली-भांति अवगत होंगे कि आंग बांध परियोजना, जिससे कि के.बी.के. जिलों के आसपास के गैर-सिंचित क्षेत्रों के विशाल भूमि प्रदेश को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। 40 वर्षों से लंबित हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रस्ताव है कि सरकार उन सभी अधूरी और चालू सिंचाई परियोजनाओं को पांच वर्षों की समय-सीमा में पूरा करने हेतु एक व्यापक और समयबद्ध कार्यक्रम बनाए यह एक महत्वपूर्ण कार्य है।

कई सदस्यों ने सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले लाभकारी मूल्यों और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में चर्चा की है। मुझे नहीं मालूम है कि सरकार इसका किन मानदंडों के आधार पर निर्धारण करती है। तीन या चार दिन पहले ही कृषि मूल्य आयोग ने मूल्यों की घोषणा की और सरकार ने इसका अनुमोदन किया है। जहां तक धान का संबंध है इसमें केवल 10 रुपए की वृद्धि की गई है। मेरे विचार से, लाभकारी मूल्यों को निर्धारित करते समय सरकार को न केवल किसान बल्कि किसान के पूरे परिवार द्वारा लगाए गए श्रम पर भी विचार करना चाहिए। सरकार लाभकारी मूल्यों को निर्धारित करने के दौरान इस पर ध्यान नहीं दे रही है।

बजट में, वित्त मंत्री ने बाढ़ नियंत्रण हेतु बहुत कम धनराशि का प्रस्ताव किया है। जैसाकि आप को ज्ञात है कि इस देश में प्राकृतिक आपदा एक नियमित घटना है। प्रत्येक वर्ष, सूखा या बाढ़ के कारण बहुत विशाल फसल क्षेत्र बर्बाद होता है।

[अनुवाद]

बाढ़ नियंत्रण के लिए केवल 180 करोड़ रुपये प्रदान किये गये हैं। यह बहुत कम धनराशि है। जहां तक बाढ़ नियंत्रण का संबंध है तो मेरा प्रस्ताव यह है कि इस धनराशि में वृद्धि की जानी चाहिए और बड़े उपाय किये जाने चाहिए।

मैं प्रसन्न हूं तथा मैं कृषि क्षेत्र में क्रेडिट लोन की घोषणा के संबंध में इस सरकार को बधाई देता हूं। अब तक हमने किसानों के ऋणों पर ब्याज दर में कमी नहीं की है। जब किसान ऋण राशि चुकाने की स्थिति में नहीं है तो आप इस देश में आत्महत्या की घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं? इसलिए सरकार घटनाओं के द्वारा किसानों को दिये गये ऋण पर ब्याज दर में कमी करने पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

पिछली बजट चर्चा के दौरान भी मैंने अपने भाषण में फसल बीमा के बारे में उल्लेख किया था। यह एक दोषपूर्ण बीमा योजना है। यदि इस बीमा योजना से गरीब किसानों को राहत नहीं मिलती है तो इस योजना को लागू रखने का कोई औचित्य नहीं है। मैं सरकार से फसल बीमा योजना में संशोधन करने और तहसील की बजाय ग्राम पंचायत को एक इकाई के तौर पर घोषित करने की अपील करता हूं। इसलिए, सरकार कृषि क्षेत्र को अधिक महत्व व उस पर अधिक जोर देने के संबंध में जो भी प्रचार कर रही है वह उसके अनुरूप नहीं है जो कुछ सरकार व्यवहारिक रूप में कर रही है। मेरा सरकार से निष्ठापूर्वक अनुरोध है कि इसे कृषि पर अधिक जोर देना चाहिए और इसके लिए और अधिक धनराशि आवंटित करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): सभापति महोदय, मैं कृषि विभाग की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कृषि मंत्री जी को हृदय से धनय्वाद देना चाहता हूं कि जिस वक्त बजट प्रस्तुत हुआ, उस वक्त वे खरीफ के मूल्य में वृद्धि करके सदन में आये। इससे देश के लाखों किसानों को लाभ मिला है जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

आप जानते हैं कि बिहार से जब झारखंड का बंटवारा हुआ तो हमारे यहां जितने भी उद्योग धंधे थे, इंडस्ट्रीज थीं, कोयला खादान या दूसरी खादान थीं, वे सब झारखंड में चली गयीं। बिहार के लोग सिर्फ कृषि पर ही आधारित होकर कार्य करने लगे। बिहार की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि पर आधारित है।

मेरा निवेदन है कि नेपाल से आने वाली नदियों से हर वर्ष बिहार का काफी नुकसान होता है। इससे बिहार का आर्थिक ढांचा चरमरा जाता है, टूट जाता है। आप सब जानते हैं कि वहां 10 हजार हैक्टेयर में जल जमाव की प्रौब्लम बराबर बनी रहती है। बक्सर से लेकर फरक्का तक हर साल गंगा नदी के कटाव से कई गांव विलीन हो जाते हैं। गंगा के दोनों किनारे ऐसा कोई गांव नहीं है जहां लोगों को बर्बादी का सामना नहीं करना पड़ता है।

कृषि मंत्री जी सक्षम और देश के जाने-माने मंत्री हैं। उनके मन में किसानों के प्रति हमदर्दी है। हमारा कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि वहां किसानों के फसल की जो बर्बादी होती है, उसकी भरपाई भारत सरकार करे या नेपाल सरकार से कोई कारगर बात करके उत्तर बिहार के जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, दरिद्र हैं, उनकी दरिद्रता को मिटाने का काम करें। बाढ़ से नियंत्रण दिलाने का काम करें। पूर्व में जब सदन में इन पर चर्चा हुई तब एनडी सरकार ने वायदा किया था और कहा था कि हम इसकी भरपाई करेंगे और बिहार को विशेष पैकेज देंगे। लेकिन बिहार को यह विशेष पैकेज नहीं मिल सका। नेपाल की नदियों से होने वाले नुकसान को हम झेलते रहें और देश की सरकार हमारी कोई मदद नहीं करे तो हम कहां जायेंगे?

सभापति महोदय, बिहार में बहुत से कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हुई है। लेकिन 50 परसेंट भी कृषि विज्ञान केन्द्र फंक्शनल नहीं हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे मेरे निर्वाचित क्षेत्र में चलकर इसका उद्घाटन करें। बहुत बड़ा इलाका हम लोगों का है जिसे इससे लाभ होता है। हमारे यहां शुगर इंडस्ट्रीज बिल्कुल बैठ गई हैं।

अपराह्न 3.55 बजे

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

हमारे यहां बिहार के 32 शुगर इंडस्ट्रीज हैं लेकिन सिर्फ 7-8 ही किसी तरह से चल रही हैं। देश की आजादी के बाद से बिहार में कोई नयी इंडस्ट्रीज नहीं दी गई है। हमारे यहां गन्ना विकास और जूट किसान हैं लेकिन हमारे यहां जो कृषि पर आधारित उद्योग धंधे थे, वे सब बंद हो गये हैं। ऐसी स्थिति में मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि बिहार की ओर विशेष ध्यान देकर बिहार को इन चीजों से निजात दिलाएं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री खारबेल स्वाईं। आप इस वाद-विवाद में बोलने वाले अंतिम सदस्य हैं। कृपया अपनी बात संक्षिप्त में कहें।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, इस वाद-विवाद में मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: वहां बैठे रहने से मैं आपको नहीं पहचान सकता हूं।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: धन्यवाद महोदय। इस वाद-विवाद में भाग लेने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि किसानों द्वारा आत्महत्याओं के कारणों की जांच करने के लिए आंध्र प्रदेश के तथ्यान्वेषण मिशन के समूह नेता के तौर पर मैं वहां गया था और इसीलिए मैं यहां पर उपस्थित माननीय कृषि मंत्री को कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

हमने उन 25 किसानों के परिवार के सदस्यों से भेंट की जिन्होंने आत्महत्या की थी, और किसी ने हमें यह नहीं बताया कि ऋण न मिलने के कारण किसानों ने आत्महत्या की थी। उन सभी ने हमें बताया कि उन्होंने कुओं की खुदाई की थी लेकिन वे असफल रहे और नकली बीजों और कीटनाशकों की आपूर्ति की जाती थी। इन्हीं दो कारणों से किसानों ने आत्महत्या की थी।

एक महीको कंपनी थी जिसके पास बीटी काटन सीड्स थे। वह किसानों को हाइब्रिड काटन सीड्स उपलब्ध करा रही थी। इसके ब्रांड का नाम बोलगार्ड था। उन्होंने किसानों को हर तरह से धोखा दिया। इसलिए, मैं माननीय कृषि मंत्री से अपील करता हूं कि उक्त कंपनी पर प्रतिबंध लगाया जाए और काली सूची में डाला जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर उसके कार्मिकों को किसानों को धोखा देने के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

मैं माननीय कृषि मंत्री को जो दूसरा सुझाव देना चाहूंगा वह यह है कि काश्तकारों को मुआवजा भी दिया जाना चाहिए जो कि नहीं दिया जा रहा है। यदि किसान आत्महत्या करते हैं तो उनके परिवारों को भी इसका भुगतान किया जाना चाहिए।

इसके बाद, आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी दल को सभी किसानों को निशुल्क बिजली देने के अपने वादे के अनुसार उन्हें निशुल्क बिजली देनी चाहिए।

महोदय, कपास के किसानों के संबंध में, माननीय मंत्री जी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय कपास निगम के गोदामों में लाई जाने वाली कपास को मनमर्जी से लेने से इन्कार कर दिया जाता है। उनका कहना है कि यह अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। तीन दिनों तक की प्रतीक्षा के बाद भी किसान कपास को बेच नहीं पाते हैं और यह अस्वीकृत हो जाता है। इन किसानों

[श्री खारबेल स्वाईं]

के घर वापस लौटते समय बिचौलिए वहां पहुंचते हैं और उसी कपास को 600 से 90 रु. प्रति क्विंटल पर खरीदने के लिए उन्हें फुसला लेते हैं। उसके बाद, वही बिचौलिए, इस कपास को भारतीय कपास निगम को बिक्री कर देते हैं। इसलिए, मेरी माननीय कृषि मंत्री से अपील है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भारतीय कपास निगम कपास व सिर्फ किसानों से खरीदेगी और यह कपास किसी बिचौलिए से नहीं खरीदेगा, यह नियम होना चाहिए। कपास के प्रत्येक किसान को कपास उगाने के समय पर संबंधित प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। केवल उन्हीं किसानों को अपनी कपास बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए जो अपने प्रमाण-पत्र दिखाते हैं।

अंत में मैं माननीय मंत्री से एक अपील करना चाहूंगा-यद्यपि यह विषय उनके मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं है-वह बुनकरों की दुर्दशा के संबंध में है। आत्महत्या करने वाले बुनकरों के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। उनके पारंपरिक डिजायनों की बड़े उद्योगों द्वारा नकल की जा रही है, बड़े उद्योग उनके डिजायनों की नकल करके अधिक सस्ती दरों पर साड़ियां बनाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पारंपरिक बुनकरों द्वारा बनाई जा रही साड़ियां नहीं बिक रही हैं। इसलिए, मेरा सुझाव यह है कि राज्य सरकारों को बुनकरों के पारंपरिक डिजायनों को पेटेंट कर देना चाहिए ताकि कोई उनकी नकल करके अधिक सस्ती दर पर न बना सके।

अंततः, अब सभी कृषि विश्वविद्यालयों को यह बताते हुए फसल विविधीकरण से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार करने के कार्य में लग जाना चाहिए कि कहां और कब कितनी मात्रा में फसल उगानी चाहिए। इन विश्वविद्यालयों को सभी किसानों को यह सूचना देनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

[हिन्दी]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, कृषि अनुदान मांगों के बारे में हुई चर्चा में सदन के कई सम्माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया और देश के किसानों की जो समस्याएं हैं, उनको बड़ी गंभीरता से रखने का प्रयास किया है। जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है, उन्होंने कई अच्छे सुझाव भी दिये हैं। गांवों की जो स्थिति है और देश के 70 प्रतिशत लोगों की जो स्थिति है, उसे राजनीति से ऊपर उठकर इस सदन में रखने का प्रयास किया और मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है और इस दिशा में जो कुछ कमियां रह गयी हैं, उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। इसलिए इस सदन में हुई यह चर्चा कृषि मंत्रालय के लिए बड़ी मददगार होगी।

इस देश के किसानों ने देश को मजबूत करने में बड़ा योगदान दिया है। यहां कहा गया है कि आज देश में 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं, देश के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का 24 प्रतिशत योगदान है, देश के निर्यात में 13 प्रतिशत योगदान है और लोगों को रोजगार देने के मामले में, इस क्षेत्र द्वारा 58 प्रतिशत अर्थात 62 करोड़ लोगों को काम दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर हम कृषि क्षेत्र को नजरअंदाज करेंगे तो हम देश की जनता को नजरअंदाज करेंगे, पूरे देश को नजरअंदाज करेंगे। इसलिए इस क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, यह बात सभी वक्ताओं द्वारा उठायी गयी है और मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं।

परिस्थितियों में बड़ा बदलाव लाने में इस देश के किसान कामयाब हुए हैं। जब हम आजादी के समय इस देश की आबादी और अन्न की समस्या के बारे में सोचते हैं तो आज स्थितियों में कितना परिवर्तन हो गया है, हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। वर्ष 1947 में, जब हमारी आबादी 35 करोड़ थी, हम विदेशों से अनाज लेते थे और वह स्थिति लगभग सत्तर के दशक तक बनी रही। मुझे याद है कि 1970 के आस-पास जब मैं महाराष्ट्र राज्य में पहली बार वहां की सरकार में शामिल हुआ था, तब मेरे पास पोर्टफोलियो था—मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम एण्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन, फूड एण्ड सीड सप्लाईज। उस वर्ष वाहं सूखा पड़ा हुआ था। देश में अनाज की कमी हो गयी थी और मिनिस्टर ऑफ फूड एंड सीड सप्लाईज की हैसियत से मुझे अपना ज्यादा से ज्यादा समय बम्बई पोर्ट में देना पड़ता था क्योंकि विदेश से अनाज लेकर आने वाले जहाजों का इन्तजार करना, उनको अनलोड करने का प्रबंध करना और अनाज को राशन की दुकानों तक भेजना होता था। यह परिस्थिति लगभग वर्ष 1970-72 तक बनी रही।

आज कृषि के साथ-साथ मेरे पास खाद्य मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है और आज मेरे सामने यह एक बड़ी समस्या है कि भंडार में पड़े हुए अनाज को हम कैसे जल्दी से जल्दी वितरित कर सकें। जब 35 करोड़ आबादी थी, तब हम अनाज विदेश से लेते थे। मुझे याद है कि वर्ष 1958 में पूना में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी और पार्टी के एक छोटे-से कार्यकर्ता की हैसियत से मैं भी उमसें शामिल हुआ था। उस समय श्री एस.के. पाटिल कृषि मंत्री थे, वे हमारे ही राज्य से आते थे। उन्होंने बैठक में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अब हिन्दुस्तान की जनता को अनाज के बारे में चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं अमेरिका जाकर पीएल-480 का एग्रीमेंट करके आया

हूं। अब जितना चाहें, उतना अनाज देश में आएगा। यह स्थिति 1957 से 1970 तक रही। आज हिन्दुस्तान के बहादुर किसानों ने 212 मिलियन टन अनाज की पैदावार की है और देश में इतना अनाज पैदा हो गया है कि हमने इस साल 16 देशों को अनाज निर्यात करने का काम किया है। यह मेहनत हिन्दुस्तान के किसान ने की है। यह जो किसानों का उत्तरदायित्व है, इसे हम कभी नहीं भूल सकते। इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी समस्या को हल करने में कामयाबी हासिल करने के बाद आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें शत-प्रतिशत सच्चाई है कि देश के आम किसान की स्थिति ठीक नहीं है।

यहां पर कई बातों का जिक्र किया गया। जहां तक उत्पादन का प्रश्न है, इसमें कई क्षेत्रों में आज हिन्दुस्तान का नम्बर विश्व में पहला या दूसरा है। कुछ लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन हिन्दुस्तान में होता है। बागवानी के क्षेत्र में हिन्दुस्तान का दुनिया में पहला नम्बर है। इसी तरह के बनाना प्रोडक्शन में भी सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे देश में होता है। आम का उत्पादन भी हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा होता है। गेहूं और चावल के उत्पादन में हमारे देश का विश्व में दूसरा स्थान है। कम से कम 20 ऐसी महत्वपूर्ण आइटम्स हैं, जिनके उत्पादन में हम विश्व में नम्बर एक या नम्बर दो पर हैं। यह उपलब्धि हिन्दुस्तान के किसान के खून-पसीने की मेहनत के कारण हासिल हुई है। इसे हम कभी भूल नहीं सकते।

एक तरफ जहां हम यह स्थिति देखते हैं तो इसके साथ-साथ दूसरी तरफ कुछ बड़ी समस्याएं भी हिन्दुस्तान के किसानों की हैं। हमारा उत्पादन काफी बढ़ा है और हम दुनिया में कई आइटम्स के उत्पादन में नम्बर एक या दो पर हैं, लेकिन जहां तक प्रति हेक्टेयर ईल्ड का सवाल है, उसमें हमें बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। आज गेहूं और चावल के उत्पादन में हम विश्व में दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन उसकी प्रति हेक्टेयर ईल्ड अगर दुनिया के और मुल्कों से तुलना करें तो हमारा नम्बर 28वां या 29वां है। करीब-करीब सभी क्षेत्रों में यही स्थिति है। कुछ जगहों पर चंद किसान अच्छा उत्पादन करते हैं और वहां उन्हें कामयाबी भी मिली है। लेकिन आम किसान का उत्पादन बढ़े, इसमें हमें कामयाबी नहीं मिली। इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, इसमें कई समस्याएं हैं। हमारे देश में करीब 60 प्रतिशत खेती प्रकृति पर निर्भर है। अच्छा मानसून आ गया तो खेती ठीक, नहीं तो वह 60 प्रतिशत खेती खत्म। कई राज्य ऐसे हैं, जहां हर साल या हर पांच साल में कम से कम दो-तीन साल सूखे की परिस्थिति होती है। अभी प्रभुनाथ सिंह जी और झा साहब ने बिहार का जिक्र किया कि वहां और दूसरे कुछ राज्यों में बाढ़ से सालों-साल इतना नुकसान होता है कि उसके बारे में कल्पना तक नहीं की जा सकती। यह स्थिति हमारे सामने है।

हमारे कृषि क्षेत्र में दूसरी समस्या ऋण की है। यह बड़ी गम्भीर समस्या है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी समस्या भी काफी बड़ी है, जिसे कई माननीय सदस्यों ने यहां रखा कि हमारी जो पैदावार होती है, उसमें कीमत भी काफी बड़ी समस्या है।

भारत सरकार ने इस बारे में कई निर्णय ले लिए लेकिन कई राज्यों में स्थिति ऐसी हैं कि वहां खरीदने के लिए प्रबंध नहीं है और न ही कानून है इसलिए उनकी लूट होती है। कई राज्यों में आज स्थिति ऐसी है कि पूरे देश में जगह-जगह पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्किट एक्ट है। इसका अमल करने की जरूरत है। किसान अपना प्रोड्यूस बाजार में लाए, उसका ठीक तरह से उपयोग होता है या नहीं, इसकी देखभाल करने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई मगर कई राज्य ऐसे हैं जहा पैदावार बहुत होती है लेकिन मंडी नहीं है या एपीएमसी एक्ट नहीं है। गांवों में जाकर व्यापारी माल खरीदते हैं जिन की थोड़ी बहुत कीमत देते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद और पैदावार करने के बाद भी उसकी ठीक कीमत नहीं मिलती है। यह समस्या कई जगहों में है।

चौथी समस्या हम देखते हैं कि इंश्योरेंस के बारे में कई योजनाएं शुरू हो गई हैं मगर इसमें बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। डिस्ट्रिक्ट एज ए होल यूनिट का कॉनसैप्ट स्वीकार किया। कई जिले ऐसे हैं जहां बहुत बारिश आती है और कई जगह पानी का बिल्कुल प्रबंध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जिन डिस्ट्रिक्ट्स को नुकसान होता है और उनकी कोई मदद नहीं हो सकती है, वहां सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसी कई बातें हैं।

हमारे यहां खेतों में जो उपज होती है, वह खेत से निकलने के बाद जो आखिरी कस्टमर है, कंज्यूमर है, उनके घर तक जो माल जाता है, इसमें जो टोटल लॉसिज होते हैं उन्हें पोस्ट हारवैस्टिंग लॉसेज कहते हैं। वे लॉसेज 30 परसैंट तक हैं। सदन को यह बात सुनकर ताज्जुब होगा कि पोस्ट हारवैस्टिंग लॉसेज के लिए हर साल हिन्दुस्तान के किसानों को 50 हजार करोड़ रुपये देने पड़ते हैं यानी 50 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होता है। उन्होंने हर साल जो पैदावार की, ग्राहकों के घर तक उनका बीच में जाने का जो समय है, वहां जो नुकसान होता है उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। हमें जगह-जगह पर एग्रो प्रोसैसिंग यूनिट्स का निर्माण करना पड़ेगा। कई छोटे देशों में वह तीन परसैंट से ज्यादा नहीं है। फिलीपीन्स जैसे छोटे देश जहां 70 परसैंट उपज होती है, वहां नुकसान बिल्कुल नहीं होता है। थाइलैंड जैसे देश में

[श्री शरद पवार]

80 परसैंट कृंाष की उपज होती है। वहां एग्रो प्रोसैसिंग होता है और वह दुनिया की मंडियों में जाता है। हिन्दुस्तान जैसे बड़े देश में एग्रो प्रोसैसिंग का प्रबंध खाली तीन परसैंट तक है। बाकी कई हजार करोड़ रुपये का नुकसान किसानों और देश को सहन करना पड़ता है। जब किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है तो वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं।

कई माननीय सदस्यों ने किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की बात यहां सदन में बड़ी गम्भीरता से कही। मैं आंकड़ों की डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। यहां आंध्र प्रदेश और दूसरे कई राज्यों की बात कही गई। कई सदस्यों ने इस बारे में अपनी चिन्ता सदन के सामने रखी। मैं यह बात समझ सकता हूं कि सदन में बैठने वाले हर सदस्य ने देश के किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की बात कही। इससे सब को दुख पहुंचता है। इससे बड़ा दूसरा कोई दुख नहीं हो सकता है। कई सालों से खासतौर पर दो सालों से बार-बार यह मुद्दा सदन में उठा। मेरे पास इसकी जिम्मेदारी आने के बाद, मैंने इसकी थोड़ी जांच करने का प्रयास किया। इससे पहले कई रिपोर्टें आई थीं। मुझे नहीं लगता है कि इन राज्यों ने ठीक तरह से इस बारे में ध्यान दिया। रिपोर्ट आ गई कि किसानों ने शराब पी इसलिए आत्महत्या की। ऐसा हमें बतलाया गया। घर में झगड़ा हो गया, इसलिए किसानों ने आत्महत्या की, ऐसा बतलाया गया।

कई बातें यहां बताई गई। खासतौर पर इसलिए आंध्र प्रदेश में परिस्थिति बड़ी गम्भीर है। आंध्र प्रदेश में पिछले 8 महीने में क्या स्थिति है यह देखने के लिए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को इसकी जिम्मेदारी दे दी। उस आर्गेनाइजेशन का नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट है। हैदराबाद में मैनेजमेट का यह बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। उन्हें मेंडेट दे दिया गया कि पिछले सात-आठ महीने पहले आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में जो परिस्थिति पैदा हुई है, आप उन जिलों का ठीक तरह से सैलेक्शन कीजिए, इसमें डिस्ट्रिक्ट का हर रीजन का होना चाहिए। इसके साथ यह भी कहा गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में जिनके परिवार में आत्महत्या हुई, वहां हर घर में जाकर पूरी तरह से स्टडी कीजिए और उसकी रिपोर्ट हमारे सामने पेश कीजिए। इसमें तीन डिस्ट्रिक्टस का सलैक्शन हुआ—अनंतपुर, मेढक और प्रकाशम्। 14 मई, 2004 से 17 मई, 2004 की अवधि में जो आत्महत्याएं हुईं, यह उसकी सीमित स्टडी है। इसके अनुसार अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में 43 केसिस, मेढक डिस्ट्रिक्ट में 41 केसिस और प्रकाशम् डिस्ट्रिक्ट में 26 केसिस हैं। हम इन सभी जिलों की डिटेल में जितनी भी जानकारी प्राप्त कर सकते थे, उसके लिए प्रयास किया गया। इसमें सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइल था—जिन किसानों ने आत्महत्या की उनमें 96 प्रतिशत पुरुष थे महिलाएं नहीं थीं। इसके साथ ही यह देखा गया कि आत्महत्या करने वाले में कौन सा सैक्शन था—फारवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास, ट्राइबल क्लास या दलित क्लास? इसके संबंध में देखा गया कि 51 प्रतिशत फारवर्ड क्लास, 28 प्रतिशत बैकवर्ड क्लास, 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 7 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के किसानों ने आत्महत्या की। इसके बाद यह देखा गया कि आत्महत्या करने वाले किसानों का एज ग्रुज क्या था? आत्महत्या करने वाले किसानों में 80 प्रतिशत विक्टिम्स 21 से 50 एज ग्रुप के थे और बहुत बूढ़े लोग थे। अखबार में इस तरह की खबर थी कि सरकार मदद करती है इसलिए घर के बूढ़े को परिवार के सदस्यों ने आत्महत्या करने के लिए कहा इसलिए उसने आत्महत्या की। यह किसानों के प्रति बहुत गलत ढंग से देखने की बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए।

एक और बहुत बड़ी बात सामने आई और हमें इस पर ध्यान देना होगा कि 57 प्रतिशत विक्टिम्स अनपढ़ थे। इनमें 100 प्रतिशत लोगों का व्यवसाय कृषि था, इनमें से 58 प्रतिशत लोग दूसरे किसनों के खेत में जाकर मजदूरी और खेती करते थे, 22 प्रतिशत लोग खेती के साथ कुछ और काम करते थे और 6 प्रतिशत किसान छोटा-मोटा काम करते थे। इसके अलावा 76 प्रतिशत विक्टिम्स की खेती पूरी तरह से मानसून पर निर्भर थी और वहां पर एश्योर्ड पानी नहीं था, 11 प्रतिशत किसान, जिन्होंने आत्महत्या की, वहां एश्योर्ड पानी था और 78 प्रतिशत विक्टिम्स स्माल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे। इस तरह से मेजोरिटी ऑफ विक्टिम्स खुद खेती करते थे। इसके साथ ही हमने यह देखा कि उन्होंने कितनी लागत लगाई, कितने पैसे खेती में इन्वेस्ट किये। फार्म एसेट्स में इवैल्यूएट असेसमेंट ऑफ फार्म एसेट्स दो लाख 33 हजार के आस-पास था, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में तीन लाख छत्तीस हजार था, जो कि सबसे ज्यादा था, मेढक डिस्ट्रिक्ट में एक लाख अट्ठारह हजार था और प्रकाशम् डिस्ट्रिक्ट में एक लाख 7 हजार था।

खेती के लिए पानी की बहुत बड़ी समस्या है। आंध्र प्रदेश में तीनों डिस्ट्रिक्ट्स की बात सामने आई। वहां किसानों के पानी का प्रबंध करने के लिए रेनवैल और बोरवैल की कोशिश की जिसका औसतन खर्चा 36,580 रुपये था लेकिन मेजर डिस्ट्रिक्ट में यह औसतन खर्च 70,190 रुपये किया गया। इन किसानों ने कई जगहों पर 2-3 बोरवैल निकालने की कोशिश की और उसमें इतना ज्यादा पैसा लगाया। जहां नीचे पानी न हो, वहां 2-2, 3-3 बार बोर का काम करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे जो डिस्ट्रिक्शन एक्सटैंशन आफिसर गाइड करते हैं, वे बिल्कुल फेल हो गये वरना किसानों को बार-बार इस रास्ते पर जाने की आवश्यकता नहीं थी।

अध्यक्ष जी, मैं अब पिछले तीन सालों में उनकी इनकम की क्या स्थिति थी, वह बतलाता हूं। वहां पिछले तीन साल से

लगातार सूखा था। वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के बीच घरेलू आय में 93 प्रतिशत तक गिरावट आई। जब डिकलाइन होता है, उसका कारण वर्ष 2003 के दौरान यह घाटा प्रति पीड़ित 21,271 के बराबर था। यह कर्जे का बोझ जिस कारण से आ गया, उन्होंने कहां से पैसा लिया—अधिकांश पीड़ित परिवारों ने गैर-संस्थागत एजेंसियों से पैसा उधार लिया। 24 प्रतिशत किसानों ने यह पैसा को-आपरेटिव बैंकों से लिया और शेष 76 प्रतिशत किसानों ने प्राइवेट मनी लैंडर्स से लिया। आज यह सिस्टम कितना डिटिरियोरेट हो गया है, उसका यह उदाहरण है। मैं इस बात को कबूल करता हूं और कहूंगा कि इसमें कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। जहां तक इन बैंकों से किसानों द्वारा लिये गये कर्रजइंटरेस्ट रेट का सवाल है, कमर्शियल बैंक और को-आपरेटिव बैंकों में यह रेट 9 से 12 परसेंट था और जिन 76 प्रतिशत किसानों ने प्राइवेट मनी लैंडर्स से पैसा लिया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 से 36 प्रतिशत था। इस कारण ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जिससे उन्हें ठीक समय पर पैसा मिलने का प्रबंध नहीं हो सका। इस प्रकार प्रति विक्टिम प्रति हैक्टेयर यह 2 लाख, 50 हजार रुपया का बोझ पड़ा। इससे यह बात साबित हो गई कि जिन किसानों ने प्राइवेट मनी लैंडर्स से पैसा कर्जे के तौर पर लिया, वे ही इस रास्ते पर गये। इन परिस्थितियों को देखते हुए हमें कुछ न कुछ करना होगा।

अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों को देखने के बाद हमें कुछ नये कदम उठाने की आवश्यकता है। केवल आंध्र प्रदेश के तीन-चार जिलों की बात नहीं है, देश की दूसरी स्टेट्स की डिटेल्ज भी देखने के लिए हम लोग तैयार है। हमने यह जिम्मेदारी कुछ लोगों को दी है लेकिन एक बात इससे साफ हो गई है कि किसान क्यों इस हद तक चला जाता है। इसमें केवल सूखे या बाढ़ की समस्या हल न होने की बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि किसानों को सरकार की योजनाओं का फायदा मिले लेकिन उन्हें यह फायदा देने के लिए परिस्थिति पैदा नहीं होती हैं।

आज तक हम लोगों ने जो पैसा इरीगेशन के लिए दिया, पिछले दस सालों के आंकड़े मैंने कलैक्ट किये, अपने बजट का टोटल प्लान जो हर साल का है, उसमें इरीगेशन के लिए .35 परसेन्ट से ज्यादा प्रोविजन हम लोगों ने इससे पहले नहीं किया है। इरीगेशन के लिए हम .35 परसेन्ट प्रोविजन करते हैं। पिछले वर्ष लगभग 2300 करोड़ रु. का कुल प्रावधान था और सूखे के लिए जिसकी देखरेख मैं स्वयं कर रहा हूं उसके लिए कुल 35000 करोड़ रु. का प्रावधान था। यानी ड्राउट रिलीफ के लिए ज्यादा पैसा है और जिस कारण ड्राउट का सामना करने की परिस्थिति पैदा होती है, उसके लिए कम पैसे का प्रोविजन हुआ। मुझे खुशी है कि इस साल पहली बार चार हजार करोड़ रुपया इस सरकार ने इरीगेशन के लिए देने का काम किया है, जिससे इस क्षेत्र में सुधार हो सके। इसके अलावा इस देश में जो इरीगेशन प्रोजैक्ट्स बंद पड़ी हैं, कई सालों से जहां काम चालू है, यदि उनके खुलने की बात हो या जहां पुरानी इरीगेशन प्रोजैक्ट्स की कमियों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, इन सब परिस्थितियों को देखने के बाद हमें इरीगेशन की ओर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली यह यू.पी.ए. सरकार इस पर ठीक तरह से ध्यान देगी और इसे अधिक महत्व देने की कोशिश करेगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारी जो खेती की पैदावार होती है, उसकी कीमत के बारे में यहां कहा गया। कई सालों से एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का सिस्टम देश में हमने स्वीकार किया है। इसकी गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। इन गाइडलाइंस को कई सालों पहले इस सदन ने मान्यता दी है, अप्रूवल दिया है और उसी के मुताबिक कीमतें तय करने की बात होती है। जो बात यहां नायडू जी ने कही, मैं उससे सहमत हूं कि कई राज्यों में पर हैक्टेयर के ऊपर पर क्विंटल कॉस्ट कम है। इसमें जो नक्शा भारत सरकार के सामने एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने दिया, वह बहुत ऊंचा था, बहुत बड़ा था। उसमें कई राज्यों में आपस में बहुत ज्यादा फर्क था। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन इसमें ओवरऑल स्टडी करके, राज्य सरकारों के एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन से सलाह लेकर, कुछ एन.जी.ओज. और प्राइवेट सैक्टर के लोगों की मदद लेकर इंफोर्मेशन कलैक्ट करता है और प्राइस देश के सामने रखने की कोशिश करता है, जिसे भारत सरकार स्वीकार करती है। इस साल जहां प्राइस बढ़ाने की आवश्यकता थी, वहां बढ़ोत्तरी करने का काम इस सरकार ने किया है। मगर कुछ आइटम्स पर ज्यादा कीमत देने का प्रयास किया है, जिसमें ऑयलसीड्स मुख्य है। ऑयलसीड्स पर ज्यादा कीमत देने का प्रयास इसलिए किया गया है, क्योंकि आज 20 हजार करोड़ रुपये का तैल हम इम्पोर्ट करते हैं। हम इस देश में इसका इम्पोर्ट रोकना चाहते हैं। यदि हम इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो हमें किसानों को ऑयलसीड्स के उत्पादन में मदद करने की आवश्यकता है और इसलिए इसमें ज्यादा कीमत देने की कोशिश की गई है।

महोदय, जहां तक प्रोक्योरमैन्ट की बात है, एक बात सच है कि इसके पहले इस देश में जो प्रोक्योरमैन्ट होता था, वह दो-तीन राज्यों से होता था। पिछले कई सालों में पूरे देश में अनाज की समस्या हल करने में पंजाब, हरियाणा और वैस्टर्न यू.पी. ने बहुत बड़ा काम किया है। मगर इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता थी और इसलिए डीसैन्ट्रलाइज फोर्म में इस देश में हमने प्रोक्योरमैन्ट का काम बहुत बड़े पैमाने पर शुरू किया है। आज 16 राज्यों में प्रोक्योरमैन्ट की शुरूआत की गई है और इस प्रोक्योरमैन्ट की

[श्री शरद पवार]

शुरूआत से पंजाब, हरियाणा और वैस्टर्न यू.पी. का जो टोटल प्रोक्योरमैन्ट है, उस पर कोई असर नहीं होगा। इसका टोटल प्रोक्योरमैन्ट हम करेंगे। वहां के किसान जितनी उपज सरकार को देंगे, वह पूरी तरह से लेने का हमने प्रबंध किया है। लेकिन एक बात हमारे मन में आई है कि जब एक क्विंटल चावल पंजाब से तमिलनाडु भेजते हैं तो उस पर 120 रुपये से 150 रुपये के आसपास ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आती है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि 150 रुपये ट्रांसपोर्ट में देकर इतना बोझ रेलवे पर डालने से अच्छा है कि हम तमिलनाडु के किसानों का ही थोड़ा एनकरेजमैन्ट करेंगे। उन्हें दो पैसे ज्यादा दे दो, तो शायद वे वहां पैदावार कर सकेंगे। इससे वहं पैदावार बढ़ेगी, वहां के किसानों को दो पैसे ज्यादा मिलेंगे और लोगों की समस्या दूर होगी। इस प्रकार एक अच्छे कदम की शुरुआत हमने की है और मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें इसमें ठीक से सहयोग देंगी।

जहां तक क्रैडिट की बात कही गई है, इस सरकार ने हुकूमत में आने के बाद पहले 15 दिनों में देश के क्रैडिट सिस्टम में सुधार करने के लिए किसानों को पैसे की एवलेबिलिटी ज्यादा देने का निर्णय लिया।

[अनुवाद]

गत वर्ष तक कृषि ऋण हेतु 80,000 करोड़ रुपये तक कुल धनराशि प्रदान की गई। वर्ष 2004-05 के दौरान 1,04,500 करोड़ रुपये लक्ष्य था। 20 फरवरी, 2005 तक पहले ही 1,04,718 करोड़ की धनराशि वितरित की जा चुकी है।

[हिन्दी]

100 प्रतिशत जो टार्गेट था, उसे पूरा करने का काम इस सरकार ने किया है। आजादी के बाद आज तक इतने बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर क्रैडिट इस देश में नहीं दिया गया था। जो इस साल दिया गया है। इस साल और अगले सीजन में इसमें 30 प्रतिशत वृद्धि करने की कोशिश हमने की है और मुझे विश्वास है कि हम इसमें भी कामयाब होंगे। आज तक टोटल एग्रीकल्चर क्रैडिट कोआपरेटिव सैक्टर के माध्यम से होता था। इस साल जब 1,08,000 करोड़ रुपये का जो टोटल क्रैडिट एवलेबल कराया गया, इसमें कोआपरेटिव सैक्टर का हिस्सा सिर्फ 27 प्रतिशत है, जो पहले 54 प्रतिशत था, यानी कोआपरेटिव सैक्टर नीचे आ रहा है। देश में 141 डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक ऐसे हैं, जिनको रिजर्व बैंक के सैक्शन 11 के तहत नोटिस मिले हैं और उनके डिस्ट्रिक्ट में पैसे का बंटावरा बंद हुआ है। देश में छः ऐसे कोआपरेटिव बैंक हैं, जिनको सैक्शन 11 का नोटिस मिला है और स्टेट में उस कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से किसानों को क्रैडिट देने का काम बंद हुआ है। जब तक कोआपरेटिव का ढांचा हम मजबूत नहीं करेंगे और गांवों में सोसाइटीज को मजबूत नहीं करेंगे तब तक गांवों में पैसा नहीं मिलेगा। राष्ट्रीयकृत बैंक और कामर्शियल बैंकों के दरवाजे सभी छोटे लोगों के लिए खुले हों, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। इसीलिए वहां आम और छोटे किसानों का ठीक तरह से सम्मान नहीं होता, उनका लोन स्वीकार नहीं होता है। इसलिए हमें किसी न किसी प्रकार से कोआपरेटिव सैक्टर का ढांचा मजबूत करना पड़ेगा। वैद्यनाथन कमेटी नाम की एक समिति इस हेतु अपॉइंट की गई थी। उसकी रिपोर्ट आ गई है और मुझे विश्वास है कि अगले तीन-चार महीनों में डिस्ट्रिक्ट सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक और स्टेट कोआपरेटिव बैंक की हालत, जो दुबली हो गई है, उसे मजबूत करने के लिए, इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार, हम कम से कम 14 हजार करोड़ रुपये लगाएंगे और वह पैसा किसानों को कोआपरेटिव सैक्टर द्वारा देने के लिए ज्यादा खर्च होगा। यह एक बहुत बड़ा कदम इसमें लिया गया है। *...(व्यवधान)* नहीं तो फिर दूसरा कुछ उपाय करना पड़ेगा।

एक बात जैसे प्रभुनाथ जी ने बताई और कई माननीय सदस्यों ने कही, मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि यह बात मुझे आज तक मालूम नहीं थी। कई राज्यों में रिकवरी के लिए ऐसे कानून हैं कि किसानों को डीफाल्टर बनने के बाद उनको गिरफ्तार करने का प्रावधान है। गिरफ्तार होने के बाद जब वे जेल जाते हैं तो जेल में छः महीने या साल भर रहे तो जेल का टोटल एक्सपैंडीचर भी उनके पास से कलैक्ट करते हैं। यह अजीब बात है। यह कैसे हो सकता है? ऐसा हमने सुना है।

श्री रघुनाथ झा: बिहार में है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): क्या आप उन राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां यह घटित हो रहा है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): कौन-कौन से राज्यों में हैं?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: मुझे प्राप्त हुई सूचनाओं के अनुसार, ऐसा बिहार में हो रहा है *...(व्यवधान)* यदि इसके लिए कोई पृथक कानून होगा। मैंने यह सूचना प्राप्त कर ली है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने बिल्कुल सही कहा है।

...(व्यवधान)

श्री शरद पवार: मैंने यहां जब इस बारे में सुना था तो इस बारे में सूचना एकत्र की ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसकी जांच करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: यह बात कही गई है। मैं सूचना एकत्र करने का प्रयास करूंगा। मैं सभी राज्यों से सूचना एकत्र नहीं कर सकता हूं। किन्तु मुझे सूचना मिली है कि कम से कम तीन राज्यों अर्थात् बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इस प्रकार का कानून है। मुझे तीन नाम प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री फुरकान अंसारी (गोड्डा): आप झारखंड के बारे में बताइए।

श्री शरद पवार: इस देश में मैंने कई साल महाराष्ट्र की जिम्मेदारी संभाली है और देश में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन देने वाला शहर मुम्बई है। मुम्बई मेहनत करने वाले लोगों की सिटी है और कई इंडस्ट्रीयल हाउसिस जिन्होंने करोड़ों रुपए राष्ट्रीय बैंकों और दूसरे बैंकों के लिए हैं, किसी को भी गिरफ्तार करके एक भी पैसा वसूल किया गया हो, यह बात अभी तक हमने नहीं देखी है। अगर यह बात आज देश में हो रही है तो यह बहुत शर्म की बात है। इसे दुरुस्त करना होगा। इस बारे में मैं खुद ध्यान दूंगा। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं सरकार से बातचीत करूंगा और इसे दूर करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसी स्थिति न हो।

श्री लालू प्रसाद (छपरा): इसके लिए कोई प्रोविजन करना चाहिए।

श्री शरद पवार: सभी देशों में रिकवरी होती है। हम लोगों को कैसे जेल में भेज सकते हैं। देश में किसानों की क्या इज्जत रहेगी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): यह बिहार के लिए बहुत शर्म की बात है।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: हो सकता है। किन्तु, मैं इसकी छानबीन करूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है। कृपया बैठ जाए। माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि वे स्वयं इसकी छानबीन करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: यह बहुत ही शर्मनाक है, और सरकार को राज्य सरकारों से ऐसे कानूनों को खारिज करने के लिए कहना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे बहुत ही निष्पक्ष हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि वे व्यक्तिगत रूप से इसे देखेंगे। उन्होंने इसके लिए चिन्ता दर्शाई है और हम भी उसमें भागीदारी हैं, इस सभा के सभी लोग इससे चिंतित हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आपस में बातें न करें। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं; यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: हमें कई क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कृषि क्षेत्रों को पहले से ज्यादा प्राथमिकता दी है। कई क्षेत्रों में ज्यादा प्रोविजन किये गये हैं। यह कहा गया है कि हम रिसर्च को नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। ऐसा श्री सुमन जी ने कहा है। शायद उन्हें पूरी तरह से सूचना नहीं है। हमने 50 करोड़ रुपयों का अलग से रिसर्च के लिए प्रोविजन किया है। टोटल एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रोविजन किया गया है और यह तीसरे साल से बहुत ज्यादा है। इन 50 करोड़ रुपयों का नया प्रोविजन हमने इसलिए किया है क्योंकि डॉ. स्वामीनाथन कमेटी इसके लिए नियुक्त की गई थी। उन्होंने इसके लिए अनुशंसा दी थी। इस देश में कई कृषि कालेजिज और यूनीवर्सिटीज हैं। बहुत से नौजवान शोध कार्य में लगे हुए हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग से फंड की आवश्यकता है और इसके लिए 50 करोड़ रुपयों का प्रोविजन किया गया है। यह एक शुरुआत है। इसके लिए और ज्यादा पैसा देने की आवश्यकता है। अगले साल से इसके लिए और ज्यादा पैसा रखा जाएगा। मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। कृषि रिसर्च को हम नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में आज 80 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): इसके बारे में स्टैंडिंग कमेटी की क्या अनुशंसा हैं?

श्री शरद पवार: इस देश की तरक्की में किसानों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे पंजाब के मान्यवर सदस्यों ने बीटी काटन को इस्तेमाल करने की इजाजत देने का सुझाव दिया है। कुछ समय पहले पंजाब के सदस्यों का एक डेलीगेशन मुझसे

[श्री शरद पवार]

मिलने के लिए आया था और उन्होंने मिल कर इस बारे में सिफारिश की थी। ट्रांजिनक क्राप के लिए बीटी कॉटन के इस्तेमाल के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है, आदनी के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, जानवर के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ सकता है और इसका सात-आठ साल ट्रायल लेकर इसको इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि बी.टी. कॉटन से दुनिया के कई देशों में प्रोडक्शन बढ़ा है, उत्पादन में बहुत सुधार हुआ है। अपने देश में भी बी.टी. कॉटन की खेती के लिए कई राज्यों में इजाजत दी गई है। पंजाब में इसकी खेती करने की इजाजत नहीं दी गई। इसलिए नहीं दी गई क्योंकि पंजाब के पास ही पाकिस्तान के पंजाब का जो हिस्सा लगता है, वहां बी.टी. कॉटन पर एक प्रकार की डिजीज लग गई और यदि हम पंजाब में इसकी खेती की अनुमति दें, तो कहीं वहां से यह बीमारी पंजाब में भी न फैल जाए और यदि फैल जाएगी, तो उससे पंजाब की खेती का बहुत नुकसान होगा। इसलिए इस पर बहुत गम्भीरता से जांच कर के इजाजत देने की बात थी, दूसरी कोई बात नहीं थी। मगर मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सभी एक्सपर्ट्स से सलाह की है और इस साल यह समस्या हल हो जाएगी। पंजाब के किसानों को एक नया बीज उपलब्ध कराने के लिए, हम कदम उठाएंगे और आपकी यह समस्या इस साल खत्म हो जाएगी।

श्री खारबेल स्वाईं: कुछ जगह हिन्दुस्तान में भी बी.टी. कॉटन का विरोध क्यों हो रहा है, इस बारे में भी कुछ देखिए?

श्री शरद पवार: मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से बी.टी. कॉटन की दो वैरायटी के बारे में रिपोर्ट आई हैं कि उनसे वहां नुकसान हो रहा है। उनकी हम जांच कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। चार-पांच नई वैरायटी भी रिलीज की गई हैं। उनके भी रिजल्ट्स देखने हैं। मुझे लगता है कि इस रास्ते से हमें जाना होगा। जब हम पर हैक्टेयर यील्ड बढ़ाने की बात करते हैं, तब इस तरह का बीज, जो थोड़ा महंगा भी हो सकता है, वह लेना होगा, क्योंकि इससे पर-हैक्टेयर यील्ड बढ़ाने में मदद होती है। इसलिए इस बारे में मदद करनी पड़ेगी। यह बात भी सही है कि दुनिया में कई जगह इसका विरोध हो रहा है। मगर मैंने देखा है कि चीन जैसे देश में 90 प्रतिशत खेती बी.टी. कॉटन के माध्यम से हो रही है। ब्राजील जैसे देश, मैक्सीको जैसे देश और अमरीका जैसे देश हैं, जहां उन्होंने अपना 80-90 प्रतिशत एरिया ट्रांजनिक क्रॉप कर लिया है और कुछ देशों ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है और उन्हें कामयाबी भी मिली है। मगर यूरोप में इसका विरोध बड़े पैमाने पर हो रहा है। हमें देखना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी की समस्या भारत में है। पर-हैक्टेयर यील्ड बढ़ाने की सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में है। इसे ध्यान में रखकर हमारा फर्ज है कि हम इस बारे में मदद करें और हमने वैसा किया भी है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात कही, मैंने को-आपरेटिव सैक्टर की बात कही। हमारे देश की 60 प्रतिशत खेती प्रकृति पर निर्भर है, मॉनसून पर निर्भर है। इस पर भी ध्यान दिया गया है और इस पर ज्यादा ध्यान देने के लिए दो-तीन प्रोग्रामों पर विशेष जो दिया गया है। जैसा मैंने कहा इर्रीगेशन के लिए इस साल ज्यादा प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ ड्राईलैंड फार्मिंग एवं माइक्रो इर्रीगेशन के लिए भी पहले के मुकाबले सबसे ज्यादा धन का प्रावधान किया गया है। श्रीमती पुरन्देश्वरी देवी जी ने कहा कि केवल 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, वह बहुत कम है। यह बात सच है कि वह बहुत कम है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि माइक्रो इर्रीगेशन के लिए लास्ट ईयर 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। हमने इस वर्ष उसे 90 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया है। माइक्रो इर्रीगेशन के लिए प्लानिंग कमीशन और फायनेंस मिनिस्टर साहब ने मुझे विश्वास दिलाया है कि इस मद में जितना पैसा हम खर्च करेंगे, उतना ज्यादा पैसा देने के लिए वे तैयार हैं। इसलिए 400 करोड़ के प्रावधान पर आप नाराज मत होइए। इसके लिए भारत सरकार 1000 या 1200 करोड़ रुपये भी राज्यों को उपलब्ध कराने को तैयार है और हर तरह से मदद करने को तैयार है। श्री चन्द्र बाबू नायडू के नेतृत्व वाली कमेटी की रिकमेंडेशंस को हमने स्वीकार कर लिया है और उन पर अमल करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, उतनी धनराशि भारत सरकार देने को तैयार है। इस ओर राज्य सरकारों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पानी कम है। इसलिए पानी का इस्तेमाल ठीक प्रकार से करने के लिए इस देश में माइक्रो सिस्टम इंट्रोड्यूज करने की आवश्यकता है। इसलिए उसे मदद करने के लिए हमने यह काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, पंजाब के हमारे साथियों ने कहा है कि कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में फसलों में सुधार या परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि फसलों में सुधार अथवा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। देश में चावल की जितनी खपत है, उतनी पूरी की पूरी देश में होती है, मगर कई राज्यों में जो लो क्वालिटी पैडी लेने की परिस्थिति नहीं हुई है। उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। यह देखा गया है कि देश के जिन हिस्सों में पैडी होती है, धान की फसल होती है, उनमें भी धान की केवल एक फसल जहां होती है, वहां गरीबी है। वहां का किसान ठीक नहीं है, उसकी परिस्थिति ठीक नहीं है, वह गरीब है। ऐसी स्थितियों को बहुत सोच-समझ कर, हमें बदलना पड़ेगा। ऐसे सभी क्षेत्रों के किसानों को ज्यादा मदद करने के लिए हॉर्टीकल्चर मिशन की शुरुआत इस साल की है और मुझे खुशी

है कि इस हेतु बहुत बड़े पैमाने पर धनराशि का प्रबंध किया गया है।

यहां जो एनवायरमेंट ठीक करने के लिए सुझाव आया, सॉयल इरोजन बचाने के लिए, पौधा लगाने वाले को सब्सिडी देने की सूचना श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने दी थी। हार्टीकल्चर मिशन में इस सुविधा हेतु 50 प्रतिशत तक अमाउंट देने की तैयारी की गई है। मगर इसका लाभ कैसे मिलेगा? मान लीजिए किसी किसान ने वहां सौ पौधे लगाएं तो उसे दो साल बाद कम से कम 90 प्रतिशत वे जिन्दा हैं, यह देखना पड़ेगा, फिर उसे मदद मिलेगी। इसमें हार्टीकल्चर मिशन को बहुत बड़े पैमाने पर ताकत देने का काम किया है, इसमें बहुत बड़ा प्रोविजन किया गया है। इसमें जो रकम लगेगी, उसे देने की तैयारी राज्य सरकार ने की है। मुझे विश्वास है कि इससे चेहरा बदल सकता है।

महोदय, हमारा देश ऐसा है, जहां हर राज्य में कुछ न कुछ फल हर महीने पैदा होता है। आप यूरोप में देखिये, वहां किसी चीज की पैदावार नहीं होती है, मगर यहां एक भी राज्य ऐसा नहीं है। हरेक राज्य हर महीने में कुछ न कुछ पैदावार करता है। अगर हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे तो यह ऐसा सैक्टर है जो दुनिया में भारत का नाम मजबूत करने और यहां के किसानों को वहां से पैसा लाने के लिए मदद कर सकता है, इसलिए इस पर हमने ज्यादा ध्यान दिया है। हमने जब आत्महत्या की बात पर स्टडी की, तो हमारे सामने एक बात आई कि कई राज्यों में किसानों ने परिस्थिति गंभीर होने के बावजूद, सूखा होने के बावजूद आत्महत्याएं नहीं कीं। इसे देखने के बाद यह बात सामने आई कि जिन किसानों को खेती के साथ-साथ दूसरी कोई सप्लीमेंट्री इनकम है, वहां वह उस रास्ते पर गया। वह सप्लीमेंट्री इनकम डेरी, फिशरी और एक्वाकल्चर द्वारा हो सकती है। इसलिए इस बजट पर हम लोगों ने डेरी पर ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन इसमें कामयाबी के लिए देखना होगा, कि आज हिन्दुस्तान सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन दुनिया में करता है, मगर पर-परसन लेक्टेशन सबसे कम है। हमें जानवरों में, उसकी नस्ल में सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट करने की एक बहुत बड़ी स्कीम इसमें ली गई है और देश के कई राज्यों में, खास कर जिन राज्यों में बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, वहां इसमें ज्यादा ध्यान देने का काम करने की तैयारी हम लोगों ने की है। साथ-साथ फिशरीज सैक्टर में, जैसे नेशनल डेरी डेवलपमेंट आथोरिटी है, जो कई साल पहले स्थापित की है तथा ऑपरेशन फ्लड की स्कीम पर जिसने अमल किया, उससे देश में श्वेत क्रांति हुई। उसी लाईन पर फिशरीज सैक्टर में एक नया संगठन तैयार करके, बड़ा प्रोविजन करके डेरी सैक्टर में ज्यादा मदद करने की तैयारी इस सरकार ने की है। इसकी तैयारी इस साल में हो जाएगी, क्योंकि यह एक ऐसा सैक्टर है जहां महिलाओं को ज्यादा काम करने का मौका मिलता है और समाज के गरीब लोगों को इसका फायदा हो सकता है। इस पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया। हम कितनी भी पैदावार करें, लेकिन जब तक मार्केटिंग का प्रबंध ठीक से नहीं होता, तब तक किसानों को कोई लाभ नहीं होता। इसलिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट में परिवर्तन करने की बात भी इस सरकार ने की है। सभी राज्यों के मार्केटिंग मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस हमने बुलाई थी और मुझे खुशी है कि सभी राज्यों ने एपीएमसी एक्ट में सुधार करने के लिए हमें सहमति दी है। हम क्या-क्या सुधार करना चाहते हैं—हम सबसे पहले यह सुधार करना चाहते हैं कि आज के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट के मुताबिक जो मंडी एपीएमसी ने बनाई, किसानों द्वारा तैयार की गई उपज को उस मंडी में ही उन्हें ले जाना पड़ेगा। इस देश में ऐसा कोई उत्पादक नहीं है, जिसे अपना माल एक ही जगह पर बेचने का अधिकार हो। अगर किसी ने ऑयल ईंजन बनाया तो वह देश में कहीं भी बेच सकता है, कपड़ा बनाया तो उसे कहीं भी बेच सकता है। किसानों के ऊपर भी यह निर्भर करता है। इसलिए हमने इसमें सुधार करने की तैयारी की है। किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में एक से ज्यादा मंडी निकालने की तैयारी किसी ने भी रखी तो उसे इजाजत रहेगी और जहां किसानों को ज्यादा कीमत मिलेगी, उस मंडी में जाकर उसे अपना प्रोडक्ट बेचने का अधिकार रहेगा, यह दुरुस्ती इसमें की गई है और 16 राज्यों में दुरुस्ती करने की तैयारी हमने की है। इसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु ...*(व्यवधान)* इन राज्यों में है। बिहार में नहीं है, क्योंकि बिहार में मंडी ही नहीं है। इसलिए वहां हमें मंडी बनने का काम करना है। गांवों में जो मंडी होती है, उस मंडी के लिए पैसा दिया जाना है, वह हम देना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। जब तक वे अपनी बात समाप्त नहीं कर देते हैं, आप नहीं बोल सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री विनोद खन्ना (गुरदासपुर): महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप बाद में स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: बिहार में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट के माध्यम से यहां से जो राशि देते हैं, वह सबसे कम बिहार

[श्री शरद पवार]

में दी गई है। इसमें दुरुस्ती करने की आवश्यकता है और इसलिए बिहार में मार्केट यार्ड डवलप करने की एक स्पेशल स्कीम हम लेना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में आज ठीक तरह से किसानों को कीमत देने का प्रबंध नहीं है। इस तरह का मार्केट वहां नहीं है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसमें जरूर मदद हो जायेगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विनोद खन्ना: महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको स्पष्टीकरण मांगने के लिए अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अभी नहीं। जब तक वे अपनी बात पूरी नहीं कर लेते, आप नहीं बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: इसमें एक और बात है। आपको याद होगा कि इस देश में कमोडिटी मार्केट बहुत सफल हो गया। इसमें ऑयलसीड एक्सचेंज है, कॉटन एक्सचेंज है, फूडग्रेन एक्सचेंज है। कई जगह पर मार्केट हो गये और कई नये संगठन इस देश में बनाये गये हैं, जैसे फारवर्ड मार्केट कमीशन, जिसको हिन्दी में वायदा बाजार बोलते हैं यह बहुत पुरानी परम्परा इस देश में थी। वायदा बाजार में सिस्टम क्या होता है कि समझो, मैंने आज मूंगफली की पैदावार की और मुझे मेरे माल के समझो कि आज 500 रुपये क्विंटल मिलते हैं, वायदा बाजार में लिखा जाता है कि इसकी कीमत दिसम्बर में क्या होगी, जनवरी में क्या होगी, फरवरी में क्या होगी। समझो, आज मुझे 500 रुपये कीमत मिलती है और दिसम्बर में 500 की जगह 700 रुपये होगी तो हम किसानों को यह अधिकार दिलाना चाहते हैं कि किसान भी अपना माल दिसम्बर में बेच सकता है। इसके लिए कानून में हम सुधार करना चाहते हैं। निगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में बदल करके गोडाउन में हम माल रखेंगे और आज वायदा बाजार का फायदा व्यापारी लेता है, वह प्रोड्यूसर को देने के लिए यह दुरुस्ती करने की तैयारी हम लोगों ने की है। इसकी शुरुआत इस साल से की है। इसीलिए निगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में बदल करके वह माल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और बाकी कारपोरेशन के पास रखना होगा। माल रखने के बाद 80 या 90 परसेंट उसे कीमत देंगे। उसे 90 परसेंट कीमत देने के बाद जब दिसम्बर का वायदा होगा, तब दिसम्बर में माल उसको देना पड़ेगा। इससे ज्यादा राशि मिलेगी। इसमें से वेयरहाउसेज चार्जेज काटकर बाकी पैसे किसानों को देंगे। आज सिर्फ होर्डर्स और बिचौलियों को इसका फायदा मिलता है, यह फायदा किसानों को देने के लिए यह दुरुस्ती करने और इसकी शुरुआत इसी जून से हम कुछ राज्यों में करना चाहते हैं। जब हम इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो हमने शुरू में 5 या 6 स्टेट्स का सलैक्शन किया है, जिन स्टेट्स में मार्केट का बेस अच्छा है। वहां हर मार्केट में कम्प्यूटर और इण्टरनेट पर टोटल इन्फोर्मेशन हर दिन की मार्केट की हर उपज की प्राइस क्या है, वह और अगले महने की कीमत क्या रहेगी, उसकी इन्फोर्मेशन उनकी मंडी में मिलेगी। किसान अपना माल मंडी में लेकर जायेगा तो उनको देश के सभी मार्केट्स की आज की कीमत की स्थिति और कल की स्थिति की मालूमात हो जायेगी। यह एक अच्छा सुधार हम इसमें करना चाहते हैं, इसकी तैयारी की गई है। इसमें कई क्षेत्र हैं, जिनमें बहुत कुछ बदल करने की आवश्यकता है। सीड एक्ट में बदल करनी है, इसके लिए मामला स्टेंडिंग कमेटी के पास गया था, वहां से सुझाव यहां आ गये हैं। इसमें भी सरकार जल्दी से जल्दी कदम उठाएगी। कई क्षेत्रों में हमें बदलाव करना पड़ेगा।

हम ट्रेडीशनल एग्रीकल्चर से बाहर निकलकर जो-जो खेती के क्षेत्र में नये रास्ते दुनिया के सामने आये हैं, उनको हम गांवों तक कैसे ले जा सकते हैं, किसानों तक कैसे ले जा सकते हैं और सारी टेक्नोलोजी और नये सिस्टम का लाभ किसानों को कैसे हो सकता है, इस पर हम ध्यान देंगे। इसी रास्ते परजाने की तैयारी इस सरकार की रहेगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इन सभी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा महत्व दिया है और इस पर अमल करना हम लोगों का फर्ज है। मैं सदन को और सदन के माध्यम से हिन्दुस्तान के किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिछले कई सालों में क्या हुआ, हम उसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। जो-जो कमियां रह गई हैं, उन्हें दुरुस्त करने की इस सरकार की तैयारी रहेगी। इसकी शुरुआत इस साल हो जाएगी। इसलिए इस बजट में पिछले सालों से ज्यादा प्रावधान आज की सरकार ने किया है। सदन में इसको स्वीकार किया जाना चाहिए और जो मांगें हमने रखी हैं, उन पर सदन को सम्मति देनी चाहिए। यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री विनोद खन्ना: अध्यक्ष महोदय, मैं केवल माननीय मंत्री जी को उससे अवगत करवाना चाहता हूं जो हाल ही में पंजाब में घटित हुआ है। उन्होंने इतने सारे सुधार किये हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया है और उन्होंने जो कहा है वह भी प्रशंसनीय है।

महोदय, मैं अभी हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र से आया हूं। वहां पर फल और सब्जियों का बाजार है और ये सब अब

गैर-सरकारी हैं। ये निजी हाथों में चले गए हैं। जैसा कि चुंगी के मामले में होता है, वैसा ही उन्होंने फल व सब्जियों के बाजारों के मामले में भी किया। उन्होंने सभी बाजारों का निजीकरण कर दिया है। इस प्रकार, इन बाजारों को खरीदने वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो अन्दर आता है, उससे जो फीस वे चाहते हैं, ले लेते हैं। वे वस्तुओं की कीमत अपनी इच्छा से लगाते हैं। एक सेब यदि दो रुपये का है तो उसके दस रुपये की कीमत लगा देते हैं। उस वैल्यु पर टैक्स लेते हैं। जब इस तरह की चीजें हो रही हैं तो इनका भी कुछ हल आपको निकालना चाहिए। मेरे विचार से इन फल व सब्जियों के बाजारों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। ये लोग केवल धन ही नहीं उगाह रहे हैं वे लोगों को डरा भी रहे हैं और उनसे पैसा भी लूट रहे हैं। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम आपको मार्केट में नहीं घुसने देंगे। इसलिए, इस प्रकार की घटनाएं भी हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी कृपया इसे नोट कर लीजिए। आप बाद में उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: उस मार्किट एक्ट के मुताबिक मार्किट रहेगी। इससे किसानों को जो सुविधा और संरक्षण दिया गया है, वह जारी रहेगा और साथ ही साथ दूसरी मार्किट्स को भी हम कम्पीटिशन के लिए इजाजत देना चाहते हैं। जिस मार्किट में किसानों की लूट हो जाएगी, उसमें दोबारा वह किसान नहीं जाएगा। हम यह दोनों सिस्टम करना चाहते हैं, जिससे किसानों को फायदा हो सके।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी बरसात हुई और कोंकण एरिया में आम, कोकम और काजू की फसल बर्बाद हो गयी। मंत्री जी महाराष्ट्र से हैं तो क्या महाराष्ट्र में जो हानि हुई है, किसानों की जो हानि हुई है, क्या हमारी सरकार उनको कम्पन्शेशन देगी?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि किसान आज आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्या आप किसानों को जो ऋण देते हैं वह ऋण देने के बाद भी किसान सही तरीके से फसल बो पाता है? बरसात होने के कारण या बरसात न होने के कारण उसकी फसल ठीक तरह से नहीं हो पाती है और इस वजह से ऋण वापिस नहीं कर पाता है तो उसे डिफाल्टर घोषित कर दिया जाता है। इससे किसानों में आत्महत्याएं की घनटाएं बढ़ रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इस संबंध में वित्त मंत्रालय से बात करके इस ऋण को एक साल तक माफ करें ताकि इससे किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य न हों। इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: जिसका नाम मिला है सिर्फ उसे ही प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

इस बारे में आश्वस्त रहें। मैं सभी 544 माननीय सदस्यों को स्पष्टीकरण के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता हूं। कृपया कभी-कभी मुझे इसे विनियमित करने दीजिए। इस पीठ को थोड़ी सी स्वतंत्रता दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): मैंने चर्चा के दौरान निवेदन किया था कि बिहार में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती हुआ करती थी परंतु दुर्भाग्य यह हुआ कि धीरे-धीरे गन्ने की खेती खत्म होती गई। जिसके कारण वहां के कल-कारखाने जो चीनी उत्पादन करते थे वे बंद पड़े हुए हैं। वे मृतप्राय: हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय: भाषण मत कीजिए। आप सिर्फ प्रश्न पूछिए।

श्री राम कृपाल यादव: गन्ना किसानों को मदद करने के लिए और वहां के कल-कारखानों को चलाने के लिए क्या माननीय मंत्री जी वित्त सहायता दे कर उनकी सहायता करने पर विचार करेंगे?

दूसरी बात मैंने कही थी कि बिहार में सौ क्रय केन्द्र हैं लेकिन वह सिर्फ रिकार्ड में हैं। सिर्फ दो-चार क्रय केन्द्र ही वहां पर हैं। इससे किसानों को काफी असुविधा हो रही है। यह सुनिश्चित किया जाए कि पूरे सौ क्रय केन्द्र खोलें और यदि जरूरत पड़े तो और अधिक क्रय केन्द्र खोलने की व्यवस्था करेंगे ताकि किसानों को और ज्यादा मदद मिल सके।

अपराह्न 5.00 बजे

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरनमनायडु: अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने अच्छा उत्तर दिया है विशेषकर आंध्र प्रदेश में आत्महत्या कर रहे किसानों तथा उनके कारणों के संबंध में।

परन्तु दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बीज अधिनियम में संशोधन कई वर्षों से लंबित हैं। इसे किसी वित्तीय मंजूरी की

संघ ने कृषि को समवर्ती सूची में शामिल करने अथवा न करने के बारे में सरकार को एक प्रस्ताव दिया है ...*(व्यवधान)* इसका कारण है कि कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज, हम विश्व व्यापार संगठन का भाग हैं। यह हमारी खाद्य राजसहायता, कृषि उत्पाद राजसहायता तथा कतिपय अन्य बातों की चिंता करता है।

अध्यक्ष महोदय: आपने कहा था कि आप बहुत संक्षेप में बोलेंगे। वह भाषण का विकल्प नहीं है। कृपया केवल कुछ स्पष्टीकरण मांगिए। मैं पहले ही आपको पर्याप्त समय दे चुका हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय मंत्री जी को बुला लूंगा। यदि आप अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग नहीं करेंगे तो मैं उन्हें बुला लूंगा। श्रीमती सी.एस. सुजाता, एक मिनट रुकिए। मैं सभी पक्षों को अवसर देने का प्रयास कर रहा हूं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): केरल सरकार द्वारा धान खरीद पाने में विफल रहने के कारण केरल में अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है। क्या सरकार केरल के किसानों से धान खरीदने पर विचार करेगी?

[हिन्दी]

श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर): अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी ने अभी जो जवाब दिया है, उसमें किसानों के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था की बात कही है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मैं कृषि मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि किसानों को जो कृषि ऋण दिया जाता है, उसकी ब्याज दर 13 से 14 परसेंट ली जाती है जबकि कमर्शियल रेट पर आठ से नौ परसेंट पर ब्याज लिया जाता है। किसानों को मजबूरी में 13 से 14 परसेंट ब्याज देना पड़ता है। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के कृषि ऋण का ब्याज कमर्शियल दर की भांति कम करके लिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत बढ़िया। मैं आपके प्रथम हस्तक्षेप की सराहना करता हूं। श्री रामदास आठवले।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप मुझ पर दबाव डालेंगे तो मैं माननीय मंत्री महोदय को बुलाऊंगा। उन्हें एक अवसर दीजिए। मैंने उन्हें वापस भेज दिया है। श्री आठवले, मुझे संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में चीनी उद्योग कई सालों से चल रहा है। आज स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में बहुत सी शुगर फैक्टरीज बंद होती जा रही हैं। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चीनी उद्योग को एनसीडीसी के माध्यम से आर्थिक मदद देने की जरूरत है। क्या सरकार चीनी उद्योग को आर्थिक मदद देगी?

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा: मैं दो मुद्दे उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: संक्षेप में।

श्री प्रबोध पाण्डा: सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या कृषि मंत्रालय भूमि सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राज्यों की निगरानी करने में रुचि रखता है। अधिकतर राज्यों में अब तक यह कार्यक्रम नहीं चलाया गया है।

दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि कृषि मंत्री कृषि तथा हमारे देश के किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कृषि आयोग के गठन पर विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: अंत में, श्री खारबेल स्वाईं उन्होंने पहले मुझसे सहयोग किया था। यही कारण है कि उन्हें अवसर दिया जा रहा है। यही वह प्रमाण-पत्र है, यही वह पुरस्कार है, जो उन्हें मिल रहा है।

श्री खारबेल स्वाईं: मेरा प्रश्न यह है: क्या सहकारी समितियों के माध्यम से दिये जा रहे कृषि ऋण पर ब्याज दर घटना संभव हो जाएगा?

दूसरे, क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भारतीय कपास निगम, किसानों द्वारा लाए गए किसी भी प्रकार के कपास को अस्वीकृत न करे?

अध्यक्ष महोदय: हां, माननीय मंत्री जी,

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया और सदस्य नहीं। कृपया सहयोग कीजिए। मैंने पूरा-पूरा अवसर दिया है। समय मूल्यवान है। यदि हमारे पास और समय होता तो हम और सदस्यों को अनुमति दे चुके होते। कृपया अब और महोदय मत पुकारिये।

श्री शरद पवार: माननीय सदस्य, श्री येरननायडु ने कतिपय मुद्दे उठाए। यह बीज विधेयक से संबद्ध है। बीज विधेयक अब स्थायी समिति के पास है। हम स्थायी समिति की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री राम कृपाल यादव को अनुमति दी है।

श्री शरद पवार: जलचर पालन विधेयक के बारे में, आज के कार्यक्रम के अनुसार मुझे लगता है कि इस विधेयक को संभवत: मैं अगले सप्ताह इस सभा में अथवा अन्य सभा में प्रस्तुत कर दूंगा। यह पूरी तरह तैयार है। यह कार्यसूची में है।

[हिन्दी]

जहां तक राम कृपाल जी ने कहा कि बिहार में सब प्रोक्योरमेंट सेंटर खुले हैं लेकिन वहां प्रोक्योरमेंट चालू नहीं है। जहां तक मेरे पास जो इंफार्मेशन है, उसके अनुसार कुछ जगहों में चालू हैं और जहां चालू नहीं हैं, वहां इस पर हम ध्यान देंगे और चालू करने का प्रबंध करेंगे। जहां आपको लगता है कि इस एरिया में और कोई सेंटर खोलने की आवश्यकता है, उसका यदि आप नाम लेंगे तो वहां भी हम इन्तजाम करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: जहां तक शुगर फैक्टरी की बात है, वहां शुगर मिल प्राइवेट सैक्टर की है। इनकी जिम्मेदारी लेना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन बिहार सरकार की जो शुगर मिल हैं, उनके रीहैबिलिटेशन के लिए उन्होंने प्रपोजल दे दिया है तो इसके शुगर डैवलपमेंट फंड में हम मदद कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: सभी शुगर मिल ओनर्स को भी शुगर डैवलपमेंट फंड में मदद करने का अधिकार है। ऐसे प्रस्ताव आएंगे तो इस पर हम ध्यान देंगे। जहां तक बसुदेव आचार्य जी ने जो पोटैटो एक्सपोर्ट के बारे में कहा, यह बात सच है कि मेरे दफ्तर में मीटिंग हुई थी और एक्सपोर्ट के लिए वहां डिमांड है और प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है और हमने दो सुझाव रखे हैं तथा कल ही शयाद इस पर हम फाइनल निर्णय कर लेंगे-एक तो 'ए.पी.ई.डी.ए.' (एपिडा) के माध्यम से आज जो सब्सिडी है, उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं और साथ-साथ मार्केट इंटर्वेशन स्कीम का फायदा लेकर वहां के सरप्लस प्रोडक्शन को खरीदने का कोई इंतजाम 'नैफेड' या दूसरी आर्गेनाइजेशन के माध्यम से किसानों को राहत देने की कोशिश करेंगे।

जहां तक प्रभुनाथ सिंह जी ने जो जैविक और रासायनिक खाद के बारे में कहा, दुनिया में सभी खेती की स्टडी करने के बाद भारत में प्रति हेक्टेयर रसायन उर्वरक का उपयोग न्यूनतम है। मगर यह बात सच है कि उन्होंने जैविक खाद की सूचना दी, उसके लिए एक अलग स्कीम क्रिएट की गई है और जैविक खाद को एनकरेज करने के लिए सरकार की तैयारी होगी और इसे हम मदद करने के लिए तैयार हैं।

जहां तक रामजीलाल सुमन जी ने जो कहा,

[अनुवाद]

किसानों की सहायता के लिए चाहे बाढ़ हो या सूखा, सभी मानदंड बहुत पुराने नहीं हैं। मैं समझता हूं, उन्हें करीब पांच या सात साल पूर्व ही पुनरीक्षित किया गया है। लेकिन हमने उस पर कुछ प्रस्ताव तैयार किये हैं और इसे हम राष्ट्रीय विकास परिषद में रखने जा रहे हैं तब हम मुख्यमंत्रियों की बैठक में पूर्ण विचार किया जाएगा और अंतिम निर्गम लिया जाएगा।

केरल में धान की खरीद के बारे में, उस विशेष विषय को मेरे ध्यान में लाया गया और मैंने केरल सरकार को पत्र भेजा है कि उन्हें खरीद शुरू कर देनी चाहिए। राज्य सरकार जितना भी धान खरीदेगी उसे भारतीय खाद्य निगम केरल सरकार से खरीद लेगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री शरद पवार: भारतीय खाद्य निगम द्वारा वित्तीय जिम्मेदारी वहन की जाएगी। कोई समस्या नहीं है। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। श्री सुरेश कुरूप, इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप मंत्री को बाध्य नहीं कर सकते।

*...(व्यवधान)**

श्री शरद पवार: यदि केरल सरकार धान की खरीद नहीं कर रही है, तो मैं भारतीय खाद्य निगम के एक दल को वहां भेजूंगा। भारतीय खाद्य निगम की टीम वहां जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन श्री सुरेश कुरूप के किसी भी व्यवधान को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उत्तर जारी रहेगा प्रश्न नहीं।

श्री शरद पवार: श्री खारबेल स्वाईं और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कृषि ऋण के लिए ब्याज दर का मुद्दा उठाया है। आप देखिए, वाणिज्यिक बैंक और अन्य बैंकों ने ब्याज दर को 9 प्रतिशत तक बनाए रखने के लिए सरकार के सुझाव को स्वीकार कर लिया है। हमने इस पर सहकारी बैंकों से बात की है। उनकी समस्या यह है कि उन्होंने उच्च ब्याज दर पर जमा कराया है। इसलिए, वे उस सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सहकारी बैंकों ने सामूहिक रूप से मुझे सूचित किया है कि उनके जमा पूंजी के मैच्योर होने में और दो-तीन वर्ष लगेंगे। तब वे ब्याज दर घटाने के लिए तैयार होंगे। इसलिए, इसमें दो-तीन वर्ष और लगेंगे। लेकिन वाणिज्यिक बैंक 9 प्रतिशत के ब्याज दर की जिम्मेदारी वहन करने को तैयार हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं, माननीय सदस्यों को विस्तृत उत्तर और माननीय मंत्री के उपयुक्त व्यवहार की अपेक्षा है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।

मैं कृषि मंत्रालय संबंधी अनुदान मांगों को मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तंभ-2 में कृषि मंत्रालय संबंधित मांग संख्या 1 से 3 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष को संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ-4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को ही जाएं।"

लोक सभा द्वारा स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2005-06 के बजट (सामान्य) के लिए कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

संख्या और मांग का शीर्षक		दिनांक 17 मार्च, 2005 को सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि		लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांगों की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कृषि मंत्रालय					
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	957,53,00,000	72,16,00,000	3374,37,00,000	10,64,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	315,33,00,000	-	1626,67,00,000	-
3.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	150,91,00,000	3,37,00,000	759,56,00,000	16,85,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.16 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पश्चिम रेलवे के वडोदरा डिवीजन में साबरमती एक्सप्रैस और मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री लालू प्रसाद

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी ने गलत बयानी की है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने श्री लालू प्रसाद को वक्तव्य देने के लिए बुलाया है। इसके अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं ऐसा कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कृपया रेल मंत्री को बोलने दें। वह रेल दुर्घटना के बारे में बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अध्यक्ष महोदय *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

[हिन्दी]

प्लीज, आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: रेल मंत्री रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य देने के लिए वचनबद्ध हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वह इसे स्वयं देख सकते हैं। उन्हें आपकी सहायता की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: उनकी स्टेटमेंट को सुनिए।

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मुझे सम्मानित सदन को यह सूचना देते हुए गहरा शोक हो रहा है कि दिनांक 21.4.2005 को प्रात: लगभग 3 बजकर 10 मिनट पर पश्चिम रेलवे के, वडोदरा मंडल के गोधरा-वडोदरा सैक्शन पर 9168 अप साबरमती एक्सप्रेस ने समालया स्टेशन के अप लूप लाइन पर पहले से खड़ी मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना के फलस्वरूप यात्री गाड़ी का इंजन एवं 8 डिब्बे पटरी से उतर गए जिसमें से 7 डिब्बे उलट गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही वडोदरा, रतलाम एवं अहमदाबाद से चिकित्सा पदाधिकारियों के दल को लेकर दुर्घटना रिलीफ मैडिकल वैन घटनास्थल के लिए रवाना हो गयी। पदाधिकारियों के दल के साथ दुर्घटना रिलीफ ट्रेन भी वडोदरा, रतलाम, कंकरिया एवं उधना से घटनास्थल के लिए रवाना हो गयी। घायल यात्रियों को सायाजी राव अस्पताल वडोदरा और अन्य नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मैंने स्वयं रेल राज्य मंत्री श्री नारण भाई जे. राठवा, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ दुर्घटनास्थल का दौरा किय एवं सायाजी राव अस्पताल में कुछ घायल यात्रियों एवं उनके परिजनों से मुलाकात की।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस दुर्घटना में अब तक यात्री गाड़ी के चालक एवं सह चालक सहित 16 लोग मारे गये हैं और 137 लोग घायल हुए हैं जिनमें से गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों की संख्या 35 है और 102 व्यक्ति साधारण रूप से घायल हुए हैं।

महोदय, मैंने मृतकों के आश्रितों एवं घायल यात्रियों को अनुग्रह राशि के रूप में प्रत्येक मृतक के परिजनों को एक लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 15,000 रुपये और साधारण रूप से घायलों को 5,000 रुपये दिये जाने की घोषणा की है। उपरोक्त राशि के अतिरिक्त रेल दावा प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित मृतकों के आश्रितों को 4 लाख रुपये एवं घायलों को भी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि का मुआवजा दिया जाएगा। मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों एवं इस दुर्घटना से अपंग हुए व्यक्तियों को रेलवे में रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। मैंने निदेश दिया है कि घायलों का मुफ्त इलाज रेलवे की तरफ से कराया जाएगा एवं इलाज के पश्चात् उन्हें अपने परिजनों के पास रेल के खर्च पर पहुंचाया जाएगा। मामूली रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद एवं अन्य यात्रियों को विशेष गाड़ी द्वारा दुर्घटना स्थल से उनके गंतव्य स्थान पर भेज दिया गया है।

महोदय, दुर्घटना का कारण प्रथम दृष्टया रेल कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही एवं कर्त्तव्य के प्रति गैर-जिम्मेदारी प्रतीत होती है। प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गये रेल कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। पश्चिम क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है और घटना के कारणों की जांच का कार्य प्रारंभ कर दिया है।

महोदय, मुझे खेदपूर्वक सूचित करना है कि जब मैं सायाजी अस्पताल, वडोदरा में घायल यात्रियों से मिलने जा रहा था तो बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्त्ताओं ने मेरे खिलाफ नारेबाजी की, *.....* और गाड़ी में लगे विंड स्क्रीन को तोड़ दिया और मुझे शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने मुझ पर पानी से भरी बोतलें एवं बर्फ के टुकड़े भी फेंके।

अध्यक्ष रेलवे, बोर्ड एवम् बोर्ड के अन्य पदाधिकारियों पर भी पथराव हुआ। ...*(व्यवधान)*.....* मुझ पर हमला हुआ। ...*(व्यवधान)* वहां पर प्रदेश सरकार द्वारा लापरवाही हुई ...*(व्यवधान)* पुलिस चूड़ियां पहनकर बैठी रही ...*(व्यवधान)* इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि मेरे अतिरिक्त निजी सचिव ने कुछ व्यक्तियों को पेट्रोल से भरी जरी केन एवम् माचिस लेकर मेरी गाड़ी को आग लगाने के उद्देश्य से गाड़ी की ओर बढ़ते हुए देखा, एक मंत्री था, बजरंग दल और आरएसएस के लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया ...*(व्यवधान)* परंतु वे अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो सके। अस्पताल परिसर में गुजरात सरकार के एक पूर्व मंत्री, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवम् विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं को *....* ...*(व्यवधान)* उनके इस असभ्य व्यवहार एवम् अराजकता की स्थिति के कारण मैं अस्पताल में भर्ती कुछ घायल यात्रियों से नहीं मिल सका। इस परिस्थिति में मैंने अस्पताल से प्रस्थान करने का निर्णय लिया। गुजरात सरकार के कुछ मंत्रियों की उपस्थिति में बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवम् विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दुर्घटना-स्थल पर भी निरीक्षण के दौरान बाधा पहुंचाई। ...*(व्यवधान)* जिला प्रशासन ने यथोचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं की एवम् वे पूरे घटनाक्रम के दौरान मूक दर्शक बने रहे। वहां पर पूरी तरह से अराजक स्थिति बनी हुई थी। पश्चिम रेलवे ने इस घटना के बारे में राओपुरा पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज की है।

मैं भारतीय रेल की ओर से एवम् अपनी ओर से दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के परिजनों एवम् घायल यात्रियों के प्रगति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ...*(व्यवधान)* * .... * बजरंग दल ने * ..... * ...*(व्यवधान)* मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मारे गए लोगों के प्रति हमारी पूर्ण सहानुभूति है। ...*(व्यवधान)* मुझे विश्वास है कि पूरा सदन शोकाकुल परिवारों के प्रति शोक प्रकट करने में मेरे साथ होगा। मैं सदन को एक बार पुन: आश्वस्त करना चाहता हूं कि दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी एवं जांच के बाद दोषी पाए गए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेल संरक्षा एवं सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है एवं भविष्य में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास किये जायेंगे। ...*(व्यवधान)* *....*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका): गुजरात सरकार के ऊपर असत्य आरोप लगाए गए हैं ...*(व्यवधान)* गुजरात सरकार को बदनाम किया जा रहा है, इससे वहां के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने अपना वक्तव्य दे दिया। अब हम बजट पर चर्चा करते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: रेल मंत्री जी के खिलाफ चार्ज फ्रेम होने के बाद इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ...*(व्यवधान)* इनका इस्तीफा देना कांस्टीट्यूशनली एवम् लीगली जरूरी है ...*(व्यवधान)*

..... अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

..... अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। वह अध्याय समाप्त हो गया। यह बजट चर्चा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठिए। मैं अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू कराना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप व्यवधान को डाल रहे हैं। आप इस सभा के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप शर्मनाक व्यवहार कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा अब ग्रामीण विकास मंत्रालय संबंधी मांग संख्या 79-81 पर चर्चा और मतदान करेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मेरा आप सब से अनुरोध है कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ कर सकें। क्या आप लोग यह नहीं चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको सीखना है। आपको सीखना होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अपने स्थान पर क्यों नहीं जा रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग क्या बात कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आप सब लज्जाजनक आचरण कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: दोनों तरफ के माननीय सदस्यगण लज्जाजनक आचरण कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं दोनों तरफ के माननीय सदस्यगण से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री सुशील कुमार मोदी, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, लालूजी इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं? *...(व्यवधान)* इनके ऊपर चार्जिस फ्रेम हो गए हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने मेरी अनुमति से वक्तव्य दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह लज्जाजनक आचरण है। आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 5.24 बजे

सामान्य बजट, 2005-2006

अनुदानों की मांगें

ग्रामीण विकास मंत्रालय

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सदन में मद सं. 16 पर चर्चा होगी- ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 79 से 81 पर चर्चा और मतदान।

सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों की अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालति किये गये हैं यदि वे अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की इच्छा रखते हैं तो उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाते हुए उन्हें 15 मिनट के भीतर अपनी पर्ची सभा पटल पर भेजें। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत माना जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इनका क्या नाम है?

[अनुवाद]

उनका क्या नाम है। कृपया मुझे कोई अप्रिय कार्रवाई करने को बाध्य न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी को लालू जी से इस्तीफा मांगना चाहिए। *...(व्यवधान)* हम सदन से वाक आउट कर रहे हैं।

अपराह्न 5.25 बजे

(इस समय प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मत समझिए कि मैं कोरी धमकी दे रहा हूं। मैं कोरी धमकी नहीं दे रहा हूं। मेरे विचार से सदस्यगण को सबक सीखना चाहिए। देश हमें चेतावनी देता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: दो दिन पूर्व, इन्दौर में एक स्वतंत्रता सेनानी ने मुझे बताया कि जब वह टेलीविजन पर ऐसा आचरण देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हमें शर्म नहीं आती? वरिष्ठ सदस्य ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। इस देश में वित्तीय, बजटीय प्रावधानों पर चर्चा करने में भी आपकी रुचि नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, आप सीमा पार कर रहे हैं। आपने हद पार कर दी है। क्या आप सोचते हैं कि मैं तमाशा कर रहा हूं। जब तक मैं यहां हूं मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप उचित आचरण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसके तुरंत बाद प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाने वाली एक सूची सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को इस सूची में कोई विसंगति लगती है तो वह कृपया इसकी सूचना तत्काल सभा पटल अधिकारी को दे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 1 में मांग संख्या 79 से 81 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, राष्ट्रपति को दी जायें।"

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की वर्ष 2005-2006 के बजट (सामान्य) के अनुदानों की मांगों के लिए कार्य सूची

संख्या और मांग का शीर्षक	दिनांक 17 मार्च 2005 को सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि		लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
ग्रामीण विकास मंत्रालय				
79 ग्रामीण विकास विभाग	8743,16,00,000	2,40,00,000	13415,42,00,000	2,39,00,000
80 भूमि संसाधन विभाग	233,23,00,000	–	1166,21,00,000	–
81 पेयजलापूर्ति विभाग	1900,23,00,000	–	2851,19,00,000	–

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील (इरनडोल): महोदय, मैं बोलना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या यह आपका स्थान है? अब अपने स्थान पर जाइए। आप अपने स्थान पर जाइए और बोलिए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 5.28 बजे

(इस समय श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री निखिलानन्द सर (बर्दवान): अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए मुझे ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध करायी गयी अल्प राशि पर असंतोष व्यक्त करने में जरा भी हिचक नहीं हो रही है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांति बनाए रखें। सदन में व्यवस्था कायम रहनी चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री निखिलानन्द सर: हमें पहले यह समझना चाहिए कि इस मंत्रालय के बुनियादी काम क्या हैं। इसके मुख्य काम को संक्षेप में बताया जा सकता है। इस मंत्रालय का मुख्य कार्य है ग्रामीण इलाकों में गरीबी कम करना और वहां के जीवन स्तर में सुधार करना। इस द्विस्तरीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस मंत्रालय में कापार्ट, एनआईआरडी और एनआरआरडीए जैसे स्वैच्छिक कार्रवाई के विकास हेतु स्वायत्त निकायों के अलावा तीन विभाग हैं।

कुल बजट प्रावधान मात्र 18,353.87 करोड़ रु. है। दसवीं योजना के दौरान प्रस्तावित परिव्यय 1,29,464.27 करोड़ रु. की तुलना में अनुमत्त परिव्यय 56,000 करोड़ रु. से अधिक है जिससे पता चलता है कि योजना आयोग को जो प्रस्ताव किया गया था उसके आधे से भी कम आवंटन किया गया है। दसवीं योजना के शेष दो वर्षों के लिए, मात्र 15,283.48 करोड़ रु. की राशि रखी गयी है। मेरे असंतोष का यही कारण है।

संसद के दोनों सदनों में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भारत निर्माण के संबंध में आह्वान का अनुकरण करते हुए हमारे माननीय वित्त मंत्री ने इस सदन में बजट रखा है। अपने बजट भाषण में उन्होंने कई बड़ी योजनाओं का जिक्र किया जो 2009 तक जारी रहेंगी। पहला है सभी बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना। यह पहली प्रतिबद्धता है। दूसरे, वह गरीब लोगों के लिए साठ लाख अतिरिक्त आवासों का निर्माण करना चाहते हैं। तीसरे, उन्होंने भूमि के बड़े हिस्से की सिंचाई के लिए एक लाख जलाशयों की पुन: खुदाई कराने की बात कही। क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं। क्या इतने अल्प आवंटन से इस लक्ष्य की प्राप्ति संभव है? मैं सरकार के वायदों को पूरा करने के लिए अधिक आवंटन किये जाने की मांग करता हूं।

हम जानते हैं कि भारत गांवों में बसता है। हर तीन में से दो भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। यह सर्वविदित है कि लगभग 75 प्रतिशत ग्रामीण लोग एक तरीके या दूसरे से भूमि से जुड़े हुए हैं—वे या तो किसान हैं, बटाईदार अथवा कृषि मजदूर हैं। अधिकांश राज्यों में कोई भूमि सुधार नहीं हुआ है। काफी अधिक भूमि थोड़े से लोगों के हाथों में है। गरीब किसनों को उनके उत्पाद का लाभप्रद मूल्य नहीं मिलता है। दिनोंदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। गांव निजी साहूकारों के लिए स्वर्ग बन गए हैं। यह ग्रामीण भारत, गरीब ग्रामीणों की स्थिति है। अत: गरीब ग्रामीण शहरों की ओर पलायन करने अथवा आत्महत्या करने के लिए विवश हैं। अब यही हालात सारे भारत में विद्यमान हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमें ग्रामीण विकास के बारे में सोचना होगा। केवल पेयजल, सफाई कार्यक्रम या ग्रामीण सड़क सम्पर्क, गरीब ग्रामीण लोगों की किस्मत को नहीं बदल सकते हैं। यदि इससे समस्या सुलझ जाती तो किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। यह स्थिति केवल पिछड़े राज्यों की ही नहीं अपितु केरल, कर्नाटक और पंजाब जैसे अग्रणी राज्यों की भी है।

अपराह्न 5.34 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए)

निस्संदेह सड़क बनाना एक अच्छा कार्यक्रम है। किंतु केवल पक्की सड़क बनाने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सबसे पहले आपको गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। उसमें उपयुक्त सुधार होना चाहिए। क्या ग्रामीण लोग खाली पेट पक्की सड़कों का मजा ले सकते हैं? मुख्य प्रश्न यह है। ग्रामीण विकास का अर्थ है—आर्थिक क्षेत्र में लोगों का विकास और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

यदि गरीब लोगों, गरीब ग्रामीणों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ती है तो उत्पादित औद्योगिक सामान का क्या होगा? उन्हें कौन खरीदेगा?

केवल निर्यात करने से भारत का काम नहीं चलने वाला है। इस स्थिति से सारे देश के विकास में बाधा आएगी। इसलिए हमें कुछ राज्यों और विशेषकर पश्चिम बंगाल से सबक सीखना होगा जहां गरीबों के बीच लाखों एकड़ जमीन बांटी गई, उन्हें सस्ता ऋण प्रदान किया गया और लघु सिंचाई कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया। इसी कारण से पश्चिम बंगाल एक घाटे वाले राज्य से फालतू खाद्यान्न उत्पादन करने वाला देश बन गया। यह सही विकास है। 1977 में जब वामदल सत्ता में आया तो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 68 प्रतिशत थी किंतु इस समय यह केवल 25 प्रतिशत है। इन विकास कार्यक्रमों के कारण पश्चिम बंगाल में काफी परिवर्तन हुआ है।

कई लोग यह सोचते हैं कि पश्चिम बंगाल में वामदल सालों साल सत्ता में क्यों रहा? इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण लोगों की प्रतिनिधित्व संस्था, पंचायत—गतिशील पंचायत और जीवंत पंचायत की सहायता से सरकारी कार्यक्रम संभव हो पाए हैं। पश्चिम बंगाल में 4.5 करोड़ ग्रामीण लोग अब प्रतिवर्ष 17,000 करोड़ रुपये का औद्योगिक माल खरीदते हैं। इसे कम से कम किया जाना चाहिए। सारे देश को इससे सबक लेना चाहिए। विपक्षी सदस्य इसे स्वीकार नहीं करेंगे। किंतु मैं केन्द्र में मुख्य सत्तारूढ़ दल जिसका भारत में 12 से अधिक राज्यों में शासन है, से आग्रह करता हूं कि वे इससे सबक लें और इस प्रकार से काम करें ताकि वे भविष्य में उन राज्यों की सरकार को उखाड़ फेंक सकें। जिन पर विपक्ष दलों का कब्जा है। अत: इस संदर्भ में ग्रामीण विकास को लिया जाना चाहिए।

अब, उन राज्यों में क्या हो रहा है? कुछ महीने पहले राजस्थान में क्या हुआ? लोग अपनी खड़ी फसलों के लिए नहर का पानी चाहते थे और पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई। वहां यह घटना घटी। एक वर्ष के भीतर मध्य प्रदेश में 22 बार किसानों पर गोलियां चलाई गईं। यहां तक कि गरीबों में भी गरीब अर्थात् आदिवासी लोगों, जिनकी संख्या भारत में मात्र 80 लाख है, को भी अनेक प्रकार से वंचित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आदिवासी लोग तेंदू पत्ता एकत्र करते थे किंतु उनसे यह अधिकार छीन लिया गया और अब मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने इसके लिए ठेकेदार नियुक्त किये हैं। आदिवासी लोगों को लघु वन उत्पाद एकत्र करने का कोई अधिकार नहीं है। अब यह स्थिति हो गई है। आदिवासी लोग जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी या तो वन में अथवा उससे बाहर रहते थे अब उन्हें इस प्रकार से वन भूमि से बेदखल किये जाने की धमकी दी गई है।

कुछ अन्य मामलों में, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे सुरक्षित पेयजल के बारे में सोचें। यह जीवित रहने के लिए आवश्यक है। हरेक को यह स्वीकार करना चाहिए। किंतु मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास इस बात की कोई सही तस्वीर नहीं है कि कितने निवासियों के पास जल का कोई स्रोत नहीं है।

इसके कोई सही आंकड़े नहीं हैं और इन आंकड़ों को देखने के बाद यह कहा जा रहा है कि प्रत्येक गांव में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जानी है। विभाग के पास इस बात की सही तस्वीर नहीं है कि कितने निवासियों के पास पेयजल का कोई स्रोत नहीं है। इसके बारे में कोई सही तस्वीर उपलब्ध नहीं है।

दूसरे, भूजल स्तर नीचे जा रहा है। यदि हम जल निकायों की पुन: खुदाई नहीं कर सकते हैं; और अधिक भूजल का

पुनर्भरण करना शुरू नहीं करते हैं; सरकार के अन्य विभागों के सहयोग से बड़े पैमाने पर और अधिक वर्षा जल संचयन आदि नहीं करते हैं तो निकट भविष्य में हम भारी कठिनाई में होंगे। सरकार को स्वयं आरंभिक स्तर पर इस क्षेत्र में कदम उठाने चाहिएं। 30-40 वर्ष पहले बनाए गए बांधों, बैराजों में से लगभग आधे बांधों, बैराजों में गाद भर गई है। कोई नया निवेश करने और नया बांध बनाने की जरूरत नहीं है। जिन पुराने बांधों और बैराजों में गाद भर गई है वहां पर बड़े पैमाने पर गाद निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि हम काफी मात्रा में जल संरक्षण कर सकें। इससे हमें और अधिक सिंचाई संभाव्यता प्राप्त होगी। इसके साथ-साथ बाढ़ के दौरान यह बाढ़ सुरक्षा के रूप में काम करेगा।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री निखिलानन्द सर: एक तरीके से भारत मानसून पर निर्भर रहता है। विभाग की मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) नामक एक योजना है जिसमें मरुस्थलों को हरियाली क्षेत्र में परिवर्तित किया जा रहा है और इसके लिए भरसक प्रयत्न भी किया जा रहा है। विशेषज्ञों का यह मत है कि यदि मरुस्थलों को हरा-भरा बनाना है तो मरुस्थल अवश्य हरे भरे हो सकते हैं। उनका कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है किंतु सारा देश एक मरुस्थल में बदल जाएगा। अत: इस मामले में विशेषज्ञों की राय पर विचार किया जाना चाहिए और विभाग को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री निखिलानन्द सर: जी, महोदय। कभी वर्षा होने कभी न होने जैसी घटना तो पहले ही शुरू हो चुकी है और कभी मानसून आता है और कभी नहीं। लेकिन सूखे या बाढ़ की स्थिति देश के किसी न किसी भाग में हर वर्ष आ रही है। अत: यदि डीडीपी का इस तरीके से अनुसरण किया गया तो, इस योजना को शुरू करना एक आत्मघाती नीति होगा। इस योजना को बदलकर इसका नाम डेजट रेस्ट्रिक्शन प्रोग्राम (डीआरपी) रख दिया जाना चाहिए ताकि रेगिस्तान और न बढ़े। हमें इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूं कि डीडीपी एक आत्मघाती नीति है।

इस विभाग में 10 प्रतिशत आवंटन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किया जाता है और 10 प्रतिशत पनधारा विकास कार्यक्रम के लिए अलग से रखा जाता है। क्या यह मजाक है? देश में सबसे अधिक वर्षा पूर्वोत्तर क्षेत्र में होती है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है परन्तु फिर भी इसके लिए 10 प्रतिशत आवंटन किया जाता है। ऐसी सख्त नीति को बदला जाना चाहिए। संबद्ध राज्य सरकारों को उनके क्षेत्रों में विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उनके विकास का कार्यभार सौंपा जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। मेरे विचार से इससे हमारे देश की सम्पूर्ण जलवायु में सुधार होगा।

तीसरी बात यह है कि मैं नियोजन गारंटी विधेयक के बारे में जानना चाहता हूं। यह एक गरीब परिवार के बेरोजगार सदस्य को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करता है। इस विधेयक का क्या हुआ? मैं तो बस यही समझा हूं कि यह किसी स्थायी समिति के पास है। यह सभा में कब लाया जाएगा? मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस मामले में पहल करेंगे। अन्यथा यह सभा में चार साल बाद आएगा जब चुनाव सिर पर होंगे। ऐसी बात संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल में नहीं होनी चाहिए। यह कहा गया है कि प्रतिदिन 15 लाख मकानों की दर से 60 लाख अतिरिक्त आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा जोकि लगभग असंभव है।

पंचायती राज के संबंध में हम इससे अधिक अपेक्षा नहीं कर सकते। इसकी हाल ही में शुरुआत हुई है तथा इसका अभी एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है। इस विभाग में मंत्री तथा सचिव सहित केवल 25 लोग हैं और इसलिए हम इससे अधिक अपेक्षा नहीं कर सकते। इस विभाग का मुख्य कार्य लोगों को प्रशिक्षित करना तथा ग्राम विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इतने अधिक नहीं होते। अब तक केवल दस प्रतिशत लोग ही प्रशिक्षित हो सके हैं। अत: मैं न केवल इस विभाग से अपितु पूरी सरकार से अनुरोध करता हूं कि आगे आकर उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास करें।

इन शब्दों के साथ सभापति महोदय मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

कटौती प्रस्ताव

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि ग्रामीण विकास विभाग (पृष्ठ 79) शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाए।

पहले से स्वीकृत केबीके धनराशि से कालाहांडी के कालनपुर खण्ड में हाटी नदी पर प्रमुख सेतु का न बनाया जाना। (13)

उड़ीसा राज्य में काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रमों का न चलाया जाना। (14)

ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी की समस्या के हल के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत गांवों में पुन: वनरोपण न किया जाना। (15)

उड़ीसा के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित न किया जाना। (16)

विशेष रूप से उड़ीसा राज्य सहित देश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वित न किया जाना। (17)

पनधारा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा न करने तथा लक्ष्यों को हासिल न करना। (18)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में स्वायत्तता को प्रबल न किया जाना। (19)

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 79) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में 100 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कवर करने में असफलता। (20)

उत्तरांचल में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने में असफलता। (21)

कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 79) में 100 रुपए कम किये जाएं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उत्तरांचल के सुल्ट विकास खंड में थाला मनराल से भिटा-कोट खाल तक सड़क के निर्माण के लिए स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता। (22)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उत्तरांचल के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चम्पावत जिलों में सड़कों का शीघ्र निर्माण सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता। (23)

उत्तराचंल के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में विशेष छूट दिए जाने की आवश्यकता। (24)

उत्तरांचल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए घटिया स्तर की सामग्री के प्रयोग के दोषी पाए गए कर्मचारियों को सजा देने के लिए जांच शुरू किये जाने की आवश्यकता। (25)

उत्तरांचल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में 100 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले क्षेत्र को शामिल किए जाने की आवश्यकता। (26)

उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वास्तविक लागत के आधार पर सड़कों का निर्माण सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता। (27)

उत्तरांचल में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत घरों के निर्माण के लिए राशि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (28)

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत संतुलित विकास के लिए पंचायत को जनसंख्या के अनुपात में धनराशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता। (29)

कि भूमि संसाधन विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 80) में 100 रुपए कम किए जाएं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण जल संवर्धन योजना के अंतर्गत और अधिक धनराशि पुन: आवंटित किये जाने की आवश्यकता। (30)

उत्तरांचल के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चम्पावत जिलों में जैव-ईंधन प्रायोगिक परियोजना को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता। (31)

राष्ट्रीय जलागम विकास बोर्ड योजना के अंतर्गत उत्तरांचल के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चम्पावत जिलों को पर्याप्त धनराशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता। (32)

एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना के अंतर्गत उत्तरांचल के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चम्पावत जिलों को लाए जाने की आवश्यकता। (33)

कि पेयजल आपूर्ति विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 81) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में रांची-बिल्लेख और कुनीलाखेत के लिए लिफ्ट पेयजल योजना को मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता। (34)

उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में बुदगल-कठपुरिया क्षेत्र के लिए पेयजल योजना को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता। (35)

उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के लोड और मनसारिआला और सोमेश्वर क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता के लिए योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता। (36)

उत्तरांचल के बागेश्वर जिले के गरूड़ क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता के लिए एक व्यापक योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता। (37)

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

उत्तराचंल के बागेश्वर जिले में तहसील कांडला और तहसील बागेश्वर के लिए व्यापक पेयजल योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता। (38)

उत्तरांचल के बागेश्वर जिले में कापकेट तहसील में पेयजल की उपलब्धता के लिए एक व्यापक योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता। (39)

उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में बारकिंडा-मनीला के लिए लिफ्ट पेयजल योजना को शीघ्र स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता। (40)

उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में रिंची-थपला पेयजल योजना को तत्काल अनुमोदन दिए जाने की आवश्यकता। (41)

उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में दान्या-धौलादेवी लिफ्ट पेयजल योजना को तत्काल अनुमोदन दिये जाने की आवश्यकता। (42)

उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में भाउनरवाल-काठ की नाव पेयजल योजना को अनुमति दिये जाने की आवश्यकता। (43)

उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में गगस-चमराखान लिफ्ट पेयजल योजना को अनुमोदन प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (44)

उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में जलना-लमगाड़ा फाटक लिफ्ट पेयजल योजना को अनुमोदन प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (45)

उत्तरांचल के पिथौरागढ़ जिले में गंगोलीहाट के लिए लिफ्ट पेयजल योजना के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (46)

उत्तरांचल के पिथौरागढ़ जिले के लिए प्रस्तावित सभी पेयजल योजनाओं को अनुमोदन प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (47)

उत्तरांचल के पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों में वर्षा जल कृषि के लिए व्यापक योजना को अनुमोदन प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (48)

उत्तरांचल के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक आबादी क्षेत्र के लिए एक हैंडपम्प की मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता। (49)

उत्तरांचल के निम्न जल क्षेत्रों में पेयजल मुहैया कराने के लिए विशेष योजना बनाए जाने की आवश्यकता। (50)

उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में गगस-चिलियानौला लिफ्ट पेयजल योजना को अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (51)

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): महोदय मैं ग्रामीण विकास तथा ग्रामीम क्षेत्रों में लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा।

कोई भी सही आदमी खुद को इस दुनिया में जीने के अनुकूल बनाता है जबकि जो आदमी खुद सही नहीं है वह दुनिया से यह अपेक्षा करता है कि वह उसकी जीवनशैली के अनुकूल बने। इसीलिए हम हमेशा यह देखते हैं कि जो आदमी सही नहीं है उसके विचारों का महत्व है और अधिकतर बातें ऐसे व्यक्तियों की नीतियों और विचारों पर ही आधारित होती है। इसी तरह ग्रामीण विकास से संबंधित अपनी मांगों को पेश करते हुए मैं भी वैसा ही आदमी बनना चाहता हूं जो सही नहीं होता है। साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि माननीय मंत्री डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और अनुदान के संबंध में वैसा ही आदमी बने जो सही नहीं होता है। ग्रामीण विकास के लिए हमें और अनुदानों की मांगों तथा अधिक निधियों की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि पूरी दुनिया में अधिकांश जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है-लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है-परन्तु भारत के संबंध में एक अलग बात है। यहां 65 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कई लोगों को यह गलतफहमी है कि विकास का अर्थ शहरीकरण है, विकास का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का पलायन है। जी हां, सर्वोत्तम अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन करने के प्रयास में हमें विकसित देशों का अनुसरण करना चाहिए, परन्तु साथ ही, हमें यह भी समझना चाहिए कि विकसित देशों में क्या गलत हुआ है। एक बात तो निश्चित है कि यदि हम ग्रामीण लोगों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करें तो हम स्थानांतरण रोक सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलें। जीवनयापन का बेहतर माहौल मिले तथा करने को बेहतर कमाई मिले। इसीलिए मैं माननीय मंत्री तथा हमारी सरकार से यह चाहता हूं कि वे ग्रामीण विकास पर अधिक ध्यान दें।

यदि आप पिछली सरकार के शासनकाल के अंतिम वर्ष में किए गए बजट आवंटनों को देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि ग्रामीण विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे जबकि इस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार, जो निर्धन समर्थक, शोषित वर्ग समर्थक है, ने ग्रामीण विकास के लिए 24,500 करोड़ से अधिक रुपये आवंटित किये हैं जोकि पिछली सरकार द्वारा किये गये आवंटन की तुलना में 150 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि से भी अधिक है। फिर भी हमें यह याद रखना

होगा कि यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं और जरूरतों को देखें तो हम पायेंगे कि यह पर्याप्त नहीं है। इसीलिए, एक कहावत है-''जैसी दृष्टि, वैसी सृष्टि'', जिसका अर्थ है, ''जैसी हमारी सोच होगी, वैसा ही परिणाम होगा।'' हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम कैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जीवन दशा में सुधार कर सकते हैं।

सर्वप्रथम, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सबसे अनिवार्य वस्तु है। हमने अपने बजट में पेयजल और सफाई के लिए 4,700 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं जिसमें से 3,600 करोड़ रुपये सिर्फ पेयजल के लिए हैं।

आंध्र प्रदेश में मैंने कई गांव देखे हैं। मैंने वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ पैदल 11 जिलों का दौरा किया है और इस तरह 1,500 कि.मी. से अधिक क्षेत्र का दौरा किया। यह चुनाव से पहले की बात है। चुनाव के बाद, मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक हजार किलोमीटर से अधिक दूरी की पदयात्रा की। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में सभी गांवों सहित प्रत्येक कोने का दौरा किया। यदि आप वहां की स्थिति विशेषकर पेयजल की स्थिति को देखें तो आपको आश्चर्य होगा। मेरा जिला बारहमासी नदी कृष्णा के निकट स्थित है। वहां भी एक मटका पानी 5 रुपये में बिक रहा है। महिलाओं को पीने के पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है।

मेरे अनुमान के अनुसार मेरे निर्वाचन क्षेत्र विजयवाड़ा में हमें प्रत्येक परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। यदि आप पूरे देश के लिए यही मानदंड अपनायेंगे तो मैं समझता हूं हमें पांच वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ है, इस वर्ष हमें 20,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और आबंटित बजट में पेयजल के लिए यह राशि केवल 3,600 करोड़ रुपये है। देखा जाए तो यह पिछली सरकार की तुलना में इस बार काफी अधिक राशि है। हां, इसमें हमने 150 प्रतिशत अधिक की वृद्धि की है। फिर भी, इससे पहले कि हम देशभर की सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या हेतु सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता की समस्या को वास्तव में सुलझा सकें, इसमें 20 से 30 वर्षों का समय लग सकता है।

सफाई की ओर देखें तो आवंटित राशि 630 करोड़ रुपये है। फिर भी, इतने अधिक परिवारों, एक करोड़ से अधिक परिवारों के लिए स्वतंत्र सफाई की आवश्यकता है। इसलिए, हमें सफाई के लिए बजट में अधिक धनराशि आवंटित करनी होगी।

दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज आवास है। बजट में, हमने आवंटन बढ़ाया है। हम 15 लाख घरों का निर्माण करना चाहते थे। हमने आवास के लिए 2,450 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। अकेले आंध्र प्रदेश ने पांच वर्षों में 40 लाख मकान आवंटित किये हैं। इसका अर्थ है, आंध्र प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष आठ लाख आवासों का निर्माण कर रही है। भारत सरकार की अखिल भारतीय स्तर पर चार वर्षों में 60 लाख मकानों के निर्माण की योजनाएं हैं। मैं सोचता हूं कि अधिक संख्या में आवासों के निर्माण की आवश्यकता है।

इसी के साथ यदि आप सड़कों को देखें तो हमारे पास प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना है। पिछले वर्ष प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए एक भी रुपया जारी नहीं किया गया। मुझे ठीक तरह से इसका कारण नहीं मालूम। इस वर्ष हमने ग्रामीण सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 3,810 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि आवंटित की है। इसका अर्थ है, प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को लगभग 6 करोड़ रुपये से 7 करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं। लेकिन न केवल लिंक रोड बनाये जाने की आवश्यकता है वरन् हमें यह भी देखना होगा कि हम आंतरिक सड़कों और आंतरिक गलियों की स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। मेरे अनुमान के अनुसार प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपये से कम धनराशि की आवश्यकता नहीं है यदि हमें ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को वाकई सुधारना है। यह एक बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हमें इस पर विचार करना होगा कि हम इन मांगों को कैसे पूरा कर सकते हैं। हमें एल.आई.सी. अथवा जी.आई.सी. अथवा बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा संसाधन तलाशने के उपाय ढूंढ़ने होंगे। हमें ऋण लेना चाहिए और ग्रामीण किास के लिए उस राशि को आवंटित करना चाहिए।

इससे पहले, 200 से अधिक संसद सदस्यों ने आवास के संबंध में मंत्री जी से आग्रह किया। राज्यों में, विधायक ही लाभार्थी तलाशते हैं और उनकी पहचान करते हैं तथा सरकार को उनकी सिफारिश भी करते हैं। जब इंदिरा आवास योजना की बात आती है, जहां हम 15 लाख आवासों के संबंध में बात कर रहे हैं, तब जिलाधीश उत्तरदायित्व ग्रहण करता है तथा लाभार्थियों की पहचान करने की कोशिश करता है और मकान आवंटित करता है। लेकिन यहां हमें यह याद रखना होगा कि संसद सदस्य दिन-रात सदैव इस बात से बेअसर कि रोशनी है या अंधेरा लोगों के बीच लोगों के साथ मौजूद हों। वे सदैव लोगों के साथ सदैव घुलने-मिलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे उनकी समस्याओं को समझ सकें। आज, संसद सदस्य लोगों की मूल आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और वाकई जरूरतमंद लोगों की पहचान करने में समर्थ हैं। हम माननीय मंत्री जी से पहले ही यह आग्रह कर चुके हैं कि संसद सदस्यों को इंदिरा आवास योजना के मकान

[श्री एल. राजगोपाल]

मानदंडों के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने और सिफारिश करने के लिए प्रदान किये जाने चाहिएं। हम किसी मानदंड के उल्लंघन के लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन संसद सदस्यों को मानदंडों के अन्तर्गत लाभार्थियों का पता लगाने, उनकी सरकार को सिफारिश करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए।

इसके साथ, स्वरोजगार सबसे महत्वपूर्ण चीज है। रोजगार चाहने वाले बेरोजगार युवक-युवतियों की संख्या हजारों लाखों में है। स्वरोजगार योजनाओं के लिए सिर्फ 862 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस आवंटन में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि 862 करोड़ रुपये का अर्थ है प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 1.5 करोड़ रुपए। यदि हम प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये देंगे तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल 300 युवक-युवतियों को लाभ प्राप्त होगा जिसका अर्थ होगा कि योजना से हर एक गांव का एक भी व्यक्ति लाभान्वित नहीं होगा। इसलिए, ग्रामीण युवा वर्ग के लिए स्वरोजगार हेतु इस आबंटन में कम से कम दस गुना अर्थात् 8000 करोड़ रुपये की वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है।

इसके पश्चात् जल निकायों के पुनः स्थापन की बात आती है। हमारे पास एक मिलियन से अधिक जल निकाय हैं जिनके पुनःस्थापन की आवश्यकता है। जल निकायों का पुनःस्थापन न केवल रोजगार प्रदान करता है वरन् लाखों एकड़ भूमि को पानी उपलब्ध कराता है जिससे कई मिलियन हैक्टेयर भूमि पर कृषि होती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम जल निकायों के पुनःस्थापन का वित्तपोषण किस प्रकार कर सकते हैं। बजट पर्याप्त धनराशि प्रदान नहीं करता। हमें संसाधनों का पता लगाने के लिए अर्थोपाय ढूंढ़ने होंगे।

हम भारत निर्माण-ग्रामीण कनैक्टिविटी के संबंध में बातचीत कर रहे हैं। 66,000 से अधिक स्थानों को रोड द्वारा जोड़ा जायेगा; 1,25,000 से अधिक गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है; ढाई करोड़ से अधिक परिवारों को विद्युत कनैक्शन प्रदान किये जाने हैं। हमने एक करोड़ से अधिक हैक्टेयर वाली भूमि को खेती योग्य बनाये जाने के संबंध में बात की जिससे एक करोड़ ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार मिल सके। हमने भारत निर्माण के संबंध में बातचीत की जिसके लिए बड़ी धनराशि और परिव्यय की आवश्यकता है। मैं पूरे हृदय से यह विश्वास और अनुभव करता हूं कि किये गये आवंटन पर्याप्त नहीं हैं।

[अनुवाद]

हालांकि पिछली सरकार की तुलना में हमने 150 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि की है लेकिन अब भी इसे कई गुणा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। हमें ग्रामीण विकास के लिए आबंटित धनराशि को भी अत्यधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने सत्तर के दशक के अंत में या सत्तर के दशक के प्रारम्भ में ग्रामीण निर्धनों, पददलित लोगों और भूमिहीनों को बड़ी जमीनें दी थीं। संसाधनों या धनराशि के अभाव में ये जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं। आजीविका चलाने के लिए कुछ क्षेत्रों में उन्हें यह भूमि बेचनी पड़ी है। हमें रास्ता निकालने की जरूरत है क्योंकि यहां भूमि संसाधनों के लिए केवल 1100 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है तथा हमें यह भी देखना होगा कि आवंटन कैसे बढ़ाया जा सकता है।

इस भूमि को फिर से कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। हमें एक अखिल भारतीय नीति बनानी होगी कि इस भूमि को पुनः कैसे कृषि योग्य बनाया जाए तथा निर्धन एवं पदलित लोग वास्तव में खेती कर सकें और उत्पादन कर सकें तथा जीविका का साधन कमा सकें क्योंकि हम इंदिराम्मा पलामा की बातें कर रहे हैं और जो कुछ इंदिरा जी ने अपने स्वर्णिम काल में किया था उसको वापिस लाने का प्रयास कर रहे हैं और उन दिनों को भी वापिस लाने का प्रयास कर रहे हैं जो दिन उनकी सरकार के रहते चल रहे थे। यदि हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं तो समाज के सभी वर्गों में सामाजिक समानता लाए जाने की आवश्यकता है। यही कारण है कि हमें यह देखने की आवश्यकता है कि समान विकास के लिए हम अधिक धनराशि का आवंटन कैसे करें।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हजारों एकड़ वन्य भूमि खाली पड़ी हुई है। यह भूमि हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को क्यों नहीं आवंटित कर सके ताकि वे वृक्षारोपण कर सकें, पर्यावरणीय संतुलन बनाये रख सकें तथा देश में पर्यावरणीय दशाएं सुधार सकें? ग्रामीण विकास करने के लिए हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्रीजी पददलित लोगों की समस्याओं के लिए तथा पिछड़े क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए लड़ रहे हैं और अधिक संसाधनों के लिए लड़ेंगे तथा इस लड़ाई में किसी भी हद तक जाएंगे और सरकार से और अधिक धनराशि की मांग करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पहल करने के लिए सरकार का स्वागत करता हूं तथा ग्रामीण जनता के लिए कुछ और अधिक करने का भी अनुरोध करता हूं।

सायं 6.00 बजे

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा हो रही है और छः बज रहे हैं। अगर सदन की

सहमति हो तो आठ बजे तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए। साढ़े सात बजे तक डिसकशन हो और उसके बाद सरकार का जवाब होगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, सदन का समय बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2005-06 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा में बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. चिन्ता मोहन (तिरुपति): यह महत्वपूर्ण विषय है। इसका उत्तर कल दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कल दूसरे विषय पर चर्चा होनी है।

[अनुवाद]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय बोला जाता है, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय एक ऐसा विभाग है, जहां ग्रामीण रूरल एरिया में डेवलपमेंट विकास की पूरी परियोजनाएं निहित हैं। *...(व्यवधान)* मेरा सौभाग्य है कि मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य हूं। मुझे इस मंत्रालय के सलाहकार समिति में सदस्य होने का मौका मिला है। समय-समय पर माननीय मंत्री जी का सानिध्य, उनके सुझाव और उनके विचार बहुत कारगर होते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इंदिरा आवास योजना की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। हम जनप्रतिनिधि जब भी जनता के बीच में जाते हैं तो बहुत से ऐसे लाभार्थी बीपीएल कार्डधारक हमारे बीच में आते हैं, जो फूस की झोंपड़ी बना कर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। खुले आकाश में पेड़ों के नीचे रहते हैं और जब उनका परिवार बढ़ता है तो उन्हें सिर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। चयन में भी बहुत गड़बड़यां हैं और खास कर वास्तविक लाभार्थी को उसका फायदा नहीं मिल पाता है। ऐसा भी है कि एक ही परिवार के कई सदस्यों को आवास आवंटित हो जाते हैं, मगर उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती, क्वालिटी का भी बहुत फर्क पड़ता है। आपने इस धनराशि को बढ़ाया है, मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में कम से कम एक ऐसा कमरा बने, जहां एक ही परिवार के कम से कम छः-सात सदस्य होते हैं, उनके लिए कम से कम बैठने और सोने की व्यवस्था हो सके।

महोदय, मैं राष्ट्रीय बायो गैस कार्यक्रम की तरफ भी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वर्ष 2003-04 में, जो उत्तर प्रदेश सरकार को द्वितीय किश्त जानी थी, वह अभी तक नहीं गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से द्वितीय किश्त लाने के लिए अनुरोध किया है, जिसमें 1.55 करोड़ रुपये देने की बात है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि राष्ट्रीय बायो गैस कार्यक्रम, वर्ष 2003-04 की जो द्वितीय किश्त उत्तर प्रदेश सरकार को जानी है, उसे तत्काल भेजें ताकि वहां इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय सम विकास योजना भारत सरकार की ही योजना है। मंत्री जी, मैंने पहले भी आपसे अनुरोध किया था कि इसका चेयरमैन आपने जिलाधिकारी डीएम, कलेक्टर को बनाया है, वे जैसा चाहते हैं, जहां चाहते हैं, वैसा करते हैं। मैं जानता हूं कि वहां से प्रोजैक्ट बन कर शासन को आता है और फिर यहां भारत सरकार में डिसकशन होता है, लेकिन इसमें हम लोगों की राय नहीं मानी जाती। भारत सरकार का पैसा है, लेकिन उसमें हमारी कोई राय नहीं मानी जाती।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय सम विकास योजना में कम से कम सांसदों की राय ली जाए और उनके कहने पर काम हो। जहां तक समग्र ग्राम विकास की बात है, इसमें बहुत से पैसे राष्ट्रीय सम विकास योजना के गए हैं। इसका चयन विधायक करता है, उसमें सांसद से कोई मतलब नहीं रहता। भारत सरकार का पैसा है, लेकिन हमारी कोई भागीदारी नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस पर विशेष ध्यान दें। खास कर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रतिशत धनराशि, प्रशासनिक व्यय के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है एवं मांग की है। मैं चाहूंगा कि उस अनुरोध को भी मान लिया जाए, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके पास भेजा है। मैं माननीय मंत्री जी को एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। जहां तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर 22.5 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है कि यह अनुदान राशि उन पर खर्च की जायेगी, लेकिन वह राशि उन पर खर्च नहीं होती। मेरी आपसे मांग है कि उस 22.5 परसेंट धनराशि को अगर खर्च न हो तो जिले में ही रखा जाये और उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की और सांसद महोदय से पूछकर उस पर

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

खर्च किया जाये। होता क्या है कि पैसा खर्च नहीं होता तो कहीं गांव में मिट्टी का काम थोड़ा बहुत करा दिया गया और उसे खर्चे में दिखा दिया गया, लेकिन सही तरीके से उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

दूसरी बात, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत फेज चार की बात मैं कहना चाहूंगा। फेज तीन तक काम तो उत्तर प्रदेश में हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत फेज चार के काम अभी स्वीकृति हेतु भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजे हैं। मैं मांग करना चाहूंगा कि इसे आप प्रमुखता से फेज चार की धनराशि को अवमुक्त कर दें ताकि वहां पर काम हों। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इसमें अक्सर देखने को मिली है कि बहुत से किसानों की खड़ी फसल की खुदाई भी हो जाती है और उनको क्षतिपूर्ति भी नहीं मिल पाती है। मेरी मांग है कि कम से कम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अगर किसी किसान की खड़ी फसल है, जमीन की बात तो मैं नहीं कहता, अगर जमीन भी जाती है तो उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन खड़ी फसल या हरी फसल को किसान बड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद बोता है तो उसे क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए।

दूसरी बात, क्षेत्रीय ग्राम विकास योजना के अंतर्गत तमाम योजनाएं भारत सरकार के पास लम्बित हैं, खासकर ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास लंबित हैं। क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान के लिए भी मैं चाहूंगा कि आप धनराशि दे दें, यह बख्सी का तालाब लखनऊ में भी है। इसी प्रकार से वहां पर सुदृढ़ीकरण और उसके विस्तार की तमाम योजनाएं आपके मंत्रालय के विचारधीन हैं। उन्हें प्रमुखता से लें ताकि उन पर हम कुछ कर सकें।

मैं एक बात पेयजल के बारे में और कहना चाहूंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने तमाम सुविधाएं पहुंचाने की बात कही है कि कुछ अंशदान गांवों में हमारे ग्रामवासी करें। इसके साथ ही कुछ धनराशि भारत सरकार देगी। इसमें कुछ कठिनाइयां हो रही हैं, कहीं-कहीं पर ऐसे इलाके हैं, जहां पर ग्रामीण अंशदान देने में बिल्कुल मजबूर हैं, वे नहीं दे सकते हैं। लोग बहुत गरीब हैं और वहां पर पेयजल की समस्या है, इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि इस पर भी विचार करें।

एक मांग के बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम सांसदों के पास कोई धनराशिश नहीं है। या तो अपने दो करोड़ रुपये से ही हम अपनी पेयजल की समस्या का निराकरण करें, हमारे क्षेत्र में 5-5, 6-6 विधान सभा क्षेत्र आते हैं, मैंने मांग की थी कि आप जो भी सांसद हैं, उनको कम से कम हर विधान सभा क्षेत्र में 2-2, 4-4, 5-5 सौ हैण्डपम्प देने की व्यवस्था करा दें ताकि पेयजल की सुविधा मिल सके। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कन्क्लूड कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैं बस कन्क्लूड करता हूं। इस समय सूखे की स्थिति है और जलस्तर बहुत नीचे जा रहा है। इंडिया मार्क-2 का हैंडपम्प लगता है, वह बहुत कारगर है। इसकी लाइफ 20-25 वर्ष होती है, उसमें से जितने पानी की आवश्यकता होती है, उतना आदमी निकाल पाता है और वाटर वेस्ट भी नहीं जाता, इसलिए मैं मांग करता हूं कि कम से कम सांसदों को 1-1 हजार या डेढ़-डेढ़ हजार हैंडपम्प दे दें ताकि अपने क्षेत्रों में हम लोग लगाकर पेयजल समस्या का निराकरण करा सकें।

दूसरी बात, भारत सरकार से ही कुछ योजना गई है कि लाभार्थी 10 परसेंट दें, 90 परसेंट सरकार देगी। इसमें कहीं-कहीं ऐसी स्थिति आती है कि लाभार्थी 10 परसेंट भी नहीं दे पाते हैं तो इसमें भी कम से कम कुछ रिलैक्सेशन लाभार्थियों को दें। वह चाहता है कि पूरे तरीके से जो धनराशि सरकार मुहैया कराये, उसी से हैंडपम्प लगे। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस ओर भी विशेष ध्यान दें। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि तमाम योजनाएं, जो उत्तर प्रदेश की आपके मंत्रालय से संबंधित हैं, भेजी हुई हैं। मैं चाहूंगा कि उनको जल्दी स्वीकृति दे दें ताकि वहां का विकास हो सके।

सभापति महोदय, मैं इन बातों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री सीताराम सिंह (शिवहर): सभापति महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांगों पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रशंसा करता हूं कि जब से यूपीए सरकार बनी है और ग्रामीण विकास मंत्रालय इनको दिया गया है तब से इन्होंने गांव के विकास के लिए काफी प्रयास किये हैं। कई कार्यों में सफलता मिली है और कई ऐसे कार्य हैं जिनको पूरा करने का काम चल रहा है॥

महोदय, मैं विशेषकर दो-चार बिंदुओं पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जो गांव में इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं उनमें जो सिस्टम चल रहा है वह अपनी जगह पर ठीक है किंतु एक राय इस क्रम में हम इस सरकार को देना चाहते हैं कि जहां पंचायती राज लागू है और पंचायतों के चुनाव हो गए हैं ऐसी तमाम जगहों पर आम सभा करके चयन करना होता है। मैं और जगह की बात तो नहीं करता हूं किंतु बिहार की बात मैं कहना चाहता हूं जहां किसी गांव में आम सभा नहीं होती है। आम सभा की बात तो अलग है यहां तक कि पंचायत कमेटी के जो चुनाव

हुए, जो उनके सदस्य होते हैं उनसे भी वहां के मुखिया राय नहीं लेते हैं और अपने घर में पंचायत सेवक को बैठा कर चयनित कर लेते हैं। वहां पर बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। गरीब लोगों के लिए दिये जाने वाले धन का तत्काल सदुपयोग गांव में होना चाहिए किंतु उसकी बंदरबांट हो रही है। अन्य शब्दों में संसद के अंदर बोलना मुनासिब नहीं होगा। मेरा इस सरकार से अनुरोध है कि इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए और भी कठोर कदम उठाए जाने चाहिएं ताकि जिस कार्य के लिए आप धन देने जा रहे हैं वह गांव के सही आदमी को मिल पाए। उसकी कटौती न हो और बंदरबांट न हो।

दूसरी बात इस क्रम में मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार में जो बाढ़ आई थी उससे काफी भवनों की क्षति हुई थी। हम सभी लोगों ने सरकार से मांग की थी कि सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए धनराशि दी जाए। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपने बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए धनराशि दी, मगर में यह भी शिकायत करना चाहता हूं कि उस पैसे का भी बेहतर तरीके से बंटवारा नहीं किया गया है। बहुत जगहों पर तो अभी भी पैसा नहीं बांटा गया है। इस पर ज्यादा बहस करूंगा तो यह राज्य का मामला बन जाएगा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी मेरे साथी जो बोल रहे थे इन सारी जगहों पर सांसदों से उनकी राय को जिले के पदाधिकारी लेना मुनासिब नहीं समझता है और सरकार की ओर से जो पत्र गए, काम तो बहुत अच्छा हुआ आपने धन दिया लेकिन सांसदों का भी उसमें सुझाव शामिल हो या उनको भी उसकी निगरानी करने में तरजीह दी जाए। मैं समझता हूं कि तभी यह कार्यक्रम ज्यादा सफल हो सकेगा। आपने मदद के लिए 20 से 25 हजार रुपया किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने कमेटी में भी इसको और बढ़ाने की बात कही थी।

सड़क बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सम्पर्क सड़क योजना के तहत बिहार को भी शामिल किया गया है। किन्तु इस योजना में हमारे यहां कठिनाई पैदा हो रही है। बिहार के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर कई दिक्कतें आई हैं और वास्तव में वहां पर अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि दो महीने रह गए हैं, उसके पश्चात् वहां पर पानी ही पानी हो जाएगा। जमीन पर कोई योजना शुरू भी नहीं हो पाएगी। हमने एक साल तो बिता लिया। छः मई को एक साल पूरा हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): सभापति महोदय, हाउस में कोरम नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री सीताराम सिंह: आप चले जाएंगे, तब भी कोरम रहेगा। कोरम की कमी नहीं है। ...*(व्यवधान)*

मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए मंत्री जी को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम जनता के बीच जाकर कुछ कहने लायक हो सकेंगे। ...*(व्यवधान)*

मैं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क पथ के बारे में कहना चाहता हूं। उसमें जो टैंडर किया जा रहा है, हमारे इलाके में कई कम्पनियां गईं। ...*(व्यवधान)* टैंडर में जो टर्म्स एंड कंडीशन्स हैं, वह टैंडर में आते ही नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री दुष्यंत सिंह: सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हाउस में गणपूर्ति नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: घंटी बजायी जा रही है। आप बैठ जाइए।

सभापति महोदय: जब तक कोरम बैल बज रही है, तब तक माननीय सदस्य रुक जाएं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कोरम बैल बज रही है, इसमें कोई प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब गणपूर्ति हो गई है। माननीय सदस्य श्री सीताराम सिंह अपना भाषण जारी रखें।

सीताराम सिंह: महोदय, मैं कह रहा था कि सरकार ने जो योजना चलाई, उसमें फूड फार वर्क काफी उपयोगी योजना है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के बहुत कम जिले लिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे बिहार के जितने जिले हैं, कोई बाढ़ से पीड़ित है, कोई सूखे से पीड़ित हैं, इस योजना को सम्पूर्ण बिहार में लागू किया जाए। ...*(व्यवधान)*

वर्षों से हमारी उपेक्षा हुई है। आज जो लोग उधर बैठे हैं, उन्होंने इधर बैठकर छः वर्ष में हजारों, करोड़ों रुपये बिहार का हिस्सा दूसरे राज्यों को देने का काम किया और आज गांव की

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सीता राम सिंह]

बात सुनने के लिए कोरम खोज रहे हैं। हमने बिहार के तमाम जिलों को फूड फार वर्क योजना के अंतर्गत लाने के लिए प्रश्न भी किया था। मंत्री जी इस बारे में कृपा करें, यह हमारा सुझाव है और प्रस्ताव भी है। आपने सम विकास योजना में भी कई जिलों को लिया, लेकिन हमारे बिहार में अभी भी कम है। गरीबों को काम के लिए पंजाब और हरियाणा जाना पड़ता है। हमारे यहां गरीबों के लिए कोई काम नहीं है। उनके लिए कोई योजना नहीं है। कहीं सूखे से परेशानी थी तो कहीं बाढ़ से परेशानी थी। मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय सम विकास योजना से सम्पूर्ण बिहार को जोड़ा जाये। मैं विश्लेषण नहीं करना चाहता। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सीता राम जी, अब आप कन्क्लूड कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सीताराम सिंह: सबसे महत्वपूर्ण प्वाइंट है कि इन्होंने गांव के विकास के लिए एक और कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत ये बैकवर्ड जिलों के लिए धन देने जा रहे हैं। इस संबंध में वित्त मंत्री जी ने भाषण दे दिया तथा धन आवंटित कर दिया। लेकिन अभी तक यह नहीं कर पाये हैं कि रुपया कब जायेगा। बाढ़ के बाद पैसा देने का क्या फायदा होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि यह पैसा बाढ़ से पहले जायेगा या नहीं? सबसे दुखद बात यह है कि गांव में जेआरवाई के तहत धन की पटका-पटकी हो रही है। श्री मणि शंकर अय्यर जी कह रहे हैं कि इसको पंचायत के खाते में डाल दो। मेरा कहना है कि इससे यह काम होने वाला नहीं है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में वह पैसा जिला कलैक्टर के पास जाये क्योंकि वह पैसा जिले के विकास के लिए जा रहा है। पंचायतों में जेआरवाई का पैसा जा रहा है। वहां विकास हो रहा है या नहीं, यह बाकी राज्य जानें लेकिन हम लोग आंख से देख रहे हैं कि एक ईंट को पांच आदमी उखाड़ रहे हैं। मिट्टी पर मिट्टी रखने जा रहे हैं। उसकी कोई जांच करने वाला नहीं है। उसकी कोई मॉनीटरिंग नहीं हो रही है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैकवर्ड जिले के लिए जो पैसा जाना है, उस पैसे को पंचायतों के मुखिया को न देकर जिला कलैक्टर को भेजा जाये। अगर पंचायतों को पैसा जायेगा तो वह पैसा बर्बाद हो जायेगा तथा सरकार का जो सपना है, वह मूर्तरूप में न होकर सिद्धांत रूप में रह जायेगा। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये। माननीय ग्रामीण मंत्री के पास यह विभाग न होकर श्री मणि शंकर अय्यर जी के पास है। अगर यह पैसा पंचायत के पास जायेगा तो यह काम होने वाला नहीं है क्योंकि मुखिया अपनी राय नहीं दे सकता। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सीताराम जी, आप आसन की तरफ देकर बात करें। अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री सीताराम सिंह: मैं पेयजल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* ग्रामीम विकास मंत्रालय में पेयजल पर काफी बहस और प्रचार चल रहा है। ...*(व्यवधान)* मैं वही बता रहा हूं। ...*(व्यवधान)* विधायक लोगों की अनुशंसा पर पांच-पांच सौ रुपया विकास कार्यों के लिए मिल जाता है। अगर एम.पीज. की अनुशंसा पर पैसा दिया जायेगा तो क्या उसे हम अपने घर में लगा लेंगे? मेरा कहना है कि एम.पीज. की अनुसंसा का महत्व हो। सरकार इसके लिए कटौती क्यों कर रही है? आज सारे विभाग की कटौती एम.पीज. के पावर से हो रही है। एम.पीज को टेलीफोन के लिए सिम कार्ड की पावर नहीं है। गांव में पेयजल की स्कीम के लिए कोई अनुशंसा देने की पावर एम.पीज. को नहीं है। एम.पीज. दो करोड़ रुपये से इन छः कांस्टीट्यूएंसी में जाकर क्या कर सकता है? हमारा कहना है कि आप इस पैसे को बढ़ा नहीं सकते तो इसे बिल्कुल हटा दीजिए। अब विधान सभा क्षेत्रों में एम.पीज. की अनुशंसा पर मिनिमम 10 चापाकल लग सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री सीताराम सिंह की बात को छोड़कर और किसी की बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...*(व्यवधान)*

श्री सीताराम सिंह: अभी भारत सरकार ने सिंचाई के लिए कोई योजना बनाई है। उसके बारे में एम.पीज. को पता नहीं। उसमें सारी पावर्स किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दे दी है। वहां लोग ट्रक के ट्रक ढो रहे हैं। कौन सी फाइल कहां है, यह एम.पी. को पता नहीं है। उनको किसी बात की कोई जानकारी नहीं है। हमारा कहना है कि इसमें एम.पीज. की अनुशंसा भी जरूरी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप कन्क्लूड कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सीताराम सिंह: पूरे बिहार में पाइप का अभाव है। वहां पानी का लैवल बिल्कुल नीचे तक चला गया है। महारी मांग है कि विशेष पैकेज देकर हमारे यहां गांव में पाइप बिछायी जाये जिससे जनता को सुविधा मिल सके। मैं एक बात और कहना चाहूंगा जिसके बारे में अभी सांसद महोदय चर्चा कर रहे थे। आपने गांव में शौचालय बनाने का निर्णय किया है। मेरा कहना है कि यदि आप उसे बनाना चाहते हैं तो ढंग से बना दीजिए। पैसा 1940 का निर्धारित किया हुआ है लेकन महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, आप उसकी राशि बढ़ाइए और राशि बढ़ाकर दस प्रतिशत अगर आफ बैनेफिशयरी से लेना भी चाहते हैं तो लीजिए लेकिन सरकार की ओर से इसकी राशि बढ़ाइए और समेकित रूप से गांव में सामूहिक विकास को बढ़ाइए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सीताराम सिंह जी, आपका भाषण अब समाप्त होता है। चेयर से हमने नियमन दे दिया है।

श्री सीताराम सिंह: सभापति जी, मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है। ...*(व्यवधान)* मेरा कहना है कि माननीय मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान देंगे और गांवों के हित के लिए काम करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: इलियास आजमी जी, आप बोलिए।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): मैं यहां सिर्फ एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिस गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी इस बहस को ले रही है, वह यह है कि उनके सिर्फ दो सदस्य हाजिर हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री दुष्यंत सिंह: आपके भी नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री इलियास आजमी के वक्तव्य के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद): सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय की बजट मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ...*(व्यवधान)*

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): सभापति जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मानवेन्द्र सिंह जी, जब आपका समय आएगा, तब आप अपनी बात रखिएगा।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री इलियास आजमी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी: मुझे आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपका ही समर्थन कर रहा हूं। सही बात यह है कि ग्रामीण विकास मंत्री जी पूरी योग्यता और क्षमता के साथ चाहते हैं कि बेहतर नतीजा निकले। जो भारत सरकार पैसा दे रही है, इसमें कोई कमी नहीं है और बजट में कोई कमी नहीं है। योजनाएं सब बहुत अच्छी हैं लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बल्कि मैं कहूंगा कि अब तो गुंजाइश नहीं है लेकिन यदि कोई गुंजाइश हो और वित्त मंत्री जी यहां होते तो मैं कहता कि ग्राम विकास की मद में, खासकर प्रधान मंत्री सड़क योजना की मद में और ज्यादा पैसा बढ़ाया जाए। पैसा यहां से राज्य सरकारों के माध्यम से डीआरडीए में जाता है, वहां से कलैक्टर अगर भ्रष्ट है तो वहां कलैक्टर के साथ लगभग सभी सीडीओज भी भ्रष्ट हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जानता हूं। डीआरडीए पूरा भ्रष्ट है और केन्द्रीय योजनाओं के मामले में, जो राज्य में सत्ताधारी पार्टी होती है, उसके विधायक पूरी योजना का अपहरण कर लेते हैं और माफियाओं से मिलकर जो छोटी-छोटी योजनाएं हैं, उनका पैसा पूरी तरह से हजम हो जाता है। एसजीआरवाई के पैसे में यहां से शैडयूल्ड कास्ट के आरक्षण के लिए 22.5 प्रतिशत जाता है लेकिन फर्जी आंकड़ा आता है और एस.सी. पर एक पैसा खर्च नहीं होता है। मेरी मांग है कि पहले आप यह कीजिए कि एक गाइडलाइन्स जारी करके जो पैसा एसजीआरवाई में जाता है, उसका 22.5 प्रतिशत अलग से जिले में फंड कायम करके, जनप्रतिनिधियों और बल्कि मैं कहता हूं कि विधायकों को भी इसमें शामिल कर लीजिए और एस.सी. के सामूहिक विकास पर उस पैसे को खर्च किया जाना चाहिए न कि एक गांव में अगर मिट्टी पड़ रही है और अगर इसमें एस.सी. की एक बस्ती आ गई तो पूरे का पूरा ए.सी. के 22.5 प्रतिशत में जोड़ लिया गया। अब तक यही होता रहा है।

जो स्वच्छता कार्यक्रम है या जो छोटे कार्यक्रम हैं और ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं, वे जिला अधिकारियों की चरागाह बन गई हैं। पूरा का पूरा खा लिया जाता है। कोई चिंता ही नहीं है। मैं अपने जिले की सतर्कता और निगरानी समिति का अध्यक्ष हूं और मुझे अब तक नहीं बताया गया कि वर्ष 2004-2005 में कितना पैसा किस मद में गया था?

महोदय, केन्द्र सरकार की ओर से यह निदेश दिया जाए कि वर्ष 2004-05 का पूरा हिसाब सतर्कता समितियों के सामने रखा जाए कि कितना-कितना पैसा किस-किस मद में खर्च किया गया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इसे जानता हूं और मीटिंग होगी तो उसे बता सकता हूं। प्रधानमंत्री सड़क योजना एक सबसे अच्छी योजना है, सबसे ज्यादा विकास इसी योजना के जरिये हो रहा है। गांव के गरीबों को भी अच्छी सड़कों पर चलने का उतना ही अधिकार है जितना कि चमकदार सड़कों के आस-पास रहने वालों को है। यह योजना इस जरूरत को पूरा कर रही है। हालांकि इस वर्ष इसके लिए प्रावधान 2100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3800 करोड़ कर दिया गया है, लेकिन इसमें और वृद्धि करने की आवश्यकता

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री इलियास आज़मी]

है क्योंकि अभी तक यह योजना ठीक से काम कर रही है। अलबत्ता उत्तर प्रदेश में विधायकों ने राज्य सरकार के ग्राम विकास आयुक्त पर दबाव डालकर जिलों को यह निर्देश जारी करवा दिया है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के प्रस्ताव में भी विधायकों को शामिल कर लिया जाएगा, जबकि पहले गाइडलाइन्स में यह व्यवस्था थी कि सांसद प्रस्ताव करता था और जिला पंचायत द्वारा इसे एप्रूव किया जाता था। इसके साथ ही यह भी किया गया है कि योजना का शिलान्यास तो सांसद करेगा लेकिन उससे संबंधित कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर पत्थर वगैरह लगता है तो उस पर उतने ही मोटे-मोटे अक्षरों में विधायक महोदय का भी नाम लिखा जाएगा ताकि विधायक महोदय यह कह सकें कि यह उनकी देन है, जबकि वास्तव में उनका इसमें कोई योगदान नहीं है। इन सब चीजों पर रोक लगाई जानी चाहिए।

जहां हैण्डपम्प और पेयजल की बात है, मैं पार्टी भावना से ऊपर उठकर बहुत सफाई से कह सकता हूं कि योजना का 90 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार की ओर से जाएगा और 10 प्रतिशत लोगों को देना होगा। यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर लोग इसमें योगदान देंगे तो वे हैण्डपम्प की रखवाली करेंगे और मरम्मत भी करेंगे। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर विधायक-एमएलए, एमएलसी और यहां तक कि मनोनीत एमएलसीज को भी दो-दो सौ हैण्डपम्प आवंटित कर दिये हैं लेकिन सांसद को एक भी हैण्डपम्प नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी के मेरे सांसद भाई मुझे माफ करेंगे, जब मैंने इस बारे में बात की तो मुख्यमंत्री के एक नजदीकी ने बताया कि हमें सरकार भी चलानी है। क्या मनमोहन सिंह जी को सरकार नहीं चलानी है जो उन्हें अपने सांसदों की बेइज्जती की कोई चिन्ता नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक सांसद के लिए 150 हैण्डपम्प आवंटित करने का प्रावधान रखा गया है।

सभापति महोदय: शैलेन्द्र कुमार जी, आप पहले बोल चुके हैं, कृपया अब माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री इलियास आज़मी: आप ठीक कह रहे हैं। 150 हैण्डपम्प देने की बात कही गयी है। उत्तर प्रदेश में एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यत: पांच विधान सभा क्षेत्र होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से 30 हैण्डपम्प सांसद रिकमेंड कर सकते हैं। पूरा पैसा केन्द्र सरकार का है, फिर भी एक विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक 200 हैण्डपम्प लगाएगा और सांसद केवल 30 हैण्डपम्प लगवा सकता है। हर गांव में कम से कम चार-पांच हैण्डपम्पों की मांग होती है और हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग पांच सौ बसावटें हैं। जहां से विधायक वोट लेकर आता है, वहीं से सासंद भी आता है। आप पैसों का दरिया बहा रहे हैं, लुटेरे लूट रहे हैं और अगर सबसे बेचारा कोई है तो वह है संसद सदस्य, जिसे कोई पूछता भी नहीं है।

इसी प्रकार फूड फॉर वर्क योजना 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार की योजना है। उसमें हमारे क्षेत्र में एक जिला लखीमपुर है। एक दिन इस जिले के डीएम का मेरे पास फोन आया। उसने मुझे 31 तारीख को मीटिंग में आने के लिए कहा। ऐसा उसने अपने ही बचाव में किया था क्योंकि क्षेत्रीय विधायकों ने उसे घेर रखा था कि फूड फॉर वर्क योजना में तहत जो पैसा बनता है, उसे विधायकों के बीच बांट दिया जाए और उसे वे लोग अपने हिसाब से खर्च कर सकें। वहां का डीएम थोड़ा कमजोर पड़ता है तो मैंने कहा कि 31 तारीख को हमारी पार्टी का कार्यक्रम है, उस दिन अगर आप चार बजे के बाद मीटिंग बुलाएं, तभी मैं इसमें पहुंच सकता हूं। मैं वहां गया तो देखा कि सारे विधायकों की एक राय थी कि इतना रुपया है और सात विधायक हैं तथा एक एम.एल.सी. है, तो कुल आठ हो गए। मैंने कहा कि एक एम.एल.सी. नहीं, दो एम.एल.सी. हैं, क्योंकि एक बसपा का है। इस पर उन्होंने कहा कि वह तो राज्यपाल महोदय द्वारा मनोनीत है। उन्होंने कहा कि कुल सात विधायक और एक एम.एल.सी. हमें पैसा बांट दो, तो सारा काम हो जाएगा। मैंने कहा कि ऐसे नहीं होगा। यह राज्य सरकार का पैसा होता तो आप बांट सकते थे, लेकिन यह पैसा केन्द्र सरकार का है इसलिए इसे कैसे विधायकों में बांट सकते हैं। इसलिए मैं अपनी बात पर अड़ गया। इसीलिए डीएम ने मुझे बुलाया था कि आप आ जाएं, नहीं तो मैं मना करूंगा तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा।

सभापति महोदय: अनुशंसा बंटती है या पैसा बंटता है?

श्री इलियास आज़मी: मैं वही बता रहा हूं। वे कह रहे थे कि विधायक निधि की जगह इसे खर्च करेंगे। मैं इस पर अड़ गया और उसके बाद यह तय हुआ कि आप लोग प्रस्ताव दें और प्राथमिकता वाले प्रस्तावों को पहले लिया जाएगा। यह पैसा लखीमपुर जिले में लगभग बंट गया था, क्योंकि सीडीओ को धमकी दे दी थी और डीएम को ट्रांसफर की धमकी देकर राजी कर लिया था। इसीलिए डीएम ने मुझे खास तौर से बुलाया था। यह वहां के हालात हैं। हम लोग एक हैंडपम्प भी लगाने की स्थिति में नहीं है। कहने को पैसा भारत सरकार का है और हमारी पार्टी भारत सरकार को समर्थन दे रही है। यह ठीक है कि वहां सभी विधायकों को 200-200 हैंडपम्प अपने-अपने क्षेत्रों में लगाने की अनुमति दी गई है, लेकिन संसद सदस्य को यह अनुमति नहीं दी गई है। वे कहते हैं कि हमें सरकार चलानी है। मैं रघुवंश प्रसाद जी से कहना चाहूंगा कि आप प्रधान मंत्री जी से कहें कि क्या उन्हें सरकार नहीं चलानी है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को ही चलानी है। इसलिए मैंने आपके कान में यह बात डाली है।

फूड फार वर्क एक अच्छी योजना चल रही है। यहां से साफ-साफ निर्देश दिया जाए कि भारत सरकार की सारी योजनाओं में लोक सभा के सदस्यों के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी केन्द्रीय योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन लोक सभा सदस्य करेंगे।

मेरा दूसरा सुझाव है कि एसजीआरवाई में कुल पैसे का साढ़े 22 प्रतिशत चाहिए तो यहीं से वह अलग कर दिया जाए। इसके लिए आप जिलों को निर्देश दें कि वह पैसा अलग करके एक फंड बनाएं और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सामुदायिक विकास पर उसे खर्च किया जाए। हर कलेक्टर को पाबंद किया जाए कि उसे जिस दिन जिस योजना के लिए पैसा मिलता है, फौरन लोक सभा के सदस्यों को इसकी सूचना दे कि आज हमें इस मद में इतना पैसा केन्द्रीय योजना के तहत मिला है। इसमें से इतना पैसा एसजीआरवाई का और इतना प्रधान मंत्री रोजगार योजना आदि के लिए है। इससे हमें पता चल सकेगा कि किस योजना के लिए कितना पैसा मिला है।

स्वच्छता के लिए डेढ़ करोड़ रुपये जब जिलों को भेजें, तो उन्हें पाबंद किया जाए। हालांकि आपने निगरानी समिति के जरिए यह काम किया है कि 2004-2005 में वह पैसा किसके द्वारा और कहां खर्च किया गया है, उसका ब्यौरा लोक सभा सदस्यों को दिया जाए। सतर्कता समितियां बहुत अच्छी बनाई हैं। उनके अधिकार भी बढ़ाए गए हैं। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन आप जानते हैं, मैं भी लोक सभा का सदस्य हूं, हम लोगों को शायद पूरी जानकारी इस बारे में नहीं हो पाई है। इसलिए आप सभी सतर्कता समितियों के अध्यक्षों का एक सम्मेलन यहां बुलाएं। आप उसमें सचिव को भी बुला सकते हैं, जिससे इन समितियों के अध्यक्षों को अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी हो सके। इस तरह से करीब 500 लोगों को इस सम्मेलन में बुलाया जा सकता है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि ग्रामीण विकास का पैसा, गरीबों का खून निचोड़ कर जो पैसा लिया जाता है, उसका दुरुपयोग न हो। आपको तो सिर्फ एक ही काम आता है कि चलो और कुछ नहीं गरीबों का खून चूस कर टैक्स लगा दो। उस पैसे का सही जगह इस्तेमाल नहीं होता, लूटने वाले उसे लूटते रहते हैं और हम टुकर-टुकर देखते रहते हैं। इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं रह गया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इलियास आजमी जी, आपका भाषण समाप्त किया जाता है।

श्री इलियास आज़मी: हमें मौजूदा ग्रामीण विकास मंत्री जी से उम्मीद है कि वह इस दिशा में कुछ काम करेंगे। इतना ही कहते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती): माननीय सभापति जी, सदन में बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। सरकार ने अपना बजट पेश किया। हर साल की तरह इस साल भी ग्रामीण विकास के लिए जो निधि मिलनी चाहिए थी और विकास की दिशा की ओर जो हमें देखना चाहिए था, इस साल के बजट में भी ग्रामीणों की छवि दिखायी नहीं दी। महामहिम राष्ट्रपति जी ने दोनों सदनों के सामने जो अपना अभिभाषण किया, उसमें ग्रामीण विकास पर भारी चिन्ता व्यक्त की गई।

सभापति जी, ग्रामीण विकास के जो भी कार्यक्रम है, वे बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं और जो कार्यक्रम चलते आ रहे हैं, वे भी बहुत अच्छे चलते आ रहे हैं लेकिन इनके लिए जो पैसा यहां से जाता है, वह किस ढंग से खर्च होता है, इसकी चिन्ता सदन में कई बार की गई। इस पर देश ने भी चिन्ता व्यक्त की।

आज सभी राज्यों में पानी की दिनोंदिन किल्लत हो रही है। बरसात कम होने के कारण पानी की जरूरत महसूस हो रही है। राज्य सरकारों को जो फंड दिये जाते हैं, वे ज्यादा से ज्यादा पानी पर खर्च हों, इस तरह के निर्देश समय-समय पर दिये जाते हैं। केन्द्र सरकार के निर्देशों में कहा गया है कि राज्यों में एनजीओज की नियुक्ति करना अनिवार्य है और एनजीओज के माध्यम से जल संग्रहण के विकास से संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की जरूरत है। मैं महाराष्ट्र से चुन कर आया हूं। राज्य सरकार ने जो एनजीओज नियुक्त किये हैं वे बड़े-बड़े लोगों, एमएलएज, मंत्रियों के लोग हैं। वे बिल्कुल काम नहीं करते हैं। वे केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। वे विकास का पैसा हड़प कर जाते हैं। इनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार किस के पास हो और कैसी कार्रवाई की जाए, इसके बारे में कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं। जो विजिलैंस कमेटियां नियुक्त की गई हैं, उनमें एनजीओज किस प्रकार से काम करते हैं, उन्होने काम किया है या नहीं, इनका मूल्यांकन होने के बाद कार्रवाई की जाए। जल संग्रहण, सिंचन की दिशा में कोई खास काम नहीं हुआ तो पानी की किल्लत होने वाली है। जिला लैवल पर विजिलैंस कमेटियां बनी हैं। यदि एनजीओज मिल कर काम नहीं करते हैं तो इनका मूल्यांकन करने के बाद उन्हें ससपैंड करने का पूरा अधिकार विजिलैंस कमेटियों को मिलना चाहिए, तभी विजिलैंस कमेटियों का कोई अर्थ होगा। ...*(व्यवधान)*

मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है और एनजीओज आपके मंत्रियों के लोग हैं।

इंदिरा आवास योजना बड़े जोर-शोर से शुरू की गई। कहा गया कि इसके माध्यम से देश में 60 लाख लोगों को घर देने का लक्ष्य रखा गया है।

[श्री अनंत गुढ़े]

सभापति महोदय, देश में बीपीएल के कितने लोग हैं, एक-एक गांव में पचास-पचास बीपीएल की फैमिलीज है। पचास फैमिलीज के लिए जब उस गांव में घर दिये जाते हैं तो दो, तीन या चार मकान दिये जाते हैं। इस तरह से पचास बीपीएल फैमिलीज हैं और उन्हें चार मकान दिये गये तो सारे बीपीएल को मकान मिलने में 15 साल लग जाएंगे। इसलिए केवल 60 लाख का लक्ष्य बहुत कम है लेकिन हम गरीबों के लिए सही मात्रा में आवास मुहैया नहीं कर सकते, इसलिए इसे बढ़ाने की जरूरत है। हिसाब लगाकर देखें तो जिन राज्यों में बीपीएल के धारक अभी भी बाकी हैं, वहां सारे बीपीएल धारक पूरे नहीं होते कि पहले के मकान गिर जाते हैं। एक कापार्ट योजना थी, उस योजना के माध्यम से एक गांव में 25 घर एक साथ बनने थे, लेकिन वह बंद कर दी गई। इस वजह से आज हम गांव के लोगों की इच्छा पूरी नहीं कर सकते।

महोदय, बीपीएल के कई लोग ऐसे हैं, जब नैसर्गिक आपदा आती है, आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है तो उनके घर गिर जाते हैं, कई गरीब ऐसे हैं जो बीपीएल में नहीं आते या रिजर्वेशन कैटेगिरी में नहीं आते, लेकिन वे बहुत गरीब होते हैं, वे अपना घर नहीं बनवा सकते, उनके लिए इस प्रकार की स्कीम लानी चाहिए। जिनके घर नैचुरल अफैक्टिड हैं, आग से जल गए, बाढ़ के पानी में बह गए और जो लोग बीपीएल और रिजर्वेशन में नहीं भी हैं लेकिन वे गरीब हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड हैं जो घर नहीं बना सकते, अगर बीडीओ की ऐसी रिपोर्ट आए तो उसकी इंक्वायरी करके उन्हें तुरंत घर मुहैया कराने की जरूरत है। इस प्रकार बीपीएल के लिए इंदिरा विकास योजना में दुरुस्ती करने की जरूरत है।

महोदय, कई सालों से घर बनाए जा रहे हैं लेकिन कई राज्यों में बिजली की किल्लत होने के कारण इंदिरा आवास के अंतर्गत बिजली नहीं मिलती। मैं महाराष्ट्र की बात कहता हूं और यहां पर भी कई बार राज्य बिजली बोर्ड से बात हुई है, पहले इस योजना में साठ रुपये में बिजली का मीटर दिया जाता था। आज हजार रुपये रखते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें मीटर नहीं मिलता, लाईन नहीं मिलती। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है क्योंकि हम सही मायने में गरीबों का विकास करना चाहते हैं और सही मायने में देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर बिजली नहीं होगी तो उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वे पढ़ नहीं सकते क्योंकि उस जगह पर अंधेरा छाया रहता है।

सभापति महोदय: प्लीड कन्क्लूड कीजिए।

श्री अनंत गुढ़े: महोदय, अभी बीस मिनट हैं। अगर ऐसी जगह पर सोलर सिस्टम लगाएं तो वहां पर 100 प्रतिशत अनुदान से अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा अपारंपरिक स्रोतों से पैसे से बिजली मुहैया कराई जा सकती है और देश की गरीब फैमिलीज को बिजली मिल सकती है।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात पीने के पानी के बारे में है। आज सारे राज्य पीने के पानी के लिए जूझ रहे हैं, देश में कई जिले पीने के पानी के लिए जूझ रहे हैं, पीने का पानी नहीं है। पीने के पानी के लिए स्कीम को पैसा नहीं मिलता है। कुछ राज्यों में स्वजलधारा स्कीम, पंचवर्षीय पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, इसके लिए कुछ जिले सैलेक्ट किये गये थे उनमें मेरा जिला अमरावती भी था, जहां से मैं आता हूं, और महाराष्ट्र के चार जिले सैलेक्ट किये गये थे। पहले दो टर्म का पैसा दिया गया लेकिन बाद में दो टर्म का पैसा भी बंद कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि दो टर्म का पैसा मिला, जबकि यह योजना 21 करोड़ रुपये की थी और दस करोड़ रुपया मिला जिससे आधी योजना पूरी हुई और आधी पूरी नहीं हुई। पैसा भी खर्च हुआ, सोर्स मिला, पाइपलाइन डाल दी गई लेकिन पानी नहीं मिल रहा। लोगों ने उसमें दस टका डाल दिया लेकिन दस टका भरने के बाद भी आज वे प्यासे हैं, उनको पानी नहीं मिलता। मेरी समझ में नहीं आता कि बीच में इसे बंद करने की क्या जरूरत थी? केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से कहा कि बची हुई स्कीम को स्वजलधारा योजना में लाना चाहते हैं। स्वजलधारा योजना में पैसा देंगे। मेरे जिले अमरावती के लिए पिछले अप्रैल महीने में राज्य सरकार ने पत्र लिखा था लेकिन आज एक साल बीत गया, दूसरा बजट आ गया लेकिन पैसा नहीं मिला। पैसा न मिलने के कारण स्वजल धारा योजना का काम नहीं हो रहा है। लगता है कि यह योजना केवल दिखावे के लिए है। आज ग्रामीण लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। जिन लोगों ने इस योजना के तहत 10 प्रतिशत पैसा दिया, उनका क्या होगा? इतना ही नहीं, आज से 15 साल पहले जो टंकी गांव में बनी थी, टूट-फूट गई है। लेकिन उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। नई योजना का क्या होगा, लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं। लोगों द्वारा 10 प्रतिशत पैसा लगाये जाने की आपने कंडीशन लगाई थी जिसे कई लोगों ने पूरा भी किया लेकिन काम वहीं का वहीं है।

सभापति जी, मेरे क्षेत्र में मेलघाट आदिवासी एरिया है जहां गरीब लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वे पेट भरने के लिए इधर-उधर घूमते रहते हैं और अपने बच्चों को मरने के लिए वहीं छोड़ जाते हैं, ऐसे लोग 10 प्रतिशत पैसा कहां से भरेंगे? ऐसी स्थिति में क्या गांव का कोई आदमी पैसे का भुगतान कर सकता है? क्या आप आदिवासियों को पीने के लिए पानी नहीं देंगे? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। हमारा सदन ऐसे आदिवासी क्षेत्रों की चिन्ता करता है, इसलिए मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार ऐसी जगहों पर

100 प्रतिशत सब्सिडी दे और पीने के पानी की योजना चलाये। क्या हम केवल आदिवासी क्षेत्रों के विकास की बात करते रहेंगे और काम नहीं करेंगे? मेरा अनुरोध है कि स्वजलधारा योजना के अंतर्गत जो पैसा अभी तक नहीं मिला है, केन्द्र सरकार उन तमाम राज्य सरकारों को पैसा दे ताकि पिछले 58 साल से वहां पीने के पानी की जो किल्लत चली आ रही है, उसका समाधान हो सके।

अध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री अनंत गुढ़े: सभापति जी, पूर्व प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी जी द्वारा इस योजना को बड़े पैमाने पर बनाया गया था और शिवसेना-भाजपा सरकार ने महाराष्ट्र में 1500 करोड़ रुपये की एक योजना राज्य में बनाई थी। उस समय कुछ जगह पैसा दिया गया लेकिन जैसे ही सरकार बदली, स्कीम बदल गई। आज लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, जो उचित नहीं है। इसी प्रकार माननीय वाजपेयी जी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना निकाली गई थी। उस योजना के अंतर्गत 1000 की आबादी वाले गांव और 500 की आबादी वाले पहाड़ी गांव मुख्य सड़क से जोड़े जाने थे। इस योजना में एक कंडीशन थी कि इस कार्य के लिए केवल एक ही ठेकेदार को टेंडर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण काम नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि एक ही कंट्रेक्टर को यह काम नहीं देना चाहिए। मेरे जिले में भी कार्य मंजूर हुआ है अगर मिट्टी का काम अर्थवर्क अलग से कर दिया और उसके ऊपर डामर का काम अलग से कर दिया—इसी तरह हम इस योजना को पूरा कर सकते हैं। कंडीशन के अनुसार ठेकेदार को 10 प्रतिशत राशि अमानत के तौर पर भरनी चाहिए, लेकिन वह नहीं भर रहा है। इसके अलावा 5 साल की गारंटी का प्रावधान है लेकिन हम उसमें अपनी राय नहीं दे सकते। मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की टर्म्स एंड कंडीशन्स को बदलने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधान मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

सभापति जी, मैं अब एक बात सैनिटेशन के बारे में कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपका समय पूरा हो गया।

श्री किशन सिंह सांगवान-अनुपस्थित।

श्री अनंत गुढ़े: मैं महिलाओं के लिए संडास की बात कर रहा था। ...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपका भाषण रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

श्री जय प्रकाश जी।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जय प्रकाश (हिसार): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ग्रामीण विकास विषय पर बोलने का मौका दिया है, जिसके आधार पर किसी भी सरकार और किसी भी देश की तरक्की होती है। आज इस विषय पर चर्चा हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पांच-सात बातों की ओर आकर्षित करूंगा। क्योंकि हिन्दुस्तान गांवों में बसता है और गांवों की हालत देश की आजादी के 55-56 वर्षों के बाद जितनी सुधरनी चाहिए थी, उतनी नहीं सुधरी है। आज हमारे पूरे देश के गांवों में सबसे बड़ी समस्या सुलभ शौचालयों की है। खासकर हरिजन बस्तियों के गांवों में पहले समलायत की जमीन होती थी, वहां पाखाना करने के लिए महिलाएं बाहर जा सकती थीं। लेकिन आबादी बढ़ने के कारण और समलायत की जमीन घटने के कारण आज देहातों में महिलाओं के लैटरिन जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि एक ऐसी योजना बनाई जाए, शायद कोई योजना है भी, लेकिन एक ऐसी कोई ठोस योजना बनाई जाए, जिसके तहत हर गांव में कम से कम चार-चार, पांच-पांच जगहों पर सुलभ शौचालय बनाये जाएं और उनके रख-रखाव का तरीका भी इसके साथ ही बनाया जाए, ताकि उनकी सफाई का प्रबंध भी हो सके।

महोदय, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि गांवों में गलियां बनाने के लिए केन्द्र सरकार से पैसा जाता है। इस बारे में मेरा कहना है कि गांवों की जो गलियां पक्की होती हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश में वे ईंटों की बनी होती हैं, लेकिन जब वर्षा का पानी वहां इकट्ठा होता है तो वह कच्ची जमीन धंस जाती है और वे गलियां टूट जाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से शहरों में सीमेंट और कंक्रीट से सड़कें बनाई जाती हैं, इसी तरह से गांवों में जितनी भी गलियां बनें, वे सीमेन्ट और कंक्रीट से बनें, ताकि जो गली एक बार बन जाए उसे पांच-दस वर्षों तक दोबारा बनाना न पड़े।

मेरा तीसरा सुझाव है कि आज देहातों के लोग शहरों की तरफ क्यों पलायन कर रहे हैं। आज देहातों में पीने के पानी का बहुत अभाव है। मैं हरियाणा प्रदेश से संबंध रखता हूं। लेकिन वहां भी ऐसे बहुत से गांव हैं जहां नीचे का पानी खारा है। कुएं खत्म हो चुके हैं। ग्राउंड वाटर लैवल नीचे चला गया है। इस समस्या से निपटने के लिए जो स्वजलधारा योजना चालू की गई थी, माननीय सदस्य अभी सामने नहीं बैठे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता था कि वह एक ऐसे दल के लोग थे, इस देश में एक ऐसा राज था, जो सिर्फ योजनाएं ही योजनाएं बनाता था, लेकिन उन्हें क्रियान्वित करने की कोशिश इन लोगों ने कभी नहीं की। मेरे संसदीय क्षेत्र में कम से कम पांच-छः ऐसी योजनाएं थीं, जिनमें स्वजलधारा के लिए इन्होंने पंचायतों से पैसा ले लिया, लेकिन केन्द्र सरकार से वह पैसा हरियाणा में नहीं गया। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन

[श्री जय प्रकाश]

करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का स्वजलधारा योजना का जो पैसा बकाया है, वह जल्दी से जल्दी हरियाणा प्रदेश में भिजवाया जाए। जून का महीना आने वाला है, तब लोगों को बहुत प्यास लगती है। यदि ग्रामीण इलाकों के लोगों को पीने का स्वच्छ जल नहीं मिलेगा तो वहां बीमारियां फैल जायेंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां वाटर सप्लाई का पैसा जल्दी से जल्दी भिजवाया जाए।

सायं 6.59 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए)

मेरा चौथा सुझाव यह है कि जैसे शहरों में कम्युनिटी सैन्टर बनाये जाते हैं, हमारी मांग है कि गांवों में भी ऐसे कम्युनिटी सैन्टर्स बनाए जाएं। गांवों में गरीब किसान, आम किसान तथा ग्रामीण परिवारों की जो शादियां या सामाजिक समारोह होते हैं, ऐसे समारोहों को सम्पन्न करने के लिए आज गांवों में जगह की बहुत कमी है। पहले गांवों में चौपाल होती थीं, लेकिन आज गांवों के लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। हमारी मांग है कि इस पलायन को रोकने के लिए हर गांव में कम्युनिटी सैन्टर बनाया जाए।

मेरा पांचवां सुझाव यह है कि आज गांवों में बिजली की बहुत दिक्कत है। शहर में 18 से 20, 22 घंटे तक बिजली आती है, लेकिन गांवों में जहां पूरे दिन किसान खेतों में काम करके घर पर आता है तो उस वक्त पशुओं का चारा काटने के लिए गांवों में बिजली नहीं होती है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक ऐसी योजना बनाई जाए, हालांकि बिजली का डिपार्टमैन्ट अलग है, परंतु यदि गांवों में बिजली का उचित प्रबंध होगा तो गांवों से शहरों की ओर लोगों का जो पलायन हो रहा है, उसे रोकने में बहुत मजबूती मिलेगी। इंदिरा आवास योजना में कुछ पैसा बढ़ाया गया है। हरियाणा प्रदेश में किसी भी गरीब हरिजन का घर कच्चा नहीं है। मैं लोक सभा की एस्टिमेट्स कमेटी का सदस्य भी हूं। हम पिछले दिनों आंध्र प्रदेश गए थे। कापार्ट का वहां कुछ कार्यक्रम था और हमने उसका इंस्पैक्शन किया था। जो पैसा दिया जाता है, उसमें कम से कम एक कमरा, एक रसोई, एक बाथरूम, एक बरामदा बने, ताकि एक परिवार तो ठीक तरह से निर्वाह कर सके। इंदिरा आवास योजना का पैसा भी बढ़ाया जाए और जो गरीब लोग हैं उनकी इसके माध्यम से मदद की जाए। माननीय सांसद अभी सामने बैठे नहीं हैं। उनकी सरकार भी चली गई और उस सरकार के लोग भी चले गए। वे लोग पांच वर्षों तक ग्राम-ग्राम में विकास की चर्चा करते रहे। इंदिरा आवास योजना के तहत जिस तरीके से इन लोगों ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों पर शर्तें रखीं, मैं दावे से कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश का गरीब आदमी भी उसके तहत नहीं आ सकता क्योंकि हरियाणा प्रदेश में आम हरिजन व्यक्ति भी पक्के घर में रहता है, उसके घर में बिजली और पंखे का प्रबंध है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन शर्तों को तोड़ा जाए और हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, उन पर ये शर्तें लागू नहीं की जानी चाहिए। सिर्फ यह होना चाहिए कि जो हरिजन हैं, दलित हैं, शोषित हैं, उनकी आयु कुछ भी हो, उनको यह सुविधा मिलनी चाहिए।

अब मैं शिक्षा की बात कहना चाहूंगा। हर सरकार कहती है कि शहरों में आबादी बढ़ रही है और गांवों में आबादी घट रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि पिछली बार बजट में भी प्राइमरी शिक्षा पर सैस लगाया गया। प्राइमरी शिक्षा का प्रबंध पूर्ण रूप से रोपित किया जाना चाहिए। आज हिन्दुस्तान के देहातों में शिक्षा की बहुत कमी है। स्कूल हैं मगर अध्यापक नहीं हैं। मगर फिर वही बात आती है कि उस पर प्रदेश सरकारों का नियंत्रण है। मैं मानता हूं कि प्रदेश सरकारों का नियंत्रण है लेकिन केन्द्र सरकार से जो पैसा शिक्षा के लिए जाए, उसका उचित तरीके से प्रबंध हो और गांव-गांव में शिक्षा का प्रबंध किया जाए और हर पांच, दस या बीस गांवों पर एक केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए ताकि ग्रामीण अंचलों में पैदा हुए बच्चे भी अच्छी शिक्षा हासिल करके जो बच्चे शहरों में पैदा होते हैं, बड़े घरों में पैदा होते हैं, उनकी बराबरी और कंपीटीशन की तैयारी कर सके।

वाटरशैड डैवलपमैंट स्कीम की बहुत चर्चा चली। यह अच्छी स्कीम थी। मैं किसको बताऊं, वह साथी तो चले गए। वाटरशैड की योजना जब बनाई गई तो हरियाणा प्रदेश में इन्हीं साथियों के सहयोग से एक सरकार चल रही थी, वह बहुत अक्षम सरकार थी। वाटरशैड के पैसे का दुरुपयोग किया गया। कई समितियां बनाई गईं और वे समितियां एक दल विशेष के लोगों के साथ बनाई गईं। वहां के बीडीओ से मिलकर सारे के सारे पैसे का दुरुपयोग किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले पांच वर्षों में वाटरशैड डैवलपमैंट का जो पैसा हरियाणा प्रदेश में गया है, उसकी विस्तृत रूप से जांच करवाई जाए ताकि यह पता चले कि केन्द्र सरकार के पैसे का सही उपयोग हो रहा है या नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश: मेरा एक पॉइंट रह गया है। मैं ज्यादा नहीं बोलता।

गांवों में ग्रामीण रोजगार की चर्चा चली है। हमारी सरकार भी कहती है और यूपीए का कामन मिनिमम प्रोग्राम भी है कि गांवों में रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इस संबंध में मेरा एक सुझाव है। हरियाणा और पूरे देश में बड़े-बड़े गांव हैं। जब शहरी क्षेत्रों में आप गैस की एजेन्सी देते हैं तो गांवों में भी देनी चाहिए। मैं 1990 में पैट्रोलियम मंत्री था। उस समय हमने एक योजना बनाई जो आज भी लागू है लेकिन विस्तार से लागू नहीं है। ऐसे गांवों में जहां की आबादी 15000 से ज्यादा है और जहां गैस के कनैक्शन 500 से ज्यादा हैं, ऐसे हर गांव में गैस की एजेन्सी खोली जाए और बड़े गांवों में पैट्रोल पंप लगाए जाएं ताकि ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोगों को शहरी इलाकों के भाइयों के बराबर सहूलियत दी जाए। आज पूरे देश में बहुत से लोग गैस पर खाना बनाना पसंद करते हैं। आज जंगल कम होते जा रहे हैं।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हमारे साथी कह रहे थे। इस योजना के तहत पिछली सरकार ने हरियाणा प्रदेश को पूरा पैसा नहीं दिया। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पैट्रोल और डीजल के ऊपर जितना सैस लगाया है, उसका जितना पैसा हरियाणा प्रदेश का बनता है, वह जल्द से जल्द प्रदेश की सरकारों को दिया जाए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि सरकारें नेशनल हाइवेज पर ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्टेट हाइवेज हैं या एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़कें हैं, उनके लिए ज्यादा पैसा दिया जाए। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आपने जिला स्तर पर समितियां बनाई हैं। मुझसे पहले बोलने वाले सांसदों ने इस तरह की बातें कही हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश: माननीय मंत्री जी उन बातों पर ध्यान दें। ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहते कि उनके काम पर राजनीतिक लोगों का कोई दखल हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्रीमती सतीदेवी बोलेंगी।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश: देश और प्रदेश की जिम्मेदारी जन-प्रतिनिधियों की होती हैं, न कि अफसरशाहों की। अफसरशाहों का काम योजनाओं को कार्यान्वित करने का होता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इसके बाद कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आपने अधिक समय ले लिया है। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा): सभापति महोदय, मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर बोलने हेतु यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

महोदय, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भारत की दो-तिहाई जनता गांवों में निवास करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्ष से ही हम ग्रामीण जनता के उत्थान के बारे में बात करते रहे हैं तथा सरकार आर्थिक और सामाजिक विकास पर वार्षिक आयंटन धीरे-धीरे बढ़ा रही है। परन्तु ग्रामीण जनता को इसका वास्तविक लाभ अभी भी पूरी तरह से नहीं मिल पाया है।

पिछले 15 वर्षों से ग्रामीण जनता की स्थिति काफी बदतर हुई है। कृषि श्रमिक अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से रोजगार पर निर्भर हैं। वर्ष 2004-05 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह टिप्पणी की गयी है कि ग्रामीण रोजगार केवल एक वर्ष में ही किस प्रकार से 60 प्रतिशत से घटकर 57 प्रतिशत हो गया है। हम साथ ही साथ इस बात पर भी गौर करते रहे हैं कि कृषि श्रमिक के कार्य दिवस किस प्रकार से 1980 के दशक के दौरान प्रतिवर्ष 122 दिन से घटकर वर्तमान में करीब 72 दिन प्रतिवर्ष रह गए हैं। इससे ग्रामीण भारत का जीवन पूर्णतया ठहर सा गया है। कृषि ऋणों में बढ़ोत्तरी और फसलों की पैदावार ठीक से न होना आम बात हो गयी है।

वर्ष 1991 और 2001 के बीच करीब 3.30 करोड़ किसानों को अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ा और अब वे भूमिहीन व प्रवासी श्रमिक हो गए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी की वजह से पुरुषों व महिलाओं के पलायन में वृद्धि हुई है। ग्रामीण भारत से हो रहे इस प्रकार के पलायन का कोई सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण इसका ध्यान दिए जाने योग्य एक सामाजिक घटना के रूप में उल्लेख भी नहीं करता। सरकार को इसे एक समस्या के रूप में समझना होगा। एक ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में काम की अनुपलब्धता की वजह से अधिक से अधिक परिवार रोजगार की खोज में बाहर जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं परन्तु शहरी क्षेत्र में भी नौकरियों की उपलब्धता कम हो रही हैं। उपेक्षित तबका विशेषकर अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सर्वाधिक

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती पी. सती देवी]

प्रभावित हुई हैं तथा इन प्रक्रियाओं का इन समुदायों के स्त्री-पुरुष पर पड़ने वाले प्रभावों का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। इन मुद्दों से महिलाएं सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं।

सायं 7.10 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

महोदय, संप्रग सरकार ने ग्रामीण जनता के उत्थान हेतु कतिपय योजनाओं के अनेक प्रस्तावों की घोषणा की है। ग्रामीण जनता द्वारा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित संप्रग सरकार के प्रस्ताव की काफी प्रसंशा की गयी है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए ताकि इससे महिलाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित हो सके। सभी रोजगार सृजन परियोजनाओं में न्यूनतम 40 प्रतिशत महिला लाभार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए। अब इस योजना को 150 जिलों में लागू करने का इरादा है। केरल में, इस योजना में मात्र एक जिले को शामिल किया गया है। केरल में व्याप्त ग्रामीण बेरोजगारी पर विचार करते हुए इसे केरल के सभी जिलों में लागू किया जाना चाहिए। अन्य राज्यों के विपरीत केरल में शिक्षित बेरोजगारी की दर अपेक्षाकृत अधिक है। इसलिए केरल जैसे राज्य के लिए शिक्षित बेरोजगारों हेतु एक विशेष योजना लागू की जानी चाहिए। केरल के संबंध में बारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें वहां की ग्रामीण जनता की समस्याओं का समाधान करने में बिल्कुल संतोषजनक नहीं है।

योजनाओं की मात्र घोषणा करना पर्याप्त नहीं है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सुविचारित तरीका अपनाया जाना चाहिए। सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना होना चाहिए।

स्थानीय निकायों को क्रियान्वित करने की शक्ति तथा उपयोग हेतु धन दिया जाना चाहिए। सिर्फ तभी जाकर इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो पाएगा। सरकार द्वारा भूमि सुधार के क्षेत्र में गरीब हितकारी नीति बनाकर ही यह कार्य संभव बनाया जा सकता है।

काश्तकारी अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। उचित मूल्य ढांचा के माध्यम से कृषि को अर्थक्षम बनाया जाना चाहिए। इसके लिए ऋण सहायता दिये जाने की भी जरूरत है।

जहां तक न्यूनतम कार्य दिवस प्रदान किये जाने का प्रश्न है, पुरुषों व महिलाओं दोनों के लिए न्यूनतम 180 कार्य दिवस मुहैय्या कराया जाना चाहिए और न्यूनतम मजदूरी लागू की जानी चाहिए। सभी कृषि श्रमिक परिवारों के लिए काम के बदले पर्याप्त अनाज कार्यक्रम तथा बी.पी.एल. कार्ड आवश्यक हैं।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली समुचित रूप से कार्य करे तथा सभी कृषक परिवारों को बी.पी.एल. मूल्यों पर राशन का सामान दिये जाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

दूसरा मुद्दा निम्न कृषि उत्पादन के संबंध में है। कृषि उत्पादन हेतु आधारभूत अवसंरचना मुहैय्या करायी जानी चाहिए। एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले ग्रामीण निर्धन लोगों और कृषि मजदूरों को निःशुल्क बिजली दी जानी चाहिए। इंदिरा आवास योजना जैसी योजनाओं हेतु धनराशि बढ़ायी जानी चाहिए। प्रति परिवार कम से कम 50,000 रु. दिये जाने चाहिए।

जहां तक पेयजल का प्रश्न है, केरल के मात्र 50 प्रतिशत हिस्से में पेयजल उपलब्ध है। स्वजलधारा योजना में लाभार्थी द्वारा दस प्रतिशत का अंशदान किये जाने पर जोर दिया जा रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है कि अ.जा./अ.ज.जा. तथा तटीय क्षेत्रों के लोगों के मामले में लाभार्थी अंशदान के भुगतान में कुछ छूट दी जाए। गांवों में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

केरल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम से बाहर रखा गया है। यद्यपि पिछले वर्षों में, केरल को ऐसा राज्य माना गया था जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर स्थिति है, परन्तु अब स्थिति बिल्कुल बदल गयी है। वे रोग, जिन्हें माना गया था कि समाज से उनका सफाया हो गया है, अब केरल के लगभग सभी भागों में फैलने लगे हैं। इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाया जाना चाहिए। वृद्ध लोगों के लिए भी कुछ योजनाएं होनी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई एक अन्य मुद्दा है। केरल एक ऐसा राज्य है जिसका पश्चिमी भाग पूर्णतः समुद्र से घिरा हुआ है। वर्तमान ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई हेतु अत्यल्प धनराशि प्रदान की जाती है। केरल के जलजमाव वाले और समुद्रतटीय क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण करने हेतु 500 रुपये की धनराशि पर्याप्त नहीं है। इसलिए यह धनराशि बढ़ायी जानी चाहिए।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 20 करोड़ रुपये प्रदान किये जाते हैं। बढ़ी हुई मांग के मद्देनजर यह धनराशि बिल्कुल ही पर्याप्त नहीं है। इसलिए इसे बढ़ाकर कम से कम 75 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए। गांवों का विकास केवल तभी संभव हो सकेगा जब हम उन्हें पानी, सड़क और बिजली मुहैय्या कराएंगे। इस प्रयोजनार्थ और अधिक धनराशि निर्धारित की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती पी. सतीदेवी: महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करती हूं।

आज, मेरा राज्य केरल 'कदम्ब श्री योजना' जैसी योजनाओं को लागू कर रहा है। इन योजनाओं हेतु काफी सहायता की आवश्यकता है। अब, सरकार ने इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय संसद सदस्यों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु समुचित दिशानिर्देश और निर्देश दे रखे हैं। महोदय, ग्रामीण विकास पूरी तरह से प्रभावी पंचायती राज प्रणाली पर निर्भर करता है। इस देश के विकास का कोई अर्थ नहीं रह जाता है यदि हमारे गांव पिछड़े रह जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती पी. सतीदेवी: महोदय, सर्व शिक्षा अभियान हेतु केरल जैसे राज्यों में जहां विद्यालयों को स्थानीय निकायों द्वारा संचालित किया जा रहा है, इस धनराशि को इन स्थानीय निकायों के माध्यम से दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी सेट पर बैठ जाइए।

श्रीमती पी. सती देवी: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूं। इस प्रकार, अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए, मैं मंत्रालय से स्थानीय निकायों को धन और अधिकार का हस्तांतरण करने और पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु पहल करने का अनुरोध करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में अब कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मैं इस सभा के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं। मेरे पास वक्ताओं की काफी लंबी सूची है। जो माननीय सदस्यगण अपने भाषणों को सभापटल पर रखना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। इसे कार्यवाही का हिस्सा समझा जाएगा। अब, मैं श्री अप्पादुरई से भाषण देने का अनुरोध करूंगा।

****श्री एम. अप्पादुरई** (तेनकासी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2005-06 हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, सर्वप्रथम, मैं संप्रग सरकार को लगभग 25,000 करोड़ के वित्तीय आबंटन के साथ ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक, लाने का प्रयास करने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह एक ऐतिहासिक कदम है और मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने हेतु एक निगरानी प्रणाली होनी चाहिए और ऐसी समितियों में संसद सदस्यों को अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रायोजिक परियोजना के रूप में समूचे देश में 150 जिलों की पहचान इस योजना के क्रियान्वयन हेतु की गई है। मैं माननीय मंत्री से इस पर पुनर्विचार करने और पहचाने गए जिलों की संख्या में वृद्धि करने का अनुरोध करता हूं। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां काफी लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इन अग्रणी योजनाओं का लाभ इन सभी निर्धन लोगों तक अवश्य पहुंचना चाहिए। इसलिए इस योजना को क्रियान्वित करने के दौरान इसमें और अधिक जिलों को, विशेषकर कई जिलों के सभी गांवों को, जो सूखा प्रवण क्षेत्र हैं, सम्मिलित किया जाना चाहिए। ग्रामीण विकास तभी संभव होगा जब मौलिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और मूलभूत अवसंरचना में वृद्धि की जाएगी। ग्रामीण निर्धन लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को बताने की जरूरत नहीं है। ग्रामीण जनता को सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, सड़क संचार सुविधा, ग्रामीण विद्युतीकरण, दूरसंचार संपर्क, कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केवल तभी हम ग्रामीण निर्धन जनता के जीवन में समृद्धि ला पाएंगे।

मैं केन्द्र द्वारा विकसित और प्रायोजित योजनाओं के समन्वय में विद्यमान खामियों को बताना चाहता हूं। विशेषकर, मैं संप्रग सरकार द्वारा कई दूरस्थ गांवों और बस्तियों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विकसित की गई योजनाओं पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। परन्तु तमिलनाडु में एआईएडीएमके की नेता जयललिता के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार—इन आवश्यकता आधारित योजनाओं के क्रियान्वयन की उपेक्षा कर रही है। तमिलनाडु की राज्य सरकार इन केन्द्र प्रायोजित और वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब कर रही है। हमारे माननीय वित्त मंत्री ने पर्याप्त धन दिया हैं परन्तु अभी भी आवंटित धन अप्रयुक्त पड़ा है। तमिलनाडु सरकार वस्तुतः ग्रामीण जनता को सहायता नहीं देना चाहती है। केन्द्र सरकार सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के अलावा भूमि विकास के उपायों के प्रति इच्छुक है। इससे जल संसाधन क्षमता में वृद्धि होगी। आज वैज्ञानिक जल प्रबंधन एक आवश्यकता है और इसके लिए व्यवहार्य प्रणाली होनी चाहिए।

मेरे तेनकासी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, सितरास नामक नदी है जिसका स्वरूप नदी, नालों से बड़ा है। मानसून के दौरान इसमें काफी पानी प्रवाहित होता है और समुद्र में बहकर बेकार हो जाता है। इतने वर्षों के बाद भी इस जलप्रवाह का उपयोग करने संबंधी कोई व्यवहार्य योजना अथवा परियोजना नहीं बनाई गई है। जल संचय की कोई सुविधा नहीं है। यदि बांध जैसी संरचना का

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।
**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री एम. अप्पादुरई]

निर्माण पर इस नदी का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाता है जैसाकि पनधारा प्रंबधन कार्यक्रमों में किया जाता है, तो इससे भूजल क्षमता में वृद्धि होगी। विडम्बना यह है कि इतनी मात्रा में पानी एक ऐसी नदी में बहता है जो निरन्तर सूखा प्रवण क्षेत्र से गुजरती है। परन्तु अभी भी नदी का पानी बेकार हो रहा है। ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को सावधानी से उपयोग करना चाहिए। यदि जल संसाधन का ठीक ढंग से प्रबंधन किया जाता है तो इससे ग्रामीण जनता के जीवन में समृद्धि आ सकती है जो दूर स्थित हैं। मैं सरकार से उन योजनाओं को प्राथमिकता देने का अनुरोध करता हूं जिससे उक्त प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

आज हम उन योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं जिससे ग्रामीण निर्धन जनता, विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित वर्गों को लाभ होगा। आवासन जैसे कल्याणकारी उपायों को गरीबी से व्यथित लोगों के लाभ के लिए उठाया जा रहा है। शौचालयों के रूप में स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। परन्तु मुझे आशंका है कि इन योजनाओं की समुचित ढंग से निगरानी नहीं की जा रही है। इसलिए, मैं सरकार से संसद सदस्यों, लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी और सक्रिय भूमिका को सुनिश्चित करते हुए उपयुक्त निगरानी प्रणाली विकसित करने का अनुरोध करता हूं। जन प्रतिनिधियों वाली इन निगरानी समितियों से कमियों को दूर करने में सहायता मिलेगी और उक्त केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को और धन जारी करने को तर्कसंगत बनाने में सहायता मिलेगी जिसे राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित करने हेतु छोड़ दिया जाता है।

आज ग्रामीण निर्धन लोगों के जीवन में सुधार को सुनिश्चित करने हेतु भूमि सुधार विधेयक को लाने की आवश्यकता है। भूमि जोतने वालों को खेती की जाने वाली जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा है "भूमि जोतने वालों की भूमि और किसानों की भूमि"। जो जोत का हिस्सा रखते हैं और जो खेती करते हैं, उन्हें भूमि का अधिकार अवश्य मिलना चाहिए। एक समान भूमि सुधार विधेयक अभी भी नहीं बनाया गया है। इसलिए, मैं इस सरकार से निर्धन कृषि मजदूरों को समृद्ध बनाने हेतु भूमि सुधार को आरंभ करने और उन्हें अवसर उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है।

इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बची सिंह रावत 'बचदा'—उपस्थित नहीं हैं।

श्री बापू हरी चौरे। कृपया चार-पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

आठ बजे मंत्री जी ने जवाब देना है।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): रात्रि 8 बजे तक चर्चा होगी और इसके बाद मंत्री जी उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री बापू हरी चौरे (धुले): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। महात्मा गांधी जी का सपना था कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना चाहिए, जिसे नजरअंदाज किया गया। ...*(व्यवधान)* लेकिन राजीव गांधी जी के सपने को दसवीं लोक सभा में साकार किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, दसवीं लोक सभा के अन्दर पंचायती राज विधेयक पारित करके जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने का सही ढंग से प्रयास किया गया। आगे जाकर संपूर्ण ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से सुबह होते ही पेट का सवाल जो गरीब लोग लेकर आते हैं, पेट का विषय लेकर, पेट भरने की चिन्ता लेकर आते हैं। चिन्ता और चिता समान होती है, चिन्ता जिन्दा आदमी को जलाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। उस गरीब आदमी को दिलासा देने के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से 22,682 करोड़ रुपये का प्रावधान करके सही दिशा में गरीबों को राहत देने का काम इस सरकार ने किया है, इसलिए यह सरकार धन्यवाद की पात्र है।

ग्रामीण विकास को इसमें तीन भागों में बांटा है, ग्रामीण विकास, पेयजल आपूर्ति और भूमि संसाधन विभाग। ग्रामीण विकास के अन्दर जे.आर.वाई., आई.ए.वाई., एस.जी.आर.वाई. और पी.एम.जी.एस.वाई., सम्पूर्ण ग्रामीण विकास के माध्यम से गरीब आदमी को मजदूरी दिलाने का काम और सही ढंग से ग्रामीण विभाग का विकास करने का काम किया है, मगर जो भी उसमें कार्यान्वयन की पद्धति है, जैसे कि जिला पंचायत के माध्यम से इन तीन विभागों से यह काम किया जाता है। जैसे जिला पंचायत, तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत। जिला पंचायत को 20 प्रतिशत, तालुका पंचायत को 30 परसेंट और ग्राम पंचायत को 50 परसेंट के माध्यम से यह काम दिया जाता है। जिला पंचायत का जो प्रेसीडेंट है, उसे चेयरमैन बनाया गया है और जिला परिषद का चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर को सचिव बनाया गया है और उसका कार्यान्वयन जिला पंचायत के माध्यम से होता है। मगर इसमें जिला पंचायत के माध्यम से जब काम होता है और जो काम लिये जाते हैं, उनका जिला पंचायत के माध्यम से काम लेते वक्त जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्यों को विश्वास में

लेकर काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अधिकारी मनमाने ढंग से काम लेते हैं, उनका काम करने का जो ढंग होता है, वह अलग तरीके से होता है, कोई किसी को विश्वास में नहीं लेता। जैसे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, अभी-अभी मैं 10-15 दिन पहले, मेरे चुनाव क्षेत्र में सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से जो काम चलाये गये हैं, उनका मैंने परीक्षण किया तो मेरी नजर में यह आया कि बिचौलिये तो नहीं हैं, मगर गांव के कुछ ठेकेदारों के बीच में आपने मजदूरों को पकड़कर वह काम किया जा रहा है। कोई बिचौलिया तो हम नहीं देते हैं, मगर बिचौलियों के नाम से किसी गरीब आदमी को ठेका देकर उनके माध्यम से काम किया जाता है। इसमें मेरा एक सुझाव है कि सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से जो काम हो रहा है, जैसे जिला परिषद का या जिला पंचायत का जो प्रेसीडेंट अध्यक्ष होता है तो लोक सभा सदस्य को उपाध्यक्ष बनाया जाये। जो काम चयन किये जाते हैं, उसकी फाइल कम से कम लोक सभा सदस्य को देखने को मिले, ताकि लोक सभा सदस्य को सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से जो भी काम का कार्यान्वयन हो रहा है, उसके बारे में उसे पता चले। जहां तक कलैक्टर का संबंध है, अभी आपने जो सह नियंत्रण समिति बनाई है, सतर्कता और निगरानी समिति आपने बनाई है, उसका सचिव आपने कलैक्टर को बनाया है और लोक सभा सदस्य को चेयरमैन बनाया है, मगर वह खाली सतर्कता और निगरानी करता है। काम का चुनाव कलैक्टर नहीं करता है, काम का चयन जिला परिषद में चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर और जिला परिषद के चेयरमैन करते हैं। जिला परिषद के प्रेसीडेंट के दो भाग अलग-अलग तरीके के यहां से गये हैं। इसमें मेरा यह सुझाव है कि जो काम का चयन होता है, जो काम लिये जाते हैं, उसमें सांसद का सहभाग होना चाहिए। निगरानी करने के लिए सांसद को जिम्मेदारी सौंपी गई है किन्तु काम के चुनाव के लिए जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। पेयजल आपूर्ति करने के लिए जीएसडीए के माध्यम से जगह का चुनाव किया जाता है। कहां कुआं होना चाहिए, इसका चुनाव वे करते हैं, किन्तु वहां पर पानी नहीं मिलता है। मेरा सुझाव है कि सम्पूर्ण ग्रामीण योजना के माध्यम से पहले तालाब बनाना चाहिए तत्पश्चात् कुआं बनाना चाहिए। लेकिन पहले कुआं बनाते हैं और बाद में तालाब बनाते हैं। इससे जितना पैसा वहां खर्च होता है, वह बेकार जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मानिटरिंग की पद्धति बहुत बढ़िया है। तीन प्रकार से उसकी मानिटरिंग होती है। ग्रामीण विकास में डीआरडीए उसकी इम्पलीमेंटेशन अथारिटी है। कलैक्टर निगरानी समिति का सचिव होता है और जिला परिषद का चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर क्रियान्वयन अधिकारी होता है। किन्तु जो कार्य होता है उसकी क्वालिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या उसकी जिम्मेदारी डीआरडीए या चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर के ऊपर है? जब काम में कोई सुधार नहीं होता है या क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो उसकी जिम्मेदारी कानून के मुताबिक किसके ऊपर होगी? मेरा कहना है कि ठीक ढंग से इनकी जिम्मेदारी कलैक्टर, सीइओ या डीआरडीए के अधिकारी के ऊपर सौंप दी जाए ताकि जब किसी काम में गलती हो तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके, तभी सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजना का पैसा काम में आ पाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'-उपस्थित नहीं हैं।

श्री मित्रसेन यादव, आपके पास भाषण देने के लिए चार से पांच मिनट का समय है।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। समय की कमी की वजह से ज्यादा न बोलते हुए सिर्फ कुछ सुझाव ही देना चाहूंगा।

हमारे माननीय मंत्री जी और राज्य मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं। ग्रामीण विकास के तहत गांव के गरीब आदमी को जिनके हाथ में कोई कारोबार नहीं है, जिनके पास रहने की सुविधा नहीं है, जिनके पास पीने के पानी की सुविधा नहीं है। उन अभावग्रस्त लोगों को पोषित करने का काम इसमें किया गया है। इसीलिए, केन्द्र सरकार ने इन 80 प्रतिशत पोषित योजनाओं को प्रदेश सरकारों को क्रियान्वयन के लिए दिया है। आज देखने में आ रहा है और पूरे सदन की जो भावना निकल के आयी है, उससे माननीय मंत्री जी और सरकार भी सहमत होगी कि केन्द्र सरकार की जो पोषित योजनाएं हैं और जो धनराशि दी जा रही है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। यहां तक कि भारत सरकार की गाइडलाइन का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। हम लोगों को निगरानी और सतर्कता समिति का चेयरमैन बनाया गया है। किन्तु जिन गांवों में या क्षेत्रों में इंदिरा आवास के लिए चयन किया गया है, उन्हीं का दोबारा और तिबारा चयन किया गया है। इन योजनाओं की गाइडलाइन के तहत, साठ प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तीन प्रतिशत, फलां के लिए और शेष में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को आवास दिया जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि जितनी योजनाओं में भारत सरकार 80 प्रतिशत पैसा दे रही है और जिन योजनाओं में सरकार का शत-प्रतिशत पैसा है, उनमें केन्द्र सरकार द्वारा सांसदों की कम से कम 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जाए। बगैर उन सांसदों की निगरानी के ऐसी योजनाओं को लागू

[श्री मित्रसेन यादव]

न होने दिया जाए। मान लीजिए एक जिले में हर विधायक को दो सौ हैण्डपम्प दिये गये हैं और उस जिले में पांच विधानसभाएं आती है और 1200 हैण्डपम्प हैं। हम मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि कम से कम सांसदों को एक हजार हैंडपम्प अपने लोक सभा क्षेत्र में लगाने का कोटा निश्चित किया जाए। इसी तरह इंदिरा आवास का भी कोटा निश्चित किया जाए।

हिन्दुस्तान में जो पिछड़े जनपद हैं, उनको कई करोड़ों रुपये का खाद्यान्न देकर आपने लोगों के लिए काम के बदले अनाज देने की योजना लागू की है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जनपद की सतर्कता समिति के चेयरमैन श्री बेनी प्रसाद वर्मा हैं। उस समिति की आज तक कोई बैठक नहीं हुई। 27 करोड़ रुपये में से केवल 2 करोड़ रुपये ही खर्च किये गये तथा बाकी 25 करोड़ रुपये बंदरबाट किये गये। मेरा कहना है कि कृषि मंत्री जी ने जिस प्रकार कुछ जनपदों को जांच करने के लिए सुनिश्चित किया है, उसी प्रकार ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार को कुछ जनपदों को सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी ग्रामीण विकास योजनाओं की क्या दुर्दशा हो रही है और वे किस तरीके से लागू की जा रही हैं। हमारा भारत सरकार और गृह मंत्रालय को सुजाव है कि गांव के विकास के लिए, गरीबों को रोजगार देने के लिए, काम के बदले अनाज देने के लिए, उनको रोटी देने के लिए, उनके आवास के लिए, उनको पानी की सुविधा देने के लिए अगर योजनाओं का इतना दुरुपयोग हो रहा है तो सुनिश्चित करके कुछ जनपदों की जांच करानी चाहिए तथा निगरानी और सतर्कता समिति को अपने बजट के लिहाज से, पूरी ताकत से उसमें भागीदारी सुनिश्चित करने की कार्यवाही पूरी करनी चाहिए।

स्वच्छता योजना का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। आप या तो उसे व्यक्तिगत रूप से लोगों को दीजिए या सामूहिक रूप से लागू करें। यदि सामूहिक रूप से लागू करें तो गांव में जो स्वच्छ शौचालय बनाये जायें, जब तक उनकी सफाई करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं होगा, देख-रेख के लिए कोई आदमी नहीं होगा तब तक उसका दुरुपयोग होता रहेगा। उसके बाद अगर निजी लोगों को सुविधा देने की बात है, तो चार-पांच हजार रुपये से कम में कोई शौचालय नहीं बनता। इसलिए आप या तो पूरी धनराशि दें या सुलभ शौचालय सामूहिक रूप से उपलब्ध करायें लेकिन तमाशा न कीजिए, योजनाओं का खिलवाड़ न कीजिए। जनपदों में उसके पीछे बंदरबाट न हो, कम से कम इसे रोका जाना चाहिए।

बहुत से लोगों के हाथों में काम नहीं है। आपने जो भूमि सुधार लागू किया, वह कहीं लागू नहीं हुआ है। नयी जमीन को सुधार कर गरीबों में बांटने की जो योजना है, उसका भी कहीं लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी इतनी ग्रामीण योजनायें हैं, जिनकी हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं है। महारा निवेदन है कि कुछ योजनायें ऐसी हैं जो हम निहत्थे लोगों को दे सकते हैं। डेयरी, फिशरीज, पिगरीज, गाय पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन आदि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत निहत्थे लोगों को ग्रामीण विकास योजनाओं से पोषित कर लाभान्वित कर सकते हैं। आप जिन लोगों को जमीन नहीं दे पा रहे हैं, गांव में रहने वाले लोग या तो दूसरों के यहां मजदूरी करें या उनके पास खेत हों तो वे अपने खेत में काम करें, इसके अलावा गांव में कोई उद्योग नहीं है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्व रोजगार योजना चलाई गयी है, उसे बढ़ाने की कोशिश करें और साथ-साथ उनको स्थायी रोजगार देने के लिए गाय पालन, बकरी पालन, सुअर पालन या और कई योजनाएं हो सकती हैं, इन पर लोगों को कन्सन्ट्रेट किया जाये जिससे भूमिहीन लोग लाभान्वित हों। हमारी मांग है तथा भारत सरकार और ग्रामीण मंत्रालय को सुझाव है कि जो पैसा ग्रामीण विकास के लिए आप देते हैं, उसमें पूरी भागीदारी, सतर्कता और निगरानी समिति को सौंपे और कोटा भी निश्चित करें। आवास का कोटा, हैंडपम्प का कोटा आदि तमाम कोटे कम से कम सदस्यों के जरिये लोगों को दिये जायें।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004-05 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर बोलने हेतु मुझे अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री जी को भी समस्याओं के समाधान और ग्रामीण लोगों के जीवन को सुधारने हेतु उनके ईमानदारीपूर्वक किए गए प्रयासों के लिए धन्यवाद।

भारत गांवों में वास करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश निरक्षरता, बीमारी, गरीबी और अन्य व्यक्तियों ने ग्रामीण क्षेत्र को घेर लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी व्याप्त है, कई ग्रामीणों ने विशेषकर कर्नाटक में प्रत्येक वर्ष रोजगार की तलाश में प्रवास करने की आदत बना ली है। अब केन्द्र के लिए यही उपयुक्त समय है कि वह गरीबी का विशेषकर दूरदराज के गांवों में स्थायी समाधान खोजें।

अन्तोदय अन्न योजना जारी रहेगी और उसका विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है। इसमें इस समय 1.5 करोड़ परिवार ही शामिल है। उन्हें खाद्यान्न सस्ते दामों पर मिलते हैं। केन्द्र का एक नया कानून बनाने का प्रस्ताव है। काम के बदले अनाज नामक एक नई योजना को अत्यधिक पिछड़े रूप से वर्गीकृत और इस कार्यक्रम की तत्काल आवश्यकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचान

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

किये गये 150 जिलों में लागू किये जाने का प्रस्ताव है। मुझे आशा है कि कर्नाटक के कम से कम 10 जिले अत्यधिक पिछड़े जिलों की सूची में स्थान पाएंगे, मेरा निर्वाचन क्षेत्र देश में अत्यधिक पिछड़े जिलों में से एक है और इसे केन्द्र से समस्त सहायता मिलनी चाहिए और तब जाकर कहीं गांव बचे रहेंगे।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम का एक उद्देश्य कृषि प्रक्रिया के विविधीकरण और विकास के माध्यम से कृषि विकास को बढ़ाना है। 24 जून, 2004 को राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए माननीय प्रधान मंत्री ने ग्रामीण भारत के लिए "न्यू डील" का वायदा किया था। यह 'न्यू डील' ग्रामीण विकास और कल्याण के लिए ही अनिवार्य नहीं है बल्कि 7-8% के सतत वार्षिक विकास दर को प्राप्त करने और रोजगार सृजन के लिए भी आवश्यक है। कृषि ऋण का आवाह तीन वर्षों में दुगना होने की आशा है।

इंदिरा आवास योजना अ.जा./अ.ज.जा. को तथा अ.जा./अ.ज.जा. से भिन्न अन्य ग्रामीण गरीबों को आवास प्रदान करने का प्रमुख जरिया है। इसके अंतर्गत पात्र गृहस्थों को 10000 रुपये तक राजसहायता और 40000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। इस हेतु कुल आवंटन को 2247 करोड़ रुपये तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से इस राशि को कम से कम 30000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में दूध का उत्पादन होता है। अब, यह दूध मैसूर और बंगलौर को भेजा जा रहा है। दूध के व्यापार की यह पुरानी पद्धति बदली जानी चाहिए। उत्पादकों को अपने इस दूध का समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है जिसे वे बड़ी मेहनत से उत्पादित करते हैं। इसलिए, मिल्क पाउडर, मिल्क आइसक्रीम और अन्य मिल्क उत्पाद बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए कई आधुनिक मशीनों की आवश्यकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हमारे पास एक ही शीतन केन्द्र है। यह काफी नहीं है। सभी आधुनिक मशीनों सहित दूध उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को बिना किसी विलम्ब के मेरे क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिए।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण लोगों हेतु केन्द्र का दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह सड़कें दूरदराज के सभी गांवों को जोड़ सकती हैं और इससे गांवों में विपणन व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा और अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

यह दुर्भाग्य ही है कि स्वतंत्रता के 57 वर्षों के पश्चात् भी गांवों में उचित शौचालय सुविधाएं नहीं हैं। विशेषत: बालिकाओं और महिलाओं के लिए यह बहुत ही समस्याजन्य मुद्दा है।

पंचायत राज के माध्यम से केन्द्र का स्वजलधारा कार्यक्रम अन्य प्रगतिकारक कार्यक्रम है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि कर्नाटक में पेयजल की भारी कमी है क्योंकि यहां लगातार 4 वर्षों से सूखे की स्थिति रही है। हमने पानी के लिए 400 से 500 फुट तक जमीन की खुदाई की है, यह गम्भीर समस्या है। इसलिए, स्वजलधारा कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र, चामराजनगर में न तो सैनिक स्कूल है न ही केन्द्रीय विधालय। इसलिए, मैं केन्द्र से वहां तत्काल एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का अनुरोध करता हूं।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा इन कार्यक्रमों में संसद सदस्यों की भागीदारी का है। राज्य के पदाधिकारी हमेशा ही संसद सदस्यों की अनदेखी करते हैं। वास्तव में विभिन्न कार्यक्रमों हेतु निमंत्रण पत्रों में नामों की छपाई के समय हमारे नाम विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के पश्चात् किये जाते हैं। स्थानीय संसद सदस्य को निमंत्रित किये जाने की आवश्यकता को न समझते हुए तहसीलदार जिला आयुक्त आदि स्थानीय अधिकारी ही ध्वजारोहण कर देते हैं। केन्द्र को इस संबंध में तत्काल कदम उठाने चाहिएं और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सभी कार्यक्रमों और समारोहों में स्थानीय संसद सदस्य शामिल हों।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास की जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स हैं, उनका समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। जो अपनी यूपीए की सरकार है, इसने ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं हाथ में ले ली हैं। एनडीए के 6 साल में ग्रामीण इलाके का विकास नहीं हुआ है। उससे भी ज्यादा विकास करने का हमारा संकल्प है क्योंकि गांवों का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा? गांवों के लिए बिजली नहीं मिलेगी तो हमारी सत्ता की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? लोगों को मदद करने के लिए हमारी सरकार सत्ता में आई है लेकिन एक साल में पूरा विकास होना मुश्किल है लेकिन इसके बावजूद भी हमारा कहना यह है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जितने लोग हैं, सन् 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक 26 प्रतिशत बीपीएल में लोग हैं लेकिन वर्ल्ड बैंक के सर्वे के अनुसार 43 प्रतिशत लोग बीपीएल में हैं। इनके नॉर्म्स को थोड़ा बदलने की आवश्यकता है।

एस.सी. और एस.टी. के समाज में बीपीएल के जो लोग हैं, दूसरी जाति के लोगों में भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले काफी लोग हैं, इसलिए जो भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं,

[श्री रामदास आठवले]

उनकी हमें ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। बीपीएल के लोगों को अगर ऊपर उठाना है तो बीपीएल की संख्या को नीचे लाने की स्कीम सरकार को बनानी चाहिए। हम सब बातें करते हैं लेकिन सही मायने में यदि गरीबी को हटाना है तो जमीन का चंटवारा, भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए। गांवों में जिस भी जाति के जो भूमिहीन लोग हैं चाहे वे किसी भी जाति के लोग हैं, मेरी मांग है कि हरेक फैमिली के पास 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए और उसके लिए भारत सरकार को एक कमीशन बनाने की आवश्यकता है। हरेक आदमी को जिसके पास 50 एकड़ जमीन है, अच्छी बात है लेकिन जिसके पास कोई जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को जमीन देने का प्रोग्राम सरकार को बनाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी सरकार को संकल्प करना चाहिए कि आने वाले 5 वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कम करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए और बीपीएल के लोगों की शिकायत यह है कि गांवों के विकास की लिस्ट में जिन लोगों का नाम होना चाहिए, ऐसे कई लोग लिस्ट से बाहर हैं। इसीलिए बीपीएल का जो सर्वे है, उसका भी सर्वे होना चाहिए और बीपीएल के जो लोग हैं, ऐसे लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। जहां तक इंदिरा आवास योजना का सवाल है, इसके अंतर्गत काफी मकान बनाने का संकल्प इस सरकार ने किया है लेकिन उसके लिए अच्छी स्कोम बनाने की आवश्यकता है। कपार्ट की स्कीम है और बाल्मीकि अम्बेडकर योजना भी है। एस.सी. और एस.टी. के लोगों के लिए मकान बने हैं लेकिन आजादी के इनते साल बीतने के बाद भी बीपीएल के जो लोग हैं, उनके पास मकान नहीं हैं। झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को मकान देने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और हमारी सरकार अच्छी है, दोनों मंत्री भी अच्छे हैं, प्रधान मंत्री साहब भी अच्छे हैं लेकिन अच्छा बोलने से फायदा नहीं है, उनको अच्छा बनने की आवश्यकता है। सही मायने में बीपीएल के लोगों की सरकार को मदद करनी चाहिए। श्री रघुवंश प्रसाद जी आप बहुत सक्षम मंत्री हैं, लेकिन लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसे देने की जरूरत है। स्कीमों को लागू करने में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे भी रोकने की जरूरत है ताकि स्कीम के लिए आवंटित पैसा सही काम के लिए खर्च हो सके। ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाने की आवश्यकता है, रेल लाइनों की आवश्यकता है, महिलाओं के लिए शौचालय बनाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए एक व्यापक सर्वे करवाकर, अपने आने वाले पांच सालों के लिए अच्छा काम करने के लिए स्कीमें बनाएं अन्यथा हमारी हालत भी विपक्ष की तरह हो जाएगी। वैसे हम आपके साथ हैं इसलिए आपकी उनके जैसी हालत नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय: अठावले जी, ठीक है, आपकी सलाह मंत्री जी ने मान ली है।

[अनुवाद]

अब, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री रविन्दर नाइक धारावत बोलेंगे। आप अपने सुझाव केवल तीन मिनट में दीजिए।

[हिन्दी]

श्री रविन्दर नाइक धारावत (वारंगल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ ठोस कार्यक्रमों पर सुझाव देना चाहता हूं इसलिए कम से कम पांच मिनट तो मिलना ही चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं। आप केवल तीन मिनट तक बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

मुझे हर हाल में 8 बजे मंत्री जी से रिप्लाई के लिए रिक्वेस्ट करनी है।

श्री रविन्दर नाइक धारावत: उपाध्यक्ष जी, महारी आजादी के 57 साल पूरे हो रहे हैं। हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ कदम उठा रही है, लेकिन उन स्कीमों और उनके लाभों को जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए, वे सुविधाएं उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे लोगों में एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों के लोग शामिल हैं। मैं तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी की तरफ से यहां आपके सामने उन तथ्यों को रखना चाहता हूं जो कि पिछले 57 सालों में सरकार के सामने नहीं आ सके हैं। मैं केवल खानापूर्ति करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इन विसंगतियों को सरकार के सामने लाना चाहता हूं। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। इस देश में आदिवासी और एससी लोगों की जो बस्तियां हैं, जो बंजारा बस्तियां हैं वहां सड़क, बिजली, पानी आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। आज हमारे देश में बंजारा समाज कई भागों में बंटा हुआ है और देश में लगभग एक लाख बंजारा ताण्डा हैं जो इस प्रकार की कमी से जूझ रहे हैं। मैं इसके लिए माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं। कुछ समय पहले मैंने बंजारा समाज को मकान प्रदान किये जाने के संबंध में मंत्री महोदय को एक पत्र लिखा था। जिसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि हम समाज के नाम पर आपको घर नहीं दे सकते हैं। महोदय, यह एक समाज नहीं है, लेकिन इनको दस-बारह कम्युनिटीज के नाम से बुलाया

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जाता है। तेलंगाना क्षेत्र में लगभग 10 हजार बंजारा ताण्डा विपरीत परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे हैं, जहां पेयजल, बिजली, सड़क और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता नहीं है। आज देश में जो बंजारा समाज है, जो आदिवासी है, जो तेलंगाना क्षेत्र में अपने छोटे-छोटे बच्चों को बेचने के लिए मजबूर हैं। यह हालत है इन बंजारा समाजों की।

आज आप रोजगार देने की बात करते हैं। रोजगार वहां दिया जाना चाहिए, जहां अशांति फैली हुई है। हर साल सरकार करोड़ों-अरबों रुपए शांति और लॉ एण्ड आर्डर के नाम पर खर्च करती है। लेकिन मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि यह लॉ एण्ड आर्डर प्रॉब्लम नहीं है, यह एक आर्थिक और सामाजिक समस्या है। वहां पर लोगों को नौकरी देने की व्यवस्था होनी चाहिए, रोजगार दिलाना चाहिए। महोदय, आपके माध्यम से मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो भी बंजारा ताण्डा हैं, उन्हें ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाना चाहिए। आज तक सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। इस संबंध में मैंने कई राज्य सरकारों को पत्र लिखे हैं। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि आपकी तरफ से राज्य सरकारों को यह लिखा जाना चाहिए कि इन बंजारा ताण्डों को ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाए। इसी के साथ मैं यह मांग करूंगा कि इन बंजारा ताण्डों के विकास के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर उनके लिए ज्यादा बजट प्रावधान दिए जाएं ताकि इनकी उन्नति हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांग पर हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका प्रदान किया। ग्रामीण विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए मंत्री महोदय ने इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगें यहां रखी हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमारे देश की अधिकांश जनता गांवों में रहती है। इसलिए गांवों का विकास करना हमारा प्रमुख कार्य है। हालांकि बजट भाषण के माध्यम से भी विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में घोषणाएं की जाती हैं, तब हम फूले नहीं समाते हैं और हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन जब हम गांव में जाते हैं, वहां हमें असलियत देखने को मिलती है तो उस समय हमारा मन उदास हो जाता है। बहुत सारी योजनाओं की घोषणा यहां से होती है, मैं उनमें और वृद्धि करने की मांग नहीं करना चाहता। लेकिन जिन योजनाओं की घोषणाएं हुई हैं, उन्हें सही तरीके से लागू किया जाए तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति अवश्य सुनिश्चित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए जब हम ग्राम की उन्नति की बात करते हैं तो हमें याद करना चाहिए कि गांव के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। वहां पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और वहां आने-जाने के लिए रास्तों की व्यवस्था होनी चाहिए। सैल्फ हैल्प ग्रुप के माध्यम से भी हमारे देश में विभिन्न राज्यों में विकास के काम किये जा रहे हैं। उनकी भूमिका अच्छी है, लेकिन उन्हें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, क्योंकि उनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। हमारे देश की आबादी में करीब आधी जनसंख्या महिलाओं की है। इसलिए उनकी भी देश और गांवों के विकास में साझेदारी होनी चाहिए। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सैल्फ हैल्प ग्रुप की मदद करने से ही काम चलने वाला नहीं है। उनके साथ बड़ी युवा शक्ति सीडीओ के रूप में, क्लब के रूप में हमारे गांवों में रहती है। उसे भी विकास कार्यों में लगाया जाए और वे भी इसकी चिंता करें तो एक बहुत बड़ी शक्ति हमारे देश और गांवों को मिल सकेगी। इससे गांवों का और पिछड़े इलाकों का विकास सम्भव हो सकता है। जब उनका सहयोग हमें मिलेगा, तो उसके लिए नेटवर्किंग की आवश्यकता है। जितने भी सैल्फ हैल्प ग्रुप्स, जितने भी एनजीओज और क्लब हैं, उनके सदस्यों को आप नेटवर्किंग के माध्यम से एक जगह लाएं। उनकी निगरानी से जिन योजनाओं की घोषणा आप करते हैं, उन्हें सही-सही स्वरूप दिया जा रहा है या नहीं, सही काम गांवों में हो रहा है या नहीं, इसकी देखरेख हम उनके माध्यम से कर सकते हैं। इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपना छोटा सा भाषण यहीं समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: डा. वल्लभभाई कथीरिया-अनुपस्थित।

डा. अरुण कुमार शर्मा।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने आपको काफी हद तक उन अन्य माननीय सदस्यों से संबद्ध करता हूं जिन्होंने यह उल्लेख किया है कि विकास योजनाओं को अंतिम रूप देते समय निर्वाचित प्रतिनिधियों, नामत: संसद सदस्यों, विधायकों, और जिला परिषदों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों से परामर्श नहीं किया जाता है या उन्हें विश्वास में नहीं लिया जाता है। यह प्रथा पूरे देश में फैली हुई है। इस शिकायत का समाधान उन नियमों में संशोधन करके की जाने की आवश्यकता है। जो इस मुद्दे से संबंधित है।

असम में ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में त्रुटियों के संबंध में मेरा अनुभव यह है कि दुर्गम और दूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) मकानों के लिए दी गई 25000 करोड़ रु. की धनराशि वास्तव में तर्कसंगत नहीं है। मैं यह

[डा. अरुण कुमार शर्मा]

महसूस करता हूं कि इंदिरा आवास योजना मकानों के लिए न्यूनतम 50,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाने चाहिएं। अन्यथा, यह एक अर्थहीन योजना बन जाती है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि इनमें से कुछ दुर्गम क्षेत्रों में आवास सामग्रियों की ढुलाई में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि लग जाती है। अत: यह एक अति व्यवहार्य कार्य नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विशेष मुद्दे पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

दूसरे, माननीय मंत्री जी—हमारे मंत्री जी बड़े विद्वान और शिक्षित व्यक्ति हैं उन्होंने असम में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया। कार्यान्वयन अति निम्न स्तरीय है। मैंने जो पता लगाया है उनमें से एक कारण केन्द्र सरकार द्वारा दूसरी किश्त को स्वीकृति देने में विलंब करना है। पहली किश्त समय पर जाती है परंतु दूसरी किश्त सिर्फ मार्च के महीने में भेजी जाती है क्योंकि राज्य सरकार अपना हिस्सा समय पर जारी नहीं कर सकती है। असम में, वर्षा मार्च के महीने में शुरू होती है और असम में पांच महीने से अधिक कार्य नहीं हो पाता है। इसलिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय को राज्य के हिस्से में स्वयं राष्ट्रीय स्तर पर कटौती करने के लिए वित्त विभाग से संपर्क करना और योजना आयोग से अनुरोध करना चाहिए। अपने हिस्से की राशि जारी करने का कार्य राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में एक और विसंगति है। यद्यपि असम में एसजीआरवाई योजना के अंतर्गत वर्ष 2001 में चावल संघटक को स्वीकृति दी गई थी, परंतु भारतीय खाद्य निगम ने इसे संबद्ध जिला मुख्यालयों को अभी तक जारी नहीं किया है। असम में लखीमपुर और दामोजी जिलों को भारत में सबसे अधिक पिछड़े जिलों में माना जाता है। इन दो जिलों को ''राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम'' के कार्यान्वयन हेतु भी चुना गया है जहां चावल संघटक 75 प्रतिशत है। ठीक वर्ष 2001 से आज तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा इन दो जिलों को एसजीआरवाई योजना के अंतर्गत चावल वितरित नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में यह ''राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम'' किस हद तक कार्यान्वित होगा? मैं माननीय मंत्री जी से इन दो जिलों द्वारा झेली जा रही इस विशेष समस्या का जायजा लेने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा संबद्ध जिला मुख्यालयों के स्थानीय केन्द्रों पर समय पर चावल वितरित किये जाएं।

माननीय मंत्री जी एसजीएसवाई के कार्यान्वयन में स्वयं-सहायता समूहों के सामने आ रही समस्याओं और अन्य अवसंरचनात्मक समस्याओं की जांच-पड़ताल करें। अधिकांश बैंक जो कि अग्रणी बैंक हैं, मुख्यत: यूबीआई जिसे अग्रणी बैंक के तौर पर नामनिर्दिष्ट किया गया है, वह काफी हद तक अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहे हैं। इस बात की पूरी समीक्षा करने का प्रबंध किया जाना चाहिए कि कौन से बैंक अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और ऐसे बैंकों को काली सूची में रखा जाना चाहिए तथा यह कार्य किसी और बैंक को आवंटित किया जाना चाहिए। अन्यथा, यह योजनाएं रोजगार सृजन और अवसंरचना विकास के नाम पर एक ढोंग बन गयी है क्योंकि जमीनी स्तर पर कुछ भी सृजित नहीं हो रहा है।

चावल भेजा जाना बेरोजगारी की समस्या का अस्थायी समाधान है और यह कार्य उत्पादकता और कार्य संस्कृति की कीमत पर किया जा रहा है। यदि कतिपय राज्यों में अधिशेष है तो अधिशेष को अन्य राज्यों को भेज रहा है। इस प्रकार, इन क्षेत्रों में किसानों की स्थिति में सुधार में सहायता नहीं मिल रही है। उन्हें वास्तव में कोई रोजगार नहीं दिया गया है। अतिरिक्त चावलों का एक राज्य से दूसरे राज्य में ढेर लगाना और कुछ नहीं बल्कि कृत्रिम उपायों से संरक्षित करने की प्रणाली है। जहां तक इन एसजीआरवाई और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध है तो स्पष्ट सीमांकन होना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों के मामले में नकदी संघटक कम से कम 75 प्रतिशत होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब मैं श्री मधु गौड़ यास्खी को बोलने का अवसर देता हूं।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मधु गौड़ यास्खी (निज़ामाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, जब हम कृषि मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा करने के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनुदान की मांगों अर्थात् ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा कर रहे हो तो यह बड़े खेद की बात है कि विपक्ष यहां नहीं था।

चूंकि गांव राष्ट्र का हृदय है, यूपीए सरकार ने केन्द्र के विभिन्न कार्यक्रमों को और अधिक युक्तिसंगत तथा कार्यान्वयनीय बताकर ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण समृद्धि पर जोर देकर सही कदम उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले पांच वर्षों के दौरान एनडीए सरकार द्वारा किये गये लंबे-चौड़े दावों के बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि हाल की भारत विकास रिपोर्ट में गरीबों की खाद्य सुरक्षा की स्थिति बताई गई है जो कि बहुत ही दयनीय है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रात्रि 8.00 बजे

दलहनों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हुई है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अगर माननीय सदस्य सहमत हों तो हाउस का समय आधा घंटा बढ़ा दें।

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): आप आधा घंटा समय बढ़ा दीजिए फिर मंत्री जी जवाब दे देंगे।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां, समय बढ़ा दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाता है।

[अनुवाद]

श्री मधु गौड़ यास्खी: 1999-2003 के दौरान दलहनों की उपलब्धता 36.5 किलोग्राम से घटकर 28.2 किलोग्राम हो गई। इसी अवधि में भारत में 47 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हुए तथा 74 प्रतिशत रक्त अल्पता के शिकार हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में 15-49 आयु वर्ग की छत्तीस प्रतिशत विवाहित महिलाएं ऊर्जा की कमी से पीड़ित हैं। इसी आयु वर्ग का 54 प्रतिशत भाग अशिक्षित है। लगभग 50 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से पीड़ित हैं।

जब भारत में एक अरब लोगों का 72.21 प्रतिशत 6.38 लाख गांवों में रह रहे हैं तो निश्चित है कि सभी प्रयासों का केन्द्र गांव ही होंगे। यह जानना भी निरुत्साहजनक बात है कि पांच प्रतिशत ग्रामीणों के पास पक्के मकान नहीं हैं, 25 प्रतिशत के पास स्वच्छ पेय जल नहीं है, 55 प्रतिशत लोगों के घरों में बिजली नहीं है, और 55 प्रतिशत लोगों के पास सफाई की सुविधाएं नहीं हैं।

बजटीय प्रावधानों पर एक नजर डालने से पता चलता है कि ग्रामीण साफ-सफाई तथा स्वच्छ पेयजल हेतु आवंटन, कुल व्यय के दो प्रतिशत से अधिक नहीं है। देश के बहुत से भागों तथा विशेषकर मेरे जिले निज़ामाबाद में स्वच्छ पेयजल की कमी है। तीन दिन पहले मेरे जिले में 21 वर्ष का एक युवक टैंकर से कुचल कर उस समय मारा गया जब वह टैंकर में से पानी निकालने के प्रयास में उस पर से गिर गया। निज़ामाबाद जिले में 922 गांव हैं तथा इनमें से अधिकतर गांवों में लोग पानी लेने के लिए लगभग दो किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं।

कृषि श्रमिकों को अपने पूरे दिन के कार्य के लिए 25 रु. से 30 रु. की दिहाड़ी मिलती है। अतिरिक्त आय के लिए उन्हें अपने बच्चों को कार्य पर भेजना पड़ता है। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे अपने बच्चों को सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल भेजेंगे? जब कोई स्व-रोजगार कार्यक्रम के लिए सोचता है तो उसके सामने बैंक से वित्तीय सहायता लेने में समस्या आती है। वित्तीय सहायता के रूप में 1 लाख रु. जारी करने के लिए वे युवकों से 50,000 रु. जमा कराने की मांग कर रहे हैं। यह समझ से परे की बात है। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि वह स्व-रोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले बैंकों को स्पष्ट निर्देश जारी करें कि योजनाओं का उचित क्रियान्वयन हो तथा बेरोजगार युवकों को उन योजनाओं का पूरा लाभ मिले।

यह भी आवश्यक है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण युवकों के लिए कुछ शिक्षा कार्यक्रम चलाए ताकि वे उनका लाभ उठा सकें तथा गांवों में कुछ लघु व्यवसाय आरंभ कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मधु गौड़ यास्खी: मैं मंत्रालय को एक अंतिम सुझाव देना चाहूंगा। इस क्षेत्र के लिए सरकार का आवंटन पर्याप्त नहीं है, हम गैर-सरकारी संगठनों, एनआरओज, बड़े उद्योगपतियों तथा बैंकों की सहायता ले सकते हैं। वे विभिन्न खेलों तथा आयोजनों को प्रायोजित करते हैं तथा संगोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम चलाते हैं। उनसे एक या अधिक गांवों को गोद लेने को कहा जा सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय एक निगम आरंभ कर सकता है। उक्त निगम, मकान बनाने, स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने तथा अन्य सफाई सुविधाओं के लिए आदर्श दिशानिर्देश तैयार कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मधु गौड़ यास्खी: तेलंगाना क्षेत्र के जिलों को विशेष धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। जब हम नक्सलवाद की समस्या की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी तथा शिक्षा का अभाव है। वहां, युवकों को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली-उपस्थित नहीं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर): महोदय, वर्ष 2004-05 की ग्रामीण विकास की अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

भारत गांवों में बसता है और भारत की खुशहाली खेत-खलिहानों से गुजरती है, यह हम बहुत दिनों से सुनते आए हैं। काफी दिनों से इस तरह से योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा होती हैं और योजनाएं बनती हैं। हम माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं जबकि पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें कहीं हैं, हम भी दो-तीन बातें कहना चाहते हैं। हम रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं, स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्थान करना चाहते हैं, गांवों का विकास करना चाहते हैं। केन्द्र ने योजनायें बनाई हैं, अगर उन पर गहराई से विचार करेंगे तो मालूम होगा कि जो योजनायें यहां से जाती हैं, जब उनके कार्यान्वयन की स्थिति आती है, गांव के स्वयं सहायता समूह बने हैं, केन्द्र द्वारा भेजा गया पैसा उन्हें मिल रहा है या नहीं? जो पैसा यहां से जाता है, बैंकों में उस पैसे को लेने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब इस पर विचार होगा, इसके कार्यान्वयन पर अमल किया जायेगा, तभी फैले हुए भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है, सही लाभार्थी को लाभ मिलेगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

उपाध्यक्ष जी, हमारे बहुत से साथियों ने ग्रामीण सड़कों के विकास की बात कही है। यह कार्य (पूरे देश में 3800 से 4300 करोड़) 500 करोड़ बजट बढ़ाने मात्र से नहीं होगा। स्वरोजगार के अवसर देकर, ग्रामीणों को आवास देकर, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, पेयजल सुविधा देकर प्रदान किये जा सकते हैं जिनसे गांवों का विकास होगा। आज हजारों नौजवान गांवों से पलायन कर रहे हैं, उन पर रोक लग सकेगी। केवल योजनायें बना देने से काम नहीं चलने वाला है। आज 70 प्रतिशत हमारा हिन्दुस्तान गांवों में बसता है। हमारे गांवों के उत्थान के लिए कितनी योजनायें बनाई जा रही हैं? आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी निधि का 70 प्रतिशत भाग गांवों के विकास के लिए दिया है। मैं ज्यादा समय न लेकर अपनी बात को गम्भीरता से कहना चाहूंगा कि पूर्वांचल के देवरिया, अम्बेडकर नगर, बस्ती से लेकर बिहार तक के सारे क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है जो सभी क्षेत्रों में कहर मचाती है। बाढ़ की रोकथाम के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों-अरबों रुपया खर्च किया जाता है लेकिन इस सब के बावजूद बाढ़ पर नियंत्रण के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाती है। गत 56 साल से बाढ़ को रोकने के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। हमारे जनपद संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर में हर साल बाढ़ आती है और हर साल इससे जान-माल की भयंकर बरबादी होती है। पिछली बार भी कई गांवों का कटाव हुआ और कई गांवों का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इन परिस्थितियों से भली-भांति परिचित हैं। वर्ष 1998 में भयंकर बाढ़ आई और उसके बाद वर्ष 2000 में त्राहि-त्राहि मची। इस भयंकर बाढ़ के कारण संत कबीर नगर और अम्बेडकर नगर की सड़कें पूरी तरह से टूट गईं। उन सड़कों की हालत इतनी खस्ता हो गई कि उन पर चलना भी दूभर हो गया। आप ग्रामों की उन्नति का सपना देख रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि पूर्वांचल के जनपदों के लिए एक विशेष पैकेज देकर उन टूटी हुई सड़कों की हालत में सुधार लाने के लिए प्रयत्न किये जायें। मेरा विश्वास है कि इस ओर अवश्य ध्यान दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष जी, मैं ग्रामीण मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर अपने विचार रखने का अवसर दिया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: डा. एम. जगन्नाथ-उपस्थित नहीं।

श्री विजय कृष्ण-उपस्थित नहीं।

श्री निखिल कुमार-आप केवल तीन मिनट तक बोल सकते हैं।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): महोदय, धन्यवाद। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं आपको कुछेक सुझाव ही दूंगा।

सर्वप्रथम, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सड़क निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण हेतु कतिपय सड़कों की पहचान की है। मेरे क्षेत्र में आगामी पांच वर्षों में कुल 400 किलोमीटर दूरी की सड़कों का निर्माण किया जाना है। इसके प्रथम चरण में तीन सड़कों की पहचान की गई है और इनसे संबंधित कार्यों को कराने का दायित्व इरकॉन को सौंपा गया है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि किन्हीं कारणों से इरकॉन कार्य शुरू नहीं कर पायी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इरकॉन से कार्य को शुरू करके इसे शीघ्र पूरा करने के लिए कहा जाए।

मैं चाहता हूं कि इंदिरा आवास योजना और श्रम विकास योजना के अंतर्गत और अधिक धनराशि आवंटित की जाए क्योंकि वर्तमान आवंटन बहुत कम है। इससे आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पायेंगी। मैं जानता हूं कि वर्तमान बजट में आवंटन में वृद्धि नहीं की जा सकती। लेकिन संशोधित प्राक्कलन के अंतर्गत धनराशि की मांग करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

तीसरी बात अन्त्योदय अन्न योजना के बारे में है। इस योजना के अंतर्गत मेरे प्रखण्ड में 13,000 क्विंटल खाद्यान्न आया है।

लगातार 7 माह से मेरे प्रखण्ड में खाद्यान्न नहीं पहुंचा है और स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह महत्वपूर्ण योजना सक्षम ढंग से चले, एक विशेष प्रकार की मानीटरिंग की आवश्यकता है और एक विशेष प्रकार की यह जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए कि जिस प्रखण्ड विशेष के लिए खाद्यान्न था वह वहां पर क्यों नहीं पहुंचा। अगली बात किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में है। सत्यापन करने वाले प्रमाणपत्र देने वाले खण्ड विकास अधिकारी इसे आधा-अधूरा करते हैं जिसके परिणामस्वरूप किसानों को अपने प्रमाणपत्र को पूरा करवाने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। मैं सोचता हूं कि खण्ड विकास अधिकारियों को एक विशेष प्रकार के केन्द्रीयकृत अनुदेश जारी किये जायें कि उन्हें किस प्रकार के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है। उनसे यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वे इस बात को स्पष्ट करें कि आवेदक संयुक्त परिवार का एक सदस्य है और उस संयुक्त परिवार द्वारा धारित कुल भूमि में से उसका (आवेदक) इतना हिस्सा है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक बैंक कोई ग्रामीण ऋण नहीं देंगे।

मेरा अगला सुझाव बिहार में ट्रेक्टरों के लिए पंजीकरण शुल्क की मात्रा के बारे में है। यह शुल्क बहुत अधिक है जिसके परिणामस्वरूप यह किसानों के लिए एक प्रकार का अवरोधक बन गया है। इस पंजीकरण शुल्क को कम किये जाने के संबंध में विचार किया जाना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इस समय बिहार में राष्ट्रपति शासन है और इसलिए भारत सरकार शायद बिहार सरकार को यह सलाह दे सकती है कि वह जैसा आवश्यक समझे करें, क्योंकि यदि इस शुल्क को कम किया जाता है तो इससे किसानों को बहुत लाभ होगा।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं कृषि मंत्रालय की अनुदान की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जहां तक मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जिला स्तर पर विजीलैन्स कमेटी बनाकर बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। जो पैसा केन्द्र सरकार से जाता है, ये कमेटियां उसकी मानीटरिंग कर सकेंगी और जो खर्चा राज्य सरकार के माध्यम से होता है, वह अन्य स्रोतों में न लग जाए, उसकी फिजीकल वैरिफिकेशन हो और लोगों को उसके बारे में जानकारी मिल सके। एक बहुत बड़ी चीज एम.पीज. को दी गई है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कुम्हारों के लिए जहां एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टे काटे जाते हैं, वहां कुम्हारों के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। माननीय लालू प्रसाद जी ने रेलों में कुल्हड़ आवश्यक कर दिया, लेकिन कुल्हड़ बनाने के लिए मिट्टी कहीं भी उपलब्ध नहीं हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे दिशा-निर्देश जारी किये जायें कि कुम्हारों के लिए एल.एम.सी. की जो जमीन ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ी हुई है, वह उन्हें उपलब्ध कराई जाए, ताकि कुम्हार बिरादरी को उसका लाभ मिल सके और वे अपनी जीविका चला सकें।

अभी मेरे पूर्व साथी ने हैंड पम्पों की बात कही। मैं कहना चाहता हूं कि इसका सारा माल केन्द्र सरकार से जाता है, इसलिए जिसकी सरकार होती है, वह अपने एम.एल.एज. को बढ़ाने का काम करता है। वहीं एम.पीज. को कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। अगर यह एनेक्सी की उस मीटिंग में मौजूद रहे हों, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, वहां मैंने 150 हैंड पम्पों की मांग की थी। हमारा ही पैसा है और हमें ही ऑब्लाइज कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि हैडपम्प बढ़ाये जाएं। जिस तरह से विधायकगण अपनी स्टेट में अपनी सहभागिता अपनी विधायक निधि से करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसी तरह से हमें भी यह अधिकार दिया जाए कि जो हमारी एम.पीज. निधि है, हम उससे सहभागिता अदा कर सकें, ताकि हम लोगों के वास्ते हैंड पम्प लगवा सकें। एम.एल.एज. तो अपनी विधायक निधि से पैसा दे सकते हैं, लेकिन एम.पीज. अपनी सांसद निधि से शेयर नहीं दे सकते, इसके कारण हमें बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। पैसा हमारा है। पैसा हमने उसी में से देना है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सांसद विकास निधि को बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये किया जाए। दिल्ली में दो करोड़ रुपये एमएलए को दिये जाते हैं। दिल्ली में एनडीएमसी और डीडीए द्वारा सौ रुपये गज की जमीन एक लाख रुपये गज में बेची जाती है। उनका तो उद्धार हो जाता है लेकिन हम एमपीज को कुछ नहीं मिलता। यूपी में एक एमएलए को भी एक करोड़ रुपये मिलता है, दिल्ली में दो करोड़ रुपये मिलते हैं। चूंकि यह सरकार भी जुगाड़ पर चल रही है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि देश के अंदर कोई ऐसा जुगाड़ बनाया जाए कि सांसद विकास निधि की राशि बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये की जाए अन्यथा जो दो करोड़ रुपये हैं, उन्हें भी वापस ले लिया जाए। हमारी जान तो बचे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए पुन: मंत्री जी और विभाग का आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि बहुत अच्छा प्रावधान आपने बजट में रखा है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अगर वापस हो गया तो कोई शादी पर भी नहीं बुलाएगा।

...(व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का बड़ा आभारी हूं, अध्यक्ष महोदय और बीएसी के सभी सदस्यों का आभारी हूं क्योंकि देश के गांवों में बसने वाले करोड़ों गरीब और बेरोजगार आदमी संसद की ओर ध्यान लगाये रहते हैं कि हमारे विषय में क्या बात हो रही है, क्या सवाल उठ रहे हैं और उनका क्या समाधान हो रहा है। बड़ी कशमकश के बाद इस मांग पर बहस मंजूर की गई और बहस की समाप्ति आज हो रही है।

महोदय, आज की बहस में 20 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए। माननीय सदस्यों ने कई मांगें भी की हैं और अच्छे सुझाव भी दिये हैं। सभी सुझाव, मांगें और जो बहुमूल्य प्रश्न जनता के लिए उठाए गए हैं, गांवों और गरीबों के विकास के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उठाये गये हैं, सभी के लिए सम्यक विचारोपरांत हम देखेंगे कि कैसे उनका कार्यान्वयन हो सकता है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): सांसद निधि के लिए?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: वह सब बाद में पूछेंगे। अभी कहने दीजिए।

श्री इलियास आज़मी: वह इनके मंत्रालय का मामला नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: किसी भी मंत्रालय का हो, हम बाद में बताएंगे। अभी हमें अपनी बात कहने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया माननीय मंत्री की बात में खलल न डालें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, नेशनल कामन मिनिमम प्रोग्राम की प्रसंशा यूएनओ ने भी की है कि यदि इस तरह के कार्यक्रम का सही कार्यान्वयन हो जाए तो हिन्दुस्तान भी कुछ वर्षों में दुनिया का नंबर एक मुल्क बन सकता है। यह क्षमता भी हममें है। प्रधान मंत्री जी का जो थ्रस्ट एरिया है और हम लोगों को बराबर लिखा-पढ़ी में वे कहते हैं कि गरीबों का काम कैसे आगे बढ़े, गांवों में बसने वाले जो बेरोजगार लोग हैं, उनको कैसे रोजगार मिले, उनका नारा है, रोजगार बढ़ाओ कार्यक्रम और फिर ई-गवर्नेन्स के द्वारा सभी का कार्यान्वयन किया जाए।

जो एंप्लायमैंट गारंटी विधेयक लोक सभा में पिछली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, वह स्टैन्डिंग कमेटी में लंबित है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस संबंध में जिज्ञासा जाहिर की है। मैं चाहता हूं कि इसी सत्र में उसको पारित किया जाए। इसलिए हमने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बार-बार रिमाइंड कराया है। हमने मिलकर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन साहब और स्पीकर साहब से लिखा-पढ़ी करके दो-दो बार रिमाइंड कराया है कि जल्दी से स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे जिससे इसी सत्र में इसे पारित करने के लिए जो हम कृत-संकल्पित हैं, वह पूरा हो सके और जल्दी से जल्दी एंप्लायमैंट गारंटी स्कीम हम लागू कर सकें। नेशनल कामन मिनिमम प्रोग्राम में जो हमारा कमिटमैंट है गरीबों के लिए, गांवों में बसने वाले मेहनतकश मजदूर जो काम करना चाहते हैं, और काम करके जीना चाहते हैं, एक साल में सौ दिनों के रोजगार की गारंटी, काम के लिए अधिकार की तरफ यह एक बड़ा भारी मजबूत कदम होगा। यह ऐतिहासिक कार्य होगा। इसीलिए इसमें देश भर से सुझाव आए और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का सुझाव भी आया है। उनके सुझावों को हमने स्वीकार किया है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ जाए। हम उसकी प्रतीक्षा में हैं। हम उसके लिए बेचैन हैं। रिपोर्ट जल्दी आए और माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि ग्रामीणमुखी, रोजगारमुखी विधेयक को जल्दी से पास करा दिया जाए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: चेयरमैन साहब वह रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमने मिल कर चेयरमैन साहब को कहा है। हमने लिखा-पढ़ी भी की है। स्पीकर साहब से भी प्रार्थना की है। माननीय सदस्यों ने भी सवाल उठाया है। उन्हें जानकारी देना हमारा कर्त्तव्य है। सदन के सामने हम कोई भी बात छिपाना नहीं चाहते हैं। सब बातें खुल कर कहना चाहते हैं, इसलिए हम बराबर ताकीद कर रहे हैं, मुस्तैद हैं कि रोजगार गारंटी कानून आए।

महोदय, आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट पर चर्चा हो रही है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप अपनी कसौटी पर कस कर देखिए। जब आप कोई काम करते हैं तो क्या उससे किसी गरीब आदमी का भला होता है या नहीं, किसी फटेहाल आदमी का भला होता है या नहीं या उसके फायदे के लिए आप क्या काम कर रहे हैं तो महात्मा गांधी जी ने हमें लिटमसटैस्ट का उपदेश दिया था। गांव का, गरीब का विकास करने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, क्या नीति अपना रहे हैं और क्या कार्यक्रम अपनाते हैं। वह लिटमस प्रपत्र है इसलिए हमारी प्राथमिकताएं गांव और गरीब हैं। जहां हम देखते हैं कि गांव नहीं हैं, गरीब नहीं हैं, वहां किसी योजना को हम लोग मान्यता देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए गांधी, गांव और गरीब तीनों को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। केवल जुबानी भाषण देने से नहीं, केवल ब्यानबाजी

करने में नहीं, महोदय हम नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के कार्यान्वयन पर विश्वास करते हैं। जो बजट उपबंध हुआ है इससे पहले एनडीए की सरकार भी कभी-कभी गांव और गरीब की चर्चा करती थी लेकिन केवल चर्चा, उनके बजट में हजार-डेढ़ हजार, दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान होता था जैसे गरीब की कोई समस्या ही नहीं है। गांव की कोई समस्या ही नहीं है। यही बढ़ोत्तरी होती थी लेकिन इस बार 50 फीसदी वृद्धि हुई है। उनका बजट 16 हजार करोड़ रुपये का वर्ष 2004-05 से पहले था। उसके बाद बढ़कर 18 हजार करोड़ रुपये हो गया। महोदय, इस बार बजट में 24 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हमने की हैं। लगभग 50 फीसदी, डेढ़ गुना बजट बढ़ाया है और बजट को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए माननीय सदस्यों ने मांग की है। उन्होंने हमको ताकत दी है, हमें समर्थन दिया है। मैं समझता हूं कि गांव और गरीब उनकी प्राथमिकताएं हैं। जो गांव से चुन कर आते हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं कि गांव में क्या-क्या समस्याएं हैं उनके लिए बजट उपबंध में बढ़ोत्तरी करने का हमारा और भी प्रयास है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 71 परसेंट बढ़ोत्तरी हुई है। जहां 2468 करोड़ रुपये का बजट उपबंध था वह बढ़ कर 4200 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है लेकिन उससे भी काम चलने वाला नहीं है। वर्ष 2000 में प्रधान मंत्री ग्रामीम सड़क योजना शुरू की गई। उस समय उन्होंने अुमान लगाया था कि 60 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे लेकिन वह आकलन एकदम गलत था। अभी उसका आकलन किया गया है जिसमें उसका खर्च 60 हजार करोड़ रुपये नहीं, बिल्क उससे दुगुना है। उन रुपयों से भी काम नहीं चलेगा। एक लाख बत्तीस हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे तब देश में 500 की आबादी से अधिक वाले गांवों को हम रूरल एरियाज से जोड़ सकेंगे। बजट में 16 लाख 32 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी इसलिए हुई है लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। वित्त मंत्री जी ने बड़ी भारी एडवेंटर स्कीम भारत निर्माण योजना की घोषणा की है। भारत निर्माण में 6-6 उपबंध हैं। तीन उपबंध हमसे संबंधित हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित हैं। उसमें नम्बर एक उन्होंने कहा कि 2009 तक कम से कम एक हजार की आबादी वाले गांव को निश्चित रूप से सड़क से जोड़ देंगे। उसके लिए जहां 4200 करोड़ रुपये का उपबंध हुआ है उसके लिए हमको 9 हजार करोड़ रुपये सालाना चाहिए। तब हम एक हजार की आबादी वाले गांवों को आपस में जोड़ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट उपबंध में तो बढ़ोत्तरी हुई ही है। इसके बावजूद हमने वर्ल्ड बैंक और एशियन डैवलपमेंट बैंक से, इंटरनैशनल फंडिंग से भी बजट में बढ़ोत्तरी और खर्चे का प्रबंध किया है। लोगों ने जहां-तहां चर्चा में कहा कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना सो गई है, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर हमारी सरकार का जोर नहीं है या सुस्त पड़ गई है। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने इसके लिए पहले से, इस वर्ष बजट में 71 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की है। मैं समझ नहीं पाया कि और कैसा जोर होता है। इस हेतु हमने हर तरफ से धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की कोशश की है। एशियन वर्ल्ड बैंक से राशि का प्रबंध कर रहे हैं, लिवरेज डॉमैस्टिक फंडिंग से व्यवस्था कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल फायनेंस को लिवरेज करके हम कैबिनेट में प्रस्ताव ले गए हैं। उससे 10-20 वर्ष आगे तक राज्यों को जो हिस्सा मिलना है, उस हिस्से के बदले, अभी उस राशि को खर्च करने की व्यवस्था हम कर रहे हैं।

महोदय, देश में रूरल रोड्स कुल 33 हजार किलोमीटर लम्बाई की हैं, 58 हजार किलोमीटर नैशनल हाइवे की सड़कें हैं, सवा लाख किलोमीटर स्टेट हाइवे की सड़कें हैं, सवा तीन लाख किलोमटीर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं और 27 लाख किलोमीटर रूरल रोड हैं। रूरल रोड ग्रामीम क्षेत्र की जीवन रेखाएं हैं। जैसे शरीर की प्रत्येक नस में खून का संचालन होता है और शरीर तभी तक शरीर है जब तक कि नस-नस में खून दौड़ रहा है और उसे नस-नस में दौड़ना चाहिए। उसी तरह से देश की व्यवस्था ठीक प्रकार से चलाने के लिए ग्रामों में सड़कों का जाल बिछाने की जरूरत है, तभी ग्रामों का विकास हो सकता है। नैशनल हाइवे हो जाए, वह चार लेन का हो जो, छः लेन का हो जाए, वर्ल्ड क्लास हो जाए, लेकिन रूरल रोड गांव की कच्ची सड़क ही बनी रहे, उस पर बैलगाड़ी चलती रहे। उससे देश का समग्र विकास नहीं हो सकता है। इसलिए रूरल रोड्स पर प्रथम बार जोर लगाया गया है।

महोदय, पहले इंडियन रोड कांग्रेस थी, उसमें भी रूरल रोड्स की अहमियत नहीं थी। नैशनल हाइवे की बातें होती थीं और पी.डब्ल्यू.डी. तक ही बातें होकर रह जाती थीं, लेकिन अब इंडियन रोड कांग्रेस में भी रूरल रोड्स का बोलबाला है। हमने रूरल रोड को विकसित करने के लिए एक रूरल रोड्स विजन-2025 तैयार किया है। रूरल रोड का काम उसके तहत आने वाला है। देश का नक्शा लोगों को मालूम होना चाहिए और यह तभी हो सकता है जब गांवों की सड़कें सुधरें। सभी जानकार बताते हैं कि जब तक यातायात और कम्युनिकेशन का विकास नहीं होगा, तब तक किसी भी एरिया का विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए रूरल रोड्स का एक बड़ा भारी कार्यक्रम तैयार किया गया है। रूरल रोड बनाते समय उसकी गुणवत्ता और रोड बनाने वालों का चयन कैसे किया जाएगा, वह मैं आगे बताऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, एक मिनिट के लिए आप स्थान ग्रहण कीजिए।

माननीय सदस्य, क्या हाउस की अनुमति है कि वर्ष 2005-06 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

मांगें जब तक पारित नहीं हो जाती हैं, तब तक समय बढ़ाया जाए?

अनेक माननीय सदस्यः जी, हां।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, रूरल सैनीटेशन के लिए पिछले वर्ष 400 करोड़ रुपये का सालाना बजट था जिसे हमने 75 प्रतिशत बढ़ाकर, इस वर्ष 700 करोड़ रुपये किया है और उससे भी हमारा काम चलने वाला नहीं है। टोटल सैनीटेशन कैम्पेन अभी तक 400 से अधिक जिलों में लागू हुआ है। हम उसे बढ़ाकर 600 जिलों में लागू करना चाहते हैं, जिससे घर-घर पानी-पखाने की, शौचालय की व्यवस्था हो जाए। टोटल सैनीटेशन कैम्पेन के अंतर्गत हमारा उद्देश्य है कि घर-घर शौचालय बने। हमने हिसाब लगाकर देखा है, करेंट आंकड़ों के अनुसार 100 परिवारों पर 30 परिवारों में शौचालय का प्रबंध है। देश में 70 प्रतिशत परिवार अभी भी ऐसे हैं जिनके लोग, सड़कों पर, खेतों में, बाड़ी में झाड़ी में शौच करते हैं। यह हमारे लिए कलंक की बात है और चुनौती है। अभी-अभी हरियाणा के श्री जय प्रकाश अपने भाषण में हरियाणा के बारे में कह रहे थे। हमने हरियाणा के आंकड़े देखे हैं। इस समय वे यहां नहीं बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदयः पंजाब को भी जोड़ लीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः जी हां। हरियाणा में 70 प्रतिशत परिवारों में टी.वी. है, लेकिन पानी-पखाना केवल 40 प्रतिशत परिवारों में ही है। टी.वी. है, लेकिन शौचालय नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो सक्षम हैं, वे भी पानी-पखाना घर में नहीं बनाते हैं। इसलिए लोगों में सफाई के प्रतिजागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। सम्पूर्ण ग्रामीण स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना जरूरी है। कुछ लोग पानी के शौचालय बनाने में सक्षम हैं, लेकिन अवेयरनैस नहीं होने के कारण उनमें पानी-पखाने के बारे में जागरूकता नहीं होने के कारण वे नहीं बना पाए। इसलिए जो गरीब आदमी है, उनकी सहायता केन्द्र सरकार से होगी। उसमें राज्य सरकार का भी हिस्सा है, उनका कुछ अपना भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसमें हम और बढ़ोत्तरी के लिए विचार कर रहे हैं। वर्ष 1999 के मूल्य के आधार पर यह तय किया गया था, उसमें हमने कहा कि जब सभी में बढ़ोत्तरी हुई है तो इसमें भी हम राशि बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद कुल 14 योजनाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लागू की जा रही हैं। योजना नम्बर वन—वेज एम्प्लायमेंट की योजना। लोगों को काम देकर रोजगार मिले, जिससे उनकी आदमनी हो और वे अपनी जीविका चला सके, उसमें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है। यह मांग की गई है कि पंचायतों को राशि दी जाए। सीधे डीआरडीए में यहां से राशि जाती है और वहां से 15 दिनों में 20 प्रतिशत राशि जिला पंचायत परिषद में जाती है, 30 प्रतिशत राशि प्रखंड पंचायत परिषद में जाती है और 50 फीसदी राशि ग्राम पंचायतों में जाती है, जो उनके द्वारा खर्च होती है। यह 50 फीसदी राशि ग्राम पंचायतों में जाती है, उसकी आधी राशि अनुसूचित जाति, जनजाति एरियाज में खर्च करनी है और जिला परिषद में जो राशि जाती है, उसकी साढ़े 22 प्रतिशत, और प्रखंड पंचायत समिति में जो राशि जाती है, उसकी साढ़े 12 प्रतिशत,

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थी परिवारों

[हिन्दी]

इस तरह की स्कीम दुनिया में कहीं नहीं है। उन्हें सौ प्रतिशत सब्सिडी जीविका देकर, इनकम जेनरेटिंग असेट्स देकर गरीबी रेखा के ऊपर लाया जा सकता है। हम उनके अनाज के लिए 700 करोड़ रुपये का खर्च करते हैं। माननीय सदस्यों ने जो साढ़े 22 प्रतिशत का सवाल उठाया है, उसमें हेरा-फेरी की भी शिकायत की है, मैं उसका भी इलाज बता रहा हूं। हमने उस पर क्या कार्यवाहियां की हैं, वह भी मैं आपको बता रहा हूं। योजना नम्बर दो—वेज एम्प्लायमेंट, काम के लिए भोजन योजना। हम जो नेशनल एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम लागू करने जा रहे हैं, जो कानून बनाना है, उसके पहले हमने प्रयोग के रूप में देश के डेढ़ सौ जिलों का चयन किया है, उसमें 2020 करोड़ का पिछले साल और 20 लाख टन अनाज का प्रावधान किया है और इस बार छः हजार करोड़ रुपये और एक लाख टन अनाज का प्रावधान किया है, जिससे कि अनाज भी जाए और राशि भी जाए तथा कहीं भी लोगों का पलायन न हो, गांवों में ही लोगों को रोजगार मिले। गांवों में रोजगार मिले, काम के लिए भोजन योजना, और उन्हें कुछ नकद भी मिले, अनाज भी मिले और राशि भी मिले, जिससे वे भुखमरी से मुकाबला कर सकें और जीवित रह सकें ताकि भुखमरी का संकट न हो। इसलिए काम के लिए भोजन योजना में भी कहा गया है। माननीय सदस्यों ने निगरानी का सवाल उठाया है और कहा कि वहां ठीक से खर्च नहीं हो रहा है, वहां बढ़िया से निगरानी नहीं है। इसके लिए मैंने सभी राज्यों की अलग-अलग बैठक करके भी बहस की है। सभी राज्यों, विशेषकर दो-तीन राज्यों को मिला कर माननीय सदस्यों को हमने कष्ट दिया है, बुलाया है और सब कागज-पत्र दिया है कि कहां क्या खर्च होता है, क्या बजट उपबंध हैं। क्या जिले में जो पैसा गया, उसकी निगरानी करने का काम माननीय सदस्यों का है, क्योंकि उन्हें जिला निगरानी और सतर्कता कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और उस निगरानी समिति का सैक्रेट्री जिला मजिस्ट्रेट को बनाया गया है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वे उन्हें पावर नहीं दी है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. अप्पादुरई (तेनकासी): तमिलनाडु में यह कार्य नहीं कर रही है।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं आपको इस बारे में बताता हूं कि इन सारी योजनाओं का कार्यान्वयन पंचायत राज अथवा राज्य सरकार के द्वारा होता है, सीधे यहां से कोई कार्यान्वयन नहीं होता, यहां से राशि का उपबंध होता है।

हम निगरानी करते हैं कि किसी राज्य का हिस्सा न कटे, क्यों खर्च नहीं किया, क्यों हिसाब नहीं दिया, वहां उनके मुख्यमंत्री से, उनके मंत्री से, अधिकारीगण से ताकीद करके, लिखा-पढ़ी करके, फोन करके, अपने आफिसर भेजकर मैं मुस्तैदी करता हूं कि किसी का हिस्सा न कटे। यह निगरानी करने का काम, ऊपर से पैसा भेजने का और देखने का काम है, लेकिन राज्य सरकारों के सहयोग के बिना कोई योजना बहुत सफल नहीं हो सकती, पंचायती राज के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती। सभी की उसमें भागीदारी है, अब उसमें डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी के माननीय सदस्यों ने जबरदस्त मांग की थी, यहां सदन में पहले जोरदार अपील हुई थी कि इस तरह की कमेटी बनाई जाये और एम.पी. साहब लोगों को अधिकार दिया जाये, उन्हें सहभागिता दी जाये। लेकिन अब कुछ राज्य सरकारों को उसे मानने में कठिनाई होती है, लिखा-पढ़ी में भी हम लगे हैं कि सब राज्य सरकारें इसमें सहयोग करें और देखें कि सरजमीं पर ठीक खर्चा हो और उसमें स्ट्रिक्ट विजिलेंस किया जाये। इसके लिए हमने जनता की भागीदारी भी की है, जो सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजनाएं जितनी भी बनेंगी और जो फूड फॉर वर्क की योजनाओं की जितनी मंजूरी और कार्यान्वयन होगा, प्रत्येक योजना में पांच से नौ व्यक्तियों की, उसी के लाभार्थियों की समिति बनेगी और वह समिति के लोग निगरानी करेंगे, उसमें पूरी ट्रांसपरेंसी, पारदर्शिता रखी जायेगी कि उस पारदर्शिता से आम लोग जान सकें कि क्या एस्टीमेट है, क्या राशि आई है, क्या काम होना है, सही ढंग से कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं, मजदूरों को मजदूरी या अनाज मिल रहा है या नहीं। आम लोगों की भी भागीदारी, लाभार्थियों की भागीदारी उसमें दी गई है। यह भी कहा गया है कि उस मौहल्ले में कोई रिटायर्ड पर्सोनेल, कोई मिलट्री आर्मी या कोई अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस का सिपाही, मास्टर रिटायर होकर बाहर आये हैं तो उसमें उनको भी रखा जाये, जो देखभाल कर सकें। इसलिए हर स्तर पर निगरानी की व्यवस्था की गई है। स्ट्रिक्ट विजिलेंस का हमारा मेण्डेट है। नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उसे ठीक से, सख्ती से लागू किया जायेगा। नहीं तो दिल्ली में बड़ा भारी एण्टी रूरल की और एण्टी पुअर की बड़ी भारी लॉबी है, गरीब और गांव के दुश्मन यहां बहुत जहां-तहां होशियार बनते हैं, वे बराबर बोल देते हैं, राजीव गांधी ने कहा था, पैसा गांव में नहीं जाता है। सीधे मना नहीं करते हैं, गांव में पैसा नहीं जाये, गरीब के पास पैसा नहीं जाये, वे सीधे मना नहीं करेंगे, बोलेगा यहां से गांव में पैसा नहीं जाता है, राजीव गांधी ने कहा था, 15 पैसा जाता है, उसे ले जाने का काम किसका है और सही ढंग से देखने का काम उसका भगवान आकर करेगा कि हम लोग जो इलैक्टिड रिप्रेजेण्टेटिव हैं, जो अधिकारी राज्य सरकार और भारत सरकार, जागरूक लोग, समाजसेवी, सब लोग मिलकर उसको देखें किस ही ढंग से उसकी निगरानी हो और सही ढंग से खर्चा हो, लेकिन गांव में विकास का पैसा जाने से यहां लोगों को कुछ देह में खुजलाहट होने लगती है, यह मैंने महसूस किया है। इसीलिए हम उसमें जनमत, लोकमत बनाना चाहते हैं कि गांव की उपेक्षा और गरीब की उपेक्षा और उनका स्वर में कोई कमी और उनकी आवाज को कोई दबा नहीं सके। करोड़ों गांवों के जो फटेहाल लोग हैं, वे ताकते रहते हैं, हमारे लिए कम हो रहा है, इसीलिए उसको कराना है और करना है।

योजना नम्बर तीन—प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में माननीय सदस्य कहते हैं कि उनकी उपेक्षा होती है। उनकी उपेक्षा का प्रावधान नहीं है, हमारे मननीय सदस्य जिला परिषद में लिखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को लिखेंगे कि इस सड़क की मैं अनुशंसा करता हूं। या तो कमेटी में बैठेंगे, जाएंगे, जिला परिषद में भी वे सदस्य हैं। लेकिन माननीय सदस्यों को कठिनाई होती है, वहां बाकी सब सदस्य एम.पी. के खिलाफ मिल जाते हैं, इसलिए कठिनाई होती है। फिर भी प्रावधान है कि ये अपनी अनुशंसा भेज दें। जिला परिषद और स्टेट गवर्नमेंट अगर उस अनुशंसा को नहीं मानेगी तो उनको बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं मानेगी। यदि क्राइटीरिया में आता है, यदि एक हजार से ज्यादा आबादी का टोला है, हैबीटेशन है और हारे एम.पी. लिखकर देते हैं तो उनको मानना पड़ेगा, नहीं तो हम अपनी तरफ से उसमें सड़क को जोड़ देंगे। लेकिन इसमें माननीय सदस्यों को भी थोड़ा एलर्ट रहने की जरूरत है। हो सकता है, फैडरल स्ट्रक्चर है, केन्द्र-राज्य संबंध को लेकर चलना है, पंचायती राज को भी लेकर चलना है, इसलिए कोआर्डीनेट करने के लिए यह जरूरी है। लेकिन यह भी है कि माननीय सदस्यों से उनका शिलान्यास, उद्घाटन करवाया जाये। यह भी निर्देश दिया हुआ है लेकिन उसका कहीं-कहीं कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। हम लोगों के नोटिस में ये बातें आती हैं तो हम उस पर सख्त कार्यवाही करते हैं।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: माननीय मंत्री जी जिस जिला परिषद की बात कर रहे हैं मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में एक सड़क के निर्माण के लिए शिलापूजन करवाया गया, शिला

[कुंवर मानवेन्द्र सिंह]

भी स्थापित की गई, किंतु पूजा करने के पश्चात् सड़क किसी दूसरी जगह बनवा दी गई। मैंने राज्य मंत्री जी और आपको भी पत्र लिखा था। राज्य मंत्री जी ने कहा कि यह सड़क यहां नहीं बनेगी। मैंने आपको भी लिखा था लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसा बहुत जगहों पर होता है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आप इन बातों को नोट करके रखिए, मुझे बाद में बता दीजिएगा। बीच में टोकाटाकी से मुझे असुविधा होती है।

योजना नम्बर चार—पीने के पानी से संबंधित है। हमारा मैंडेट है, गांव के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाना। केवल पानी नहीं बल्कि शुद्ध पानी उपलब्ध करवाना है। पानी की गुणवत्ता का भी बड़ा भारी असर होता है। पचास फीसदी बीमारियां पानी से ही होती हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री जी. वेंकटस्वामी (पेछापल्ली): मैंने करीम नगर के लिए पानी की डिमान्ड की थी। मेरे क्षेत्र में लोग बिना पानी के मर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की समस्या भारत निर्माण का दूसरा हिस्सा है और दूसरा हिस्सा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है। 5920 हैबिटेशन टालें ऐसी हैं जहां पर अभी भी पानी की उपलब्धता नहीं है। 69 हजार टाले ऐसे हैं, जो पार्शली कवर्ड हैं। इसका मतलब यह है कि हमको देहात में कम से कम 40 लीटर पानी एक व्यक्ति पर चाहिए। वह भी कम है। राष्ट्रपति जी बराबर हमको निर्देश देते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं कि पूरी योजना बनाइये। पूरी योजना मतलब, शहरी सुविधा गांव के लोगों को भी दी जाए। शहर में हम देखते हैं कि पावभर पेशाब लोग करते हैं और उसके लिए 15 लीटर पानी खराब करते हैं। पखाने के लिए 30 लीटर, नहाने में सौ लीटर खर्च करते हैं। एक आदमी शहर में तीन सौ से चार सौ लीटर पानी खर्च करता है। हमारे गांव में अभी भी 40 लीटर पानी उपलब्ध नहीं है। 40 लीटर पानी में जानवर भी पानी पीता है, उसी में कपड़ा और नहाना इत्यादि और उसी में पीने का पानी है। कितना बड़ा फर्क है शहर और गांव में। गांव में पानी भी हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। अभी तक केवल 40 लीटर पानी ही रखा गया है। शहरी सुविधा गावों में कैसे दी जाएगी? शहरों के बाथरूम में ठण्डा, गर्म और मध्यम पानी के लिए अलग-अलग टैप होता है। किन्तु गांव में हजार आदमी में एक टैप भी नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? बराबर की सुविधाओं में जो दखलांदाजी है, ताकतवर लोगों की, सम्पन्न लोगों की, इसको नहीं चलने दिया जाएगा। गांव के लोगों को भी शुद्ध और पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाना पड़ेगा। इसीलिए बजट के आवंटन में वृद्धि की गई है। अशुद्ध पानी की भी समस्या है। बंगाल के आठ जिले आर्सेनिक की समस्या से पीड़ित हैं जिनमें मालदा, मुर्शिदाबाद और 24 परगना इत्यादि हैं, जो गंगा के किनारे हैं। आंध्र प्रदेश के नालगोंडा और करीमनगर इत्यादि जिले भी पीड़ित हैं। राजस्थान भी इस समस्या से ग्रस्त है।

हमने स्थल निरीक्षण किया है, जाकर देखा है। हमारे सामने चुनौती है कि गरीब लोग जो आर्सेनिक युक्त पानी पीते हैं, उससे चर्म रोग हो जाते हैं और कैंसर की बीमारी हो जाती है जिससे वे मर जाते हैं। जिस गांव में आर्सेनिक युक्त है, उस गांव में कोई शादी-ब्याह नहीं करेगा। फ्लोराइड युक्त पानी आंध्र प्रदेश, राजस्थान और देश के कुछ और इलाकों में है। उस पानी के इस्तेमाल से हड्डी टेढ़ी हो जाती है। गरीब लोग यह नहीं जानते कि कैसा पानी है। वे अशुद्ध जल पीकर बीमार हो जाते हैं। 2 लाख 16 हजार के लगभग हैबीटेशन्स ऐसी हैं, जहां कहीं फ्लोराइड है, कहीं आर्सेनिक है, कहीं नाइट्रेट है, कहीं लोहा है, कहीं बैक्टीरियल कन्टैमीनेशन है या बायोलॉजीकल कन्टैमीनेशन है, कहीं खारा पानी है। समुद्र के किनारे कोस्टल इलाके में नमकीन क्षारीय पानी होता है। ...*(व्यवधान)* राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन चला था, जिसके अंतर्गत त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम योजना और स्वजलधारा योजना चलाई जा रही है। उसमें 10 प्रतिशत हिस्सा जनता को देना है और 90 फीसदी भारत सरकार देगी। मैं उसे भी देख रहा हूं। उसकी राशि ठीक से खर्च नहीं हो रही है। लेकिन जहां कहीं जनता द्वारा 10 प्रतिशत राशि जमा कर दी गई है वहां इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। ...*(व्यवधान)* राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन में एक सबमिशन प्रोग्राम था। उसे एनडी सरकार ने धूल की टोकरी में डाल दिया था। हमने उसे निकाल लिया है। उसमें यह था कि जिस इलाके में पानी की उपलब्धता नहीं है, 200 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़ की योजना है, जो राज्यों को रुटिन में पैसा देते हैं, उनसे उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए अलग से राज्य सरकार प्रोजैक्ट बनाए और उसमें केन्द्र सरकार मदद करे। हमने उसे रिवाइव किया है। योजना आयोग ने सहमति दे दी है। वह ईएफसी में गया है। जब वहां से आ जाएगा, तब उसे कैबिनेट में ले जाएंगे। माननीय सदस्य श्री वेंकटस्वामी रूरल डैवलपमैंट मंत्री रहे हैं। वे बराबर तकाजा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ही वह ईएफसी से मंजूर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या देश के किसी हिस्से में पानी की कमी हो, पानी अशुद्ध हो, उन सभी योजनाओं का कार्यान्वयन हम कराने जा रहे हैं। हमारा संकल्प है कि पीने का पानी शुद्ध हो। टोटल सैनीटेशन कैम्पेन लागू किया जाए। कम्प्यूटराइजेशन ऑफ टोटल लैंड रिकार्ड के लिए खर्च देना-गांव के लोग अपने खाते, नक्शे, दस्तावेज आदि के सबूत लेने के लिए कोर्ट में जाते हैं लेकिन उनको महीनों तक कागज नहीं मिलते। ...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आज़मी: मुख्य मंत्री ने विधान सभा में दो सौ हैंडपम्प बांट दिए। आप भी उसी तरह बांट दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री इलियास आजमी, कृपया उन्हें परेशान न करें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमें 14 योजनाओं के बारे में बताना है, इसलिए संक्षेप में बताएंगे। कम्प्यूटराइजेशन ऑफ टोटल लैंड रिकार्ड-गरीब लोग ...*(व्यवधान)* मेरी बात स्पष्टीकरण के बारे में है।

[अनुवाद]

श्री जी. वेंकटस्वामी: महोदय, मेरी बात स्पष्टीकरण के बारे में है। मंत्री जी ने एनाउंस किया है कि 340 करोड़ और 370 करोड़ की ड्रिंकिंग वाटर स्कीम जो आई है, उसे आप कब दे रहे हैं, यह बताइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वेंकटस्वामी, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमने बता दिया है कि प्रस्ताव ईएफसी में मंजूरी के लिए गया है। जब वहां से आ जाएगा तो उसे कैबिनेट में ले जाएंगे। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उसके समय का वचन हम नहीं देंगे, लेकिन सही जानकारी दे देंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आजमी, कृपया बैठ जाइए, इन्हें परेशान न करें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: टोटल सैनीटेशन कैम्पेन-पानी और पाखाना के बारे में निश्चय किया गया है कि 31 मार्च, 2006 तक देशभर में जितने विद्यालय हैं, मदरसे हैं, स्कूल, कॉलेज, प्राइमरी विद्यालय सब में अनिवार्य रूप से पानी और पाखाना की व्यवस्था करवा दी जाए। वह सारा खर्चा हम देंगे। इससे बच्चे पाखाने की महिमा और उसका इस्तेमाल जानकर आपने गार्जियन को जागरूक करके घर में पाखाना बनवा सकते हैं। हम 31 मार्च, 2006 से आगे जाने वाले नहीं हैं। 31 मार्च 2006 तक हमें सेनीटेशन कैम्पेन को पूरा करना है। इसी तरह लैंड रिकार्ड का कम्प्यूटराइजेशन है। इससे गांव का आदमी अपने खाते की जानकारी प्राप्त कर सकता है। वह इसके तहत 10 या 15 रुपये डालकर पांच मिनट के अंदर एक कागज ले लेगा। इस संबंध में कुछ राज्य सरकारें बहुत आगे चली गयी हैं और कुछ राज्य सरकारें बहुत पीछे रह गयी हैं। लैंड रिकार्ड के कम्प्यूटराइजेशन के लिए 100 फीसदी खर्चा हम दे रहे हैं। जो लैंड रिफार्म है, सरकारी जमीन है, वैस्ट लैंड है, सरप्लस लैंड है, भूदान वाली लैंड है, उसमें हम राज्य सरकारों को बराबर हिदायत देते हैं। इस संबंध में हमने रेवेन्यू मिनिस्टर्स और रूरल डेवलपमैंट मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस की है। अभी पानी विभाग, सीएटीजी के मंत्रियों की भी हम कांफ्रेंस करने जा रहे हैं। यह सब करके, राज्यों को प्रेरित करने, राज्यों की सलाह-मशविरा से सभी कार्यक्रमों को लागू करने और उसे गरीब और गांव तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं।

इंदिरा आवास योजना के बारे में यहां माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया है। गरीब डेढ़ करोड़ परिवार हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। वे लोग झुग्गी-झोंपड़ी में रहते हैं। उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। अभी हम 15 लाख परिवारों के लिए घर बना रहे हैं। 2000 करोड़ रुपये के बजट उपबंध में हमने पिछले साल 2500 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। इस साल साढ़े 27 सौ करोड़ रुपये की वृद्धि बजट में हुई है। हमसे कहा गया है कि इन्हें और तेजी से बनाने के लिए आप प्रस्ताव भेजिये। हमने तुरंत प्रस्ताव भेज दिये हैं कि डेढ़ करोड़ परिवार बिना घर के रह रहे हैं। 15 लाख लोगों के लिए अगर हर साल घर बनाया जाये तो इसमें 10 वर्ष लेगंगे। लेकिन हर साल 10 लाख गरीब परिवारों में वृद्धि भी हो रही है। हमें लगता है कि इसमें ज्यादा वर्ष बरस लगेंगे इसलिए हमने महसूस किया है कि इसे दुगुना किया जाये।

भारत निर्माण में भी कहा गया है कि 60 लाख अतिरिक्त मकान चार वर्षों के अंदर हमें बनाने हैं। भारत निर्माण में तीन कार्यक्रम हुए हैं—प्रधान मंत्री रोजगार सड़क योजना के तहत एक हजार की आबादी से ज्यादा वाले गांव को जोड़ना; दूसरा, जहां पीने के पानी की उपलब्धता नहीं है अथवा अशुद्ध पानी है, दो लाख 16 हजार हैबीटेशन्स में शुद्ध पानी का प्रबंध करना और तीसरा, गरीबों के लिए घर का इंतजाम करना लेकिन इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। श्री रामदास आठवले ने यह मांग की है कि आप री-सर्वे कराइये क्योंकि बहुत से लोगों का नाम गरीबी रेखा से नीचे वाली सूची में नहीं है। श्री अनंत गुढ़े भी मांग कर रहे थे कि घर में आग लगे तो आप उसका प्रबंध कीजिए। हमने 15 तारीख को सब राज्य सरकारों को कहा है कि जिसके घर में आग लगे और आग बुझायी भी न गयी हो, उसी समय ईंट और रेत गिरने लगे, उसे तुरंत इंदिरा आवास के तहत मकान बना दिया जाये। सभी राज्य सरकारों को हमने निर्देश दिये हैं कि सब पैसा हम देंगे। वहां से आप सूची भेज दीजिए। हम सबका रीएम्बर्समैंट करेंगे। लेकिन हमने कहा कि जिस गरीब के घर में आग लगती है, वह विपन्न हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है, तो उसे जिले की राशि से जो रिलीफ सहायता राहत मिलनी है, वह मिले। लेकिन ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से इंदिरा आवास तुरंत बना दिया जाये, उसमें देर न की जाये। यह सभी को लिखा है। अब माननीय सदस्यों को खुद मॉनीटरिंग करनी है कि जहां किसी घर में आग लगती है, वहां तुरंत ईंट का घर बनना शुरू हुआ है या नहीं। यह देखना उनका काम है। सब पैसा यहां से हम देंगे। सारी सहायता हम करेंगे। इसी तरह से ये सारी योजना, एरिया डैवलपमेंट इत्यदि की जो हैं और जो पानी का

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

सवाल लोगों ने उठाया है, आने वाला समय पानी के लिए हाहाकार मचाने वाला समय होगा। उसके लिए वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर शेड मैनेजमेंट, वॉटर मैनेजमेंट ड्रॉट प्रोन एरिया में हमने कहा है कि मास्टर प्लान तैयार किया जाए और इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डैवलपमेंट प्रोग्राम, डैजर्ट डैवलपमेंट प्रोग्राम और फिर ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम यानी आईडब्ल्यूडीपी, डीडीपी और डीपीए ये तीन डैवलपमेंट कार्यक्रम हरियाली योजना के नाम से मशहूर हैं। माननीय सदस्यों से हमारी प्रार्थना है कि उनके इलाके में जहां सूखे की संभावना है, या जहां भी सूखा होता रहता है, वहां वर्षा के पानी को कैसे रोका जाए, कैसे जल संचय किया जाए, उसकी योजना बनवाकर भेजें। सारी राशि यहां से दी जाएगी, उसका कार्यान्वयन कराया जाएगा। हमारा मेन फोकस पानी है क्योंकि पानी के बिना हाहाकार मचने की संभावना है। इसलिए अभी से ही हम लोग सजग हो जाएं और उस पर कार्यान्वयन करें। इस तरह से 14 योजनाएं ग्रामीण विकास की हैं। इसी तरह से 'अन्नपूर्णा' योजना है, गरीबों को अनाज देने और निगरानी करने का हमारा काम है। जो फटेहाल गरीब हैं, दस किलो मुफ्त में उनको अनाज मिलना है।

श्री इलियास आज़मी: किसी को मिलता भी है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया इनकी बात में खलल मत डालिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: फिर समाज सुरक्षा पेंशन योजना, जो गरीब आदमी, 60 वर्ष से ऊपर है, उनको वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन मिलेगी जिसे गांव में बूढ़ा, बूढ़ी पेंशन लोग बोलते हैं। जो जरूरतमंद है, उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यह हम देखेंगे। इसके बाद परिवार सुरक्षा योजना है। इसमें यदि किसी परिवार का हैड यदि किसी दुर्घटना में मर जाता है, उसको 10,000 रुपया नगद मिलने का प्रावधान है। उसकी भी निगरानी करने और इन सभी योजनाओं के निगरानी के संबंध में हमने बैठक की है। माननीय सदस्यों को हम लिखा-पढ़ी में भी सूचित करते हैं कि इस पर क्या खर्चा है। इसलिए माननीय सदस्यों से हमारी प्रार्थना है कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें परेशान न करें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अभी हमने बताया है कि बूढ़ा-बूढ़ी पेंशन योजना है। इन सभी योजनाओं की गिनरानी करने के काम के लिए हमारे 40 अधिकारी हैं। एक अधिकारी के नीचे 15 जिले पड़ते हैं। हमने कहा है कि रूरल डैवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से एक जिले में कम से कम 10 गांवों का निरीक्षण हम अथवा हमारे राज्य मंत्री अथवा हमारे अधिकारी गांवों में जाएंगे और देखेंगे कि ग्रामीण विकास की योजनाएं कैसे लागू हो रही हैं। गांवों की और राज्य सरकारों की क्या समस्याएं हैं? सभी समस्याओं के समाधान की दिशा में सहायता करने का काम केन्द्र सरकार का है और उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हमने शपथ ली है कि राग-द्वेष से काम नहीं करेंगे। मैं न्याय करूंगा। उस शपथ को हम याद रखते हैं। किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। गरीबों का और गांवों का विकास कैसे हो, उस पर हम ध्यान देंगे। राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी की सोच और उनके दिशानिर्देश हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के दिशानिर्देश और महात्मा गांधी जी के दर्शन पर चलकर जब हमारे गांव समृद्ध होंगे, बेकारी हटेगी, गरीबी मिटेगी तो कोई बुनियादी शक्ति हिन्दुस्तान को नम्बर एक पर होने से नहीं रोक सकती है। इस तरह से तमाम माननीय सदस्यों के सहयोग से, ये जो लोग मांग कर रहे हैं, ये सब हमसे कहेंगे कि हम योजनाओं के क्रियान्वयन से पानी पिलाकर ही दम लेंगे, पानी पिलाकर ही हम छोड़ेंगे। ...*(व्यवधान)* सब इंतजाम हम करेंगे। इसीलिए सभी माननीय सदस्यों से हमारी प्रार्थना है कि जो हमारा बजट है, इसको पारित किया जाए और गांवों-गांवों में ग्राम विकास और गांव समृद्धि की ओर प्रयास किये जाएं। गरीबी और बेकारी हटाने के खिलाफ तथा इतना ही नहीं बेरोजगारी हटाने के लिए हमने 'कपार्ट' को कहा है। 10 लाख लोगों को डिमांड के मुताबिक और गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग दी जाए और एक करोड़ लोगों को विभाग के द्वारा गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग दी जाए और उनको बैंक से लिंक किया जाए। बैंकों की लोगों ने शिकायत की है। फाइनेंस मिनिस्टर से हमने लिखा-पढ़ी की है। 800 बैंकों की शाखाएं हैं, एसजीएसवाई, स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना भी है जिससे स्वरोजगार होगा।

रात्रि 9.00 बजे

महोदय, इससे स्वरोजगार बढ़ेगा। कामगारों को ट्रेनिंग, बैंक से ऋण और उनके द्वारा उत्पादित सामान को देश-विदेश के बाजारों में बेचने का प्रबंध होगा। 'ग्राम श्री मेला' कपार्ट की ओर से आयोजित किया गया। 'सरस मेला' पं. जवाहर लाल नेहरू जी के जन्मदिवस से प्रगति मैदान में आयोजित किया गया, उसमें 4.50 करोड़ रुपये की बिक्री हुई। इसी प्रकार 'बसन्त सरस मेला' जो दिल्ली हाट में आयोजित किया गया था, उसमें एक करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हुई। जैसा कि कृषि मंत्री जी ने कहा है कि ग्रामीण उत्पादों के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए तो हम मार्केटिंग की भी व्यवस्था कर रहे हैं। गांव के द्वारा उत्पादित सामान जब देश-विदेश के बाजारों में बिकेगा तो गांव के लोगों की आमदनी बढ़ेगी। महोदय, ये योजनाएं गरीबी-बेकारी हटाने, गांवों का विकास करने और समृद्धि लाने के लिए शुरू की जा रही हैं। माननीय सदस्यों के सहयोग के बिना इन योजनाओं को ठीक प्रकार से चला पाना संभव नहीं होगा। इसलिए माननीय सदस्यों का सहयोग और दिशानिर्देश आवश्यक है। हम इन योजनाओं

को कार्यान्वित करना चाहते हैं ताकि गांधी और डा. लोहिया का सपना साकार हो सके।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री इलियास आज़मी: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा दिये हुए पैसे से उत्तर प्रदेश में विधायक लोग दो-दो सौ हैण्डपम्प लगाये जाने का प्रपोजल दे रहे हैं, लेकिन सांसदों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी आज ही सदन में यह घोषणा करें कि प्रत्येक सांसद अपने क्षेत्र में एक हजार हैण्डपम्प लगाने का प्रपोजल दे सके।

उपाध्यक्ष महोदय: आजमी जी, कृपया आप बैठ जाइए।

श्री जी. वेंकटस्वामी: महोदय, मंत्री जी ने आने से इस मंत्रालय में एक नयी जान आ गयी है। एनडीए सरकार के कार्यकाल में पंचायती राज मंत्रालय की जो दुर्दशा हुई, उसे देखकर मुझे दुख होता है। यह दुख इसलिए भी होता है कि मैंने स्वयं ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में यह विधेयक संसद में लाकर पारित करवाया था। मुझे दुख होता है कि राज्यों में आज मुख्यमंत्री लोग पूरे फण्ड को दूसरे कामों में डाइवर्ट करते जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, कृपया आप बैठ जाइए।

श्री इलियास आज़मी: मंत्री जी, आपकी नीति भी ठीक है और आपकी नीयत भी ठीक है, लेकिन आपके द्वारा जारी किये जा रहे पैसों की राज्यों में अधिकारियों, दलालों और चोरों के द्वारा जो लूट की जा रही है, आप उससे आंखें क्यों बंद कर रहे हैं? इस लूट को रोकने के लिए आपकी ओर से कोई कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आजमी, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: निगरानी करने की जिम्मेदारी आप माननीय सदस्यों की भी हैं। आप भी अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा कीजिए।

श्री इलियास आज़मी: इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सांसद लोग क्या कर सकते हैं? क्या हम सीडीओ को सस्पेंड कर सकते हैं? अगर हम उसे भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ते हैं तो हमें उसे सस्पेंड करने की शक्ति दी जानी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सदस्यों द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों के लिए अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। क्या मैं, सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए एक साथ प्रस्तुत कर सकता हूं अथवा क्या कोई माननीय सदस्य किसी विशेष कटौती प्रस्ताव को अलग से प्रस्तुत करना चाहता है?

अनेक माननीय सदस्य: महोदय, कृपया इन्हें एक साथ प्रस्तुत करें।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिए एक साथ प्रस्तुत करता हूं।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 79 से 81 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 9.06 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा मंगलवार 26 अप्रैल, 2005/6 वैशाख, 1927 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री सुब्रत बोस श्री राजेन गोहेन	401
2.	श्री अधीर चौधरी श्री निखिल कुमार	402
3.	श्रीमती निवेदिता माने श्री कीर्तिवर्धन सिंह	403
4.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	404
5.	श्री बाडिगा रामकृष्णा	405
6.	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय डा. चिन्ता मोहन	406
7.	श्रीमती जयाप्रदा	407
8.	श्री सी.के. चन्द्रप्पन श्री चेंगरा सुरेन्द्रन	408
9.	श्री काशीराम राणा श्री वी.के. दुम्मर	409
10.	श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ श्री अनन्त नायक	410
11.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील श्री रामदास आठवले	411
12.	श्री चन्द्रभूषण सिंह श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	412
13.	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा योगी आदित्यनाथ	413
14.	श्री रामजीलाल सुमन श्री नीतीश कुमार	414
15.	श्री अर्जुन सेठी	415
16.	श्री कैलाश मेघवाल	416
17.	श्री पारसनाथ यादव श्री हरिभाऊ राठौड़	417
18.	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	418
19.	श्री अवतार सिंह भडाना श्री जे.एम. आरून रशीद	419
20.	श्री मधु गौड़ यास्खी	420

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	4483, 4519
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	4486, 4577
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	4380, 4405, 4427, 4430, 4570
4.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	4421, 4516, 4526
5.	अहमद, श्री अतीक	4376, 4492, 4602
6.	अहीर, श्री हंसराज जी.	4440
7.	अनंत कुमार, श्री	4420
8.	अप्पादुरई, श्री एम.	4394
9.	आठवले, श्री रामदास	4498, 4595
10.	आजमी, श्री इलियास	4379
11.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	4435, 4537
12.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	4515, 4591
13.	बर्मन, श्री हितेन	4482, 4572
14.	बर्मन, श्री रनेन	4392, 4420
15.	बखला, श्री जोवाकिम	4572
16.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	4479
17.	भडाना, श्री अवतार सिंह	4519
18.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	4418, 4524, 4594
19.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	4388, 4497
20.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	4397
21.	बोस, श्री सुब्रत	4572
22.	चालिहा, श्री किरिप	4490
23.	चन्देल, श्री सुरेश	4555
24.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	4513
25.	चव्हाण, श्री हरिश्चन्द्र	4377, 4518
26.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	4477
27.	चौधरी, श्रीमती अनुराधा	4458, 4507, 4561
28.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	4426, 4530

1	2	3
29.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	4470
30.	चौधरी, श्री पंकज	4434, 4457, 4549, 4598
31.	चौधरी, श्री अधीर	4494, 4538, 4587
32.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेश चन्द्र	4433
33.	धनराजू, डा. के.	4417, 4523, 4593
34.	डोम, डा. रामचन्द्र	4375
35.	दूबे, श्री चन्द्र शेखर	4476
36.	गढ़वी, श्री पी.एस.	4474
37.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	4509, 4562
38.	गांधी, श्रीमती मेनका	4459
39.	गांधी, श्री प्रदीप	4436, 4591
40.	गंगवार, श्री संतोष	4383, 4536, 4600
41.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	4488
42.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	4378, 4508
43.	गोहेन, श्री राजेन	4532, 4598
44.	गुढ़े, श्री अनंत	4448, 4541
45.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	4430
46.	हसन, श्री मुनव्वर	4431, 4516, 4550, 4557
47.	जगन्नाथ, डा. एम.	4446, 4451, 4545
48.	जटिया, डा. सत्यनारायण	4393, 4579
49.	जयाप्रदा, श्रीमती	4512, 4590
50.	जय प्रकाश, श्री	4402, 4575
51.	जोगी, श्री अजीत	4491, 4583
52.	जोशी, श्री प्रहलाद	4471
53.	कलमाडी, श्री सुरेश	4515
54.	कामत, श्री गुरुदास	4410
55.	कनोडीया, श्री महेश	4446
56.	करुणाकरन, श्री पी.	4428, 4455, 4547
57.	खां, श्री सुनील	4414
58.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	4466, 4480, 4516, 4563
59.	खन्ना, श्री अविनाश राय	4377
60.	खारवेनथन, श्री एस.के.	4434, 4449, 4542
61.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	4385, 4424, 4502
62.	कोया, डा. पी.पी.	4582
63.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	4424, 4528, 4596
64.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	4423
65.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	4454
66.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	4408, 4507
67.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	4519
68.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	4465, 4552
69.	महाजन, श्री वाई.जी.	4518
70.	महतो, श्री बीर सिंह	4421, 4526
71.	महतो, श्री सुनील कुमार	4433
72.	महताब, श्री भर्तृहरि	4415, 4522, 4592
73.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	4462, 4582
74.	मंडल, श्री सनत कुमार	4404, 4506, 4541, 4604
75.	मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	4562, 4570
76.	माने, श्रीमती निवेदिता	4509
77.	मेघवाल, श्री कैलाश	4501, 4574, 4586
78.	मेहता, श्री आलोक कुमार	4441
79.	मिश्रा, डा. राजेश	4461
80.	मोदी, श्री सुशील कुमार	4382, 4454, 4510
81.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	4466
82.	मोहन, श्री पी.	4479, 4563, 4567
83.	मुकीम, मो.	4478, 4550
84.	मो. ताहिर, श्री	4408, 4561
85.	मोहिते, श्री सुबोध	4387, 4496
86.	मुन्शी राम, श्री	4408, 4458, 4507, 4524, 4561

1	2	3
87.	मुर्मू, श्री हेमलाल	4443, 4573, 4598
88.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	4442, 4539
89.	नायक, श्री ए. वेंकटेश	4447, 4565
90.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	4391
91.	नायक, श्री अनन्त	4493, 4601
92.	नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	4422, 4527
93.	निखिल कुमार, श्री	4538, 4554
94.	ओराम, श्री जुएल	4407, 4543, 4601
95.	ओसमानी, श्री ए.एफ.जी.	4403
96.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	4386, 4420, 4455, 4495
97.	पलनिसामी, श्री के.सी.	4399, 4504
98.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	4394, 4499, 4584
99.	पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार	4490
100.	पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई	4516
101.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	4477
102.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	4380, 4546
103.	पाठक, श्री ब्रजेश	4444, 4540
104.	पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.	4453, 4565, 4568
105.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	4412, 4581
106.	पाटील, श्री प्रकाशबापू वी.	4563
107.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	4390
108.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	4454
109.	पिंगले, श्री देविदास	4409, 4417, 4551
110.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	4481, 4589
111.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	4416, 4565
112.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	4379, 4511, 4516, 4520
113.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	4533
114.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	4422
115.	राजेन्द्र कुमार, श्री	4434
116.	राजेन्द्रन, श्री पी.	4464
117.	रामदास, प्रो. एम.	4475, 4490, 4558
118.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	4481, 4589
119.	राव, श्री के.एस.	4576
120.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	4428, 4429, 4531, 4601
121.	राव, श्री डी. विट्टल	4411, 4455, 4526, 4553
122.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	4560
123.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	4438, 4515, 4574, 4591
124.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	4420
125.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	4395, 4500, 4585
126.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	4513
127.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	4516
128.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	4485, 4571, 4601
129.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	4487
130.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	4375, 4582
131.	सत्पथी, श्री तथागत	4405, 4427, 4434, 4534, 4599
132.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	4437, 4538, 4603
133.	सेठी, श्री अर्जुन	4521
134.	शहाबुद्दीन, डा. मो.	4384
135.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	4425, 4529
136.	शाहिद, मोहम्मद	4445, 4507, 4524
137.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	4426
138.	शांडिल्य, डा. कर्नल (से.नि.) धनीराम	4413, 4514
139.	शर्मा, श्री मदन लाल	4448, 4541
140.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	4427, 4430, 4434, 4463, 4550
141.	शिवन्ना, श्री एम.	4447, 4460, 4566

1	2	3
142.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	4408, 4445, 4507, 4524
143.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	4423
144.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	4454, 4456, 4548
145.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	4439
146.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	4511
147.	सिंह, श्री रामसेवक	4398, 4559
148.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	4517
149.	सिंह, श्री चन्द्रभान	4489, 4578
150.	सिंह, श्री दुष्यंत	4467, 4555
151.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	4509, 4550, 4562
152.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	4434, 4455, 4468
153.	सिंह, श्री मोहन	4572
154.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	4432, 4535, 4597
155.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	4396, 4503
156.	सिंह, श्री राकेश	4484
157.	सिंह, श्री सुग्रीव	4380, 4400, 4546, 4570
158.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	4473
159.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	4446
160.	सुब्बारायण, श्री के.	4419, 4525
161.	सुमन, श्री रामजीलाल	4512, 4519, 4590
162.	स्वाईं, श्री खारबेल	4590
163.	ठक्कर, श्री जयाबहन बी.	4401, 4569
164.	थामस, श्री पी.सी.	4452, 4527
165.	दुम्मर, श्री वी.के.	4516, 4520
166.	थुपस्तन, श्री छेवांग	4381
167.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	4505, 4507, 4588
168.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	4455
169.	वसावा, श्री मनसुखभाई वी.	4469
170.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	4518
171.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	4389, 4580, 4582
172.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	4434, 4439, 4507, 4534, 4556
173.	विजयशंकर, श्री सी.एच.	4472
174.	विनोद कुमार, श्री बी.	4428, 4564
175.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	4436
176.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	4550
177.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	4469
178.	यादव, श्री बालेश्वर	4434, 4597
179.	यादव, श्री गिरिधारी	4433
180.	यादव, श्री सीता राम	4441
181.	यास्खी, श्री मदु गौड़	4576
182.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	4450, 4509, 4544
183.	जाहेदी, श्री महबूब	4406

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	405, 406, 407, 415
रसायन और उर्वरक	:	404, 409, 414
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	
पर्यावरण और वन	:	410, 418, 420
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
श्रम और रोजगार	:	403, 411, 412, 416
इस्पात	:	401, 413
पर्यटन	:	408, 419
जल संसाधन	:	402, 417

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	4376, 4378, 4383, 4388, 4389, 4390, 4391, 4395, 4399, 4401, 4406, 4407, 4412, 4417, 4422, 4423, 4426, 4427, 4428, 4430, 4432, 4436, 4441, 4444, 4445, 4447, 4448, 4450, 4451, 4456, 4458, 4460, 4462, 4464, 4465, 4466, 4467, 4470, 4471, 4475, 4477, 4479, 4481, 4485, 4487, 4490, 4491, 4492, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4502, 4504, 4505, 4511, 4512, 4513, 4520, 4522, 4523, 4524, 4527, 4535, 4540, 4542, 4543, 4545, 4554, 4555, 4563, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4579, 4580, 4582, 4586, 4587, 4594, 4599, 4602, 4603, 4604
रसायन और उर्वरक	:	4375, 4382, 4387, 4403, 4408, 4414, 4463, 4478, 4494, 4500, 4529, 4552, 4564, 4578
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	4380, 4394, 4398, 4424, 4429, 4439, 4442, 4453, 4457, 4473, 4480, 4482, 4510, 4516, 4516, 4530, 4536, 4541, 4544, 4549, 4558, 4560, 4561, 4574, 4576, 4585, 4591, 4598, 4600
पर्यावरण और वन	:	4381, 4386, 4396, 4416, 4418, 4431, 4434, 4435, 4437, 4446, 4452, 4455, 4459, 4461, 4468, 4472, 4476, 4483, 4488, 4506, 4526, 4538, 4547, 4550, 4557, 4593, 4596
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	4425, 4533, 4565
श्रम और रोजगार	:	4377, 4393, 4405, 4411, 4419, 4421, 4433, 4469, 4474, 4486, 4501, 4507, 4508, 4509, 4517, 4519, 4525, 4528, 4534, 4546, 4556, 4562, 4577, 4581, 4584, 4588, 4589, 4590
इस्पात	:	4440, 4532, 4583
पर्यटन	:	4392, 4400, 4402, 4409, 4410, 4413, 4415, 4420, 4449, 4454, 4484, 4503, 4521, 4553
जल संसाधन	:	4379, 4384, 4385, 4397, 4404, 4438, 4443, 4489, 4493, 4514, 4515, 4518, 4531, 4537, 4539, 4548, 4551, 4559, 4575, 4592, 4595, 4597, 4601

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/9/24/2005 (एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।